आदर्श माला, खंड 9, अंक 8

सोमवार, 3 मार्च, 1997
12 फाल्गुन, 1918 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र

(भाग I)

(ग्यारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 9 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : पचास रुपये

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
सोमवार, 3 मार्च, 1997/12 फाल्गुन, 1918 (शक)

का

शुद्धिपत्र

.....

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
(11)	16	श्री पो॰कोदंडा रमैया	श्री पी॰ कोदंड रमैया
(11)	24	श्री पुन्नु लाल मोहल्ले	श्री पुन्नु लाल मोहले
15	8	श्री राजीव प्रताप स्ही	श्री राजीव प्रताप स्ही
26	23	श्री एस॰के॰ करवेंधन	श्री एस॰के॰ कारवेंधन
326	27	श्री बृजभूषण तिवारी	श्री बृजभूषण तिवारी
327	11	श्री निर्मल क्रान्ति पटर्जी	श्री निर्मल कान्ति पटर्जी
333	18	श्री मुथकर सरपोतदार	श्री मधुकर सरपोतदार
347	नीचे से 12	श्री विथन कीटियार	श्री विनय कीटियार
351	21	डा॰प्रवीन चन्द्र शर्मा (गुहावाटी)	डा॰ प्रवीन चन्द्र शर्मा (गुवाहाटी)

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

श्री सुरेन्द्र मिश्र
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्रीमती रेवा नैयर
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

श्रीमती अरुणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामणिक मानी जायेगी। उसका अनुवाद प्रामणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[एकादश माला, खंड 9, चौथा सत्र, (भाग–एक), 1997/1918 (शक)]

अंक 8, सोमवार, 3 मार्च, 1997/12 फाल्गुन, 1918 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	123, 125, 127 और 128.	1-30
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	121, 122, 124, 126 और 129 से 140	30-62
अतारांकित प्रश्न संख्या	1290 से 1519	62-305
सभा पटल पर रखे गए पत्र		305-309
मंत्री द्वारा वक्तव्य		
राष्ट्रीय वस्त्र निगम		
श्री आर.एल. जालप्पा		309-312
राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान विधेयक – *पुरः स्थापित*		315
उत्तर प्रदेश के संवैधानिक संकट तथा वहां के राज्यपाल को वापस बुलाए जाने के बारे में नियम 184 के अधीन प्रस्ताव स्वीकार किए जाने का प्रश्न		315-335
नियम 377 के अधीन मामले		348-353
(एक)	कानपुर (उत्तर प्रदेश) को बिजली को नियमित आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री जगत वीर सिंह द्रोण	348-349
(दो)	राज्य में भूजल स्तर के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रामेश्वर पाटीदार	349
(तीन)	बिहार के छपरा जिले में 20 किलो मीटर क्षेत्र के भीतर आने वाले सभी दूरभाष केन्द्रों को स्थानीय दूरभाष केन्द्र माने-जाने की आवश्यकता	
	श्री राजीव प्रताप रूडी	349-350
(चार)	बिहार के सीतामढ़ी को पर्यटक स्थल के रूप में विकास किए जाने की आवश्यकता	
	श्री नवल किशोर राय	350
(पांच)	चेन्नई और तिरूवंनतपुरम, केरल को जोड़ने के लिए सह्याद्रि होते हुए एक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री ए. सम्पथ	351
(छः)	देश की समृद्ध जैव-विविधता के संरक्षण के लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता	
	डा. प्रवीन चन्द्र शर्मा	351-352
(सात)	उड़ीसा के बीरमित्रपुरा में बिसरा डोलोमाइट स्टोन और चूना पत्थर खानों का बंद न किया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
	कुमारी फ्रिडा तोपनो	352
(आठ)	पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों का शीघ्र कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता	
	श्री के.एच. मुनियप्पा	352-353

विषय कालम

(नौ) तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा प्रस्तावित बाटलिंग संयंत्र को उड़ीसा के झारसुगुंडा के समीप स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही. 353

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव. 353-460

श्री रामेश्वर पाटीदार. 353-362

श्री दिलीप सिंह भूरिया. 362-369

श्री कमारूल इस्लाम. 370-378

श्री सुंदरलाल पटवा. 378-398

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह. 398-401

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका. 401-408

डा० अरविन्द शर्मा. 408-411

श्री विनय कटियार. 411-415

श्री इलियास आजमी. 415-420

प्रो० रीता वर्मा. 420-429

श्री पी. कोदंडा रमैया. 429-435

डा० शफीकुर्रहमान बर्क. 436-440

प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा. 440-443

श्री सी. नारायण स्वामी. 444-448

श्री अमर पाल सिंह. 448-450

श्री शिवानन्द एच. कौजलगी. 450-451

श्री पी.सी. थामस. 451-455

श्री नकली सिंह. 455-457

श्री पुन्नू लाल मोहल्ले. 457-460

लोक सभा

सोमवार, 3 मार्च, 1997/12 फाल्गुन, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.03 बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

[हिन्दी]

श्री एस.पी. जायसवाल (वाराणसी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान वाराणसी में छात्र आन्दोलन की ओर दिलाना चाहता हूँ, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूरे प्रदेश में फैल रहा है।

अध्यक्ष महोदय : अभी नही बाद में ।

श्री एस.पी. जायसवाल : मैं आपका सहयोग चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : बाद में। जीरो आवर में।

प्रश्न संख्या 121 - श्री महेन्द्र सिंह भाटी - नहीं हैं।

प्रश्न संख्या 122 - डॉ॰ जी.आर. सरोदे - नहीं हैं।

प्रश्न संख्या 123 - प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

राकेश-मोहन समिति की रिपोर्ट

+

*123. **प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :**
जस्टिस गुमान मल लोढा :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देश में सड़कों की शोचनीय हालत और उनमें सुधार लाने के संबंध में राकेश-मोहन समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन): (क) जी, हाँ।

(ख) राकेश मोहन समिति की रिपोर्ट में की गई विभिन्न सिफारिशों में से राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित निम्नलिखित सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं।

(i) बाईपासों, पुलों, पुलोपरि सड़क और राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का बनाने से संबंधित परियोजनाएं जो निजी क्षेत्र के माध्यम से निर्मित की जानी है और जिन्हें बैंक सहायता दी जा सकती है।

(ii) राजमार्ग विकास नीति अपना ली गई है।

(iii) निजी क्षेत्र को निर्माण कार्य देने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश और प्रक्रिया अनुमोदित कर दी गई है।

प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : माननीय मंत्री जी ने जो रिप्लाई दिया है, मैं जानना चाहता हूँ कि राकेश मोहन कमेटी ने जो सजेशन दिया है, इन्फ्रासट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए, और इसके लिए इन्होंने माना है कि हम प्राइवेट सैक्टर में इसकी डेवलपमेंट करने के लिए तैयार हैं। 40% जो रोड्स व्हीकल टैक्स से, एक्साइज टैक्स से जो कलेक्शन होता है, उसका 40% ही सड़कों पर खर्च किया जाता है। क्या सरकार जो पैसा यहां से खर्च होता है। वह सड़कों के लिए खर्च करने के लिए तैयार है। बहुत सारी नैशनल हाईवे रोड्स ऐसी हैं जो फोर-लेन स्कीम में आई मगर वे दस वर्षों से चल रही हैं और कम्पलीट नहीं हो रही। नेशनल हाइवे नम्बर एक जो है वह करनाल से लेकर अम्बाला तक, अम्बाला और राजपुरा से लेकर सरहिंद तक दस वर्षों से इनकम्पलीट पड़ी है। उनको पूरा करने का कब तक का प्रोजेक्ट है, यह मैं जानना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि कुछ नेशनल हाईवे जो इंटर-स्टेट हैं, जिनकी बड़ी इमपोरटेंस है, जैसे पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ से राजस्थान को जोड़ने के लिए भटिंडा से आगे नेशनल हाईवे है मगर चंडीगढ़ से भटिंडा तक जो रोड़ है उसको नेशनल हाईवे डिक्लेयर नहीं किया गया। ऐसे ही चंडीगढ़ से रोपड़ को होकर हिमाचल को ट्रेफिक जाता है, जम्मू और कश्मीर का जो ट्रेफिक वहां से जाता है वह नेशनल हाईवे में कन्वर्ट नहीं किया गया। ऐसे ही पंजाब बार्डर स्टेट हैं, वहां बार्डर की इमपोरटेंस होने के कारण जो चंडीगढ़ और लुधियाना के बीच की सड़क हैं .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल पूछिए।

प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : क्या उसको भी नेशनल हाईवे में कन्वर्ट करने को तैयार हैं ?

[अनुवाद]

श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन : अध्यक्ष महोदय, जहां तक पंजाब का संबंध है, तो सी.आर.एफ. से उसे 1994-95 के लिए 259 लाख रुपए, 1995-96 के लिए 213 लाख रुपए और

1996-97 के लिए 207 लाख रुपए आवंटित किए गए थे। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी आवंटित नहीं किया। माननीय सदस्य के वक्तव्य से ऐसा जान पड़ता है कि हमने कुछ भी आवंटित नहीं किया है और वहां कोई काम नहीं हो रहा है।

जहां तक अन्य बातों का संबंध है। जिनके बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है और जो राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा से संबंधित है, तो मेरा यही कहना है कि जब से यह सरकार सत्ता में आयी है, तब से वित्तीय संकट के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में कोई घोषणा नहीं की गई है। लेकिन वर्तमान बजट में इसके लिए धन आवंटित किया गया है। और इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। वर्तमान बजट आबंटन के परिदृश्य में माननीय सदस्य द्वारा सुझाये गए सड़कों के बारे में ध्यान रखूंगा।

[हिन्दी]

प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मंत्री जी ने जो आंकड़े दिये हैं उनसे जो बजट ऐलोकेशन है वह ईयर वाइस ईयर कम होता गया। पंजाब के लिए 259 लाख से 1994-95 में 214 लाख हुआ। 1996 में 207 हुआ। ऐसे ही हरियाणा की जो ऐलोकेशन है वह भी कम हुई। आन्ध्र और राजस्थान की भी कम हुई। राकेश मोहन कमेटी ने बहुत स्ट्रेस किया है कि बजट ऐलोकेशन का जो मेक्सीमम हिस्सा है वह इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होना चाहिए तभी देश की इकोनोमी बढ़ सकती है। व्यापार बढ़ रहा है, पापुलेशन बढ़ रही है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिस रेश्यों से स्ट्रेंथ बढ़ रही है और जिस रेश्यों से व्यापार बढ़ रहा है क्या उस रेश्यों से रोड़ फेसिलिटी भी बढ़ रही है?

[अनुवाद]

श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन : महोदय, सम्बद्ध राज्यों में पेट्रोल की खपत में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सड़क निधि से एक मुश्त धन आवंटित किया जाता है।

यदि कोई योजना स्वीकृत होती है और धन उपलब्ध है तो हम उसके लिए धन आवंटित करते हैं। धन आवंटित करते समय, किसी विशेष राज्य को ध्यान में नहीं रखा जाता है। हम उचित मानदंडों के आधार पर धन आंवटित करते हैं। इन्हीं मानदंडों के आधार पर पंजाब को भी धन आवंटित किया गया।

[हिन्दी]

जस्टिस गुमान मल लोढा : राकेश मोहन कमेटी की रिपोर्ट के पश्चात यह स्पष्ट हो चुका है कि इस समय भारत में जो सड़कें हैं उन सड़कों में 1.3 प्रतिशत ही फोर-लाइन्स हैं, बाकी अधिकतर सिंगल-लाइन हैं। यही कारण है कि देश में एटम-बम के एक्सप्लोजन से ज्यादा रोड़ एक्सप्लोजन के रूप में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। इन एक्सीडेंट्स की वजह से भारतवासी परेशान हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या आप जो पांच साल के लिए 27000 करोड़ रुपये की रकम दी गयी है उसको प्राप्त करके रोड्स को फोर-लाइन्स करने के लिए प्रयास करेंगे।

बी-पार्ट में जो दिया हुआ है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि क्या आप एक अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट रोड़ पॉलिसी बनाकर इसकी घोषणा करेंगे ताकि देश में एक्सीडेंट्स कम हो सकें और रोड्स का स्तर ऊंचा हो सके।

[अनुवाद]

श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन : महोदय, हमने एकल लेन वाली सड़क को दोहरी लेन वाली सड़क में बदलने का निर्णय पहले ही कर लिया है। जहां तक दोहरी लेन वाली सड़क को चार लेन वाली सड़क में बदलने का संबंध है, तो जैसा कि मैंने एक माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट किया था, इस बार बजट में इसके लिए धन उपलब्ध है। अतः इस बारे में हम विचार करेंगे। इस संबंध में हमें सुझाव मिले हैं। उपलब्ध धन को ध्यान में रखते हुए हम दो लेन वाली सड़क को चार लेन वाली सड़क में बदलने पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से बिहार की निरंतर उपेक्षा की ओर ध्यान दिलाते हुए एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बिहार में नेशनल हाई-वे की राशि निरंतर कम होती जा रही है। बिहार को 1994-95 में 166 करोड़ रुपये दिए गए, लेकिन दूसरे साल 1995-96 में यह राशि घटकर 25 करोड़ और तीसरे साल 1996-97 में 10 करोड़ रह गयी है। आज वहां की सड़कों की हालत बहुत खराब है।

वहां नेशनल हाई-वे की घोषणा नहीं की गयी है। हम मंत्री जी से इस बारे में संरक्षण चाहते हैं। वहां पर ऐसा लगता है कि सड़क पर गड्ढे न होकर गड्ढे में ही जैसे सड़कें हैं। सड़कों पर इन बीस वर्षों में जितना यातायात बढ़ा है उसके हिसाब से उनको सुधारा न गया है। मैं चाहता हूँ कि बिहार के साथ न्याय हो और इसकी राशि को बढ़ाकर जिन सड़कों की हालत शोचनीय है उनमें सुधार करके उनको फोर-लाइन्स का किया जाए। पटना, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, भीठामोड़, सोनवर्षा का जो पूर्व से आश्वासन है, उसको इस वित्तीय वर्ष में कार्यान्वित कराकर क्या आप नया नेशनल हाइवे बनाएंगे?

पार्ट-बी में पहले से घोषित जो हाइवे हैं दरभंगा, फारबिसंगज क्या आप इनके लिए राशि देकर इनका निर्माण शुरू करवाएंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से बिहार को न्याय देने की मांग करता हूँ।

[अनुवाद]

श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन : महोदय, हम पहले ही निवेदन कर चुके हैं कि सम्बद्ध राज्यों में, हवाई जहाज हेतु उपयोग होने वाले पेट्रोल को छोड़कर, पेट्रोल की खपत में हुई वृद्धि के आधार पर केन्द्रीय सड़क निधि से एक मुश्त धन आवंटित किया जाता है। विद्यमान मानदंडों के आधार पर .....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय : अध्यक्ष महोदय, हम आपका संरक्षण चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन : महोदय, मैं बिहार के बारे में प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। तत्पश्चात् मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हाँ, उन्होंने यह मांग की है कि क्या आप इस पर उचित रूप से विचार करेंगे या नहीं

....*(व्यवधान)*

श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन : महोदय, माननीय सदस्य ने जिस लेख को पढ़ा है वह बिल्कुल ठीक है। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि पेट्रोल से होनेवाली आय का लेखा-जोखा रखा जाता है और राज्यों के नाम जमा कर दिया जाता है। मेरे मित्र द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार किया जा रहा है, जैसा कि पहले ही कह चुका हूँ कि इस बार बजट में इसके लिए धन उपलब्ध है। अतः इस बारे में मैं सोचूंगा और ऐसा करते समय उनके सुझावों को ध्यान में रखूंगा।.....*(व्यवधान)*

श्री नवल किशोर राय : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने सवाल पूछा ही नहीं तो उत्तर कहां से आएगा? आपका तो सजैशन था।

श्री जालमुनी चौबे : अध्यक्ष महोदय, वहां लूट भी है और इसकी छूट भी है। वहां सड़क नहीं बन रही है। गैर योजना पर पैसा जा रहा है। बिहार में सड़क बनाने की कोई नई योजना नहीं ली जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : आपने बिहार के बारे में पूरा सुना लिया है। अब नॉर्थ-ईस्ट के बारे में सुनिए कि वहां क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

श्री जालमुनी चौबे : अध्यक्ष महोदय, आप बिहार की बात जानते हैं.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ सच पूछा जाए, तो मुझे भी अनुपूरक प्रश्न पूछने का मन हो रहा है।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, माननीय मंत्री ने हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ भागों का दौरा किया और प्रेस के समक्ष यह स्वीकार किया कि पूर्वोत्तर राज्य में सड़कों की स्थिति खराब है। और केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों हेतु पर्याप्त धन उपलब्ध कराएगी। इसके संदर्भ में, मैं विशिष्ट रूप से नीतिगत मामलों से संबंधित प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

1995-96 के दौरान भारत सरकार ने, विशेषकर प्रधानमंत्री की यात्रा के पश्चात् सड़कवार धन उपलब्ध कराया था। इस संबंध में एक स्वीकृति पत्र भी जारी किया गया था। लेकिन इस सरकार के सत्ता में आने के पश्चात् उन्होंने मुझे पत्र लिखकर बताया कि इसके लिए सड़कवार धन आवंटित नहीं किया जा सकता क्योंकि धन वापस कर दिया गया है। क्या नीति बदल गई है या केन्द्रीय सड़क निर्माण के अंतर्गत राज्य सरकारों को धन आवंटित किए जाने की नीति क्या है?

श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन : ऐसा नहीं है कि हम राज्य सरकारों से धन वापस ले रहे हैं। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इसके लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए गए हैं और इन मानदंडों के बारे में वरिष्ठ सदस्य इससे अवगत भी होंगे। वायुयान हेतु ईंधन को छोड़कर राज्य में खपत पेट्रोल के आधार पर यह आवंटन होता है....*(व्यवधान)*

मैं यही कह सकता हूँ...*(व्यवधान)* अतः, इसका मतलब यह नहीं है कि इस राज्य के प्रति सौतेला व्यवहार किया जा रहा है ...*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव : यह सड़कवार आवंटित किया गया था। अब ऐसा कैसे किया जा सकता है?.....*(व्यवधान)*

श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन : महोदय, हो सकता है कि आवंटित धन उपलब्ध हो; किन्तु जब तक बजट से यह धन जारी नहीं कर दिया जाता मैं तब तक कुछ नहीं कर सकता। मुझे कुछ धन की प्राप्ति हुई है और इसे मैं अभी जारी करने जा रहा हूँ ....*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : महोदय, आप आधे घंटे की चर्चा के लिए सहमत हो सकते हैं। यह एक अति महत्वपूर्ण क्षेत्र है। उन्होंने इस बजट में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सड़क क्षेत्र हेतु 500 करोड़ रुपये आवंटित किए है; और उनका कहना है कि वे आधारभूत संरचना विकसित करना चाहते हैं। अतः, इस पर आपको आधे घंटे की चर्चा की अनुमति देनी चाहिए। प्रत्येक माननीय सदस्य इस बारे में चिंतित है।

अध्यक्ष महोदय : संसद के पिछले सत्र में भी इस पर एक प्रश्न पूछा गया था। मैंने उस पर सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक विशेष वक्तव्य देने का निदेश दिया था और इसके बाद उस पर आधे घंटे की चर्चा हुई थी। मैं समझता हूँ कि आज तक, इसके परिणाम वही हैं। यदि सभा की इच्छा है, तो मुझे इस पर आधे घंटे की चर्चा को स्वीकृति प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं है।

[हिन्दी]

श्री लालमुनी चौबे : वहां कितना पैसा सरकार खर्च कर रही है....*(व्यवधान)* इस पर बहुत गम्भीरता से विचार होना चाहिए और इसको रोका जाना चाहिए।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कौन सा स्टेट का कितना खर्चा हो रहा है। उसका जवाब क्वश्चन नं. 121 में दिया हुआ है।

[अनुवाद]

प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित है। लेकिन आपको यह मिल सकता है।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है। श्री राजेश पायलट एक भूतपूर्व मंत्री हैं। अतः, मैं उनको अनुमति देता हूँ।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं समझ सकता हूँ।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने खुद कहा है कि इस पर मुझे भी अनुपूरक प्रश्न पूछने का मन हो रहा है। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं ?

श्री राजेश पायलट : महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन सड़कों की आधारभूत संरचना विकसित किए जाने के मुख्य उद्देश्य से किया गया था। माननीय मंत्री ने कहा कि वह इसमें कोई मदद नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास धन नहीं है। इस बजट में भी राष्ट्रीय राजमार्गों हेतु, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को, 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जो भारत जैसे देश के लिए कुछ नहीं है। अतः मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वह इस पर एक श्वेत पत्र जारी करें क्योंकि 1986-87 में एक कैबिनेट निर्णय किया गया था जिसके अन्तर्गत पेट्रोल पर लगाये जाने वाले कर का कुछ भाग सड़क क्षेत्र को जाना था। यह एक ऐसा सरकारी निर्णय था जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा अब तक लागू नहीं किया गया। जब तक सड़क क्षेत्र को धन आवंटित नहीं किया जाता तब तक माननीय मंत्री कुछ नहीं कर सकते। अतः, उन्हें पूरे विषय पर एक श्वेत पत्र जारी करके यह बताना चाहिए कि 1986 से इस हेतु धन आवंटन में क्यों कमी आयी है और पेट्रोल पर लगने वाले कर का कुछ भाग सड़क क्षेत्र को क्यों नहीं दिया जाता।

यह आधे घंटे की चर्चा हो सकती है या एक घंटे की या जैसा भी आप चाहते हैं, परन्तु इस पर चर्चा जरूर करनी चाहिए, महोदय ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री शत्रुघन प्रसाद सिंह जी, अब हम मंत्री जी की बात सुनते है।

....*(व्यवधान)*

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, आप म्यूजीकल चेयर वाला खेल खेल रहे हैं। जिसमें वर्तमान मंत्री भूतपूर्व मंत्री के प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। ....*(व्यवधान)*

श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में और दूसरे सदन में आधे घंटे की चर्चा के बाद मैंने इस मामले को मंत्रिमंडल के समक्ष रखा था और मैंने पांच प्रतिशत उपकर की मांग की थी। मैंने 1989 में संसद द्वारा पारित संकल्प पर भी जोर दिया था। यह अब भी मंत्रिमंडल के पास लंबित पड़ा है।

इसी बीच, बजट प्रस्तुत किया गया है। अब, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि कुछ सुधार हुआ है और उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि यह कोई निधि नहीं है। परन्तु इस संबंध में कुछ आशा दिखाई देती है जैसे सेवा प्रभार केन्द्रीय सड़क निधि को सौंपे जा रहे हैं। उस स्थिति में, बजट में की गई घोषणा के अनुसार, इसे एन.एच.ए.आई. को सौंपा जाएगा। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, यह मामला अभी भी मंत्रिमंडल के पास लंबित है और मैं भी इस बात पर जोर दे रहा हूँ और हम इसे अंतिम रूप दिए जाने तक देखेंगे। अगर यह निधि, जो वास्तव में उपकर है और सेवा-प्रभार के रूप में एकत्र की जानी है। सड़क निधि को आवंटित की जाती है तो मैं वास्तव में इन सभी कठिनाईयों को दूर कर सकूंगा। अतः इसके लिए हमें मंत्रिमंडल के निर्णय का इंतजार करना होगा और मैं मंत्रिमंडल के निर्णय का इंतजार कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : विशेष प्रश्न यह है कि क्या आप इस पर श्वेत पत्र लाना चाहते हैं अथवा नहीं।

श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन : जी, हाँ। मैं ऐसा करने की कोशिश करूंगा। मैं इस संबंध में परामर्श लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : इससे आपके मंत्रिमंडल के निर्णय लेने में भी तेजी आएगी। ठीक है। मंत्री महोदय सहमत हो गए हैं। मैं समझता हूँ यह एक बहुत अच्छी बात है।

श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन : महोदय, जैसा कि आपने सुझाव दिया है, मैं पूरी बात का अध्ययन करूंगा और श्वेत-पत्र प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा।

बंगलादेश के साथ जल बंटवारे के संबंध में संधि

+

***125. प्रो॰ अजित कुमार मेहता :**
श्री उत्तम सिंह पवार :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत तथा बंगलादेश के बीच जल संबंधी संधि पर हस्ताक्षर होने के पश्चात् इसके गुण-दोषों की समीक्षा की है;

(ख) क्या इस संधि में देश के हितों की रक्षा की गई है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस मामले में और आगे वार्ता किए जाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों विशेषतः बिहार तथा पश्चिम बंगाल से उपर्युक्त संधि के परिणामों के संबंध में कोई विरोध-पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो उपर्युक्त भाग (क), (ख), (ग) तथा (घ) के संबंध में अलग-अलग तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) दो वर्षों तक संयुक्त प्रेक्षण कर लेने के बाद व्यावहारिकता और प्रवाहों का मूल्यांकन करना संभव होगा। इस संधि पर दिसम्बर, 1996 में हस्ताक्षर किए गए जिसमें प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी से 31 मई तक शुरू होने वाली पानी की कमी के मौसम के दौरान बंगलादेश को और फीडर नहर को छोड़े गए जल को मानीटर करने के लिए संयुक्त समिति की स्थापना करने की व्यवस्था है। इस संयुक्त समिति का गठन हो चुका है और संयुक्त दलों द्वारा संयुक्त जल-निकास का मापन किया जा रहा है।

इस सन्धि में अनुच्छेद-10 की एक धारा के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि प्रत्येक पांच वर्षों के बाद इसकी समीक्षा हो। संधि में दिए गए अनुसार बंटवारे की व्यवस्था के प्रभाव एवं कार्य प्रणाली का मूल्यांकन करने के लिए कोई पक्षकार राज्य दो वर्ष बाद पहली समीक्षा करवा सकता है।

(ख) जी, हाँ। संधि से दोनों देशों को लाभ होगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) पश्चिम बंगाल सरकार ने कोई विरोध नहीं किया है लेकिन बिहार सरकार ने भारत सरकार से इस संधि पर तथा अपस्ट्रीम में जल उपयोग पर होने वाली वृद्धि को लेकर अपनी आशंका जताई है क्योंकि इससे बिहार में जल की कमी हो सकती है।

(ङ) दो वर्ष तक संयुक्त प्रेक्षण का कार्य पूरा हो जाने के बाद संधि के कार्यान्वयन का अध्ययन किया जाएगा जिससे संधि की पुनरीक्षा की जरूरत के बारे में संकेत मिल सकता है।

[हिन्दी]

प्रो॰ अजित कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न पूछा था कि राज्य का कोई प्रतिवेदन या अलग से कोई विचार है क्योंकि उसमें यह साफ कह दिया गया है कि बिहार सरकार द्वारा कुछ आशंकायें व्यक्त की गई हैं परन्तु उन आंशकाओं पर मंत्री महोदय ने क्या कोई विचार प्रकट किया है या कोई निर्णय लिया है, इसका प्रश्न के जवाब में नहीं बताया। इस संबंध में बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास प्रतिवेदन भेजा है।

उसमें उन्होंने साफ-साफ कहा है कि वर्तमान संधि जिस आधार पर हुई है, उसमें यह मान लिया गया है कि 1500 क्यूसेक पानी फरक्का पर उपलब्ध होगा, परन्तु जितना भी गंगा का टर्मिनल है, उनका आकलन बिहार के द्वितीय सिंचाई आयोग ने किया था और यह पाया था कि जितना पानी टर्मिनल पर उपलब्ध है, उस आधार पर 1500 क्यूसेक पानी फरक्का में उपलब्ध नहीं हो सकता है और यह समझौता 1988 तक के डेटा को कलेक्ट करके उसके आधार पर किया गया। 1988 से 1996 तक गंगा के बेसिन में पानी का बहुत ज्यादा उपयोग विशेषकर हमारे राज्यों में हुआ। उसका आकलन इसमें नहीं है और संधि में यह कहा गया है कि पांच वर्ष या दो वर्ष में किया जाएगा। तो इन आठ वर्षों का कोई लेखा-जोखा नहीं दिया गया है। हमको आंशका है कि हमको जितना पानी मिलना चाहिए, वह पानी मिलेगा नहीं क्योंकि संधि के आर्टिकल 2 के भाग (2) में कहा गया है कि —

[अनुवाद]

"ऊपर उल्लिखित उप पैरा-1 में संदर्भित अनुलग्नक-II 1949 से 1988 तक 40 वर्षों में 10 दिन की अवधि में जल की औसत उपलब्धता पर आधारित है।"

अध्यक्ष महोदय : नहीं, प्रोफेसर। यह कोई तरीका नहीं है। आपका प्रश्न क्या है। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अन्यथा हम दूसरे व्यक्ति को बुलाएंगे।

प्रो॰ अजित कुमार मेहता : इसमें आगे कहा गया है :

....ऊपर उल्लिखित 40 वर्षों में औसत उपलब्धता के आधार पर फरक्का में जल के प्रवाह को रोकना।"

[हिन्दी]

तो हमारे ऊपर यह बाध्यता लाद दी गई है कि गंगा से जितना पानी फरक्का को संधि में दिया गया है, उतना पानी गंगा में बहने देने के लिए हम बाध्य होंगे। इसलिए हमको आंशका है कि सुखाड़ के मौसम में हमको पानी की कमी हो जाएगी। इसके लिए केन्द्रीय सरकार को हमें इतना धन उपलब्ध कराना चाहिए कि हम अपनी नदी घाटी योजनाओं को इतना विकसित कर लें कि उतना पानी गंगा को उपलब्ध कराएं। इसके लिए आवश्यक है कि हम कोसी में बराह क्षेत्र में हाई डैम बनाने की परियोजना पर विचार करें। क्या सरकार उस पर विचार करेगी और उतना धन उपलब्ध कराएगी? यदि नहीं तो संधि की हमारे ऊपर बाध्यता का क्या औचित्य है?

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल पिछले सोमवार को भी पूछा गया था। सरकार की तरफ से ऊपर के बेसिन राज्यों पर कोई पाबंदी नहीं है। फरक्का से जो पानी बंग्लादेश की तरफ से कलकत्ता बंदरगाह की तरफ जाता है, उसी को लेकर बंटवारा हुआ है।

प्रो॰ अजित कुमार मेहता : लेकिन फरक्का में उतना पानी उपलब्ध नहीं होगा....(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्हें उत्तर पूरा करने दें।

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : बिहार के सिंचाई आयोग ने 1994 में एक रिपोर्ट दी थी कि गंगा में पानी कम बहने लगा है। सैन्ट्रल वाटर कमीशन उस रिपोर्ट को सही नहीं मानता। अभी एक हफ्ता पहले बिहार के अधिकारियों को बुलाकर इस पर विचार किया गया है और गंगा के पानी के बारे में जो टिप्पणी है, केन्द्रीय जल आयोग उस पर गंभीरता से विचार कर रहा है।

जहां तक नेपाल से आने वाली नदियों की बात है, इस सिलसिले में नेपाल सरकार से पहले भी बात हुई और अगर वह समझौता हो जाता है तो सर्वाधिक लाभ बिहार को ही होगा और फरक्का बैराज पर भी पानी की उपलब्धता बढ़ जाएगी।....(व्यवधान)

प्रो॰ अजित कुमार मेहता : मेरा दूसरा प्रश्न है कि चूंकि गंगा के जल के बंटवारे को देखते हुए जितनी उपलब्धता हम मान लेते हैं, उसमें हमारा भी हित मिल जाता है और हमारे राज्य ने समझौता होने के पहले ही पत्रों द्वारा आशंका व्यक्त कर दी थी। फिर भी उस समझौते के प्रारूप को तैयार करने के समय हमारी राय नहीं ली गई। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय समझौते के पहले संबंधित राज्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का इनसे परामर्श या विचार-विमर्श करने का इरादा है? यदि नहीं है और सरकार हमारे हितों की अनदेखी करेगी तो माननीय मंत्री जी स्वयं लोहिया जी के अनुयायी रहे हैं और छोटे लोहिया कहे जाते रहे हैं, तो मैं उनको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, कि लोहिया के चरण-चिन्हों पर चलते हुए हम अपने हितों की रक्षा करेंगे। मैं मानता हूँ कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है लेकिन हमारा हित भी उसके साथ जुड़ा रहना चाहिए, हम आंदोलन करने से नहीं हिचकेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे। हाँ, अलमट्टी की तरह हमारी कोई हठवादिता नहीं है लेकिन हम इस तरह से नहीं होने देंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बस, प्रो॰ मेहता। आप प्रोफेसर है और आपको अपना प्रश्न पूछने में समर्थ होना चाहिए। मैं मंत्री जी को इसका उत्तर देने की अनुमति नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

जस्टिस गुमान मल लोढा : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह महत्वपूर्ण बात करने का वक्त नहीं है, सवाल पूछने का वक्त है।

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, जहां तक बंगलादेश को पानी देने का सवाल है, उससे मुख्य रूप से कलकत्ता बंदरगाह प्रभावित होता है और कलकत्ता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में पड़ता है। वहां की सरकार और मुख्यमंत्री से तजवीज लेना, राय लेना केन्द्र सरकार की एक मजबूरी थी, क्योंकि वहां का नुकसान न हो। मैंने पहले ही कहा कि फरक्का के ऊपर जो पानी बहता है उसके बारे में समझौता नहीं हुआ है, फरक्का के नीचे जो पानी बहता है, समझौता उसी के बारे में हुआ है।....(व्यवधान)

प्रो॰ अजित कुमार मेहता : एक ही बात है। आप आर्टीकल के सैकिंड पार्ट को पढ़िये, उसमें तो आपने हमें बाध्य कर दिया है।

श्री जनेश्वर मिश्र : एक ही बात नहीं है। अगर कभी बहुत कमी का महीना आता है जैसे जनवरी से मई तक का समय, तो राज्य सरकारों से यह निवेदन किया जायेगा कि वे जल का उपयोग कम करें।.....(व्यवधान)

प्रो॰ रीता वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का कहना है कि जब समस्या आयेगी तक हम विचार करेंगे।

प्रो॰ अजित कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने हमें बाध्य कर दिया है और कहते है कि पानी का बहाव....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बस, प्रो॰ मेहता। मैं समझता हूँ अब बहुत हो गया। मैं और समय नहीं दे सकता। यह प्रश्न श्री उत्तम सिंह पवार की तरफ से भी है। वे अनुपस्थित हैं।

श्री यादव, कृपया संक्षेप में और स्पष्ट प्रश्न पूछें।

[हिन्दी]

श्री विनेश चन्द्र यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि यह जो गंगाजल के बंटवारे का समझौता हुआ है उसका आधार 1988 को लिया गया है और समझौता 1996 में हुआ और उसमें यह है कि जो अपस्ट्रीम का पानी है उसका हम उपयोग करेंगे। मंत्री जी कहते हैं कि फरक्का के बाद के पानी का हम उपयोग करेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि कोसी नदी के पानी के उपयोग के लिए नेपाल सरकार से वार्ता हुई है। तो मेरा प्रश्न यह है कि कोसी और बागमती नदी के पानी के उपयोग के लिए जो वार्ता नेपाल सरकार से हुई है उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है।

श्री जनेश्वर मिश्र : नेपाल सरकार से अभी एक महीना पहले बात हुई थी।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पहले कदम से कहां पानी तक आ पहुंचे ?

....(व्यवधान)

श्री नवल किशोर राय : अध्यक्ष महोदय, नेपाल से वार्ता की प्रगति पर जो पूछा था उसका उत्तर नहीं आया।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, वे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं....*(व्यवधान)*

श्री अमर राय प्रधान : महोदय केवल कलकत्ता पत्तन को बचाने के लिए ही पानी की कमी के मौसम में 40,000 क्यूसेक पानी की आवश्यकता होती है। पानी की कमी का मौसम जल्दी ही आरम्भ हो गया है और मई तक जारी रहेगा।

मैं माननीय मंत्री से स्पष्ट रूप से जानना चाहूंगा कि क्या कलकत्ता पत्तन...

अध्यक्ष महोदय : क्या आप चाहते हैं कि विमान पत्तन पर भी बाढ़ आ जाए।

श्री अमर राय प्रधान : मेरा, मतलब है क्या कलकत्ता पत्तन को प्रति दिन 40,000 क्यूसेक पानी मिलता है या नहीं। यदि नहीं, तो आप दूसरा प्रस्ताव क्यों कर रहे हैं कि संकोश नदी का जल गंगा तक ले जाया जाए जिससे गंगा नदी में जल की अच्छी मात्रा हो जाए।

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, कलकत्ता पोर्ट पर 52 हजार क्यूसेक पानी बहता है.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, यह सच नहीं है। मैं सरकारी दस्तावेज दिखा सकती हूँ।

[हिन्दी]

यह गवर्नमेंट का डाक्यूमेंट है उसमें 40 हजार है और यह 52 हजार क्यूसेक कह रहे हैं।

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, 52 हजार क्यूसेक पानी बहता है।

जिस दिन पानी 50 हजार क्यूसेक से कम हो जाएगा, उसी दिन आपातकाल घोषित कर दिया जाएगा, ऐसा डाक्यूमेंट में लिखा है और फिर दोनों सरकारें बैठकर स्थिति पर विचार करेंगी कि क्या किया जाए।....*(व्यवधान)*

श्री राणीव प्रताप रूडी : अध्यक्ष महोदय, पड़ोसी देशों के साथ जो जल-बंटवारे में कार्य हुआ है और खास तौर से बंगलादेश के साथ जल-बटंवारे का जो समझौता हुआ है, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के सामने एक मूल प्रश्न रखना चाहता हूँ कि गंगा से हमारा जो क्षेत्र प्रभावित है उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल है। इन तीन राज्यों की आबादी 22 करोड़ से अधिक है जबकि बंगलादेश की आबादी लगभग 6 करोड़ है जो गंगा से प्रभावित है। अब गंगा के पानी के बंटवारे से जो आबादी लाभान्वित होगी, वह मुश्किल से करोड़ है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि गंगा के पानी का जो बराबर-बराबर हिस्से में बंटवारा किया गया है, हर माह में 15-15 दिन का बंटवारा किया गया है, क्या वह उचित है क्योंकि एक तरफ 22 करोड़ आबादी उससे प्रभावित होती है, वहीं दूसरी तरफ 3 करोड़ लोगों के लिए बराबर हिस्सा देकर, दूसरे देशों के साथ समन्वय स्थापित करने का निर्णय कहां तक उचित है ?

श्री जनेश्वर मिश्र : यह निर्णय हो गया है और हमारा ख्याल है कि बंगलादेश में पानी के अभाव से काफी इलाके उजड़ से रहे थे, ऊसर हो रहे थे....*(व्यवधान)*

प्रो॰ रीता वर्मा : और क्या हमारे इलाके हरे-भरे हो रहे थे। अपने घर में आग लगाकर दूसरे देशों को पानी का लाभ हम क्यों देना चाहते हैं, यह क्या है?....*(व्यवधान)*

प्रो॰ अजित कुमार मेहता : अध्यक्ष जी, मेरा कहना है कि हमारी आबादी का इस समझौते में कोई ध्यान नहीं रखा गया है ...*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी : सर, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया, मैंने बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछा था....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मेरा प्रश्न लोगों को जल वितरण के अनुपात के बारे है। मेरा प्रश्न विशेष रूप से उन लोगों से संबंधित था जो बिहार में प्रभावित होंगे....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ, हम इस पर बार-बार चर्चा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

प्रो॰ रीता वर्मा : मंत्री जी, क्या आप भारत के हित की बात सोचेंगे या बंगलादेश के हित की बात सोचेंगे?.....*(व्यवधान)* क्या आप भारत के मंत्री हैं या बंगलादेश के मंत्री है....*(व्यवधान)*

श्री जनेश्वर मिश्र : हमारी 22 करोड़ आबादी जो बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल की है, वह इससे प्रभावित है, जिसकी मेहता जी ने चर्चा की है। उनके हितों को भी अनदेखा नहीं किया गया है।....*(व्यवधान)*

प्रो॰ रीता वर्मा : हम कैसे मानें कि हमारे हितों को अनदेखा नहीं किया गया है....*(व्यवधान)*

श्री जनेश्वर मिश्र : बार-बार मेहता जी पूछ रहे हैं कि आर्टिकल 2 की उपधारा (2) में जैसा लिखा हुआ है....*(व्यवधान)* हम पानी की उपलब्धता बनाकर रखेंगे....*(व्यवधान)* इसके लिए कई विकल्प ढूंढे जा रहे है, जैसे भूटान से सहयोग, कोसी, ब्रह्मपुत्र तथा अपर-अप्रेरियन स्टेट्स में जो रिजर्वायर हैं, उनमें मानसून सीजन में ज्यादा पानी जमा करके, लीन सीजन में उसे कैसे रिलीज किया जाए, इस पर विचार किया जा रहा है.....*(व्यवधान)* इसमें ऊपरी राज्यों का सवाल नहीं है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : अध्यक्ष जी, मेरा सवाल का जवाब तो दिलवा दीजिए। मैंने बड़ा स्पेसिफिक क्वैश्चन किया था। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ए.बी.ए. गनी खां चौधरी : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूँ कि पानी की कमी वाले मौसम में फरक्का में कितना पानी होता है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, पानी की कमी वाले मौसम में फरक्का में कितना पानी उपलब्ध होता है।

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : माना यह जाता है कि कम से कम 52 हजार क्यूसेक पानी फरक्का में लीन मंथ्स में भी रहता है, ऐसी कई सालों की रिपोर्ट है।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने प्रश्न का उत्तर दे दिया है। उन्होंने आंकड़े दे दिए हैं। इसका फैसला आप करें कि आप इससे सहमत हैं अथवा नहीं।

देश में समुद्री कटाव

***127. श्री एन. डेनिस** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में समुद्री कटाव, जिससे समुद्रतटों को भारी क्षति पहुंच रही है, को रोकने के लिए उपाय किए जा रहे है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[हिन्दी]

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) तटीय कटाव के संरक्षण कार्य के अन्वेषण, डिजाइन, निर्माण एवं रख-रखाव की जिम्मेदारी सम्बद्ध राज्य सरकार की है। भारत सरकार ने वर्ष 1966 में "तट कटाव बोर्ड" का गठन किया। इसे अप्रैल, 1995 में तटीय संरक्षण एवं विकास सलाहकार समिति (सी.पी.डी.ए.सी.) के रूप में पुनर्नामित किया गया है। इस समिति का उद्देश्य तटीय समस्याओं का सर्वाधिक प्रभावी एवं मितव्ययी समाधान प्रस्तुत करना है। केन्द्रीय जल आयोग के सदस्य (नदी प्रबंध) की अध्यक्षता में इस तटीय संरक्षण एवं विकास सलाहकार समिति में सभी तटवर्ती राज्यों के प्रतिनिधि हैं।

नौवीं योजना के दौरान, राष्ट्रीय तटीय संरक्षण परियोजना (एन.सी.पी.पी.) तैयार करने और उसका कार्यान्वयन करने का प्रस्ताव किया गया है जिसमें बाह्य सहायता के लिए परियोजनाएं प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सभी तटवर्ती राज्यों को शामिल किया गया है। इस परियोजना और विभिन्न राज्यों की योजनाओं को बाह्य सहायता के लिए भी प्रस्तुत किया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री एन. डेनिस : मेरा पहला अनुपूरक प्रश्न यह है कि समुद्री कटाव के कारण मछुआरों को जन-धन की भारी हानि तथा क्षति हो रही है। समुद्री कटाव के कारण मत्स्य-पोतों के ठहरने एवं खड़ा करने के प्राकृतिक स्थान नष्ट हो रहे हैं। मत्स्य-पोत और मत्स्य-जाल को भी समुद्र की लहरों के कारण क्षति हुई है। अरब सागर तट, विशेषकर कन्याकुमारी जिले के तटीय गांव समुद्री कटाव से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्र हैं। क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूँ कि क्या सरकार ने देश में तटीय गांवों में समुद्री कटाव प्रवण क्षेत्रों की पहचान कर ली है। क्या मैं जान सकता हूँ कि सरकार ने तटीय गांवों के समुद्री कटाव से प्रभावित स्थानों में समुद्री कटाव को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में केवल एक समिति और एक बोर्ड के गठन के बारे में कहा है। तटीय गांवों में समुद्री कटाव को रोकने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, तट कटाव से रक्षा के लिए पहले केन्द्रीय सरकार की ओर से सहायता दी जाती थी। बाद में राष्ट्रीय विकास परिषद ने प्लानिंग कमीशन से कहा कि सारी रकम प्रांट प्लान के रूप में राज्य सरकारों को दी जाए और वे उसका रख-रखाव करें। तब से केन्द्रीय सरकार ने उसके बारे में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। कुल मिलाकर सलाह देने के लिए और समय-समय पर किस तरह से सी-इरोजन को रोकने के लिए कार्यक्रम क्रियान्वित हों, इसको देखने के लिए एक कमेटी बनाई गई है?

[अनुवाद]

श्री एन. डेनिस : समुद्री कटाव से प्रभावित कुछ गांवों को समुद्री कटाव से बचाने वाली दीवारें खड़ी करके बचाया जाता है। परन्तु कुछ गांवों को जो समुद्री कटाव से प्रभावित थे उन्हें समुद्री कटाव से बचाने वाली दीवारें खड़ी करके बिल्कुल नहीं बचाया गया। क्या मैं भारत सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों, विशेषकर तमिलनाडु सरकार को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है और क्या राज्यों ने, विशेषकर तमिलनाडु सरकार ने राज्यों में समुद्री कटाव रोकने की योजनाएं प्रस्तुत की हैं?

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, राज्यों से जो प्रस्ताव सी-इरोजन के लिए अभी तक मिले हैं, इस बारे में मेरा कहना है कि हमने सभी तटीय राज्यों को खबर दी है कि आप अपने-अपने प्रस्ताव भेजें, लेकिन अभी तक केवल तीन राज्यों से ही हमें प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें केरल से 346.5 करोड़, कर्नाटक से 150 करोड़ और गुजरात से 35 करोड़ रुपए के ही प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। बाकी राज्यों ने अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं भेजे हैं।

श्री राम नाईक : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि वर्ष 1996 में यह बीच इरोजन बोर्ड बना था और तब से अब तक उसको बने 31 साल हो गए हैं अब केवल उसका नाम बदल कर एडवायजरी कमेटी 1995 में बना दी गई है, तो क्या इन पिछले 31 सालों में बीच इरोजन से रक्षा के लिए इस बोर्ड या इस एडवायजरी कमेटी में जो संकल्प थे, उनके ऊपर कुछ ठोस काम हुआ है, क्या ऐसा सरकार को लगता है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू में ही कह दिया था कि समुद्र तट के रख-रखाव और इरोजन के रोकथाम का इंतजाम राज्य सरकार का विषय है केन्द्र सरकार उसमें केवल सलाह-मशविरा और तकनीकी जानकारी ही दे सकती है। इसलिए यह जो कमेटी बनी है। वह केवल सलाह और देख-रेख के लिए बनी है। बाकी तो राज्य सरकार इसको देखेगी।

[अनुवाद]

एड्स

***128. श्री माधवराव सिंधिया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुणे स्थित राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान द्वारा किये गये अद्यतन अध्ययन के अनुसार आगामी वर्षों में देश में एड्स के कारण भयानक स्थिति आने वाली है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन अनुमानों से सहमत है;

(घ) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस भयानक बीमारी की रोकथाम तथा इस पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी हाँ।

(ख) इस अध्ययन के ब्यौरे के बारे में एक नोट विवरण-I के रूप में लोक सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) यह अध्ययन कोई अनुमान प्रदान नहीं करता।

(घ) यह अध्ययन यौन संचारित रोग क्लीनिकों में आने वाली देह व्यापार में लगी महिलाएं और पुरूष रोगी के विशेष सङगण में निश्चित स्थान पर एच.आई.वी. संक्रमण की व्याप्तता-दर के रूप में निष्कर्ष देता है।

(ङ) इस भंयकर रोग की रोकथाम करने के लिए किए गए उपायों के बारे में एक नोट विवरण -II के रूप में लोक सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण-I

राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान, पुणे द्वारा शुरू किए जा रहे अध्ययन का ब्यौरा

यह अध्ययन एक देशान्तरीय अध्ययन है जिसमें यौन संचारित रोग क्लीनिकों में आने वाले पुरूष रोगियों और देह व्यापार में लगी हुई महिलाओं को लिया गया है।

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य एच.आई.वी. संक्रमण प्राप्त करने के संदर्भ में उच्च जोखिम आचरण में लगे व्यक्तियों में एच.आई.वी. संक्रमण की व्याप्तता दर का निर्धारण करना है। इस अध्ययन का उद्देश्य आचरणात्मक और जीव विज्ञानीय जोखिम कारक, जो एच.आई.वी. संचरण पर प्रभाव डाल सकते हैं, का निर्धारण करना और उपयुक्त उपचार का पता लगाना भी है।

इस अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं :

विभिन्न अध्ययन समूहों में एच.आई.वी. संक्रमण की व्याप्तता दर थोड़ी-सी अधिक है और उसका ब्यौरा इस प्रकार है :

यौन संचारित रोग के क्लीनिक में आने वाले व्यक्तियों की समग्र व्याप्तता-दर 21.2 प्रतिशत है।

यौन संचारित रोग के पुरूष रोगियों में व्याप्तता-दर 9.3 प्रतिशत है।

यौन संचारित रोग के क्लीनिकों में आने वाले देह व्यापार के धन्धे में लगे लोगों में उसकी व्याप्तता-दर 47.4 प्रतिशत है।

निम्नलिखित कारक एच.आई.वी. संक्रमण की उच्च व्याप्तता-दर से सम्बद्ध किये गये थे :

जीव विज्ञानीय कारक

यौन संचारित रोग का पहले अथवा वर्तमान इतिहास

कम आयु समूह के समूहों में कम जोखिम

खतना का न होना

आचरण संबंधी कारक

यौन साथियों की जीवनभर की संख्या

व्यवसाय के रूप में देह-व्यापार

औपचारिक शिक्षा का अभाव

अन्य कारण इस प्रकार हैं :

देह व्यापार में लगी महिला के साथ हाल ही के यौन सम्पर्क करने वाले पुरूष

अपने परिवारों के साथ न रहने वाले व्यक्ति

कन्डोम का उपयोग न करना।

विवरण-II

एड्स की रोकथाम और इस पर काबू पाने के लिए किए गए उपाय

भारत सरकार ने इस भयानक रोग की रोकथाम के लिए 1987 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम आरम्भ किया है। विश्व बैंक की सहायता से सितम्बर, 1992 से एक पांच वर्षीय कार्यनीति-योजना (1992-97) चलाई जा रही है। इस कार्यक्रम का ब्यौरा इस प्रकार है :

कार्यक्रम के उद्देश्य एवं कार्यनीतियां

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य एच.आई.वी. के फैलने की गति को कम करना है ताकि भारत में एड्स के कारण भविष्य में होने वाली रूग्णता और मृत्यु में कमी लाई जा सके।

चूँकि एच.आई.वी./एड्स के लिए कोई उपचार नहीं है इसलिए इसकी रोकथाम और परिचर्या पर बल दिया जाना है। ये उद्देश्य निम्नलिखित कार्यनीतियों के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे :-

कार्यक्रम प्रबन्धन का सुदृढ़ीकरण

- यौन संचारित रोगों पर नियंत्रण
- निगरानी और अनुसंधान
- सूचना, शिक्षा एवं संचार तथा सामाजिक गतिशीलता

- नैदानिक उपचार

- एच.आई.वी./एड्स में कमी लाने का प्रभाव

कार्यक्रम आंघटन

मंत्रिमण्डल द्वारा 1992 में 222.60 करोड़ रुपए के व्यय वित्त समिति ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की गई थी। इस कार्यक्रम के लिए 84 मिलियन अमरीकी डालर का एक ऋण 1992-97 की अवधि के लिए विश्व बैंक की सहायता से प्राप्त हुआ था।

इस कार्यक्रम को शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है।

कार्यक्रम प्रबन्धन

इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन एक नोड्ल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है।

देश के प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में राज्य एड्स सेल और शक्ति प्राप्त समितियां गठित की गई हैं।

रक्त निरापदता

निम्नलिखित के द्वारा सुरक्षित रक्ताधान सेवाएं सुनिश्चित की जा रही है :

- राष्ट्रीय और राज्य रक्ताधान परिषदों का गठन

- रक्त बैंकों से सम्बद्ध 154 आंचलिक रक्त परीक्षण केन्द्रों की स्थापना और जिला स्तरीय रक्त बैंकों में रेपिड एच.आई.वी. किटों की उपलब्धता

- सार्वजनिक क्षेत्र के 815 रक्त बैंकों को सुदृढ़ करना

- 40 घटक पृथक्करण सुविधा केन्द्रों की स्थापना

- स्वैच्छिक रक्तदान में वृद्धि करना।

यौन संचारित रोग नियंत्रण

यौन संचारित रोगों की रोकथाम और नियत्रंण को निम्नलिखित के द्वारा सुदृढ़ किया गया है :

- 504 यौन संचारित रोग क्लीनिकों की स्थापना

- यौन संचारित रोगों के लाक्षणिक उपचार को बढ़ावा देना तथा इसे प्रजननात्मक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ जोड़ना।

- चिकित्सा अधिकारियों और प्रयोगशाला तकनीशियनों को प्रशिक्षण

- कण्डोम को बढ़ावा देना

सूचना, शिक्षा एवं संचार तथा सामाजिक गतिशीलता

एच.आई.वी./एड्स का कोई इलाज नहीं है, इसलिए इस घटक को बहुत उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। यह कार्य निम्नलिखित के माध्यम से किया जा रहा है :

- दूरदर्शन, आकाशवाणी, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय तथा क्षेत्र प्रचार निदेशालय जैसे सम्प्रेषण के सभी माध्यमों का उपयोग

- अन्तः शिरा औषध उपयोगकर्ताओं, देह व्यापार में लगे लोगों, ट्रक ड्राइवरों और यौन संक्रमित रोगियों के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार सामग्री के एक सामान्य पैकेज का विकास

- अन्तर -क्षेत्रीय सहयोग और गतिशीलता

- गैरसरकारी संगठनों के लिए दिशा-निर्देश तैयार करके उन्हें इस कार्य में शामिल करना।

- देह व्यापार में लगे लोगों, ट्रक ड्राइवरों, अन्तःशिरा औषध उपयोगकर्ताओं और यौन संक्रमित रोगियों में लक्षित उपाय

- बच्चों, स्कूली शिक्षा, कॉलेजों, किशोरों, युवाओं के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार सामग्री का विकास।

निगरानी

देश में 1996 में पहले रोगी का पता लगने पर हमने देश में निगरानी कार्य आरम्भ किया और देश के विभिन्न भागों में 62 निगरानी केन्द्रों और 9 सन्दर्भ केन्द्रों की स्थापना की गई।

हमने इन निगरानी केन्द्रों से सम्बद्ध 55 प्रहरी निगरानी स्थलों की स्थापना करके एच.आई.वी. संक्रमण के स्वरूप को मॉनीटर करने के लिए प्रहरी निगरानी प्रणाली को भी अपनाया है।

नैदानिक उपचार

एड्स के प्रभावी निदान में चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किया गया है ताकि एड्स रोगियों के निदान के बारे में उनके कौशल में सुधार हो सके। सी.एम.ए.आई. के माध्यम से लगभग 2200 डॉक्टरों को अब तक ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। आई.एम.ए. को सामान्य

प्राइवेट चिकित्सकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में सक्रिय रूप से शामिल किया गया है। नर्सों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण माड्यूल भी तैयार किए गए हैं।

प्रभाव में कमी

परामर्शी सेवाओं पर प्रशिक्षण माड्यूल तैयार करके और पांच क्षेत्रीय परामर्शी प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्धारण करके परामर्शी सेवाएं आरम्भ की गई है। परामर्शी सेवाओं पर प्रशिक्षण कार्य चल रहा है।

परिचर्या सेवाओं को सांतत्यक प्रदान करने के लिए मणिपुर में एक प्रायोगिक परियोजना आरम्भ की गई है जिससे कि घर, समुदाय और अस्पताल स्तर पर प्रभावी परिचर्या और सहायक रेफरल प्रणाली तैयार हो सके। इस कार्य का तमिलनाडु और महाराष्ट्र में विस्तार किया जा रहा है।

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, यह तो एक सर्वविदित तथ्य है कि एड्स बीमारी देश में खतरनाक रूप से फैलती चली जा रही है। हम तो बड़ी भयावह स्थिति में हैं। यहां तक कि सबसे कम खतरे वाले समूह अर्थात् विवाहित महिलाओं और बच्चों में भी इसका संक्रमण हो रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, यौन संचारित रोगों के उपचार हेतु उपचारगृहों में जाने वाले 40 से 45 प्रतिशत लोगों में पहले ही इसका संक्रमण हो चुका है।

महोदय, आप पूर्वोत्तर की स्थिति से तो परिचित ही हैं। मणिपुर राज्य में जहां 1989 में एक भी ऐसा मामला नहीं पाया गया नशीली दवाओं का उपयोग करने वाले 75 प्रतिशत लोग सबसे संक्रमित हैं। सीमा पार, म्यामांर में, जहां लोगों को हेरोइन का सेवन करने की आदत है, नब्बे प्रतिशत लोग इससे प्रभावित हैं। अतः, यह एक प्रमुख समस्या है जो हमारी जनसंख्या के लिए बहुत बड़ा खतरा बनती जा रही है। मुम्बई में रक्तदान करने वाले प्रत्येक चार लोगों में से एक व्यक्ति इस बीमारी से ग्रस्त हैं। यह एक ऐसा माध्यम है जिससे निर्दोष लोगों में भी इस रोग के कीटाणु संक्रमित हो जाते हैं। अतः, मैं माननीय मंत्री जी से निम्नलिखित बातें जानना चाहता हूं :

(क) सरकार का किस प्रकार रक्त बैंकों पर गुणवत्ता नियंत्रण को बनाए रखने तथा इसका विस्तार करने का विचार है।

(ख) क्या सरकार का किसी ऐसे विधान को लागू करने का प्रस्ताव है जिसके अधीन संक्रमित रक्त की आपूर्ति को दंडनीय अपराध माना जाएगा और कुछ नियंत्रण को अनिवार्य बनाया जाएगा; और

(ग) रक्त बैंकों में परीक्षण उपकरणों की सप्लाई के लिए बजट में कितना प्रावधान किया गया है।

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : महोदय, मुझे भी माननीय मंत्री जी के समान इस विषय पर चिन्ता है। हमने सुरक्षित रक्ताधान सेवाओं के सम्बन्ध में कुछ कदम उठाए हैं। हमने राज्य रक्ताधान परिषदों का गठन किया है। हमने 154 जोनल रक्त परीक्षण केन्द्र भी स्थापित किये हैं। जो रक्त-बैंकों से सम्बद्ध हैं और सरकार जिले स्तर पर रक्त बैंकों को द्रुत एच.आई.वी. किटें भी उलब्ध करवा रही हैं। सरकार 115 सार्वजनिक रक्त-बैंकों को सुदृढ़ कर रही हैं। हम रक्त बैंकों को पुनर्गठित करने हेतु 40 उपादान विभाजक सुविधाएं स्थापित कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार वर्ष 1998 तक सरकार इन व्यावसायिक रक्तदाताओं पर पूर्णतया रोक लगा देगी । ये उन कुछ कदमों का ब्यौरा है जो हम रक्त की सुरक्षा के लिए ले रहे हैं। दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध इस बात से है कि क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई विधान लाने पर विचार कर रही है।

श्री माधवराव सिंधिया : जैसा कि माननीय मंत्री जी को विदित है, रक्त और ऐसी, कुछ वस्तुएं व्यापार की वस्तु बन गई है। अतः, मेरे विचार से संक्रमित रक्त की सप्लाई को दंडनीय अपराध घोषित करने हेतु कोई विधान अवश्य बनाया जाना चाहिए।

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : इस समय ऐसा कोई विधान तो विद्यमान नहीं है परन्तु यह एक बहुत अच्छा सुझाव है जिस पर विचार किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है, वह बहुत तर्कपूर्ण है। आप कह रहे हैं कि सरकार इसे 1998 तक रोकने की योजना बना रही है। सरकार इसे रोकने के लिए कौन सा तरीका अपनाने जा रही है? विधान लागू करना एक सुझाव है।

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : उच्चतम न्यायालय ने कुछ निर्देश दिए हैं, उन्होंने सरकार को गम्भीरतापूर्वक इस ओर ध्यान देने को कहा है। हम सभी व्यावसायिक रक्तदाताओं को समाप्त कर रहे हैं। सरकार किसी भी लाइसेंसशुदा रक्त बैंक को व्यावसायिक रक्तदाताओं से रक्त लने की अनुमति नहीं देंगे।

हम विधान सम्बन्धी मामले अध्ययन करेंगे, और हम इस सम्बन्ध में कुछ करने पर विचार करेंगे और मैं इस तथ्य से पूर्णतया सहमत हूं कि यदि हम इस सन्दर्भ में सफलता को सुनिश्चित बनाना चाहते हैं तो इसे बड़ी कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए।

श्री माधवराव सिंधिया : मेरा माननीय मंत्री को सुझाव है कि इन उपकरणों के लिए बजट प्रावधानों को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपने दूसरे अनुपूरक प्रश्न को नहीं पूछना चाहते?

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो कोई भी व्यक्तिगत कारणों से रक्त-बैंक जाना चाहता है, उसे यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कुछ परीक्षण उपकरण अनिवार्य हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि जहां तक परीक्षण उपकरणों का संबंध है उन्होंने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए कितनी धन-राशि का प्रावधान किया है।

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : मान्यवर, यह जानकारी मैं माननीय सदस्य को अलग से बाद में दे दूंगा क्योंकि इस समय बजट आंकड़े मेरे पास नहीं है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए अलग से क्या प्रावधान किया गया है। परन्तु सरकार ने कुछ कदम अवश्य उठाए हैं। नौवीं योजना के अन्तर्गत, हमने अधिक बजट प्रावधानों की मांग की थी और हमें वह प्राप्त भी हुई है।

दुर्भाग्य से एड्स रोग का कोई उपचार नहीं है। अधिक से अधिक हम यही कर सकते हैं कि हम जागरूकता पैदा करें और उदाहरणार्थ अपने आई.ई.सी. कार्यक्रमों, अर्थात् सूचना, शिक्षा, संचार आदि में हमें अपने नए कार्यक्रम बहुत दृढ़तापूर्वक बनाने हैं और इस सम्बन्ध में हम कार्य कर रहे हैं। इस महीने के अन्त तक, प्रचार के क्षेत्र में हमें एक सर्वथा नई योजना मिल जायेगी।

श्री माधवराव सिंधिया : मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई और अब मुझे पता चला है कि मंत्री जी ने मुझे यह आश्वासन दे दिया है कि चूंकि यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है, अतः वह अब विधान सम्बन्धी मामलों पर विचार करेंगे।

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : निश्चय ही, महोदय

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि एड्स सम्बन्धी कार्यक्रम को मात्र एक स्वास्थ्य कार्यक्रम अथवा परिवार नियोजन कार्यक्रम की भांति नहीं अपितु एक सामाजिक कार्यक्रम के रूप में चलाया जाना चाहिए क्योंकि बहुत से लोग इस विषय पर हिचकिचाते हैं। इसे सामाजिक कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए। अतः यह कोई एक ऐसा मामला नहीं है जिसे माननीय मंत्री जी और उनका मंत्रालय स्वयं सुलझा लेंगे। मेरे विचार से गैर-सरकारी संगठन जागरूकता का वातावरण बनाने में बड़ा योगदान कर सकते हैं; परन्तु यह तब होगा यदि उनके प्रयासों को प्रोत्साहित और समन्वित किया जाएगा।

मुझे एच.आर.डी. मंत्रालय में काम करने का अनुभव है जिसे स्वर्गीय राजीव गांधी ने चार मंत्रालयों को एकत्रित करके बनाया था। अभी भी ये चारों मंत्रालय अलग-अलग काम करते हैं। वह एक एच.आर.डी. मंत्रालय के अन्तर्गत कार्य नहीं कर रहे थे, अतः हमने एक समन्वय तंत्र गठित किया।

मैं जानना चाहता हूँ कि क्या स्वास्थ्य मंत्रालय का एक नोडल मंत्रालय के रूप में, शिक्षा विभाग, महिला और बाल-विकास विभाग और शायद कल्याण मंत्रालय के साथ भी तिमाही समन्वय बैठकें करने का विचार है तथा इसे एक नेमी काम बनाया जाएगा क्योंकि यदि आप ऐसी बैठक एक बार बुलाएं, तो चूंकि मंत्री बदलते रहते है तो आपको पता चलेगा कि अधिकारी तो इसे सर्वथा भूल ही जाते हैं।

मैं यह सुझाव भी देना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी इसे अनिवार्य बना दें ताकि ये तीन-चार विभाग अथवा मंत्रालय, जो जागरूकता पैदा करने के अभियान से जुड़े हैं, हर तीन महीने में एक बार मिल कर बैठें और अपने कार्य-कलापों को समन्वित करें। मेरा यह सुझाव भी है। कि प्रमुख गैर-सरकारी संगठनों के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय एक वार्षिक बैठक का आयोजन भी करे। यदि सरकार इस प्रक्रिया को अपना ले तो मुझे पक्का विश्वास है कि इससे जागरूकता पैदा करने और समन्वय में बहुत सहायता मिलेगी।

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : मैं गैर-सरकारी संगठनों के साथ इस महीने के अन्त में एक बैठक बुलाने जा रहा हूँ। मार्च में हमने एक तारीख तय कर ली है इस बैठक में हम एड्स के विषय पर भी विचार-विमर्श करेंगे।

माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, उसके सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि निचले स्तर पर हमने समन्वय बना रखा है, परन्तु मंत्रालय के स्तर पर समन्वय नहीं है। मैं इस सुझाव पर विचार करूंगा।

श्री एस.के. करवेंधन : महोदय, तमिलनाडु में तंजौर सरस्वती-महल-ग्रन्थालय में सिद्ध औषधियों के विषय में प्राचीन ताड़ के पत्ते हैं, जिनका प्रचार हजारों वर्ष पूर्व सिद्ध लोग करते थे। इसके माध्यम से चेन्नई में एक सिद्ध द्वारा कुछ एड्स रोगियों को रोगमुक्त किया गया है। मैंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय की बैठक में भी इसका उल्लेख किया था।

मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार राष्ट्र की सेवा में, एड्स रोगियों के उपचार के लिए इन ताड़ के पत्तों पर उल्लिखित औषधियों को प्रकाशित करने के लिए कोई कदम उठाएगी ?

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : महोदय, बहुत से लोगों ने यह दावा किया है कि उन्होंने होम्योपैथिक, यूनानी और आयुर्वेदिक पद्धति से एड्स का इलाज किया है। परन्तु इस समय कोई मानक इलाज तो उपलब्ध नहीं है और न ही शोध क्षेत्र से कोई निश्चयात्मक निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : आयुर्वेद पद्धति में इसका इलाज है लेकिन आपका डिपार्टमैंट उसकी परवाह नहीं करता। उनको एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी गई।

अध्यक्ष महोदय : जोशी जी, आप इतना चिल्लाते क्यों हैं ?

[अनुवाद]

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : हम इन प्रयासों को समन्वित कर रहे हैं। हमें कतिपय दावे प्राप्त हुए हैं और उन दावों पर ध्यान दिया जा रहा है। परन्तु ऐसे समय तक जब हम किसी अन्तिम निर्णय पर पहुंचें हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

श्री जी.एल. डनौजिया : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से बजट की बात हुई है। मैं पिछली बार एच.आर.डी. मिनिस्ट्री की कमेटी में था, उसमें जो एच.आई.वी. के लिए बजट आया था, तब आप यहां नहीं थे। आपस में कोआर्डीनेशन न होने की वजह से, जो हमको इन्फोर्मेशन सप्लाई की गई थी, वह सिर्फ 42 परसेंट कट हुआ था, बाकी हमें लौटाना था, आप इसका रिकार्ड देख लें, तो यह भी एक कारण है। आपकी मिनिस्ट्री में जो कोआर्डीनेशन होना चाहिए, वह कोआर्डीनेशन नहीं है। जब बजट आता है, कौन उसका इंचार्ज बनाया जाये, इसकी वहां पर एक रेस लगती है। इस बार भी इसके लिए बजट बहुत आया है और लोगों के लिए आया है। मैं पहले मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस बजट को कैसे आप यूटीलाइज करेंगे और कैसे कोआर्डीनेशन लाएंगे, क्योंकि यहां पर टसल है कि इस बजट को इस्तेमाल कौन करें ? मैं पिछले छह साल का एक्सपीरिएंस बता रहा हूं और अपना जो 37 साल का एक्सपीरिएंस है, वह बता रहा हूं। इतनी बड़ी एच.आई.वी. डिसीज है, इसके विषय में जैसा मैडीकल का एप्रोच आज तक चलता रहा, वही हिन्दुस्तान में चला आ रहा है। मैं उत्तर प्रदेश का इंचार्ज था, इसलिए बता रहा हूं कि कागजी कार्रवाई एच.आई.वी. के विषय में न हो। आपने अभी कहा है कि डिस्ट्रिक्ट में किट्स दी गई है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से कहां-कहां किट्स दी गई है, कहां इस्तेमाल हो रही हैं ? मेरी जानकारी में है....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अभी अपनी जानकारी छोड़ दीजिए, मंत्री जी की जानकारी सुनिये।

श्री जी. एल. डनौजिया : मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि कहां-कहां किट्स गई हैं, कहां नहीं गई हैं ? दूसरे मेरी नोलिज में हैं, अब ब्लड बैंकों पर कंट्रोल लगा हुआ है। जब आदमी मरता है, तब ब्लड की जरूरत होती है। अभी ब्लड बैंक के लाइसेंस सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं दिये गये हैं, सिर्फ तीन दिये गये हैं और ब्लड बैंकों का काम उसी तरह चल रहा है, जैसा पहले चल रहा था, उसके लिए आप क्या करेंगे, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा ? दूसरी बात यह जानना चाहूंगा कि ब्लड बैंक के लिए जो क्राइटीरिया है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अन्य डॉक्टरों पर भी दया कीजिए। डॉ॰ जोशी सहित कई डाक्टर हैं जो अपने प्रश्न पूछना चाहते हैं।

श्री जी. एल. डनौजिया : उसके लिए क्या क्राइटीरिया आप रख रहे है, उस क्राइटीरिया में परिवर्तन किया जायेगा क्या, यह मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा।

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : जहां तक आपने बजट का सवाल उठाया, हमारा एक आर्गेनाइजेशन नाको (एन.ए.सी.ओ.) है जो एड्स के ऊपर काम कर रहा है। यह कम्पलीटली 100 परसेण्ट सैण्ट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम है। हम स्टेट से इसमें कोआपरेट करके पैसा देते हैं। जैसी कि एड्स के ऊपर मैंबर्स ने एंग्जायटी मैंशन की है, जो खासकर ब्लड बैंक के ऊपर कहा, हमारे पास पूरे हिन्दुस्तान में 1400 के करीब ब्लड बैंक्स है। इनमें से 850 ने हमको एल्पाई किया है, उनको हम एग्जामिन करके लाइसेंसेज भेज रहे हैं। बार-बार हम स्टेट गवर्नमेंट से इसको टेक-अप कर रहे हैं कि जो बाकी ब्लड बैंक्स हैं, उनकी भी हमको रिपोर्ट भेजिये, जिससे कि हम उनको इन्वैस्टीगेट कर सकें और स्ट्रीम लाइन कर सकें। सवाल यह है कि कोआर्डीनेशन स्टेट और सैंटर के बीच में से होकर हो सकता है। अब हम उनको लिख रहे हैं और मुझे उम्मीद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी डायरेक्टिव ब्लक बैंक् को लाइसेंस देने का है और इसके लिए 31 मार्च तक की आखिरी डेट दी गई है। पूरे भारतवर्ष में जितने ब्लड बैंक्स हैं, उन सब को 31 मार्च तक लाइसेंस्ड हो जाना है। हम उस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। मैंने अभी सब को टेलीग्राम दिया है, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को टेलीग्राम दिया है कि 31 मार्च से हमने तीन महीने का समय और मांगा था, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि 31 मार्च तक आपको लाइसेंस करना होगा। अब उस पर काम जोरों से चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि 31 मार्च तक हम काफी ब्लड बैंक्स को लाइसेंस्ड कर पाएंगे और स्ट्रीम लाइन कर पाऐंगे कि जो ब्लड की एवेलेबिलिटी है, उसमें किस तरह से ब्लड को कलैक्ट होना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : डॉ॰ व्यास, कृपया स्पष्ट प्रश्न पूछिए।

डॉ॰ गिरिजा व्यास (उदयपुर) : श्रीमान् मैं माननीय मंत्री से कोई प्रश्न नहीं पूछ रही है अपितु मुझे आपकी सहायता चाहिए।

[हिन्दी]

जिस तरह आदिवासी इलाके में एड्स अभी फैल रहा है, वह एक चिन्ता का विषय है। अभी सिंधिया साहब ने कहा कि यह एक सामाजिक विषय है। अभी जहां पर ट्रक्स खड़े होते हैं, उनके आसपास के इलाकों को जब सर्वे किया गया तो मालूम पड़ा कि उस गांव में 90 प्रतिशत महिलाओं को एड्स हो गया है। इसलिए

मैं चाहूंगी कि आप सरकार को कम से कम डायरेक्ट कीजिए कि केवल चिकित्सा विभाग का सम्बन्ध इससे नहीं है, यह एक सामाजिक विषय है और मंत्रिमंडल यह तय करे, सरकार यह तय करे कि किस तरह से इस समस्या से हम छुटकारा पा सकते हैं। जब हम लोग उस गांव में गये तो महिलाओं ने कहा कि जब खाने को दाना नहीं है तो हम लोग यही काम करेंगे। इसको एक सामाजिक बुराई के रूप में लिया जाकर इस पर संवेदनापूर्ण निर्णय लेना पड़ेगा, तब चार साल में हम इससे मुक्त हो पाएंगे। केवल चिकित्सा विभाग को देने से इसका काम नहीं हो पाएगा।

दूसरे मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि चार मंत्रालयों का नाम सिंधिया साहब ने लिया, लेकिन इन्फोर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को भी इसमें सम्मिलित होना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह एक सुझाव है। माननीय मंत्री को इसे नोट कर लेना चाहिए।

मध्याह्न 12.00 बजे

[हिन्दी]

वैद्य वाऊ दयाल जोशी : 1992 से 1997 तक 222.80 करोड़ रुपया विस्टर समिति ने आपको एड्स की रोकथाम के लिए प्रोवाइड किया था और विश्व बैंक से 84 मिलियन अमेरिकन डालर्स मिले थे, लेकिन इसके बावजूद आपके विभाग ने एड्स की रोकथाम के लिए कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। आपने हिन्दुस्तान में 2,200 डॉक्टर्स को ट्रेनर्स के रूप में स्थापित किया है। यह रोग तेजी से बढ़ रहा है। केवल 55 चौकियां स्थापित की हैं। ऐसी स्थिति में विभाग को जो धनराशि 1992 से 1997 तक एड्स रोकने के लिए मिली थी, उसमें से कितनी राशि व्यय की है? क्या मंत्री महोदय को याद है कि अगली शताब्दी शुरू होने के साथ ही पूरे देश में पांच लाख लोग एड्स से पीड़ित मिल जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : जोशी जी, समय हो रहा है, आपको जवाब नहीं मिलेगा।

वैद्य वाऊ दयाल जोशी : 84 मिलियन अमेरिकन डालर्स में से एक मिलियन डालर आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान जो दिल्ली में कार्यरत है, क्या उसको देंगे?

अध्यक्ष महोदय : लगता है आपको जवाब नहीं चाहिए।

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि मुझे जो बजट दिया गया, मैंने इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन और होम्योपैथी को 100 करोड़ रुपये देने की दरख्वास्त की थी।

वैद्य वाऊ दयाल जोशी : यह तो कुल बजट है, एड्स के लिए बताएं, उसके लिए अलग से था।

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : उसमें मुझे 35 करोड़ रुपये मिले। मैं हैल्थ और फैमिली वैलफेयर डिपार्टमेंट्स से थोड़ा निकालकर आयुर्वेद और इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को दे रहा हूँ। उसमें से एड्स के रिसर्च के लिए भी दूंगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

राज्यों को केन्द्रीय सड़क निधि से धनराशि

*121. **श्री महेन्द्र सिंह भाटी** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सड़क निधि से गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को आबंटित धनराशि का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अतिरिक्त धनराशि आबंटित किए जाने के संबंध में कोई अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार द्वारा राज्यवार क्या कार्यवाही की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन): (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय सड़क निधि से आबंटित निधियां नीचे दी गई हैं।

(लाख रु0)

क्रम सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1994-95	1995-96	1996-97 प्रस्तावित
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	600.00	149.00	180.00
2.	असम	42.00	21.00	19.00
3.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	3.00

1	2	3	4	5
4.	बिहार	166.00	25.00	10.00
5.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00
6.	दिल्ली	835.00	0.00	106.00
7.	गोवा	55.00	0.00	7.00
8.	गुजरात	239.00	139.00	116.00
9.	हरियाणा	250.00	138.00	114.00
10.	हिमाचल प्रदेश	35.00	2.00	1.00
11.	जम्मू और कश्मीर	50.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	288.00	110.00	174.00
13.	केरल	104.00	17.00	6.00
14.	मध्य प्रदेश	236.00	74.00	100.00
15.	महाराष्ट्र	1100.00	172.00	64.00
16.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	7.00	1.00	0.00
18.	मिजोरम	11.00	1.00	1.00
19.	नागालैंड	34.00	6.00	2.00*
20.	उड़ीसा	28.00	4.00	2.00
21.	पंजाब	259.00	213.00	207.00
22.	राजस्थान	103.00	57.00	53.00
23.	सिक्किम	8.00	1.00	0.00
24.	तमिलनाडु	505.00	129.00	47.00
25.	त्रिपुरा	1.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	157.00	111.00	177.00
27.	पश्चिम बंगाल	56.00	130.00	111.00
	जोड़ : *	5169.00	1500.00	1500.00

*गत वर्षों की बकाया राशियां शामिल हैं।

(ख) और (घ) केन्द्रीय सड़क निधि से निधियों का आबंटन संबंधित राज्यों में पेट्रोल की खपत (विमान ईंधन को छोड़कर), स्वीकृत स्कीमों और निधियों की उपलब्धता के आधार पर संचित राशियों को ध्यान में रखते हुए एकमुश्त किया जाता है। इन मौजूदा मानदंडो के आधार पर और पेट्रोल की वास्तविक खपत की जानकारी प्राप्त होने की पश्चात् वर्ष 1997-98 के लिए निधियां जारी की जाएंगी।

(ग) जी, हाँ।

[अनुवाद]

आयुर्वेद विज्ञान

***122. डॉ॰ जी.आर. सरोदे :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राचीनतम आयुर्वेद उपचार प्रणाली का शनैः शनैः लोप होता जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस ज्ञान के संरक्षण हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में "नाड़ी ज्ञान" अर्थात् नब्ज के स्पंदन की गति के माध्यम से रोग निदान की क्षमता का ज्ञान देखने वाले कुछेक लोग ही बचे हैं;

(ङ) क्या ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिसका उद्देश्य आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के माध्यम से रोग के निदान, सस्ती औषधियों के निर्माण तथा इन दुष्प्रभाव रहित औषधियों की सहायता से रोग के उपचार को समुचित संरक्षण प्रदान करना है; और

(च) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या कार्रवाई की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) स्वतंत्रता से ही सरकार ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने और उसके विकास के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। निम्न प्रकार आधारभूत अवसंरचना तैयार की गई है:

(i) शिक्षा के न्यूनतम मानक लागू करने, भारतीय चिकित्सा पद्धति के व्यवसायियों को पंजीकृत करने और उनके व्यावसायिक आचरण और आचार-संहिता का निर्धारण

करने के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 पारित किया गया है।

(ii) केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद की स्थापना।

(iii) देश में आयुर्वेद एवं सिद्ध के 123 सरकारी और गैर-सरकारी शिक्षण संस्थाओं का नेटवर्क।

(iv) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, गुजरात आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, जामनगर, और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर में उत्कृष्टता केन्द्र।

(v) औषण मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित कार्य के लिए स्थापित की गई भारतीय चिकित्सा भेषज-संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद।

(vi) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी का एक पृथक विभाग स्थापित करना।

(vii) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग के सृजन से 9वीं योजनावधि में कार्यान्वयन के लिए विभिन्न विकासात्मक योजनाएं तैयार की गई हैं।

(घ) से (च) आयुर्वेद के लगभग 70 लाख चिकित्सक हैं। संस्थागत-रूप से प्रशिक्षित सभी चिकित्सकों को नाड़ी-विज्ञान की तकनीक सिखाई जाती है। पिछले वर्ष राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने नाड़ी विज्ञान पर एक कार्यशाला का आयोजन किया।

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की औषधों के निर्माण में उपयोग की गई कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ाने की एक केन्द्रीय योजना है। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है कि आयुर्वेदिक औषधें न केवल कम लागत वाली हैं बल्कि भौतिक रूप से प्रतिकूल प्रभाव मुक्त भी होती हैं।

सड़क निर्माण में विदेशी निवेशक

*124. **श्री चित्त बसु :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सड़क निर्माण में निवेश हेतु विदेशी निवेशकों को कुछ विशेष रियायतें प्रदान करने की पेशकश करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इन रियायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किन्हीं विदेशी निवेशकों ने इसके लिए आवेदन किया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु घरेलू तथा विदेशी दोनों प्रकार के निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने अभी हाल ही में एक नए नीतिगत पैकेज का अनुमोदन किया है। इस नीति में प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से निवेशक के चयन का प्रावधान है तथा विदेशी निवेशकों के लिए कोई विशेष रियायत नहीं दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में विवाद

*126. **श्री एल. रमना :**
श्री अय्यन्ना पटरूचु :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच वंशधारा, झंझावती और बाहुदा जैसी सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में काफी समय से लंबित विवादों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन विवादों को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने हेतु राज्य सरकारों को राजी करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित वंसधारा स्टेज-II के एक घटक, नेराडी बराज से उड़ीसा सरकार द्वारा सहमति प्रदान किये गये 106 एकड़ की तुलना में उड़ीसा में 1326 एकड़ भूमि के जलमग्न हो जाने की संभावना थी। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने फरवरी, 1996 में संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमें नेराड़ी बराज शामिल नहीं है। इस प्रकार उड़ीसा क्षेत्र जलमग्न नहीं होगा। तथापि, उड़ीसा सरकार की संशोधित प्रस्तावों पर सहमति प्राप्त नहीं हुई है।

झंझावती परियोजना पर आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा सरकार के बीच जलमग्नता के वास्तविक क्षेत्र का आकलन करने के लिए अन्तर्राज्यीय सीमा के निर्धारण के सम्बन्ध में विवाद है।

आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की गई बाहुदा परियोजना की परियोजना रिपोर्ट उड़ीसा के साथ किए गए अन्तर्राज्यीय समझौते के अनुसार नहीं थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह विशेष रूप से उल्लिखित किया गया था कि आन्ध्र प्रदेश में

बाहुदा नदी पर भंडारण से उड़ीसा क्षेत्र में कोई जलमग्नता नहीं होगी लेकिन इसमें आन्ध्र प्रदेश को उड़ीसा क्षेत्र में भंडारण स्कीम को चलाने के लिए आवश्यक कुछ आनुषंगिक कार्यों के निर्माण की इजाजत दी गई है। आन्ध्र प्रदेश सरकार से संशोधित रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है।

उपर्युक्त मुद्दों को हल करने के लिए आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ केन्द्रीय जल आयोग में बहुत सी सरकारी स्तर की बैठकें आयोजित की गई हैं।

इन मुद्दों को हल करने के लिए आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा के मुख्यमंत्रियों की बैठक जून, 1992 और दिसम्बर, 1994 में फिर हुई। इस सम्बन्ध में दोनों राज्यों के बीच मंत्रालय स्तर की पिछली बैठक भुवनेश्वर में 1 फरवरी, 1997 को हुई थी।

[हिन्दी]

नेत्रहीन व्यक्ति

*129. **श्रीमती केतकी देवी सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में नेत्रहीन व्यक्तियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इनकी चिकित्सा हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त योजना से कितने नेत्रहीन व्यक्तियों के लाभान्वित होने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) वर्ष 1986-89 में किए गए राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार देश में 12 मिलियन लोग दृष्टिहीन थे। तब से दृष्टिहीन व्यक्तियों की संख्या में अनुमानित परिवर्तनों के बारे में कोई राष्ट्र व्यापी सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) सरकार ने राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत नौवीं योजना अवधि में कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं तैयार की हैं।

(i) जिला नेत्र परिचर्या मोबाइल यूनिटों की स्थापना करके नेत्र परिचर्या के मौजूदा ढांचे को सुदृढ़ करना।

(ii) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/उप जिला अस्पतालों को सुदृढ़ करना और स्वैच्छिक क्षेत्र में नेत्र परिचर्या इकाइयों और नेत्र बैंकों की स्थापना करने अथवा विस्तार करने के लिए सहायता देना।

(iii) केन्द्र और जिला स्तर पर नेत्र परिचर्या कार्यक्रम के प्रबंधन को सुदृढ़ करना और देश भर में जिला दृष्टिहीनता नियन्त्रण समितियां बनाना।

(iv) आपतक दोषों के लिए स्कूल नेत्र परीक्षण कार्यक्रम को सुदृढ़ करना।

(v) तकनीकी और प्रबंधकीय प्रशिक्षण के माध्यम से मानव संसाधनों का विकास करना।

(vi) नेत्र परिचर्या सेवाओं की सुविधा बढ़ाने के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार से संबंधित आवश्यकता आधारित एवं संरचित कार्यकलाप।

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मोतिया बिन्द से लगभग 17.5 लाख लोगों के लाभान्वित होने की सम्भावना है।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान शिपयार्ड

*130. **डॉ॰ टी. सुब्बारामी रेड्डी** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र का हिन्दुस्तान शिपयार्ड "आई.एस. 9001" मार्का प्राप्त करने वाला देश का पहला शिपयार्ड हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो "आई.एस. 9001" मार्का के मानदंडों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या "आई.एस. 9001" मार्क मिल जाने के बाद शिपयार्ड श्रेष्ठ किस्म के उत्पाद तथा सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होगा; और

(घ) यदि हाँ, तो देश के शिपिंग उद्योग के लिए यह मार्का लेना कब तक आवश्यक कर दिया जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन): (क) संभवतः माननीय सदस्य आई.एस.ओ.-9001 का उल्लेख कर रहे हैं। जी हाँ, हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि. आई.एस.ओ.-9001 प्राप्त करने वाला देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का शिपयार्ड है।

(ख) आई.एस.ओ.-9001 का मुख्य मानदंड अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप जहाज निर्माण के डिजाइन विकास, उत्पादन, संस्थापन और सर्विसिंग के लिए मॉडल है।

(ग) जी, हाँ।

(घ) यद्यपि आई.एस.ओ.-9001 प्राप्त करना आवश्यक नहीं है परन्तु अंतर्राष्ट्रीय मानक को मान्यता देने का यार्ड को अतिरिक्त लाभ हैं।

[हिन्दी]

जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए अनुसंधान कार्य

***131. श्रीमती शीला गौतम :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने हेतु किए गए अनुसंधान पर कुल कितना व्यय हुआ;

(ग) 9वीं पंचवर्षीय योजनावधि में इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि निर्धारित करने का प्रस्ताव है;

(ग) इस समय इस संबंध में देश की विभिन्न संस्थाओं में किस प्रकार का अनुसंधान कार्य हो रहा है;

(घ) क्या सरकार ने जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए अनुसंधान कार्य हेतु कोई दीर्घकालिक नीति तैयार की है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) वर्ष 1992-96 के दौरान 41.68 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वर्ष 1996-97 में इस उद्देश्य के लिए 13.25 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने गर्भनिरोधक वैक्सीनों के विकास के लिए अनुसंधान हेतु 5.12 करोड़ रुपये की धनराशि विमुक्त की है।

(ख) अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) परिवार कल्याण कार्यक्रम में सुधार करने के निमित्त वर्तमान में किए जा रहे अनुसंधान एवं विकास उपायों तथा विभिन्न संस्थानों में किए जा रहे जन्म नियंत्रण उपायों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय मानव प्रजनन अनुसंधान समिति गर्भनिरोधन तथा परिवार कल्याण के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यकलापों का समन्वयन करती है और उन्हें राष्ट्रीय हित के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की ओर मोड़ रही है।

विवरण

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा अपने 33 मानव प्रजनन अनुसंधान केन्द्रों (मेडिकल कॉलेजों में) के माध्यम से तथा प्रजनन अनुसंधान संस्थान के माध्यम से अनुसंधान किया जा रहा है।

निम्नलिखित अनुसंधान परियोजनाएं चल रही है :

(क) इंजेक्टेबल्स : चरण-III नैदानिक परीक्षण और दो मासिक इंजेक्शन नेट-एन के साथ प्रारम्भिक पूर्व अध्ययन पूरा किया गया है।

(ख) आर.यू. 486 (गर्भपात गोली) प्रजनन अनुसंधान संस्थान, मुम्बई द्वारा चरण-III नैदानिक परीक्षण शुरू किया जा रहा है।

(ग) गोनाडल पेप्टाइड : प्रजनन अनुसंधान संस्थान, मुम्बई द्वारा चरण-I नैदानिक परीक्षण शुरू किया जा रहा है।

(घ) नोरेथिटेरोन का अन्तर्नासीय छिड़काव : चरण-1 नैदानिक परीक्षण चालू है।

केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ

(क) स्पर्मिसिडाल क्रीम "कान्सप" - चरण-II नैदानिक परीक्षण पूरे हो गए हैं और चरण-III नैदानिक परीक्षण आरम्भ किए गए हैं।

(ख) नए गर्भ निरोधकों के चयन के लिए पादप उत्पादों की जांच चल रही है।

राष्ट्रीय रोगप्रतिरक्षण विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली

(क) नीम का तेल - चरण - 1 नैदानिक परीक्षण चालू है।

(ख) महिला वैक्सीन - चरण - II नैदानिक परीक्षण चालू है।

भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलूर

(क) पुरूष वैक्सीन : चरण - I नैदानिक परीक्षण चालू है।

(ख) गर्भरोधी वैक्सीन : पशुओं पर अध्ययन किए जा रहे हैं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली

पुरुषों में शुक्राणुवाहक नली का रिवर्सेबल वास - आक्लुजन

(क) चरण - I नैदानिक परीक्षण पूरा किया जा चुका है।

(ख) चरण - II नैदानिक परीक्षण तीन केन्द्रों पर शुरू किया गया है।

आयुर्वेद प्रणाली के अन्तर्गत अनुसंधान

आयुर्वेद औषध प्रिप्पलयादि योग के साथ चरण-II नैदानिक परीक्षण का दो केन्द्रों में किए जाने के लिए अनुमोदन किया गया है।

यूनानी प्रणाली के अन्तर्गत अनुसंधान

दो कोड वाली औषध एम.एच.-2 और एम.एच.-18 का पता लगाया गया है जिनसे आगे अध्ययन के लिए प्रजनन रोधी गुण क्षमता का पता चला है।

दिल्ली-जयपुर-अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग

*132. **श्री तारा चन्द भगोरा** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-जयपुर-अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने के प्रश्न पर हरियाणा और राजस्थान राज्य सरकारों के बीच कोई विवाद है;

(ख) यदि हाँ, तो इस विवाद को सुलझाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं;

(ग) क्या दिल्ली-अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को चार लेन वाला बनाने का कार्य इस वर्ष पूरा हो जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग-8 का दिल्ली-गुड़गांव खंड पहले ही चार लेन का है। तथापि, गुड़गांव (हरियाणा में) से अकरोल (राजस्थान में) खंड जो 36.63 से 231.00 कि.मी. तक है, को चार लेन बनाने का कार्य प्रगति पर है। इसे पूरा करने की नियत तारीखें इस प्रकार हैं :

(i) गुड़गांव से कोटपुतली खंड - मार्च, 2000

(ii) कोटपुतली से अकरोल खंड - जून, 1997

इसके अतिरिक्त 231.00-248.00 कि.मी. (राजस्थान में) तक चार लेन बनाने का कार्य पूरा हो चुका है। जयपुर से अजमेर खंड को चार लेन का बनाने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है।

बिहार में प्रागैतिहासिक काल के स्थल

*133. **श्री अजित उरांव** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को इस बात की जानकारी है कि बिहार के छोटा नागपुर में प्रागैतिहासिक काल के अनेक स्थल हैं;

(ख) यदि हाँ, तो आगे अध्ययन करने हेतु अभी तक कितने स्थलों का चयन किया गया है;

(ग) क्या विशेषज्ञों का ऐसा मत है कि उपर्युक्त खोज के परिणामस्वरूप वहां हड़प्पाकालीन सभ्यता से भी काफी पहले की और प्रागैतिहासिक बस्तियों के होने का पता चलेगा; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार क्या उपाय कर रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुदीराज सैकिया) : (क) जी, हाँ।

(ख) बिहार सरकार के पुरातत्व निदेशालय के हजारीबाग, रॉची, सिंहभूम, पलामू तथा धनबाद जिलों में और आगे अध्ययन किए हैं।

(ग) इन स्थलों पर अब तक किए गए पुरातत्वीय अन्वेषण से पुरा-ऐतिहासिक अवशेषों की मौजूदगी का पता चलता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कांडला पोर्ट ट्रस्ट की भूमि

*134. **श्री सनत मेहता** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांडला पोर्ट ट्रस्ट प्रबंधन के अंतर्गत कच्छ जिले के गांधीधाम क्षेत्र के भू-स्वामित्व दावों के निपटारे न होने के परिणामस्वरूप गांधीधाम का खासा क्षेत्र अप्रयुक्त और अविकसित रह गया है;

(ख) यदि हाँ, तो जितनी जमीन का सदुपयोग तथा विकास होना है उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपाय किए जाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिडिवनाम जी. वेंकटरामन): (क) से (ग) कांडला पत्तन न्यास की गांधीधाम कस्बे में 6920 एकड़ भूमि है जिसमें से 5889 एकड़ भूमि उपयोग में लाई जा रही है। रिहायशी कस्बे के लिए केवल 230 एकड़ विकसित और 801 एकड़ अविकसित क्षेत्र उपयोग में नहीं लाया जा रहा है।

कांडला पत्तन न्यास ने सितम्बर, 1992 में 2 यूनिटों (296 एकड़) के लिए ले-आऊट योजनाएं गांधीधाम विकास प्राधिकरण (जी.डी.ए.) के पास अनुमोदनार्थ भेजी थीं लेकिन अभी अनुमति नहीं मिली है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना अंशदान की दरें

*135. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभभोगियों द्वारा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में किए जा रहे अंशदान की दरों में भारी वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अंशदान की दरों में की गई भारी वृद्धि तथा योजना के गिरते स्तर को देखते हुए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को उपभोक्ता मंच (कन्ज्यूमर फोरम) के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में अंशदान की दरें जो एक रुपये से 12 रुपये की बीच थी, 1994 में बढ़ा दी गई थीं तथा अब ये दरें लाभार्थी द्वारा लिए जा रहे मूल वेतन आदि के आधार पर 5 रुपये से 50 रुपये के बीच है।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए है न कि आम जनता के लिए। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग, नई दिल्ली ने यह पहले ही कह दिया है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन कोई कर्मचारी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की परिभाषा में उपभोक्ता नहीं है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कार्य निष्पादन में सुधार एक सतत् प्रक्रिया है। इसके कार्यकरण को सरल बनाने के उद्देश्य से लाभार्थियों की पसंद तथा क्षेत्रीय कल्याण अधिकारियों आदि के विचारों को ध्यान में रखते हुए अनेक उपाय किए गए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ अधिक से अधिक निजी अस्पतालों को मान्यता देना, प्रतिपूर्ति दावों का कंप्यूटरीकरण, अस्पताल उपचार के लिए पैकेज डील आदि हैं।

भूमिगत जल स्तर

*136. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमिगत जलस्तर में आ रही लगातार गिरावट का कृषि उत्पादन और इसके साथ ही सघन कृषि चक्र पर प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ख) क्या भविष्य में उन क्षेत्रों में पीने के पानी की कमी होने की आशंका है; जहां भूमिगत जल ही सिंचाई का एकमात्र स्रोत है;

(ग) जल स्तर बढ़ाने में पनधाराप्रबंधन और जल संचय (हार्वेस्टिंग) संबंधी तकनीकों की क्या उपयोगिता है; और

(घ) इस संबंध में तैयार किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और उनका कार्यान्वयन किस सीमा तक सफल सिद्ध हुआ है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) जी हाँ।

(ग) और (घ) वाटर शेड प्रबन्धन और जल एकत्र करने की तकनीकों से मिट्टी संरक्षण, भूजल स्तर में कमी को रोकने और भूजल की उपलब्धता में सुधार लाने में सहायता मिलती है। इस संबंध में सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों में ये शामिल हैं :

1. **जल संसाधन मंत्रालय**

1. भूजल संसाधनों के विकास के लिए सर्वेक्षण, समन्वेषण और अन्वेषण की स्कीम।

2. भूजल की कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी स्कीम।

3. प्रायद्वीपीय राज्यों के लिए जल विज्ञान परियोजना।

4. भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण में राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीम तैयार करना। यह स्कीम परामर्शी चरण पर है।

5. राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को विशिष्ट क्षेत्र की कृत्रिम

मैक्सिको कार्ययोजना (1975) नैरोबी फारवर्ड लुकिंग स्टेटेजीज (1985) बीजिंग घोषणा तथा कार्रवाई मंच (1995) पर उपर्युक्त कार्यवाही करने के लिये भारत द्वारा उनका समर्थन किया गया है।

महिलाओं की शक्ति सम्पन्नता के लिये राष्ट्रीय नीति महिला आन्दोलन जिसका महिलाओं के मामले में सम्बद्ध गहरी पैंठ रखने वाले स्वेच्छिक संगठनों का एक व्यापक तंत्र है द्वारा महिलाओं को शक्ति सम्पन्नता हेतु अनेक कदम उठाए गए है।

तथापि एक तरफ संविधान में निरुपित तथ्यों, कानूनों, नीतियों, कार्यक्रमों, प्रायोजनाओं और संबधित कार्यविधियों और दूसरी तरफ भारत में महिलाओं की स्थिति की वास्तविकता में काफी अंतर है। इस बात का भारत में महिलाओं की स्थितिः पर समिति की रिपोर्ट "समानता की ओर" (1974) में विषय विश्लेषण किया गया है और महिलाओं के लिये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (1989-2000) और श्रम शक्ति रिपोर्ट (1988) में इन पर प्रकाश डाला गया है।

महिला-पुरुष समानता स्वयं स्वतः विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। सबसे प्रकट रूप में इसका एक उदाहरण समझकर कुछ दशकों जनसंख्या में महिला का गिरता हुआ अनुपात है सामाजिक परंपरायें और घरेलू तथा सामजिक स्तर पर हिंसा जैसे कुछ अन्य प्रभाव हैं बालिकाओं, किशोर लड़कियों और महिलाओं के साथ भेद-भाव आज भी विद्यमान हैं।

फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों, अनौपचारिक तथा प्रसंगठित क्षेत्र की अधिकांस महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और उत्पादक संसाधनों तक पहुंच और उससे सम्बन्धित निदेशों का लाभ उठाने के अवसर पुरूषों की तुलना में अपर्याप्त हैं। अब वे प्रायः सीमान्त स्थिति में गरीब तथा सामाजिक रूप से बहिष्कृत रहती हैं।

इस पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास को दृष्टिगत रखते हुए और संसद सदस्यों राज्य सरकारों, गैर सरकारी संगठनों, महिला संगठनों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, अनुसंधानकर्त्ताओं और अन्य विशेषज्ञों से हुए विचार-विमर्शों के पश्चात यह राष्ट्रीय नीति बनाई गई है।

इस नीति का लक्ष्य महिलाओं की उन्नति, विकास और शक्ति सम्पन्नता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति सामाजिक रवैये में परिवर्तन करके और महिला पुरुष के बीच सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन द्वारा जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के द्वारा, महिला परिप्रेक्ष्यों को शामिल करके, महिलाओं की सैद्धांतिक समानता को वास्तविक समानता में बदलकर और जहां आवश्यक हो सकारात्मक कार्यवाही के जरिये की जानी है।

सामाजिक समन्वय स्थापित करने के प्रयासों के रूप में महिलाओं की गरिमा तथा सम्मान को पुनर्स्थापित करने वाली भारतीय संस्कृति तथा परम्पराओं की सकारात्मक विशेषताओं को दोहराया, महिलाओं की शक्ति सम्पन्नता के लिये राष्ट्रीय नीति उपर्युक्त कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं और पुरुषों को परिवर्तन के अधिकर्ता के रूप में अपने-अपने सामाजिक दायित्वों की जानकारी दी जायेगी। इन कार्यक्रमों से प्रगतिशील मूल्यों के संवर्धक के रूप में उनकी भूमिका और मानवता के प्रति सम्मान पर बल दिया जायेगा।

नीति का व्यापक प्रचार किया जायेगा ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये नागरिक समाज के सभी हिस्सो में सार्थक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

(2) मानवाधिकार और मौलिक स्वतन्त्रताएं

महिलाओं द्वारा पुरुषों के समान सभी मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं का वास्तविक प्रयोग सुनिश्चित किया जायेगा। तथा इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर किया जायेगा। इस लक्ष्य के अनुरूप राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक किसी भी क्षेत्र में महिलाओं के साथ नियम और व्यवहार में किसी भी प्रकार के भेदभाव की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(3) महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा का उन्मूलन

महिलाओं के साथ होने वाली सभी प्रकार की हिंसा चाहे शारीरिक या मानसिक हो, चाहे घरेलू अथवा सामाजिक स्तर पर की जाती हो विशेष रूप से उनका शोषण और हिंसा जिसमें रीति-रिवाजों, परंपराओं और प्रयासों के माध्यमों से हिंसा भी शामिल है, का उन्मूलन किया जायेगा। हिंसा की शिकार महिलाओं के पुनर्वास हेतु सहायता के लिये स्कीमें तंत्र तैयार सुदृढ़ किए जाएंगे। महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के उन्मूलन और इस प्रकार की हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिये उत्तरदायी संस्थाओं और तंत्रों को सुदृढ़ बनाया जायेगा।

(4) महिलाओं के साथ भेदभाव समाप्त करना

इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि महिलायें पुरुषों के समान मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रता तथा सभी क्षेत्रों, राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृति तथा नागरिक आदि में समानता की हकदार हैं महिलाओं के साथ कानून में अथवा व्यवहार में किसी भी प्रकार के भेदभाव को स्वीकृति नहीं दी जायेगी। महिलाओं के लिये शिक्षा के सभी स्तरों तथा व्यवसायिक दिशा निर्देश, रोजगार, समान पारिश्रमिक, व्यवसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल तथा सार्वजनिक कार्यालय आदि में समान अधिकार सुनिश्चित किये जायेंगे।

(5) बालिकाओं के साथ भेदभाव और उनके अधिकारों के उल्लंघन का उन्मूलन

बालिकाओं के साथ सभी प्रकार के भेदभाव तथा उनके अधिकारों के उल्लंघन के कठोर उपाय जिनमें दण्डात्मक उपाय भी शामिल हैं अपनाकर समाप्त किया जायेगा। इन उपायों में जन्म से पूर्व लिंग चयन तथा बालिका-भ्रूण-हत्या, बाल-विवाह तथा बच्चों के साथ दुर्व्यवहार तथा बाल वेश्याएं सम्बन्धी कानूनों का कड़ाई से अनुपालन शामिल है। परिवार तथा परिवार के बाहर बालिका के साथ व्यवहार में समानता तथा बालिकाओं की सकारात्मक छवि को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जायेगा। बालिकाओं की आवश्यकताओं जैसे रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा जिसमें व्यवहारिक शिक्षा भी शामिल है पर विशेष बल दिया जायेगा एवं पर्याप्त निवेश किया जायेगा। बाल श्रम उन्मूलन सम्बन्धी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के समय बालिकाओं पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

(6) महिलाओं की शक्ति संपन्नता

महिलाओं की समग्र शक्ति संपन्नता के लिये सकारात्मक कार्यवाही और विचारात्मक उपाय साथ-साथ किये जायेंगे। महिलाओं को संपूर्ण रूप से पूरे समान अधिकार उपलब्ध कराने की दिशा में शक्ति संपन्नता लाने वाले कारकों तक पहुंच और नियंत्रण को उपलब्ध कराया जायेगा। विशेषकर स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना विकास हेतु जीवन पर्यन्त शिक्षा, व्यवहारिक कौशल, रोजगार, तकनीकी सेवा भूमि तथा अन्य सम्पत्तियां, विरासत तथा विवाह संबंध से मिलने वाली सम्पत्तियों सहित सामान्य सम्पत्ति संसाधन, ग्रुप प्रोद्योगिकी तथा विपणन आदि।

(7) निर्णय लेने में महिलायें

शक्ति सम्पन्नता के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये सभी स्तरों तथा सभी प्रक्रियाओं जिनमें राजनैतिक निर्णय भी शामिल हैं शक्तियों के समान उपयोग में महिलाओं की प्रतिमानिता को सुनिश्चित किया जायेगा। सभी स्तरों पर निकायों में निर्णय निर्माण में महिलाओं को पूरी प्रति भागिता समान रूप से उपलब्ध कराये जाने की गारंटी के लिये सभी कदम उठाये जायेंगे। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, विधान सभाओं कार्यकारी न्यायिक स्थानीय निगम और परामर्शदात्री आयोगों, समितियों, बोर्डों आदि में सहभागिता होगी। सकारात्मक कार्यवाही तथा उच्च विधायी निकायों में आरक्षण/कोटे पर जब भी आवश्यक हो, समय पर आधार पर विचार किया जायेगा।

(8) महिलायें तथा विकास प्रक्रिया

नीतियां, कार्यक्रम तथा पद्धतियां इस प्रकार बनाई जायेंगी जिनसे सभी विकास प्रक्रियाओं में उत्प्रेरक, भागीदार के रूप में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। महिलाओं को मुख्य धारा में शामिल करने की प्रक्रिया में हुई प्रगति का समय-समय पर आकलन करने के लिये समन्वयन एवं प्रबोध तंत्र की स्थापना की जायेगी। परिणामस्वरूप महिलाओं में सम्बन्धित मामलों तथा मुद्दों को सम्बन्धित नियमों, क्षेत्रीय नीतियों, योजनाओं तथा कार्यवाही कार्यक्रमों में परिलक्षित किया जायेगा।

(9) महिलाओं से सम्बन्धित मामलों के प्रति सचेतना

समाज के सभी वर्गों के लिये विशेष रूप से तैयार किये गये तथा भलीभांति वित्तपोषित कार्यक्रमों का नियमित आयोजन किया जायेगा। सभी सरकारी और गैर सरकारी विकास अभिकरणों में राज्य कार्यकारिणी, विधायिका तथा न्यायिक सम्बन्धों के कार्यकलापो पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। यह कार्यक्रम कई पद्धति के होंगे जो कि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों में सभी चालू प्रशिक्षण कार्यक्रमों के एक हिस्से के रूप में चलाये जायेंगे।

(10) महिलायें तथा जन-प्रचार

प्रचार माध्यमों का उपयोग महिलाओं तथा लड़कियों को सर्वसुलभ बनाने निरक्षरता का उन्मूलन करने, लिंग संचेतना, शिक्षा प्रणाली के सृजन हेतु उपाय किये जायेंगे। बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि करना, तथा बालिकाओं की शिक्षा जारी रखना और शिक्षा के स्तर में सुधार करना ताकि जीवन पर्यन्त शिक्षा के साथ-साथ महिलाओं के व्यवसायिक/तकनीकी कौशल का विकास हो। मौजूदा नीतियों में क्षेत्रीय समयबद्ध लक्ष्य प्राप्त किये जायेंगे जिनमें लड़कियों तथा महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

(11) निर्धनता उन्मूलन तथा महिलाओं को बुनियादी आवश्यकतायें उपलब्ध कराना

11.1 निर्धनता उन्मूलन

चूंकि गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वालों में अधिकांश महिलायें ही हैं तथा प्रायः ये अत्यधिक निर्धनता की स्थिति में जीवन व्यतीत करती हैं, इन्हें कठोर घरेलू परिस्थितियों तथा सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अतः इस वर्ग की महिलाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं समस्याओं के निदान हेतु विशेष रूप से व्यापक आर्थिक नीतियां तथा निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम चलाये जायेंगे। महिलाओं के लिए पहले से चलाये जा रहे अथवा विशेष लक्ष्यों वाले कार्यक्रमों को और अधिक कारगर रूप से कार्यान्वित किया जायेगा। नये कार्यक्रम इस बात को लक्ष्य करके बनाये जायेंगे कि वे निर्धन महिलाओं को आर्थिक विकल्प के साथ-साथ समर्पण सेवायें प्रदान करके संगठित कर सकें ताकि उनकी क्षमताओं का विकास किया जा सके।

11.2 भोजन सुरक्षा

महिलाओं की पोषाहारीय तथा घरेलू आवश्यकताओं की

संतोषजनक ढंग से पूर्ति करने के लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया जायेगा। लड़कियों के साथ-साथ महिलाओं के साथ होने वाले घरेलू भेद-भाव को भी उपर्युक्त पद्धति अपना कर समाप्त किया जायेगा। पद्धति की आयोजना, पर्यवेक्षण तथा सुपुर्दगी में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।

11.3 आवास तथा प्रश्रय

ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में आवास नीतियां, आवास कालोनियां तथा प्रश्रय उपलब्ध कराने के लिये महिलाओं से सम्बन्धित विषयों को शामिल किया जायेगा। एकल महिलाओं, परिवार की मुखिया महिलाओं, कामकाजी महिलाओं, विधार्थियों सहित महिलाओं के लिये पर्याप्त और सुरक्षित आवास प्रदान करने की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा। यह होस्टलों, शयनागारों, आवास गृहों तथा आवास कालोनियों और कस्बों में आरक्षण के रूप में विशेष सुविधाओं के रूप में होगा।

11.4 शिक्षा

महिलाओं तथा बालिकाओं के लिये शिक्षा के समान अवसर सुनिश्चित किये जायेंगे। भेदभाव को समाप्त करने, शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने निरक्षरता का उन्मूलन करने, लिंग संचेतना, शिक्षा प्रणाली के सृजन हेतु उपाय किये जायेंगे। बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि करना, तथा बालिकाओं की शिक्षा जारी रखना और शिक्षा के स्तर में सुधार करना ताकि जीवन पर्यन्त शिक्षा के साथ-साथ महिलाओं के व्यवसायिक/तकनीकी कौशल का विकास हो। मौजूदा नीतियों में क्षेत्रीय समयबद्ध लक्ष्य प्राप्त किये जायेंगे जिनमें लड़कियों तथा महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

11.5 स्वास्थ्य

महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति एक समान दृष्टिकोण अपनाया जायेगा तथा उनके संपूर्ण जीवन एवं आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। जिनमें पोषाहार, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रजननकाल और वृद्धावस्था में बुनियादी सेवायें उपलब्ध कराना शामिल है। बालिकाओं और महिलाओं पर विशेष ध्यान देते हुए मौजूदा नीतियों में क्षेत्रीय सामयिक लक्ष्य प्राप्त किये जायेंगे।

11.6 महिलायें तथा अर्थव्यवस्था

आर्थिक और सामाजिक नीतियां तैयार करने और उनके कार्यान्वयन में महिलाओं की प्रतिभागिता को संख्यागत बनाकर उनके परिप्रेक्ष्यों को उसमें शामिल किया जायेगा।

औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक विकास में उत्पादकों तथा कर्मियों के रूप में महिलाओं के योगदान को मान्यता प्रदान की जायेगी और रोजगार तथा अन्य कार्य परिस्थितियों से सम्बन्धित उपयुक्त नीतियां तैयार की जायेंगी।

उत्पादकों तथा कर्मियों के रूप में महिलाओं के योगदान को परिलक्षित करने के लिये जहां आवश्यक होगा, जैसे कि गणना रिकार्डों में पारम्परिक संकल्पनाओं का पुनर्विवेचन और उन्हें पुनर्भाषित किया जायेगा।

महिलाओं के कार्यों को रेखांकित करने के लिये राष्ट्रीय सेवाओं के अनुरूप सरकार द्वारा उपलेखे तैयार किये जायेंगे। यह कार्य उपर्युक्त कार्यविधि का विकास करके किया जायेगा।

11.7 संवर्धन सेवायें

महिलाओं के लिये संवर्धन सेवायें यथा बाल देखभाल सुविधायें जिनमें कार्यस्थलों तथा शैक्षिक संस्थानों में शिशु गृह बनाना तथा वृद्ध एवं विकलांगो के लिये गृह शामिल हैं, का विस्तार और सुधार किया जायेगा। महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिये उनके अनुरूप कार्मिक नीतियां भी तैयार की जायेगी ताकि महिलायें विकास की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सकें।

11.8 पेयजल और स्वच्छता

घर के निकट सुरक्षित पेयजल, जल-मल निबटान शौचालयों की व्यवस्था के सम्बन्ध में महिलाओं की आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा। इन सेवाओं की आयोजना, प्रदाय तथा अनुरक्षण में महिलाओं की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जायेगी।

(12) महिलायें और पर्यावरण

परि-प्रणाली प्रबन्धन के कार्यक्रमों और नीतियों ने महिलाओं को शामिल किया जायेगा और उनके परिप्रेक्ष्यों को परिलक्षित किया जायेगा। महिलाओं की आजीविका पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव तथा परिवार में श्रम वितरण तथा समय को ध्यान में रखते हुऐ चारा तथा ईंधन एकत्रित करने के सम्बन्ध में पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यावरण अवक्रमण नियंत्रण में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।

(13) महिलायें तथा विज्ञान

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में महिलाओं को अधिक संख्या में शामिल करने के लिए कार्यक्रमों को सुदृढ़ किया जायेगा। इसके अन्तर्गत लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिये विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के अध्ययन के लिये प्रेरित करना तथा ये सुनिश्चित करना भी शामिल है कि विज्ञान तथा तकनीकी निवेश वाली विकास परियोजनाओं में महिलाओं को पूर्ण रूप में शामिल किया जायेगा। वैज्ञानिक रुचि, जागृति विकसित करने के प्रयास भी किये जायेंगे।

(14) विशेष रूप से वंचित वर्ग की महिलाओं की आवश्यकतायें

महिलाओं की विभिन्न परिस्थितियों तथा विशेष रूप से वंचित वर्ग की महिलाओं की आवश्यकताओं को स्वीकार करते हुए उन्हें विशेष सहायता उपलब्ध कराने हेतु उपाय तथा कार्यक्रम शुरू किये जायेंगे। इन ग्रुपों में अत्यधिक निर्धन, विषम परिस्थितियों में रहने वाली कम विकसित क्षेत्रों में रहने वाली दलित जन-जाति, अल्पसंख्यक, विकलांग, विधवा, गृह महिलायें, तथा एकल महिलायें, परिवार की मुखिया महिलायें, रोजगार से हटाई गई महिलायें, तथा सामाजिक रूप से बहिष्कृत और वेश्याऐं शामिल हैं।

(15) संरक्षण

महिलाओं के विकास एवं उन्हें शक्ति सम्पन्न बनाने के लिये मौजूदा संस्थानों को सुदृढ़ बनाने तथा उनका विस्तार करने के लिये अतिरिक्त संकाय उपलब्ध कराये जायेंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग के महिला कार्यक्रमों के बजट में वृद्धि की जायेगी तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, श्रम, कृषि, उद्योग, विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने वाले मंत्रालयों/विभागों के बजटों में महिलाओं के लिये अलग राशि रखी जायेगी।

बुनियादी स्तर पर बैंकिंग, वित्तीय संसाधनों, निगमित निकायों और सामुदायिक संगठनों से राशि का आबंटन तथा सम्बद्ध सेवायें सुनिश्चित करने के लिये संसाधन संग्रहण की सहक्रियात्मक कार्यविधि तैयार की जायेगी।

(16) गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी

महिलाओं को प्रभावित करने वाली सभी नीतियों और कार्यक्रमों के निरूपण, कार्यान्वयन और समीक्षा में स्वैच्छिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, महिला संगठनों के साथ-साथ शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान से सम्बन्धित संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये उन्हें उपयुक्त संसाधन और क्षमता निर्माण सहायता मुहैया कराई जायेगी और महिलाओं की शक्ति सम्पन्नता की प्रक्रिया में उन्हें सक्रिय रूप से भाग लेने की सुविधा दी जायेगी। महिलाओं के प्रति सामाजिक रवैये में परिवर्तन लाने में उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी।

(17) जैण्डर विकास संसूचक

महिलाओं की दृष्टि से न्यायोचित कानूनों, नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबोधन समीक्षा और कानूनों के मूल्यांकन में सहायता प्रदान करने के लिये सरकार द्वारा विशेषज्ञ एजेन्सियों के साथ नेटवर्किंग करके जेण्डर विकास संसूचक तैयार किये जायेंगे जो विशेष रूप से तैयार मापदण्ड के आधार पर होंगे।

(18) महिला पुरुष पृथक-पृथक आंकड़े

केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की अनुसंधान और शैक्षिक संस्थाओं के सभी मूल आंकड़ा संग्रहण अभिकरणों द्वारा, महिलाओं और पुरुषों के सम्बन्ध में नियमित आधार पर अलग-अलग आंकड़े एकत्र, संकलित और प्रकाशित किये जायेंगे। इन अभिकरणों द्वारा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आंकड़े और सूचना अन्तराल को भी भरा जायेगा; जिससे महिलाओं की स्थिति परिलक्षित होती है।

सभी मंत्रालय/विभाग/बैंक/निगम तथा वित्तीय संस्थाएं महिलाओं तथा पुरुषों के संबंध में आंकड़े इकट्ठा करेंगे, उनका अनुरक्षण और प्रकाशन करेंगे।

(19) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

अनुभवों, विचारों और प्रोद्योगिकी के आदान-प्रदान, संस्थाओं और संगठनों के साथ नेटवर्किंग तथा द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विचार-विमर्श के माध्यम से महिलाओं को शक्ति सम्पन्नता के लिए अन्तर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहन जारी रहेगा।

भाग-II

कार्यनीतियां और कार्रवाई बिन्दु

1. आधारभूत स्तर

आधारभूत स्तर पर महिलाओं को सरकार द्वारा अपने कार्यक्रमों के जरिये आंगनबाड़ी, गांव/कस्बा स्तर पर स्वःसहायता ग्रुपो में एकत्रित किया जायेगा। आधारभूत स्तर पर कार्यरत महिला ग्रुप तथा महिला संगठनों को उपयुक्त रूप से सुदृढ़ किया जायेगा। इन संक्षिप्त ग्रुपों को संगठित बनाने एव पंजीकृत सोसाइटियों में परिवर्तित करने तथा पंचायत/निगम स्तर पर संगठित करने की संख्या में सहायता प्रदान की जायेगी। ये सोसायटियां सभी सामाजिक तथा आर्थिक विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये सरकारी तथा गैर-सरकारी चैनलों जिनमें बैंक तथा वित्तीय संस्थान भी शामिल हैं, उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करेगी तथा पंचायतों, नगरपालिकाओं के साथ सहयोग स्थापित करेगी।

2. जिला तथा उप-जिला स्तर

जिला तथा उप-जिला स्तरों मौजूदा एजेंसियों जिसमें परिवारों/जिला ग्राम विकास एजेन्सियों/निगम निकायों की सेवाऐं महिला विकास ग्रुपों को उपलब्ध कराई जायेगी और महिला विकास हेतु संसाधन उपलब्ध कराने हेतु तथा समन्वय के लिए उनका उपयोग किया जायेगा।

3. राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर

3.1 महिलाओं को शक्ति सम्पन्न बनाने के लिये राष्ट्रीय तथा राज्य महिला आयोगों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए राष्ट्र तथा जिला स्तर पर परिषद होगी। ये राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय परिषदें व्यापक नीति परामर्श, निर्देश एवं दिशा निर्देश देंगी तथा इनके कार्यान्वयन पर नियमित रूप से नजर रखेंगी। राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होंगे तथा राज्य परिषदों के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। इन परिषदों का गठन व्यापक आधार पर किया जायेगा जिनमें सम्बंधित विभाग मंत्रालयों, राष्ट्रीय तथा राज्य महिला आयोगों, समाज कल्याण बोर्डों, गैर सरकारी संगठनों, महिला संगठन, निजी क्षेत्र, व्यापार संघों, वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि तथा सामाजिक कार्यकर्त्ता आदि शामिल होंगे।

3.2 सभी केन्द्रीय मंत्रालय और राज्य सरकारें, केन्द्रीय/राज्य महिला एवं बाल विकास विभागों के परामर्श से नीति को ठोस कार्यवाही में परिवर्तित करने के लिये समयबद्ध कार्ययोजनायें तैयार करेंगे इनमें विशेष रूप से निम्नलिखित शामिल होंगे।

3.2.1 शिक्षा व्यवसायिक प्रशिक्षण, रोजगार और आयोत्पादक स्वास्थ्य, सभी सवंर्धन सेवाओं संचेतना कार्यक्रमों और सूचना प्रसार इत्यादि से संबंधित प्रमुख क्षेत्रों में महिलाओं के लिये संसाधनों की प्रतिबद्धता लघु अवधि तथा दीर्घावधि से संबंधित प्राथमिकताएं निर्धारित करने के पश्चात।

3.2.2 नीति के अधिवेशों, कार्यनीतियों और कार्यवाही बिन्दुओं की प्राप्ति के लिये समय सीमा ।

3.2.3 कार्यवाही बिन्दुओं के कार्यान्वयन हेतु दायित्व का निर्धारण ।

3.2.4 कार्यवाही बिन्दुओं का बृहत कार्यान्वयन, प्रयोजन और समीक्षा सुनिश्चित करने के लिये संरचनाएं और तंत्र।

3.3 महिलाओं संबंधी मुद्दों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिये केन्द्र/राज्य का प्रत्येक मंत्रालय/विभाग अपने-अपने कार्यक्रमों/गतिविधियों में उतारने की भागीदारों और लाभार्थियों के रूप में महिलाओं की समान भागीदारी का प्रावधान करेगा।

3.4 राष्ट्रीय विकास परिषद् महिलाओं और पुरूषों के संबंध में अलग-अलग आंकड़ों के आधार पर सभी विकास कार्यक्रमों और लक्ष्यों की समीक्षा करेगी और योजना आयोग की सहायता से महिलाओं के लिये विभिन्न क्षेत्रों में शुरू किये गये कार्यक्रमों को सुनिश्चित करेगी।

3.5 योजना आयोग/राज्य योजना बोर्ड/आयोग यह सुनिश्चित करेंगे कि केन्द्र और राज्य सरकारें महिलाओं और पुरुषों के लिये विशेष रूप से स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, जल, पर्यावरण संरक्षण स्वच्छता, प्रशिक्षण, कौशल विकास और कृषि उद्योगों तथा संबद्ध क्षेत्रों में रोजगार। आयोत्पादक के सभी क्षेत्रों में अलग-अलग विशिष्ट वास्तविक और वित्तीय संसाधनों का पता लगायेगी।

3.6 केन्द्र/राज्य में प्रत्येक मंत्रालय/विभाग प्रत्यक्ष रूप से अथवा स्वायत्त संगठनों तथा उनके अधीन कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के माध्यमों से निष्पादित उनकी अलग-अलग योजनाओं और कार्यक्रमों के जरिये महिलाओं को जिनमें महिलाओं के वंचित वर्ग भी शामिल हैं वास्तविक और वित्तीय अर्थों में सामान भाव सुनिश्चित करेगा और इस संबंध में हर वर्ष संसद/राज्य विधान सभाओं को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

3.7 सभी क्षेत्रों और सभी श्रेणियों में महिलाओं के अधिकार, संसाधनों पर समान नियंत्रण और पहुंच सुनिश्चित करने के लिये महिलाओं की पूरी और समान भागीदारी हेतु निम्नलिखित उपाय किये जायेंगे :

3.7.1 सभी मौजूदा कानूनों जिनमें वैयक्तिक, पारंपरिक और आदिवासी नियम, अधीनस्थ विधान, संबंधित नियम तथा कार्यकारी और प्रशासनिक विनियम भी शामिल हैं की राष्ट्रीय/राज्य महिला आयोग से परामर्श के साथ समीक्षा की जाएगी।

3.7.2 सभी नए नियम जिनमें अधीनस्थ विधान, संसाधन नियम तथा कार्यकारी और प्रशासनिक विनियम शामिल हैं, महिला परिप्रेक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए बनाए जायेंगे।

3.7.3 सभी मौजूदा नीतियों, जिनमें क्षेत्रीय नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम शामिल हैं, की समीक्षा की जायेगी।

3.7.4 सभी नई नीतियां जिनमें क्षेत्रीय नीतियां योजनाएं और कार्यक्रम शामिल हैं; महिला परिप्रेक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए बनायी जायेगी।

3.8 महिलाओं के विकास, उन्नति तथा शक्ति सम्पन्नता की सभी क्षेत्रीय नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभाव की संसद तथा विधान सभाओं में उपयुक्त तंत्र और संरचना के सृजन द्वारा बड़ी समीक्षा की जाएगी।

महिलाओं के संबंध में क्षेत्रीय नीतियों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने और उनके प्रबोधन के लिए पंचायती तथा नगर पालिकाओं में उपयुक्त संरचनाओं और प्रक्रियाओं का सृजन किया जायेगा।

3.9 हिंसा और महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों पर विशेष ध्यान देते हुए सभी संबंधित कानूनी उपबंधों के कड़े अनुपालन और शिकायतों के शीघ्र निपटान द्वारा महिलाओं के अधिकार सुनिश्चित किये जाएंगे।

3.10 महिलाओं के साथ अत्याचारों, घटनाओं, निवारण, जांच, पता लगाने और मुकदमा चलाने के संबंध में सभी अपराध समीक्षा मंचों तथा केन्द्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर सम्मेलनों में तथा गृह मंत्रालय/विभाग द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी।

3.11 लड़कियों और महिलाओं के साथ हिंसा और अत्याचारों से संबंधित कानूनी कार्रवाई, मामलों के पंजीकरण और जांच को सुविधाजनक बनाने के लिए मान्यता प्राप्त स्थानीय स्वैच्छिक संगठनों को शिकायतें दर्ज करने के लिये प्राधिकृत किया जायेगा।

3.12 महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा और अत्याचारों के उन्मूलन के लिये पुलिस स्टेशनों में महिला सैलों, समस्त महिला पुलिस स्टेशनों, परिवार न्यायालयों, परामर्श केन्द्रों, कानूनी सहायता केन्द्रो और न्याय पंचायत को सुदृढ़ और विस्तृत किया जायेगा।

3.13 विशेष रूप से तैयार किये गये कानूनी साक्षरता कार्यक्रमों को अधिकार सूचना कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के कानूनी अधिकारों, मानवाधिकारों तथा अन्य अधिकारों के सभी पहलुओं पर सूचना का व्यापक प्रचार किया जायेगा। कानूनी साक्षरता को स्कूली और कॉलेजों की शैक्षिक पाठ्यचर्या में शामिल किया जायेगा।

3.14 बाल-अधिकार सम्मेलन तथा राष्ट्रीय/राज्य गत कार्य योजनाओं के अनुरूप बालिकाओं तथा किशोरियों के हितों की रक्षा के नये उपाय किये जायेंगें।

3.15 सभी सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के निकायों में जिनमें निजी निर्माण निकाय भी शामिल हैं, सभी स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की सार्थक भागीदारी एवं उनके द्वारा सक्रिय रूप से शक्तियों के उपयोग को कारगर बनाने के लिये आरक्षण तथा कोटा निर्धारित करके सकारात्मक कार्यवाही की जायेगी।

3.16 महिला संचेतना कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल होगे:

3.16.1 नीति और कार्यक्रम बनाने वालों, कार्यान्वयन और विकास एजेन्सियों, विधि प्रवर्तन न्यायपालिका तथा गैर सरकारी संगठनों पर विशेष बल देते हुए राष्ट्र की कार्यकारिणी, विधायिका और न्यायपालिका के कार्यक्रमों का प्रशिक्षण।

3.16.2 महिलाओं के मानवाधिकारों और उससे संबंधित मुद्दो के बारे में समाज को जानकारी।

3.16.3 महिलाओं के मानवाधिकारों और अन्य मुद्दों को शैक्षिक सामग्री और पाठ्यचर्या में शामिल करने के लिए उनकी समीक्षा।

3.16.4 सभी सार्वजनिक दस्तावेजों और कानूनी किताबों में महिलाओं की गरिमा के प्रतिकूल संदर्भों को हटाना।

3.16.5 महिलाओं की समानता और शक्ति सम्पन्नता से संबंधित सामाजिक सन्देशों के प्रचार हेतु विभिन्न प्रकार के प्रचार माध्यमों का प्रयोग।

3.17 जन संचार माध्यमों द्वारा महिलाओं की सकारात्मक छवि प्रस्तुत करने वाले कानूनो और संहिताओं का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा ताकि महिलाओं को उपयोग की वस्तु बनाने तथा उनकी हीन छवि प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति पर कारगर ढंग से रोक लगाई जा सके। महिलाओं की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाने वाली सार्वजनिक अभिव्यक्ति पर रोक लगाने के लिये उपयुक्त उपायों पर विचार किया जायेगा।

3.18 यह सुनिश्चत करने के लिए महिलाओं को सभी समर्थन सेवायें, पेयजल तथा साफ-सफाई उपलब्ध कराई जायेगी। क्षेत्रीय नीतियों की समीक्षा की जायेगी तथा उनमें उपयुक्त संशोधन किये जायेगे।

3.19 बालिकाओं तथा महिलाओं के पोषाहारीय स्तर में सुधार करने के लिये तथा उन्हें भोजन मुफ्त उपलब्ध कराने के लिये तथा संचेतना जागृति तथा अन्य संबंधित कार्यक्रमों को सुदृढ़ किया जायेगा।

3.20 महिलाओं को पर्यावरण संरक्षण के कार्य तथा ईंधन और चारा एकत्र करने से संबधित सामान्य सम्पत्ति संसाधनों के प्रबन्धन कार्य में सक्रिय रूप से संबद्ध किया जायेगा ताकि उन संसाधनों का अधिकतम एवं उपयुक्त उपयोग किया जा सके।

3.21 महिला कर्मियों के लिये संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में श्रमिक सुरक्षा सुनिश्चित की जायेगी। समान पारिश्रमिक अधिनियम तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जैसे संबंधित कानूनों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। महिलाओं के पारिश्रमिक का निर्धारण करने के लिये उनके कार्य का वैज्ञानिक मूल्यांकन किया जायेगा तथा सभी श्रमिक कानूनों की महिलाओं के हित में समीक्षा की जायेगी।

3.22 प्रौद्योगिकी प्रबंधन से संबंधित कौशलों का ज्ञान महिलाओं को उपयुक्त कार्यक्रमों, सरकारी तथा गैर-सरकारी माध्यमों से दिया जायेगा ताकि वे विकास परियोजनाओं के मार्फत उपलब्ध कराई जाने वाली अवसंरचना/सेवायें जैसे पेयजल, सिंचाई, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के प्रावधान आदि का कारगर रूप से उपयोग कर सकें।

3.23 महिलाओं की स्थिति में हुई प्रगति की हर पांच वर्ष के बाद समीक्षा की जायेगी। ये समीक्षाएं एक वस्तुपरक मापदण्ड तथा जेण्डर विकास संसूचकों के आधार पर की जायेगी तथा इनमें राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर महिलाओं की स्थिति के संबंध में रूपरेखायें होंगी। ये समीक्षायें पंचवर्षीय योजनाओं के साथ-साथ

की जायेगी। समय-समय पर आवश्यकता पड़ने पर पांच वर्ष से पहले भी मूल्यांकन किया जा सकता है।

3.24 संबंधित महिला विकास संसूचकों के विश्लेषण और अध्ययन के लिये स्त्री परीक्षा और मूल्यांकन तंत्र स्थापित किये जायेंगें तथा उनसे सूचना का व्यापक प्रसार किया जायेगा।

3.25 राष्ट्रीय और राज्य संसाधन केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। जिन्हें सूचना संग्रहण प्रचार, अनुसंधान कार्य करने, सर्वेक्षण करने, प्रशिक्षण करने तथा जागरूकता विकास कार्यक्रमों की जांच का कार्य सौंपा जायेगा। उपयुक्त सूचना तंत्र प्रणालियों के माध्यम से इन केन्द्रों को महिला अध्ययन केन्द्र तथा अन्य अनुसंधान और शैक्षिक संसाधनों के साथ जोड़ा जायेगा।

3.26 महिलाओं की उन्नति के लिये केन्द्रीय और राज्य स्तरों पर मौजूदा संस्थागत तंत्रो को सुदृढ़ किया जायेगा। सुदृढ़ीकरण का ये कार्य महिलाओं की शासन सम्पन्नता की प्राप्ति हेतु अन्य चीजों के साथ-साथ प्रर्याप्त संसाधनों, कर्मचारी प्रशिक्षण और संवर्धन कौशल के प्रावधान से संबंधित उपर्युक्त उपायों के माध्यम से किया जायेगा, जिससे वृहत नीतियों, विधानों और कार्यक्रमों आदि को कारगर तरीके से प्रभावित किया जा सकेगा।

विवरण - II

प्रस्तावित ग्रामीण महिला विकास और शक्तिसम्पन्नता परियोजना

1. परियोजना की प्रकृति - केन्द्रीय योजना

2. कवरेज

राज्य	जिलों की संख्या	स्व-सहायता दलों की संख्या
बिहार	3	600
गुजरात	4	1200
हरियाणा	3	600
कर्नाटक	4	1200
मध्य प्रदेश	6	1000
उत्तर प्रदेश	15	2800
	35	7400

3. परियोजना अवधि 5 वर्ष

4. परियोजना लागत 186.21 करोड़ रुपए

5. **संभावित बाह्य सहायता**

अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष	13.3 मिलियन एस.डी.आर. अथवा 18.87 मिलियन अमरीकी डालर*
अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन	13.5 मिलियन एस.डी.आर. अथवा 19.16 मिलियन अमरीकी डालर*

* विनिमय की मौजूदा अनुमानित दर पर एक एस.डी.आर.=4189 अमरीकी डालर

6. **प्रत्याशित लाभ**

(1) लगभग 7400 महिला स्व-सहायता दलों का निर्माण और उन्हें अपने कार्यों पर नियन्त्रण और अपना विकास करने के योग्य बनाने के लिए सुदृढ़ बनाना।

(2) महिलाओं के सम्मुख आने वाली सामाजिक कठिनाइयों का मुकाबला करने के लिये महिलाओं में आत्म-सम्मान, विश्वास और आत्म-निर्भरता बढ़ाना।

(3) महिलाओं के लिए बेहतर प्रबन्धन और तकनीकी कौशल।

(4) आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की अधिक भागीदारी और महिलाओं द्वारा नियंत्रित बढ़ी हुई आमदनी जिसके फलस्वरूप निर्धनता में कमी और घरेलू निवेशों में वृद्धि होती है।

(5) परिवार और समुदाय में महिलाओं के सामाजिक दर्जे में बढ़ोतरी।

(6) महिलाओं के लाभार्थ विभिन्न सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की सेवाएं मुहैया करवाने की अधिक योग्यता।

(7) ऋण हेतु मुख्य तन्त्रों में महिलाओं का समेकन।

(8) बेहतर जीवन और श्रम में कमी के माध्यम से महिलाओं की सुख सुविधाओं में सुधार लाना।

(9) महिलाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति में प्रमुख समर्थन अभिकरणों को अधिक कारगर और सुदृढ़ बनाना।

7. **मौजूदा स्थिति**

परियोजना प्रस्ताव को अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष ने 5.12.1996 को अनुमोदित कर दिया है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन बोर्ड द्वारा इस पर मार्च 1997 में विचार किए जाने की संभावना है। भारत सरकार में उपयुक्त अभिकरणों से अनुमोदन के लिये मामले पर अलग से कार्रवाही की जा रही है।

विश्व बैंक सहायता

*139. **श्री एन.एस.वी. चित्तन:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्पतालों की स्थापना के लिए विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने हेतु तमिलनाडु सरकार अथवा किसी अन्य राज्य सरकार से प्राप्त कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हाँ, तो ये प्रस्ताव किस स्तर पर लंबित हैं;

(ग) क्या विश्व बैंक के किसी अधिकारी ने राज्य का दौरा किया है और उसने इन परियोजनाओं के संबंध में कोई व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (घ) जिला अस्पतालों सहित द्वितीय स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं का दर्जा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक सहायता प्राप्त करने के लिए तमिलनाडु सरकार सहित राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और पंजाब के लिए पहले ही दो चरणों में राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजनाएं स्वीकृत की हैं तथा ये परियोजनाएं इस समय चल रही हैं। चरण-III के अंतर्गत कुछ और राज्यों को कवर करने का प्रस्ताव है जिसके लिए राज्य सरकारों द्वारा विश्व बैंक के मार्ग-निर्देशों के अनुसार परियोजनाएं तैयार की जा रही हैं।

राज्य की परियोजनाएं विश्व बैंक के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद तैयार की जाती हैं तथा पिछले अनुभवों से पता चलता है कि राज्यों द्वारा परियोजना की डिजाइनिंग तथा उसे तैयार करने में लगने वाले समय पर निर्भर करते हुए इन्हें अंतिम रूप देने में 12 से 24 महीने का समय लग जाता है।

हमारे रिकार्ड के अनुसार राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना के संबंध में व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए विश्व बैंक के किसी अधिकारिक दल ने तमिलनाडु का दौरा नहीं किया है।

दमा

*140. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**
श्री परसराम भारद्वाज :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर महानगरीय क्षेत्रों में *प्रदूषित वायु के कारण दमें से पीड़ित बच्चों के संबंध में कोई सर्वेक्षण अथवा अध्ययन किया है;*

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग) सरकार ने बच्चों में दमा की व्यापकता के बारे में कोई राज्यवार सर्वेक्षण नहीं किया है। तथापि, दिल्ली में किए गए कुछ अध्ययनों के प्रारंभिक निष्कर्षों से पता चलता है कि स्कूल जाने वाले बच्चों में श्वसनी दमा की अधिक घटनाएं होती हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने सूचित किया है कि इस बात का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि वायु प्रदूषण से दमा हो सकता है। पराग, घर की धूल जैसी एलर्जियों तथा कुछ खाद्य वस्तुओं से भी दमा हो सकता है।

रोग के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा तथा उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के अलावा सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अनेक उपाय किए हैं।

राष्ट्रीय ध्वज की मर्यादा

*1290. **श्री परसराम भारद्वाज:**
श्री छीतुभाई गामीत:
श्री माणिकराव होडल्या गावीत:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 30 दिसंबर, 1996 को जब प्रधान मंत्री इजरायल के राष्ट्रपति श्री इजर वायजमैन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे थे तब राष्ट्रीय तिरंगा उल्टा लगा हुआ था;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) ऐसी गलतियां भविष्य में दुहराई न जाये इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल): (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) यह एक भूल थी कि राष्ट्रीय तिरंगा सही स्थिति में नहीं था। संबंधित व्यक्तियों को यह निदेश दिए गए है कि वे यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में इस प्रकार की गलती न हो।

मिग-29 लड़ाकू विमान

1291. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिग -29 लड़ाकू विमान के सुरक्षा रिकार्ड ने इसे

विश्व में सबसे अच्छे विमानों की श्रेणी में रखा है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके प्रदर्शन से संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को ऐसे और लड़ाकू सह प्रशिक्षण जेट विमान की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन.सोमू) : (क) से (घ) मिग-29 अच्छे सुरक्षा रिकार्ड से युक्त एक बेहतर हवाई क्षमता वाला वायु रक्षा लड़ाकू वायुयान है। यह एक कुशल और युद्धाभ्यास की उच्च क्षमता वाला वायुयान है जो निचले स्तर पर पराध्वनिक गति बनाए रखने और लंबी दूरी तथा कम दूरी पर मार करने वाली युद्धक मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। मौजूदा स्वीकृत यूनिट स्थापना के अनुसार फिलहाल इस वायुयान को लड़ाकू अथवा प्रशिक्षक रूपांतर की आवश्यकता नहीं है।

मछुआरों की हत्या

1292. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 12 महीने के दौरान श्रीलंका नौसेना द्वारा कितने भारतीय मछुआरों की हत्या की गई; और

(ख) भारत सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) पिछले बारह महीनों में सरकार को पाक स्ट्रेट्स में भारतीय मछुआरों की नौकाओं पर गोलीबारी करने की 20 घटनाओं की जानकारी प्राप्त हुई जिसके फलस्वरूप ग्यारह मछुआरों की मृत्यु हुई। प्रत्येक घटना को श्रीलंका के प्राधिकारियों के साथ उठाया गया था। बताए गए अनेक मामलों में उन्होंने अपनी नौ-सेना का हाथ होने से इन्कार किया और कुछ मामलों में जांच-पड़ताल अभी पूरी नहीं हुई है। श्रीलंका प्राधिकारियों ने तीन घटनाओं में अपना हाथ होने की बात स्वीकार की है, जिनमें चार मछुआरों की मृत्यु हुई थी।

(ख) भारत अपने मछुआरों पर हिंसा की प्रत्येक घटना का विरोध करता है और श्रीलंका की सरकार पर इस बात के लिए जोर देता है कि मछुआरों के साथ संयम बरते जाने की आवश्यकता है।

विदेश मंत्री ने अपनी हाल में की गई श्रीलंका यात्रा (19-22 जनवरी, 1997 में श्रीलंका के विदेश मंत्री के साथ भारतीय मछुआरों के समक्ष उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा की थी और उनके विरुद्ध की जा रही हिंसात्मक गतिविधियों पर गंभीर चिन्ता व्यक्त की थी। दोनों पक्ष एक दूसरे की समुद्री-सीमा में अवांछनीय घटनाओं को रोकने के उपाय करने की आवश्यकता पर सहमत हैं और स्वीकार करते हैं कि मछुआरों के समक्ष आ रही समस्याओं को सद्भावना तथा समझ बूझ के साथ हल किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में गोदावरी नदी

1293. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति द्वारा गोदावरी नदी के जलमार्ग को गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी की तर्ज पर राष्ट्रीय नदी जलमार्ग के रूप में घोषित किए जाने के संबंध में सिफारिश की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा केन्द्र सरकार तथा राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण से गोदावरी नदी के जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किए जाने का अनुरोध किया गय है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस संबंध में घोषणा कब तक किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन): (क) और (ख) जी हाँ।

(ग) गोदावरी नदी के चेरला-राजमुन्दरी खंड में नौचालन के लिए 1988-89 में विस्तृत जलराशिक सर्वेक्षण और तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन किया गया था। इस जांच से नदी के इस खंड में नौचालन मार्ग के विकास की संभावनाओं का पता चला। अनुमान है कि इस जलमार्ग में पर्याप्त नौचालन सुविधाओं के विकास के बाद सन् 2000 और 2005 के दौरान क्रमशः 0.457 मिलियन टन और 0.805 मिलियन टन कार्गो इस मार्ग का उपयोग कर सकता है। इस नदी खंड को नौचालन हेतु विकसित करने पर, 1994-95 के मूल्यों के अनुसार 50 करोड़ रु० अनुमानित लागत आएगी।

(घ) जी हाँ।

(ङ) फिलहाल यह बता पाना संभव नहीं है कि इस खंड को कब तक राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिया जाएगा।

दिल्ली विश्वविद्यालय के चिकित्सा केन्द्र में चिकित्सा अधिकारियों के पद

1294. डॉ॰ अरविन्द कुमार शर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय के चिकित्सा केन्द्र में चिकित्सा पदाधिकारी तथा इससे ऊपर के पदों की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों की संख्या कितनी है;

(ग) आरक्षित श्रेणी के कितने पद इस समय रिक्त पड़े हैं; और

(घ) इन पदों को न भरे जाने के क्या कारण हैं और कब तक इन्हें भरे जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग

1295. श्रीमती मीरा कुमार : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई विकास बैंक और जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी द्वारा दिए गए ऋण और सहायता अनुदान की मदद से बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में आरंभ की गई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिडिबनाम जी. बेंकटरामन): (क) से (ग) ब्यौरे इस प्रकार हैं :

(क) एशियाई विकास बैंक ऋण सहायता

(i) राज्य - उत्तर प्रदेश

परियोजना - राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के हरियाणा सीमा-मथुरा खंड (93-83 से 148.33 कि.मी.) को 4 लेन का बनाना।

ऋण की समाप्ति तारीख - 31 मार्च, 1997

31 मार्च, 1998 तक समय बढ़ाने की मांग की गई है।

प्रगति - लगभग 73%

पूरा करने की नियत तारीख - दिसम्बर, 1997

(ii) राज्य - बिहार

परियोजना - राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के बरवा अड्डा-बराकर खंड (398.75 से 441.44 कि.मी.) को 4 लेन का बनाना।

प्रगति - प्रारंभिक कार्य पूरा कर लिया गया है।

ऋण की समाप्ति तारीख - 31.12.1999

पूरा करने की नियत तारीख - जून, 2000

(ख) जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी

राज्य - दिल्ली

परियोजना - राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर यमुना नदी पर दूसरे निजामुद्दीन पुल का निर्माण।

प्रगति - लगभग 42%

अनुदान सहायता की समाप्ति तारीख - मार्च, 1998

पूरा करने की नियत तारीख - मार्च, 1998

एम.बी.ए. पाठ्यक्रम

1296. श्रीमती जयंवती नवीनचन्द्र मेहता : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम.बी.ए. पाठ्यक्रम चलाने के लिए ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा स्वीकृत कई संस्थाओं में अत्यधिक शुल्क लिए जाने के बावजूद भवन और पुस्तकालय जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और छात्रों के हितों की रक्षा हेतु इन संस्थाओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार सी.ए. और आई.सी.डब्ल्यू.ए. पाठ्यक्रमों की भांति एम.बी.ए. पाठ्यक्रमों को सुचारू बनाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया): (क) से (घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (अ.भा.त.शि.प.) संस्थाओं को एम.बी.ए. पाठ्यक्रम चलाने के लिए अनुमोदन परिषद द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित विनिर्दिष्ट न्यूनतम मानदंडों और मानकों के बारे में सन्तुष्ट होने के बाद प्रदान करती है। परिषद के ध्यान में किसी अनुमोदित संस्थान का ऐसा कोई मामला नहीं लाया गया है जिसके पास मूलभूत सुविधाएं जैसे भवन, पुस्तकालय न हों। कोटि और मानकों में सुधार लाना एक सतत् प्रक्रिया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अपने द्वारा अनुमोदित विभिन्न कार्यक्रमों की गुणवत्ता, मानकों और मानदण्डों की समीक्षा करती है। यह आवश्यक महसूस नहीं किया गया है कि एम.बी.ए. पाठ्यक्रमों के लिए सी.ए. और आई.सी.डब्ल्यू.ए. के पैटर्न का अनुसरण किया जाए।

कोचीन पत्तन का विकास

1297. श्री पी.सी. थामस : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोचीन पत्तन को विकसित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोचीन में कंटेनर टर्मिनल विकसित करने का है, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केरल में बल्लारपदम में कंटेनर टर्मिनल के लिए एक सुपर टर्मिनल बनाने की योजना है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन): (क) जी, हाँ।

(ख) से (ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोचीन पत्तन में निम्नलिखित मुख्य स्कीमें शुरू करने का प्रस्ताव है :-

- पट्टनचैरी व्हार्फ को बदलना।
- जी.एच.डी. बोलघट्टी को बदलना।
- चैनल को 12.8 मी. तक गहरा करना।
- एक 40 टन क्षमता की कन्टेनर हैंडलिंग जैन्ट्रीक्रेन की स्थापना।

इसके अतिरिक्त, एक आधुनिक कन्टेनर टर्मिनल की स्थापना, पाथुवाइपीन में तरल पैट्रोलियम गैस एवं तरल प्राकृतिक गैस टर्मिनल का निर्माण, निम्न व्हार्फ क्षेत्र में एक बहुउद्देश्यीय बर्थ का निर्माण तथा बर्थ क्यू 6 एवं क्यू 7 को कन्टेनर बर्थों में परिवर्तित करने का कार्य निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए अभिनिर्धारित किया गया है। कोचीन पत्तन से (I) कोचीन-बल्लारपदम में संभावित स्थानों पर एक आधुनिक कन्टेनर टर्मिनल (II) मौजूदा राजीव गांधी कन्टेनर टर्मिनल को उन्नत बनाने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन तैयार करने के लिए कहा गया है।

नेहरू युवा केन्द्र

1298. श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़ : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय युवा नीति बनाये जाने के पश्चात् कितने "नेहरू युवा केन्द्र" स्थापित किये गये हैं और कितने गांवों में नेहरू युवा केन्द्र अभी भी नहीं हैं;

(ख) नेहरू युवा केन्द्रों द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं से अभी तक कितने ग्रामीण युवक लाभान्वित हुए हैं;

(ग) इन केन्द्रों की कार्य प्रणली क्या है; और

(घ) वर्ष 1994-95, 1995-96 और चालू वर्ष के दौरान इन केन्द्रों के वार्षिक प्रावधान और व्यय क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) वर्ष 1988 में राष्ट्रीय युवा नीति बनने के बाद 204 नेहरू युवा केन्द्र स्थापित किए गए हैं। जिला स्तर पर केन्द्र खोला जाता है न कि ग्राम-वार। इस समय पूरे देश में नेहरू युवा केन्द्र संगठन के अंतर्गत 500 केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

(ख) जिलों में स्थित नेहरू युवा केन्द्र युवाओं को अभिप्रेरित करने तथा उनको प्रोत्साहन देने के लिए काफी संख्या में कार्यक्रम चलाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस/सप्ताह आदि मनाने जैसे कार्यक्रमों के प्रत्यक्ष लाभग्राही नहीं होते। फिर भी, 1988-89 से 1995-96 की अवधि के लिए ऐसे कार्यक्रमों से संबंधित सूचना निम्नानुसार है जिनमें प्रत्यक्ष लाभग्राही हैं :

कार्यक्रम का नाम	लाभग्राहियों की संख्या
1. व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	5,42,572
2. युवा नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम	2,53,877
3. स्वरोजगार परियोजना में प्रशिक्षण	94,548

(ग) और (घ) नेहरू युवा केन्द्र, राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवकों की मदद से युवा क्लबों की स्थापना का काम करते हैं और ऐसे युवा क्लबों को निचले स्तर पर रचनात्मक कार्य करने के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। वर्ष 1994-95 से 1996-97 के दौरान नेहरू युवा केन्द्र संगठन का वार्षिक बजट प्रावधान तथा व्यय का ब्यौरा निम्नलिखित है :

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय (करोड़ रुपए में)
1994-95	17.14	15.23
1995-96	17.14	17.14
1996-97	17.14	17.14

[हिन्दी]

सेना में भर्ती

1299. श्री एन.जे. राठवा : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसंबर, 1996 के अंतिम पखवाड़े में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में जवानों की भर्ती की गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो कितने युवाओं को सेना के उपयुक्त पाया गया तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का देश के उन जनजातीय/पिछड़े/ग्रामीण क्षेत्रों में तथा विशेषरूप से गुजरात राज्य के छोटा उदयपुर जिले में ऐसा अभियान चलाने का विचार है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू): (क) और (ख) एक भर्ती रैली मैनपुरी में 28.12.1996 से 3.1.1997 तक आयोजित की गई थी। इस रैली के दौरान 3282 उम्मीदवारों की छंटनी की गई थी जिनमें से 47 उम्मीदवारों को 28.2.1997 तक प्रशिक्षण पर भेजे जाने के लिए चुन लिया गया।

(ग) और (घ) मौजूदा नीति के अनुसार देश के आदिवासी/पिछड़े/ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों की भर्ती पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। शाखा भर्ती अफसर भर्ती योग्य पुरुष जनसंख्या पर आधारित रिक्तियों को देखते हुए भर्ती के लिए अपने क्षेत्र के प्रत्येक जिले का आवधिक रूप से दौरा करते हैं।

शाखा भर्ती कार्यालय, अहमदाबाद के कार्य क्षेत्र में गुजरात का छोटा उदयपुर क्षेत्र आता है। भर्ती एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अहमदाबाद शाखा भर्ती अधिकारी ने जुलाई, 1995 में छोटा उदयपुर का भर्ती दौरा किया था और उन्होंने मई, 1997 के दौरान पुनः इस दौरे की योजना बनाई है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि पर पौधे लगाना

1300. श्री मोहन रावले : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के नियमों, निजी कंपनियों तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग की मांग पर सड़क के दोनों ओर बाग लगाने, पौधे लगाने तथा भू-दृश्य विकसित करने के संबंध में अनुमति प्रदान करने हेतु निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में प्रस्तावित शर्तें क्या हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन): (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) सुन्दरता के लिए सड़कों/मध्य सीमाओं/गोल चक्रों के दोनों ओर राष्ट्रीय राजमार्गों की खाली भूमि में बागों/वृक्षारोपण/भू-दृश्यों के विकास और रख-रखाव के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि की एक पट्टी, एक समझौता ज्ञापन के अंतर्गत प्रतिष्ठित संगठनों को आवंटित की जा सकती है। इस स्कीम की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

इस स्कीम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

1. बागों/वृक्षारोपण/भू दृश्यों के विकास और रख-रखाव की पूरी लागत संबंधित एजेंसी द्वारा वहन की जाएगी।

2. राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3. वृक्षों की बिक्री, नर्सरी की स्थापना आदि के जरिए भूमि के किसी प्रकार के व्यावसायिक उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. एजेंसी को अनुमोदित आकार के होर्डिंग पर ही जिससे वाहन चालकों का ध्यान भंग न हो, निशुल्क सेवा का प्रचार करने की अनुमति दी जाएगी।

5. बागों/वृक्षारोपण/भू दृश्यों का विकास और रख-रखाव प्रभारी इंजीनियर की संतुष्टि के अनुसार किया जाएगा और यदि सड़क के विकास अथवा किसी अन्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता होती है तो नोटिस के एक माह के अंदर बिल्कुल साफ स्थिति में राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि खाली कर दी जाएगी।

6. उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि का स्वामित्व सदैव जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के पास रहेगा।

7. समझौता ज्ञापन सामान्यतः 5 वर्ष के लिए वैध होगा। एजेंसी के कार्य निष्पादन और राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पांच वर्ष से आगे के लिए नवीकरण पर विचार किया जाएगा।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय

1301. श्री आई.डी. स्वामी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में किराये के मकानों अथवा सरकारी क्वार्टरों में कितने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय चल रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों को अपने भवनों में चलाने के लिए भवन बनाने हेतु कोई कार्यवाही की है;

(ग) क्या दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के निर्माण हेतु आवंटित भूमि का अतिक्रमण हो रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो ऐसी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करने हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाये गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के 21 औषधालय किराये के भवनों में चल रहे हैं तथा 36 औषधालय सरकारी मकानों में चल रहे हैं।

(ख) जी हाँ। निर्माण कार्य चरणबद्ध रूप से शुरू किया जाता है बशर्ते कि भूमि तथा संसाधन उपलब्ध हों।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली विकास प्राधिकरण/भूमि एवं विकास अधिकारी से तभी भूमि का कब्जा ग्रहण करता है जब कि यह भूमि ऋण भार आदि से मुक्त हो।

[हिन्दी]

बिहार की लंबित सिंचाई परियोजनाएं

1302. श्री आर.एल.पी. वर्मा : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार की कितनी सिंचाई परियोजनाएं अनुमोदन के लिए केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़ी हैं;

(ख) अब तक अनुमोदित की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जो अनुमोदन के लिए लंबित पड़ी हैं; और

(घ) इस संबंध में हुए विलंब के क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) बिहार की चार वृहद और दो मझौली नई सिंचाई परियोजनाएं केन्द्रीय जल आयोग में लम्बित हैं।

(ख) बिहार की 27 वृहद, 68 मझौली और 3 विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण परियोजनाएं 12/96 तक योजना आयोग द्वारा अनुमोदित की गई।

(ग) पुन-पुन मोरहर धरधा, पुनासी जलाशय, सोन नहर आधुनिकीकरण, सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय जलाशय, काटरी जलाशय और कुन्दघाट जलाशय परियोजनाएं केन्द्रीय जल आयोग में अनुमोदन के लिए लम्बित हैं।

(घ) परियोजनाओं की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी तत्परता से केन्द्रीय अभिकरणों की टिप्पणियों का अनुपालन करती है।

[अनुवाद]

राजनयिक द्वारा अवैध तस्करी

1303. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 जनवरी, 1997 के समाचार पत्र "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "इंडियन डिप्लोमेटस रोल सीन इन आर्ट स्मगलिंग" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा इन तथ्यों की पुष्टि की गई है;

(ग) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि राजनयिकों द्वारा भारत से किन्हीं कलाकृतियों/पुरावशोषों की तस्करी न हो, क्या निवारक उपाय किये जा रहे हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, हाँ।

(ख) किसी भारतीय राजनयिक के लिप्त होने का कोई सबूत नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राजनयिकों के असबाबों का निर्यात और आयात राजनयिक संबंधों पर वियना अभिसमय के उपबंधों के द्वारा शासित होता है जिसमें ऐसी किसी वस्तु के संबंध में छूट की व्यवस्था नहीं है जिसका निर्यात-आयात कानून द्वारा प्रतिबंधित है। इसलिए कोई भी राजनयिक जो कानून द्वारा प्रतिबंधित किसी सामान की तस्करी का प्रयास करता है तो वह राजनयिक निकायों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत अन्वेषण और निरोधात्मक प्रक्रियाओं द्वारा शासित होगा। संगीत कानूनों का क्रियान्वयन संबद्ध राज्य के सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

मध्य प्रदेश में एक्सप्रैस वे

1304. श्री सुशील चन्द्र : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में देवास तथा इन्दौर के बीच ''एक्सप्रैस वे'' के निर्माण की अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) इस ''एक्सप्रैस वे'' पर कितनी लागत आने का अनुमान है तथा राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार का इसमें कितना-कितना हिस्सा होगा;

(ग) क्या भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन): (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

एक्यूपंक्चर प्रणाली

1305. श्री अमर राय प्रधान : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक्यूपंचर को चिकित्सा प्रणाली के रूप में मान्यता देने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त किया है;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन हेतु सरकार ने कितने अनुरोध प्राप्त किये हैं और उनमें से प्रत्येक पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) सरकार का विचार ''पश्चिम बंगाल एक्यूपंक्चर चिकित्सा प्रणाली विधेयक, 1996'' की तरह कोई विधान प्रस्तुत कर एक्यूपंक्चर को एक चिकित्सा प्रणाली की मान्यता देने का है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कन्याकुमारी-मैसूर राष्ट्रीय राजमार्ग

1306. श्री टी. गोविन्दन : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कन्याकुमारी से मैसूर तक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रूस द्वारा निर्मित हथियार

1307. श्री राम नाईक : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय रक्षा बल के पास उपलब्ध रूस (सोवियत संघ) निर्मित हथियारों और अन्य हार्डवेयर की जानकारी है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इन हथियारों और हार्डवेयर के कलपुर्जे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इन कल पुर्जों को भारत में निर्मित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू): (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने रूस के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें रूस ने भारत को रक्षा उपस्करों से संबंधित मदों/अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों, उत्पाद सहायता तथा रख-रखाव/मरम्मत, संपूर्ण मरम्मत व आधुनिकीकरण के लिए अपेक्षित व्यापक सेवाएं देने की गारंटी दी है। पूर्व सोवियत संघ के विघटन के बाद सरकार रूस तथा पूर्व

सोवियत संघ के सभी उत्तरवर्ती राज्यों के साथ रक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए उनके साथ संपर्क स्थापित करने की नीति भी अपनाती आ रही है।

साथ ही, सरकार देश की रक्षा संबंधी सभी आवश्यकताओं को पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए अन्य स्रोतों से रक्षा सामान आयात करते रहने और देश में ही उत्पादन सुविधाओं को सुदृढ़ करने के उपाय भी कर रही है।

[अनुवाद]

सिक्किम में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31

1308. श्री भीम प्रसाद धाडाल : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सिक्किम से गंगटोक तक एक वैकल्पिक राजमार्ग का निर्माण करने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है; और

(घ) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31-क केन्द्रीय लोक निर्माण को सौंपने का कोई प्रस्ताव है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन): (क) से (ग) सिक्किम सरकार ने सिक्किम से सिलिगुड़ी तक, वाया सिंगला बाजार, एक वैकल्पिक मार्ग के लिए अनुरोध किया है। सिलिगुड़ी-सिंगला बाजार सड़क, जो पश्चिम बंगाल में आती है के सुधार कार्य को नौवीं योजना के अंतर्गत आर्थिक और अंतर-राज्यीय महत्त्व की स्कीम में शामिल किया जा सकता है। बशर्ते धनराशि उपलब्ध हो।

(घ) रा.रा. 31 क, सीमा सड़क संगठन के नियंत्रण में है और इस रा.रा. को के.लो.नि.वि. को सौंपे जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

बरेली-अमीन गांव के बीच सड़क

1309. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1963 में बरेली (उत्तर प्रदेश) से अमीन गांव (असम) के बीच 1600 कि.मी. लम्बी समानान्तर सड़क निर्माण की योजना बनाई गई थी और इसका अनुमोदन विभिन्न चरणों में किया गया था;

(ख) क्या इसकी 205 कि.मी. लम्बी दरभंगा-फारबिसगंज लुप्त कड़ी जो इस समानान्तर सड़क का ही एक भाग है, का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है जिसके बिना समानान्तर सड़क की अवधारणा भी अपूर्ण है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सड़क के निर्माण हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन): (क) जी, हाँ।

(ख) जी, नहीं। दरभंगा-फारबिसंगज खंड इस परियोजना का हिस्सा कभी भी नहीं था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एन.सी.सी. संगठन में परिवर्तन

1310. श्री नारायण अठावले : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एन.सी.सी. संगठन के उन्नयन और विस्तार आदि की दृष्टि से इसके ढांचे और प्रशिक्षण में समग्र परिवर्तन लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान ढांचे का ब्यौरा क्या है और इस संगठन की राज्यवार क्षेत्राधिकार तथा प्रस्तावित विस्तार योजना क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) से (ग) देश में राष्ट्रीय कैडेट कोर महानिदेशालय, नई दिल्ली की कमान और नियंत्रण में 16 निदेशालय, 91 ग्रुप मुख्यालय और 754 यूनिटें हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर यूनिटों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर की कार्य-प्रणाली की समीक्षा करने के लिए सरकार रक्षा मंत्रालय में अपर सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर रही है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	यूनिटों की संख्या	जिलों की कुल संख्या	जिलों की संख्या जिसमे राष्ट्रीय कैडेट कोर हैं
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	57	23	23
2.	बिहार	43	55	55

1	2	3	4	5
3.	दिल्ली	18	09	09
4.	गुजरात	35	19	19
5.	जम्मू तथा कश्मीर	09	14	14
6.	कर्नाटक	49	20	20
7.	गोवा	03	01	01
8.	केरल	38	14	14
9.	मध्य प्रदेश	51	45	45
10.	महाराष्ट्र	59	31	31
11.	असम	26	23	23
12.	अरुणाचल प्रदेश	01	11	11
13.	मणिपुर	03	08	06
14.	मेघालय	04	07	07
15.	मिजोरम	01	03	02
16.	नागालैंड	04	07	06
17.	त्रिपुरा	03	03	03
18.	उड़ीसा	23	30	30
19.	पंजाब	29	17	17
20.	हरियाणा	17	12	12
21.	हिमाचल प्रदेश	12	12	12
22.	राजस्थान	35	30	30
23.	तमिलनाडु	51	29	29
24.	उत्तर प्रदेश	122	68	66
25.	पश्चिम बंगाल	50	18	18
26.	सिक्किम	-	04	04
संघ शासित राज्य				
1.	चंडीगढ़	04	01	01
2.	दीव तथा दमन	-	02	01
3.	दादर और नागर हवेली	-	01	01
4.	लक्षद्वीप	-	01	01
5.	पांडिचेरी	05	04	04
6.	अंडमान तथा निकोबार	02	02	02

रक्षा बलों में भर्ती

1311. श्री केशव मघन्त : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष असम से तीनों सेनाओं में की गई भर्ती का स्कंध वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ अन्य राज्यों की तुलना में असम में कम भर्ती की गई;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) असम के भर्ती केन्द्रों के नाम क्या हैं और उपर्युक्त अवधि के दौरान इन भर्ती केन्द्रों द्वारा स्कंध वार की गई भर्ती का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इन केन्द्रों में भर्ती के दौरान हुई अनियमितताओं की जानकारी है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रक्षा सेनाओं में असम से की गई भर्ती का ब्यौरा इस प्रकार है:

सेना	
1993-94	771
1994-95	1135
1995-96	2157
नौसेना	
1994	6
1995	5
1996	10
वायुसेना	
1994	17
1995	34
1996	36

(ख) और (ग) सेना के मामले में असम की भर्ती योग्य पुरूष जनसंख्या के अनुपात में भर्ती की जाती है जैसा कि देश के बाकी हिस्सों में होता है। तथापि, असम की भर्ती योग्य पुरूष जनसंख्या के संबंध में वहां भर्ती में कमी है। इस कमी के मुख्यतः ये कारण हैं कि वहां के अभ्यर्थियों को शैक्षिक तथा शारीरिक मानदंड में छूट दिए जाने के बावजूद वे शैक्षिक तथा शारीरिक मानदंड पूरे नहीं करते हैं।

नौसेना व वायुसेना के मामले में कुछ अन्य राज्यों की तुलना में असम में भर्ती की दर कम है क्योंकि भर्ती के लिए पात्र युवक बहुत कम आते हैं।

(घ) ब्यौरा इस प्रकार है :

सेना

भर्ती करने वाली एजेंसी का नाम	रंगरूटों की संख्या		
	1993-94	1994-95	1995-96
1. शाखा भर्ती कार्यालय, जोरहाट	163	260	564
2. शाखा भर्ती कार्यालय, नारंगी	230	216	418
3. शाखा भर्ती कार्यालय, सिल्चर	209	201	565
4. 58 जी.टी.सी., शिलांग	22	12	23
5. असम रेजिमेंट केंद्र, शिलांग	54	146	76

6. उपर्युक्त आंकड़ों के अतिरिक्त अन्य रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्रों ने भी भर्ती योग्य पुरूष जनसंख्या के राज्य के हिस्से के अनुसार असम से अखिल भारतीय स्तर पर भी सभी श्रेणियों की रिक्तियों में भी भर्ती की है।

नौसेना

नौसेना भर्ती : उपर्युक्त (क) के अनुसार

केंद्र, गुवाहाटी वही

वायुसेना

असम तथा अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए भर्ती व्यवस्था करने के वास्ते गुवाहाटी स्थित वायुसैनिक चयन केंद्र	1994-58 1995-52 1996-60

(ङ) उपर्युक्त केंद्रों में किसी तरह की अनियमितताओं के बारे में कोई जानकारी सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

समवर्ती सूची में खेलकूद विषय को शामिल करना

1312. श्री जयसिंह चौहान : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोलह राज्य सरकारें खेलकूद विषय को संविधान की समवर्ती सूची में शामिल किए जाने पर सहमत हो गयी हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) खेलकूद विषय को समवर्ती सूची में शामिल किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्रीय बजट की कितनी प्रतिशत धनराशि खेलकूद को बढ़ावा देने तथा राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर युवा प्रतिभाओ को प्रोत्साहन देने पर व्यय की जाती है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई): (क) जी, हाँ।

(ख) निम्नलिखित राज्यों ने प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान की थी :

1. बिहार
2. केरल
3. मेघालय
4. गोवा
5. सिक्किम
6. नागालैण्ड
7. उत्तर प्रदेश
8. अरूणाचल प्रदेश
9. मिजोरम
10. त्रिपुरा
11. हरियाणा
12. महाराष्ट्र
13. उड़ीसा
14. हिमाचल प्रदेश
15. मध्य प्रदेश
16. मणिपुर

(ग) भारत के संविधान की समवर्ती सूची में खेलों को शामिल करने से राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार समूचे देश में खेलकूद को बढ़ावा देने तथा विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के खेल संघों सहित सभी सम्बद्ध अभिकरणों के प्रभावी कार्यकरण का समन्वय करने में सक्रिय रूप से भाग ले सकेगी।

(घ) वर्ष 1996-97 के बजट अनुमानों के अनुसार, कुल केन्द्रीय बजट का लगभग 0.36 प्रतिशत हिस्सा खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए रखा गया है।

नेपाल में भारतीय मूल के अध्यापक

1313. श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मूल के अध्यापक नेपाल में अध्यापन कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी संख्या कितनी है और वे कौन-कौन से विषय पढ़ाते हैं;

(ग) क्या भारत और नेपाल के बीच 1990 में भारतीय और नेपाली मूल के अध्यापकों को एक समान सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई समझौता हुआ था;

(घ) यदि हाँ, तो क्या नेपाल सरकार इस समझौते के विपरीत भारतीय मूल के अध्यापकों को नौकरी से हटाने के प्रयास कर रही है;

(ङ) यदि हाँ, तो क्या भारत सरकार ने इस संबध में अब तक कोई कदम उठाया है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुडी राम सैकिया): (क) जी, हाँ।

(ख) यह समझा जाता है कि नेपाल में भारतीय राष्ट्रीयता के लगभग 100 कॉलेज प्राध्यापक और हजारों स्कूल अध्यापक हैं जिनमें 37 काठमाण्डू स्थित केन्द्रीय विद्यालय के हैं। केन्द्रीय विद्यालय में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, भौतिक, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, संगीत, ड्राइंग, शारीरिक शिक्षा, एस.यू.पी.डब्ल्यू. इत्यादि विषय पढ़ाए जाते हैं। अन्य अध्यापकों द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषयों का ब्यौरा इस विभाग द्वारा नहीं रखा जाता हैं।

(ग) जून, 1990 में यह समझौता हुआ था कि जहां तक रोजगार के निबंधनों और शर्तों का सम्बन्ध है, वे नेपाल में नियोजित भारतीय नागरिकों के लिए वहीं होंगी जो नेपाली नागरिकों के लिए हैं।

(घ) से (च) केन्द्रीय विद्यालयों के कर्मचारियों पर नेपाल सरकार की कोई अधिकारिता/नियंत्रण नहीं है। अन्य भारतीय शिक्षकों को अभी तक स्थाई दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। इस मामले को नेपाल की महामहिम सरकार के साथ कई बार उठाया गया है जिसमें नेपाल के विदेश मंत्री की अगस्त, 1996 में भारत यात्रा के अवसर पर और काठमाण्डू में भारत के राजदूत द्वारा उठाया गया मामला शामिल है।

चम्पावत में नवोदय विद्यालय

1314. श्री बची सिंह रावत "बचदा" : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में चम्पावत में नवोदय विद्यालय स्थापित करने हेतु स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस विद्यालय के इसी शैक्षिक सत्र में कार्य करने के लिए कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुडी राम सैकिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय जलमार्ग सं० 1 और 2

1315. डॉ० अरुण कुमार शर्मा : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या एक और दो की कुल नौगम्य लम्बाई कितनी है और उनमें से प्रत्येक में कितने-कितने बंदरगाह विकसित किए गए हैं;

(ख) इन जलमार्गों पर कितने और किस-किस श्रेणी के पोत चलते हैं;

(ग) इनमें से प्रत्येक जलमार्ग से कीचड़ निकालने के लिए कितने निकर्षण पोत कार्य कर रहे हैं;

(घ) इनमें से प्रत्येक जलमार्ग पर निकर्षण कार्य तथा नौभार व्यवस्था की तुलाई सुदृढ़ करने हेतु क्या भावी योजना बनाई गई है;

(ङ) राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 को पूर्णतः नौगम्य बनाने हेतु नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या कदम उठाए गए हैं और इस हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(च) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि के आबंटन का अनुमान है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन): (क) राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक (रा.ज.-1) की कुल नौचालन योग्य लम्बाई 1620 कि.मी. और राष्ट्रीय जलमार्ग-2 की कुल नौचालन योग्य लम्बाई 891 कि.मी. है। रा.ज.-1 पर हल्दिया, कलकत्ता, पाकुर और फरक्का में नदी टर्मिनल हैं। भागलपुर, मुंगेर और पटना में अस्थायी फलोटिंग टर्मिनलों की व्यवस्था की जाती है। रा.ज.-2 पर धुबरी, जोगीघोपा और पांडु में फलोटिंग टर्मिनल हैं।

(ख) रा.ज.-1 पर के.अ.ज.परि. निगम हल्दिया और कलकत्ता के बीच पी.ओ.एल. और सामान्य कार्गो जलयानों का प्रचालन करता है। हल्दिया और कलकत्ता/फरक्का के बीच निजी प्रचालक भी प्रचालन करते हैं। भा.अ.ज. प्राधिकरण प्रायोगिक आधार पर रा.ज.-1 में अपने कार्गो जलयानों का प्रचालन कर रहा है। के.अ.ज.परि. निगम रा.ज.-2 में सामान्य कार्गो जलयानों और बड़े आकार के कार्गो जलयानों का प्रचालन करता है। इसके अतिरिक्त, असम अंतर्देशीय जल परिवहन निदेशालय भी कार्गो और यात्री जलयानों का प्रचालन करता है।

(ग) रा.ज.-1 पर भा.अ.ज. प्राधिकरण के दो कटर सक्शन ड्रेजर प्रचालन में है। रा.ज.-2 में कोई भी ड्रेजर प्रचालन में नहीं है।

(घ) रा.ज.-1 में एक पुराने कटर सक्शन ड्रेजर को बदलने और एक नया कटर सक्शन ड्रेजर और दो जल इंजेक्शन ड्रेजर शामिल करने की योजना है।

रा.ज.-2 में बंडालिंग कार्य की पूर्ति के लिए एक कटर सक्शन ड्रेजर और दो जल इंजेक्शन ड्रेजर उलब्ध कराने की योजना है जिससे सैदिया तक 2 मी. की न्यूनतम उपलब्ध गहराई की व्यवस्था की जाएगी।

(ङ) धुबरी और डिब्रूगढ़ के बीच नदी संरक्षण कार्य अर्थात् बंडालिंग, दिन के लिए चैनल चिन्हांकन, जलराशिक सर्वेक्षण किए जाते हैं। डिब्रूगढ़-सैदिया खंड में बारह सर्वेक्षण किए गए। धुबरी, जोगीघोपा, तेजपुर, नीमती और डिब्रूगढ़ में फलोटिंग टर्मिनलों की स्थापना/उन्नयन का कार्य किया जा रहा है। चालू वित्त वर्ष के दौरान रा.ज.-2 के लिए 2.20 करोड़ रु० आबंटित किए गए।

(च) 9वीं पंचवर्षीय योजना के लिए रा.ज.-2 हेतु परियोजना निधियां 110 करोड़ रु० हैं जैसा कि नीचे दिया गया है:

(करोड़ रु०)

नाव्य जलपथ का विकास	53.00
टर्मिनल	29.00
नौचालन सुविधाएं	10.00
संगठन	5.00
अन्य	13.00
जोड़	110.00

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का खोला जाना

1316. श्री शान्तिलाल पुरषोत्तम दास:
श्री विनशा पटेल:
श्री विजय पटेल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 8वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान देश में कुल कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोल गए हैं;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान गुजरात में कुल कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्रसूति केन्द्र खोले गए हैं और किन-किन स्थानों पर खोले गए हैं; और

(ग) 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में विशेषरूप से गुजरात में ऐसे कितने केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश में 1135 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए हैं।

(ख) इस अवधि के दौरान गुजरात में खोले गए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 46 है। चूंकि यह राज्य का विषय है इसलिए केन्द्र ऐसे केन्द्रों के स्थानों के विवरण नहीं रखता। प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या को तीन स्तरीय प्रणाली ग्रामीण/शहरी परिवार कल्याण

केन्द्रों, शहरी स्वास्थ्य पोस्टों तथा विभिन्न अस्पतालों के माध्यम से गुजरात समेत देश में मातृ परिचर्या सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात समेत देश में खाले जाने वाले प्रस्तावित स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या तथा इस प्रयोजन के लिए आंवटित किए जाने वाले धन की मात्रा के बारे में निर्णय नहीं लिया गया है।

कोलम बाईपास

1317. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास कोलम बाई पास चरण-II के आकलन संबंधी प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लम्बित हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कार्य कब तक शुरू किए जाने तथा पूरा होने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन): (क) से (ग) कोल्लम बाईपास के लिए अनुमान दिसम्बर, 1996 में प्राप्त हो चुका है और कार्यों की परस्पर प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन नौंवी योजना के दौरान इस पर विचार किया जा सकता है।

गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार

1318. श्री विजय पटेल: क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात सरकार से कलकत्ता-नागपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 तथा गुजरात में धूले-सूरत-हजिरा को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के विस्तार हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान धन उपलब्ध नहीं होने के कारण इस प्रस्ताव को कार्यान्वित नहीं किया जा सका;

(ग) यदि हाँ, तो क्या इस प्रस्ताव पर वर्ष 1997-98 में विचार किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन): (क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ।

(ग) और (घ) निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन प्रस्ताव पर अगली योजना में विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

वायु सेना भर्ती परीक्षा

1319. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना मुख्यालय में कुछ समय पूर्व वायुसेना में भर्ती हेतु परीक्षा ली गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यही परीक्षा बिहटा में इस समय ली जा रही है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या बिहटा में उम्मीदवारों को कोई सुविधाएं प्रदान नहीं की गई है;

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा पटना के शहरी क्षेत्र में भर्ती परीक्षा करवाने का विचार है;

(ङ) यदि हाँ, तो कब तक और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) और (ख) जी, हाँ।

(ग) बिहटा में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(घ) से (च) यदि राज्य सरकार अपने खर्च पर निम्नलिखित सुवधिाएं उपलब्ध कराए तो पटना में चयन परीक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं :-

(1) परीक्षा भवन जिसमें कम-से-कम 300 उम्मीदवारों के बैठने के लिए कुर्सियों आदि की व्यवस्था हो।

(2) डाक्टरी जांच के लिए कम-से-कम चार कमरों की व्यवस्था, जिनमें प्रत्येक कमरे में दो मेज-कुर्सियां उपलब्ध हों।

(3) भीड़ नियंत्रित करने के लिए सिविल पुलिस की व्यवस्था।

(4) परीक्षाओं की तारीख से कम-से-कम चार महीने पहले उपर्युक्त सुविधाएं उपलब्ध करने की पुष्टि करना और यह वचन देना कि सुविधाएं अंतिम समय तक बनी रहेंगी।

[अनुवाद]

गोवा में जुआरी पुल

1320. श्री चर्चिल अलेमाओ : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा में जुआरी पुल कब बनाया गया था;

(ख) इस पुल के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि प्रदान की गई थी; तथा इसमें से कितनी धनराशि राज्य सरकार द्वारा वापस की गई है तथा कितनी धनराशि वापस की जानी है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने उक्त पुल पर पथकर की वसूली बंद कर दी है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार का राज्य सरकार से शेष धनराशि किस प्रकार वसूल किए जाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन): (क) और (ख) भारत सरकार ने जुआरी पुल के निर्माण के लिए 719.4 लाख रु0 की स्वीकृति दी थी और उसे 14.4.83 से यातायात के लिए खोल दिया गया है। 19.9.83 से 31.12.96 तक पथकर के रूप में 4,82,32,719/- रुपये की वसूली की गई है। शेष राशि अभी वसूल की जानी है।

(ग) जी, हाँ।

(घ) गोवा सरकार ने निदेशों के अनुसार 1 जनवरी, 97 से पथकर की वसूली बन्द कर दी गई। राज्य सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार पथकर की वूसली पुनः आरंभ करने की सलाह दी गई है।

रूसी पोतों की खरीद

1321. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 फरवरी, 1997 के समाचार-पत्र "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "इंडिया मेकिंग एफर्ट्स टू बाई रसियन शिप्स" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इन पोतों को प्राप्त करने हेतु किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) और (ख) जी, हाँ। भारतीय नौसेना पोत विक्रांत, जिसे 31 जनवरी, 1997 को सेवा से हटा दिया गया है; के स्थान पर एक वायुयान वाहक पोत खरीदने का विचार है।

नेताजी से संबंधित ऐतिहासिक दस्तावेज

1322. श्री तारिक अनवर :
प्रो॰ ओमपाल सिंह "निडर" :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के अमर सपूत सुभाष चन्द्र बोस (नेताजी) जिन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों और अनूठी संगठन क्षमता से अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया था, के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित सभी सामग्री और पाण्डुलिपियों को उपेक्षित कर दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई): (क) से (ग) जी, नहीं। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार इस विषय पर विभिन्न स्रोतों अर्थात् गैर-सरकारी व्यक्तियों, एजेंसियों, सरकारी संगठनों और विदेशी संग्रहालयों से माइक्रोफिल्म के रूप में दस्तावेजों का अधिग्रहण करता रहा है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने मूल दस्तावेजों/पत्रों की प्रतियां, एलबम, समाचार पत्र "आजाद हिन्द" और "वायसिस ऑफ इंडिया" नेताजी के रिकार्ड किए गए भाषणों के कैसेट श्रीमती प्रतिमा सेनगुप्ता (कलकत्ता), श्री जयसिंह (हिसार) श्री आर. कृष्णन नायर (अट्टिंगल) टाटा आयरन एण्ड स्टील (जमशेदपुर), अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (नई दिल्ली), विदेश मंत्रालय और शिक्षा विभाग से अधिगृहीत किए हैं। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने नेताजी से संबंधित कागजात ओरिएंटल इंस्ट्यूट प्राग, चैकोस्लोवाकिया से भी प्राप्त किए हैं।

भंगुर कला वस्तुएं

1323. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दुर्लभ तथा भंगुर कला वस्तुओं को देश के बाहर भेजे जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में किसी समिति का गठन किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस समिति के कौन-कौन से सदस्य हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई): (क) से (घ) नीति के रूप में, सरकार दुर्लभ और भंगुर कला-कृतियों को देश से बाहर भेजने की अनुमति नहीं देती है। तथापि, दुर्लभ और भंगुर कलाकृतियों सहित कलाकृतियों की प्रदर्शनियों को बाहर भेजने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए भारत सरकार ने संस्कृति विभाग में सचिव (संस्कृति) की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालय समिति स्थापित की है। समिति की वर्तमान संरचना निम्न है :

सचिव (संस्कृति) - अध्यक्ष
संस्कृति विभाग के दो संयुक्त सचिव

विदेश मंत्रालय के संबंधित
संयुक्त सचिव

महानिदेशक
राष्ट्रीय संग्रहालय

महानिदेशक,
भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्

महानिदेशक,
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर प्रदर्शनियों के रूप में विदेश भेजे जाने वाली कलाकृतियों की, राष्ट्रीय छानबीन और मूल्यांकन समिति द्वारा, छानबीन और उनका मूल्यांकन किया जाता है। समिति की संरचना संलग्न विवरण में दी गई है। यह समिति एक-एक कलाकृति की जांच करती है और भारत सरकार द्वारा बनाये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार, विदेश भेजने के लिए कृतियों को स्वीकृति प्रदान करती है। तथापि, कला-कृतियों को विदेश भेजने के संबंध में अंतिम निर्णय भारत सरकार का है।

विवरण

प्रदर्शनियों के लिए विदेश भेजी जाने वाली कलाकृतियों की छानबीन और मूल्यांकन के लिए गठित राष्ट्रीय छानबीन और मूल्यांकन समिति की संरचना:

1. डा॰ एम.सी. जोशी, अध्यक्ष
   पूर्व महानिदेशक,
   भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

2. महानिदेशक, सदस्य (पदेन)
   भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण,
   नई दिल्ली

3. महानिदेशक, सदस्य (पदेन)
   राष्ट्रीय संग्रहालय,
   नई दिल्ली

4. निदेशक, सदस्य (पदेन)
   प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम्स आफ
   वेस्टर्न इंडिया, मुम्बई

5. निदेशक, सदस्य (पदेन)
   सरकारी संग्रहालय
   एग्मोर, मद्रास

*6. भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि, सदस्य (पदेन)
   नई दिल्ली,

*7. आसूचना ब्यूरो के प्रतिनिधि, सदस्य (पदेन)
   नई दिल्ली,

*8. राजस्व विभाग के प्रतिनिधि, सदस्य (पदेन)
   नई दिल्ली,

*9. निदेशक, सदस्य-सचिव
   पुरालेख,
   भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण,
   नई दिल्ली,

* उपरोक्त (6), (7) और (8) को रत्न और जवाहरात के चयन के संबंध में शामिल किया जाएगा।

भारतीय स्वतंत्रता समारोह के लिए कार्य योजना

1324. श्री प्रमोद महाजन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 जनवरी, 1997 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" नई दिल्ली में भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्ष मनाने संबंधी कार्य योजना के कार्यान्वयन में विलंब के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) प्रत्येक मंत्रालय/विभाग, जिसे इस समारोह को एक यादगार घटना बनाने का कार्य सौंपा गया है, ने क्या योगदान किया है और इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(घ) इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई और अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ङ) सरकार का इन कार्यक्रमों को किस प्रकार पूरा करने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्बई): (क) जी, हाँ।

(ख) से (ङ) भारत की स्वाधीनता के 50 वर्ष मनाने संबंधी समारोहों की योजना बनाने एवं उन्हें आयोजित करने की दृष्टि से भारत सरकार ने पहले ही तीन समितियां अर्थात् एक राष्ट्रीय समिति, एक मंत्रिमंडल समिति और एक कार्यान्वयन समिति गठित की है।

प्रधानमंत्री ने इस अवसर के महत्व के अनुसार विशिष्ट एवं उपयुक्त योजनाओं एवं कार्यक्रमों का निरूपण करने के लिए सभी कैबिनेट मंत्रियों और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों को पत्र भी लिखे हैं। कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष, मानव संसाधन विकास मंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपालों/उप-राज्यपालों को भी लिखा है, जिसमें समारोहों की योजना बनाने और उन्हें आयोजित करने के लिए राज्य/संघ राज्य स्तरीय समितियों की स्थापना हेतु अनुरोध किया है।

तीनों समितियों की सहायता करने तथा समारोह संबंधी विभिन्न कार्यकलापों के अनुवीक्षण और समन्वय के लिए एक सचिवालय की स्थापना की जा रही है।

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से एक विज्ञापन हाल में जारी किया गया है जिसमें इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आम जनता से विचार और सुझाव आमंत्रित किये गये हैं कि भारत की जनता को यह तय करना चाहिए कि वे किस तरह भारत की स्वाधीनता की 50वीं वर्षगांठ का स्मरणोत्सव आयोजित करना चाहते हैं।

कार्यान्वयन समिति जो, स्मरणोत्सव संबंधी समारोहों और कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए मूलतः उत्तरदायी है, की प्रथम बैठक 6 नवंबर, 1996 को हुई। कार्यान्वयन समिति पुनर्गठित कर ली गयी है और इसकी बैठक 5 मार्च, 1997 को होने जा रही है।

चूंकि, कार्यान्वयन समिति विभिन्न विषयों और विभिन्न स्वतंत्र संगठनों से प्राप्त व्यापक परिदृश्य के प्रस्तावों पर विचार करेगी, उनका परीक्षण विषय-विशेषज्ञों, व्यावसायिकों और प्रासंगिक क्षेत्रों में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा। विभिन्न विषयों पर सलाहकार समूह भी स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे, जो कार्यान्वयन समिति को अपना सुझाव देंगे। औपचारिक समारोहों पर सलाहकार समूह की बैठक दिनांक 1 मार्च, 1997 को हुई है। अन्य कलाकार समूहों की इसी प्रकार की बैठकें समारोह को सफल बनाने के एक एकमात्र उद्देश्य से उनके सुझाव प्राप्त करने हेतु आयोजित की जा रही है।

कुल 51 करोड़ रुपये की राशि संस्वीकृत की गयी है, जिसमें से 20 करोड़ रुपये राष्ट्रीय समारोहों के लिए 25 करोड़ रुपये राज्य सरकारों के लिए और 6 करोड़ रुपये अन्य व्यय के लिए हैं।

पूर्ण साक्षरता अभियान

1325. श्री के. प्रधानी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिसूचित जिलों में भी पूर्ण साक्षरता अभियान शुरू किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो विभिन्न राज्यों के अधिसूचित क्षेत्रों में इस अभियान के अन्तर्गत शामिल किये गये कौन-कौन से क्षेत्र हैं;

(ग) आठवीं योजना के दौरान इन योजनाओं के लिए कितना लक्ष्य रखा गया है; और

(घ) अधिसूचित क्षेत्रों में इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) और (ख) जी, हाँ। भारत के संविधान में अनुसूचित क्षेत्रों के तौर पर विनिर्दिष्ट जिलों में पूर्ण साक्षरता अभियानों के अन्तर्गत राज्यवार शामिल किए गए क्षेत्र निम्नानुसार हैं:

(लाख में)

राज्य	शामिल किए गए शिक्षार्थी
आन्ध्र प्रदेश	41.77
बिहार	11.66
गुजरात	14.05
हिमाचल प्रदेश	1.26
मध्य प्रदेश	75.16
महाराष्ट्र	35.63
उड़ीसा	44.50
राजस्थान	20.62

15-35 आयु वर्ग में निरक्षर जनसंख्या को सम्मिलित करते हुए जिले के संपूर्ण क्षेत्र में पूर्ण साक्षरता अभियान आरम्भ किए गए।

(ग) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, जिसका लक्ष्य वर्ष 1995 के अंत तक पूर्ण साक्षरता अभियानों के अन्तर्गत 345 जिलों को सम्मिलित करना था, ने सम्पूर्ण देश में अब तक 423 जिलों को शामिल किया है।

(घ) साक्षरता कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने तथा उसमें सुधार लाने के लिए उठाए गए कुछ कदम निम्नवत् हैं:

(i) राज्य सरकारों ने पूर्ण साक्षरता अभियानों के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं किए गए जिलों के लिए समयबद्ध कार्य-योजना तैयार करने का निवेदन किया है।

(ii) साक्षरता अभियानों में संलग्न स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए पुनः प्रशिक्षण तथा प्रबोधन शिविरों और उनके प्रयासों को मान्यता तथा सराहना प्रदान करने के माध्यम से उपाय आरम्भ किए गए।

(iii) साक्षरता अभियानों के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं को और गहनता से सम्मिलित किया जायेगा।

(iv) साक्षरता कार्यक्रमों तथा अन्य विकास कार्यक्रमों जैसे स्वास्थ्य कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, डी.डब्ल्यू. ए.सी.आर.ए. इत्यादि के बीच पुनः संपर्क स्थापित करने पर बल दिया गया।

(v) राज्य साक्षरता मिशनों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को विकेन्द्रीकरण तथा प्राधिकार का प्रत्यायोजन किया गया है।

(vi) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा अनुवीक्षण और मूल्यांकन पद्धतियों के पुनर्गठन तथा सुदृढ़ीकरण हेतु तैयार किए गए दिशा-निर्देश। राज्य प्रौढ़ शिक्षा निदेशालयों द्वारा साक्षरता कार्यक्रमों का सावधानीपूर्वक अनुवीक्षण।

(vii) कार्यान्वयन में कमियों के निर्धारण और समय पर सुधारात्मक उपाय आरम्भ करने के लिए साक्षरता कार्यक्रम के समवर्ती मूल्यांकन तीव्रता से किया जा रहा है।

(viii) उन परियोजनाओं के नवीकरण और उन्हें पुनः सक्रिय करने के लिए आपरेशन पुनः स्थापन (रीस्टोरेशन) जिन्हें विभिन्न अपरिहार्य कारणों से निष्क्रिय कर दिया गया था।

नेताजी राष्ट्रीय स्मारक

1326. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार उड़िया बाजार/कटक स्थित नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के मकान को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का है;

(ख यदि, हाँ तो 'नेताजी सेवा सदन' के रूप में विख्यात इस मकान के उचित संरक्षण हेतु क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

शिक्षा का विकेन्द्रीकरण

1327. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने जिला स्तर, उप-जिला स्तर और ग्राम स्तर पर शिक्षा का विकेन्द्रीकरण करने के लिए कोई दिशा-निर्देश तैयार किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुडी राम सैकिया) : (क) से (ग) जी, हाँ 73वें तथा 74वें संविधान संशोधनों के अनुसरण में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) समिति द्वारा जिला, उप-जिला और ग्राम स्तरों पर शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबंधन पर दिशा निर्देश तैयार किए। संक्षेप में सिफारिशों की सूची संलग्न विवरण में है। 15 फरवरी, 1994 को नई दिल्ली में हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में समिति की रिपोर्ट का समर्थन किया गया। रिपोर्ट राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को इस आशय से भेज दी गई है कि वे अपनी विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इसमें समुचित परिवर्तन करके कारगर ढंग से लागू करें।

विवरण

शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबंध पर गठित केब समिति की मुख्य सिफारिशें

1. पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के स्तरों पर अलग से शिक्षा समितियां गठित की जाएं।

2. पंचायत स्थाई समिति अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत प्रारंभिक शिशु देखरेख और शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण करेगी। यह पंचायत समिति से प्रत्यायोजित अधिकारों के अंतर्गत संयुक्त प्राथमिक स्कूलों का भी पर्यवेक्षण करेगी।

3. पंचायत समिति की शिक्षा संबंध स्थाई समिति जिला परिषद के समग्र पर्यवेक्षण के अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा प्रारंभिक शिशु देखरेख और शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक स्तर के पंचायती राज निकायों के स्कूलों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगी।

4. जिला परिषद की शिक्षा संबंधी स्थाई समिति के अधिकारों में शामिल होगा सरकार के दिशा-निर्देशों के अधीन स्टाफ की भर्ती और नियुक्ति करना तथा वेतन के भुगतान करने के साथ माध्यमिक स्तर तक के स्कूलों की स्थापना करना तथा उनका रखरखाव करना। माध्यमिक स्तर तक के सभी विद्यमान स्कूलों को जिला परिषद के नियंत्रणाधीन किया जाएगा। भविष्य में राज्य क्षेत्र में सभी माध्यमिक स्कूल केवल जिला परिषद द्वारा स्थापित किए जाएंगे। समिति सरकार के नियमों के अधीन सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए अनुदानों की भी व्यवस्था करेगी। यह माध्यमिक स्कूलों तक के प्राइवेट स्कूल सहित सभी स्कूलों का शैक्षिक पर्यवेक्षण भी करेगी।

5. नगरपालिका क्षेत्रों के सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों को उनके स्टाफ समेत अलग-अलग नगर पालिकाओं को हस्तांतरित किया जा सकता है। स्टाफ की भर्ती को छोड़कर वे स्टाफ पर नियंत्रण रखेंगे। स्टाफ की भर्ती राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ नमोदिष्ट संगठन करेगा।

6. इन निकायों को जो संस्थाएं हस्तांतरित की गई हैं उनके प्रबंधन के लिए राज्य सरकार इन्हें पर्याप्त अनुदान के साथ-साथ विकास अनुदान भी उपलब्ध कर सकती है।

7. राज्य सरकार या राज्य स्तरीय एक उपयुक्त निकाय समग्र रूप में पर्यवेक्षण करेगा तथा शेष बचे अधिकार इसके पास रहेंगे।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालय और व्यावसायिक शिक्षा का गैर-सरकारीकरण

1328. श्री मुख्तार अनीस : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विश्वविद्यालय और व्यावसायिक शिक्षा का गैर-सरकारीकरण करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या देश में विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थाओं को स्वयं अथवा गैर-सरकारी विश्वविद्यालयों के साथ कार्य करने की अनुमति दी जायेगी;

(ग) यदि हाँ, तो क्या गैर-सरकारी विश्वविद्यालयों को अपने कर्मचारी रखने तथा छात्रों के दाखिले से संबंधित अपनी नीति बनाने की अनुमति दी जाएगी; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) से (घ) निजीकरण, सरकार के अधीन विद्यमान संस्थानों या उद्यमों के संबंध में नियंत्रण का पूर्ण या आंशिक रूप से निजी दलों की ओर स्थानांतरण की ओर संकेत करता है। निजीकरण को सहारा देने का सरकार का कोई विचार नहीं है। देश में विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए एक विशिष्ट या सामान्य अधिकार देने वाला विधान बनाने की आवश्यकता है। निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियम) विधेयक, 1995 राज्य सभा में विचार-विमर्श हेतु लम्बित पड़ा है। किसी भी मामले में विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ निजी विश्वविद्यालयों के सहयोग के लिए विधेयक में अधिकार प्रदान करने वाला कोई सामान्य प्रावधान नहीं है। देश में विदेशी विश्वविद्यालयों के कार्यों को विनियमित किए जाने वाले सामान्य मामले पर सरकार ध्यान दे रही है।

भारत-जापान अध्ययन समिति

1329. श्री नामदेव दिवाथे : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-जापान अध्ययन समिति पुनर्गठित की गयी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान समिति की मुख्य उपलब्धियां क्या रही हैं तथा भारत-जापान आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ करने हेतु कौन-कौन सी मुख्य परियोजनाएं शुरू की जायेंगी;

(घ) क्या भारत-जापान अध्ययन समिति के चैयरमैन ने सरकार से यह आग्रह किया है कि भारत की विदेश नीति को भू-आर्थिक दिशा प्रदान कर जापान के साथ राजनीतिक समीकरण बढ़ाए जाएं;

(ङ) यदि हाँ, तो समिति की टिप्पणियों तथा सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इन सिफारिशों पर की गयी कार्रवाई की स्थिति क्या है;

(छ) क्या अन्य मुख्य देशों के साथ सामाजिक-आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ बनाने के लिए इसी तरह की अध्ययन समिति भी गठित किए जाने का विचार है; और

(ज) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) भारत-जापान अध्ययन समिति का पुनर्गठन किया गया है। भारत-जापान अध्ययन समिति में शामिल मौजूदा सदस्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) भारत-जापान अध्ययन समिति दोनों देशों के बीच आपसी हित के आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मसलों और सद्भावना और सहयोग को सुविधाजनक बनाने सहित व्यापक विषयों पर विचारों के आदान-प्रदान को संवर्धित करती है। हरियाणा में एक औद्योगिक मॉडल टाउन की स्थापना करने का प्रस्ताव समिति के दोनों पक्षों के बीच कार्यकलाप के फलस्वरूप ही आया है। इस प्रस्ताव पर अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) और (ङ) अध्यक्ष, भारत-जापान अध्ययन समिति ने जापान की विदेशी नीति के संदर्भ में भारत की विदेश नीति के संबंध में कोई विशिष्ट सिफारिशें नहीं की हैं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) और (ज) इस समय इस प्रकार के कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

विवरण

भारत-जापान अध्ययन समिति

भारत समिति

डा० जी. थिम्मईया, अध्यक्ष,
सदस्य, योजना आयोग।

श्री सलमान हैदर,
विदेश सचिव, भारत सरकार।

श्री रतन टाटा, अध्यक्ष,
टाटा इन्ड्रस्ट्रीज लि०

श्री अर्जुन असरानी,
जापान में भारत के पूर्व राजदूत

श्री शिखर दत्ता, अध्यक्ष,
भारतीय उद्योग परिसंघ

श्री दीपक पारेख, अध्यक्ष,
आवास विकास वित्त निगम।

श्रीमती देवकी जैन,
अवैतनिक सलाहकार, राष्ट्रीय महिला आयोग

प्रो० सी.एन.आर. राव, अध्यक्ष,
उच्च वैज्ञानिक जवाहर लाल नेहरू केन्द्र

सलाहकार (आई. एण्ड एम.), सदस्य सचिव
योजना आयोग।

जापान समिति

श्री टी. कायफू, माननीय अध्यक्ष,
पूर्व प्रधानमंत्री, जापान

श्री आयजीरो नाडा, अध्यक्ष
भारत में जापान के पूर्व राजदूत

सुश्री काई नाकाने, निदेशक,
शिबूसावा फांउडेशन फार इकोलोजिकल स्टडीज

श्री मिनोरू ओडा, अध्यक्ष,
भौतिक और रसायन, अनुसंधान संस्थान

श्री केंजी योशीजावा,
बैंक ऑफ जापान के उपाध्यक्ष

श्री एस. ताकेटोमी, प्रबंध निदेशक,
द इन्डस्ट्रीयल बैंक ऑफ जापान लि०

श्री टोशियो यासानोउची
कार्यकारी सलाहकार, ओकारा एण्ड कं० लि०

श्री कियोइची सुजुकी, वरिष्ठ कार्यकारी,
प्रबंध निदेशक, मिटसूई एण्ड कं० लि०

श्री हिसाया नारा, अध्यक्ष,
मित्सुबीशी इकोरिसर्च इन्स्टीच्यूट

श्री योशी ओनोबूई सुई, सदस्य
सचिव

जम्मू और कश्मीर को स्वायत्तता

1330. श्री चमन लाल गुप्त : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री, डॉ॰ फारूख अब्दुल्ला ने 2 फरवरी, 1997 को दिल्ली में अमरीकी अन्डर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कुमारी राबिन राफेल के साथ बैठक की थी तथा प्रैस रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने जम्मू और कश्मीर राज्य को स्वयत्तता के मामले पर विचार-विमर्श किया; और

(ख) यदि हाँ, तो मुख्यमंत्री द्वारा विदेशी राजनयिक के साथ इस संवेदनशील मामले पर चर्चा करने पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल): (क) दक्षिण एशियाई मामलों से संबद्ध अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी सुश्री राबिन राफेल ने 2 फरवरी, 1997 को जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। उस बैठक में भारत में अमरीकी राजदूत भी उपस्थिति थे। मुख्यमंत्री ने राज्य में आम चुनाव के बाद की स्थिति की समीक्षा की और उन्होंने प्रशासन को पुनः सक्रिय बनाने और राज्य के आर्थिक और सामाजिक आधारभूत संरचना के पुनर्निर्माण में सरकार द्वारा किए गए प्रयत्नों पर विशेष रूप से बल दिया। इस समीक्षा के एक भाग के रूप में, भारतीय संविधान की सीमाओं के अन्तर्गत स्वायत्तता के प्रश्न पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने यह बताया कि डा॰ कर्ण सिंह के नेतृत्व में गठित समिति इस मामले की जाँच कर रही है। ताकि राज्य की जनसंख्या के सभी वर्गों के विचारों को शामिल किया जा सके।

(ख) अमरीका सहित, अन्य देशों से यात्रा पर आने वाले वरिष्ठ अधिकारीगण अपनी भारत यात्रा के दौरान मुख्यमंत्रियों और राज्यपालो से नेमी तौर पर मुलाकात करते हैं। जम्मू और कश्मीर राज्य में विकास कार्यों की समीक्षा करने की योजनाओं के संबंध में मुख्यमंत्री और अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी के बीच हुई यह वार्ता सामान्य प्रकृति की थी।

रेशम कीट

1331. श्री के.एच. मुनियप्पा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विज्ञान संस्थान (आई.आई.एस.) बंगलौर हार्मोन और टीकों के निर्माण में रेशम कीटों को उपयोग कर रहा है;

(ख) क्या इस तरह तैयार किये गये रेशम कीट महत्वपूर्ण जीवाणुओं के निर्माण में मुख्य कारक की भूमिका निभा सकते हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुडी राम सैकिया) : (क) से (ग) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलोर ने रेशम कीटों के जरिए हार्मोनों को उत्पन्न किया है और वह इस समय वैक्सीन कैन्डीडेट प्रोटीन के संश्लेषण पर कार्य कर रहा है। रेशम कीटों को यदि उपर्युक्त दशाओं में मानवीकृत कर दिया जाए तो वे एक ''प्राकृतिक बायोरिएक्टर्स'' के रूप में कार्य कर सकते हैं। पशु कोशिका जीवाणु समूहों के माध्यम से रिकम्बिनेंट डी.एन.ए. विधि का उपयोग करके जीवाणुओं को उत्पन्न किया गया है और एक बार रिकम्बिनेण्ट वाइरस पैदा हो जाने पर, रेशम कीट डिम्भक इल्ली का उपयोग जीवाणुओं को उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है।

[हिन्दी]

पोतों की मरम्मत और रखरखाव

1332. श्री के.डी. सुल्तानपुरी : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिपयार्डों में कितनी नौकाएं और पोत बेकार पड़े हुए हैं और उनका विनिर्माण किस वर्ष किया गया था; और

(ख) कार्यशालाओं में मरम्मत के लिए रखे जा रहे ऐसे पोतों की संख्या पिछले छह माह से कितनी है तथा उनके फालतू कलपुर्जों तथा रखरखाव पर कितनी राशि व्यय की जा रही है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

खिलाड़ियों का कल्याण

1333. श्री देवी बक्स सिंह :
डॉ॰ रमेश चन्द तोमर:
श्री राधा मोहन सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा, राष्ट्रीय खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों के कल्याण हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या सरकार इन खिलाड़ियों को रोजगार/स्वरोजगार के लिये सहायता प्रदान करती है; और

(ग) यदि हाँ, तो लाभान्वित खिलाड़ियों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई) : (क) सरकार ''खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष'' की योजना कार्यान्वित कर रही है जिसके अन्तर्गत उन उत्कृष्ट खिलाड़ियों अथवा उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो निर्धन परिस्थितियों में रह रहे हैं।

(ख) और (ग) यद्यपि स्वरोजगार के लिए कोई भी सहायता नहीं दी जाती है, फिर भी निर्धारित प्रक्रिया/नियमों में छूट देकर भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग/संस्थानों में समूह ''ग'' और ''घ'' के पदों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों द्वारा 5 प्रतिशत तक रिक्त स्थानों को भरा जा सकता है। ऐसे सभी संगठनों में लाभ प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या का ब्यौरा संकलित नहीं किया जाता है।

[अनुवाद]

आस्ट्रेलियाई टीम

1334. श्री दिलीप संघानी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम 1998 में देश के दौरे के दौरान दिल्ली शहर में अत्यधिक प्रदूषण के कारण यहां कोई भी मैच नहीं चाहती।

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय क्रिकेट संघ ने केन्द्र सरकार को कहा है कि कुछ ऐसे उपाय किए जाएं कि दिल्ली में भी मैच खेला जा सके; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई): (क) और (ख) यह सत्य है कि आस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को देश में फरवरी-अप्रैल, 1998 के दौरान खेलना है। किंतु भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड को दिल्ली शहर में अत्यधिक प्रदूषण के कारण यहां कोई भी मैच न खेलने के बारे में आस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड से आज तक की स्थिति के अनुसार कोई भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

यूनानी तथा होम्योपैथिक महाविद्यालय

1335. श्री गुलाम रसूल कार : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में ऐसे यूनानी तथा होम्यापैथिक महाविद्यालयों की संख्या क्या है जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): आई.एम.सी.सी. अधिनियम, 1970 और एच.सी.सी. अधिनियम, 1973 के अनुसार केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद और केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद भारत में किसी विश्वविद्यालय, बोर्ड अथवा चिकित्सीय संस्था द्वारा प्रदान की गई यूनानी और होम्योपैथी पद्धति की चिकित्सीय अर्हताओं की मान्यता को और संबंधित अधिनियमों को अनुसूची-II में शामिल करने के लिए केन्द्र सरकार से सिफारिश करती है। इन दो अधिनियमों के अनुसार यूनानी और होम्योपैथी कॉलेजों को मान्यता देने का कोई प्रावधान नहीं है।

भागीरथ परियोजना हेतु सहायता

1336. श्री एन. रामकृष्ण रेड्डी :
डॉ॰ एम. जगन्नाथ :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा भागीरथ नदी जल परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने हेतु एक प्रस्ताव फरवरी, 1996 में प्रस्तुत किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना से आन्ध्र प्रदेश के कौन-कौन से जिले लाभान्वित होंगे; और

(घ) इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान किए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

ताईवान के साथ संयुक्त उद्यम

1337. श्री रामेश्वर पाटीदार: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताईवान ने भारत में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के संबंध में रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1996 के दौरान स्वीकृत किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों में कुल कितना निवेश किया गया है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) जनवरी-अक्टूबर, 1996 की अवधि के भारत-निवेश केन्द्र के आंकड़ों के अनुसार विद्युत उपकरण, औद्योगिक मशीनरी, कम्प्यूटर, धागे, परिवहन और ग्रेनाइट सहित भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी सहयोग के 10 ताईवानी प्रस्ताव अनुमोदित किए हैं जिनमें 67.38 मिलियन रुपए की इक्विटी भागीदारी शामिल है।

परिवर्द्धित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत कर्नाटक को सहायता

1338. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1996-97 के दौरान कर्नाटक की उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें परिवर्तित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) क्या यह सही है कि सरकार ने केवल पचास प्रतिशत धनराशि जारी की है और शेष पचास प्रतिशत मात्र पुनर्भुगतान के रूप में जारी की जाएगी;

(ग) यदि हाँ, तो क्या कर्नाटक सरकार ने शेष पचास प्रतिशत धनराशि के पुनर्भुगतान की मांग की है; और

(घ) यदि हाँ, तो यदि सरकार द्वारा धनराशि का पुनर्भुगतान किया गया है तो वह राशि कितनी है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 के दौरान तीन परियोजनाओं नामतः अपर कृष्णा परियोजना (स्टेज-I, चरण-III) मालप्रभा तथा हीरहल्ला को केन्द्रीय ऋण सहायता उपलब्ध कराई गई।

(ख) जी, हाँ। राज्य सरकार को इन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत की गई केन्द्रीय ऋण सहायता के 50 प्रतिशत की पहली किश्त जारी कर दी गई है। केन्द्रीय ऋण सहायता का शेष 50% भाग किए गए व्यय की अदायगी के रूप में 25% की प्रत्येक की दो किश्तों में जारी किया जाना है।

(ग) और (घ) कर्नाटक सरकार ने उपर्युक्त उल्लिखित परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता की दूसरी किश्त जारी करने के लिए अनुरोध किया है तथापि, कर्नाटक सरकार को अब तक कोई भी धनराशि जारी नहीं की गई है क्योंकि परियोजना पर खर्च किया गया व्यय केन्द्रीय ऋण सहायता की दूसरी किश्त की अदायगी के लिए उपर्युक्त नहीं पाया गया।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य संबंधी देखभाल

1339. श्री आनंद रत्न मौर्य : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोगों विशेष रूप से गरीब लोगों तथा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों की स्वास्थ्य रक्षा संबंधी आवश्यकता के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है/करवाने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस उद्देश्य हेतु चिकित्सकों की आवश्यकता है तथा निःशुल्क आपूर्ति हेतु कितनी मात्रा में वार्षिक रूप से औषधियों की आवश्यकता है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस कमी को पूरा करने के लिए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कनिष्ठ चिकित्सकों को तैनात करने तथा दवाइयों का उत्पादन करने तथा सभी की स्वास्थ्य रक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) और (ख) सामाजिक सुरक्षा नेट योजना के अन्तर्गत जनांकिकीय रूप से पिछड़े 90 जिलों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर पर सुविधा सर्वेक्षण वर्ष 1993 में किया गया जिसमें उत्तर प्रदेश के 32 जिलों, मध्य प्रदेश और राजस्थान के तेईस-तेईस जिलों, बिहार में 5 जिलों, पश्चिम बंगाल तथा गुजरात में दो-दो जिलों और हरियाणा, केरल और उड़ीसा में एक-एक जिले को कवर किया गया है।

(ग) और (घ) 30.5.1995 को उपलब्ध सूचना के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टरों की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

चूंकि यह राज्य का विषय है इसलिए राज्य सरकार द्वारा निजी बजट के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को औषधियों की आपूर्ति की जाती है। केन्द्र राज्य सरकार को औषधियों के लिए प्रतिवर्ष प्रति उपकेन्द्र 2000 रुपये प्रदान करता है।

(ङ) औषधियों की पर्याप्त आपूर्ति को सुनिश्चित करने तथा इस कमी पर काबू पाने के लिए संविदा के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी डॉक्टरों की रिक्तियां भरने के लिए केन्द्र राज्य सरकारों को सुझाव देता रहा है।

विवरण

विभिन्न स्तरों पर डॉक्टरों की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

	अपेक्षित	मंजूर	कार्यरत	रिक्त	कमी
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में					
चिकित्सा अधिकारी	21854	32074	26930	5150	2378
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में					
शल्य चिकित्सक	2424	1365	738	528	1585
प्रसूति रोग विज्ञानी एवं स्त्री रोग विज्ञानी	2424	1150	588	562	1835
चिकित्सक	2424	1131	545	486	1883
बाल रोग विज्ञानी	2424	858	525	332	1898

[अनुवाद]

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट

1340. लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी:
डॉ॰ लक्ष्मी नारायण पांडेय:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही की संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट के अनुसार भारत कुछेक उन देशों में से एक है जहां मरूभूमि का सबसे अधिक विस्तार हो रहा है;

(ख) क्या प्रतिवेदन के अनुसार भारत 2025 ई0 तक जल अभावग्रस्त देश हो जाएगा;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस स्थिति का मुकाबला करने हेतु सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) जी, हाँ।

(ग) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यू.एन.ई.पी.) की ग्लोबल एनवायरॉनमेंट आउटलुक (जी.ई.ओ.) रिपोर्ट 1977 के अनुसार, चीन, अफगानिस्तान, मंगोलिया, पाकिस्तान और भारत में सबसे अधिक रेगिस्तान बन रहा है। भारत का नाम उन देशों में है जिन्हें 2025 ईस्वी तक जल विपत्ति वाले देश बताया गया है जबकि ताजे जल की उपलब्धता 1,000 क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष से कम हो जाने की संभावना है।

(घ) जल की भावी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विभिन्न नीति और कार्यक्रम शुरू किये हैं। इनमें राष्ट्रीय जल नीति (1987) अपनाना, जल अधिशेष वाले बेसिनों से जलाभाव वाले बेसिनों की जल के अंतरण के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तैयार करना, विभिन्न उद्देश्यों के लिए जल के कुशल एवं मितव्ययी प्रयोग को बढ़ाना, केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास का कार्यान्वयन और रेगिस्तान विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) द्वारा जल संसाधनों का संरक्षण और उनमें बढ़ोत्तरी शामिल है।

लाइफ लाइन अस्पताल योजना

1341. श्री शिवराज सिंह :
श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "लाइफ लाइन अस्पताल योजना" के अनुरूप एक नई योजना शुरू किए जाने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को किन-किन राज्यों में क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

विदेश में स्थित भारतीय मिशनों में कर्मचारी

1342. श्री गोरधनभाई जावीया : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न देशों में आज तक राजदूतावास-वार तथा मिशन वार कितने कर्मचारी तैनात हैं; और

(ख) मंत्रालय द्वारा अपने कर्मचारियों को देश के बाहर तथा भारत में तैनात करने के संबंध में क्या मानदंड अपनाए गए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) विदेश मंत्रालय के अन्तर्गत भारत आस्थानी और स्थानीय कर्मचारीवृन्द को शामिल करते हुए विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केन्द्रों में अद्यतन अनुमोदित संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। स्थानांतरणों, अल्पावधिक रिक्त स्थानों और अन्य कारणों की वजह से किसी विशिष्ट तारीख से इन पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों की वास्तविक संख्या और अनुमोदित संख्या में भिन्नता हो सकती है।

(ख) विदेश स्थित मिशनों में तथा भारत में विदेश मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों में कर्मचारियों की तैनाती उनकी संगत वरीयता उपयुक्तता और कार्य के विशिष्ट अनुभव के आधार पर तथा क्रमिकता के सिद्धान्त को ध्यान में रखकर की जाती है।

विवरण

विदेश स्थित कार्यरत मिशनों/केन्द्रों में अनुमोदित पद संख्या का विवरण

क्र. सं.	मिशन/विशेष मिशन	स्वीकृत पद संख्या
1	2	3
1.	आबिदजान	12
2.	आबूधाबी	48
3.	अकारा	34
4.	आदिस अबाबा	27
5.	अलजीयर्स	22
6.	अलमाती	24
7.	अमान	16
8.	अंकारा	26
9.	अंतनानारिवो	18
10.	अशगाबात	17
11.	एथेंस	18
12.	बगदाद	46
13.	बहरीन	34
14.	बैंकाक	61
15.	बीजिंग	57
16.	बेलत	26
17.	बेलग्रेड	22
18.	बर्न	32
19.	बिरकेक	19
20.	बोगोटा	16
21.	बॉन	62
22.	ब्रासीलिया	21
23.	ब्रातीस्लावा	11
24.	ब्रूनी	19
25.	ब्रसल्स	43
26.	बुखारेस्ट	19
27.	बुडापेस्ट	19
28.	ब्यूनस आयरस	17
29.	काहिरा	62
30.	कैनबरा	23
31.	काराकस	13
32.	कोलम्बो	185
33.	कोपनहेगन	17
34.	डकस	16
35.	दमिश्क	42
36.	दार-ए-सलाम	30
37.	ढाका	134
38.	दोहा	35
39.	डबलिन	13
40.	दुशांबे	17

1	2	3
41.	गैबरोन	15
42.	जेनेवा (भारत का स्थायी मिशन)	47
43.	जार्जटाउन	17
44.	हनोई	28
45.	हरारे	22
46.	हवाना	16
47.	हेलसिंकी	10
48.	इस्लामाबाद	111
49.	जकार्ता	50
50.	कम्पाला	20
51.	काठमांडू	209
52.	खार्तूम	23
53.	कीव	25
54.	किंगस्टन	9
55.	कुआलालम्पुर	70
56.	कुवैत	62
57.	लागोस	32
58.	लीमा	15
59.	लिस्बन	14
60.	लंदन	188
61.	लुआंडा	15
62.	लुसाका	26
63.	मैडरिड	20
64.	माहे	11
65.	माले	22
66.	माल्टा	5
67.	मनीला	21
68.	मपूतो	17
69.	मैक्सिको सिटी	22
70.	मिंस्क	20
71.	मास्को	93
72.	मस्कत	43
73.	नैरोबी	59
74.	न्यू यार्क (पी.एम.आई.)	60
75.	निकोसिया	13
76.	ओसलो	14
77.	ओटावा	34
78.	ओगादोगु	2
79.	पनामा	13
80.	पारामारिबो	12
81.	पेरिस [पी.डी.आई. (यूनेस्को सहित)]	80
82.	नोम पेन्ह	13
83.	पोर्ट लुई	41
84.	पोर्ट मोर्सबी	11
85.	पोर्ट ऑफ स्पेन	24
86.	प्राग	27
87.	प्रीटोरिया	26
88.	प्योंगयोंग	10
89.	रबात	18
90.	रियात	67

1	2	3
91.	रोम	43
92.	साना	19
93.	सान्तियागो	15
94.	सियोल	27
95.	सिंगापुर	50
96.	सोफिया	15
97.	स्टाक होम	25
98.	ताशकंद	29
99.	तेहरान	64
100.	तेल अबीव	31
101.	दी हेग	29
102.	थिम्पू	37
103.	टोकियो	64
104.	त्रिपोली	25
105.	ट्यूनिस	16
106.	उलन बटोर	12
107.	वियना	28
108.	वियन्ताने	12
109.	वार्सा	27
110.	वाशिंगटन	99
111.	वेलिंगटन	10
112.	विंडहोक	14
113.	यांगोन	54
114.	जगरेब	7
115.	बर्लिन	17
116.	बर्मिंघम	15
117.	केपटाउन	3
118.	चियांगमाई	6
119.	शिकागो	25
120.	चित्तगांव	20
121.	दुबई	61
122.	दर्बन	25
123.	फ्रेंकफर्ट	29
124.	गाजा	4
125.	जेनेवा	2
126.	गलासगो	13
127.	हैम्बर्ग	11
128.	हो चि मिन्ह सिटी	12
129.	हांगकांग	43
130.	ह्यूस्टन	17
131.	इस्तंबल	13
132.	जद्दाह	59
133.	जोहांसबर्ग	19
134.	कैंडी	41
135.	मेडन	9
136.	मिलान	10
137.	मौंबासा	7
138.	न्यूयार्क	58
139.	ओडेसा	8
140.	ओसाका-कोबे	11

1	2	3
141.	फुंटशोलिंग	7
142.	पोर्ट सईद	7
143.	राजशाही	15
144.	सैन फ्रांसिस्को	36
145.	साओ पाउलो	8
146.	संघाई	11
147.	शीराज	8
148.	सेंट डेनिस	6
149.	सैंट पीट्सबर्ग	17
150.	सिडनी	24
151.	टोरंटो	28
152.	वेनकूवर	21
153.	व्लादीवोस्तोक	13
154.	जाहिदान	8
155.	जंजीबार	9
	योग	4703

कश्मीर का मुद्दा

1343. श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर मुद्दे पर विदेशों में हमारा प्रचार उतना प्रभावी नहीं रहा जितना पाकिस्तान का;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा विशेषकर मुस्लिम देशों को कश्मीर मुद्दे के संबंध में प्रभावित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में विदेशों में कोई शिष्टमंडल भेजे गए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या विचार-विमर्श किया गया तथा उसके क्या परिणाम रहे ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार ने केवल इस प्रयोजनार्थ कोई शिष्टमण्डल नहीं भेजा है। किन्तु विदेश जाने वाले अधिकांश सरकारी शिष्टमण्डल आपसी हित के अन्य मसलों पर चर्चा करने के अतिरिक्त अपने विदेशी संभाषियों को कश्मीर के बारे में जानकारी देने के अवसर का सदुपयोग करते हैं। ये शिष्टमण्डल जन-संचार माध्यमों सहित, संबद्ध सरकारों और अन्य व्यक्तियों तथा संगठनों को जो कश्मीर के मामले पर तथ्यात्मक स्थिति पर दृष्टिकोण तैयार करते हैं तथा निर्णयों को प्रभावित करते हैं, जानकारी देते हैं तथा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकवाद का ब्यौरा देते हैं और राज्य में आधारभूत स्थिति की यथार्थता की जानकारी देते हैं। भारत सरकार की स्थिति, हमारी पारदर्शी नीति तथा यह सुनिश्चित करने में हमारी दृढ़ता की सराहना हुई कि जम्मू और कश्मीर के लोग एक धर्मनिरपेक्ष प्रतिनिधात्मक लोकतान्त्रिक राज्य-व्यवस्था का लाभ उठाने में सक्षम हैं तथा चुनाव आयोजित करने की भी ताकि राज्य के लोगों की अपने द्वारा निर्वाचित सरकार हो।

राष्ट्रीय राजमार्गों हेतु भूमि अधिग्रहण

1344. डॉ॰ रामकृष्ण कुसमरिया : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु भूमि के शीघ्र अधिग्रहण को सुविधाजनक बनाने के लिए हाल ही में कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु भूमि के तत्काल अधिग्रहण को सुकर बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 को संशोधित करने के प्रयोजन से 24.1.1997 को राष्ट्रीय राजमार्ग विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1997 प्रख्यापित किया जा चुका है। नए अधिनियम में यह प्रावधान है कि केन्द्र सरकार जब यह घोषणा कर देती है कि अमुक भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास हेतु सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अपेक्षित है, तब वह भूमि सरकार के अधिकार में आ जाएगी और केवल मुआवजे के रूप में दी जाने वाली राशि के बारे में माध्यस्थम के जरिए, यदि कोई विवाद हो, उसका निपटान किया जा सकता है।

[हिन्दी]

गुजरात में पत्तनों पर बुनियादी सुविधाएं

1345. श्री काशीराम राणा : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा गत दो वर्षों के दौरान गुजरात में किसी भी पत्तन का विकास नहीं किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार गुजरात में विभिन्न पत्तनों पर बुनियादी सुविधाएं विकसित करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन): (क) और (ख) जी, नहीं। गुजरात में कांडला ही एकमात्र महापत्तन है। सरकार ने कांडला पत्तन न्यास के विकास हेतु पिछले दो वर्षों में आठवें कार्गो बर्थ का निर्माण, चौथी तेल जैट्टी, 2 आभासी जैट्टियों और मै॰ इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि० द्वारा एक आबद्ध जैट्टी संबंधी मुख्य स्कीमों को संस्वीकृति प्रदान की गई है।

(ग) और (घ) जी हाँ। कांडला पत्तन के विकास हेतु नौवीं पंचवर्षीय योजना में इन मुख्य स्कीमों का प्रस्ताव है :

(i) एम.डी. कच्छ वल्लभ को बदलना;

(ii) गुजरात में वाडीनार पर बहुउद्देश्यीय बर्थ और आधारभूत सुविधाओं का विकास; और

(iii) नौवें तथा दसवें कार्गो बर्थ का निर्माण। जहां तक गुजरात में लघु पत्तनों के विकास का संबंध है, इसकी जिम्मेदारी गुजरात सरकार की है।

केन्द्रीय विद्यालयों में विशेष छूट के आधार पर प्रवेश

1346. श्री राधा मोहन सिंह:
श्री शान्तिलाल पुरषोत्तमदास पटेल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1996 में एक नीतिगत निर्णय लिया गया था कि केन्द्रीय विद्यालयों में विशेष छूट के आधार पर दिए जाने वाले प्रवेश की प्रतिशत गत वर्ष नियमित आधार पर दिए गए कुल प्रवेशों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस प्रकार के प्रवेश को विनियमित किए जाने हेतु समिति गठित की गयी है और कोई दिशा-निर्देश तैयार किये गये हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) से (घ) सितम्बर, 1996 में यह निर्णय लिया गया था कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में इस आशय का एक शपथ-पत्र दायर किया जाए कि विशेष छूट देकर प्रवेश देने को विनियमित करने के लिए नियम एक समिति के जरिए बनाए जाएंगे। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने शपथ-पत्र दायर कर दिया है और मामला न्यायालय के समक्ष है।

[अनुवाद]

शैक्षिक संस्थाएं

1347. श्री पी. आर. दासमुंशी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में स्थापित किए गए डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलीटैक्निक्स तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की राज्यवार संख्या क्या है; और

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने संस्थान स्थापित किए जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) और (ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा 31 दिसम्बर, 1996 की स्थिति के अनुसार यथा अनुमोदित डिग्री स्तर के इंजीनियरी कॉलेजों तथा पालिटेकनिकों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है। इनमें वे संस्थाएं भी शामिल हैं जो पहले केवल राज्य सरकारों के अनुमोदन से विद्यमान थीं और बाद में जिन्हें अ.भा.त.शि.प. द्वारा अनुमोदित किया गया था। 31 जुलाई, 1996 की स्थिति के अनुसार राज्यवार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/आई.आई.सी. की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है। नौवीं योजना के दौरान संस्थाओं की संख्या राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर निर्भर करती है जो जन-शक्ति आवश्यकताओं और उनकी सकल व्यवहार्यता पर आधारित है।

विवरण-I

31.12.1996 की स्थिति के अनुसार

क्षेत्र	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	इंजीनियरी कॉलेजों की संख्या	पालिटेकनिकों की संख्या
1	2	3	4
केन्द्रीय	1. मध्य प्रदेश	22	49
	2. उड़ीसा	9	23

1	2	3	4
पूर्व	1. मेघालय	-	2
	2. अंडमान और निकोबार	1	2
	3. पश्चिम बंगाल	13	41
	4. असम	3	9
	5. मणिपुर	-	3
	6. मिजोरम	-	1
	7. नागालैंड	-	1
	8. त्रिपुरा	1	1
	9. सिक्किम	1	-
उत्तर	1. बिहार	16	37
	2. उत्तर प्रदेश	31	107
उत्तर	1. चण्डीगढ़	3	3
पश्चिम	2. हरियाणा	16	30
	3. जम्मू और कश्मीर	8	12
	4. नई दिल्ली	6	25
	5. पंजाब	14	36
	6. राजस्थान	9	27
	7. हिमाचल प्रदेश	1	7
दक्षिण	1. आंध्र प्रदेश	34	82
	2. पांडिचेरी	1	4
	3. तमिलनाडु	90	161
दक्षिण	1. कर्नाटक	51	179
पश्चिम	2. केरल	19	43
पश्चिम	1. गुजरात	16	35
	2. महाराष्ट्र	106	157
	3. गोवा	1	6
	4. दमन और दीव	-	1
	कुल जोड़	472	1084

विवरण-II

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आई.टी.आई./आई.आई.सी. की कुल संख्या
1	2	3
	उत्तरी क्षेत्र	
1.	हरियाणा	114
2.	हिमांचल प्रदेश	33
3.	जम्मू और कश्मीर	37
4.	पंजाब	113
5.	राजस्थान	72
6.	उत्तर प्रदेश	307
7.	चण्डीगढ़	3
8.	दिल्ली	44
	दक्षिण क्षेत्र	
1.	आन्ध्र प्रदेश	437
2.	कर्नाटक	236
3.	केरल	381
4.	तमिलनाडु	474
5.	लक्षद्वीप	1
6.	पाण्डिचेरी	9
	पूर्वी क्षेत्र	
1.	अरूणाचल प्रदेश	2
2.	असम	26
3.	बिहार	45
4.	मणिपुर	6
5.	मेघालय	7
6.	मिजोरम	1
7.	नागालैंड	3
8.	उड़ीसा	71
9.	सिक्किम	1
10.	त्रिपुरा	3
11.	पश्चिम बंगाल	59
12.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1
	पश्चिम क्षेत्र	
1.	गोवा	17
2.	गुजरात	175
3.	मध्य प्रदेश	92
4.	महाराष्ट्र	310
5.	दादरा और नगर हवेली	1
6.	दमन और दीव	2
	कुल जोड़	3083

अधिशेष जल में राजस्थान का हिस्से का दावा

1348. श्री परसराम मेघवाल : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान गंगा के अधिशेष जल में अपने हिस्से की मांग करता रहा है जिसे राजस्थान के सूखे क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जा सकता है;

(ख) क्या 23 दिसम्बर, 1993 को हुई अधिकारी स्तर पर बैठक में यह बात सामने आयी थी कि बाढ़ के पानी को राजस्थान को देने की सम्भावना के अध्ययन क्षेत्र संबंधी समझौते की रूपरेखा तैयार करने के लिए तीन माह के भीतर अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग के स्तर पर अधिकारियों की तकनीकी बैठक आयोजित करने की आवश्यकता है;

(ग) क्या उक्त अध्ययन पूरा कर लिया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या इसकी प्रति बेसिन राज्यों को भेज दी गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के विचार-विमर्श हेतु उक्त अध्ययन की प्रति कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हाँ। राजस्थान अपने राज्य के सूखे क्षेत्रों में प्रयोग करने के लिए गंगा से हरिद्वार के आगे से बाढ़ के जल के 1133 क्यूबिक मीटर प्रति सैकेंड (क्यूमेक) और बिजनौर के आगे से बाढ़ के जल के 566 क्यूमेक जल डायवर्शन के लिए कहता रहा है।

(ख) 23 दिसम्बर, 1992 को हुई आधिकारिक स्तर की बैठक में यह सामने आया कि राजस्थान को गंगा का बाढ़ का जल डायवर्शन करने की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए सीमाओं/प्राचलों पर करार करने के उद्देश्य से तीन माह के अंदर अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग स्तर पर अधिकारियों की तकनीकी बैठक आयोजित करने की जरूरत है।

(ग) जी नहीं। केन्द्रीय जल आयोग (सी.डब्ल्यू.सी.) द्वारा उपर्युक्त समीक्षा अध्ययन पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग को अपेक्षित आंकड़े नहीं भेजे।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) केन्द्रीय जल आयोग अपेक्षित आंकड़ों को शीघ्र भेजने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ इस मामले को बार-बार उठाता रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार से व्यापक आंकड़े उपलब्ध होते ही केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अध्ययन शुरू कर दिया जाएगा और बाद में गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा।

[हिन्दी]

जहाजों से माल की लदाई और उतराई

1349. श्री सुरेन्द्र यादव :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व के अन्य पत्तनों की तुलना में भारतीय पत्तनों पर जहाजों से माल की लदाई और उतराई में अधिक समय तथा श्रम लगता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या देश के प्रत्येक पत्तन पर जहाजों से माल की लदाई और उतराई में लगने वाले औसत समय तथा प्रयुक्त श्रम संबंधी कोई आकलन किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने स्थिति में सुधार लाने के लिए इस दिशा में कोई कदम उठाये हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इससे कितना समय और श्रम बचने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन): (क) और (ख) सुविधाओं के स्तर, जलयान के आकार, अन्य बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता आदि जैसे विभिन्न कारकों, जो पत्तन-दर पत्तन भिन्न-भिन्न होते हैं, को ध्यान में रखते हुए भारतीय और विदेशी पत्तनों में कार्गो की लदाई और उतराई में लगने वाले समय और श्रम की तुलना करना बहुत मुश्किल है। फिर भी, विकसित विदेशी पत्तनों की तुलना में भारतीय पत्तनों में कार्गो हैंडलिंग उत्पादकता में सुधार की गुंजाइश है।

(ग) पत्तनों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, बर्थ पूर्व विलंब, टर्न राउण्ड टाइम और पोत बर्थ दिवस उत्पादन जैसे विशिष्ट पत्तन कार्य-निष्पादन सूचकों के संदर्भ में किया जाता है।

(घ) जी हाँ।

(ङ) पुरानी और अप्रचलित परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन, आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 10,650 करोड़ रु० के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। आवश्यक वित्तीय एवं प्रबंधकीय संसाधन जुटाने के लिए पत्तन क्षेत्र को निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए खोल दिया गया है। सन् 1991 से विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम शुरू की गई है जिससे कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है। पत्तन प्रबंधन और

श्रमिक संघों के बीच 1994 के वेतन समझौते में उपर्युक्त सभी उपायों से उत्पादकता में प्रति वर्ष 7% की वृद्धि की व्यवस्था है। कार्गो हैंडलिंग उत्पादकता और उतराई प्रचालनों में सुधार होने की संभावना है किन्तु कितना सुधार होगा, यह बता पाना मुश्किल है।

[अनुवाद]

छोटे पत्तनों का दर्जा बढ़ाकर उनको बड़े पत्तनों की श्रेणी में रखना

1350. डॉ॰ कृपासिन्धु भोई : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नौवीं योजनावधि के दौरान देश के कुछ मध्यम और लघु पत्तनों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें बड़े पत्तनों की श्रेणी में रखने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए देश में नौवहन को विकसित करने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस देश में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हाँ। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोन्नत करने के लिए भारतीय जहाज निर्माण उद्योग का विकास करने हेतु विभिन्न उपाय किए हैं। इनकी कुछ मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :

अब निम्नलिखित के लिए स्वतः अनुमोदन दिया जाता है:

(i) क्रूड टैंकरों और अपटीय आपूर्ति जलपोतों को छोड़कर निजी जहाज मालिक कंपनियों द्वारा सभी श्रेणियों के जलयानों का अधिग्रहण।

(ii) भारतीय शिपयार्डों से जलयानों का अधिग्रहण।

(iii) प्रतिस्थापन टन भार का अधिग्रहण।

(iv) 10,000 सकल टन भार तक के यंत्रीकृत सेलिंग जलपोतों के लिए 51% तक विदेशी निवेश।

जहानाबाद और मुजफ्फरनगर में केन्द्रीय विद्यालय

1351. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :
श्री सोहन वीर :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार स्थित जहानाबाद और उत्तर प्रदेश स्थित मुजफ्फरनगर में केन्द्रीय विद्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) से (घ) वर्ष 1997-98 के दौरान केन्द्रीय विद्यालयों को खोलने संबंधी प्रस्ताव केन्द्रीय विद्यालय संगठन के विचाराधीन हैं जिनमें जहानाबाद तथा मुजफ्फरनगर में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्ताव भी शामिल हैं।

[हिन्दी]

धनराशि का दुरुपयोग

1352. डॉ॰ बलिराम : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी और साक्षरता कार्यक्रमों के लिए मुहैया कराई गई सुविधाओं और धन का दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या राज्य में विशेषकर पूर्वांचल के जिलों में धन का खुले रूप से दुरुपयोग किया जा रहा है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकारी धन का दुरुपयोग रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई): (क) से (ग) परियोजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और वे ही सामने आने वाले दुरुपयोग के बारे में रिपोर्ट करने और कार्यवाही करने के लिये जिम्मेवार हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्वांचल के जिलों में राशि की उपयोगिता

के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से विशिष्ट रिपोर्ट का पता लगाया जा रहा है।

[अनुवाद]

नर्मदा नहर की ऊंचाई

1353. श्री छीतूभाई गामीत : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार इस बात से अवगत है कि नर्मदा नहर की ऊंचाई में कमी किए जाने के परिणामस्वरूप इससे गुजरात में सिंचाई में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा राजस्थान में कोई सिंचाई नहीं होगी;

(ख) क्या सरकार इस बात से भी अवगत है कि यदि इस सरदार सरोवर नहर की ऊंचाई 455 फीट से 436 फीट कर दी जाती है तो इससे सभी चार भागीदार राज्यों, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र तथा राजस्थान तथा पूरे देश को समग्र रूप से भारी नुकसान होगा;

(ग) क्या यह भी सच है कि गुजरात, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश की ऊर्जा भागीदारी में भी कमी होगी; और

(घ) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन विकास मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) सरदार सरोवर बांध के योजनाबद्ध पूर्ण जलाशय स्तर को 455 फुट से कम करके 436 फुट करने की स्थिति में लगभग 1.5 मिलियन एकड़ फुट की सक्रिय भंडारण क्षमता की हानि और लगभग 15% अर्थात् 225 मेगावाट की विद्युत हानि होने का अनुमान है। अतः, सरदार सरोवर बांध की योजनाबद्ध ऊंचाई में कमी सिंचाई और विद्युत लाभों को प्रभावित करेगी। तथापि, यह सत्य नहीं है कि राजस्थान में बिल्कुल ही सिंचाई नहीं होगी।

(घ) नर्मदा जल विवाद अधिकरण ने अपने पंचाट के अन्तर्गत सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई निर्धारित की है और पंचाट की वैध अवधि 2024 ईस्वी तक है। (1979 में राजपत्र अधिसूचना के बाद 45 वर्ष)।

उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की परियोजनाएं

1354. श्री सोहन वीर :
प्रो॰ ओमपाल सिंह "निडर" :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कितनी परियोजनाएं लागू की गई हैं और इस संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विचार हेतु भेजे गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य देखरेख में प्राधिकारी खामी मानते हैं

1355. श्री नीतीश कुमार :
जस्टिस गुमान मल लोढा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिनांक 13 जनवरी, 1997 के "दि हिन्दू" में "ऑथोरिटीज एडमिट डेफिसिएन्सी इन हैल्थ केयर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या देश की स्वास्थ्य देखरेख व्यवस्था में बहुत सी खामियां हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन खामियों का निवारण करने के लिए ठोस कदम उठाने का है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ङ) इस समाचार को देखा गया है। 8 से 10 जनवरी, 1977 को हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद के पांचवें सम्मेलन में सम्पूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्र को कवर करते हुए काफी मुद्दे विचार-विमर्श के लिए सामने आए। इस परिषद ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्राप्त किए गए अनुभव की समीक्षा करने के पश्चात् बीच में ही सुधार लाने की दृष्टि से विभिन्न स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में उपलब्धियों और कमियों दोनों पर ध्यान दिया। विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात् इस परिषद ने, अन्य बातों के

साथ-साथ चल रहे कार्यक्रमों के कारगर कार्यान्वयन के लिए कई संकल्प पारित किए जिसमें निजी उपचर्या-गृहों और चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उपयुक्त विनियामक उपायों को लागू करना शामिल है। इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सभी संबंधितों द्वारा उपयुक्त कार्रवाई शुरू की जाएगी।

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए विभिन्न रोग नियंत्रण संबंधी कार्यक्रमों के लिए बाह्य संसाधनों का लाभ उठाने और चयन की गई राज्य स्वास्थ्य प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण जैसी कई नई पहलें शुरू की हैं।

गुर्दे की बिक्री

1356. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में, पुलिस द्वारा गुर्दा बेचने वाले एक गिरोह को पकड़े जाने की जानकारी है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और सरकार द्वारा इस अनैतिक उद्योग को समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी हाँ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

निजी क्षेत्र द्वारा पत्तनों का विकास

1357. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में देश में निजी क्षेत्र के उद्यमियों द्वारा तटीय क्षेत्रों के आस-पास विकसित किए गए पत्तनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि निजी रूप से विकसित किए गए पत्तनों में पर्याप्त रूप से माल की ढुलाई नहीं हो रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन): (क) से (ग) निजी पत्तन, मेरीटाइम राज्य सरकारों द्वारा विकसित किए जा रहे हैं। केन्द्र सरकार ने कोई निजी पत्तन विकसित नहीं किया है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर चार लेनें बनाना

1358. श्री हरिन पाठक : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर चार लेनें बनाने हेतु इनके चयन संबंधी क्या नीति/मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान राज्य-वार चार लेनों में बदले गये तथा बदले जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य हेतु राज्य-वार कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन): (क) मौजूदा नीति के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के दो-लेन वाले खंड को चार लेन का बनाने पर तभी विचार किया जाता है जब यातायात 15000 यात्री कार यूनिट प्रतिदिन से अधिक हो जाता है।

(ख) ब्यौरे इस प्रकार हैं :

वर्ष	राज्य	चौड़ा किए जाने के लिए नियत की गई लम्बाई
1994-95	गुजरात	7 कि.मी.
	पंजाब	6 कि.मी.
	जोड़	13 कि.मी.
1995-96	हरियाणा	2 कि.मी.
	बिहार	42 कि.मी.
	उड़ीसा	6 कि.मी.
	जोड़	50 कि.मी.
1996-97	गुजरात	16 कि.मी.
	हरियाणा	71 कि.मी.
	राजस्थान	55 कि.मी.
	आंध्र प्रदेश	23 कि.मी.
	पश्चिम बंगाल	41 कि.मी.
	जोड़	206 कि.मी.

(ग) निधियां समग्र रूप से राज्यवार आबंटित की जाती हैं न कि परियोजनावार। तथापि, 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान चार-लेन का बनाने सहित राष्ट्रीय राजमार्गों

के विकास के लिए राज्यवार आबंटित निधियों का ब्यौरा देने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

चार लेन का बनाने सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए आबंटित निधियां

क्रम सं.	राज्य का नाम	1994-95	1995-96	1996-97
				(लाख रुपये में)
1.	आंध्र प्रदेश	4590.50	4010.00	3700.00
2.	बिहार	1875.00	1750.00	1500.00
3.	गुजरात	5650.00	4398.00	2800.00
4.	हरियाणा	5160.00	5535.00	7900.00
5.	उड़ीसा	3390.00	3304.00	5510.00
6.	पंजाब	3500.00	5860.00	5800.00
7.	राजस्थान	4350.00	6070.00	4200.00
8.	पश्चिम बंगाल	3987.00	3810.00	3410.00

कांडला पत्तन योजना

1359. श्री पी.सी. गढ़वी :
श्री रतिलाल काणीदास वर्मा :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांडला पत्तन योजना के आठवें, नौवें तथा दसवें माल बन्दरगाहों के विस्तार के संबंध में निविदाएं आमंत्रित की गयी हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर होने वाले व्यय सहित इनका निर्माण कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन निविदाओं पर कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन): (क) से (घ) 8वीं सामान्य कार्गो बर्थ के लिए 40.98 करोड़ रुपये की राशि का ठेका मैसर्स एशिया फाउंडेशन एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को सौंपा गया है। 9वीं और 10वीं सामान्य कार्गो बर्थों के लिए निविदाएं कांडला पत्तन न्यास द्वारा जारी की जा चुकी हैं। मूल्य संबंधी बोलियां प्राप्त हो चुकी हैं। कांडला पत्तन न्यास ने पार्टियों से अपनी वित्त-पोषण संबंधी योजना प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।

नवोदय विद्यालयों का कार्यकरण

1360. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहर नवोदय विद्यालयों पर एक वित्तीय वर्ष के दौरान कितना व्यय किया जा रहा है और पिछले तीन वर्षों के दौरान इन पर कुल कितना व्यय हुआ;

(ख) क्या जवाहर नवोदय विद्यालयों के छात्रों को भ्रष्ट अध्यापकों, प्रधानाचार्यों और प्रबन्धकों द्वारा परेशान किया जा रहा है;

(ग) क्या रहने और खाने-पीने की समुचित सुविधा के अभाव में, जवाहर नवोदय विद्यालयों के छात्रों का उचित रूप से विकास नहीं हो रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुडी राम सैकिया) : (क) जवाहर नवोदय विद्यालय पर किया जा रहा व्यय प्रत्येक वर्ष भिन्न-भिन्न होता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान नवोदय विद्यालयों पर हुआ कुल व्यय निम्न प्रकार है जिसमें निर्माण पर हुआ व्यय शामिल है :

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	जोड़
1993-94	181.91
1994-95	212.53
1995-96	247.39

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) समिति का प्रयास आवास और भोजन सम्बन्धी पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने का है।

[हिन्दी]

मलेरिया

1361. श्री ब्रजमोहन राम : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कुछ माह पहले बिहार में पलामू और गरवा जिले में मलेरिया रोग को रोकने के लिए विशेषज्ञों का एक दल भेजा था;

(ख) यदि हाँ, तो उस दल द्वारा इस क्षेत्र में मलेरिया को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार को क्या सुझाव दिए गए हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में केन्द्र सरकार से कोई सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी हाँ।

(ख) इस दल के कुछेक मुख्य सुझाव इस प्रकार हैं :-

- सर्वेक्षण को तेज करना और उपयुक्त औषधों से रोगियों का उपचार;
- राज्य से जिलों को प्राइमाक्विन की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति करने की आवश्यकता;
- रिक्त पदों को तत्काल भरना और पूर्णकालिक जिला मलेरिया अधिकारी तैनात करना;
- इन्जेक्टेबल मलेरिया-रोधी औषधों से मस्तिष्कीय मलेरिया के उपचार के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करना;
- अगले सत्र के लिए कीटनाशकों की पर्याप्त मात्रा में समय पर विमुक्त करना;
- छिड़काव कार्यकर्ताओं की मजदूरी को समय पर विमुक्त करना;
- औषधीय संवेदनशीलता पर अध्ययन शुरू करने के लिए पी.एफ. मानीटरिंग दल को कार्य पर लगाना।

(ग) और (घ) राज्य मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम केन्द्र और राज्यों के बीच 50:50 की लागत की भागीदारी के आधार पर कार्यान्वित किया जाता है। केन्द्र सरकार अपने भाग के रूप में राज्यों को कीटनाशक और औषधियां प्रदान करती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यकलाप शुरू करने के लिए प्रचालन लागत राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में बिहार सरकार से केन्द्रीय सहायता के लिए कोई विशिष्ट अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग

1362. श्री कचरू भाऊ राउत : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास तथा रख-रखाव हेतु केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति क्या है और इस प्रयोजन हेतु अब तक कितनी राशि स्वीकृत की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन): (क) से (ग) जी हाँ। पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास/रख-रखाव से संबंधित 136.2258 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के 187 प्रस्ताव भेजे गए हैं। इन सभी कार्यों को सरकार द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है।

[अनुवाद]

छावनी क्षेत्र में अवैध निर्माण

1363. श्री के.एस. रायुडू : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने हैदराबाद तथा सिकन्दराबाद के छावनी क्षेत्र में अवैध निर्माण को तुरन्त रोकने हेतु निर्देश दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त क्षेत्रों में रक्षा भूमि के संरक्षण के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) जी, हाँ।

(ख) संबंधित प्राधिकारियों द्वारा छावनी अधिनियम 1924 और सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अधीन कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

आई.आर.सी.सी. में पदोन्नतियां

1364. श्री चित्रसेन सिंकु : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई.आर.सी.सी. द्वारा ''व्यावसायिक दुराचरण'' के संबंध में विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के निर्देश पर उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है जिन्होंने दिल्ली विकास प्राधिकरण के आवास हेतु ऋण लिया है परन्तु संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं।

(ख) क्या मुख्य प्रबंध निदेशक और आई.आर.सी.सी. द्वारा एक कंपनी सचिव को जल-भूतल परिवहन मंत्रालय/कार्मिक विभाग की स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही सचिव एवं महाप्रबंधक (प्र) के पद पर पदोन्नत किया गया है जबकि आई.आर.सी.सी. के आर एंड पी नियम जल-भूतल परिवहन मंत्रालय और कार्मिक विभाग द्वारा अनुमोदित किए गए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र और गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुल

1365. श्री महेश कुमार एम. कनोडिया : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र और गुजरात में गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितने पुलों का निर्माण किया गया;

(ख) चालू वर्ष के दौरान कितने पुलों का निर्माण करने का विचार है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने पुलों के निर्माण का लक्ष्य रखा जाएगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन): (क) महाराष्ट्र - 16
गुजरात - 12

(ख) चालू वर्ष के दौरान निम्नलिखित पुलों के पूरे हो जाने की संभावना है :

1. महाराष्ट्र

(i) राष्ट्रीय राजमार्ग-3 पर 415/200 कि.मी. में गोदावरी नदी पर बड़ा पुल।

(ii) रा.रा.सं. 6 पर 501/600 कि.मी. में कान्हा पुल।

(iii) रा.रा. सं. 9 पर 218/200 कि.मी. में सिना में बड़ा पुल।

(iv) रा.रा. सं. 6 पर 301/600 कि.मी. में बोर्डी नदी पर पुल।

(v) रा.रा. सं. 50 पर 87/600 कि.मी. में आर्क नदी पर पुल।

(vi) रा.रा. सं. 6 पर 176/600 कि.मी. में छोटा पुल।

2. गुजरात

(i) रा.रा. सं. 8 पर 100 कि.मी. पर विश्वामित्र पुल।

(ii) रा.रा. सं. 8 पर 123 कि.मी. पर कपूरई में पुलोपरि सड़क।

(ग) 9वीं पंचवर्षीय योजना अभी तैयार की जानी है।

बालिका संरक्षण योजना

1366. श्रीमती शारदा टाडीपारथी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार बालिकाओं के साथ हो रहे भेदभाव को खत्म करने और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आन्ध्र प्रदेश की तरह सभी राज्य सरकारों से बालिका संरक्षण योजना शुरू करने संबंधी सिफारिश करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई): (क) और (ख) सरकार ने हरियाणा, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश आदि में चलाई जा रही ऐसी स्कीमों के अनुभव के आधार पर बालिकाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए एक विशिष्ट स्कीम के निरूपण पर विचार करने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

नर्मदा परियोजना

1367. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश सरकार का विचार नर्मदा परियोजना संबंधी कार्य में गैर-सरकारी इकाईयों को शामिल करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसमें किन-किन गैर-सरकारी कम्पनियों को शामिल करने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में तैयार की गई निबन्धन व शर्तों का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हाँ।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार की वित्तीय कठिनाईयों के कारण इन्दिरा सागर (नर्मदा सागर) परियोजना के विद्युत घटक में निजी क्षेत्र को शामिल करने का निर्णय लिया है।

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा वर्ष 1995 में जारी दिशा निर्देशों और निबन्धन एवं शर्तों के अनुसार बोली के माध्यम से इन्दिरा सागर परियोजना के विद्युत घटक में निजी क्षेत्र को शामिल करने के लिए उनसे प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। इसलिए निजी कम्पनियों के नाम नहीं बताये जा सकते।

यशपाल समिति

1368. श्री भक्त चरण दास: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यशपाल समिति की सिफारिशों को किन-किन राज्यों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है;

(ख) इन सिफारिशों को देश भर में क्रियान्वित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई दिशा निर्देश जारी करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश भर में इन सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) से (ङ) 2.3.94 को आयोजित केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की 50वीं बैठक में राज्य सरकारों द्वारा यशपाल समिति की सिफारिशों से मोटे तौर पर सहमति जताई गई है। ऐसी रायों पर मतैक्य की पहचान की गई तथा राज्य सरकारें किस तरह से कार्य करेंगी इस संबंध में उन्हें सुझाव दिया गया। अधिकांश राज्य और केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा इन सिफारिशों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है:

(i) ऐसी सिफारिशें जिनपर एक कालिक कार्रवाई की जरूरत है; तथा

(ii) ऐसी सिफरिशें जिन पर लंबे समय तक हस्तक्षेप की जरूरत है।

कार्यान्वयन को सुसाध्य बनाने के लिए सरकार द्वारा कार्य बिन्दुओं के दो सेट जारी किए गए हैं - एक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए तथा दूसरा केन्द्रीय एजेंसियों के लिए।

राज्य सरकार द्वारा सिफारिशों को लागू किया जाना स्कूल शिक्षा के विकास के उनके चल रहे कार्यक्रम का एक अंग हैं।

पत्तनों और पोताश्रयों का विकास

1369. श्री ए. सम्पथ : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान पत्तनों तथा पोताश्रयों के विकास हेतु कितनी राशि निर्धारित की गई है।

(ख) उक्त अवधि के दौरान पत्तन-वार कितनी राशि खर्च की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार नये पत्तन तथा पोताश्रय बनाने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन): (क) और (ख) 1994-95 और 1995-96 के दौरान महापत्तनों, के विकास के लिए उपलब्ध कराए गए परिव्यय और वास्तविक व्यय इस प्रकार हैं:

करोड़ रुपये

पत्तन का नाम	1994-95		1995-96	
	परिव्यय	वास्तविक व्यय	परिव्यय	वास्तविक व्यय
1 2	3	4	5	6
1. कलकत्ता/हल्दिया	40.00	27.56	60.32	20.51
2. मुम्बई	50.00	46.57	143.61	42.53
3. ज.ला. नेहरू	35.00	25.12	55.24	40.91

1	2	3	4	5	6
4.	चेन्नई	50.00	33.69	92.59	54.44
5.	कोचीन	60.00	16.85	50.00	20.96
6.	विज़ाग	40.00	37.43	53.00	26.42
7.	कांडला	30.00	17.43	30.92	12.85
8.	मुरगांव	30.00	20.56	27.28	14.06
9.	पारादीप	40.00	37.49	77.93	66.51
10.	नव मंगलूर	40.00	24.42	107.44	124.03
11.	तूतीकोरिन	19.50	23.42	23.10	15.73
	जोड़ :	434.50	310.54	721.43	438.95

(ग) और (घ) नौवीं योजना के दौरान कोयले की हैंडलिंग के लिए चेन्नई के समीप एन्नोर में सेटेलाइट पत्तन के सिवाय किसी नए पत्तन के निर्माण का प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

कुष्ठ रोग उन्मूलन केन्द्र

1370. श्री हरिवंश सहाय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों विशेषतया आदिवासी व अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में इस समय कार्यरत कुष्ठ रोग उन्मूलन केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन स्थानों के नाम, जहां वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान ऐसे केन्द्र खोले गए हैं;

(ग) क्या उक्त अवधि में उत्तर प्रदेश के देवरिया और बलिया जिलों में ऐसा कोई केन्द्र खोला गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इन प्रत्येक केन्द्रों को कितनी धनराशि की सहायता उपलब्ध कराई गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य कर रहे केन्द्रों/इकाइयों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के आदिवासी और अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में कार्य कर रहे है ऐसे केन्द्रों/इकाइयों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ख) शून्य

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

देश में कार्यरत कुष्ठ उन्मूलन केन्द्र

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य	एलसीयू एमसीयू	यूएससी	एसईटी	डीएमडब्लू	टीएचडब्लयू	एसएस यू	बीओ	एचएडटी यू
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	94	91	164	31	53	3	45	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	-	31	-	1	-	-	8
3.	असम	9	16	250	6	5	1	6	22
4.	बिहार	89	71	1044	22	29	3	22	36
5.	गोवा	1	2	31	1	1	-	-	1
6.	गुजरात	21	21	369	7	9	2	17	13
7.	हरियाणा	-	3	2	-	-	1	1	14
8.	हिमाचल प्रदेश	6	1	15	5	1	1	1	15
9.	जम्मू व कश्मीर	8	2	37	-	2	-	1	14
10.	कर्नाटक	41	50	673	20	22	3	22	14
11.	केरल	20	45	254	8	5	3	11	10
12.	मध्य प्रदेश	54	72	530	23	14	5	7	40
13.	महाराष्ट्र	42	258	970	24	23	1	27	21
14.	मणिपुर	4	1	17	4	1	-	2	9
15.	मेघालय	2	1	16	-	2	-	1	7
16.	मिजोरम	2	1	7	2	1	1	-	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	नागालैण्ड	2	2	30	3	2	–	–	6
18.	उड़ीसा	55	16	140	10	11	1	17	–
19.	पंजाब	0	17	–	1	1	1	1	17
20.	राजस्थान	5	5	8	4	4	–	7	39
21.	सिक्किम	2	6	13	1	1	–	1	2
22.	तमिलनाडु	102	82	26	22	52	7	31	–
23.	त्रिपुरा	3	4	20	1	1	1	1	3
24.	उत्तर प्रदेश	122	60	1023	65	17	1	48	44
25.	पश्चिम बंगाल	91	71	35	15	30	4	14	3
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	–	3	10	1	1	1	–	1
27.	चण्डीगढ़	–	–	–	–	–	–	–	1
28.	दादरा व नगर हवेली	–	–	2	–	–	–	–	1
29.	दमन व दीव	–	–	–	–	–	–	–	3
30.	दिल्ली	–	3	–	–	–	–	3	2
31.	लक्षद्वीप	–	–	3	–	–	–	–	–
32.	पाण्डिचेरी	1	3	24	2	1	–	1	1
	कुल योग	778	907	5744	278	290	40	290	350

एल.सी.यू./एम.सी.यू. - कुष्ठ नियंत्रण/इकाई संशोधित नियंत्रण इकाई
यू.एल.सी. - शहरी कुष्ठ केन्द्र
एस.ई.टी. - सर्वेक्षण शिक्षा एवं उपचार केन्द्र
टी.एल.यू. - जिला कुष्ठ इकाई
टी.एच.डब्ल्यू. - अस्थाई अस्पताली वार्ड
एस.एस.यू. - न्यूमन, सर्वेक्षण एवं आकलन इकाई
वी.ओ. - स्वैच्छिक संगठन
एच.एल.टी.यू. - उच्च कुष्ठ उपचार इकाई

विवरण-II

उत्तर प्रदेश पूर्वांचल क्षेत्र में कुष्ठ नियंत्रण केंद्र

जिला	डी.एल.यू.	एल.सी.यू.	एस.ई.टी.	यू.एल.सी.	एम. एल. टी.यू.
1	2	3	4	5	6
आजमगढ़	1	5	–	1	–
मऊ	1	3	–	–	1
जौनपुर	1	1	14	1	2
बलिया	1	4	–	1	–
गाजीपुर	1	4	–	1	–
मिर्जापुर	1	3	–	1	–
वाराणसी	1	4	–	1	–
भदोही	–	2	–	–	–
सौनभद्र	1	2	–	–	1
बस्ती	1	1	21	1	–
सिद्धार्थ नगर	1	4	–	–	1
महाराज गंज	1	3	–	–	1
गोरखपुर	1	1	21	–	–
देवरिया	1	3	–	1	1
पडरोना	1	2	–	–	–
फैजाबाद	1	1	–	1	–
अम्बेडकर नगर	–	2	–	–	–
बहराईच	1	1	–	–	–
गौंडा	1	2	14	1	–
सुल्तानपुर	1	1	14	1	2
बाराबंकी	1	4	–	1	–
प्रतापगढ़	1	1	–	1	2
इलाहाबाद	1	1	21	1	2
खीरी	1	5	–	1	–

[अनुवाद]

पत्तनों का विकास

1371. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय देश के सभी प्रमुख पत्तनों में समुचित बुनियादी सुविधाओं का अभाव है और इसमें सुधार लाने हेतु उन्हें अत्यधिक धनराशि की आवश्यकता है;

(ख) क्या सरकार ने इन पत्तनों के विकास हेतु लागत का अनुमान लगाया है;

(ग) यदि हाँ, तो पत्तन-वार अनुमान क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में विश्व बैंक से सम्पर्क किया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन): (क) सरकार, महापत्तनों पर अवसंरचना के विकास और इसके लिये अपेक्षित अत्यधिक निवेश की आवश्यकता से भली भांति अवगत है।

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महापत्तनों के विकास के लिये लगभग 15,665 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमान है।

(ग) उपर्युक्त परिव्ययों का पत्तन-वार ब्यौरा इस प्रकार है:

(करोड़ रुपयों में)

पत्तन का नाम	अनुमानित परिव्यय		
	केन्द्रीय क्षेत्र	निजी क्षेत्र	जोड़
1	2	3	4
1. कलकत्ता/हल्दिया	927	-	927
2. मुंबई	980	-	980
3. चेन्नई	1803	-	1803
4. कोचीन	337	474	811
5. विजाग	1178	-	1178
6. कांडला	871	-	871
7. मुरमुगांव	259	1073	1332
8. पारादीप	1452	2360	3812
9. नव मंगलूर	342	100	442
10. तूतीकोरिन	447	शून्य	447
11. ज.ला. नेहरू	515	257	3052
जोड़ :	9111	6554	15665

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

[हिन्दी]

पत्तनों की क्षमता

1372. श्री अमर पाल सिंह : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पत्तनों की क्षमता बढ़ाने और इनकी सेवाओं में गुणात्मक सुधार लाने के लिए कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लाने का लक्ष्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन): (क) और (ख) देश में महापत्तनों की क्षमता और सेवा स्तर को सुधारना एक सतत् प्रक्रिया है। 9वीं योजना (1997-2002) के दौरान पत्तन क्षमता को 215 मी.ट. से बढ़ाकर 374 मी.ट. करने का प्रस्ताव है। सेवा के स्तर को सुधारने के लिए, विकास परियोजनाओं के लिए निवेश करने संबंधी निर्णय लेने के मामले में महापत्तन न्यासों को अधिक स्वायत्तता दी गई है। पायलटों की कमी को पूरा करने के लिए विभिन्न उपाय शुरू करने का प्रस्ताव है। महापत्तनों पर रात्रि-नौचालन और जलयान यातायात प्रबंध प्रणाली (वी.टी.एम.एस.) शुरू किए जा रहे हैं।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति एक सतत् प्रक्रिया है और इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

कनाडा का प्रतिनिधिमंडल

1373. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 जनवरी, 1997 के

"दैनिक जागरण" में प्रकाशित "कनाडा प्रतिनिधिमंडल में खालिस्तानी हमदर्द" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इससे पहले भी केंद्र सरकार के ध्यान में इस प्रकार के मामले आए हैं;

(घ) यदि हाँ, तो क्या केन्द्र सरकार ने कनाडा की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हुए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों/संस्थानों में इस मामले को उठाया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा भविष्य में आंतरिक मामलों में इस प्रकार के हस्तक्षेप को रोकने की दृष्टि से क्या कारगर कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, हाँ।

(ख) जैसा कि खबरों में बताया गया है, राम रघुबीर चहल, कनाडा के विदेश मंत्री लाय एक्सवर्दी के नेतृत्व में आए शिष्टमंडल का सदस्य नहीं था, और न ही वह उस समय भारत की यात्रा पर आया जिस समय यह शिष्टमण्डल भारत की यात्रा पर था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) सरकार ने इस मामले पर अपने दृष्टिकोण से मित्र देशों को अवगत करा दिया है। सरकार ने आतंकवादियों की गतिविधियों के संबंध में भी सूचना का आदान-प्रदान किया है। इस संदर्भ में, कनाडा के विदेश मंत्री की हाल की भारत यात्रा के दौरान, यह फैसला किया गया है कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए दोनों सरकारों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए आतंकवाद से संबद्ध एक कार्यालय स्थापित किया जाए।

शिक्षा के स्तर में गिरावट

1374. श्री सत्यदेव सिंह : क्या **मानव ससाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा के स्तर में तेजी से गिरावट आई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस गिरावट के कारणों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम रहे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) से (ग) 1992 में अद्यतन की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए व्यापक कार्य ढांचा है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपरेशन ब्लैक बोर्ड, अनौपचारिक शिक्षा, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, न्यूनतम अधिगम स्तर, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जैसे अनेक नवाचारी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं जिससे कि शिक्षा की गुणवत्ता, विषय वस्तु और प्रक्रिया में सुधार लाया जा सके। न्यूनतम अधिगत स्तर जैसे कार्यक्रम का उद्देश्य उन सक्षमताओं को विनिर्दिष्ट करना है जिन्हें बच्चों द्वारा भाषा, गणित और पर्यावरण अध्ययनों में प्राप्त किया जाना अपेक्षित है जबकि शिक्षकों की समक्षताओं में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की योजना के तहत सुधार किया जाना है।

[अनुवाद]

अंतर्राष्ट्रीय खेलों में प्रदर्शन

1375. श्री मंगल राम प्रेमी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे विद्यालयों की संख्या कितनी है जिनमें कोई खेलकूद का मैदान तथा शारीरिक व्यायाम प्रशिक्षक नहीं है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(ख) क्या विद्यालयों और महाविद्यालयों में खेलों और समन्वित शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने में राज्यों के योगदान को बढाए जाने के तरीकों पर विचार करने के लिए हाल ही में दिल्ली में राज्यों के खेलकूद मंत्रियों की एक बैठक आयोजित की गई थी; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई): (क) वर्ष 1986 के पांचवें अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार, देश में 2,65,590 स्कूलों में खेल मैदान नहीं हैं जबकि, 6,58,128 स्कूलों में शारीरिक शिक्षा (पी.ई.)/योग अध्यापक नहीं हैं। भारत सरकार ने राज्यों से जवाहर रोजगार निधियों की सहायता से खेल मैदानों का विकास करने तथा अन्य विषयों के अध्यापकों को सेवा-पूर्व एवं सेवाकालीन शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के रूप में प्रशिक्षण देने संबंधी एक कार्यक्रम शुरू करने का अनुरोध किया है।

(ख) और (ग) जी, हाँ। सम्मेलन के दौरान सभी राज्यों ने स्कूली पाठ्यक्रम के साथ शारीरिक शिक्षा तथा खेलों को एकीकृत

करने संबंधी केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों का समर्थन किया है।

कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 पर बाईपास

1376. **श्री पी. कोदंडा रमैय्या** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्नाटक में शिरा शहर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-चार पर एक बाईपास का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन): (क) से (ग) जी हाँ। शिरा बाईपास के निर्माण का प्रस्ताव है जिसके लिए भूमि-अधिग्रहण की जा रही है। भूमि-अधिग्रहण के बाद निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन कार्य शुरू किया जाएगा।

इंडियन रेडक्रास सोसाइटी द्वारा जांच रहित रक्त की आपूर्ति

1377. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हेपेटाईटिस सी. और डी. की जांच किये बिना ही इंडियन रेडक्रास सोसायटी द्वारा रक्त की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में इंडियन रेडक्रास सोसायटी द्वारा संचालित रक्त बैंकों की संख्या क्या है; और

(घ) सोसायटी द्वारा रक्त स्वीकार करने और दान करने के लिए किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) और (ख) रक्त की प्रत्येक युनिट को भारतीय रेडक्रास सोसाइटी द्वारा एच.आई.वी., हेपाटाइटिस बी, सिफलिस और मलेरिया के लिए जांच की जाती है जैसाकि औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम/नियम के अंतर्गत अनिवार्य है। हेपाटाइटिस सी. और डी. के लिए रक्त यूनिटों की जांच नहीं की जाती है क्योंकि यह अनिवार्य नहीं है।

(ग) भारतीय रेडक्रास सोसाइटी द्वारा देश में 55 रक्त बैंक चलाए जा रहे हैं।

(घ) भारतीय रेडक्रास सोसाइटी/रक्त एकत्र करने के लिए कॉलेजों, धार्मिक संगठनों, बैंकों, लायन्स एवं रोटरी क्लबों में नियमित अन्तरालों पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित करती है। वे रक्त की आवश्यकता वाले रोगियों के मित्रों और संबंधियों से भी रक्त स्वीकार करते हैं।

भूतपूर्व सैनिकों को सुविधाएं

1378. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा पेंशनभोगियों सहित भूतपूर्व सैनिकों से संबधित कौन-कौन से मामलों पर कार्यवाही की जाती है;

(ख) क्या भूतपूर्व सैनिकों को आवास प्रदान करने और "आर्मी वेलफेयर हाउसिंग आर्गेनाइजेशन" की स्थापना से संबंधित मामले भी उनके मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू): (क) से (ग) रक्षा मंत्रालय सशस्त्र सेनाओं के पेंशनभोगियों से संबंधित पेंशन-मामलों के वास्ते नीतिगत मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। यह मंत्रालय भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास और कल्याण यथा चिकित्सा सुविधाओं, कैंटीन सुविधाओं, आर्थिक सहायता, भूतपूर्व सैनिकों के प्रशिक्षण और स्वरोजगार से संबंधित मामले भी निपटाता है। यह मंत्रालय भूतपूर्व सैनिकों को विभिन्न रियायतें/प्राथमिकताएं यथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण, यात्रा रियायत, विभिन्न राज्यों की काश्तकारी व्यवस्था जहां तक उसका रक्षा कार्मिकों से संबंध है, भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों/युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों आदि के लिए सीटों का आरक्षण और अन्य शैक्षणिक रियायतें प्रदान किए जाने के बारे में संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के साथ कार्रवाई करता है।

2. राज्य और संघ शासित सरकारों द्वारा आवास की व्यवस्था की जाती है। अधिकतर राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने आवास/आवास स्थलों के आबंटन के मामले में सेवारत/सेवानिवृत्त सैन्य कार्मिकों के लिए आरक्षण की अलग-अलग प्रतिशतता रखी है। राज्य आवास बोर्ड/प्राधिकरण स्वायत्त/अर्ध-सरकारी निकाय हैं जो राज्य/संघ शासित सरकारों के अधीन कार्य करते हैं और रक्षा मंत्रालय का उन पर नियंत्रण नहीं है।

3. आर्मी वेलफेयर हाउसिंग आर्गनाइजेशन एक सोसाइटी है जो सोसाइटी अधिनियम, 1860 के XII के तहत सोसाइटी रजिस्ट्रार दिल्ली के पास पंजीकृत है। यह सोसायटी सेवारत और सेवानिवृत्त सैन्य कार्मिकों के लिए स्ववित्तपोषित व्यवस्था के आधार पर आवास

का निर्माण कर रही है। रक्षा मंत्रालय विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि की खरीद के लिए इस सोसाइटी को ब्याज पर ऋण देता रहा है। आर्मी वेलफेयर आर्गनाइजेशन का कार्य-संचालन उसके प्रबंधन मंडल की देखरेख में किया जाता है और इस तरह रक्षा मंत्रालय का इस पर कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय जल बोर्ड, उत्तर प्रदेश

1379. श्री डी.पी. यादव : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के जल की कमी वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए केन्द्रीय जल बोर्ड द्वारा कोई मार्ग-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा राज्य में अधिक क्षमता वाले नलकूप निर्मित कराए गए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो गत दो वर्षों के दौरान इस पर कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(घ) 1997-98 के लिए कितना लक्ष्य रखा गया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) जी, हाँ। केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने पिछले दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में अधिक जल देने वाले 26 अन्वेषणात्मक कुओं की खुदाई की है।

(ग) इस संबंध में बोर्ड द्वारा वहन की गई राशि 43.15 लाख रुपये है।

(घ) केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने 1997-98 के दौरान उत्तर प्रदेश में 65 भेदनछिद्रों (बोरहोल्स) की ड्रिलिंग करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

[अनुवाद]

छात्राओं द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ देना

1380. कुमारी ममता बनर्जी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीच में पढ़ाई छोड़ने वाली छात्राओं की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुडी राम सैकिया) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाली छात्राओं की दर में कमी आई है जिसे निम्नानुसार दर्शाया गया है :

वर्ष	स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों की दर	
	I-V	I-VIII
1992-93	43.02 प्रतिशत	60.06 प्रतिशत
1993-94	38.57 प्रतिशत	56.78 प्रतिशत
1995-96	37.79 प्रतिशत	56.53 प्रतिशत

(ग) सरकार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वालों की दरों को कम करने के लिए अनेकों उपाय किए हैं। इनमें सूक्ष्म आयोजना, सामुदायिक सहभागिता, पंचायती राज संस्थानों का अधिक से अधिक शामिल किया जाना, आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के माध्यम से स्कूलों की मूलभूत सुविधाओं में सुधार, बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रोत्साहन, शिक्षक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा उनका सुदृढ़ीकरण, अध्ययन के न्यूनतम स्तरों को लागू किया जाना तथा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन शामिल है।

[हिन्दी]

अवैध चिकित्सा अध्ययन संस्थान

1381. श्री अन्ना साहिब एम.के. पाटिल :
श्री कुंवर सर्वराज सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 फरवरी, 1997 के "दैनिक जागरण" में "मेडिकल फेकल्टी सचिव चला रहे हैं अवैध संस्थान" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी अवैध संस्थानों की क्या संख्या है तथा ये कब से चल रही हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में जांच करवाने के बाद दोषी अफसरों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश के अस्पतालों की वर्तमान स्थिति

1382. श्री राम सागर : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के अनेक अस्पतालों में अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं तथा अस्वास्थ्यकर स्थिति है और वहां अर्द्ध-चिकित्सकीय कर्मचारी, नर्सों और डॉक्टरों का अभाव है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा अस्पतालों की स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है; और

(ग) क्या राज्य में अस्पतालों के संबंध में अभी तक कोई जांच की गई है और यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली-हरिद्वार-ऋषिकेष राष्ट्रीय राजमार्ग

1383. डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि दिल्ली-हरिद्वार-ऋषिकेष तथा बद्रीनाथ को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग काफी बुरी अवस्था में है तथा काफी लम्बे समय से सार्वजनिक परिवहन के लिए सुरक्षित नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) 1995-96 तथा 1996-97 में इस सड़क के लिए कितना आबंटन किया गया है तथा इस सड़क को सही स्थिति में कब तक कर दिये जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन): (क) से (ग) देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास और रख-रखाव की जिम्मेदारी मुख्यतः केन्द्र सरकार की है और अन्य सभी सड़कों के लिए संबंधित राज्य सरकारें अनिवार्यतः उत्तरदायी हैं। प्रश्नगत सड़क अर्थात् दिल्ली-हरिद्वार-ऋषिकेश उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में पड़ती है और इसलिए इसके विकास की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की है।

कर्नाटक में सिंचाई सुविधाएं

1384. श्री बी.एल. शंकर : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में सिंचाई सुविधाएं किन-किन जल स्रोतों से प्रदान की जाती है;

(ख) राज्य के इन स्रोतों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य के कितने सूखा-प्रवण क्षेत्रों में आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक सिंचाई सुविधाएं प्रदान कर दिए जाने की संभावना है; और

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) कर्नाटक में योजना अवधि के पूर्व से वर्ष 1995-96 (अनन्तिम) के अन्त तक सिंचाई के विभिन्न स्रोतों द्वारा सृजित सिंचाई क्षमता का ब्यौरा इस प्रकार है:

(हजार हैक्टेयर में)

स्रोत		सृजित क्षमता
1.	सतही जल	
	(i) वृहद और मध्य सिंचाई परियोजनाएं	1674.05
	(ii) लघु सिंचाई स्कीमें	752.20
2.	भू-जल	773.36
3.	कुल	3199.61

(ग) अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार आठवीं पंचवर्षीय योजना के चौथे वर्ष के अन्त में कर्नाटक में वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से लाभान्वित कुल सूखा प्रवण क्षेत्र 1019.93 हजार हैक्टेयर (अनन्तिम) है।

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

आई.वी. फ्लूड पर्चेज : फार्मर एडीशनल डी.जी. चार्जशीटेड

1385. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 जनवरी, 1997 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" समाचार पत्र में "आई.वी.फ्लूड पर्चेज : फार्मर एडीशनल

डी.जी. चार्जशीटेड'' शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हाँ।

(ख) यह मामला वर्ष 1990-93 से संबंधित है जब डॉ॰ पी. सी. राय सफदरजंग अस्पताल के चिकित्साधीक्षक थे। आई.वी.फ्लूड की खरीद के बारे में सरकारी निदेशों का उल्लंघन करने के लिए डॉ॰ पी.सी. राय के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है। केन्द्रीय सिविल सेवा (नियंत्रण, वर्गीकरण और अपील) के नियमों तथा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान में जल विवाद

1386. श्री परसराम मेघवाल : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने रोपड़, हरिका तथा फिरोजपुर के शीर्ष कार्य के नियंत्रण को भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड को सौंपने संबंधी कोई निदेश पंजाब सरकार को जारी किये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) क्या उन राज्यों में प्रक्षिप्त जल विवाद को हल करने के लिए पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान के मुख्य मंत्रियों की एक और बैठक बुलाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) तीनों राज्यों में जल विवाद का हल निकालने के लिए अन्य क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड और विद्युत मंत्रालय ने पंजाब सरकार से अनुरोध किया था कि वह रोपड़, हरिके व फिरोजपुर के मुख्य कार्य भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड को अंतरित कर दे। तथापि, पंजाब सरकार अभी तक मुख्य कार्यों के नियंत्रण का हस्तान्तरण करने के लिए सहमत नहीं हुई है। भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड के अनुसार रावी, व्यास के जल और सतलुज के जल के अधिशेष में पक्षकार राज्यों का अंश, पंजाब एवं हरियाणा में विभिन्न सम्पर्क/नियंत्रण स्थलों से उपलब्ध करवाया जाता है तथा सिर्फ मुख्य कार्यों का नियंत्रण हस्तांतरित करने से ही उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। भाखड़ा, व्यास प्रबंध बोर्ड के अनुसार सर्वोत्तम प्रबंध यह होगा कि सभी पक्षकार-राज्य भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड की तकनीकी समिति द्वारा किए गए वितरण का सम्मान करें जिसमें सभी सम्बद्ध राज्यों का प्रतिनिधित्व है और वे विभिन्न नियंत्रण स्थलों पर सही आपूर्ति करें।

(ग) और (घ) पजांब, हरियाणा एवं राजस्थान राज्यों के बीच अंतर-राज्यीय जल संबंधी विषयों पर, जुलाई और अगस्त, 1992 में मंत्री (ज.सं. एवं सं. का.) द्वारा बुलाई गई बैठकों में पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के मुख्य मंत्रियों के बीच विचार-विमर्श हुआ। विभिन्न अंतर-राज्यीय जल संबंधी विषयों पर कुछ व्यापक निर्णय लिए गए। रावी व्यास जल के बंटवारे के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि इसे 1981 के करार के प्रावधानों द्वारा ही निरंतर नियंत्रित किया जाएगा। मुख्य मंत्रियों के सुझावों के अनुसार, जल संसाधन मंत्री ने करार का प्रारूप तैयार किया जिसमें निर्णय जोड़े जाने थे। प्रारूप करार पर विचार-विमर्श करने और इसे अंतिम रूप देने के लिए मुख्य मंत्रियों के स्तर पर आगे बैठकें नहीं हो सकीं। जल संसाधन मंत्रालय आगे और अन्तर-राज्यीय बैठकें करवा कर सौहार्दपूर्ण ढंग से विषयों को सुलझाने के सारे प्रयास कर रहा है।

(ङ) रावी व्यास के अधिशेष जल संबंधी अन्तर-राज्यीय विवाद को, अन्तरराज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित अधिकरण को भेज दिया गया। अधिकरण ने 30.1.87 को अंतरिम रिपोर्ट दी जिस पर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों एवं केन्द्रीय सरकार ने अधिकरण से कुछ विषयों पर स्पष्टीकरण और दिशा निर्देश मांगे। इस बीच अधिकरण के एक सदस्य ने त्यागपत्र दे दिया और किसी न किसी कारण से रिक्ति को भरा नहीं जा सका। यह रिक्ति अब 18.11.1996 को भर ली गई है और अधिकरण का पुनः गठन कर लिया गया है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 पर ''बाईपास''

1387. श्री विश्वेश्वर भगत : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में महु-सिवानी के नजदीक राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 7 पर एक बाईपास का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पाक अधिकृत कश्मीर

1388. डॉ॰ वाई.एस. राजशेखर रेड्डी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान द्वारा सौंपा गया गिलगित पाक अधिकृत कश्मीर में शामिल है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का गिलगित मुद्दे पर क्या दृष्टिकोण है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ग) जम्मू और कश्मीर राज्य के एक हिस्से पर, जिसमें अन्य के साथ-साथ गिलगिट क्षेत्र भी शामिल है, पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भारतीय क्षेत्र को जम्मू और कश्मीर राज्य की तत्कालीन गिलगिट एजेन्सी के हुंजा क्षेत्र के एक भाग सहित पाकिस्तान ने 1963 के तथाकथित चीन-पाक सीमा करार के अन्तर्गत अवैध रूप से चीन को सौंप दिया था।

सम्पूर्ण जम्मू और कश्मीर राज्य भारत संघ का एक अभिन्न अंग है। सरकार शिमला समझौते के अन्तर्गत द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच सभी मसलों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए वचनबद्ध है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/जनजाति की साक्षरता दर

1389. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय साक्षरता प्रतिशत क्या था और उसमें से क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का साक्षरता प्रतिशत कितना-कितना था;

(ख) वर्ष 1996 तक राष्ट्रीय साक्षरता प्रतिशत क्या था और उसमें से क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का साक्षरता प्रतिशत कितना-कितना था; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साक्षरता प्रतिशत में वृद्धि करने के लिए किन योजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया): (क) जनगणना के पास देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कुल साक्षरता प्रतिशत उपलब्ध नहीं है।

(ख) वर्ष 1996 तक कुल राष्ट्रीय साक्षरता प्रतिशत उपलब्ध नहीं है। किन्तु, वर्ष 1991 में कराई गई नवीनतम जनगणना के अनुसार, भारत की साक्षरता दर 52.21 प्रतिशत है तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर क्रमशः 37.41 प्रतिशत तथा 29.60 प्रतिशत है।

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के साक्षरता प्रशित में विशेषरूप से वृद्धि करने के लिए अलग से कोई योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है। संपूर्ण साक्षरता अभियान जो कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की प्रमुख कार्य नीति है, का उद्देश्य संपूर्ण लक्षित निरक्षर जनसंख्या की निरक्षरता का उन्मूलन करना है, चाहे भले ही शिक्षार्थियों की जाति अथवा धर्म कोई क्यों न हो। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे जारी रखे जाने का प्रस्ताव है। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, संपूर्ण देश में कार्यान्वित किए जा रहे साक्षरता अभियानों के अन्तर्गत कुल लक्षित समूह में 22 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 12 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लाभग्राही हैं।

[अनुवाद]

दिल्ली लॉ सेंटर में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच

1390. **श्री चुन-चुन प्रसाद यादव** :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ सेंटर में नियमों का घोर उल्लंघन करते हुए अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों के सामने ही उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने के बारे में दिनांक 15 जनवरी, 1997 को ''पाईनियर'' में प्रकाशित रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) जी हाँ।

(ख) समाचार पत्र में लगाए गए आरोपों पर वास्तविक रिपोर्ट विश्वविद्यालय से मांगी गई है और इसके प्राप्त होने के पश्चात् ही इस मामले में आगे कोई कार्रवाई करना संभव होगा।

रानीपुर-झरियाल का संरक्षण

1391. श्री शरत पटनायक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास बोलनगीर क्षेत्र के रानीपुर-झरियाल के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए उसके संरक्षण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई) : (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बोलनगीर के रानीपुर-झरियाल क्षेत्र में स्थित केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों का रख-रखाव करता है और ये स्मारक परिरक्षण एवं संरक्षण की दृष्टि से अच्छी हालत में हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उप समिति का गठन

1392. डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लड़ाकू विमान दुर्घटनाओं के कारणों की जांच हेतु एक उप-समिति गठित की है?

(ख) यदि हाँ, तो इस समिति का कार्यकाल कितना है और विभिन्न जांच समितियों के गठन के बाद ऐसी समिति गठित करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस समिति द्वारा कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू): (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) समिति को वायुयानों के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों का पता लगाना है तथा एक ऐसी व्यापक कार्य योजना तैयार करनी है जिससे दुर्घटनाओं से होने वाली हानियों को न्यूनतम स्तर पर लाया जा सके। समिति को अपनी रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र सरकार को सौंपनी है।

[अनुवाद]

विझींजम डाईनाविका कमांडेंट

1393. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विझींजम, त्रिवेन्द्रम, केरल को तटरक्षक वायुकमान में शामिल करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कमान में अब तक शामिल की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) लागू नहीं।

मैरीन इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, कलकत्ता को मानित विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता

1394. श्री समीक लहिरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मैरीन इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, कलकत्ता को मानित विश्वविद्यालय घोषित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसे कब तक मानित विश्वविद्यालय घोषित किए जाने की सम्भावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जल से संबंधित खेलों के लिए भारतीय दल

1395. श्री वी.एम. सुधीरन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 1998 में जकार्ता में होने वाले एशियाई खेलकूद के मद्देनजर कैनोइंग, क्योंकिंग तथा रोंइग जैसी जलक्रीडा हेतु भारतीय टीम को तैयार करने तथा प्रशिक्षित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई): (क) और (ख) एशियाई खेलों अथवा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक खेल में किसी भी टीम/खिलाड़ियों को भेजना योग्यता प्रदायी मानदंडों, दिखाये गए प्रदर्शन और संभावित अवसरों पर निर्भर करता है। सरकार का एशियाई खेल, 1998 के लिए जलक्रीड़ा हेतु भारतीय टीम को तैयार और प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव है जो बैंकाक में आयोजित किए जाएंगे न कि जकार्ता में जैसा कि प्रश्न में उल्लेख किया गया है।

रोइंग टीम को तैयार करने के लिए सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण ने भारतीय रोइंग संघ के साथ 16.1.1997 को चर्चा की थी जिसमें प्रशिक्षण तथा प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम पर बातचीत की गई थी और उसे अंतिम रूप दिया गया। एशियाई खेल, 1998 के लिए संभावित खिलाड़ियों के चयन संबंधी कार्य को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया जारी है।

जहां तक कैनोइंग और क्याकिंग का संबंध है, भारतीय क्याकिंग और कैनोइंग संघ को एशियाई खेल, 1998 के लिए प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम का ब्यौरा भेजने के लिए कहा गया है और उसके प्राप्त होने की प्रतीक्षा की जा रही है।

खेलों के लिए विधान

1396. श्री माणिकराव डोडल्या गावीत : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार की खेल के क्षेत्र में विकास और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु केन्द्रीय विधान लाने की योजना है; और

(ख) यदि हाँ, तो नई राष्ट्रीय खेल नीति की मुख्य-मुख्य विशेषताओं का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई): (क) "खेल" विषय को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में अंतरित किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर विभिन्न राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र सरकारों, राष्ट्रीय खेल संघों तथा अन्य संबंधित संगठनों से उनके विचार आंमत्रित किये गये हैं। देश में खेलकूद के विकास के लिए इस समय एक केन्द्रीय विधान अधिनियमित करने के बारे में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) नई राष्ट्रीय खेल नीति के मसौदे में मौजूदा नीति की और अधिक ठोस शर्तों के साथ पुनः संरचना करने का प्रयास किया गया है जिसमें देश में खेलकूद के संवर्धन में कार्यरत विभिन्न संबंधित अभिकरणों द्वारा अपेक्षित रूप से उठाये जाने वाले विशिष्ट उपायों का उल्लेख किया गया है। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

1. खेलों को विस्तृत आधार देना।
2. खेल संबंधी आधारभूत सुविधाओं का सृजन।
3. देश में खेल संस्कृति आरंभ करने हेतु व्यापक साधन जुटाना।
4. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर उत्कृष्टता प्राप्त करना।
5. खिलाड़ियों को वैज्ञानिक समर्थन प्रदान करना।
6. प्रशिक्षकों, खेल वैज्ञानिकों, जजों, रेफरियों तथा अम्पायरों का प्रशिक्षण और विकास।
7. खिलाड़ियों को प्रोत्साहन।
8. खेलों के लिए संसाधन जुटाना, और
9. अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता वाले खेल उपकरणों तक आसानी से पहुंच।

साक्षरता दर के बारे में विश्व बैंक की रिपोर्ट

1397. श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का ध्यान देश में साक्षरता दर के बारे में विश्व बैंक की रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उस रिपोर्ट में किन-किन बातों का उल्लेख किया गया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को इस रिपोर्ट की जांच करने और साक्षरता दर में सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए आग्रह किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) से (घ) विश्व बैंक ने देश में साक्षरता दरों के आधार पर कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की है। किन्तु, "भारत-प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धि तथा चुनौतियाँ" नामक एक प्रकाशन में जनगणना पर आधारित साक्षरता दरों से संबंधित आंकड़ों की सूचना दी गई थी।

आन्ध्र प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 का विस्तार करना

1398. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विशाखापत्तनम से विजयवाड़ा तक

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 को चार लेन वाली सड़क बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव स्वीकृत किया है;

(ख) क्या एशियाई विकास बैंक और केन्द्र सरकार ने इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराने के बारे में अपनी सहमति दे दी है; और

(ग) यदि हाँ, तो एशियाई विकास बैंक और सरकार से कब तक पूरी सहायता मिल जाएगी और यह कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन): (क) से (ग) भारत सरकार, देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए जिम्मेवार है। रा.रा.-5 पर विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा के बीच निम्नलिखित सड़क खंडों को चार लेन का बनाए जाने को भारत सरकार ने अनुमोदन प्रदान कर दिया है और एशियाई विकास बैंक की ऋण सहायता के तहत इन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है।

(i) नाम - रा.रा.-5 के विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम खंड के 358/0-395/875 कि.मी. में मौजूदा कैरिजवे और विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर खंड का 0/0-2/837 कि. मी. भाग को चार लेन का बनाया जाना और उसका सुदृढ़ीकरण तथा अनकपल्ली बाईपास को मजबूत बनाना।

ऋण सहायता - विभिन्न राज्यों के लिए छः उप-परियोजनाओं हेतु 188 मिलियन अमेरिकी डालर की कुल ऋण राशि में इसे शामिल कर लिया गया है।
पूरा करने की नियत तारीख - जून, 1997

(ii) नाम - विजयवाड़ा-इलुरू खंड (3.4-53.8 कि.मी. और 69.2 से 75 कि.मी.) में मौजूदा दो लेन वाले कैरिजवे को मजबूत बनाना तथा (3.4 कि.मी. से 13 कि.मी. में) चार लेन बनाना और इलुरू कस्बे (53.80-69.20 कि.मी.) के लिए 17.88 कि. मी. लम्बा एक बाईपास।

ऋण सहायता - इसे विभिन्न राज्यों में छह उप परियोजनाओं के लिए 345 मिलियन अमेरिकी डालर की ऋण राशि में शामिल कर लिया गया है।

पूरा करने की नियत तारीख - दिसम्बर, 2000

दांतों से संबंधित समस्या

1399. श्री मोहन रावले : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग अस्सी प्रतिशत भारतीय दांतों की समस्या से पीड़ित हैं और शहरों में 90 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति दांतों से संबंधित बीमारियों से पीड़ित हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लोगों को इन बीमारियों के निवारण तथा स्वयं देख-भाल करने के बारे में शिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है क्योंकि अधिकांश व्यक्ति दन्त चिकित्सकों के महंगे उपचार का बोझ वहन नहीं कर पाते ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) और (ख) भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 85% से अधिक स्कूली बच्चे दन्त्यक्षरण से प्रभावित हैं। इस समय हमारी लगभग 85% जनसंख्या दन्त्यक्षय से पीड़ित है और लगभग 95% जनसंख्या को पीरियोडोन्टल रोग है।

(ग) व्यापक मुखीय स्वास्थ्य परिचर्या पर एक अग्रणी परियोजना 13.7.95 से शुरू की गई है। इस परियोजना में स्वयं देखभाल करने के उपायों के माध्यम से लोगों द्वारा निवारक परिचर्या पर मुख्यतः बल दिया गया है जिसमें फ्लोराइड के उपयोग पर जोर देना ओर चीनी के उपयोग तथा धूम्रपान में कमी और मुखीय स्वच्छता में सुधार करना भी शामिल है।

[हिन्दी]

सैनिकों की भर्ती

1400. श्री आर.एल.पी. वर्मा : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिकों की संख्या में कमी की जा रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो 31 जनवरी, 1997 को देश में भारतीय सेना में कितने सैनिक थे तथा गत तीन वर्षों के दौरान सेवानिवृत्त हुए सैनिकों की तुलना में कितने नए सैनिक भर्ती किए गए ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू): (क) और (ख) सेना में जनशक्ति संबंधी समग्र उच्चतम सीमा को कम किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

इस समय, सेना में कार्मिकों को सभी श्रेणियों के जनशक्ति नफरी संबंधी आंकड़े वर्ष में दो बार, अर्थात्, 31 मार्च और 30 सितंबर को अद्यतन किए जाते हैं। 30 सितंबर, 1996 की स्थिति के अनुसार सेना की नफरी में कुल 9,86,964 जूनियर कमीनशन प्राप्त अफसर/अन्य रैंक हैं।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों (अर्थात् 1993-94, 1994-95, 1995-96) के दौरान भर्ती किए गए सिपाहियों की कुल संख्या 2,06,515 है। इस अवधि के दौरान सेवानिवृत्त/कार्यमुक्त/वीरगति को प्राप्त कार्मिकों की संख्या 1,39,821 है। सेवानिवृत्ति के लिए भर्ती का अनुपात 1 से अधिक है क्योंकि मौजूदा, कमियों, नई खड़ी की जाने वाली यूनिटों की आवश्यकताओं और राष्ट्रीय राइफल के लिए कार्यमुक्त किए जाने से आई कमियों को पूरा करने के लिए भी रंगरूटों की जरूरत थी।

[अनुवाद]

दिल्ली विश्वविद्यालय में महिलाओं का उत्पीड़न किया जाना

1401. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 दिसम्बर, 1996 के ''हिन्दुस्तान टाइम्स'' में ''ओमेन हैरेस्ड, बट डू द डोन्स केयर'' शीर्षक से प्रकशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले के संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(ग) दिल्ली विश्वविद्यालय में महिलाओं की इस तरह से उत्पीड़न करने की घटनाओं को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया): (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) समाचार पत्र में लगाए गए आरोपों पर वास्तविक रिपोर्ट विश्वविद्यालय से मांगी गई है और इसके प्राप्त होने के पश्चात् ही इस मामले में आगे कोई कार्रवाई करना संभव होगा।

एवरो वायुयान का दुर्घटनाग्रस्त होना

1402. डॉ॰ टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 दिसंबर, 1996 को एवरो - 1023 वायुयान आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन किसानों की जिनके घर तथा फसल वायुयान दुर्घटना के कारण नष्ट हो गए थे की क्षतिपूर्ति नहीं दी गई; और

(ग) यदि हाँ, तो प्रभावित किसानों की कुल संख्या कितनी है तथा प्रत्येक किसान को मुआवजे के रूप में दी गई राशि का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू): (क) से (ग) 24 दिसंबर, 1996 को ताम्बरम से बेगमपेट जा रहा एक एवरो एच.एस. 748 वायुयान मेल्लोर जिले के पामुरू के 7 समुद्री मील पश्चिम में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इस घटना के संबंध में एक जांच अदालत बिठाए जाने के आदेश दे दिए गए हैं।

सैनिकों द्वारा झेली जा रही समस्याएं

1403. श्री परसराम भारद्वाज : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्रोही गतिविधियों का दमन करने के लिए तैनात किए गए सैनिकों को मनोवैज्ञानिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि लम्बे समय तक प्रतिविद्रोही संक्रियाओं में तैनात रहने के कारण सैनिकों को मनोवैज्ञानिक समस्याओं का सामना करने की संभावना बनी रहती है। तथापि, भारतीय सशस्त्र सेनाओं में इस तरह की कोई खास समस्या नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हड़प्पा वैदिक संबंध

1404. सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़:
श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1.1.1997 के समाचार पत्र ''हिन्दुस्तान टाइम्स'' में ''हड़प्पन वैदिक लिंक्स एट टोलविरा पॉस्सिब्ल'' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उत्खनन कार्य कब से चल रहा है; और

(ग) गुजरात में अन्य संरक्षित स्मारकों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई): (क) जी, हाँ।

(ख) गुजरात के जिला कच्छ में स्थित धौलावीरा का उत्खनन कार्य रुक-रुक कर 1990 से चल रहा है। उत्खनन कार्यों से हड़प्पा संस्कृति के उत्थान एवं पतन के एक क्रम का पता चला है जो सात सांस्कृतिक स्तरों में विभक्त है तथा जिनका समय ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के प्रथम चरण के शुरू से सैकड़ों शताब्दियों पहले का है एवं जो लगभग 1500 ईसा पूर्व में लुप्त हो गई। उत्खनन कार्यों से हड़प्पा नगर योजना के पूर्ण विन्यास का भी पता चला है। स्मारक-विषयक एवं सौन्दर्यपरक वास्तुशिल्प के नए साक्ष्य एकत्र किए गए हैं। सभा-स्थल अथवा स्टेडियम जिसमें बैठने की व्यवस्था है, जल सिंचाई, भंडारण प्रणाली, सूचनायुक्त अंत्येष्टि संरचनाओं एवं कार्यों के साक्ष्य लेखबद्ध कर लिए गए हैं। बड़े आकार वाले दस हड़प्पीय चिन्हों का एक अभिलेख स्थल की एक अद्वितीय खोज है। पौराणिक दृश्यों के चित्रण वाली स्टाम्प मुहरों के अलावा, मुद्राएं, बाट एवं क्रमिक सांस्कृतिक स्तरों को दर्शाने वाले विशिष्ट मृदभांड भी प्रकाश में आए हैं।

(ग) एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों एवं स्थलों की सूची

गुजरात

क्रसं	स्थान	स्मारक का नाम/स्थल
1	2	3
		गांधीनगर जिला
1.	अदालाज	अभिलेख युक्त सोढ़ीदार कुंआ
		अहमदाबाद-जिला
2.	अहमदाबाद	अच्युत बीबी की मस्जिद और मकबरा
3.	-वही-	अहमद शाह का मकबरा
4.	-वही-	एसतौदिया गेंट
5.	-वही-	आजम खान का महल
6.	-वही-	अहमद शाह का मकबरा
7.	-वही-	बाबा लूली का मकबरा
8.	-वही-	भद्रा तोमर
9.	-वही-	राजपुर में बीबी जी की मस्जिद
10.	-वही-	रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म के ऊपर ईंटा की मीनार
11.	-वही-	दादा हरीर की मस्जिद और मकबरा
12.	-वही-	दादा हरीर का कुंआ
13.	-वही-	दरया खान का मकबरा
14.	-वही-	दस्तूर खान की मस्जिद
15.	-वही-	दिल्ली गेट
16.	-वही-	हैबत खान की मस्जिद
17.	-वही-	कनकारिया टैंक का प्रवेश मार्ग
18.	-वही-	जामा मस्जिद
19.	-वही-	मल्लिक आलम की मस्जिद
20.	-वही-	माता भवानी का कुंआ
21.	-वही-	मुहाफिज खान का मकबरा
22.	-वही-	नवाब सरदार खान रोजा इसके अहाते के साथ
23.	-वही-	पंचकुआ गेट
24.	-वही-	सारंगपुर में रानी की मस्जिद
25.	-वही-	कुतब शाह की मस्जिद
26.	-वही-	रायपुर गेट
27.	-वही-	मिर्जापुर में रानी रूपमती मस्जिद
28.	-वही-	रानी सिपरों की मस्जिद और मकबरा
29.	-वही-	सैश्यद उस्मान की मस्जिद और मकबरा
30.	-वही-	शाह आलम का मकबरा जिसके साथ इस समूह को चारों ओर के सभी भवन
31.	-वही-	शाह खुप्पाई मस्जिद
32.	-वही-	शाह अथवा खाजो मुहम्मद चिश्ती मस्जिद
33.	-वही-	शिदी बशीर की मीनार और मकबरा

1	2	3
34.	अहमदाबाद	सिद्दी सैय्यद मस्जिद
35.	-वही-	तीन दरवाजा
36.	-वही-	तीन दरवाजा
37.	-वही-	मीर अबू तराब का मकबरा
38.	-वही-	सारंगपुर में रानी की मस्जिद के निकट मकबरा
39.	-वही-	अहमदशाह की रानी का मकबरा
40.	-वही-	दरियापुर गेट
41.	-वही-	कालूपुर गेट
42.	-वही-	प्रेम भाई गेट
43.	-वही-	सारंगपुर गेट
44.	-वही-	मकबरा
45.	डोलका	जामी मस्जिद
46.	-वही-	खान मस्जिद
47.	-वही-	खान ताला जिसमें जलद्वार है
48.	नावली तालाब	मालव तालाब
49.	-वही-	बालल खान गाजी का मकबरा
50.	-वही-	तंका मस्जिद के निकट खंडहर भवन
51.	ईसानपुर	जेठानी का कुंआ
52.	-वही-	लघु पत्थर मस्जिद
53.	मकराहा	शाह मस्जिद
54.	-वही-	महा तालाब और हरम
55.	-वही-	शेख अहमद खाता गाजी बक्श के मकबरे के सामने मंडप
56.	-वही-	बाया अलीसर और बाबा गानी बक्श का रोजा
57.	-वही-	बीबी राजा बाई का मकबरा
58.	-वही-	मो० बेगरहा का मकबरा
59.	-वही-	शेख अहमद खातागंज बक्श का मकबरा
60.	मंडला	जामी मस्जिद
61.	नांदल	खाजी मस्जिद
62.	-वही-	सैयद मस्जिद
63.	पालदो कोचरहा	लघु पत्थर मस्जिद
64.	रानपुर	रोजाशा पीर की मस्जिद
65.	वासना	आजम खान और भोजन खान का रोजा
66.	वीरामगम	मान्स उर ताल्व और तीर्थ मंदिर
		अमरेली जिला
67.	अमरेली	गोहीलवाड़ टिम्बो के नाम से प्रसिद्ध प्रचीन स्थल
68.	मुल द्वारका	रांची देराई मंदिर और मुसहश्वर महादेव मंदिर
69.	पदारसिंह	काशी विश्वनाथ मंदिर की दीवार
70.	वेणीवदार	प्राचीन स्थल
		बड़ौदा जिला
71.	अमरपुर	लघु नव पाषाण स्थल
72.	बड़ौदा	टिम्बोस्कन वज की दीवारों पर भित्ति चित्र
73.	-वही-	ऐतिहासिक स्थल
74.	दानहोई	बड़ौदा भागल (गेट) और इसके साथ लगे निर्माण
75.	-वही-	बड़ा भागल साथ लगी हुए निर्माण के साथ
76.	धनोई	महूदी (चम्पा नूरी) भगोल (गेट) और साथ लगे हुए निर्माण
77.	-वही-	नांदोदी गेट के साथ लगे हुए निर्माण
78.	-वही-	दामोई तालाब में सप्तमुखी वव
79.	दानतेश्वर	हाजीरा
80.	कांरवा	प्राचीन स्थल
81.	-वही-	प्रवेश द्वार अथवा तराना

1	2	3
		भावनगर जिला
82.	सल्होर	प्राचीन टीला ब्रह्म कुंड से डेढ़ मील दूर है
83.	-वही-	दरबार गढ़
84.	तालजा	जैन मंदिर
85.	-वही-	तालजा गुफायें
86.	बल्लगोपुर	प्राचीन टीला
		भड़ौच जिला
87.	भड़ौच	जामी मस्जिद
		जामनगर जिला
88.	बारादिमा	राम-लक्ष्मण मंदिर महाप्रभुजी की बैठक को छोड़कर
89.	धौंकी	गद्दी और तीर्थ मंदिर
90.	धरासावंल	नागदेहल मंदिर
91.	द्वारका	सार्वजनिक लाइब्रेरी परिसर में खक्तत्रप्पा अभिलेख युक्त पत्थर
92.	-वही-	रूक्मणी मंदिर
93.	गौप	गोप मंदिर
94.	लौराली	गोकेश्वर महादेव मंदिर
95.	नवी धरेवर	कालिका माता मंदिर
96.	पिण्डारा	दुर्वासा ऋषि का आश्रम और इसका आसन
97.	वासो	जूनागढ़ी मंदिर
98	-वही-	कणकेश्वर महादेव मंदिर और अन्य मंदिर
99.	द्वारका	द्वारकाधीश मंदिर का समूह
99ए	गोरूज	प्राचीन स्थल जो सांध्यापुर के नाम से प्रसिद्ध है
99बी	गोरूज	प्राचीन स्थल
		जूनागढ़ जिला
100.	इंतवा	प्राचीन टीला
101.	जूनागढ़	अशोक शैल
102.	-वही-	गुफांए
103.	मंगगोल	जामी मस्जिद, राहीमत मस्जिद और रावलेत मस्जिद
104.	नियानी	प्राचीन पार्श्वनाथ मंदिर
105.	पोरबन्दर	जिसमें महात्मा गांधी पैदा हुए थे
		कैरा जिला
106.	बरसाड़	सीढ़ीदार कुंआ
107.	कैम्बे	जामी मस्जिद
108.	मेहदाबाद	बहामारिया दीवार
109.	सारनाल	गाकतेश्वर मंदिर
110.	सोजाली	मुबारक सैय्यद का मकबरा
111.	-वही-	सैफउद्दीन और निजाम-उद्दीन का मकबरा
		कच्छ जिला
112.	भुज	राव लखा छतरी का मकबरा
113.	कोट्टाई	शिव मंदिर
		मेहसाना जिला
114.	अनावड़ा और सामालपती	साहसारलिंग तालाब
115.	असोदा	जसमलान्थीजी महादेव मंदिर
116.	धोलमाल	लिम्बोजी माता मंदिर
117.	खानदोसान्	छिंगोजी माता मंदिर
118.	-वही-	-वही-
119.	-वही-	सभा मंडप और दो प्राचीन तीर्थ मंदिर छिंगोजी माता मंदिर के पास
120.	मोधेरा	सूर्य मंदिर, सूर्य तालाब कुंड और उत्कीर्ण पत्थर मूर्तियों, मंदिरों और भूमिगत एंकक
121.	पालोदार	मलय माता मंदिर
122.	पाटण	खान सरोवर का गेट

1	2	3
123.	पाटण	रानी वाव
124.	-वही-	शेख फरीद दरगाह और रोजा
125.	पिलुदारा	शीतला माता मंदिर
126.	-वही-	सूर्य मंदिर का तोरण
127.	रूहावी	नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर
128.	सांदेर	संदेरी माता मंदिर के समीप दो लघु तीर्थ मंदिर
129.	सिद्धपुर	जामा मस्जिद
130.	-वही-	रूद्र महालाया के खंडहर
131.	सूनाक	नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर
132.	-वही-	शिवाई माता मंदिर
133.	वादनगर	आजपाल कुंड
134.	-वही-	अर्जुनवारी गेट के अभिलेख
135.	-वही-	तोरण
136.	वीजापुर	वीजापुर कुंड
		पंचमहल जिला
137.	बावका	महादेव मंदिर के प्राचीन खंडहर
138.	चंपानेर	बावा मान की मस्जिद
139.	-वही-	मस्जिद का स्मारक
140.	-वही-	नगीना मस्जिद का स्मारक
141.	-वही-	नगर दुर्ग दीवार
142.	-वही-	कासबीन तालाब के निकट सिटी गेट
143.	-वही-	पहाड़ी की ओर जाने वाली नगर-दुर्ग के दक्षिण पूर्व स्थित नगर दिवार।
144.	-वही-	पूर्व और दक्षिण भद्रा गेट
145.	-वही-	पावागढ़ पहाड़ी पर गेट नं0 1 (दो प्रवेशद्वार सहित)
146.	-वही-	गेट नं0 2, (तीन प्रवेश द्वार सहित)
147.	-वही-	गेट नं0 3
148.	-वही-	गेट नं0 4 विशाल बुर्ज सहित जिसके अन्दर एकक हैं।
149.	-वही-	माची के निकट गेट नं0 3
150.	-वही-	गेट नं0 6
151.	-वही-	लौध्र पुल के समीप गेट नं. 7
152.	-वही-	गेट नं0 8 (तारापुर गेट)
153.	-वही-	रेलोकल सीढ़ीदार कुंआ
154.	-वही-	जामी मस्जिद
155.	-वही-	खजूरी मस्जिद के समीप बड़ा तालाब के उत्तरी किनारे पर कबूरखा मंडप।
156.	-वही-	कमानी मस्जिद
157.	-वही-	कवादा मस्जिद
158.	-वही-	लोली गुम्बद की मस्जिद
159.	-वही-	मकाई कोठर
160.	-वही-	मांडवी अथवा कस्टम हाउस
161.	-वही-	गेट नं0 4 के समीप टकसाल
162.	-वही-	नगीना मस्जिद'
163.	-वही-	नौखखा कोठार
164.	-वही-	पताई रावल का महल तालाब के साथ
165.	-वही-	साकर खान की दरगाह
166.	-वही-	गेट नं0 4 और 5 के बीच सात मंजिल बुर्ज के शीर्ष तक सीढ़ियों सहित
167.	-वही-	शेखर की मस्जिद
168.	-वही-	पावागढ़ पहाड़ी के शीर्ष पर पावागढ़ किले और हिन्दू और जैन मंदिर और जैन मंदिर के खंडहर
169.	-वही-	जामी मस्जिद के उत्तर में सीढ़ीदार कुआ
170.	-वही-	शाहेर, (बराकी) मस्जिद और स्थानीय शुल्क धर्मशाला के बीच नगर-दुर्ग की दीवार के भीतर तीन कक्ष
171.	-वही-	मकबरा जिसके मध्य में बड़ी गुम्बद है और बड़ा तालाओं के समीप चार लघु कोने की गुम्बद वाला रास्ता।

1	2	3
172.	चंपानेर	शीर्ष पर किले की दीवार
173.	देसर	रुद्र माला
174.	दोहाद	प्राचीन स्थल (छबा लालाओ) संर्वेक्षण नं0 1
175.	हलोल	एक मीनार की मस्जिद
176.	-वही-	पंच माह्रा की मस्जिद
177.	-वही-	पंच माह्रा की मस्जिद के समीप गुम्बद
178.	-वही-	सिकंदर शाह का मकबरा
179.	कंणकणपुर	महादेव का मंदिर
180.	रत्नपुर	मूर्ति पट के साथ प्राचीन मंदिर
		राजकोट जिला
181.	धनक	धनक गुफाएं
		सहारकथा जिला
182.	प्रान्तिज	सिकंदर शाह का मकबरा
182.	खेद और रोदा (रायशिंगपुर)	खेद और रोदा (रायसिंहपुर) स्थित मंदिर का समूह।
		सूरत जिला
184.	कामरेज	प्राचीन स्थल
185.	सूरत	ख्वाजा दौग साहेग का रोजा के नाम से प्रसिद्ध दरगाह
186.	-वही-	प्राचीन अरमेनियन मकबरा
187.	-वही-	प्राचीन अंग्रेजी और डच मकबरा
188.	-वही-	ख्वाजा सफर सुलेमानी का मकबरा
189.	व्यारा	फतेह बुर्ज
		सुरेंद्रनगर जिला
190.	आनंदपुर	अंनतेश्वर मंदिर
191.	हलवदे	दरगाहगढ़
192.	रंगपुर	प्राचीन टीला
193.	सेजक पुर	प्राचीन टीला
194.	सेजकपुर	नौलखा मंदिर
195.	थान	सूर्य मंदिर
196.	वाधवन	रानक देवी का मंदिर
		खुदा जिला
197.	नादियाद	विट्ठलभाई हवेली

[हिन्दी]

एक्सप्रैस/चार लेन वाली सड़क

1405. श्री पी.सी. थामस : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में एक्सप्रैस/चार लेन वाली सड़कें बनाने की कोई योजना है;

(ख) क्या यह योजना केवल महानगरीय शहरों को जोड़ने तक ही सीमित है जबकि दक्षिणी राज्यों जैसे केरल उत्तरी राज्यों जैसे जम्मू और कश्मीर और दूसरे अन्य राज्यों को इस सुविधा से वंचित रखा गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन): (क) से (ग) यद्यपि, नौवीं योजना में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुम्बई को जोड़ने वाले अधिक यातायात सघनता वाले मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों और महापत्तनों को जाने वाले सड़कों को चार लेन का बनाए जाने की मुख्य वरीयता दी जाएगी और चार लेन बनाए जाने के लिए आवश्यक अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों पर भी विचार किया जाएगा, जो परियोजनाओं की पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। तथापि, फिलहाल किसी नए एक्सप्रैस मार्ग के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

व्यावसायिक महाविद्यालयों में प्रवेश संबंधी योजनाएं

1406. श्री नारायण अठावले : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 जनवरी, 1997 के बिजनेस स्टेंडर्ड में "सेन्टर ड्राफ्टिंग एडमीशन स्कीम्स फौर प्रोफेशनल कोलेजस्" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रयोजनार्थ तैयार की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुडी राम सैकिया) : (क) से (ग) इस योजना में:

(क) परिकल्पना की गई है कि योजना व्यावसायिक गैर-सहायता प्राप्त संस्थान पर लागू होगी जिसमें ऐसे प्रबंध संस्थान भी शामिल होंगे जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की अनुमति से स्नातकोत्तर की उपाधि प्रदान करते हैं;

(ख) बताया गया है कि शुल्क ऐसे स्तर पर निर्धारित किया जायेगा कि संस्थान न लाभ न हानि के आधार पर चलाया जा सके;

(ग) प्रायोजक/प्रोन्नतकर्ता द्वारा पूंजी लागत के एक भाग की वसूली के लिए शुल्क में एक सीमित भत्ता रखना;

(घ) संस्थान की प्रबंध व्यवस्था को परिसम्पत्तियों तथा उपकरणों के अनुरक्षण योग्य बनाना तथा समय-समय पर ऐसी सुविधाओं को प्रोन्नत करना;

(ङ) न्यायालय द्वारा उन्नीकृष्णन योजना में बताई गई प्रवेश प्रक्रिया को जारी रखना;

(च) ऐसे शुल्क निर्धारण की परिकल्पना की गई है कि शुल्क निर्धारण समितियों के साथ विकेन्द्रित पद्धति से शुल्क निर्धारित किया जाये ताकि संबंधित राज्य सरकार संबंधित/विशेषज्ञ निकाय तथा लागत विशेषज्ञों आदि का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो;

(छ) शुल्क का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया गया है जिसमें इन कई घटकों के साथ शिक्षा प्रदान करने की लागत निर्धारित करने वाले घटक भी शामिल हैं जिनका मानकीय आधार पर पता लगाया गया है;

(ज) उगाही किए जाने वाले शिक्षा शुल्क और विकास शुल्क के लिए दो प्रकार के शुल्क का प्रावधान। पहले शुल्क का अनुरक्षण/आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाएगा और दूसरा शुल्क का स्थान्नापन्न/प्रोन्नयन की लागत को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाएगा;

(झ) शिक्षा शुल्क दो विभिन्न लेखों में रखा जाना चाहिए जिसमें संगत घटक को आकलित किया जाएगा तथा उचित मदों पर व्यय किया जाएगा; और

(ञ) एक बार निर्धारित किया गया शुल्क तीन वर्षों के लिए वैध होगा। अगले तीन वर्षों हेतु शुल्क निर्धारित करने के लिए अनुरक्षण और विकसित लेखों में बकाया शेष का ध्यान रखा जाएगा।

[हिन्दी]

भोपाल पासपोर्ट कार्यालय

1407. श्री सुशील चन्द्र : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्ट हेतु कितने आवेदन पत्र लंबित हैं तथा कब से यह लंबित हैं;

(ख) उक्त पासपोर्ट कार्यालय द्वारा एक माह के दौरान औसतन कितने आवेदन पत्र प्राप्त किए गए तथा निपटाए गए; और

(ग) समय-समय पर प्राप्त शिकायतों को ध्यान में रखते हुए पासपोर्ट कार्यालय के परिसर में घूमते पाए गए दलालों की समस्या से निपटने के लिए क्या कार्यवाही की गई?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) 7.2.1997 को पासपोर्ट कार्यालय, भोपाल में 2691 आवेदन-पत्र लम्बित पड़े थे। इनमें से 1625 एक माह से अधिक समय से लम्बित थे।

(ख) वर्ष 1996 में एक माह के दौरान प्राप्त नए आवदेन-पत्रों की औसत संख्या 1642 है। इसी अवधि के दौरान निपटाए गए नए आवेदन-पत्रों की औसत संख्या 1581 है।

(ग) सभी पासपोर्ट कार्यालयों को दलालों के विरुद्ध कठोर उपाय करने के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं। दलालों की गतिविधियों के संबंध में जब भी शिकायतें प्राप्त होती हैं, स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर तुरन्त कार्यवाही आरंभ की जाती है।

[अनुवाद]

अस्पताल परियोजना को वित्तीय सहायता

1408. श्री केशव महन्त : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष अस्पताल परियोजनाओं को दिए गए ऋणों/वि

(ख) ये आंबटन किन शर्तों के आधार पर किए गए हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को असम सरकार की ओर से राज्य मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के विस्तार तथा विकास हेतु वित्तीय मदद प्राप्त करने संबंधी और अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों के दौरान असम में अस्पताल परियोजनाओं के लिए ऋण/वित्तीय सहायता रिलीज नहीं की है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) राज्य स्तरीय अस्पतालों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता के बारे में असम सरकार से वित्तीय सहायता के तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज के समुन्नयन के प्रस्ताव पर योजना आयोग 9.50 करोड़ रुपए सिद्धांत रूप में रिलीज करने पर सहमत हो गया है। असम में मध्यम स्तरीय अस्पतालों को सुदृढ़ करने के लिए 11394.72 लाख रुपए के परियोजना लागत संबंधी दूसरे प्रस्ताव पर आई.डी.ए. विश्व बैंक से धन प्राप्त करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की जा रही है। स्वास्थ्य के मौजूदा ढांचे को बढ़ाने के तीसरे प्रस्ताव पर, जिसकी परियोजना लागत 130-170 करोड़ रुपए है, यूरोपीय समुदाय से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

मुक्त विश्वविद्यालय

1409. श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में कुछ और मुक्त विश्वविद्यालयों को स्थापित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इन्हें किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार गुजरात के बलसाड़ में किसी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने का है;

(घ) यदि हाँ, तो इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुडी राम सैकिया) : (क) से (ङ) केन्द्रीय सरकार ने पहले से ही राष्ट्रीय स्तर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित कर दिया गया है तथा राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि इस संबंध में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की सिफारिशों के अनुसरण में प्रत्येक राज्य में एक-एक मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित करने पर विचार करें। चूंकि गुजरात राज्य में पहले ही वर्ष 1994 में एक राज्य स्तरीय मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया जा चुका है अतः गुजरात में एक अतिरिक्त मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

[अनुवाद]

मिग-29 विमान की मरम्मत

1410. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना के पास इसके मिग 29 विमानों की व्यापक मरम्मत हेतु संपूर्ण रखरखाव सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) मिग-29 वायुयानों की संपूर्ण ओवरहालिंग के लिए भारत में ही पूर्णरूपेण रख-रखाव सुविधाएं स्थापित की गई हैं। उत्पन्न आवश्यकतानुसार संपूर्ण मरम्मत के लिए वायुयान पहले ही शामिल किए जा चुके हैं।

बालिकाओं की हत्या

1411. डॉ॰ एम. जगन्नाथ
श्रीमती शारदा टाडीपारथी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु और देश के अन्य भागों में नवजात बालिकाओं की हत्या करने की प्रथा जारी है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस निंदनीय प्रथा के प्रचलन के क्या कारण हैं; और

(घ) इस प्रथा को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) से (घ) महिला एवं बाल विकास विभाग ने बालिका शिशु हत्या की समस्या की गहनता और व्यापकता का पता लगाने के लिये 9 राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 7 स्वतन्त्र नमूना अध्ययन प्रायोजित किए हैं। प्राप्त रिपोर्टों से पता चला है कि बालिका शिशु हत्या की प्रथा देश के कुछ हिस्सों में और कुछ समुदायों में ही प्रचलित है। शिशु हत्या भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत एक अपराध है। इन कार्यों में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। केन्द्रीय सरकार ने भी प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक (विनियमन और दुरूपयोग निवारण) अधिनियम 1994 पारित किया है ताकि भ्रूण के लिंग निर्धारण करने के लिये, जिसके फलस्वरूप बालिका भ्रूण की हत्या कर दी जाती है, प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकों के दुरूपयोग को रोका जा सके। इसके अलावा सरकार द्वारा देश में महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण और विकास के लिये कार्यवाही और समर्थन के विभिन्न कार्यक्रम भी कार्यान्वित किये जा रहे है। लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये में परिवर्तन लाने के लिये उनकी सकारात्मक छवि उभारने के भी प्रयास किये जा रहे हैं। सरकार ने बालिकाओं से संबंधित इन मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने के लिये प्रचार अभियान भी शुरू किया है। दक्षेस बालिका दशक (1991-2000) के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की गई है जिसमें बालिकाओं की उत्तर-जीविता, सुरक्षा और विकास पर बल दिया गया है। समेकित बाल विकास सेवा ढाँचे के माध्यम से किशोर लड़कियों के लिये विशेष उपायों को संस्थानीकृत किया गया है। कुछ राज्यों ने लड़कियों की स्थिति सुधारने के लिये विशिष्ट स्कीमें भी शुरू की हैं।

तट रक्षक

1412. श्री एन. डेनिस : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार तमिलनाडु सीमा पर तटवर्ती रक्षकों की संख्या में बढ़ोतरी करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस विषय पर किए गए सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू): (क) से (ग) तटरक्षक इस क्षेत्र में कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। तटरक्षक बल स्तर की भावी आवश्कताओं के स्व-मूल्यांकन के आधार पर हाल ही में दो अंतर्ग्राही नौकाएं कमीशन की गई हैं। तटरक्षक को और मजबूत करने का मामला विचाराधीन है।

पाकिस्तान द्वारा दूर-संचालित चालकरहित विमानों की खरीद

1413. श्री तारीक अनवर : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने परिष्कृत दूर-संचालित विमानों की खरीद की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन देशों से ये विमान खरीदे गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार पाकिस्तान ने चीनी मूल के सुदूर नियंत्रित चालकरहित वायुयान प्राप्त कर लिए हैं। इन वायुयानों में पिस्टन इंजन लगा हुआ है और ये सुदूर नियंत्रित तथा पायलटरहित वायुयान हैं जो 205 कि.मी./घंटा की अधिकतम गति से उड़ान भर सकते हैं और 3200 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक उड़ सकते हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की शिक्षण योजना

1414. श्री मुख्तार अनीस : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पिछड़ी जातियों और अन्य कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के लिए शिक्षण योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान इस योजना को चलाने वाले विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं;

(ग) प्रत्येक विश्वविद्यालय में परीक्षावार विद्यार्थियों की संख्या कितनी है;

(घ) वर्ष 1996-97 के लिए विश्वविद्यालय-वार आवंटित राशि कितनी है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान और अप्रैल-दिसम्बर, 1996 के दौरान विश्वविद्यालय-वार वास्तविक रूप से कितना व्यय किया गया?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नर्मदा बांध तथा सरदार सरोवर परियोजना

1415. श्री सनत मेहता :
श्री दिलीप संघानी :
श्री दिलीप सिंह भूरिया :
श्री परसराम भारद्वाज :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा नहर (सरदार सरोवर नहर) की ऊंचाई संबंधी विवाद को अंतिम रूप से हल कर लिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में लिये गये निर्णय का ब्यौरा क्या है तथा इस बांध की कितनी ऊंचाई पर सहमति हुई है; और

(ग) सरदार सरोवर परियोजना को पूरा किये जाने में अब तक कितनी प्रगति हुई है तथा इसके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) और (ख) सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई पर विचार-विमर्श करने के लिए प्रधाननंत्री द्वारा दिनांक 15.7.1996 और 16.7.1996 को गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक आयोजित की गई, इसमें निम्न बिन्दुओं पर सहमति हुई —

''सरदार सरोवर बांध के निर्माण का कार्य योजना के अनुसार किया जाए और प्रथम बार में पूर्ण जलाशय स्तर को 132.68 मीटर (436 फीट) तक सीमित किया जाए। उसके बाद पांच वर्ष की अवधि के लिए बांध में जल के वास्तविक प्रवाह के लिए आंकड़ों का प्रेक्षण किया जाएगा। यदि इन पांच वर्षों में से किन्हीं तीन वर्षों के दौरान पंचाट में आकलित किए गए अनुसार जल निर्मुक्ति का प्रवाह प्रर्याप्त है तो जलाशय स्तर को 138.68 मीटर (455 फीट) तक बढ़ाने के संबंध में निर्णय पर विचार किया जाएगा।

बांध के निर्माण कार्य की प्रगति पंचाट की शर्तों के अनुसार परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास के और इस संबंध में राज्यों द्वारा निर्धारित राहत और पुनर्वास नीतियों के समरूप होती रहेगी। राज्य राहत और पुनर्वास उपायों का त्वरित और समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे''।

(ग) विवरण संलग्न हैं।

विवरण

परियोजना के निर्माण में प्रगति

30.9.1996 को वास्तविक प्रगति

क्र.सं.	घटक	खुदाई %	कंक्रीटिंग %	ड्रिलिंग %
1.	मुख्य बांध	99.85	88.22	75.89
2.	नदी तल विद्युत घर			
	खुला	84.57		
	भूमिगत	92.10		
3.	नहर मुख्य विद्युत घर	पूरी होने वाली है	99.20	
4.	वद्गाम सैडल बांध	-तदैव-	पूर्ण	
5.	नर्मदा मुख्य नहर	मिट्टी कार्य	पक्का करने का कार्य संरचनात्मक कंक्रीट %	
	(0 से 144 कि.मी.)	97.42	95.14	76.63
6.	शाखा नहरें			
	फेज-1 (0 से 144.5 कि.मी.)	82.61	63.61	73.32
7.	वितरण प्रणाली			
	(0 से 144 कि.मी.)	65.32	56.41	51.47

परियोजना के 2000 ई. सन तक की गई आयोजना के अनुसार पूरे हो जाने की संभावना है। तथापि, परियोजना का समय पर पूरा होना महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश आदि क्षेत्रों में पुनर्स्थापना और पुनर्वास उपायों और पर्यावरणीय सुरक्षापायों के समरूप कार्यान्वयन पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद्

1416. प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :
श्री नीतीश कुमार :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1983 में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् का गठन किया था;

(ख) यदि हाँ, तो इस परिषद के चैयरमैन और इसके सदस्यों के नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह परिषद् जल संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए नीतिगत निर्णय लेने हेतु गत वर्षों में समय-समय पर अपनी बैठकें आयोजित करती रही हैं;

(घ) यदि हाँ, तो परिषद् का गठन होने के बाद इस परिषद की कब-कब और कौन-कौन से स्थानों पर बैठकें, आयोजित हुई और इस संबंध में लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कार्यान्वित किए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हाँ।

(ख) राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की स्थापना 10 मार्च, 1983 को हुई थी। परिषद के कार्य नीचे लिखे अनुसार हैं:

(1) राष्ट्रीय जल नीति निर्धारित करना और समय-समय पर इसकी समीक्षा करना;

(2) प्रस्तुत की गई विकास योजनाओं (वैकल्पिक योजनाओं सहित) पर राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नदी बेसिन आयोगों आदि द्वारा विचार करना और उनकी पुनरीक्षा करना;

(3) इन योजनाओं को ऐसे संशोधनों के साथ जो उपयुक्त और आवश्यक समझे जाएं, स्वीकार करने की सिफारिश करना;

(4) ऐसे और अधिक अध्ययन करने के लिए निदेश देना जो योजनाओं, अथवा उसके घटक के पूर्ण विचार करने के लिए आवश्यक समझे जाएं;

(5) ऐसी योजनाओं के विशेष तत्वों और अन्य समस्याओं जो परियोजनाओं की आयोजना अथवा कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न हो सकती है; के संबंध में अन्तर्राज्यीय मतभेदों को हल करने के तौर-तरीकों की सलाह देना;

(6) इष्टतम विकास और लोगों के अधिकतम लाभ को ध्यान में रखते हुए विभिन्न हिताधिकारियों द्वारा जल संसाधनों के उचित वितरण और उपयोग की प्रशासनिक व्यवस्था और विनियमन के लिए पद्धतियों और प्रक्रियाओं संबंधी सलाह देना; और

(7) ऐसी अन्य सिफारिशें करना जिससे विभिन्न क्षेत्रों में जल संसाधनों के विकास में तेजी आए, वे पर्यावरणीय दृष्टि से सुदृढ़ बने और उनसे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

परिषद् की वर्तमान संरचना के अनुसार प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं, केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री उपाध्यक्ष और केन्द्रीय वित्त, कृषि, विद्युत, कल्याण, ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार, शहरी कार्य और रोजगार, योजना, भुतल परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन मंत्री, उपाध्यक्ष, योजना आयोग तथा राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य हैं। सचिव, जल संसाधन मंत्रालय, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के सचिव हैं।

(ग) से (ङ) परिषद की अब तक नई दिल्ली में तीन बैठकें हुई हैं राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् की 30.10.1985 को हुई पहली बैठक में, राष्ट्रीय जल नीति तैयार करने का निर्णय लिया गया था। परिषद की 9.9.1987 को हुई दूसरी बैठक में राष्ट्रीय जल नीति अपनाई गई। 6 फरवरी, 1996 को हुई राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की तीसरी बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि जल संसाधन विकास से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर राष्ट्रीय नीति से संबंधित दिशा-निर्देशों का मसौदा राज्यों के परामर्श से अपेक्षानुसार संशोधन के लिए राष्ट्रीय जल बोर्ड को भेजा जाए।

[अनुवाद]

पाकिस्तान की प्रक्षेपास्त्र क्षमता

1417. श्री चित्त बसु : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के पूर्व रक्षा सचिव, श्री विलियम पेरी ने अपना पद छोड़ने के तुरन्त बाद चीन द्वारा पाकिस्तान को एम-11 प्रक्षेपास्त्र दिए जाने की पुष्टि कर दी थी और यह भविष्यवाणी की थी कि शीघ्र ही पाकिस्तान प्रक्षेपास्त्र संबंधी क्षमता को पूर्णतया प्राप्त कर लेगा; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार का क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) सरकार ब्रुकिंग संस्थान में पूर्व अमरीकी रक्षा सचिव विलियम पैरी द्वारा दिए गए भाषण के उपरान्त प्रश्नोत्तर काल से संबंधित खबरों के प्रति सचेत है जिसमें यह कहा गया था कि यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान मिसाइल तथा मिसाइल उत्पादन प्रौद्योगिकी दोनों में, पाकिस्तान को चीन की सहायता से समय पर अपना मिसाइस कार्यक्रम विकसित कर सकता है और यह प्रक्रिया तेजी से चल रही है।

(ख) सरकार को, पाकिस्तान सहित अपने पड़ोसी देशों की मिसाइल क्षमता के बारे में जानकारी है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सभी मसलों पर लगातार नजर रखी जाती है। उपयुक्त रक्षा तैयारियों को बनाए रखने के लिए सरकार सभी आवश्यक कदम उठाने के प्रति वचनबद्ध रही है।

[हिन्दी]

नैतिक शिक्षा

1418. **श्री पंकज चौधरी :**
श्रीमती केतकी देवी सिंह :
कुमारी उमा भारती :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में बच्चों को नैतिक शिक्षा देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त निर्णय को कब तक लागू किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उनके द्वारा गठित एक समिति के प्रतिवेदन के भाग 1 में दी गई नैतिक शिक्षा संबंधी सिफारिशों का कार्यान्वयन कर लिया गया है। इस भाग में समिति की सिफारिश में प्रातः इकट्ठा होना, प्रत्येक सप्ताह तथा प्रत्येक महीना इक्ट्ठा होना, महत्वपूर्ण घटनाओं के संबंध में समारोह करना, सामुदायिक कार्य तथा सामाजिक सेवाएँ, राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर, रेडक्रास, सप्लाई अभिमानों, योग तथा खेलों के सम्बन्ध में कार्यकलाप, इत्यादि शामिल हैं।

[अनुवाद]

प्रादेशिक सेना की भूमिका

1419. **श्री माधवराव सिंधिया :**
श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़ :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रादेशिक सेना की भूमिका का विस्तार करने और उसे और अधिक कारगर भूमिका सौंपने के संबंध में तीसरी प्रादेशिक सेना समीक्षा समिति की सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उनके अनुसरण में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) और (ख) श्री के.पी. सिंह देव की अध्यक्षता में गठित प्रादेशिक सेना पुनरीक्षा समिति की रिपोर्ट सरकार को अगस्त, 1996 में प्रस्तुत की गई थी। यह रिपोर्ट सशस्त्र सेनाओं के तीनों मुख्यालयों और कार्मिकों एवं प्रशिक्षण विभाग को विभिन्न सिफारिशों पर उनके विचार जानने के लिए परिचालित की गई थी। सेना मुख्यालयों के विचार हाल ही में प्राप्त हुए हैं। रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर सेना मुख्यालयों द्वारा विभिन्न विचार व्यक्त किए गए हैं जिन पर आगे और विचार विमर्श करने की आवश्यकता होगी। ये विचार-विमर्श पूरे हो जाने के पश्चात् ही इस मामले में अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।

[हिन्दी]

हल्के लड़ाकू विमान का विनिर्माण

1420. **श्री भगवान शंकर रावत :**
श्री सुरेश कलमाडी :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हल्के लड़ाकू विमानों का विनिर्माण करने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो कब से और वर्षवार ऐसे कितने विमान विनिर्मित रखने की संभावना है;

(ग) हल्के लड़ाकू विमान से पहली उड़ान के लिए कौन सी तिथि निर्धारित की गई है; और

(घ) क्या इसमें विलम्ब होने की संभावना है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) जी, हाँ।

(ख) भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हल्के युद्धक वायुयान (एल.सी.ए.) का उत्पादन चरणवार ढंग से सन् 2002 में शुरू किए जाने की आशा है। तथापि, इस संबंध में संख्या आदि प्रकट करना जनहित में नहीं है।

(ग) पहली विकास उड़ान की निर्धारित तारीख नवम्बर 1997 है।

(घ) यह कार्यक्रम यथा नियोजित ढंग से चल रहा है।

नहर तथा सिंचित क्षेत्रों में पानी का जमाव

1421. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कमान क्षेत्र विकास प्राधिकारियों ने नहरों और सिंचित क्षेत्रों में पानी की समस्या का समाधान करने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप अनेक क्षेत्र बंजर हो चुके हैं;

(ग) क्या सरकार मंत्रालय तथा भारतीय कृषि अनुसंधान, परिषद् के बीच समन्वय के अभाव में समस्या के निराकरण हेतु विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग नहीं कर पायी है; और

(घ) पानी के जमाव की समस्या के निराकरण हेतु समन्वित रवैया अपनाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण जल जमाव की जांच करने के लिए सिंचित कमान क्षेत्रों में विभिन्न कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारम्भ कर रहे हैं। जल संसाधन मंत्रालय ने जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए हाल ही में केन्द्रीय प्रवर्तित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत एक नया घटक ''सिंचित कमानों में जल जमाव क्षेत्रों में सुधार'' शामिल किया है। इसमें केन्द्र और राज्य ऐसी भूमि के सुधार पर होने वाला व्यय परस्पर मिल कर करेंगे।

(ख) जल जमाव के परिणामस्वरूप, कुछ कमान क्षेत्रों में फसलों की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तथापि इससे हुए नुकसान का आकलन अभी तक नहीं किया गया है। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा सिंचित क्षेत्रों में समस्या का पता लगाने पर एक कार्य दल का गठन किया था जिसने वर्ष 1991 में यह अनुमान लगाया था कि जल जमाव से 2.46 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है।

(ग) जल संसाधन मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद परस्पर मिल कर कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्रियान्वयन तथा जल जमाव की समस्या से निपटते हैं।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के एक संस्थान केन्द्रीय मृदा लवण अनुसंधान केन्द्र, करनाल की सहायता से वर्ष 1995-96 के दौरान ''जलजमाव, लवण और क्षारीय भूमि का सुधार'' पर एक नियमावली तैयार की गई है। जलजमाव, लवण और क्षारीय भूमि का सुधार और उनका निवारण'' पर एक कार्यशाला का आयोजन जल संसाधन मंत्रालय द्वारा 26-27 दिसम्बर, 1996 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों के निकट समन्वय से किया गया था। इनके अलावा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम जिसमें जल जमाव की समस्या भी शामिल है, का कार्यान्वयन करने और नीति बनाने से संबंधित सभी पहलुओं पर निरन्तर अपना प्रतिनिधित्व किया है।

[अनुवाद]

अभियांत्रिकी महाविद्यालय

1422. श्री एन.एस.वी. चित्तयन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में दिसम्बर, 1996 की स्थिति तक सरकारी तथा गैर-सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) इन सभी महाविद्यालयों में प्रत्येक वर्ष कुल कितने छात्रों का नामांकन किया गया है;

(ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा गैर सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों को स्वीकृति प्रदान करने हेतु क्या दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) दिसम्बर, 1996 की स्थिति तक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के पास स्वीकृति हेतु राज्यवार कितने आवेदन लम्बित है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) और (ख) देश में इंजीनियरी कॉलेजों की कुल संख्या (सरकारी और निजी क्षेत्रों को मिलाकर) तथा उनकी दाखिला क्षमता का राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ग) निजी इंजीनियरी कॉलेजों को अनुमोदित किए जाने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित आधारभूत दिशा-निर्देश निम्नलिखित हैं :-

1. संस्था/न्यास का पंजीकरण प्रमाण-पत्र।

2. न्यास/संस्था/प्रस्तावित संस्थान के नाम में भूमि और निधियों की उपलब्धता (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की अपेक्षाओं के अनुसार)।

3. अस्थायी/स्थायी आवास और संबंधित सुविधाओं की उपलब्धता।

(घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा तकनीकी संस्थाओं तथा कार्यक्रमों का अनुमोदन एक सतत् प्रक्रिया है। इस समय, परिषद को 354 आवदेन पत्र प्राप्त हुए हैं।

विवरण

31.12.1996 की स्थिति

क्षेत्र	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कॉलेज इंजीनियरिंग की संख्या	कुल संस्वीकृत दाखिला
1	2	3	4
केन्द्रीय	1. मध्य प्रदेश	22	3970
	2. उड़ीसा	09	1635

1	2	3	4
पूर्वी	1. मेघालय	–	–
	2. अंडमान और निकोबार	01	0210
	3. पश्चिम बंगाल	13	2462
	4. असम	03	0660
	5. मणिपुर	–	–
	6. मिजोरम	–	–
	7. नागालैंड	–	–
	8. त्रिपुरा	01	0120
	9. सिक्किम	01	0220
उत्तर	1. बिहार	16	2520
	2. उत्तर प्रदेश	31	5072
उत्तर-पश्चिम			
	1. चण्डीगढ़	03	0485
	2. हरियाणा	16	2265
	3. जम्मू और कश्मीर	08	1100
	4. नई दिल्ली	06	1330
	5. पंजाब	14	2618
	6. राजस्थान	09	1749
	7. हिमाचल प्रदेश	01	0210
दक्षिण	1. आन्ध्र प्रदेश	34	9060
	2. पाण्डिचेरी	01	300
	3. तमिलनाडु	90	22857
दक्षिण	1. कर्नाटक	51	20142
पश्चिम	2. केरल	19	04692
पश्चिम	1. गुजरात	16	04040
	2. महाराष्ट्र	106	26880
	3. गोवा	01	154
	4. दमन और द्वीव	–	–
	कुल जोड़	472	114651

कर्नाटक में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन

1423. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर और मैसूर में राष्ट्रीय खेलों की तैयारी के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल कब होने वाले हैं;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है;

(घ) क्या कर्नाटक सरकार ने इस प्रयोजनार्थ अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की मांग की है;

(ङ) यदि हाँ, तो कितनी धनराशि की मांग की गई है;

(च) क्या केन्द्र सरकार ने मांगी गई अतिरिक्त निधि जारी की है; और

(छ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई) : (क) और (ख) चौथे राष्ट्रीय खेल 18 मई से 29 मई, 1997 तक आयोजित किये जाएगें। इन खेलों की तैयारी के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा अब तक किया गया कुल व्यय तकरीबन 73.00 करोड़ रु० है।

(ग) कर्नाटक सरकार को राष्ट्रीय खेलों के लिए खेल संबंधी बुनियादी सुविधाओं के सृजन तथा आधुनिकीकरण हेतु 8.00 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया है। इसके अलावा, भारतीय खेल प्राधिकरण को 1.50 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है ताकि वे इस रकम को, बंगलौर में सिंथेटिक हाकी फील्ड तथा एथलेटिक ट्रैक के संस्थापन तथा बंगलौर और मैसूर में स्थित दो इनडोर हालों में सिंथेटिक परतें बिछाने के लिए कर्नाटक सरकार को आगे संवितरित कर सकें।

(घ) और (ङ) जी हाँ। कर्नाटक सरकार ने राष्ट्रीय खेलों के लिए 15.00 करोड़ रु० के अतिरिक्त अनुदान की मांग की है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गंगा जल का उपयोग

1424. श्री शिवराज सिंह :
श्री विजय कुमार खण्डेलवाल :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा नदी में अनुमानतः कितना जल है;

(ख) सिंचाई, पेयजल तथा औद्योगिक कार्यों हेतु अलग-अलग कितने जल का उपयोग किया जाता है;

(ग) कितना अप्रयुक्त जल समुद्र में गिरता है; और

(घ) गंगा नदी के जल का अधिकतम उपयोग करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) भारत में गंगा नदी में औसत वार्षिक प्रवाह 501643 मिलियन घन मीटर आंका गया है। इसमें से, 2,50,000 मिलियन घन मीटर मात्रा का उपयोग के लिए उपलब्ध होने का अनुमान है। इस समय विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग की जा रही जल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं है। तथापि, वर्ष 2000 के लिए विभिन्न प्रयोजनों के लिए प्रक्षिप्त (प्रोजेटिक्टड) उपयोग निम्न प्रकार होगा :

(i) सिंचाई -	150764 मिलियन घन मीटर
(ii) पेयजल -	7900 मिलियन घन मीटर
(iii) उद्योग (थर्मल और नाभिकीय विद्युत केन्द्रों सहित -	5870 मिलियन घन मीटर
कुल -	164534 मिलियन घन मीटर

अप्रयुक्त जल बंगलादेश में बह जाता है।

(घ) गंगा जल का इष्टतम उपयोग करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रयास किए गये हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में गैर-सरकारी क्षेत्र

1425. डॉ॰ रामकृष्ण कुसमारिया : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में गैर सरकारी क्षेत्र को सक्रिय करने के लिए राज्य सरकारों को कदम उठाने के लिए कहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन): (क) और (ख) निजी क्षेत्र की सहभागिता के तहत निर्माण-प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर परियोजनाएं शुरू करने के लिए सरकार ने हाल ही में दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। राज्यों को इस स्कीम के तहत शुरू किए जाने वाली परियोजनाओं का पता लगाने की सलाह दी गई है।

(ग) राज्य सरकारें समय-समय पर प्रस्ताव भेज रही हैं।

हैजा और मलेरिया

1426. श्री काशी राम राणा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैजा और मलेरिया जैसी बीमारियां सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की असफलता का परिणाम है;

(ख) क्या ये बीमारियां सरकार द्वारा त्वरित कार्यवाही न करने के कारण फैलती है;

(ग) क्या सरकार इन बीमारियों के उन पीड़ितों को कोई मुआवजा देता है। जो सरकार की लापरवाही के कारण दुख भुगतते हैं; और

(घ) सरकार द्वारा आम आदमी को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की असफलता के परिणामस्वरूप होने वाले खतरनाक संक्रमण और बीमारियों से बचाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) और (ख) हैजा और मलेरिया से रोग पर्यावरणिक कारणों जैसे अधिक वर्षा, पानी के रुकने और कुछ क्षेत्रों में सफाई की समस्याओं के कारण होते हैं।

(ग) रोगी व्यक्तियों को मुआवजा प्रदान करने की कोई योजना नहीं है।

(घ) राष्ट्रव्यापी रोग निगरानी कार्य के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में एक शीर्षस्थ ''राष्ट्रीय सलाहकार समिति'' गठित की गई है। रोग निगरानी योजना के अन्तर्गत कार्यों में सूचना एकत्र करना और उसका प्रसार करना, प्रयोगशाला निदान सेवाओं को सुदृढ़ करना, केन्द्रों के तन्त्र और रोग की व्याप्तता की सतत् मानिटरिंग करना है।

[हिन्दी]

दंत महाविद्यालय

1427. श्री राधा मोहन सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेंटल काउन्सिल ऑफ इंडिया या केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशानुसार दंत महाविद्यालयों में इंटर्नशिप कर रहे छात्रों को निर्धारित मासिक छात्रवृत्ति देने संबंध में कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी दंत महाविद्यालयों द्वारा भी उक्त प्रावधान के अनुसार उक्त छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या दोषी महाविद्यालयों के खिलाफ कोई कार्यवाही की जा रही है;

(ङ) क्या इस आशय की शिकायतें भी मिली है कि भुगतान की रसीद छात्रों को बिना छात्रवृत्ति दिए प्राप्त कर ली जाती है; और

(च) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा अनियमितताओं को रोकने हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) से (घ) बी.डी.एस. पाठ्यक्रम विनियम, 1983 के अनुसार बी.डी.एस. अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को किसी डेंटल कॉलेज में भुगतान के आधार पर एक वर्ष की रोटेटिंग इंटर्नशिप करना जरूरी है। ये विनियम प्राइवेट डेंटल कॉलेजों के छात्र पर भी लागू है।

(ङ) और (च) भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार ऐसी कोई शिकायतें नहीं मिली हैं।

[अनुवाद]

कराची में राजनयिक मिशन

1428. श्री पी. आर. दासमुंशी : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस्लामाबाद मे नव-निर्वाचित सरकार के सत्ता में आने के बाद कराची में राजनयिक मिशन पुनः खोलने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में आगे बातचीत करने की दिशा में क्या प्रयास किए गए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) पाकिस्तान की सरकार की मांग के प्रत्युत्तर में भारत का प्रधान कोंसलावास, कराची को 4.1.1995 को बंद कर दिया। भारत की सरकार ने पाकिस्तान से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने को कहा है। इस दिशा में हमारे प्रयास जारी रहेंगे।

प्रक्षेपास्त्र क्षमता

1429. डॉ॰ कृपासिंधु भोई : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पड़ौसी देशों की प्रक्षेपास्त्र क्षमता से अवगत हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई आकलन किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी विशेषकर पाकिस्तान तथा चीन के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा पड़ौसी देशों की प्रक्षेपास्त्र क्षमता का मुकाबला करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव): (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सभी गतिविधियों का लगातार आकलन करते हुए उन पर नजर रखी जाती है। समुचित रक्षा तैयारी बनाए रखने के लिए समय-समय पर आवश्यक उपाय किए जाते हैं ताकि किसी शत्रु द्वारा कोई दुस्साहस करने पर उसे नाकाम किया जा सके। निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम यह सुनिश्चित करता है कि अत्याधुनिक प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी भारत को उपलब्ध होगी।

ए.एन.-32 वायुयान का दुर्घटनाग्रस्त होना

1430. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायुसेना के किसी ए.एन.-32 वायुयान ने 25 मार्च, 1986 को दुबई और मस्कट के मार्ग से होते हुए मास्को से जाम नगर हवाई अड्डे तक उड़ान भरी थी;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मस्कट से उड़ान भरने के एक या दो घंटे बाद ए.एन.-32 वायुयान लापता हो गया था;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या चालक दल के सभी सदस्यों की मृत्यु हो गई है; और

(ङ) यदि हाँ, तो लापता अथवा आकाश मार्ग में दुर्घटनाग्रस्त हुए ए.एन.-32 वायुयान का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) से (ङ) एन.-32 वायुयान (उड़ान संख्या के.-2729) कीव से उड़ान भरकर दुबई में उतरा। यह वायुयान 25 मार्च, 1986 को दुबई से जामनगर के लिए उड़ा। वायुयान-कर्मीदल का विवरण इस प्रकार है:

(1) विंग कमांडर यू.एस.भीमैय्या (9011) एफ. (पी.)

(2) विंग कमांडर ई.ए.फर्नान्डीज (9751) एफ. (पी.)

(3) विंग कमांडर ए.एल.नरूला (7852) ए.ई. (एम.)

(4) फ्लाइट लेफिटनेंट बी.पी. शर्मा (16093) एफ. (एन.)

(5) जे.डब्ल्यू.ओ. के.एस. यादव (28864) फ्लाइट सिग्नल

(6) कारपोरल आर.एस. मिश्रा (650555) इलैक्ट्रिकल फिटर

(7) कारपोरल के.वी. सिंह (636024) रेडिया फिटर

2. वायुयान का पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि यह जामनगर में नहीं उतरा था। वायुयान के लापता होने के कारणों का पता नहीं लगाया जा सका। वायुयान और वायुकर्मी दल को लापता घोषित कर दिया गया था।

केरल में समुद्र तट का कटाव

1431. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार इस तथ्य से अवगत है कि केरल के समुद्र तट में मानसून के मौसम में हर वर्ष समुद्र तट का भीषण कटाव होता है;

(ख) क्या केरल में सामुद्रिक दीवार के निर्माण और रख-रखाव हेतु परियोजना केन्द्र सरकार की स्वीकृति हेतु इसके पास लम्बित पड़ी है। यदि हाँ, तो इस पर कब तक स्वीकृति प्रदान कर दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या समुद्र तट के कटाव की रोकथाम के संबंध में केरल से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) केरल के समुद्र तट की सुरक्षा हेतु सरकार ने क्या उपाय करने का विचार किया है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (ङ) तटीय कटाव संरक्षण कार्यों के अन्वेषण, डिजाइन निर्माण व रखरखाव करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। समुद्री कटाव रोधी कार्यों के कार्यान्वयन के लिए सरकार को मार्च, 1992 तक 52 करोड़ रुपए की केन्द्रीय ऋण सहायता प्रदान की गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना से दी जा रही यह सहायता, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया के रूप में 91-92 से बंद कर दी गई। केरल सरकार ने इस सहायता से लगभग 50 कि.मी. लम्बे तट की मरम्मत करने के अलावा 324.61 कि.मी. लम्बे तट का संरक्षण किया।

वर्ष 1995-96 के दौरान, राज्य सरकार ने 5.98 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध किया था जिसमें से योजना आयोग ने 3 करोड़ रु0 स्वीकृत किए। वर्ष 1996-97 के दौरान राज्य सरकार ने समुद्री कटाव रोधी कार्यों, नदी संरक्षण और गाद निकालने के कार्यों के लिए 22.55 करोड़ रु0 की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए पुनः अनुरोध किया परन्तु राज्य सरकार से इस जरूरत को राज्य के गैर-योजना कोषों में से पूरा करने का अनुरोध किया गया जो अनिवार्य रूप से रख-रखाव के उद्देश्य के लिए होता है। केरल सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग में बनाएं जा रहे राष्ट्रीय तट संरक्षण परियोजना में शामिल करने के लिए 346.5 करोड़ रुपए की लागत के प्रस्ताव भी 1996 में प्रस्तुत किए हैं।

पोत विनिर्माता यार्ड

1432. श्री उत्तम सिंह पवार : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खस्ताहाल पोत विनिर्माता उद्योग के समर्थन में कोई ठोस नीति न होने के कारण इसके कई यार्ड बंद होने की कगार पर हैं;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में उक्त उद्योग से कोई मांग प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन): (क) समस्त विश्व में बहुत से देश जहाज निर्माण उद्योग की सब्सिडी, कर रियायत आदि जैसे प्रोत्साहनों से सहायता करते रहे हैं। उन उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारतीय जहाज निर्माण उद्योग को विशेषतः समुद्रगामी जलयानों के निर्माण के लिए सहायता की आवश्यकता है।

(ख) और (ग) जहाज निर्माण उद्योग ने सरकार से सितम्बर, 1995 में समाप्त सब्सिडी स्कीम का समय बढ़ाने और निर्यात आर्डरों के लिए भी सब्सिडी शामिल करने का अनुरोध किया है। उनके अनुरोध पर कार्यवाही की गई है और अंतर मंत्रालयीय परामर्श किए जा रहे हैं।

हज यात्रा

1433. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सऊदी अरब की सरकार हज यात्रियों का कोटा बढ़ाने पर सहमत हो गयी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सऊदी अरब की सरकार से हज यात्रियों को बेहतर सुविधायें दिये जाने संबंधी मुद्दे को उठाया है; और

(घ) यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) सऊदी सरकार के परामर्श से तैयार किए गए मौजूदा व्यवस्था के अन्तर्गत भारत से केवल 100,000 हाजी ही हर वर्ष हज यात्रा पर जा सकते हैं। इससे मौजूदा आवश्यकता पूरी हो जाती है, अतः इस समय इस संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) सरकार भारतीय हाजियों को हर सम्भव बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए इस मामले को सऊदी अरब के साथ समय-समय पर उठाती रही है और सऊदी अरब के प्राधिकारियों से अपेक्षित सहयोग मिलता रहा है।

[हिन्दी]

देह व्यापार

1434. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 दिसम्बर 1996 के समाचार-पत्र ''नवभारत टाइम्स'' में ''देह व्यापार की शिकार महिलाओं का अड्डा बन गया है भारत'' के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या निवारक उपाय किए हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, हाँ।

(ख) एशियाई महिला मानवाधिकार परिषद् के प्रतिनिधियों और अवैध व्यापार के विरुद्ध दक्षिण एशियाई गुट के समर्थनकारी ग्रुपों के प्रतिनिधियों ने 19-20 दिसम्बर, 1996 को नई दिल्ली में सार्क मंत्रिपरिषद के 17वें सत्र में भाग लेने आए सार्क विदेश मंत्रियों से मुलाकात की थी और उन्हें दक्षिण एशियाई देशों में महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार के मुद्दे पर एक अभ्यावेदन दिया था। सार्क विदेश मंत्रियों ने एशियाई महिला मानवाधिकार परिषद के अभ्यावेदन उल्लिखित सुझावों पर गौर किया था।

(ग) इस मामले पर सार्क द्वारा सामूहिक रूप से विचार किया जा रहा जिनमें अन्य बातों पर साथ-साथ क्षेत्र में अपवाद स्वरूप विषम परिस्थितियों में रह रही बालिकाओं पर हाल में एकत्र की गई जानकारी शामिल है जो सार्क के नाम शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत की जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत अनैतिक व्यापार निरोधक पुलिस अधिकारियों के रूप में उपयुक्त पुलिस अधिकारियों को अधिसूचित करने की कार्रवाई की जा रही है। सी.बी.आई. ऐसे गिरोहों का पता लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रही है जो इस अवैध व्यापार और लैगिंग शोषण के शिकारों की बिक्री में लगे हुए है। राज्य सरकारें भी बड़ी मात्रा में छापे मार रही हैं ताकि किशोरियों और महिलाओं के अवैध व्यापार को रोका जा सके।

[अनुवाद]

नई रक्षा उत्पादन इकाइयां

1435. श्री संदीपान थोरात: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश मे उत्पादन इकाइयों के आधुनिकीकरण/विस्तार/उन्नयन और नई रक्षा उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए कोई कार्यवाही योजना बनाई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्रियान्वयन के लिये स्वीकृत की गई बड़ी परियोजनाओं का राज्य-वार विशेषकर महाराष्ट्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) बनाई गई उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; जो स्वीकृति के विभिन्न स्तरों पर अटकी हुई हैं और तत्संबंधी रुकावटों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) निर्माणाधीन बड़ी योजनाओं की प्रगति का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है तथा चालू वर्ष के दौरान कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन.सोमू) : (क) सशस्त्र सेनाओं की उभरती हुई आवश्यताओं को पूरा करने के लिए रक्षा उत्पादन यूनिटों में उत्पादन लाइन को सामान्य रूप से संयंत्र व मशीनरी के नवीकरण और उनकी प्रतिस्थापना करके तथा बेहतर प्रौद्योगिकी को शामिल करके अद्यतन बनाया जाता है। चूंकि देश में पर्याप्त सुविधाएं मौजूद हैं। इसलिए नई उत्पादन इकाई स्थापित किए जाने की इस समय कोई योजना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

बड़ी परियोजनाओं के बारे में हुई प्रगति तथा चालू वर्ष के दौरान उनके लिए आबंटित धन का ब्यौरा इस प्रकार है :

आयुध निर्माणियां :

(क) बड़े व्यास वाले गोलाबारूद की भराई किए जाने के लिए बोलंगीर जिले में बड़माल में एक नई भरण निर्माणी स्थापित की जा रही है। इस परियोजना के 1997 के मध्य में चालू हो जाने की संभावना है। आबंटित धनराशि 33.04 करोड़ रुपए है।

(ख) गोलाबारूद निर्माणी, खड़की तथा आयुध निर्माणी, वरणगांव में 5.56 मि.मी. गोलाबारूद परियोजना। उत्पादन शुरू हो चुका है। आबंटित धनराशि 26.35 करोड़ रुपए।

कांडला पत्तन पर दुर्घटना

1436. श्री पी.एस. गढ़वी :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि कांडला पत्तन पर हाल ही में हुई दुर्घटना के कारण तीन जेटी काम करने योग्य नहीं रह गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो बार-बार होने वाली कठिनाइयों को दूर करने हेतु क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने सुचारू ढंग से कार्य चलाने के लिए भारतीय तेल निगम द्वारा कांडला पत्तन पर अपनी स्वयं की जेटी बनाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. बेंकटरामन): (क) और (ख) जी नहीं। वस्तुतः सरकारी तेल कंपनियों द्वारा निर्मित दो प्रतीयमान जेटियां एक दुर्घटना के कारण अक्टूबर, 1996 में प्रचालन योग्य नहीं रही। सरकारी तेल कंपनियां और पत्तन प्राधिकारियों ने हाल में एक प्रतीयमान जैटी को पुनः चालू करने की व्यवस्था कर ली है जबकि दूसरी जेटी को शीघ्र ही पुनः चालू कर लिया जाएगा। इस अवधि के दौरान कार्गो हैंडल करने में कोई कठिनाई नहीं हुई।

(ग) और (घ) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

उड़ीसा में प्राचीन मंदिर और स्मारक

1437. श्री के. प्रधानी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा उड़ीसा में प्राचीन मंदिरों और स्मारकों का नवीकरण करने के लिए कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस कार्य को पूरा करने हेतु कितनी समयावधि का सुझाव दिया गया है और आठवीं योजना के दौरान इस दिशा में क्या कदम उठाए गए है; और

(ग) उड़ीसा के प्राचीन मंदिरों और स्मारकों को नवीकृत करने के लिए केन्द्र द्वारा नौवीं योजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई): (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) स्मारकों का संरक्षण एवं परिक्षण एक सतत् प्रक्रिया है। उड़ीसा में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों के उचित संरक्षण के लिए वर्षों से पर्याप्त धनराशि आबंटित की गयी है और भविष्य में भी स्मारकों की वास्तविक जरूरतों के अनुसार धनराशि आबंटित किया जाना जारी रहेगा।

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा योजना

1438. श्रीमती मीरा कुमार : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह वित्त पोषित प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां यह योजना कार्यरत है तथा किन एजेंसियों के माध्यम से इन्हें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा मध्य प्रदेश में लागू किया जा रहा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) और (ख) विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से चार क्षेत्रीय परियोजनाएं चलाई जा रही हैं ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। ये संबंधित राज्य सरकारों के अधीन परियोजना निदेशालयों के माध्यम से चलाई जा रही हैं।

विवरण

दाता एजेंसी	परियोजना अवधि	परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)	
विश्व बैंक (भारत जनसंख्या परियोजना)			
आई.पी.पी.-VI			
1. उत्तर प्रदेश	6.4.90 से 31.3.97	91.00	
2. मध्य प्रदेश	-तदेव-	35.02	211.28
3. आंध्र प्रदेश	-तदेव-	76.64	
4. एन.आई.एच.एफ.डब्ल्यू.	-तदेव-	1.75	
आई.पी.पी.-VII			
1. पंजाब	2.11.90 से 31.12.97	48.66	
2. हरियाणा	-तदेव-	42.42	
3. गुजरात	-तदेव-	43.90	
4. बिहार	-तदेव-	88.18	
5. जम्मू व कश्मीर	-तदेव-	51.54	335.72
6. एन.आई.एच.एफ.डब्ल्यू.	-तदेव-	1.48	
7. एस. मार्केटिंग	-तदेव-	33.85	
8. गैर सरकारी संगठन	-तदेव-	24.59	
9. अनावंटित	-तदेव-	1.10	
आई.पी.पी.-VIII			
1. बंगलौर	6.8.93 से 5.8.98	29.05	
2. कलकत्ता	-तदेव-	75.25	
3. दिल्ली	-तदेव-	35.00	223.37
4. हैदराबाद	-तदेव-	26.03	
5. एच.एंड एफ. डब्ल्यू.	-तदेव-	0.10	
6. आकस्मिक	-तदेव-	57.91	
आई.पी.पी.-IX			
1. असम	16.6.94 से जून, 2001	101.22	
2. कर्नाटक	-तदेव-	114.75	335.00
3. राजस्थान	-तदेव-	108.57	
4. एच. एंड एफ. डब्ल्यू.	-तदेव-	10.46	
कुल (विश्व बैंक)		1098.50	

[हिन्दी]

खेल छात्रावास खोलना

1439. श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने देश के विभिन्न भागों में कतिपय खेल छात्रावास खोले हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संगठन का विचार उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में भी ऐसे छात्रावास खोलने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया): (क) और (ख) जी, हाँ। ब्यौरा निम्न प्रकार है :

1. केन्द्रीय विद्यालय नं० 1, दिल्ली छावनी-क्रिकेट और वालीवाल (लड़के)।
2. केन्द्रीय विद्यालय नं० 1, ग्वालियर-व्यायाम और फुटबाल (लड़के)।
3. केन्द्रीय विद्यालय पंचमणी-हाकी, व्यायाम (लड़के)
4. केन्द्रीय विद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास-बास्केटबाल, वालीबाल (लड़के)
5. केन्द्रीय विद्यालय, ए.एस.सी., बंगलौर-व्यायाम, वालीबाल (लड़कियाँ)

(ग) और (घ) फिलहाल पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोई खेल होस्टल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि विद्यमान खेल होस्टलों में सीटें उपलब्ध हैं।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ऐतिहासिक स्मारक

1440. श्री महेश कुमार एम. कनोडिया :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले ऐतिहासिक स्मारकों और धार्मिक स्थलों के नाम क्या है;

(ख) क्या कई मामलों में ऐसे स्थलों के आसपास की भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया है और उसका उपयोग अन्य प्रयोजनों हेतु किया जा रहा है;

(ग) यदि हाँ, तो ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार उपरोक्त भूमि से अतिक्रमण हटाने और उसके दुरूपयोग को रोकने का है; और

(ङ) यदि हाँ, तो ऐसे निर्णय को कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

खेलों को बढ़ावा देना

1441. श्री भक्त चरण दास : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से गत दो वर्षों के दौरान अपने-अपने राज्यों में खेलों को बढ़ावा देने, बुनियादी खेल सुविधाएं प्रदान करने और खेल परिसरों के निर्माण के कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान उक्त प्रयोजन के लिए राज्यों को राज्यवार और वर्षवार कितना धन आवंटित किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई): (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) राज्य वार प्रस्तावों और उन पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) खेलों की बुनियादी सुविधाओं के सृजन हेतु अनुदानों की योजना के अन्तर्गत कोई भी राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से जब कभी प्रस्ताव प्राप्त होते हैं और जिन्हें उपयुक्त समझा जाता है उनके लिए राज्यों को अनुदान दिये जाते हैं।

पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को जारी की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त प्रस्तावों और उन पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया का ब्यौरा

1994-95

क्रसं	प्रस्ताव का नाम तथा स्थान		केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया
1	2		3
	आन्ध्र प्रदेश		
1.	जिला खेल परिसर, अनंतपुर	:	अस्वीकृत
2.	बहुउद्देशयी स्टेडियम, खम्मान	:	सिद्धांततः 50.00 लाख रु० के लिए अनुमोदित
3.	खेल परिसर, नांदियाल, कुरनूल जिला	:	सिद्धांततः 50.00 लाख रुपये के लिए अनुमोदित।
4.	लघु खेल परिसर, गजवेल मेडक जिला	:	अस्वीकृत
5.	इंडोर स्टेडियम, नालगोड़ा जिला	:	अस्वीकृत
6.	तरणताल, श्रीकाकुलम	:	अस्वीकृत
7.	इंडोर स्टेडियम, नरसानापेट श्री काकुलम जिला	:	अस्वीकृत
8.	राजीव गांधी खेल परिसर, विजयनगरम	:	सूचित की गई खामियों का अनुपालन नहीं किया गया। नौवीं योजना के आरंभ होने तक किसी भी प्रस्ताव पर विचार न करने संबंधी केन्द्रीय सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव को बंद हुआ माना जाए।
	अरुणाचल प्रदेश		
1.	जेगगिंग में एस.पी.डी.ए. केन्द्र, जीरे जिला	:	41.30 लाख रु० के अनुमोदित अनुदान में से 20.65 लाख रुपये जारी किए गए।
	असम		
1.	जिला स्तरीय खेल परिसर, सिलचर, कछार	:	46.75 लाख रुपये के अनुमोदित अनुदान में से 20.00 लाख रुपये जारी किए गए।
2.	शिशु मंदिर, सिलचर में खेल मैदान, कछार जिला	:	सिद्धांततः 2.6175 लाख रुपये के लिए अनुमोदित।

1	2	3
3. आउटडोर स्टेडियम, तिनसुकिया	:	18.00 लाख रुपये के अनुमोदित अनुदान में से 16.20 लाख रुपये जारी किए गए।
बिहार		
1. हाजीपुर में स्टेडियम, वैशाली	:	अस्वीकृत
गोवा		
1. तरणताल, पोंडा दक्षिण गोवा	:	सिद्धांततः 43.00 लाख रुपये के लिए अनुमोदित।
गुजरात		
1. खेल मैदान, अम्बावाड़ी, अहमदाबाद	:	अस्वीकृत
2. सयुंक्त फुटबाल/क्रिकेट मैदान (बिना पिच और बिना रनिंग ट्रैक के), राजपीपली, भड़ौच	:	अस्वीकृत
3. बास्केटबाल कोर्ट, राजपीपली, भड़ौच	:	सिद्धांततः 1.80 लाख रुपये के लिए अनुमोदित।
4. आउटडोर स्टेडियम, राजपीपली भड़ौच	:	सिद्धांततः 11.80 लाख रुपये के लिए अनुमोदित।
5. तरणताल, राजपीपली भड़ौच	:	अस्वीकृत
6. बास्केटबाल कोर्ट, मोदासा साबरकंठा जिला	:	अस्वीकृत
हरियाणा		
1. सुई में स्टेडियम, भिवानी	:	अस्वीकृत।
2. अर्जुन स्टेडियम में बहुउद्देश्यीय	:	अस्वीकृत।
3. इंडोर स्टेडियम, सिरसा	:	14.08 लाख रुपये के अनुमोदित अनुदान में से 7.00 लाख रुपये जारी किए गए।
4. छोटूराम स्टेडियम में बहुउद्देश्यीय हाल, रोहतक	:	सूचित की गई खामियों का अनुपालन नहीं किया गया। नौवीं योजना के आरंभ होने तक किसी भी प्रस्ताव पर विचार न करने संबंधी केन्द्रीय सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव को बंद हुआ माना जाए।

1	2	3
हिमाचल प्रदेश		
1. इंडोर स्टेडियम, बिलासपुर	:	सिद्धांततः 52.50 लाख रुपये के लिए अनुमोदित।
2. ताल, महारल और हमीरपुर जंगल, जालारी में बास्केटबाल कोर्ट, हमीरपुर जिला	:	सिद्धांततः 0.89375 लाख रुपये के लिए अनुमोदित।
3. बास्केटबाल कोर्ट, पालमपुर कांगड़ा जिला	:	सूचित की गई खामियों का अनुपालन नहीं किया गया। नौवीं योजना के आरंभ होने तक किसी भी प्रस्ताव पर विचार न करने संबंधी केन्द्रीय सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव को बंद हुआ माना जाए।
4. बास्केटबाल कोर्ट, पथियार, कांगड़ा	:	-वही-
5. बास्केटबाल कोर्ट, मनगाय, कांगड़ा	:	-वही-
6. बास्केटबाल कोर्ट, भावना और धर्मशाला, कांगड़ा जिला	:	-वही-
7. कांगड़ा, राजपुर, रेहलू, देहरा, सादवान तथा लंज में बास्केटबाल कोर्ट, कांगड़ा जिला	:	प्रत्येक के लिए सिद्धांततः 0.90 लाख रुपये अनुमोदित।
8. बास्केटबाल कोर्ट, जांगला, शिमला जिला	:	सूचित की गई खामियों का अनुपालन नहीं किया गया। नौवीं योजना के आरंभ होने तक किसी भी प्रस्ताव पर विचार न करने संबंधी केन्द्रीय सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव को बंद हुआ माना जाए।
9. शूटिंग रेंज, सोधी, शिमला	:	हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार से की गई कार्रवाई की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
जम्मू व कश्मीर		
		- शून्य -
कर्नाटक		
1. गोकाक, बैलहोंगल, शकेश्वर चिकोड़ी में ताल्लुक स्तरीय स्टेडियम, बेलगांव जिला	:	अस्वीकृत

1	2	3
2.	तरणताल, बैलाहोंगल, बेलगाम	: नौवीं योजना के दौरान नया प्रस्ताव मांगा गया है।
3.	ताल्लुक स्टेडियम, होसपेट बैलेरी	: अस्वीकृत
4.	ताल्लुक स्टेडियम हरपनहल्ली बैलेरी	: सिद्धांततः 12.00 लाख के लिए अनुमोदित।
5.	ताल्लुक स्टेडियम, सेरूगुप्पा, बैलेरी	: सिद्धांततः 10.00 लाख रुपये के लिए अनुमोदित।
6.	इंडोर स्टेडियम, बगलकोट, बीजापुर	: सिद्धांततः 10.00 लाख रुपये के लिए अनुमोदित।
7.	तरणताल देवनगेर, चित्रदुर्ग जिला	: अस्वीकृत
8.	खेल मैदान, ब्रह्मवार दक्षिण कन्नड़	: 2.00 लाख रुपये के अनुमोदित अनुदान में से 1.80 लाख रुपये जारी किए गए।
9.	ताल्लुक स्टेडियम, हावेरी, धारवाड़	: अस्वीकृत।
10.	स्टेडियम, हुबली, धारवाड़	: सिद्धांततः 2.36 लाख रुपये के लिए अनुमोदित।
11.	ताल्लुक स्टेडियम, असीकेरे, हसन जिला	: सूचित की गई खामियों का अनुपालन नहीं किया गया। नौंवी योजना के आरंभ होने तक किसी भी प्रस्ताव पर विचार न करने संबंधी केन्द्रीय सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव को बंद हुआ माना जाए।
12.	बहुउद्देश्यीय खेल हाल, हलियाल उत्तर कन्नड	: -वही-
13.	ताल्लुक स्टेडियम, जोइडा, हलियाल, उत्तर कन्नड़	: अस्वीकृत
14.	खेल मैदान, गुड़कोगोक, उत्तर कन्नड़	: अस्वीकृत
15.	ताल्लुक स्टेडियम, एच.डी. कोटे, मैसूर	: अस्वीकृत
16.	ताल्लुक स्टेडिमय, होशंगा, शिमोगा	: अस्वीकृत
17.	ताल्लुक स्टेडियम, सीरा तुमकूर	: 6.00 लाख रुपये के अनुमोदित अनुदान में से 5.40 लाख रुपये जारी किए गए।
18.	इंडोर स्टेडियम, कारवाड़	: सिद्धांतत 35.00 लाख रुपये के लिए अनुमोदित
	केरल	
1.	तरणताल, अलप्पुजा	: सिद्धांततः 38.00 लाख रुपये के लिए अनुमोदित।
2.	स्टेडियम, तालीपाराम्बा, कन्नूर	: सूचित की गई खामियों का अनुपालन नहीं किया गया। नौवीं योजना के आरंभ होने तक किसी भी प्रस्ताव पर विचार न करने संबंधी केन्द्रीय सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव को बंद हुआ माना जाए।
3.	अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, कोचीन	: अस्वीकृत
4.	तरणताल, एडावेट्टी, इदुक्की	: अस्वीकृत
5.	हाई अल्टीट्यूट ट्रेनिंग सेंटर, मन्नार इदुक्की	: मांगा गया संशोधित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
6.	स्टेडियम, कसारगोड़	: 4.65 लाख रुपये के अनुमोदित अनुदान में से 4.185 लाख रुपये की राशि जारी की गई।
7.	खेल मैदान, उजहावर, कोट्टायम	: सिद्धांततः 1.24 लाख रुपये के लिए अनुमोदित।
8.	खेल परिसर,पलाई,कोट्टायम	: सिद्धांततः 37.50 लाख रुपये के लिए अनुमोदित।
9.	बास्केटबाल कोर्ट और फुटबाल मैदान, मन्नानम, कोट्टायम	: 1.43 लाख रुपये के अनुमोदित अनुदान में से 1.287 लाख रुपये जारी किए गए।
10.	खेल मैदान, कक्कड़ मपोइल, कोजीकोड	: सिद्धांततः 1.24 लाख रुपये के लिए अनुमोदित।
11.	आउटडोर स्टेडियम, एडावन्ना, मालापुरम	: अस्वीकृत
12.	इंडोर स्टेडियम, पालक्कड़	: अस्वीकृत।
13.	तरणताल, पालक्कड़	: अस्वीकृत।
14.	मानक आकार का फुटबाल खेल मैदान, पालक्कड़	: नौवीं योजना के दौरान नया प्रस्ताव मांगा गया
15.	खेल मैदान, पालक्कड़	: -वही-
16.	मिनी स्टेडियम, कोट्टयकारा कोल्लम	: अस्वीकृत
17.	खेल मैदान, नेडुवेली, तिरूवनन्तपुरम	: अस्वीकृत

1	2	3
18.	इंडोर स्टेडियम, वेल्लानाड, तिरूअनन्तपुरम	: सिद्धांततः 16.60 लाख रुपये के लिए अनुमोदित।
19.	खेल मैदान,पेरिक्कात्तूर,वायनाड	: अस्वीकृत
20.	जिला स्तरीय स्टेडियम, केलपेट्टा, वायनाड	: अस्वीकृत।
21.	बास्केटबाल कोर्ट, मनानतेवाड़ी वायनाड़	: नौवीं योजना के दौरान नया प्रस्ताव मांगा गया।
22.	तरणताल, चलकुड़ी, त्रिचूर	: सूचित की गई खामियों का अनुपालन नहीं किया गया। नौवीं योजना के आरंभ होने तक किसी भी प्रस्ताव पर विचार न करने संबंधी केन्द्रीय सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव को बंद हुआ माना जाए।
23.	केलपेट्टा, सुल्तान बैटरी, वकेरी, नेल्लूरनाड, तविनहाल, पाडेरयारेतरा, कानेयाम्बेता में बास्केटबाल कोर्ट, वायनाड जिला (10 प्रस्ताव)	: सूचित की गई खामियों का अनुपालन नहीं किया गया। नौंवी योजना के आंरभ होने तक किसी भी प्रस्ताव पर विचार न करने संबंधी केन्द्रीय सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव को बंद हुआ माना जाए।
24.	सुल्तान बैटरी पलूयामपल्ली वेल्लामुण्डन, भनन्तावाड़ी, मल्लिललायम, त्रिसेल्लेरी मुट्टिल, वायनाड में बास्केटबाल कोर्ट (12 प्रस्ताव)	: नौवीं योजना के दौरान नये प्रस्ताव मांगे गए।
25.	विमलनगर, सुल्तान बैटरी, चित्तलुकारा, वायनाड में बास्केटबाल कोर्ट	: अस्वीकृत।
मध्य प्रदेश		
1.	आदिवासी (जनजाति) खेल केन्द्र, रायपुर	: सूचित की गई खामियों का अनुपालन नहीं किया गया। नौवीं योजना के आरंभ होने तक किसी भी प्रस्ताव पर विचार न करने संबंधी केन्द्रीय सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव को बंद हुआ माना जाए।
महाराष्ट्र		
1.	खेल छात्रावास, चिखालदारा, अमरावती	: अस्वीकृत
2.	चोपड़ा में खेल मैदान, जलगांव	: अस्वीकृत
3.	इंडोर स्टेडियम, पुणे	: 10.00 लाख रुपये के अनुमोदित अनुदान में से 9.00 लाख रुपये जारी किए गए।
4.	इंडोर बैडमिंटन हाल, पुणे	: 15.65 लाख रुपये के अनुमोदित अनुदान में से 14.00 लाख रुपये जारी किए गए।
5.	इंडोर स्टेडियम, सांगली	: 20.00 लाख रुपये के अनुमोदित अनुदान की समग्र राशि जारी की गई।
6.	बहुउद्देश्यीय हाल, आरले, सतना	: सूचित की गई खामियों का अनुपालन नहीं किया गया। नौवीं योजना के आरंभ होने तक किसी भी प्रस्ताव पर विचार न करने संबंधी केंन्द्रीय सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव को बंद हुआ माना जाए।
मणिपुर		
1.	खेल मैदान, लांगजिंग, इम्फाल	: सूचित की गई खामियों का अनुपालन नहीं किया गया। नौवीं योजना के आरंभ होने तक किसी भी प्रस्ताव पर विचार न करने संबंधी केन्द्रीय सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव को बंद हुआ माना जाए।
मेघालय		- शून्य -
मिजोरम		
1.	आउटडोर स्टेडिमय, एम.पी. डोनाल्ड हिल, आइजल	: 17.50 लाख रुपये के अनुमोदित अनुदान में से 15.75 लाख रुपये जारी किए गए।

1	2	3
2.	आउटडोर स्टेडियम, चम्फाई, आइजल	: 17.90 लाख रुपये के अनुमोदित अनुदान में से 16.11 लाख रुपये जारी किए गए।
3.	इंडोर स्टेडियम, तलुंगवेल, आइजल	: 34.00 लाख रुपये के अनुमोदित अनुदान में से 30.60 लाख रुपये जारी किए गए।
4.	आउटडोर स्टेडियम, सैथल, आइजल	: 8.25 लाख रुपये के अनुमोदित अनुदान में से 7.425 लाख रुपये जारी किए गए।
5.	इंडोर स्टेडियम, लुंगलेई, आइजल	: 29.80 लाख रुपये के अनुमोदित अनुदान में से 26.82 लाख रुपये जारी किए गए।
6.	आउटडोर स्टेडियम, कावर्टेथवर्वेग, आइजल	: 17.25 लाख रुपये के अनुमोदित अनुदान में से 15.525 लाख रुपये जारी किए गए।
7.	इंडोर स्टेडियम, सैहा, छिमतुइपुई	: 29.00 लाख रुपये के अनुमोदित अनुदान में से 26.91 लाख रुपये जारी किए गए।
8.	आउटडोर स्टेडियम, सैहा, छिमतुइपुई	: 8.25 लाख रुपये के अनुमोदित अनुदान में से 7.425 लाख रुपये जारी किए गए।
9.	जिला स्तरीय खेल परिसर, लुंगलेई	: 52.64 लाख रुपये के अनुमोदित अनुदान में से 26.32 लाख रुपये जारी किए गए।
10.	इंडोर स्टेडियम, तुईकुआल आइजल	: सूचित की गई खामियों का अनुपालन नहीं किया गया। नौवीं योजना के आरंभ होने तक किसी भी प्रस्ताव पर विचार न करने संबंधी केन्द्रीय सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव को बंद हुआ माना जाए।
11.	राज्य खेल प्रशिक्षण केन्द्र, लेंगपुई, आइजल	: -वही-
12.	आउटडोर स्टेडियम, बेजावल, आइजल	: -वही-
13.	इंडोर स्टेडियम, तुइपांग छिमतुइपुई	: -वही-
	नागालैण्ड	-शून्य-
	उड़ीसा	
1.	खेल मैदान, चितालो, कटक	: 0.50 लाख रुपये के अनुमोदित अनुदान में से 0.45 लाख रुपये जारी किए गए।
2.	खेल मैदान, सियालूहान्धाता, बारागांव	: सिद्धांततः 0.498 लाख रुपये के लिए अनुमोदित।
3.	खेल मैदान, कौन्त, बोलनगीर	: अस्वीकृत
4.	खेल छात्रावास, क्योंझर	: अस्वीकृत
5.	लघु स्टेडियम, भीकमपाली देवगढ़	: अस्वीकृत
6.	खेल मैदान, लाइडा, सम्बलपुर	: अस्वीकृत
7.	एस.पी.डी.ए. केन्द्र, पुरी	: अस्वीकृत
8.	खेल मैदान, मालीपाड़ा, पुरी	: नौवीं योजना के दौरान नया प्रस्ताव मांगा गया।
9.	खेल मैदान, केन्दियाडाट, केन्द्रपाड़ा	: - वही -
10.	खेल मैदान, खैना, बालासोर	: सूचित की गई खामियों का अनुपालन नहीं किया गया। नौवीं योजना के आंरभ होने तक किसी भी प्रस्ताव पर विचार न करने संबंधी केन्द्रीय सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव को बंद हुआ माना जाए।
11.	खेल मैदान, कुराल तथा सिबताला, बोलनगीर	: - वही -
12.	गुडावेल्ला, पैन्टाला, जोगीमुण्डा तथा चन्दनभाटी में खेल मैदान, बोलागीर	: - वही -
13.	खेल मैदान कान्धागढ़, बोलनगीर	: - वही -
14.	खेल मैदान, बोलानगीर	: - वही -
15.	केशवनगर, ईरान्थ, हरीपुर अश्वाथापल कटक में खेल मैदान	: - वही -

1	2	3
16.	खेल मैदान, झरना, धेनकनाल	: सूचित की गई खामियों का अनुपालन नहीं किया गया। नौवीं योजना के आंरभ होने तक किसी भी प्रस्ताव पर विचार न करने संबंधी केन्द्रीय सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव को बंद हुआ माना जाए।
17.	खेल मैदान, केन्दुपदारा, गंजम	: – वही –
18.	खेल मैदान, झड़ेश्वर, गंजम	: – वही –
19.	खेल मैदान, अदूवापाड़ा, गंजम	: – वही –
20.	खेल मैदान, तकराड़ा, गंजम	: – वही –
21.	खेल मैदान, सुनकी, कोरापुट	: – वही –
22.	खेल मैदान, खैरपुट, कोरापुट	: – वही –
23.	खेल मैदान, बंथूगांव, कोरापुट	: – वही –
24.	खेल मैदान, नारायण पटना, कोरापुट	: – वही –
25.	खेल मैदान, नवरंगपुर, कोरापुट	: – वही –
26.	कोटागढ़, फुलबानी में खेल मैदान	: सूचित की गई खामियों का अनुपालन नहीं किया गया। नौवीं योजना के आरंभ होने तक किसी भी प्रस्ताव पर विचार न करने संबंधी केन्द्रीय सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव को बंद हुआ माना जाए।
27.	तिपारी, पुरी में खेल मैदान	: – वही –
28.	खिंडा, देवगढ़ में खेल मैदान	: – वही –
29.	सुगुड़ा, देवगढ़ में खेल मैदान	: – वही –
30.	लुंगीपल्ली, बारागढ़ में खेल मैदान	: – वही –
31.	करसिंघा, बारागढ़ में खेल मैदान	: – वही –
32.	बलदेवनगर, भद्रक में खेल मैदान	: – वही –
	पंजाब	
1.	पटियाला में हाकी फील्ड/ बास्केट बाल कोर्ट	: सिद्धांत रूप में 2.30 लाख रुपये अनुमोदित किए गए।

1	2	3
	राजस्थान	
1.	राजलसेदार, चुरू में आउटडोर स्टेडियम	: 12.00 लाख रु0 के अनुमोदित अनुदान में से 10.80 लाख रुपये जारी किए गए।
2.	पुलिस ला इन, चुरू में बहुउद्देशीय जिम्नेजियम हॉल	: अस्वीकृत
3.	हनुमानगढ़, गंगानगर में स्टेडियम	: अस्वीकृत
4.	जयपुर में तरणताल	: अस्वीकृत
5.	गाँधीनगर, जयपुर में बास्केट बाल कोर्ट	: अस्वीकृत
6.	जमदोली, जयपुर में खेल मैदान	: अस्वीकृत
7.	झोटवाड़ा, जयपुर में खेल मैदान	: नौवी योजना के दौरान नया प्रस्ताव मंगाया गया है
8.	जैसलमेर में बास्केटबाल कोर्ट	: अस्वीकृत
9.	अलसीसर, झुनझुनू में आउटडोर स्टेडियम	: नौवी योजना के दौरान नया प्रस्ताव मंगाया गया है।
10.	चोपसनी, जोधपुर में स्टेडियम	: अस्वीकृत
11.	श्रीपुरा, कोटा में बास्केटबाल कोर्ट	: 0.835 लाख रुपये के अनुमोदित अनुदान में से 0.75 लाख रुपये जारी किए गए।
12.	कोटा में स्टेडियम	: 10.00 लाख रुपये के अनुमोदित अनुदान में से 9.00 लाख रुपये जारी किए गए।
13.	उदयपुर में इंडोर स्टेडियम	: अस्वीकृत
14.	उदयपुर में इंडोर स्टेडियम	: सूचित की गई खामियों का अनुपालन नहीं किया गया। नौवीं योजना के आरंभ होने तक किसी भी प्रस्ताव पर विचार न करने संबंधी केन्द्रीय सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव को बंद हुआ माना जाए।
	सिक्किम	
1.	मानगोन, उत्तरी सिक्किम में स्टेडियम	: सिद्धांत रूप में 9.00 लाख रुपये अनुमोदित किए गए।

1	2	3
2.	ग्यालशिंग, पश्चिमी सिक्किम में स्टेडियम	: सिद्धांत रूप में 9.00 लाख रुपये अनुमोदित किए गए।
तमिलनाडु		
1.	पार्क्स कैम्पन, कोयम्बटूर में 3 टेनिस कोर्ट	: सिद्धांत रूप में 1.86 लाख रुपये अनुमोदित किए गए।
2.	आफिसर्स क्लब, नागरकोइल, कन्याकुमारी में इंडोर स्टेडियम	: सिद्धांत रूप में 8.00 लाख रु० का अनुमोदन अपर्याप्त प्रगति के कारण रद्द कर दिया गया है।
3.	अरूणबक्कम, मद्रास में बास्केटबाल कोर्ट	: सूचित की गई खामियों का अनुपालन नहीं किया गया। नौवीं योजना के आरंभ होने तक किसी भी प्रस्ताव पर विचार न करने संबंधी केन्द्रीय सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव को बंद हुआ माना जाए।
4.	शिवा गंगा, पी.एम.टी. में जिला स्तरीय खेल परिसर	: - वही -
5.	धारपुरम, पेरियार में इंडोर स्टेडियम	: 52.50 लाख रुपये के अनुमोदित अनुदान में से 25.00 लाख रुपये जारी किए गए।
6.	तुरैयुर, थंजावूर में खेल मैदान	: अस्वीकृत
7.	त्रिची में तरण ताल	: 10.00 लाख रुपये के अनुमोदित अनुदान में से 9.00 लाख रुपये जारी किए गए।
8.	त्रिची में कंकरीट बास्केट बाल कोर्ट	: सूचित की गई खामियों का अनुपालन नहीं किया गया। नौवीं योजना के आरंभ होने तक किसी भी प्रस्ताव पर विचार न करने संबंधी केन्द्रीय सरकार के निर्णय को ध्यान मे रखते हुए प्रस्ताव को बंद हुआ माना जाए।
त्रिपुरा		
1.	उदयपुर में तरणताल	: सिद्धांत रूप में 63.75 लाख रुपये अनुमोदित किए गए।
2.	कॉलेज टिला, अगरतला, में क्रिकेट स्टेडियम	: 16.30 लाख रुपये के अनुमोदित अनुदान में से 14.50 लाख रुपये जारी किए गए।
3.	अगरतला में तरणताल	: अस्वीकृत
उत्तर प्रदेश		
1.	इलाहाबाद में इंडोर स्टेडियम	: अस्वीकृत
पश्चिम बंगाल		
1.	चम्पदोनी, हुगली में 8 लेन सिंडर एथलेटिक ट्रैक	: सिद्धांत रूप में 1.63 लाख रुपये अनुमोदित किए गए।
2.	मोहर, मिदनापुर में जिम्नाजियम हाल	: 1.14 लाख रुपये के अनुमोदित अनुदान में से 1.00 लाख रुपये जारी किए गए।
3.	रबीन्द्र नगर, मिदनापुर में इंडोर स्टेडियम	: सिद्धांत रूप में 52.50 लाख रु० जारी किए गए।
4.	राजबाड़ी, जलपाईगुड़ी में खेल परिसर	: नौवीं योजना के दौरान नया प्रस्ताव मंगाया गया है।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह		
		- शून्य -
चंडीगढ़		
1.	विवेक हाई स्कूल, चंडीगढ़ में खेल मैदान	: सिद्धांत रूप में 1.95 लाख रुपये अनुमोदित किए गए।
दादरा और नगर हवेली		
		- शून्य -
दमन और दीव		
		- शून्य -
लक्षद्वीप		
		- शून्य -
दिल्ली		
1.	रामजस फाऊंडेशन, दिल्ली द्वारा आउटडोर स्टेडियम	: 5.02 लाख रु० के अनुमोदित अनुदान में से 2.50 लाख रुपये जारी किए गए।
2.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन, दिल्ली द्वारा 25 केन्द्रीय विद्यालयों में खेल मैदान	: सूचित की गई खामियों का अनुपालन नहीं किया गया। नौवीं योजना के आरंभ होने तक किसी भी प्रस्ताव पर विचार न करने संबंधी केन्द्रीय सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव को बंद हुआ माना जाए।

1	2	3
पांडिचेरी		
		- शून्य -
आंध्र प्रदेश		
1.	अदिलाबाद में खेल परिसर	: सिद्धांत रूप में 75.00 लाख रु० अनुमोदित किए गए
2.	निर्मल, अदिलाबाद में खेल परिसर	: अस्वीकृत
3.	कुड्डापाह में इंडोर स्टेडियम	: सूचित की गई खामियों का अनुपालन नहीं किया गया। नौवीं योजना के आंरभ होने तक किसी भी प्रस्ताव पर विचार न करने संबंधी केन्द्रीय सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव को बंद हुआ माना जाए।
4.	करीमनगर में जिला स्तरीय खेल परिसर	: नौवीं योजना के दौरान नया प्रस्ताव मंगाया गया है।
5.	जिला खेल परिसर, सरूरनगर, आर.आर. रेड्डी जिला	: - वही -
6.	कैलासगिरि पुलिस स्टेशन, विशाखापट्टनम में खेल स्टेडियम	: अस्वीकृत
अरूणाचल प्रदेश		
		- शून्य -
असम		
1.	मंगल दाई, दारंग में बहुउद्देशीय स्टेडियम	: नौवीं योजना के दौरान नया प्रस्ताव मंगाया गया है।
2.	जोरहाट में तरण ताल	: सिद्धांत रूप में 43.00 लाख रु० अनुमोदित किए गए।
बिहार		
1.	लहेरियासराय, दरभंगा में वर्तमान पोलो ग्राउंड स्टेडियम में पेवेलियन और खेल मैदान	: सिद्धांत रूप में 5.00 लाख रुपये अनुमोदित किए गए।
2.	पलामू में खेल परिसर	: सिद्धांत रूप में 10.00 लाख रुपये अनुमोदित किए गए ।
3.	कला भवन, पूर्णिया में बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम	: अस्वीकृत
4.	पटना में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण परिसर	: प्रस्ताव सही पाया गया/इस पर स्वीकृति प्रस्तावों के रद्द होने पर विचार किया जाएगा।
गोवा		
		- शून्य -
गुजरात		
1.	कदोली साबरकांठा, में बास्केटबाल कोर्ट	: सिद्धांत रूप में 0.60 लाख रुपये अनुमोदित किए गए।
2.	कदोली, साबरकांठा में स्केटिंग रिंक	: अस्वीकृत
हरियाणा		
1.	खरखरी माखवान, भिवानी में लघु स्टेडियम	: नौवीं योजना के दौरान नया प्रस्ताव मंगाया गया है।
2.	पलवल, भिवानी में स्टेडियम	: सूचित की गई खामियों का अनुपालन नहीं किया गया। नौवी योजना के आरंभ होने तक किसी भी प्रस्ताव पर विचार न करने संबंधी केन्द्रीय सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव को बंद हुआ माना जाए।
3.	करोर, रोहतक में खेल मैदान	: - वही -
4.	नाकाली कलाँ, रोहतक में खेल मैदान	: - वही -
5.	भम्भेवा, रोहतक में खेल मैदान	: - वही -
6.	झज्जर, रोहतक में कुश्ती भवन	: 4.26 लाख रु० के अनुमोदित अनुदान में से 3.834 लाख रुपये जारी किए गए।
7.	सराय, औरंगाबाद, रोहतक में लघु स्टेडियम	: नौवीं योजना के दौरान नया प्रस्ताव मंगाया गया है।
8.	सिरसा में तरणताल	: राज्य सरकार से मंगाया गया संशोधित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
9.	शेखपुरा, सोनीपत में लघु स्टेडियम	: नौवीं योजना के दौरान नया प्रस्ताव मंगाया गया है।

1	2	3
	हिमाचल प्रदेश	
1.	सिब्बापुर, कांगड़ा में फुटबाल मैदान	: 1.24 लाख रु० के अनुमोदित अनुदान में से 1.116 लाख रु० जारी किए गए।
2.	मंडी में बास्केटबाल कोर्ट	: नौंवी योजना के दौरान नया प्रस्ताव मंगाया गया है।
3.	कोटला, मंडी में लघु स्टेडियम	: - वही -
4.	जुंगा, शिमला में आउटडोर स्टेडियम	: 8.32 लाख रुपये के अनुमोदित अनुदान में से 7.488 लाख रु० जारी किए गए।
5.	सुन्नी, शिमला में स्टेडियम	: अस्वीकृत
	जम्मू व कश्मीर	
1.	लेह में इंडोर स्टेडियम	: सिद्धात रूप में 37.50 लाख रुपये अनुमोदित किए गए
	कर्नाटक	
1.	वी.पी.वी.वी. समस्ता, बादामी, बीजापुर में बहुउद्देशीय खेल हाल	: 10.00 लाख रुपये के अनुमोदित अनुदान में से 9.00 लाख रुपये जारी किए गए।
2.	मंड्या में इंडोर स्टेडियम	: सिद्धांत रूप में 35.00 लाख रु० अनुमोदित किए गए ।
3.	सवादत्ता, बेलगांव में तालुक स्टेडिमय	: अस्वीकृत
4.	सरदार हाई स्कूल, बेलगाँव में खेल परिसर	: अस्वीकृत
5.	बीजापुर में इंडोर स्टेडियम	: अस्वीकृत
6.	पुलिस मुख्यालय, धारवाड़ में खेल परिसर	: अस्वीकृत
7.	सद्गुरू अप्पैया स्वामी हाई स्कूल, काडीगे, सोमावरवेट, कोडागू में खेल मैदान	: सिद्धांत रूप में 1.24 लाख रु० अनुमोदित किए गए।
8.	श्री आदी चुनचुनागिरी आयुर्विज्ञान संस्थान, नागामंगला, मंड्या में स्टेडियम	: सिद्धांत रूप में 1.75 लाख रु० अनुमोदित किए गए।
9.	मड्डूर टाउन, मंड्या में इंडोर स्टेडियम	: अस्वीकृत
10.	लुंगसुगुर, रायचूर में तालुक स्टेडियम	: अस्वीकृत
11.	होन्नाली, शिमोगा में तालुक स्टेडियम	: अस्वीकृत
12.	डॉ० बी. आर. अम्बेडकर स्टेडियम बीजापुर में वैलोड्रोम	: नौवीं योजना के दौरान नया प्रस्ताव मंगाया गया है।
13.	बीजापुर में तरणताल	: - वही -
14.	कुड्डुर, चिकमंगलूर में तालुक स्टेडियम	: - वही -
15.	श्री राजेश्वरी विद्यानिकेतन, होलकोटी धारवाड़ में खेल परिसर	: - वही -
16.	सैंट्रल हाई स्कूल, राजकीय पी.यू. कालेज, मेदीकेरी, कोडागु में बहुउद्देशीय आडीटोरियम	: - वही -
17.	मंड्या में आउटडोर स्टेडियम	: - वही -
18.	रायचूर में इंडोर स्टेडियम	: - वही -
	केरल	
1.	पेरियानुर, कन्नूर में स्टेडियम	: अस्वीकृत
2.	मुवाट्टुपुझा, कोचीन में स्टेडियम	: नौवीं योजना के दौरान नया प्रस्ताव मंगाया गया है।
3.	कोंजीकुझी, इडुक्की में फुटबाल मैदान और इंडोर स्टेडियम	: सिद्धांत रूप में 1.24 लाख रुपये अनुमोदित किए गए।
4.	कोट्टायम में जिला स्तरीय खेल परिसर	: नौंवी योजना के दौरान नया प्रस्ताव मंगाया गया है।
5.	जे.डी.टी. इस्लाम अनाथालय हाई स्कूल, कोजीकोड़े में फुटबाल मैदान	: सिद्धांत रूप में 0.83 लाख रु० अनुमोदित किए गए।
6.	कोजीकोड़े में राज्य स्तरीय परिसर	: नौंवी योजना के दौरान नया प्रस्ताव मंगाया गया है।
7.	कोल्लायिल, तिरूअनंतपुरम में स्टेडियम और खुली हवाई स्टेज	: अस्वीकृत
	मध्य प्रदेश	
1.	लहर, भिंड में इंदिरा गांधी स्टेडियम	: नौंवी योजना के दौरान नया प्रस्ताव मंगाया गया है।

1	2	3
2.	कैम्पियन स्कूल, भोपाल में हाकी मैदान/बास्केट बाल कोर्ट/फुटबाल/क्रिकेट मैदान	: सूचित की गई खामियों का अनुपालन नहीं किया गया। नौवीं योजना के आरंभ होने तक किसी भी प्रस्ताव पर विचार न करने संबंधी केन्द्रीय सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव को बंद हुआ माना जाए।
3.	पारासिया टाउन, छिंदवाड़ा मे खेल परिसर	: नौवी योजना के दौरान नया प्रस्ताव मंगाया गया है।
4.	बालोद, दुर्ग में लघु स्टेडियम	: सिद्धांत रूप में 18.00 लाख रु0 अनुमोदित किए गए। नये प्रस्ताव मंगाए गये हैं।
5.	बुरहानपुर, पूर्वी नीमार में तरणताल तथा खेल परिसर	: नए प्रस्ताव मंगाए गये हैं।
6.	गुना में संजय स्टेडियम	: प्रस्ताव क्रम में नहीं थे। मूल रूप में वापस कर दिए गए।
7.	तिघरा झील, ग्वालियर में जल क्रीडा परिसर	: नौवी योजना के दौरान नया प्रस्ताव मंगाया गया है।
8.	ग्वालियर में विशेष परियोजना विकास क्षेत्र(एस.पी.डी.ए.)केन्द्र	: 15.00 लाख रुपये जारी किए गए।
9.	विवेकानंद कालोनी, सतना में इंडोर स्टेडियम	: सूचित की गई खामियों का अनुपालन नहीं किया गया। नौवीं योजना के आरंभ होने तक किसी भी प्रस्ताव पर विचार न करने संबंधी केन्द्रीय सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव को बंद हुआ माना जाए।
10.	मंदसौर में तरणताल	: अस्वीकृत
11.	जिला खेल परिसर, रायगढ़	: नौवी योजना के दौरान नया प्रस्ताव मंगाया गया है।
12.	पिछोर, शिवपुरी में इंडोर स्टेडियम	: सूचित की गई खामियों का अनुपालन नहीं किया गया। नौवीं योजना के आरंभ होने तक किसी भी प्रस्ताव पर विचार न करने संबंधी केन्द्रीय सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव को बंद हुआ माना जाए।
13.	पिछोर, शिवपुरी में छत्रसाल स्टेडियम	: सिद्धांत रूप में 6.00 लाख रुपये अनुमोदित किए गए
	महाराष्ट्र	
1.	कोपारगाँव, अहमदनगर में खेल मैदान	: सिद्धांत रूप में 1.50 लाख रुपये अनुमोदित किए गए।
2.	राजुरी, बीड में तरणताल	: सिद्धांत रूप में 20.00 लाख रुपये अनुमोदित किए गए।
3.	राजुर, बीड़ में जिम्नाजियम हाल	: सिद्धांत रूप में 25.00 लाख रुपये अनुमोदित किए गए।
4.	बुलडाना में जिला खेल परिसर	: 50.00 लाख रुपये के अनुमोदित अनुदान में से 25.00 लाख रुपये जारी किए गए।
5.	नागपुर में इंडोर स्टेडियम	: 20.00 लाख रूपये के अनुमोदित अनुदान में से 18.00 लाख रुपये जारी किये गये।
6.	नागपुर में बहुउद्देशीय जिम्नेजियम हाल	: सिद्धांत रूप में 2.96 लाख रुपये अनुमोदित किये गये।
7.	नागपुर में बहुउद्देशीय जिम्नेजियम हाल (वार्ड नं0 65)	: सिद्धांत रूप में 3.03 लाख रुपये अनुमोदित किये गये।
8.	नागपुर में जिम्नेजियम हाल (वार्ड नं0 49)	: सिद्धांत रूप में 2.50 लाख रू0 अनुमोदित किए गए।
9.	नागपुर में जिम्नेजियम हाल (वार्ड सं. 55)	: सिद्धांत रुप में 2.50 लाख रू0. अनुमोदित किए गए।
10.	नागपुर में जिम्नेजियम हाल (वार्ड सं. 57)	: सिद्धांत रुप में 2.50 लाख रू0 अनुमोदित किए गए।
11.	नागपुर में जिम्नेजियम हाल (वार्ड सं0 62)	: सिद्धांत रूप में 2.50 लाख रू0 अनुमोदित किए गए।
12.	बाराशिव, पारभानी में खेल मैदान	: सिद्धांत रूप में 0.80 लाख रु0 अनुमोदित किए गए
13.	स्वारदे, रत्नागिरी में इंडोर स्टेडियम	: 30.00 लाख रू0 के अनुमोदित अनुदान में 27.00 लाख रू0 जारी किये गये।
14.	स्वारदे रत्नागिरि में जिमनाजियम हाल	: सिद्धांत रूप में 6.72 लाख रू0 अनुमोदित किए गए।

1	2	3
15.	चिपलुम रत्नागिरि में इंडोर स्टेडियम	: सिद्धांत रूप में 30.00 लाख रू0 अनुमोदित किए गए।
16.	भारनी, रत्नागिरि में जिम्नाजियम हाल	: सिद्धांत रूप में 6.72 लाख रू0 अनुमोदित किए गए।
17.	पेधे परशुराम, रत्नागिरि में जिम्नाजियम हाल	: अस्वीकृत
18.	यवतमाल में इंडोर स्टेडियम	: सिद्धांत रूप में 35.00 लाख रुपये अनुमोदित किए गए।
19.	यवतमाल में तरणताल	: 20.00 लाख रुपये के अनुमोदित अनुदान में से 10.00 लाख रुपये जारी किए गये।
20.	बान्द्रा पूर्व, मुम्बई में बैडमिंटन हाल	: अस्वीकृत
21.	कोहलापुर में इंडोर स्टेडियम	: अस्वीकृत
22.	नासिक में टेनिस कोर्ट	: अस्वीकृत
23.	अम्बादास, रत्नागिरि में जिम्नाजियम हाल	: अस्वीकृत
24.	खेरदी, रत्नागिरि में जिम्नाजियम हाल	: अस्वीकृत
25.	कोहलापुर में बहुउद्देशीय खेल हाल	: नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नया प्रस्ताव मंगाया गया है।
26.	फुरुस, रत्नागिरि में जिम्नाजियम हाल	: - वही -
27.	शिव, रत्नागिरि में जिम्नाजियम हाल	: - वही -
28.	वाघापुर, यवतमाल में तरणताल	: - वही -
29.	गांधी बाग, नागपुर में तरणताल	: सूचित की गई खामियों का अनुपालन नहीं किया गया। नौवीं योजना के आरंभ होने तक किसी भी प्रस्ताव पर विचार न करने संबंधी केन्द्रीय सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव को बंद हुआ माना जाए।
30.	नागपुर में बहुउद्देशीय हाल (वार्ड सं0 60)	: - वही -
31.	सदर नागपुर में जिम्नाजियम हाल	: - वही -
32.	मालसाहेब, चौक, नागपुर में जिम्नजियम हाल	: - वही -
	मणिपुर	- शून्य -
	मेघालय	
1.	विलियम नगर, पूर्वी गारो हिल्स में जिला स्तरीय खेल परिसर	: सूचित की गई खामियों का अनुपालन नहीं किया गया। नौवीं योजना के आरंभ होने तक किसी भी प्रस्ताव पर विचार न करने संबंधी केन्द्रीय सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव को बंद हुआ माना जाए।
2.	सिंट, पूर्वी खासी हिल्स में जिला स्तरीय खेल परिसर	: - वही -
3.	जोवाई, जैनतिया हिल्स में जिला स्तरीय खेल परिसर	: - वही -
4.	तुरा, पश्चिमी गारो हिल्स में जिला स्तरीय परिसर	: - वही -
5.	तुरा, पश्चिमी गारो हिल्स में आउटडोर स्टेडियम	: - वही -
6.	नोनगस्टोइन, पश्चिमी खासी हिल्स में जिला स्तरीय खेल परिसर	: - वही -
7.	नोंगपोह रि-भोई में जिला स्तरीय खेल परिसर	: - वही -
8.	वाघमेर, दक्षिण गारो हिल्स में जिला स्तरीय खेल परिसर	: - वही -
	मिजोरम	- शून्य -
	नागालैंड	- शून्य -
	उड़ीसा	- शून्य -
	पंजाब	
1.	गुरदासपुर में जिम्नेजियम हाल	: नौवीं योजना के दौरान नया प्रस्ताव मांगा गया।

1	2	3
राजस्थान		
1.	लाजपतनगर, अलवर में बास्केटबाल कोर्ट	: नौवीं योजना के दौरान नया प्रस्ताव मांगा गया
2.	कोइूं कालोनी, बांसवाड़ा में स्टेडियम तथा बास्केटबाल	: – वही –
3.	नीम्बो हीरा जतन, भीलवाड़ा में बास्केटबाल कोर्ट	: सिद्धांत रूप में 0.43 लाख रुपये अनुमोदित।
4.	मालपुर, डूंगरपुर में जिला खेल परिसर	: सूचित की गई खामियों का अनुपालन नहीं किया गया। नौवीं योजना आरंभ होने तक किसी भी प्रस्ताव पर विचार न करने संबंधी केन्द्रीय सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव को बंद हुआ माना जाए।
5.	दूदू, जयपुर में एथलैटिक ट्रैक	: – वही –
6.	मनोहरपुर, जयपुर में खेल मैदान	: नौवीं योजना के दौरान नया प्रस्ताव मांगा गया।
7.	पिलानी, झुंझुन में खेल मैदान	: – वही –
8.	जेजूसर, झुंझुनू में खेल मैदान	: – वही –
9.	बागर, झुंझुनू में खेल मैदान	: सूचित की गई खामियों का अनुपालन नहीं किया गया। नौवीं योजना के आरंभ होने तक किसी भी प्रस्ताव पर विचार न करने संबंधी केन्द्रीय सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव को बंद हुआ माना जाए।
10.	उदयपुर में खेल मैदान	: नौवीं योजना के दौरान नया प्रस्ताव मांगा गया।
सिक्किम		– शून्य –
तमिलनाडु		
1.	जिला स्तरीय खेल परिसर, दिंदिगुल	: नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नया प्रस्ताव मांगा गया।
2.	कोयम्बटूर में तरणताल का रिसाइकलिंग संयत्र	: सिद्धांत रूप में 6.20 लाख रुपये अनुमोदित।
3.	शास्त्री मैदान, कोयम्बटूर में तरणताल, इंडोर स्टेडियम तथा टेनिस कोर्ट	: नौवीं योजना के दौरान नया प्रस्ताव मांगा गया।
4.	कोयम्बटूर में टेनिस कोर्ट	: 0.3675 लाख रुपये के अनुमोदित अनुदान में से 0.33075 लाख रुपये जारी।
5.	कोयम्बटूर में फुटबाल/क्रिकेट मैदान	: सिद्धांत रूप में 2.50 लाख रुपये अनुमोदित।
6.	कोयम्बटूर में बास्केटबाल कोर्ट	: अनुमोदित अनुदान की सम्पूर्ण धनराशि 0.60 लाख रुपये जारी।
7.	पार्क कैम्पस, कोयम्बटूर में इंडोर स्टेडियम	: सूचित की गई खामियों का अनुपालन नहीं किया गया। नौवीं योजना के आरंभ होने तक किसी भी प्रस्ताव पर विचार न करने संबंधी केन्द्रीय सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव को बंद हुआ माना जाए।
8.	इलाथागिरी, धरमापुरी में हाकी फील्ड	: नौवीं योजना के दौरान नया प्रस्ताव मांगा गया।
9.	मानगुझी, कन्याकुमारी में हाकी कोर्ट	: – वही –
10.	मानालिकाराय, कन्याकुमारी में बास्केटबाल कोर्ट	: – वही –
11.	मुटोम कन्याकुमारी में हाकी फील्ड	: – वही –
12.	चिदम्बरनगर, कन्याकुमारी में बास्केटबाल कोर्ट	: सूचित की गई खामियों का अनुपालन नहीं किया गया। नौवीं योजना के आरंभ होने तक किसी भी प्रस्ताव पर विचार न करने संबंधी केन्द्रीय सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव को बंद हुआ माना जाए।
13.	मेलापोर, चेन्नई में टेनिस अकादमी	अनुमोदित अनुदान की सम्पूर्ण धनराशि 20.00 लाख रुपये जारी।
14.	थेनी, मदुरई में इंडोर स्टेडियम	: नौवीं योजना के दौरान नया प्रस्ताव मांगा गया।

1	2	3
15.	तिरूपुत्तर, उत्तरी आरकोट बास्केटबाल कोर्ट	: नौवी योजना के दौरान नया प्रस्ताव मांगा गया।
16.	गुदीयाथम, उत्तरी आरकोट में बास्केटबाल कोर्ट	: सिद्धांत रूप में 0.575 लाख रुपये अनुमोदित।
17.	मानामदुराई, पी.एम.टी. में बास्केटबाल कोर्ट	: सूचित की गई खामियों का अनुपालन नहीं किया गया। नौवीं योजना के आरंभ होने तक किसी भी प्रस्ताव पर विचार न करने संबंधी केन्द्रीय सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव को बंद हुआ माना जाए।
18.	सुरानाम, पी.एम.टी. में बास्केटबाल कोर्ट	: - वही -
19.	पेरामदुराई, पेरियार में बास्केटबाल कोर्ट	: - वही -
20.	सत्यमंगलम, पेरियार में बास्केटबाल कोर्ट	: नौवीं योजना के दौरान नया प्रस्ताव मांगा गया।
21.	पेरामगुलम, पुदुकोट्टई में बास्केटबाल कोर्ट	: - वही -
22.	पुदुकोट्टई में जिला स्तरीय खेल परिसर	: - वही -
23.	कारपगनगर, पुदुकोट्टई में बास्केटबाल कोर्ट	: सिद्धांत रूप में 0.60 लाख रुपये अनुमोदित।
24.	मुथुपेट्टी, रामनाथपुरम में बास्केटबाल कोर्ट	: सूचित की गई खामियों का अनुपालन नहीं किया गया। नौवीं योजना के आरंभ होने तक किसी भी प्रस्ताव पर विचार न करने संबंधी केन्द्रीय सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव को बंद हुआ माना जाए।
25.	येरकाऊड, सलेम में बहुउद्देशीय स्टेडियम	: - वही -
26.	येरकाऊड, सलेम में इंडोर स्टेडियम	: - वही -
27.	कान्थामपट्टी, सलेम में बास्केटबाल कोर्ट	: नौवीं योजना के दौरान नया प्रस्ताव मंगाया गया।
28.	मारावनेरी, सलेम में बास्केटबाल कोर्ट	: - वही -
29.	अलागापुरम, सलेम में इंडोर शटल कोर्ट	: - वही -
30.	करनथाई, तंजावूर में फुटबाल मैदान	: नौवी योजना के दौरान नया प्रस्ताव मांगा गया।
31.	तिरूचिरापल्ली में बास्केटबाल कोर्ट	: - वही -
32.	कुलीथालई, त्रिची में बास्केटबाल कोर्ट	: - वही -
33.	टी.एन. पुथुकुड़ी - पुलीअंगुदी तिरूनेलवेल्ली में बास्केटबाल कोर्ट	: - वही -
34.	कीलाकालंगल, तिरूनेलवेल्ली में टेनिस कोर्ट	: - वही -
35.	अवराईकुलम, तिरूनेलवेल्ली में टेनिस कोर्ट	: - वही -
36.	कीलाकालंगल, तिरूनेलवेल्ली में बास्केटबाल कोर्ट	: - वही -
37.	वादाकंगुलम, तिरूनेलवेल्ली में बास्केटबाल कोर्ट	: सूचित की गई खामियों का अनुपालन नहीं किया गया। नौवीं योजना के आरभ होने तक किसी भी प्रस्ताव पर विचार न करने संबंधी केन्द्रीय सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव को बंद हुआ माना जाए।
38.	तंदरामपेट, समबूवराभर	: - वही -
	त्रिपुरा	- शून्य -
	उत्तर प्रदेश	
1.	जार्ज टाऊन, इलाहाबाद में तरणताल	: सिद्धांत रूप में 43.00 लाख रुपये अनुमोदित।
2.	मेरठ में बैडमिंटन के लिए इंडोर स्टेि ा	: नौवीं योजना के दौरान नया प्रस्ताव मांगा गया।
	पश्चिम बंगाल	
1.	सिलिगुड़ी में इंडोर स्टेडियम	: सूचित की गई खामियों का अनुपालन नहीं किया गया। नौवी योजना के आरंभ होने तक किसी भी प्रस्ताव पर विचार न करने संबंधी केन्द्रीय सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव को बंद हुआ माना जाए।

1	2	3
2.	जामकुंड़ा, मिदनापुर में तरणताल	: - वही -
3.	हावड़ा में तरणताल	: अस्वीकृत
4.	हावड़ा में इंडोर स्टेडियम	: परियोजना अनुमोदित। अनुमोदित परियोजना की जांच पूरी हो जाने के बाद ही सिद्धांत रूप में मंजूरी जारी की जाएगी।
	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	- शून्य -
	चण्डीगढ़	- शून्य -
	दादरा व नगर हवेली	- शून्य -
	दमन व दीव	- शून्य -
	लक्षद्वीप	- शून्य -
	दिल्ली	- शून्य -
	पांडिचेरी	- शून्य -

विवरण-II

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1994-95	1995-96
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	शून्य	12,50,000
2.	अरुणाचल प्रदेश	10,86,000	20,65,000
3.	असम	शून्य	46,20,000
4.	बिहार	शून्य	25,92,400
5.	गोवा	19,00,000	शून्य
6.	गुजरात	शून्य	5,17,242
7.	हरियाणा	97,50,000	38,88,000
8.	हिमाचल प्रदेश	45,50,000	1,86,000
9.	जम्मू व कश्मीर	शून्य	शून्य
10.	कर्नाटक	15,74,250	64,34,300
11.	केरल	16,59,800	6,00,100
12.	मध्य प्रदेश	85,00,000	70,00,000
13.	महाराष्ट्र	10,00,000	1,17,90,500
14.	मणिपुर	87,50,000	शून्य
15.	मेघालय	शून्य	शून्य
16.	मिजोरम	शून्य	1,07,74,500
17.	नागालैण्ड	75,00,000	25,00,000
18.	उड़ीसा	45,000	4,95,000
19.	पंजाब	शून्य	शून्य
20.	राजस्थान	शून्य	8,25,000
21.	सिक्किम	13,15,918	शून्य
22.	तमिलनाडु	54,770	3,32,925
23.	त्रिपुरा	64,50,000	शून्य
24.	उत्तर प्रदेश	1,31,45,512	54,39,488
25.	पश्चिम बंगाल	4,95,000	5,86,490

1	2	3	4
संघ शासित प्रदेश			
1.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य
2.	चण्डीगढ़	शून्य	1,75,500
3.	दादरा व नगर हवेली	शून्य	शून्य
4.	दमन व दीव	शून्य	शून्य
5.	दिल्ली	शून्य	शून्य
6.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य
7.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश से प्राप्त सिंचाई परियोजनाओं के प्रस्ताव

1442. श्री हरिवंश सहाय :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सिंचाई परियोजनाओं संबंधी कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) इनमें से कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गई;

(ग) क्या देवरिया और बलिया जिलों में कोई परियोजना स्थापित करने हेतु स्वीकृति के लिए प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हाँ, तो इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ङ) केन्द्र सरकार की स्वीकृति के लिए लंबित सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(च) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृत कर दिए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) केन्द्रीय जल आयोग में पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार से कोई भी नई सिंचाई परियोजना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय जल आयोग में पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के देवरिया तथा बलिया जिलों को लाभ पहुंचाने वाली कोई भी नई वृहद अथवा मझौली सिंचाई परियोजनाएं प्राप्त नहीं हुई हैं। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त जिलों की कोई भी परियोजना केन्द्रीय जल आयोग में मंजूरी के लिए लंबित नहीं है।

(ङ) केन्द्रीय जल आयोग में मंजूरी के लिए लंबित नई वृहद सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(च) परियोजनाओं की मंजूरी इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार केन्द्रीय एजेंसियों की टिप्पणियों की अनुपालना कितनी तत्परता से करती हैं।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	नवीनतम अनुमानित लागत (करोड़ रु० में)	सिंचाई लाभ (हजार हेक्टेयर में)
1.	बेवार पोषक	33.75	9.80
2.	मेजा बांध को ऊंचा करना	52.18	17.88
3.	बाणसागर नहरें	190.27	150.13
4.	राजघाट नहरें	126.43	138.66
5.	मौदहा बांध	113.59	27.70
6.	बुंदेलखंड चैनल को पक्का करना	57.37	23.78
7.	चित्तौड़गढ़ जलाशय	34.06	11.83
8.	जरौली पम्प नहर	27.54	46.45
9.	कनहर सिंचाई	174.27	33.12

[अनुवाद]

दिल्ली स्थित केन्द्रीय विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना

1443. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि दिल्ली स्थित केन्द्रीय विद्यालयों, विशेषकर आई.एन.ए. कालोनी में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुडी राम सैकिया) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि प्रगति विहार, न्यू फ्रेंड्स सेंटर और सैनिक विहार में केन्द्रीय विद्यालयों के पास अपेक्षित भवन सुविधाएं नहीं हैं। भवनों के निर्माण हेतु कार्रवाई की जा रही है। केन्द्रीय विद्यालय, आई.एन.ए. कालोनी के पास अपेक्षित आधारभूत सुविधाएं हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करना

1444. श्री पी. कोदंडा रमैया : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि बंगलौर से मंगलौर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47, बंगलौर से नेलेमंगला के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 और 13 के बीच लगभग 30 मील तक साझा कोटर्मिनस है और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 बंगलौर से चित्रदुर्ग के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 लगभग 200 कि.मी. तक साझा (कोटर्मिनस) है;

(ख) क्या इस खण्ड पर बढ़ती दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार इस खंड को चौड़ा करके चार लेनों वाला बनाने का है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या इस खंड को चौड़ा करने के लिए बजट आवंटित करके कोई कार्रवाई शुरू की गई है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन): (क) संभवतः माननीय सदस्य का आशय बंगलौर से मंगलौर तक रा.रा. 48 से है जो बंगलौर से नेलेमंगला तक लगभग 30 कि. मी. की दूरी तक रा.रा.-4 के समानान्तर है। रा.रा.-13, बंगलौर से चित्रदुर्ग तक 200 कि.मी. की दूरी तक रा.रा.-4 के समानांतर है।

(ख) से (ङ) रा.रा.-4/48 का लगभग 30 कि.मी. लम्बा खंड अर्थात् बंगलौर से नेलेमंगला तक पहले से ही 4 लेन का है। रा. रा.-4 के नेलेमंगला से तुमकुर खंड को 30 से 75 कि.मी. तक चार लेन का बनाने पर, भूमि अधिग्रहण पूरा हो जाने के बाद विचार किया जाएगा। रा.रा. 4 के तुमकुर से चित्रदुर्ग तक के शेष खंड और रा.रा.-48 के नेलेमंगला से मंगलौर तक के खंड को चार लेन का बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उड़ीसा में बड़ी सिंचाई परियोजनाएं

1445. श्री के.पी. सिंह देव : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में प्रधानमंत्री से निर्माणाधीन बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने हेतु निधियों में वृद्धि करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) परियोजना-वार कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) तथापि, वर्ष 1996-97 में शुरू किए गए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत उड़ीसा सरकार को रेंगाली, अपर इन्द्रावती दायां तट नहर, सुवर्ण रेखा और आनन्दपुर बराज परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए 46.05 करोड़ रुपए की राशि केन्द्रीय ऋण सहायता के रूप में जारी की गई है।

राष्ट्रीय खेल और युवा नीति

1446. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** 2 दिसम्बर, 1996 के तारांकित प्रश्न संख्या 158 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खेल और युवा नीति नये सिरे से तैयार करने के लिए कोई उपाय किये गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इनमें से किसी नीति को नए सिरे से तैयार करने का विचार छोड़ दिया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई): (क) से (घ) संशोधित राष्ट्रीय खेल नीति का मसौदा सभी संबंधित व्यक्तियों को उनकी टिप्पणियों तथा सुझावों के लिए परिचालित कर दिया गया है। जहां तक राष्ट्रीय युवा नीति का संबंध है, राजनैतिक दलों की विभिन्न युवा शाखाओं के प्रतिनिधियों तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों के साथ एक बैठक

आयोजित की जा चुकी है। संशोधित युवा नीति का मसौदा तैयार किया जा रहा है तथा सभी संबंधितों को उनके सुझावों/टिप्पणियों हेतु परिचालित कर दिया जायेगा।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में मध्याह्न भोजन योजना

1447. श्री डी. पी. यादव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा स्कूलों में मध्याह्न-भोजन योजना कार्यान्वित की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो गत वर्ष के दौरान उक्त योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के कितने ग्रामीण स्कूलों को शामिल किया गया तथा अगले वर्ष शामिल किए जाने वाले स्कूलों की जिला-वार संख्या कितनी है; और

(ग) वर्ष 1997-98 में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर कितनी धनराशि व्यय होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुडी राम सैकिया) : (क) प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम, जिसे मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जाना जाता है, को देश में 15 अगस्त, 1995 को आरम्भ किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य, वर्ष 1997-98 तक देश में प्राथमिक कक्षाओं (पहली से पांचवीं) के सभी छात्रों को चरणबद्ध रूप में शामिल करना है।

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश राज्य के 37 जिलों के 21528 ग्रामीण स्कूलों को शामिल कर लिया गया था तथा इस वर्ष के दौरान 66 जिलों के 76896 स्कूलों को शामिल किया जा रहा है। आशा है कि वर्ष 1997-98 में शेष स्कूलों को शामिल कर लिया जाएगा।

(ग) वर्ष 1997-98 के बजट अनुमानों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

"थलसेमिया" के रोगियों के लिए औषध

1448. कुमारी ममता बनर्जी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का "थलसेमिया" के रोगियों के लिए प्रयोग किए जाने वाले "डेसफेरल इंजेक्शन" की "केलकेर" नामक नई वैकल्पिक औषध के आयात पर सभी प्रकार के कर और शुल्क हटा लेने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) इस मामले पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

कर्नाटक में लंबित सिंचाई परियोजनाएं

1449. श्री बी.एल. शंकर : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में लंबित उन सिंचाई परियोजनाओं की संख्या कितनी है जिन पर कार्य एक दशक पूर्व शुरू किया गया था;

(ख) इनके अब तक पूरा नहीं होने के क्या कारण हैं;

(ग) वर्तमान में ये परियोजनाएं किस-किस चरण में हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को और समय नष्ट किए बगैर तथा इसमें होने वाली लागत वृद्धि को रोकते हुए इन्हें शीघ्र पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) से (ग) कर्नाटक में 12 वृहद तथा 12 मझौली सिंचाई परियोजनाओं पर एक दशक पूर्व से कार्य आरम्भ किया गया था। वे अभी भी निर्माणाधीन हैं। ये परियोजनाएं विभिन्न तकनीकी, वित्तीय तथा अन्य कारणों से पूरी नहीं की जा सकीं। वे पूर्ण होने की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

(घ) भारत सरकार ने वर्ष 1996-97 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें सरकार को वित्तीय सहायता देना और परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए उनकी गहन मानीटरी करना शामिल है।

बहिरंग रोगी विभाग जांच केन्द्र

1450. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 दिसंबर, 1996 के "दैनिक जागरण" में "पांच वर्ष से फाइलों में बन्द है स्क्रीनिंग ओ.पी.डी. और ड्रग्स सेन्टर स्थापित करने की अपील" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसमें प्रकाशित समाचार के सम्बन्ध में तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है अथवा किए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए राजनगर परिसर में जांच बहिरंग रोगी विभाग परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव था। बाद में इस भूमि को ट्रॉमा केन्द्र के लिए निर्धारित कर दिया गया है। अब संस्थान के मुख्य परिसर में एक जांच बहिरंग रोगी विभाग का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

औषध दुर्व्यसन विवरण केन्द्र ने दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, हरि नगर, नई दिल्ली में कार्य करना जारी रखा हुआ है। औषध केन्द्र के लिए एक वैकल्पिक स्थान का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास

1451. श्री एन.जे. राठवा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली को सरकारी आवासों के आवंटन में तथाकथित अनियमितताओं के बारे में पिछले एक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच की है अथवा करने का विचार है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में उठाए जाने वाले उपचारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार एक फ्लैट के आंवटन के संबंध में परिषद् को अपने दो कर्मचारियों से शिकायतें प्राप्त हुई। संपर्क अधिकारी अ.जा./अ.ज.जा. सेल द्वारा मामले की जांच की गई जिन्होंने पाया कि मकान के आवंटन के संबंध में कोई भी अनियमितता नहीं बरती गई है। तथापि आवंटन आदेश लागू नहीं किया गया तथा विवादग्रस्त क्वार्टर को भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लि. (एम.एम.टी.सी.) जिससे फ्लैट पट्टा और लाइसेंस करार के आधार पर प्राप्त किया गया था, को लौटा दिया गया है।

[अनुवाद]

मिग-29 विमान

1452. श्री प्रमोद महाजन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस निर्मित मिग-29 विमानों के अतिरिक्त कलपुर्जों का अभाव है जिसके कारण ये विमान उड़ाये जाने में सक्षम नहीं होते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) मिग-29 विमान कब खरीदे गए थे, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है और उनमें से कितने उड़ाने योग्य नहीं हैं; और

(घ) जीर्ण-शीर्ण विमानों को बदलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) मिग-29 वायुयानों को पहली बार रूस से सन् 1987 में खरीदा गया था। वायुयान की वर्तमान स्थिति और बेड़े की उपयोज्यता पूरी तरह से सन्तोषजनक है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

स्नातकोत्तर भत्ता

1453. श्री अमर राय प्रधान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत कार्यरत स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त यूनानी चिकित्सकों की संख्या कितनी है और कितनों को केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत स्नातकोत्तर/एम.डी. भत्ता दिया जा रहा है;

(ख) क्या यूनानी चिकित्सा पद्धति में विशेषज्ञों तथा सहायक परामर्शदाता के रूप में इन चिकित्सकों/वरिष्ठ चिकित्सा पदाधिकारियों की सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है तथा उन्हें विभिन्न यूनानी औषधालयों/यूनानी पद्धति के यूनिटों में विशेषज्ञ के रूप में तैनात किया जा रहा है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) एम.डी. डिग्रीधारी दो यूनानी चिकित्सक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में हैं और वे स्नातकोत्तर भत्ता प्राप्त कर रहे हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) यूनानी चिकित्सा पद्धति में विशेषज्ञ का कोई स्वीकृत पद नहीं है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय शिशु कल्याण निधि

1454. श्री विश्वेश्वर भगत : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय शिशु कल्याण निधि की स्थापना की है;

(ख) यदि हाँ, तो इस निधि की स्थापना कब की गई थी; और

(ग) इस निधि से सहायता प्राप्त करने हेतु मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसे कितने प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं जो केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़े हैं और इन प्रस्तावों को कब तक निपटाया जायेगा?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

उत्तर प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा

1455. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में उन माध्यमिक विद्यालयों की जिले वार संख्या क्या है जहां व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है;

(ख) क्या सरकार इन विद्यालयों को प्रशिक्षित शिक्षक और आवश्यक मात्रा में शैक्षणिक सामग्री प्रदान कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) +2 स्तर पर शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार 66 जिलों के 810 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर रही है।

(ख) और (ग) राज्य सरकार द्वारा स्कूल स्तरों पर अतिथि व्याख्याता नियुक्त किए गए हैं। इन अतिथि व्याख्याताओं के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। ये स्कूल राज्य माध्यमिक शिक्षा परिषद तथा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल द्वारा तैयार की गई पाठ्य पुस्तकों तथा अनुदेशात्मक सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं।

[अनुवाद]

हैपेटाईटिस बी. वैक्सीन

1456. श्री राम नाईक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय बाल प्रतिरक्षण कार्यक्रम में हैपेटाईटिस बी. टीके को सम्मिलित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हमारे विशाल देश में हेपेटाइटिस बी. वाहकों की स्थिति में संबंधित अधूरे जानपदिक रोग विज्ञानी आंकड़ों, हेपेटाइटिस बी. संक्रमण के कारण होने वाले 2 प्रतिशत से कम जिगर के कैंसर, वैक्सीन की तीन अपेक्षित खुराकों के साथ हर वर्ष 25 मिलियन नव जन्में शिशुओं को रोग प्रतिरक्षित करने हेतु आयातित वैक्सीन की अत्यधिक लागत (प्रतिवर्ष जिले पर लगभग 1 करोड़ रुपये) और हमारे देश में हेपेटाइटिस बी. संक्रमण की अपेक्षा बहुत अधिक प्राथमिकता वाली समस्याओं की मौजूदगी के कारण हेपेटाइटिस बी. टीके को हमारे राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम में शामिल करना लागत सार्थक नहीं है।

पल्स पोलियो कार्यक्रम

1457. **श्री के.सी. कोडय्या :**
श्री छीतु भाई गामीत :
श्री नारायण अठावले :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में पूरे देश में पोलियो टीकाकरण संबंधी व्यापक कार्यक्रम का आयोजन किया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या पूरे देश में इस कार्यक्रम के प्रति लोगों के सहयोग के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में पांच वर्ष तक के उन बच्चों के बारे में सूचना एकत्र की है जिन्हें पोलियो की दवा पिलायी गयी थी;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(च) इस कार्यक्रम पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(छ) क्या कुछ अन्य देश भी इस बीमारी को पूरी तरह समाप्त कर चुके हैं; और

(ज) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) जी, हाँ।

(ग) से (ङ) अपेक्षित सूचना राज्यवार संलग्न विवरण I और II में दी गई है।

(च) लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वैक्सीनों की खरीद तथा सूचना, शिक्षा और संचार के लिए राज्यों को मदद, लाने ले जाने और सामाजिक गतिशीलता के लिए लगभग 170 करोड़ रुपये की राशि नकद तथा सामग्री के रूप में व्यय की गई थी। पांच वर्ष से कम आयु के सभी बच्चे कार्यक्रम के अन्तर्गत लाए जाएंगे।

(छ) और (ज) उत्तर और दक्षिण अमेरिका के देश देशज पोलियो माइलिटिस से मुक्त बताए गए हैं।

विवरण - I

पल्स पोलियो प्रतिरक्षण, 7 दिसम्बर, 1996

कन्ट्री रिपोर्ट — 2.1.1997 को 14.30 बजे तक की स्थिति

क्र सं.	राज्य का नाम	प. पो.प्रति जिलों की सं.	प्रतिवेदित 0-5 जिले		ग्रामीण लक्ष्य	निष्पादन 0-5 वर्ष	प्रतिशत		लक्ष्य 0-5 वर्ष	ग्रामीण लक्ष्य 0-5 वर्ष		निष्पादन 0-5 वर्ष	लक्ष्य 0-5 वर्ष	निष्पादन 0-5 वर्ष	कुल 0-5 वर्ष	प्रतिरक्षित	कुल बच्चे
		(क)	(ख)	(ख)/(क)	(ग)	(घ)	(घ/ग)	(ङ)	(ज)	(झ)	(झ/ज)	(ञ)	(ग+ज+ञ)	(घ+झ=ब)	(ब/ग)	(ङ+ज)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	अ.नि. द्वीप समूह	2	2	100	29065	28525	98	738	9600	9714	101	685	57610	38239	151	1423	39662
2.	आन्ध्र प्रदेश	23	23	100	6608928	7279545	110	191989	2109625	2276175	108	36767	8718553	9555720	110	228756	9784476
3.	अरूणाचल प्रदेश	13	13	100	112975	112918	100	4216	23241	31030	134	1798	136216	143948	106	6014	149962
4.	असम	23	23	100	2778147	2607130	94	122423	299190	276719	92	13322	3077337	2883849	94	135745	3019594
5.	बिहार	56	56	100	13086000	12304000	102	162000	1361000	1322000	94	27000	14447000	13626000	94	189000	13815000
6.	चण्डीगढ़	1	1	100	45908	45908	100	1148	44042	44042	100	3099	89950	89950	100	4247	94197
7.	दा. व न. हवेली	1	1	100	23224	24458	105	0	0	0	ERR	0	23224	24458	105	0	24458
8.	दमन व दीव	2	2	100	7835	8304	106	29	5266	5476	104	35	13101	13780	105	64	13844
9.	दिल्ली	1	1	100	0	0	ERR	0	1867656	1867656	100	0	1867656	1867656	100	0	1867656
10.	गोवा	2	2	100	82000	79757	97	1350	39000	37210	95	886	121000	116967	97	2236	119203
11.	गुजरात	19	19	100	3431462	3939816	115	0	1279354	1343126	105	0	4710816	5282942	112	0	5282942
12.	हरियाणा	17	17	100	2000609	2160519	108	30145	572584	644147	112	5032	2573193	2804666	109	35177	2839843
13.	हिमाचल प्रदेश	12	12	100	548267	583636	106	1852	39554	43482	110	49	587821	627118	107	1901	629019
14.	ज. व कश्मीर	14	14	100	1010344	1083889	107	41300	191581	176837	92	6080	1201925	1260726	105	47380	1308106
15.	कर्नाटक	20	20	100	4082562	4147016	102	50800	1872027	1857099	99	19990	5954589	6004115	101	70790	6074905

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16.	केरल	14	14	100	2368067	2240000	95	3475	361158	347289	96	21	2729225	2587289	95	3496	2590785
17.	लक्षद्वीप	1	1	100	6820	6820	100	0	0	0	ERR	0	6820	6820	100	0	6820
18.	मध्य प्रदेश	45	45	100	8146519	8366055	103	53445	1601999	1668285	104	28035	9748518	10034340	103	81480	10115820
19.	महाराष्ट्र	29	29	100	7127004	6746286	95	102309	2231325	2115488	95	39355	9358329	8861774	95	141664	9003438
20.	मणिपुर	8	8	100	224586	234979	105	8940	34973	37467	107	1632	259559	272446	105	10572	283018
21.	मेघालय	7	7	100	294080	259394	88	10475	48599	27902	57	1427	342679	287296	84	11902	299198
22.	मिजोरम	4	4	100	67199	70966	106	5664	27803	25705	92	986	95002	96671	102	6650	103321
23.	नागालैंड	7	7	100	152863	146417	96	2824	34736	33209	96	816	187599	179626	96	3640	183266
24.	उड़ीसा	30	30	100	3751995	3735697	100	93850	504203	498205	99	5684	4256198	4233902	99	99534	4333436
25.	पांडिचेरी	4	4	100	35821	38370	107	4421	50019	13074	26	1982	85840	51444	60	6403	57847
26.	पंजाब	17	17	100	1804642	1932438	107	94654	749914	833498	111	36861	2554556	2765936	108	131515	2897451
27.	राजस्थान	31	31	100	5253684	5531804	105	67347	1559442	1370902	88	18337	6813126	6902706	101	85684	6988390
28.	सिक्किम	4	4	100	53731	59139	110	2803	8148	9248	114	528	61879	68387	111	3331	71718
29.	तमिलनाडु	25	25	100	4774881	4531408	95	137816	1470176	1670292	114	26704	6245057	6201700	99	164520	6366220
30.	त्रिपुरा	4	4	100	325992	305710	94	1021	0	0	ERR	0	325992	305710	94	1021	306731
31.	उत्तर प्रदेश	68	68	100	17900307	18120842	102	605421	3583162	4009419	96	232611	21483469	22130261	103	838032	22968293
32.	प. बंगाल	19	19	100	7210378	6600040	92	116661	1704009	1427412	84	32868	8914387	8027452	90	149529	8176981
	योग	523	523	****	93345915	93331786	99.98	1919116	23683386	24022108	101.43	542590	117048226	117353894	100.26	2461706	119815600

विवरण - II

पल्स पोलियो प्रतिरक्षण, 18 जनवरी, 1997

कन्ट्री रिपोर्ट — **13.2.1997 को 10.00 बजे तक की स्थिति**

क्र सं.	राज्य का नाम	प. पो. प्रतिवेदित प्रति जिलों की सं. (क)	0-5 जिले (ख)	(ख)/(क)	ग्रामीण लक्ष्य (ग)	निष्पादन 0-5 वर्ष (घ)	प्रतिशत (घ/ग)	0-5 वर्ष (ङ)	लक्ष्य 0-5 वर्ष (ज)	ग्रामीण लक्ष्य 0-5 वर्ष (झ)	(झ/द)	निष्पादन 0-5 वर्ष (ञ)	लक्ष्य 0-5 वर्ष (ग+ज+ञ)	निष्पादन 0-5 वर्ष (घ+झ+ञ)	कुल 0-5 वर्ष (ट/ग)	प्रतिरक्षित (ड+ज)	कुल बच्चे
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	अ व नि. द्वीप समूह	2	2	100	29085	28536	98	1745	9600	9941	104	479	57621	38477	150	2224	40701
2.	आन्ध्र प्रदेश	23	23	100	7051140	7711266	109	249410	2133698	2489938	117	74634	9184838	10201204	111	324044	10525248
3.	अरूणाचल प्रदेश	13	13	100	131141	128038	98	5177	23586	24396	103	936	154727	152434	99	6113	158547
4.	असम	23	16	70	2142603	2286438	107	120355	253967	277390	109	15513	2396570	2563828	107	135868	2699696
5.	बिहार	43	29	67	6988955	7445903	107	96942	914306	888327	97	15661	7903261	8334230	105	112603	84446833
6.	चण्डीगढ़	1	1	100	39359	41771	106	2412	59380	62957	106	3577	98739	104728	106	5989	110717
7.	दा व न हवेली	1	1	100	24458	25560	105	0			ERR		24458	25560	105	0	25560
8.	दमन व दीव	2	2	100	8304	9053	109	35	5476	5730	105	27	13780	14783	107	62	14845
9.	दिल्ली	1	1	100	0	0	ERR	0	1790000	1933584	108	0	1790000	1933584	108	0	1933584
10.	गोवा	2	2	100	84000	83438	99	1292	40000	38797	97	829	124000	122235	99	2121	124356
11.	गुजरात	19	19	100	4610764	5302778	115	0	224574	251465	112	0	4835338	5554243	115	0	5554243
12.	हरियाणा	17	17	100	2000315	2279296	114	35326	570203	716278	126	8039	2570518	2995574	117	43365	3038939
13.	हिमाचल प्रदेश	12	7	58	344547	384369	112	1236	25439	30738	121	67	369986	415107	112	1303	416410
14.	ज. व कश्मीर	14	14	100	1022522	1131397	111	43183	191274	219353	115	11907	1213796	1350750	111	55090	1405840
15.	कर्नाटक	20	20	100	3959414	4250160	107	75108	1804443	1988177	110	45551	5763857	6238337	108	120659	6358996

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16.	केरल	14	14	100	2366878	2352010	99	15439	361312	382616	106	282	2728190	2734626	100	15721	2750347
17.	लक्षद्वीप	1	1	100	7018	7036	100	0	0	0	ERR	0	7018	7036	100	0	7036
18.	मध्यप्रदेश	45	45	100	8250632	8132095	99	48011	1938743	2017966	104	18730	10189375	10150061	100	66741	10216802
19.	महाराष्ट्र	29	29	100	7190953	6864485	95	139637	2350713	2362058	100	33515	9541666	9226543	97	173152	9399695
20.	मणिपुर	8	8	100	259709	281901	109	14248	36677	40376	110	1613	296386	322277	109	15861	338138
21.	मेघालय	7	7	100	297378	288275	97	11709	32973	27096	82	1283	330351	315371	95	12992	328363
22.	मिजोरम	4	3	75	49244	54723	111	5129	6825	5637	83	210	56069	60360	108	5339	65699
23.	नागालैंड	7	6	86	127561	122566	96	1500	33915	32552	96	1190	161476	155118	96	2690	157808
24.	उड़ीसा	30	30	100	3753594	3843988	102	100003	504985	524157	104	5503	4258579	4368145	103	105506	4473651
25.	पांडिचेरी	4	4	100	35960	39525	110	4737	51431	70663	137	1909	87391	110188	126	6646	116834
26.	पंजाब	17	17	100	1829805	2037378	111	105933	898836	992240	110	43090	2728641	3029618	111	149023	3178641
27.	राजस्थान	31	31	100	5173439	5923357	114	68748	1687133	1434109	85	20238	6860572	7357466	107	88986	7446452
28.	सिक्किम	4	4	100	55148	60094	109	3008	8148	9093	112	603	63296	69187	109	3611	72798
29.	तमिलनाडु	25	25	100	4494220	4884209	109	107748	1583060	1700667	107	20027	6077280	6584876	108	127775	6712651
30.	त्रिपुरा	4	4	100	315776	320473	101	0	19078	20132	106	0	334854	340605	102	0	340605
31.	उत्तर प्रदेश	68	68	100	19479165	22739297	117	784750	3817328	4651786	122	286740	23296493	27391083	118	1071490	28462573
32.	प. बंगाल	19	19	100	7248011	6741095	93	87409	1792490	1491112	83	34505	9040501	8232207	91	121914	8354121
	योग	510	482	94.51	89371098	95800510	107.19	2130230	23169593	24699331	106.60	646658	112559627	120499841	107.05	2776888	123276729

रिपोर्ट अन्तिम

विद्यालयों में अधीक्षक

1458. श्री के.एच. मुनियप्पा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के विद्यालयों में अधीक्षक का पद सृजित करने के लिए मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय राजधानी के कुछ विद्यालयों में ही अधीक्षक का पद विद्यमान है;

(ग) क्या कई अल्पसंख्यक विद्यालयों जैसे डी.टी.ई.ए., डी.के.एस. आदि ने दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग और केन्द्र सरकार से अपने विद्यालयों में अधीक्षक का पद स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो केन्द्र सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुडी राम सैकिया) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार सभी सरकारी माध्यमिक वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में नामांकन पर ध्यान दिए बगैर अधीक्षक का पद प्रदान किया जाता है।

(ग) और (घ) दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि उनके रिकार्ड के अनुसार सिर्फ जैन माध्यमिक स्कूल, शाहदरा द्वारा अधीक्षक का पद संस्वीकृत करने के लिए प्रतिवेदन दिया गया है। उसे अध्ययन के लिए दिल्ली सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग के पास भेज दिया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन योजनागत समूह ख, ग और घ के पदों के सृजन का अधिकार दिया गया है।

म्यांमार समस्या

1459. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि म्यांमार के नागरिकों, जो कई वर्षों से भारत, थाईलैंड तथा अन्य देशों में निर्वासित जीवन बिता रहे हैं, को अनेक कष्ट झेलने पड़ रहे हैं;

(ख) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ने म्यामांर के सैनिक शासन के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के लिए काफी समय पहले एक संकल्प पारित किया था और भारत द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए गए थे तथा उसका समर्थन किया गया था;

(ग) क्या कुछ आसियान देश म्यांमार की सदस्यता का समर्थन कर रहे हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि म्यांमार के कई नागरिक भारत और थाईलैंड सहित अन्य देशों में निर्वासन का जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

(ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि संयुक्त राष्ट्र ने सर्वसम्मति से पिछले वर्षों में कई संकल्प पारित किए हैं जिनमें लोकतंत्र की बहाली के लिए म्यांमार की सरकार से कार्यवाही करने का आह्वान करना शामिल है।

(ग) और (घ) आसियान के शासनाध्यक्ष कम्बोडिया और लाओस सहित म्यांमार को शामिल करने पर सहमत हुए हैं। 30 नवम्बर, 1996 को जकार्ता में सम्पन्न आसियान के शासनाध्यक्षों की पहली अनौपचारिक बैठक के अन्त में जारी प्रेस वक्तव्य में यह कहा गया है कि आसियान के शासनाध्यक्ष ''अपने इस सशक्त वचनबद्धता की पुनः पुष्टि करते हैं कि वे एक ऐसे आसियान को शीघ्र मूर्त रूप देना चाहते हैं जिसमें दक्षिण-पूर्व एशिया के सभी दस देश शामिल हों। वे इस बात पर सहमत हुए हैं कि कम्बोडिया, लाओस और म्यामांर को आसियान के सदस्यों के रूप में साथ-साथ शामिल किया जाए।''

[हिन्दी]

नये राष्ट्रीय राजमार्ग

1460. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाए जाने वाले नये राष्ट्रीय राजमार्गों के नामों सहित संख्या क्या है;

(ख) इन राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण हेतु कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी; और

(ग) इन राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन): (क) और (ख) नौवीं योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है और इसलिए अभी कोई ब्यौरे देना संभव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

इन्दिरा सिंचाई परियोजना, उड़ीसा

1461. श्री शरत पटनायक : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की लोअर सुकताल और इंदिरा सिंचाई परियोजनाओं को नौवीं योजना में शामिल किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) नौवीं योजना प्रस्तावों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, उड़ीसा सरकार ने लोअर सुकतेल और इन्दिरा सिंचाई परियोजनाओं को अपने नौवीं योजना प्रस्तावों में शामिल कर लिया है। इनका प्रस्तावित परिव्यय क्रमशः 100 करोड़ रुपये और 200 करोड़ रुपये है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए राज्यों को धनराशि

1462. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता प्रदान किए जाने के बावजूद परिवार नियोजन कार्यक्रम में सरकार को आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिल पायी है; और

(ग) यदि हाँ, तो गत 2 वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम में पीछे चल रहे राज्यों के नाम क्या हैं और इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रभाव एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न है। नमूना पंजीयन पद्धति के अनुसार परिवार कल्याण कार्यक्रम की अस्थायी जन्म दर को 1971 में 36.9 प्रति हजार जनसंख्या से कम करके 1995 में 28.3 करने में सफलता मिली है। नवजात शिशु मृत्यु दर 1971 में प्रति हजार जीवित जन्मों पर 129 से कम होकर 1995 में 74 रह गई है। विभिन्न सूचकों को देखते हुए जो बड़े राज्य कार्यक्रम में पिछड़ रहे हैं वे हैं - मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, असम और हरियाणा। परिवार नियोजन की स्वीकार्यता महिला साक्षरता महिलाओं की स्थिति, विवाह की आयु, निर्धनता और सामाजिक सांस्कृतिक विश्वासों जैसे विभिन्न सामाजिक और आर्थिक पहलुओं पर निर्भर करती है।

विवरण

		(लाख रुपये में) आबंटन 1996-97
1.	आंध्र प्रदेश	5824.37
2.	अरुणाचल प्रदेश	142.42
3.	असम	3065.00
4.	बिहार	5751.19
5.	गोवा	134.42
6.	गुजरात	2771.16
7.	हरियाणा	1071.23
8.	हिमाचल प्रदेश	1178.66
9.	जम्मू और कश्मीर	772.85
10.	कर्नाटक	4635.43
11.	केरल	2167.49
12.	मध्य प्रदेश	4721.23
13.	महाराष्ट्र	6515.42
14.	मणिपुर	383.38
15.	मेघालय	271.56
16.	मिजोरम	172.11
17.	नागालैंड	203.65
18.	उड़ीसा	2491.95
19.	पंजाब	1437.04
20.	राजस्थान	4912.51
21.	सिक्किम	235.55
22.	तमिलनाडु	3982.47
23.	त्रिपुरा	303.72
24.	उत्तर प्रदेश	9430.75
25.	पश्चिम बंगाल	5675.55
		68251.11
1.	पांडिचेरी	91.50
2.	दिल्ली	1464.20
3.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	80.20
4.	दादरा व नगर हवेली	29.47
5.	चंडीगढ़	93.50
6.	लक्षद्वीप	11.75
7.	दमन और दीव	32.55
	कुल	1813.17

[हिन्दी]

प्राथमिक शिक्षा का स्तर

1463. श्री जय सिंह चौहान : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राथमिक शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए किए गए प्रयासों में सफलता न मिलने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने अपने 'न्यूनतम साझा कार्यक्रम' के अन्तर्गत सन् 2005 तक सभी को शिक्षा प्रदान करने का वायदा किया है;

(ङ) क्या इस कार्यक्रम में सफलता मिलेगी; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) से (ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 को अपनाए जाने के समय से प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता और अध्येता की उपलब्धि पर अधिक ध्यान दिया गया है। दाखिले की संख्या में वृद्धि करने और पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों की संख्या को कम करने का प्रयास करते हुए भी स्तर में सुधार लाने के निम्नलिखित प्रयास आरम्भ किए गए हैं :

(I) प्राथमिक और उच्चतर प्राथमिक स्कूलों में सुविधाओं में सुधार लाने के लिए आपरेशन ब्लैकबोर्ड।

(II) प्रारम्भिक स्कूल शिक्षकों के लिए व्यवस्थित अंतर्सेवा शिक्षक प्रशिक्षण आरम्भ करने और पूर्व सेवा शिक्षक प्रशिक्षण के पुनर्गठन हेतु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का गठन।

(III) प्राथमिक स्तर पर बच्चों की अध्ययन योग्यता में सुधार लाने के लिए न्यूनतम अध्ययन स्तर को लागू करना।

(IV) अध्येतानुकूल और संदर्भ में संबद्ध पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण अध्ययन सामग्री का विकास।

(V) प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त परियोजनाएं।

आशा है कि उन उपायों के माध्यम से गुणवत्ता में सुधार आ सकेगा।

(घ) से (च) समान न्यूनतम कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ कहा गया है कि :-

(I) यूनाइटेड फ्रंट वर्ष 2005 तक राष्ट्र को पूर्णतः साक्षर बनाने के लिए कटिबद्ध है।

(II) अधिक निरक्षरों की संख्या वाले तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों में विशेष प्रयास किए जाएँगे।

प्रारम्भिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के सर्वसुलभीकरण हेतु अधिकाशंतः इन प्रयासों की सफलता संसाधनों की उपलब्धता और कुशल प्रयोग पर निर्भर करेगी।

विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा

1464. श्रीमती शीला गौतम :
श्री विजय कुमार खण्डेलवाल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न क्षेत्रों में कम्प्यूटर सेवा के प्रयोग के बारे में जानकारी देने की दृष्टि से विद्यालयों में कम्प्यूटर उपलब्ध कराने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) इस प्रयोजनार्थ 1997 के दौरान क्या प्रावधान किया गया है;

(ग) उक्त योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार विद्यालयों को कितनी राशि का अनुदान दिया गया है अथवा कितने कम्प्यूटर उपलब्ध कराये गए हैं; और

(घ) कम्प्यूटर शिक्षा के प्रसार के लिए अन्य विशेष कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुडी राम सैकिया) : (क) (1) "स्कूलों में संगणक साक्षरता और अध्ययन" नामक योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लागू की जाती है; और

(2) शिक्षा परियोजना में संगणकः प्रत्येक हाई स्कूल में संगणक नामक योजना इलैक्ट्रानिकी विभाग द्वारा लागू की जाती है।

(ख) "क्लास" योजना के तहत वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए 20 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

(ग) संलग्न विवरण में ब्यौरे दिए गए हैं।

(घ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) ने स्वयं से संबद्ध स्कूलों में विभिन्न स्तरों पर संगणक शिक्षा शुरू की है। कार्यअनुभव के तहत माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक पूर्व शिक्षा के अंग के रूप में तथा शैक्षिक धारा के तहत वैकल्पिक विषय के रूप में पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते हैं।

संगणक केन्द्रों की स्थापना, संगणक केन्द्रों के स्तरोन्यन, संगणक अनुप्रयोग निष्णात पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालयों की सहायता के लिए तथा व्यक्तिगत संगणक और इनसे जुड़े साफ्टवेयर के अधिग्रहण के लिए कॉलेजों की सहायता के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास योजनाएं हैं।

विवरण

"क्लास योजना के तहत जारी किए गए अनुदान"

(रु० लाख में)

क्र. सं	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों संबंधित संगठनों का नाम	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	113.60	145.60	113.60
2.	अरुणाचल प्रदेश	7.20	9.20	11.20
3.	असम	76.40	74.40	74.40
4.	बिहार	98.40	100.40	98.40
5.	गोवा	9.60	11.60	56.00
6.	गुजरात	108.80	153.925	108.80
7.	हरियाणा	93.60	45.60	45.60
8.	हिमाचल प्रदेश	26.40	29.40	55.925
9.	जम्मू एवं कश्मीर	36.40	47.50	34.40
10.	कर्नाटक	163.50	126.00	104.00
11.	केरल	124.00	76.00	125.00
12.	मध्य प्रदेश	168.60	154.30	137.60
13.	महाराष्ट्र	168.80	227.775	208.80
14.	मणिपुर	8.00	10.00	16.00
15.	मेघालय	10.00	8.80	28.80
16.	मिजोरम	8.00	10.00	9.60
17.	नागालैण्ड	8.80	10.80	8.80
18.	उड़ीसा	93.60	95.60	93.60
19.	पंजाब	80.00	82.00	109.60
20.	राजस्थान	142.70	93.20	123.20
21.	सिक्किम	8.80	10.80	12.80
22.	तमिलनाडु	169.90	152.80	110.40
23.	त्रिपुरा	8.00	67.50	12.00
24.	उत्तर प्रदेश	250.00	271.05	236.80
25.	पश्चिम बंगाल	225.10	165.60	165.60
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5.60	5.60	5.60
27.	चंडीगढ़ प्रशासन	6.40	8.40	6.40
28.	रा.रा. क्षेत्र दिल्ली	89.40	89.75	64.00
29.	दादरा और नगर हवेली	6.40	4.80	7.20

1	2	3	4	5
30.	दमन और दीव	0.80	0.80	0.80
31.	लक्षद्वीप	7.20	7.20	7.20
32.	पांडिचेरी	6.40	6.40	6.40
33.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन	260.00	451.00	300.00
34.	केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन	5.60	7.90	6.40
35.	बाल भवन सोसायटी	0.80	0.80	0.80
36.	एटामिक एनर्जी	5.60	5.60	5.60
	योग	2601.80	2753.25	2511.92500

[अनुवाद]

घेंघा

1465. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 जनवरी, 1997 के ''स्टेट्समैन'' में ''20.5% डेल्ही चिल्ड्रन सफर फ्राम गाइटर'' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा राजधानी में घेंघा से पीड़ित व्यक्तियों की सही संख्या का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो केन्द्र सरकार का विचार इस बीमारी पर काबू पाने हेतु दिल्ली सरकार को सहायता प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हाँ।

(ख) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा 1978 में दिल्ली में किए गए सर्वेक्षण से पता चला कि लगभग 29 प्रतिशत व्यक्ति घेंघा से ग्रस्त थे।

(ग) और (घ) सरकार दिल्ली सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन निम्नलिखित घटकों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है :

(i) आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण सेल।
(ii) स्वास्थ्य शिक्षा और प्रचार।
(iii) आयोडीन अल्पता विकार सर्वेक्षण।
(iv) आयोडीन अल्पता विकार मानीटरिंग प्रयोगशाला की स्थापना करना।

राष्ट्रीय जलमार्ग

1466. डॉ॰ अरुण कुमार शर्मा : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितने राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए हैं;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान विभिन्न जलमार्गों का विकास करने हेतु अलग-अलग क्या कदम उठाए गए हैं तथा अब तक इसमें कितनी प्रगति हुई है;

(ग) विभिन्न जलमार्गों हेतु गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गयी और राष्ट्रीय जलमार्ग-वार इनमें से अभी तक कितनी धनराशि का उपयोग किया गया; और

(घ) द्वितीय राष्ट्रीय जलमार्ग पर कितने नदी पत्तन विकसित किए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन): (क) शून्य ।

(ख) राष्ट्रीय जलमार्ग सं0 1

हल्दिया और पटना के बीच वर्ष दर वर्ष आधार पर बंडालिंग, निकर्षण, दिन के लिए चैनल चिन्हांकन, जलराशिक सर्वेक्षण इत्यादि जैसे संरक्षण कार्य किए जाते हैं। पटना-इलाहाबाद खण्ड में मानीटरिंग सर्वेक्षण किए जा रहे हैं। हल्दिया, भागलपुर, मुंगेर और पटना में फ्लोटिंग टर्मिनलों की व्यवस्था की गई है और फिलहाल कलकत्ता, पाकुर और फरक्का में स्थायी टर्मिनल हैं। हल्दिया से फरक्का तक के खण्ड (560 कि.मी.) पूरे वर्ष नौचालन योग्य हैं और फरक्का से पटना तक के खण्ड (400 कि.मी.) (2 मी. की न्यूनतम उपलब्ध गहराई के साथ वर्ष में 300 दिनों के लिए नौचालन योग्य हैं। पटना से इलाहाबाद तक का खंड (600 कि.मी.) केवल मानसून अवधि के दौरान ही नौचालन योग्य है।

राष्ट्रीय जलमार्ग सं0 2

धुबरी-डिब्रूगढ़ खंड (768 कि.मी.) में वर्ष दर वर्ष आधार पर दिन के लिए चैनल चिन्हांकन, बंडालिंग जलराशिक सर्वेक्षण आदि जैसे नदी संरक्षण कार्य किए जाते हैं। डिब्रूगढ़-सैदिया खंड में मानीटरिंग-सर्वेक्षण किए जा रहे हैं। धुबरी, जोगीघोपा और पांडु में फ्लोटिंग टर्मिनलों की व्यवस्था की गई है। धुबरी, जोगीघोपा, तेजपुर नीमती और डिब्रूगढ़ में फ्लोटिंग टर्मिनलों के उन्नयन/व्यवस्था संबंधी स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। धुबरी-नीमती खण्ड (629 कि.मी.) में 2 मी. की न्यूनतम उपलब्ध गहराई और नीमती-डिब्रूगढ़ खण्ड (139 कि.मी.) में 15 मी. से अधिक न्यूनतम उपलब्ध गहराई

वर्ष में 300 दिन के लिए बरकरार रखी जाती है। डिब्रूगढ़ और सैदिया के बीच के खण्ड का निकास क्रम है और वर्ष के अधिकांश समय में न्यूनतम उपलब्ध गहराई लगभग 1 मी. रहती है।

राष्ट्रीय जलमार्ग सं० 3

अनुरक्षण निकर्षण, दिन के लिए चैनल चिन्हांकन, जलराशिक सर्वेक्षण, नौचालन संबंधी बांधों की मरम्मत और रख-रखाव ऐसे कार्य हैं जो नियमित रूप से किए जाते हैं। चम्पाकारा नहर, उद्योग-मंडल नहर और पश्चिम तटीय नहर के कोच्ची-इडापल्लीकोट्टा खण्ड का उपयोग फिलहाल यंत्रीकृत कार्गो जलयानों द्वारा किया जा रहा है।

संकरे खण्डों में नहर को चौड़ा करने के लिए भूमि अधिग्रहण की एक स्कीम और कैपिटल निकर्षण संबंधी एक स्कीम पर कार्रवाई की जा रही है। उद्योगमंडल, अम्बालामुगल, कोच्ची और इडापल्लीकोट्टा में टर्मिनल उपलब्ध हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के लिए राष्ट्रीय जलमार्गों संबंधी आबंटन और व्यय इस प्रकार हैं :

(करोड़ रुपये)

	1993-94	1994-95	1995-96
राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1			
आबंटन	1.25	1.00	1.00
व्यय	1.25	1.80	2.15
राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2			
आबंटन	1.25	1.00	1.00
व्यय	0.75	0.73	0.53
राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3			
आंबटन	3.00	1.00	1.00
व्यय	0.70	0.89	0.97

(घ) राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर हल्दिया, कलकत्ता, पाकुर और फरक्का में फ्लोटिंग टर्मिनल उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग-2 पर धुबरी, जोगीघोपी और पांडु तथा राष्ट्रीय जलमार्ग-3 पर उद्योग-मंडल, अम्बालामुगल, कोच्ची और इडापल्लीकोट्टा में फ्लोटिंग टर्मिनल उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

पॉलिटेक्निकों में प्राध्यापकों की रिक्तियां

1467. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के कई पॉलिटेक्निकों विशेषकर महारानी बाग में इन्टीरियर डेकोरेशन के प्राध्यापक के अनेक पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने पद आरक्षित हैं और वर्तमान में कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ग) 28 फरवरी, 1997 की स्थिति के अनुसार कितने पद भरे गए; और

(घ) सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सभी पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरने के लए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुडी राम सैकिया) : (क) और (ख) महारानी बाग स्थित मीराबाई पालिटेक्निक में आंतरिक साज सज्जा में प्राध्यापक का सिर्फ एक पद रिक्त है। यह पद अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित है।

(ग) 28.2.1997 की स्थिति के अनुसार चार पद भरे हैं।

(घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली से संदर्भ प्राप्त होने पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 26.2.1997 को साक्षात्कार लिया गया है।

[अनुवाद]

केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग-47 को चौड़ा करना

1468. श्री वी. एम. सुधीरन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल में हरिपद से कृष्णपुरम तक राष्ट्रीय राजमार्ग 47 में 444/0 कि.मी. से 462/0 कि.मी. तक के मार्ग को चौड़ा बनाकर एकल लेन से दोहरी लेन में बदलने और इसे सुदृढ़ करने हेतु विस्तृत अनुमान सहित कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन): (क) और (ख) विस्तृत अनुमान सहित प्रस्ताव दिसम्बर, 1996 में प्राप्त हुआ था परन्तु निधियों की कमी के कारण इसे आस्थगित कर दिया गया है।

सेवा के दौरान मृत्यु संबंधी योजना

1469. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने अध्यापकों हेतु सेवा के दौरान मृत्यु संबंधी योजना के लिए प्रावधान किया है; और

(ख) 1996 के दौरान इन राज्यों में से प्रत्येक राज्य द्वारा इस योजना के अंतर्गत कितनी नियुक्तियां की गई हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण रिपोर्ट

1470. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

"वर्ल्ड हेरीटेज सिटी", आगरा

1471. श्री मोहन रावले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक शहर आगरा को "वर्ल्ड हेरीटेज सिटी" घोषित करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई): (क) से (ग) आगरा को एक विश्व दाय शहर घोषित करने की एक रिट याचिका भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित है और मामला न्याय प्रक्रिया में है।

[हिन्दी]

खेल-कूद परियोजना विकास क्षेत्र

1472. श्री आर.एल.पी. वर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार तथा अन्य राज्यों में स्थापित किए गए खेलकूद परियोजना विकास क्षेत्र का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दक्षिण में डिवीजन-वार कोई खेलकूद परियोजना विकास क्षेत्र है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई): (क) खेल परियोजना विकास क्षेत्रों (एस.पी.डी.ए.) का राज्यवार, स्थानवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) दो एस.पी.डी.ए. केन्द्र बिहार में रांची तथा गुमला में स्थापित किये गये थे। बाद में, इन दो केन्द्रों के प्रशिक्षणार्थियों को किफायत की दृष्टि से, भारतीय खेल प्राधिकरण के अन्य प्रशिक्षण केन्द्रों अर्थात विशेष क्षेत्र खेल (एस.ए.जी.) राँची तथा सेंट इगनाशियस स्कूल, गुमला के साथ मिला दिया गया था।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	एस.पी.डी.ए. केन्द्र की स्थिति
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1. ईलूरू 2. निजामाबाद
2.	असम	1. गोलाघाट
3.	गुजरात	1. राजकोट 2. देवगढ़ बारिया
4.	हरियाणा	1. कुरूक्षेत्र
5.	हिमाचल प्रदेश	1. धर्मशाला
6.	कर्नाटक	1. मेदीकारी 2. धारवाड़
7.	केरल	1. कोल्लम 2. त्रिचूर
8.	मध्य प्रदेश	1. धार 2. जबलपुर
9.	महाराष्ट्र	1. बुलढाना

1	2	3
10.	मेघालय	1. शिलांग
11.	उड़ीसा	1. धेनकनाल
12.	पंजाब	1. लुधियाना 2. पटियाला
13.	राजस्थान	1. अजमेर 2. जोधपुर
14.	तमिलनाडु	1. सेलम
15.	उत्तर प्रदेश	1. इटावा 2. रायबरेली
16.	पश्चिम बंगाल	1. लिबोंग 2. बर्दवान

भारत-नेपाल संधि

1473. श्री सुशील चन्द्र : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत और नेपाल के बीच हुए पूर्व समझौते, जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है, को पुनः बहाल करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो दोनों देशों के बीच चल रही वार्ताओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समझौते को कब तक बहाल किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ग) भारत और नेपाल के बीच व्यापार संधि की अवधि 5 दिसंबर, 1996 को समाप्त होने वाली थी। 3.12.1996 तारीख के पत्रों के आदान-प्रदान के जरिए इस संधि को संशोधित करने और तारीख 5 दिसंबर, 2001 तक की पांच वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने के लिए सहमति हुई। यह संधि अब आगे एक बार में पांच वर्ष के लिए अपने आप बढ़ जाएगी जब तक कि दोनों में से एक पक्ष दूसरे पक्ष को इस संधि को समाप्त करने के आशय का तीन महीने पूर्व एक लिखित नोटिस नहीं दे देता है।

[अनुवाद]

जहाज निर्माताओं द्वारा ब्याज का भुगतान

1474. श्री उत्तम सिंह पवार : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि भारतीय जहाज निर्माताओं को कार्य पूंजी हेतु बैंक ड्राफ्ट पर 23 प्रतिशत के ब्याज का भुगतान करना पड़ता है जबकि इसकी दर ओ.ई.सी.डी. देशों को सिर्फ 6 से 7 प्रतिशत और कुछ देशों में तो 5 प्रतिशत से भी कम है;

(ख) क्या यह भी सच है कि जहाज निर्माण को सभी देशों द्वारा निर्यात उद्योग माना जाता है और ब्रिटेन, चीन तथा ताइवान में उन्हें दी जाने वाली राज सहायता की कोई उच्चतम सीमा नहीं है और इसे प्राप्त करने का एकमात्र मानदंड किसी भी कीमत पर निर्यात आदेश प्राप्त करना है जबकि भारत में केवल 20 प्रतिशत राजसहायता दी जाती है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और इस उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन): (क) इस मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार भारतीय जहाज निर्माता कार्यशील पूंजी पर 16.00 से 23.5 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करते हैं जबकि ओ.ई.सी.डी. देशों में ब्याज की दर 6 से 7 प्रतिशत है।

(ख) और (ग) कुछ देशों में जहाज निर्माण को निर्यात उद्योग माना जाता है। समस्त विश्व में बहुत से देश जहाज निर्माण उद्योग को सब्सिडी, कर रियायत आदि जैसे प्रोत्साहन देकर सहायता करते रहे हैं। इनके ब्यौरे सरलता से उपलब्ध नहीं होते क्योंकि यह गोपनीय स्वरूप के हैं जिनमें वाणिज्यिक निहितार्थ शामिल हैं।

जहाज निर्माण उद्योग को पुनः सक्रिय करने के लिए भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्डों में समुद्रगामी जलयानों के लिए सितम्बर, 1993 में 2 वर्ष की अवधि के लिए एक संशोधित मूल्य निर्धारण नीति लागू की गई थी। इस नीति में अन्य बातों के साथ-साथ मूल कीमत के अलावा 30 प्रतिशत (20 प्रतिशत सरकार द्वारा और 10 प्रतिशत जहाज मालिक द्वारा देय) जहाज निर्माण सब्सिडी की उपलब्धता और जहाज की लागत की 80 प्रतिशत सीमा तक 9 प्रतिशत के ऋण पर ब्याज अंतर सब्सिडी की उपलब्धता की परिकल्पना की गई थी। सरकार सब्सिडी स्कीम का समय बढ़ाने और निर्यात आर्डरों को शामिल करने पर भी विचार कर रही है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय

1475. श्री केशव महन्त : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार गुवाहाटी और उसके आसपास के क्षेत्रों में नियुक्त केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लाभ के लिए कोई केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय चला रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या इन औषधालयों की संख्या पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या वहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय चलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हाँ, तो इन औषधालयों को कब तक चालू किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हाँ।

(ख) तीन केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय गुवाहाटी के लाभार्थियों हेतु स्वीकृत किए गए हैं जो इस समय वहां कार्डधारियों की जरूरत के अनुसार पर्याप्त हैं। दो औषधालयों ने पहले ही कार्य करना शुरू कर दिया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

निरक्षरता

1476. श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अब भी निरक्षर लोगों की बहुत बड़ी संख्या है;

(ख) यदि हाँ, तो राज्य-वार कुल निरक्षर लोगों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार उन्हें, विशेषकर गुजरात के बालसाड जिले के निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने के लिए कोई कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया): (क) और (ख) जी, हाँ। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 7 वर्ष तथा इससे अधिक आयु वर्ग में 32.89 करोड़ निरक्षर हैं। निरक्षर लोगों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत प्रौढ़ शिक्षा, सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षा तथा स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वालों के लिए अनौपचारिक शिक्षा संपूर्ण देश में साक्षरता में सुधार करने की एक त्रिआयामी कार्यनीति है। संपूर्ण साक्षरता अभियान जो कि प्रमुख कार्यनीति है, को निरक्षरता उन्मूलन हेतु देश के 423 जिलों में शुरू किया गया है।

9-35 वर्ष की लक्षित आयु वर्ग में 1.49 लाख निरक्षरों को शामिल करने के लिए बालसाड जिले को नवम्बर, 1993 में संपूर्ण साक्षरता अभियान स्वीकृत किया गया है। संपूर्ण साक्षरता अभियान के दो वर्ष पूरा होने के पश्चात् इस जिले के लिए दिसम्बर, 1996 में उत्तर साक्षरता अभियान स्वीकृत किया गया है ताकि 9-35 वर्ष के आयु-वर्ग के 1.43 लाख नवसाक्षरों को शामिल किया जा सके।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निरक्षरों की संख्या (लाख में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	310.56
2.	अरूणाचल प्रदेश	3.98
3.	असम	84.76
4.	बिहार	422.07
5.	गोवा	2.53
6.	गुजरात	133.48
7.	हरियाणा	58.90
8.	हिमाचल प्रदेश	15.65
9.	कर्नाटक	164.86
10.	केरल	25.75
11.	मध्य प्रदेश	296.24
12.	महाराष्ट्र	229.86
13.	मणिपुर	6.14
14.	मेघालय	7.03
15.	मिजोरम	1.00
16.	नागालैंड	3.84
17.	उड़ीसा	133.96
18.	पंजाब	70.44
19.	राजस्थान	215.97
20.	सिक्किम	1.43
21.	तमिलनाडु	180.75
22.	त्रिपुरा	8.94
23.	उत्तर प्रदेश	647.69
24.	पश्चिम बंगाल	239.06
25.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	.63
26.	चंडीगढ़	1.21
27.	दादरा और नगर हवेली	.65

1	2	3
28.	दमन और दीव	.25
29.	दिल्ली	19.31
30.	लक्षद्वीप	.08
31.	पांडिचेरी	1.76
		3288.78

सूचना : इसमें जम्मू और कश्मीर शामिल नहीं हैं।

[अनुवाद]

अलमाटी बांध

1477. **डॉ॰ टी. सुब्बारामी रेड्डी :**
श्री के.सी. कोडय्या :
श्री के.एस. रायुडु :
श्री आर. साम्बासिवा राव :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में केन्द्र सरकार तथा सम्बद्ध राज्य सरकार को अलमाटी बांध के सम्बन्ध में कुछ निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने भी अलमाटी बांध मुद्दे के संबंध में विवाद के निपटारे हेतु किसी विशेषज्ञ पैनल अथवा समिति का गठन किया है;

(घ) विवाद के समाधान हेतु अब तक पैनल द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा कब तक पैनल द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी; और

(ङ) क्या विशेषज्ञ पैनल/समिति की सिफारिशें सभी सम्बद्ध दलों के लिए बाध्यकारी होगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने अलमाटी बांध के मामले में उठे विवाद के लिए किसी विशेषज्ञ पैनल या समिति का गठन नहीं किया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

सूरत में प्लेग

1478. **श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरत में प्लेग महामारी का प्रकोप फैलने के सही-सही कारणों का पता लगा लिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सूरत में और अन्य स्थानों पर इस महामारी की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या अनुवर्ती कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) और (ख) प्रो॰ वी. रामलिंगास्वामी की अध्यक्षता में गठित प्लेग संबंधी तकनीकी सलाहकार समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि 1994 में प्लेग वाई. पेस्टिस के कारण फैला था।

(ग) एक राष्ट्रव्यापी रोग निगरानी नेटवर्क तैयार करने हेतु केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शीर्ष सलाहकार समिति गठित की गई है। रोग निगरानी योजना के अधीन उल्लिखित कार्रवाई मुद्दे हैं - सूचना एकत्र करना और उसका आदान प्रदान करना, प्रयोगशाला नैदानिक सेवाओं को सुदृढ़ बनाना, केन्द्रों का नेटवर्क स्थापित करना और रोग की व्याप्तता की लगातार मानीटरिंग करना।

आई.एस.आई. की गतिविधियाँ

1479. **श्री तारीक अनवर** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि पाकिस्तान की आई.एस.आई. एजेंसी भारतीय युवकों को विदेशों में नौकरी दिलाने के झूठे वायदे करके उन्हें फंसा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) हमें इस प्रकार की रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं कि पाकिस्तान की आई. एस.आई. एजेंसी भारतीय युवकों को विदेशों में नौकरी दिलाने के

झूठे वायदे करके उन्हें फंसा रही है, तथापि, सरकार को पाकिस्तानी एजेंसियों द्वारा भारत में नफरत फैलाने और आतंकवाद का समर्थन करने में अदा की जा रही भूमिका की जानकारी है।

(ग) और (घ) सरकार भारत के खिलाफ निर्देशित पाकिस्तानी एजेंसियों की कार्रवाई का सामना करने के लिए सभी उपाय करना जारी रखने के प्रति कृत संकल्प है।

आई.एस.आई. द्वारा तोड़-फोड़

1480. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 फरवरी, 1997 के ''द इकनामिक टाइम्स'' में ''आई.एस.आई. प्लान्स टू क्रिएट केओस इन कश्मीर'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं; और

(ग) विद्रोहियों के माध्यम से जम्मू-कश्मीर में अव्यवस्था और गड़बड़ी फैलाने के लिए कथित रूप से पाकिस्तान की आई.एस. आई. द्वारा शुरू की गई ग्यारह सूत्री कार्य योजना को विफल बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ग) जी, हाँ। सरकार को इस तथ्य की पूर्ण जानकारी है कि भारत के विरुद्ध चलाया जा रहा विशेषकर जम्मू और कश्मीर राज्य में सीमा-पार के आतंकवाद के प्रति पाकिस्तान का समर्थन और प्रोत्साहन जारी है। सरकार पाकिस्तान द्वारा समर्थित सीमा-पार के आतंकवाद का प्रतिकार करने के लिए सभी उपाय करने के लिए कृतसंकल्प है।

कन्नानौर में अस्पतालों को प्रदत्त ऋण

1481. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केरल के कन्नानौर जिले में किसी सहकारी अस्पताल को ऋण के रूप में कोई राशि स्वीकृत की है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे प्रत्येक अस्पताल को स्वीकृत की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऋण देने के लिए निबन्धन और शर्तें क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

सिंचाई प्रबन्धन

1482. प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :
जस्टिस गुमान मल लोढा :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 जनवरी, 1997 को ''पायनियर दैनिक'' में ''मीट स्ट्रेसिस वैटर हरीगेशन मैनेजमेंट'' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह सच है कि उपर्युक्त राष्ट्रीय सम्मेलन में सिंचाई परियोजनाओं के प्रबंधन में किसानों की भागीदारी के संबंध में प्रस्ताव रखा गया था;

(ग) क्या सरकार द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने हेतु अब तक कोई कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ।

(ग) जी, हाँ।

(घ) जल, राज्य विषय होने के कारण, केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय की भूमिका सहायताकर्ता की है जबकि भागीदारी सिंचाई प्रबंध का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाना है। 1987 की राष्ट्रीय जल नीति में यह सिफारिश की गई थी कि सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में किसानों को अधिक से अधिक शामिल किया जाना चाहिए। केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी भागीदार राज्यों को इस बात के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वे जल उपयोगकर्त्ता संघों का गठन करके लघु (नहर) स्तर पर किसानों को शामिल करें। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इन संघों को प्रबंध आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अधिकारियों और किसानों के बीच अधिक जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय, राज्य और परियोजना स्तरों पर भागीदारी सिंचाई प्रबंध पर अनेक सम्मेलनों का आयोजन किया गया। अधिकारियों और किसानों के लिए भागीदारी प्रक्रिया पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्यों को नीतिगत मामलों पर विचार करने और भागीदारी सिंचाई प्रबंध पर दिशा-निर्देश जारी करने के लिए उच्च स्तरीय कार्य दलों का गठन करने की सलाह दी गई है। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा चार क्षेत्रीय

भाषाओं में नियम पुस्तिका तैयार करने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ की गई है। किसान संघों को कानूनी दर्जा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से सिंचाई अधिनियमों में मॉडल संशोधनों का मसौदा तैयार करने संबंधी कार्य प्रगति पर है। जल संसाधन मंत्रालय विभिन्न राज्यों और अन्य देशों में भागीदारी सिंचाई प्रबंध के संबंध में सूचना का प्रचार-प्रसार राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी. ओ.) को सशक्त रूप से कर रहा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

शिक्षा संबंधी समस्याएं

1483. श्री चित्त बसु : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय प्राथमिक विद्यालय अध्यापक संघ से सामान्य रूप से शिक्षा और विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा की समस्या के बारे में 12 जुलाई, 1996 का ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुडी राम सैकिया): (क) जी, हाँ।

(ख) अखिल भारतीय अध्यापक संघ द्वारा दिनांक 12 जुलाई, 1996 को दिए गए ज्ञापन में विभिन्न मसलों पर जो सुझाव दिए गए थे उनमें से अधिकांश सुझावों को योजना आयोग द्वारा गठित किए गए कार्य दलों ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों का निर्धारण करते समय ध्यान में रखा है। इनमें से अधिकांश सुझाव राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र में आते हैं।

"टैक्सोल" पर अनुसंधान

1484. श्री माधवराव सिंधिया :
श्री गुलाम रसूल कार :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा कैंसर औषधि के रूप में "टैक्सोल" पर कोई अनुसंधान अथवा अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम निकले?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा टैक्सोल जो हिमालयन यू.टैक्स वैक्काटा और टी. वल्ली चियाना से तैयार की गई एक कैंसर रोधी औषध है, पर कोई विशिष्ट अनुसंधान नहीं किया गया है।

जनसंख्या वृद्धि

1485. श्री के. परसुरामन :
श्री अमर पाल सिंह :
श्री बनवारी लाल पुरोहित :
श्री बच्ची सिंह रावत "बच्चा":

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार जनसंख्या को नियंत्रित करने हेतु कोई कानून बनाने का है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः जनसंख्या में कितना वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, नहीं। 1971-81 में 2.22 प्रतिशत के मुकाबले 1981-91 में जनसंख्या की वार्षिक घातीय वृद्धि दर 2.14 प्रतिशत थी। नमूना पंजीयन पद्धति के 1995 के आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या की स्वाभाविक वृद्धि दर 1.93 प्रतिशत है।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है और इसका मुख्य बल सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना है ताकि इसकी स्वीकार्यता दर बढ़ सके।

शहरी तथा ग्रामीण आबादी की वास्तविक तथा अनुमानित वृद्धि इस प्रकार है:

जनसंख्या मिलियन में

	कुल	ग्रामीण	शहरी
1981 (जनगणना)	683.3	523.8	159.5
1991 (जनगणना)	846.3	628.7	217.6
2001 (प्रक्षेपित)	1012.4	721.2	291.2

एम्बुलेंस की उपलब्धता

1486. श्री राधा मोहन सिंह :
श्री मंगल राम प्रेमी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 फरवरी, 1997 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "व्हीकल्स कैरिंग मेसेंन्ट्स टु डेथ" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्या क्या है;

(ग) दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में अस्पताल-वार कितने एम्बुलेंस हैं और उनमें से कितने वाहन मरम्मत के अभाव में खराब हालत में हैं;

(घ) सी. टी. - स्कैनर के खराब होने की स्थिति में अस्पताल रोगियों को विशेषरूप से उन रोगियों को जिनके सिर पर चोट लगी हो, को दूसरे अस्पतालों में नहीं भेज पाते हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो सरकार का अस्पतालों में एम्बुलेंस की उपलब्धता संबंधी स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हाँ।

(ख) समाचार में दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में एम्बुलेंस वाहनों की कमी तथा उनकी खराब हालत होने का आरोप लगाया गया है।

(ग) केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों के संबंध में स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के नियंत्रणाधीन अस्पतालों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। ऐसे रोगियों को दूसरे सरकारी अस्पतालों में भेजा जाता है तथापि, खराब मशीनों की मरम्मत कराने के लिए तत्काल कार्यवाही की जाती है। सरकार के अनुदेशों के अनुसार मामले की समीक्षा की जाती है तथा पुराने वाहनों को बेकार घोषित करके उनके बदले नए वाहन खरीदे जाते हैं।

विवरण

अस्पताल का नाम	एम्बुलेंस की कुल संख्या	खराब एम्बुलेंस
डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल	7 (एक हॉर्स-वैन सहित)	2
सफदरजंग अस्पताल	14	-
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	9	-
श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल	2	-
दिल्ली नगर निगम, दिल्ली के अस्पताल	15	2

भारत-ब्रिटेन सहयोग

1487. डॉ॰ कृपासिन्धु भोई : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन के साथ सहयोग करने और संयुक्त उद्यम स्थापित करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं;

(ख) किन-किन क्षेत्रों में भारत-ब्रिटेन सहयोग किया गया है;

(ग) क्या इस उद्देश्य हेतु किसी संधि पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) सरकार ने यूनाइटिड किंगडम की सरकार के साथ मिलकर आपसी हित के सभी क्षेत्रों में अपने क्रियाकलापों को घनिष्ठ बनाने के लिए दोनों देशों में व्यापार और उद्योग द्वारा किए गए उपायों का सक्रिय रूप से समर्थन किया है। दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा 1993 में आरम्भ की गई ब्रिटिश साझेदारी पहलकदमी की इस प्रयोजनार्थ अभिकल्पना की गई थी और द्विपक्षीय व्यापार को निरंतर बढ़ाने में तथा यूनाइटिड किंगडम से निवेश प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करने में यह सफल रही है।

(ग) हाल के महीनों मे यूनाइटिड किंगडम के साथ सम्पन्न एकमात्र अन्तर-सरकारी सहमति "कोयला से सम्बद्ध उद्योगों में सहयोग" से सम्बद्ध एक समझौता ज्ञापन रहा है।

(घ) समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत एक भारत-ब्रिटेन कोयला मंच की स्थापना हुई है जो यूनाइटिड किंगडम और भारत के कोयला

से सम्बद्ध उद्योगों के बीच एक साझीदारी होगी; दोनों सरकारें इसका समर्थन करेंगी और सरकारों और उद्योगों के बीच इससे सम्पर्क कायम होगा समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत अनेक सहकारी क्रियाकलापों का पता लगाया गया है।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल की योजनाएं

1488. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम में शामिल किए जाने हेतु कोई योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हाँ, तो उन योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उपरोक्त योजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उन्हें कार्यान्वित करने के लिए कब तक स्वीकृति दिए जाने की सम्भावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ङ) केरल सरकार ने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत कल्लड़ा, पम्बा, मुवत्तुपुझा और पेरियार घाटी परियोजनाओं को शामिल करने का प्रस्ताव किया था। इन सभी परियोजनाओं की अलग-अलग लागत 1000 करोड़ रुपये से कम है। इनमें से, कल्लडा परियोजना के लिए 5 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता का अनुमोदन किया गया है। जबकि बताया गया है कि पम्बा और पेरियार घाटी परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं। मुवत्तुपुझा पर किया गया व्यय पर्याप्त नहीं है और इसलिए इन्हें इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल नहीं किया जा सका।

विश्व बैंक सहायता

1489. श्री संदीपान थोरात : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनके लिए मंजूर की गई तथा वास्तव में उन पर व्यय की गई धनराशि का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है और तत्संबधी परिणाम क्या है;

(ख) चालू परियोजनाओं के संबंध में मानक मानदण्डों द्वारा परियोजना-वार हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) विश्व-बैंक/अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों का वित्तीय सहायता हेतु प्रस्तावित नई परियोजनाओं का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

शैक्षिक रूप से पिछड़े जिले

1490. श्री के. प्रधानी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए जिलों का पता लगाया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा आठवीं योजनावधि के दौरान उन शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए जिलों के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या इस उद्देश्य के लिए नौवीं योजना में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) और (ख) जिस जिले की महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है उन्हें अन्य बातों के साथ-साथ शैक्षिक विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के मापदंड के रूप में अपनाया गया है। जिले वार महिला साक्षरता की दरें वर्ष 1992-93 के लिए वार्षिक रिपोर्ट में दी गई हैं।

(ग) शैक्षिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, प्राथमिक शिक्षा में पोषण सहायता संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे केन्द्र और राज्यों के अनेक कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है केन्द्रीय योजनाओं का ब्यौरा आठवीं योजना के विभिन्न वर्षों के लिए मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्टों में दिया गया है।

(घ) और (ङ) नौवीं योजना के लिए क्षेत्रीय कार्यनीतियों और लक्ष्यों को अंतिम रूप प्रदान करते समय इसका ध्यान रखा जाएगा।

बड़े/मध्यम क्षेत्र की सिंचाई

1491. श्रीमती मीरा कुमार : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के संस्थापक अध्यक्ष द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 1996 के "दि स्टेट्समैन" में मुख्य तथा मध्यम क्षेत्र की सिंचाई की प्रगति के बारे में "पोटेंशियल क्रिएटेड" के उनके लेख में व्यक्त किए गए विचारों से अवगत हैं;

(ख) क्या इसके विस्तार की अपेक्षा आज सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता के संबंध में व्यक्त उनके सुझाव की जांच की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए विभिन्न विकल्पों की जांच करना एक निरन्तर प्रक्रिया है। सरकार की नीति वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई स्कीमों के द्वारा अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने के साथ-साथ चकबन्दी और मौजूदा ढांचे में सुधार करके सिंचित कृषि के अंतर्गत अधिक से अधिक क्षेत्र को लाना है।

अनौपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा

1492. श्री भक्त चरण दास : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उड़ीसा में अनौपचारिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा के लिए निर्धारित वार्षिक लक्ष्य का कितने प्रतिशत प्राप्त किया गया है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुडी राम सैकिया) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में अनौपचारिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए इस विभाग द्वारा आंवटित तथा प्रदान की गई निधियां निम्नवत् हैं :

अनौपचारिक शिक्षा (रुपये लाखों में)

वर्ष	आवंटित की गई राशि	प्रदान की गई राशि
1993-94	868.68	811.67
1994-95	1229.62	1109.59
1995-96	1992.24	1900.31

प्रौढ़ शिक्षा (रुपये लाखों में)

वर्ष	आवंटित की गई राशि	प्रदान की गई राशि
1993-94	930.47	432.38
1994-95	449.29	422.95
1995-96	896.85	627.05

रंगाली बांध परियोजना

1493. श्री के.पी. सिंह देव : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में रंगाली बांध परियोजना के निर्माण कार्य के कारण कुल कितने परिवार विस्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि विस्थापित व्यक्तियों का अब तक पुनर्वास नहीं किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो इस बांध निर्माण कार्य से विस्थापित हुए व्यक्तियों के पुनर्वास में अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन व्यक्तियों का शीघ्रातिशीघ्र पुनर्वास किए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) रेंगाली बांध परियोजना के पूरा होने पर प्रभावित होने वाले सम्भावित 803 परिवारों में से, 275 परिवारों को जून, 1996 तक पुनर्वास सहायता का भुगतान किया गया है। शेष परिवारों का पुनर्वास और पुनर्स्थापना प्रगति पर है।

(घ) चूंकि पुनर्वास और पुनर्स्थापना राज्य का विषय है, इसलिए पुनर्वास और पुनर्स्थापना योजनाओं का निर्माण, आयोजना, कार्यान्वयन और उनका वित्त पोषण राज्य नीति के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

कर्नाटक में केन्द्रीय विश्वविद्यालय

1494. श्री बी.एल. शंकर : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में इस समय कौन-कौन से केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार राज्य में किसी अन्य विश्वविद्यालय का केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में अधिग्रहण करने अथवा नया केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने का है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) से (घ) कर्नाटक राज्य में न तो कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय है और न ही केन्द्रीय सरकार के पास किसी विश्वविद्यालय को अपने अन्तर्गत लेने या इस राज्य में कोई विश्वविद्यालय खोलने का या अन्यथा रूप से कोई विचार है। संसाधन की कमियों और विद्यमान संस्थाओं को समेकित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सामान्यतः सरकार नए विश्वविद्यालय स्थापित करने में इच्छुक नहीं है।

नकली औषधियां

1495. श्री जंगवडापुर सिंह पटेल : **क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस ने उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद और अन्य जगहों पर नकली औषधियां बनाने वाले एक गिरोह का भाण्डाफोड़ किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) जी, हाँ। निदेशक, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार इलाहाबाद और देहरादून से नकली औषधों के 14 मामले पकड़े गए हैं।

(ग) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई औषध के नमूने के विश्लेषण के परिणाम प्राप्त होने और जांचें पूरा होने के बाद राज्य सरकारों द्वारा शुरू की जाएगी।

[हिन्दी]

जनजातीय कला तथा संस्कृति

1496. श्री एन. जे. राठवा : **क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात सहित राज्यों के स्वैच्छिक संगठनों तथा संस्थाओं द्वारा जनजातीय तथा ग्रामीण कला संस्कृति के विकास तथा प्रसार हेतु अनुदान के लिए कोई प्रस्ताव/आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गैर-सरकारी संगठनों तथा संस्थाओं के क्या नाम हैं तथा इस योजना के अंतर्गत वर्ष-वार किए जा रहे अनुदान का ब्यौरा क्या है तथा अब तक उनकी उपलब्धियां क्या रहीं;

(घ) क्या यह सच है कि इन गैर-सरकारी संगठनों तथा संस्थाओं को केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए अनुदान का उचित उपयोग नहीं किया गया है;

(ङ) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने का है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) जी, हाँ।

(ख) ब्यौरों को दर्शाने वाली एक सूची नीचे संलग्न विवरण-I में दी गयी है।

(ग) स्कीम के अंतर्गत जिन संगठनों ने अनुदान प्राप्त किये हैं उनके नामों को दर्शाने वाली एक सूची नीचे संलग्न विवरण-II में दी गयी है। अनुदान प्राप्त करने के पश्चात् संगठन अपनी परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं और इसके पश्चात् वे अनुवर्ती किश्तें प्राप्त करते हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

राज्यवार आवेदन पत्रों की संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य का नाम	आवेदन पत्रों की संख्या, जिन पर विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया		
		1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	20	5	5
2.	असम	-	3	-
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	1
4.	बिहार	19	16	48
5.	चंडीगढ़	-	-	4

1	2	3	4	5
6.	दिल्ली	9	55	46
7.	गुजरात	1	–	–
8.	हरियाणा	1	3	1
9.	हिमाचल प्रदेश	–	27	–
10.	जम्मू एवं कश्मीर	–	1	1
11.	कर्नाटक	5	1	1
12.	केरल	5	30	14
13.	गोवा	–	–	1
14.	महाराष्ट्र	2	1	2
15.	मध्य प्रदेश	3	3	6
16.	मणिपुर	11	20	15
17.	नागालैंड	–	1	2
18.	पंजाब	–	3	2
19.	उड़ीसा	13	36	62
20.	राजस्थान	12	7	23
21.	सिक्किम	–	1	–
22.	तमिलनाडु	2	1	24
23.	पश्चिम बंगाल	5	8	13
24.	उत्तर प्रदेश	12	9	18

विवरण-II

1993-94

क्र.सं.	व्यक्ति/संगठन का नाम	अनुमोदित अनुदान
1	2	3
	बिहार	
1.	अखिल भारतीय संथाल्स कल्याण एवं सांस्कृतिक सोसायटी, बिहार	1,00,000 रुपये
2.	नटराज नाट्य नृत्य संगीत नृत्य कला परिषद	1,00,000 रुपये
3.	सांस्कृतिक प्रोन्नति केन्द्र	1,50,000 रुपये
	दिल्ली	
1.	क्षितिज	1,00,000 रुपये
2.	श्री चन्द्र सिंह राही	1,00,000 रुपये
3.	अखिल भारतीय सन्थाल कल्याण एवं सांस्कृतिक सोसायटी, दिल्ली	1,25,000 रुपये
4.	श्रीमती चित्रा शर्मा	2,00,000 रुपये
5.	श्री डी. विनोद कुमार	1,50,000 रुपये
6.	श्री प्रनद कुमार दास	1,50,000 रुपये
7.	श्री जहार कानूनगो	1,50,000 रुपये
8.	श्रीमती इंदिरा विजय सम्बयाल	2,00,000 रुपये
	गुजरात	
1.	सांस्कृतिक एवं शहरी मानव विज्ञान संस्थान	1,00,000 रुपये
	गोवा	
1.	दयानन्द कला केन्द्र	2,00,000 रुपये
	जम्मू एवं कश्मीर	
1.	राष्ट्रीय भाण्ड थियेटर	75,000 रुपये
	केरल	
1.	वयालर मेमोरियल युवा क्लब	75,000 रुपये
2.	द्रविड़ भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय	2,00,000 रुपये
3.	श्री एन. श्रीधर	30,000 रुपये
4.	फोकलैंड अंतर्राष्ट्रीय लोक वार्ता एवं संस्कृति केन्द्र	1,00,000 रुपये
5.	यूनाइटेड पुस्तकालय	1,00,000 रुपये
6.	श्री एम. सेबेस्तियन	75,000 रुपये
7.	एवीएम डी.एस. नेगी	2,00,000 रुपये
8.	कदायण्ड चेकोर कलारी संगम	1,50,000 रुपये
	मणिपुर	
1.	थियेटर मिरर	1,00,000 रुपये
2.	श्री रणबीर मनगांग	1,00,000 रुपये
3.	मणिपुरी एन्सैंबल	50,000 रुपये
4.	डॉ० एच. बिलासिनी देवी	2,00,000 रुपये
5.	श्री रागोंगिंग गामेई	1,50,000 रुपये

1	2	3
6.	श्री यमनम राजेन्द्र सिंह	1,00,000 रुपये
7.	एलाइड आर्टिस्ट्स एसोसिएशन	50,000 रुपये
8.	उत्तर-पूर्वी रंगमंच संगठन	50,000 रुपये
	मध्य प्रदेश	
1.	पारंपरिक वस्तर शिल्पी परिवार	2,00,000 रुपये
2.	सुश्री अन्जना पुरी	2,00,000 रुपये
3.	लोकमंजरी, लोक कला कुंज	1,50,000 रुपये
	महाराष्ट्र	
1.	थियेटर अकादेमी	2,00,000 रुपये
	उड़ीसा	
1.	भारतीय लोक एवं जनजातीय संस्कृति अकादेमी	50,000 रुपये
2.	श्री प्रताप कुमार पाण्डा	75,000 रुपये
3.	आदिवासी सांस्कृतिक सोसायटी	1,00,000 रुपये
4.	सामाजिक विज्ञान एवं शोध विकास संस्थान	1,50,000 रुपये
5.	सुश्री सरला होता	1,50,000 रुपये
	राजस्थान	
1.	ग्रामीण शिक्षा विकास संस्थान	1,50,000 रुपये
	तमिलनाडु	
1.	एशियाई अध्ययन संस्थान	2,00,000 रुपये
	त्रिपुरा	
1.	द्वियोदया कृषि विज्ञान केन्द्र	1,00,000 रुपये
	पश्चिम बंगाल	
1.	डॉ॰ गौरी भट्टाचार्य	1,00,000 रुपये
2.	डॉ॰ ध्रुव चन्द्र दास	1,00,000 रुपये
3.	श्री प्रोसनजीत दासगुप्ता	50,000 रुपये
4.	लोक संस्कृति संस्थान	75,000 रुपये
5.	श्री आर.पी. लामा	30,000 रुपये

1994-95

क्र.सं.	व्यक्ति/संगठन का नाम	अनुमोदित अनुदान
1	2	3
	आंध्र प्रदेश	
1.	शेख गालिब साहेब नादस्वर वृन्द मास्टर	10,000 रुपये
	बिहार	
1.	नटराज नाट्य नृत्य संगीत कला परिषद	75,000 रुपये
2.	छोटा नागपुर सांस्कृतिक संघ	1,00,000 रुपये
	दिल्ली	
1.	श्री चन्द्र सिंह राही	44,237 रुपये
2.	कला संस्कृति प्रतिष्ठान, नई दिल्ली	1,50,000 रुपये
3.	श्री एस.सी. शर्मा	2,00,000 रुपये
4.	ईशान एकोस	1,00,000 रुपये
5.	इशिता फिल्म्स	1,00,000 रुपये
6.	भारतीय राष्ट्रीय कला एवं संस्कृति विरासत न्यास	1,00,000 रुपये
	केरल	
1.	श्री एम. सेबस्टियन	75,000 रुपये
2.	कदाथनड चेकोर कलारी संगम	50,000 रुपये
3.	अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक विकास केन्द्र	1,00,000 रुपये
4.	आश्रया ग्रामीण मानव संसाधन विकास केन्द्र	25,000 रुपये
5.	बौद्ध धर्म मार्शल कला संस्थान	50,000 रुपये
	मध्य प्रदेश	
1.	लोक मंजरी	1,50,000 रुपये
	उड़ीसा	
1.	श्री खिरोड़ कुमार पटनायक	50,000 रुपये
2.	उत्सवामा	50,000 रुपये
3.	लोक कला विकास केन्द्र	1,00,000 रुपये
4.	कला विकास केन्द्र	1,00,000 रुपये

1	2	3
5.	महिला ग्रामीण विकास संगठन	50,000 रुपये
6.	केदारनाथ गवेषणा प्रतिष्ठान	50,000 रुपये
7.	रूपायन	50,000 रुपये
8.	सामाजिक विज्ञान एवं विकास अनुसंधान संस्थान	50.000 रुपये
	नागालैंड	
1.	नागा सीने सोसायटी	50,000 रुपये
	राजस्थान	
1.	भारतीय लोक कला मंडल	2,00,000 रुपये
2.	प्राचीन पुतली कला संस्थान	75,000 रुपये
3.	संगीत कला केन्द्र	50,000 रुपये
	मणिपुर	
1.	कु० लाईश्रम बेतेशोरी देवी	50,000 रुपये
2.	मुतुवा संग्रहालय	75,000 रुपये
3.	थोनाओजम यानु इबेम्बल	50,000 रुपये
4.	मरम कला एवं साहित्य संघ	50,000 रुपये
	तमिलनाडु	
1.	एशियाई अध्ययन संस्थान	1,00,000 रुपये
	पश्चिम बंगाल	
1.	डॉ० गौरी भट्टाचार्य	75,000 रुपये
2.	आचार्य दिनेश चन्द्र सेन शोध सोसायटी	50,000 रुपये

1995-96

क्र.सं.	व्यक्ति/संगठन का नाम	अनुमोदित अनुदान
1	2	3
	आंध्र प्रदेश	
1.	भारतीय कैथोलिक अस्पताल संघ	2,00,000 रुपये
	बिहार	
1.	आदिवासी पिछड़ी जाति विकास परिषद	50,000 रुपये
2.	गुरू नानक महिला शिल्प कला केन्द्र	50,000 रुपये
3.	प्रांगण	50,000 रुपये
4.	छोटा नागपुर सांस्कृतिक संघ	50,000 रुपये
5.	चाइल्ड इंडिया	1,00,000 रुपये
	दिल्ली	
1.	सुश्री सविहा फरहत	2,00,000 रुपये
2.	ईशान एकोस	2,00,000 रुपये
3.	सुश्री अलका रघुवंशी	2,00,000 रुपये
4.	संस्कृति प्रतिष्ठान	1,00,000 रुपये
5.	राष्ट्रीय संस्कृति सस्थान	1,95,000 रुपये
6.	ईशान दत्त बहुगुणा	2,00,000 रुपये
7.	श्रीमती जयश्री ठाकुर	1,00,000 रुपये
8.	मैसर्स क्षितिज थिएटर ग्रुप	1,75,000 रुपये
9.	श्री अतुल्य कुमार महापात्र	1,00,000 रुपये
10.	अखिल भारतीय सन्थाल कल्याण एवं सांस्कृतिक सोसायटी	1,00,000 रुपये
11.	सुश्री सुष्मिता दत्त	70,000 रुपये
12.	श्री अरूण तिवारी	1,00,000 रुपये
13.	चन्द्र सिंह राही	1,50,000 रुपये
14.	श्री प्रलय बडाल्य	1,00,000 रुपये
15.	सुश्री मीना पात्रा	1,00,000 रुपये
16.	नई दिल्ली युवा क्रिश्चियन संघ	1,00,000 रुपये
17.	डॉ० राम अवतार	1,00,000 रुपये
18.	भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास	1,50,000 रुपये
	चंडीगढ़	
1.	लोकसुर कला मंच	60,000 रुपये
2.	श्री जी.एस. चानी	1,50,000 रुपये
3.	स्वर चिन्तन	50,000 रुपये
	केरल	
1.	टैगोर मेमोरियल चैरिटेबल सोसायटी	1,00,000 रुपये
2.	लैफ्टिनेन्ट जनरल सुशील कुमार पिल्लई	1,47,000 रुपये

1	2	3
3.	रंगप्रभात बाल रंगमंच	85,000 रुपये
4.	केरल अनौपचारिक शिक्षा एवं विकास संघ	75,000 रुपये
5.	रंग प्रभात बाल रंगमंच	1,50,000 रुपये
मध्य प्रदेश		
1.	श्रीमती सुधा गोपालकृष्णन	1,92,000 रुपये
मणिपुर		
1.	हरिमती नृत्य एवं संगीत केन्द्र	1,00,000 रुपये
2.	मणिपुरी एनसैमबल	1,00,000 रुपये
3.	पंथोईबी नाट्य मंदिर	1,00,000 रुपये
4.	मलाम तुलीयाईमा विकास	1,00,000 रुपये
उड़ीसा		
1.	प्रशांत कुमार दास	50,000 रुपये
2.	श्री डी.एम.राव सीनियर लैक्चरर इन ग्राफिक आर्ट	1,00,000 रुपये
3.	आदिवासी संस्कृति गवेषणा परिषद	1,40,000 रुपये
4.	श्री आर.पी. दास	1,60,000 रुपये
5.	उड़ीसा साहित्य अकादेमी	75,000 रुपये
6.	राज्य जवाहर बाल भवन	1,00,000 रुपये
7.	सामाजिक विज्ञान एवं विकास शोध संस्थान	93,800 रुपये
तमिलनाडु		
1.	मद्रास क्रिश्चयन कॉलेज	2,00,000 रुपये
2.	तमिलनाडु बंजारा	1,90,000 रुपये
3.	डॉ॰ के. येरुगेसन	60,000 रुपये
4.	आर.एम.ए. कलाइकोट्टय फाउन्डेशन	1,00,000 रुपये
उत्तर प्रदेश		
1.	पं० गोविन्द बल्लभ पंत ग्रामीण विकास अध्ययन संस्थान	2,00,000 रुपये
2.	दर्पण	1,50,000 रुपये
3.	उत्तरांचल लोक कला एवं साहित्य संरक्षण नीति	1,50,000 रुपये
पश्चिम बंगाल		
1.	कोलीकत्ता काईब्रास्ता समिति	1,50,000 रुपये
2.	श्री आर.पी. लामा	75,000 रुपये

[अनुवाद]

प्राइवेट और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में फीस ढांचा

1497. श्री प्रमोद महाजन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में आयोजित केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के सम्मेलन में देश में प्राइवेट और सरकारी मेडिकल कॉलेजों के फीस ढांचे के संबंध में की गई सिफारिशों और लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने गैर-सहायता प्राप्त मेडिकल कॉलेजों में भुगतान वाली सीटों को निःशुल्क सीटों में बदलने और स्थानीय छात्रों के हितों की रक्षा हेतु भारत सरकार के 15 प्रतिशत कोटे को कम करके 5 प्रतिशत करने के लिए केन्द्र सरकार से आग्रह किया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) इस समय निःशुल्क सीटों, भुगतान वाली सीटों तथा अनिवासी भारतीयों के लिए आरक्षित सीटों के संबंध में सरकारी और गैर-सरकारी मेडिकल कॉलेजों में फीस के ढांचे का क्या स्वरूप है;

(ङ) क्या सरकार का विचार वर्तमान फीस ढांचे में सुधार करने का है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद की हाल ही में हुई बैठक के दौरान प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के लिए प्रस्तावित फीस संरचना का विस्तृत ढांचा परिचालित किया गया और परिषद द्वारा उसे नोट किया गया।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र सरकार ने केवल दो श्रेणियों, निःशुल्क सीटों और अनिवासी भारतीय सीटों का 80:20 के अनुपात में एक पद्धति शुरू करने का सुझाव दिया था। मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है।

(घ) उच्चतम न्यायालय ने 1996-97 के लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में निःशुल्क और भुगतान सीटों के लिए निम्नलिखित फीस ढांचा नियत किया है :

भुगतान सीटें

1. मेडिकल कॉलेज जिनके पास अपनी अस्पताली सुविधाएं हैं .....75,000 रुपये प्रतिवर्ष

2. मेडिकल कॉलेज जिनके पास आंशिक अस्पताली सुविधाएं हैं ....70,000 रुपये प्रतिवर्ष

3. मेडिकल कॉलेज जो सरकारी अस्पतालों पर निर्भर हैं ..... 65,000 रुपये प्रतिवर्ष

मेरिट सीटें ..... 20,000 रुपये प्रतिवर्ष

सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए फीस ढांचा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियत किया जाता है। तथापि, केन्द्रीय सरकारी चिकित्सा संस्थाओं में ली जा रही फीस 240 रुपये प्रतिवर्ष से लेकर 300 रुपये प्रतिवर्ष तक भिन्न-भिन्न हैं। अनिवासी भारतीय सीटों के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई फीस ढांचा नियत नहीं किया गया है।

(ङ) और (च) उच्चतम न्यायालय ने कन्द्र सरकार को निर्देश दिया है कि वे ऐसे उपयुक्त तरीके से एक फीस ढांचा तैयार करें जो सभी संबंधितों के लिए न्यायसंगत और समान हो जो शैक्षिक सत्र 1997-98 से प्रभावी होगा।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में नलकूप

1498. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-96 के दौरान उत्तर प्रदेश में जिलेवार कितने नलकूप लगाए गए और चालू किए गए;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ विश्व बैंक से कोई सहायता ली गई थी; और

(ग) यदि हाँ, तो उक्त अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश को कितनी सहायता राशि प्रदान की गई ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश में वर्ष 1994-96 में 168 नए राज्य नलकूप बनाए गए थे। इसमें से 96 राज्य नलकूपों को इस अवधि के दौरान चालू किया गया था। जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) वर्ष 1994-96 के दौरान, इस प्रयोजन के लिए विश्व बैंक से कोई सहायता नहीं ली गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र. सं	जिला	वर्ष 94-96 के दौरान निर्मित नल-कूपों की सं०	कॉलम 3 में वर्ष 94-96 के दौरान चालू किए गए नलकूपों की सं०	जनवरी 97 तक वर्ष 96-97 के दौरान चालू किए गए नलकूपों की सं०	शेष नलकूपों की संख्या जिन्हें अभी चालू किया जाना है।
1	2	3	4	5	6
1.	बुलन्दशहर	1	1	–	–
2.	फिरोजाबाद	1	–	1	–
3.	मैनपुरी	1	–	1	–
4.	एटा	1	1	–	–
5.	मुरादाबाद	3	3	–	–
6.	बिजनौर	1	–	1	–
7.	देहरादून	3	–	2	1
8.	गढ़वाल	2	1	1	–
9.	नैनीताल	6	–	–	6
10.	शाहजहांपुर	5	7	2	1
11.	बदायूं	3	2	1	–
12.	झांसी	14	10	4	–
13.	हमीरपुर	13	10	3	–
14.	बांदा	6	3	1	–
15.	जालौन	8	3	3	–
16.	रायबरेली	3	3	–	–
17.	सीतापुर	2	2	–	–
18.	लखीमपुर खीरी	2	2	–	–
19.	कानपुर देहात	6	2	4	–
20.	कानपुर नगर	1	1	–	–
21.	इटावा	15	13	2	–

1	2	3	4	5	6
22.	सुलतानपुर	4	3	2	–
23.	गोंडा	3	1	1	1
24.	बहराइच	4	2	2	–
25.	बाराबंकी	7	3	2	–
26.	गोरखपुर	4		1	–
27.	देवरिया	4	1	3	–
28.	बस्ती	7	4	3	–
29.	सिद्धार्थनगर	6	2	3	1
30.	महाराजगंज	3	1	2	–
31.	वाराणसी	1	1	–	–
32.	गाजीपुर	14	3	10	1
33.	मिर्जापुर	4	2	2	–
34.	इलाहाबाद	6	3	2	1
35.	फतेहपुर	1	–	–	1
36.	बलिया	3	3	–	–
	कुल	168	96	59	13

[अनुवाद]

तुंगभद्रा बांध, कर्नाटक

1499. श्री के. सी. कोन्डय्या : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने तुंगभद्रा बांध के आधुनिकीकरण हेतु विस्तृत योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि खर्च की जाएगी तथा इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृत करने तथा क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

खेल नीति की समीक्षा

1500. श्री नारायण अठावले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सरकार द्वारा नई दिल्ली में राज्यों के मंत्रियों और प्रमुख खेल संगठनों के विशेषज्ञों के साथ खेल नीति की उच्च स्तरीय समीक्षा की गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो इसमें हुई चर्चा की कार्यसूची और किए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में चालू वर्ष के लिए क्या कार्य योजना तैयार की गई है और केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत चालू वर्ष के लिए प्रत्येक राज्य हेतु योजनावार कितनी राशि के आबंटन को स्वीकृति प्रदान की गई है; और

(घ) महाराष्ट्र में कार्यान्वयनाधीन प्रमुख परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनमें से प्रत्येक का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई): (क) जी, हाँ। राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्रों के युवा मामले और खेल मंत्रियों का एक सम्मेलन 12 फरवरी, 1997 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था जिसमें नयी राष्ट्रीय खेल नीति के मसौदे पर भी विचार-विमर्श किया गया था।

(ख) नयी राष्ट्रीय खेल नीति के मसौदे के अतिरिक्त, सम्मेलन में खेल संबंधी कार्यसूची की जिन अन्य मदों पर चर्चा की गई थी, उनका ब्यौरा निम्नानुसार है :

1. खेलकूद के संवर्धन में केन्द्र सरकार की तुलना में राज्य सरकारों की भूमिका।
2. खेलों को संविधान की समवर्ती सूची में लाना।
3. ग्रामीण खेल कार्यक्रम।
4. शारीरिक शिक्षा तथा खेलों के साथ स्कूली पाठ्यक्रम का एकीकरण।
5. ब्लाक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर स्कूल स्तर की प्रतियोगिताएँ आरंभ करना।
6. अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षा परिषद् की स्थापना।
7. राष्ट्रीय खेलों का आयोजन।

उपर्युक्त मुद्दों पर राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र की सरकारों की राय मांगी गयी थी, जिनके आधार पर नई राष्ट्रीय खेल नीति को अंतिम रूप देने हेतु कदम उठाए गए हैं।

(ग) खेलों की बुनियादी सुविधाओं के सृजन की योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को उनसे प्राप्त सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्तावों पर सहायता दी जाती है। हाल ही में कोई भी राज्यवार आबंटन तैयार नहीं किया गया है। योजना के अन्तर्गत चालू वर्ष का कुल संशोधित आबंटन 6.35 करोड़ रुपये है जिसका पूरी तरह से उपयोग किया गया है।

(घ) चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में कोई भी मुख्य परियोजना अनुमोदित नहीं की गई है। तथापि, 1993-94 के दौरान सिद्धांत रूप से 20.00 लाख रुपये के कुल अनुमोदित अनुदान में से खेलों की बुनियादी सुविधाओं के सृजन की योजना के अन्तर्गत, चालू वर्ष के दौरान, महाराष्ट्र में अमरावती में श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मण्डल द्वारा बैडमिण्टन के लिए इनडोर स्टेडियम के निर्माण हेतु 18 लाख रुपये की रकम प्रथम किस्त के रूप में जारी कर दी गई है।

भारत और चीन के बीच सीमा-विवाद

1501. श्री अमर राय प्रधान : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चीन के बीच सीमा संबंधी कोई विवाद है;

(ख) यदि हाँ, तो यह विवाद समाधान के बिना कब से लंबित पड़ा है; और

(ग) सरकार द्वारा इस विवाद का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ग) भारत और चीन सीमा प्रश्न पर कई ऐसे बकाया मसले हैं जिन पर 1950 के दशक से ही दोनों सरकारों के बीच बातचीत होती रही है।

प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की दिसम्बर, 1988 की यात्रा के बाद गठित संयुक्त कार्यदल और सितम्बर, 1993 में प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव की यात्रा के बाद गठित विशेषज्ञ दल की बैठकों में दोनों देशों द्वारा इन मसलों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। संयुक्त कार्यदल की नौ बैठकें और विशेषज्ञ दल की चार बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। सीमा संबंधी प्रश्न को न्यायपूर्ण, तार्किक ढंग से तथा आपस में स्वीकार्य तरीके से सुलझाने के प्रति अपने निश्चय को दोहराते हुए दोनों पक्ष ठोस उपाय सुनिश्चित करने के लिए अनंतिम तौर पर सहमत हुए हैं कि सीमा क्षेत्र में प्रभावी ढंग से अमन और शांति कायम रहे।

हांगकांग में भारतीय मूल के व्यक्ति

1502. श्री मुख्तार अनीस : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय हांगकांग में रह रहे भारतीय मूल के व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से कितने भारतीय नागरिक हैं; और

(ग) हांगकांग में उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्होंने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) इस समय भारतीय मूल के लगभग 28,000 लोग हांगकांग में रह रहे हैं;

(ख) इनमें से 22,000 भारतीय राष्ट्रिक हैं जिनके पास भारतीय पासपोर्ट हैं।

(ग) भारत सरकार का यह दृष्टिकोण रहा है कि बी.डी.टी.सी. और ब्रिटिश राष्ट्र (मूल) के पासपोर्ट धारकों के प्रति ब्रिटिश सरकार का प्राथमिक उत्तरदायित्व है और ब्रिटिश नागरिकों के रूप में इन व्यक्तियों के दर्जे की सुरक्षा के लिए उसे आवश्यक कदम उठाने चाहिए। ब्रिटिश सरकार ने 4.2.1997 को यह घोषणा की थी कि केवल हांगकांग में रह रहे ब्रिटिश जातीय अल्पसंख्यक की ब्रिटिश नागरिक के रूप में पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकते हैं जिसमें 30 जून, 1997 के बाद यू.के. में रह रहे लोगों को ही अधिकार देना शामिल है। 1996 में 5 लोगों और 1997 में 2 लोगों ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया है।

कालीकट पासपोर्ट कार्यालय को उपग्रह से जोड़ना

1503. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कालीकट पासपोर्ट कार्यालय को उपग्रह से जोड़ने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके परिणामस्वरूप क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है;

(ग) कालीकट पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए कितने उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची है; और

(घ) उनके आवेदन पत्रों को कब तक निपटाएं जाने की संभावना हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) इस समय एक ऐसा व्यापक कम्प्यूटरीकरण प्रस्ताव विचाराधीन है। जिसमें सेटेलाइट के जरिए न केवल कालीकट को जोड़ना, बल्कि समस्त भारत को इसी प्रकार के पासपोर्ट कार्यालयों को विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है। इससे सभी पासपोर्ट कार्यालयों के बीच अधिक अन्तर-संयोजकता भी उत्पन्न होगी। फिलहाल प्रत्येक पासपोर्ट कार्यालय अपने रिकार्ड से प्रत्येक नए आवेदन-पत्र की जाँच करता है। एक बार अखिल भारतीय डाटाबेस बन जाने से प्रत्येक नए आवेदन-पत्र की शीघ्रतापूर्वक, बिना त्रुटि और रद्दोबदल के अखिल भारतीय आधार पर जांच की जाएगी। इससे दुरूपयोग के अत्यधिक रूप से कम होने और कार्यकुशलता बढ़ने की उम्मीद है।

(ग) 15.2.1997 की स्थिति के अनुसार, पासपोर्ट कार्यालय, कालीकट में 21,175 आवेदन-पत्र लम्बित थे। इनमें से 9,029 आवेदन-पत्र एक माह से अधिक समय से लम्बित थे।

(घ) औसतर, पासपोर्ट कार्यालय, कालीकट आवेदन-पत्र प्राप्त होन के छह सप्ताह के भीतर पासपोर्ट जारी करता है। कालीकट कार्यालय में सामान्यतया विचाराधीन मामलों की तुलना में अधिक विचाराधीन मामले आवेदन-पत्रों के साथ प्रस्तुत किए गए अनेक जाली दस्तावेजों के पाये जाने के कारण हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में साक्षरता अभियान

1504. श्री सुशील चन्द्र : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के किन-किन जिलों में 'साक्षरता अभियान' शुरू किए गए। इस अभियान के उद्देश्यों का ब्यौरा तथा इस अभियान की अनुमानित लागत कितनी है और इसके लिए अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) क्या अब तक किए गए कार्य का कोई आकलन किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रौढ़ों को शिक्षित करने के कार्य में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक नियोजित किए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप स्कूली बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान आ रहा है;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इस साक्षरता अभियान के खर्च में केन्द्र और राज्य सरकार की भागीदारी कितनी-कितनी है और इस अभियान के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुडी राम सैकिया) : (क) साक्षरता अभियान का उद्देश्य शिक्षार्थियों को इतना सक्षम बनाना है कि वे अपनी योग्यता के अनुसार निम्नलिखित कार्यात्मक साक्षरता हासिल कर सकें :

(i) सरल शब्दों तथा वाक्यों को पढ़ना और लिखना,

(ii) साधारण पत्रों तथा लेखों को पढ़ना और लिखना,

(iii) जोड़, घटा, भाग तथा गुणा संबंधी साधारण सवालों को हल करना, तथा

(iv) पर्यावरण, जनसंख्या, स्त्री-पुरुष के बीच व्याप्त अन्तर, स्वास्थ्य, सफाई आदि जैसे राष्ट्रीय तथा महत्वपूर्ण मुद्दों पर चेतना जागृत करना।

पिछले दो वर्षों में मध्य प्रदेश के जिन जिलों में साक्षरता अभियान शुरू किए गए हैं, उनके नाम तथा प्रत्येक जिलों को प्रदान की गई अनुदान राशि को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) ये अभियान कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं तथा संपूर्ण साक्षरता अभियानों के पूरा होने पर इनका बाह्य मूल्यांकन प्रख्यात राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान द्वारा कराया जाएगा।

(ग) और (घ) संपूर्ण साक्षरता अभियानों के अन्तर्गत समाज के सभी वर्गों के स्वंयसेवकों को सम्मिलित किया जाता है ताकि वे शिक्षण कार्य शुरू कर सकें।

(ङ) साक्षरता अभियान संबंधी व्यय का वहन केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। जनजातीय क्षेत्रों में इनके अंशदान का अनुपातः 4:1 है तथा सामान्य क्षेत्रों में इनके अंशदान का अनुपात 2:1 है।

विवरण

क्र. सं.	जिला का नाम	पिछले 2 वर्षों के दौरान जारी की गई अनुदान राशि (रुपये लाख में)
1	2	3
1.	बालाघाट	77.53
2.	बैतूल	80.25
3.	भिण्ड	20.00
4.	बिलासपुर	323.00
5.	भोपाल	40.00
6.	बस्तर	302.73
7.	दमोह	50.53

1	2	3
8.	गुना	82.50
9.	होशंगाबाद	67.45
10.	झाबुआ	107.17
11.	मांडला	124.61
12.	मन्दसौर	80.26
13.	मुरैना	50.00
14.	रायपुर	140.00
15.	रायसेन	92.06
16.	राजनंदगाँव	60.00
17.	रीवा	66.25
18.	सागर	64.43
19.	सिहोर	68.05
20.	सिवोनी	30.00
21.	शहडोल	208.22
22.	शिवपुरी	71.56
23.	सरगुजा	179.15
24.	उज्जैन	20.00

[अनुवाद]

असम में पुल

1505. श्री केशव महन्त : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान असम में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितने पुलों का निर्माण किया गया;

(ख) तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय ऐसी कौन-कौन सी योजनाएं चल रही हैं; और

(घ) उन पर परियोजना-वार कितना व्यय हुआ है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन): (क) और (ख) 14 स्थानवार विवरण इस प्रकार हैं :

क्र. सं	पुल का नाम और स्थान	पूरा होने का वर्ष
1	2	3
1.	रा.रा. 51 पर छोटा पुल सं0 17/1 और पहुंच मार्ग	03/96
2.	रा.रा. 36 पर छोटा पुल सं0 31/2 और पहुंच मार्ग	09/94
3.	रा.रा. 36 पर छोटा पुल सं0 32/1	03/95
4.	रा.रा. 36 पर पुल सं0 30/4	03/95
5.	रा.रा. 51 पर छोटा पुल सं0 22/3	03/95
6.	रा.रा. 36 पर छोटा पुल सं0 126/1	03/95
7.	रा.रा. 36 पर पुल सं0 46/2 और संपर्क मार्ग	03/95
8.	रा.रा. 36 पर पुल सं0 22/1 नई दिल्ली खंड और संपर्क मार्ग	03/95
9.	रा.रा. 36 पर पुल सं0 31/3 नई दिल्ली खंड और पहुंच मार्ग	03/95
10.	रा.रा. 36 पर पुल सं0 47/2 और संपर्क मार्ग	03/95
11.	रा.रा. 44 के रत्ताथिरा-बदरपुर चुरईबाड़ी के 261.00 कि.मी. पर लांगई पुल	1995-96
12.	रा.रा. 44 के स्ताधेरा-बदरपुर चुरईबाड़ी 196.96 कि.मी. पर खोरल पुल	1994-95
13.	रा.रा. 53 पर बदरपुर-सिल्चर जिरीबम के 19.15 कि.मी. पर कटखल पुल	1995-96
14.	रा.रा. 53 पर बदरपुर-सिल्चर जिरीबम के 9.60 कि.मी. पर बद्री पुल	1993-94

(ग) और (घ) जारी पुल परियोजनाओं की सूची और उन पर हुआ व्यय विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम और स्थान	सितम्बर, 96 तक व्यय (लाख रुपये)
1	2	3
1.	रा.रा. 36 पर पुल सं0 12/2 का निर्माण	39.41
2.	रा.रा. 31 ख पर जोगीघोपा में ब्रहमपुत्र नदी पर पुल और रेल सह-सड़क पुल के लिए संपर्क मार्ग का पुनः निर्माण	144.60 (ज.भू.प. मंत्रा. का हिस्सा)

1	2	3
3.	रा.रा. 31 पर पुल सं0 980/1 और संपर्क मार्गों का निर्माण	39.71
4.	रा.रा. 36 पर पुल सं0 105/3 का निर्माण	59.85
5.	रा.रा. 36 पर यमुना नदी पर(पुल सं0 39/2) पुल और उसके संपर्क मार्ग का पुनःनिर्माण	172.90
6.	रा.रा. 36 पर पुल सं0 7/1 एन.डी. खंड का निर्माण	7.67
7.	रा.रा. 51 पर पुल सं02/1 और पहुंच मार्गों का निर्माण	13.75
8.	रा.रा. 51 पर छोटा पुल सं0 9/6 का पुनः निर्माण।	9.35
9.	रा.रा. 51 पर छोटा पुल सं0 11/1 का पुनःनिर्माण।	5.83
10.	रा.रा. 36 पर लजेट पुल सं0 48/2 और संपर्क मार्गों का निर्माण	68.30
11.	रा.रा. 36 पर पुल सं0 32/2 एन.डी. खंड और संपर्क मार्ग का निर्माण	31.28
12.	रा.रा. 52 पर मंगलडोई कस्बे में 35 कि.मी. पर बेगा नदी पर पुल।	17.07
13.	रा.रा. 36 पर पुल सं0 24/2 और उसके संपर्क मार्ग।	6.19
14.	बदरपुर-सिल्चर जिरीबम (रा.रा. 53) के 8.84 कि.मी. पर घागरा पुल।	15.00
15.	बदरपुर-सिल्चर जिरीबम (रा.रा.53) के 24.85 कि.मी. पर धलेश्वरी पुल।	409.50
16.	बदरपुर-सिल्चर जिरीबम (रा.रा.53) के 44.82 कि.मी. पर जिरी पुल।	221.81

व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि

1506. श्री तारीक अनवर : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार व्यापक परमाणु परीक्षण (निषेध) संधि का विरोध नहीं करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी नहीं। सरकार ने सिद्धांतपूर्ण आधार पर नाभिकीय व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि का विरोध किया है। व्यापक परीक्षण/प्रतिबंध संधि पर 24 सितम्बर, 1996 तक संयुक्त राष्ट्र न्यूयार्क में हस्ताक्षर किए जा सकते थे। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत-अमरीका संबंध

1507. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सुश्री रोबिन राफेल, अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ने पाकिस्तान तथा बंगलादेश के अपने दौरों के पश्चात् भारत का दौरा क्या था;

(ख) यदि हाँ, तो उनके साथ चर्चा किये गये किन-किन द्विपक्षीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई; और

(ग) तत्संबंधी चर्चा के क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हाँ, दक्षिण एशियाई सम्बन्धों से सम्बद्ध अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी सुश्री राबिन राफेल 2 से 4 फरवरी, 1997 तक नई दिल्ली आयी थी। वे 24 जनवरी को कलकत्ता और 1 फरवरी को मद्रास भी गयी थीं।

(ख) और (ग) असिस्टेंट सेक्रेटरी के साथ जिन मसलों पर बातचीत हुई उनमें दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश सहयोग शामिल है जो निरन्तर बढ़ रहा है और प्रत्यर्पण संधि पर बातचीत हुई जिसे लगभग अन्तिम रूप दिया जा चुका है। दोनों पक्षों ने इस बात की पुष्टि की थी कि वे इस क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करेंगे। अफगानिस्तान की बदलती हुई स्थिति सहित अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं और क्षेत्रीय घटनाओं पर भी विचारों का आदान-प्रदान हुआ।

वृहद सिंचाई परियोजनाओं संबंधी रिपोर्ट

1508. डॉ॰ टी. सुब्बारामी रेड्डी :
श्री येल्लैया नंदी :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आंध्र प्रदेश में वृहद सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट दी है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या 19 परियोज़नाओं में से 17 परियोजनाएं राज्य सरकारों के पास लम्बित हैं;

(ग) राज्य सरकारों द्वारा अभी तक इन लम्बित परियोजनाओं के संबंध में केन्द्रीय सरकार को अपेक्षित जानकारी न दिए जाने के बारे में बताए गए मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग द्वारा उठाये गये तकनीकी मुद्दों के उत्तर भेजने हेतु राज्य सरकारों को स्मरण-पत्र भेजे हैं ताकि केन्द्रीय जल आयोग धनराशि का आकलन कर सके; और

(ङ) यदि हाँ, तो राज्य सरकारें ये जानकारी कब तक भेजने हेतु सहमत हुई हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) जल संसाधन मंत्रालय ने मार्च, 1996 में 19 वृहद सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति पर आन्ध्र प्रदेश का ध्यान आकर्षित किया था और बाद में एक विस्तृत समीक्षा के लिए कहा। जून, 1996 तक सलाहकार समूह द्वारा आठ परियोजनाएं स्वीकार्य योग्य पाई गई बशर्ते पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जाए और अन्य विषयों का अनुपालन किया जाए।

राज्य सरकार जैसे ही केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों के प्रेक्षणों की अनुपालना करती है वैसे ही अन्य परियोजनाओं को स्वीकृति देने के लिए विचार किया जाएगा।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय जल आयोग के पदाधिकारी राज्य सरकार के पदाधिकारियों के साथ मिलकर लम्बित परियोजनाओं के मूल्यांकन की स्थिति की आवधिक समीक्षा करते हैं। आवधिक अनुस्मारक भी जारी किए जाते हैं।

भारत-अमरीका संबंध

1509. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक उच्चस्तरीय कार्यबल ने संयुक्त राज्य अमरीका से यह सिफारिश की है कि वह भारत से अपना संबंध सुधारे;

(ख) यदि हाँ, तो क्या कार्यबल ने अमेरिकी प्रशासन को यह सुझाव भी दिया है कि दक्षिण एशिया में शांति का माहौल सुनिश्चित करने के लिए भारत से संबंध में सुधार आवश्यक है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या अमरीका की हाल की गतिविधियों/निर्णयों से यह पता चला है कि भारत और अमेरिका अपने संबंध में सुधार लाने पर विचार कर रहे हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) विदेश संबंध परिषद् न्यूयार्क की एक रिपोर्ट में एक स्वतन्त्र कार्यबल ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि शीत युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद और नया तथा परिवर्तनशील अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण पैदा होने के कारण अमरीका को भारत सहित दक्षिण एशिया के देशों के साथ अपनी नीति का पूरा मूल्यांकन करना चाहिए। इसमें यह माना गया है कि अमरीका के प्रति मैत्रीपूर्ण संबंधों के साथ एक सुदृढ़ भारत एशिया भर में स्थायित्व और आर्थिक प्रगति बनाए रखने में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है तथा संवर्धित व्यापार और निवेश के लिए एक महत्वपूर्ण साझीदार भी बन सकता है।

(ग) और (घ) पिछले कुछ वर्षों में भारत अमरीकी संबंधों में विस्तार और विविधता देखने को मिली है। आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध इन सम्बन्धों का प्रमुख केन्द्र बने रहे और अमरीका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक तथा निवेश साझीदार बना रहा। भारत और अमरीका के बीच एक नई प्रत्यर्पण संधि को अंतिम रूप दिए जाने के निकट है। दोनों सरकारें इस क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने की पक्षधर हैं। राष्ट्रपति क्लिंटन के दूसरी बार चुने जाने के बाद अमरीका में एक नए प्रशासन ने कार्यभार संभाला है दोनों सरकारें शीघ्र उच्च स्तरीय सम्पर्क स्थापित करने की प्रक्रिया में लगी हुई हैं।

केन्द्रीय विद्यालय के कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन

1510. श्री राधा मोहन सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक संघ ने उनकी मांगें स्वीकार न किए जाने पर, अप्रैल, 1997 में केन्द्रीय विद्यालय के कर्मचारियों द्वारा देशव्यापी आन्दोलन की धमकी दी है;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) उनकी मांगों में अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के लिए विशेष वेतन बोर्ड, प्राध्यापकों के रूप में स्नातकोत्तर शिक्षकों को पुनः पदनामित करना, सभी शिक्षकों को आवास तथा सी.जी.एच.एस. की सुविधाएं, +2 स्तर पर अतिरिक्त विषय शुरू करना, संगीत शिक्षकों को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक वेतनमान, स्टाफ की संस्वीकृति हेतु मानदंडों में संशोधन शामिल है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन संगत नियमों तथा प्रक्रिया के अनुसार इन मांगों पर विचार करता है।

एशिया-यूरोप बैठक

1511. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत जनवरी में कलकत्ता में आयोजित भारतीय औद्योगिक परिसंघ भागीदारी बैठक को सम्बोधित करते समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉन मेजर ने यह विश्वास दिलाया था कि उनका देश भविष्य में एशिया-यूरोप सम्मेलन में भारत को शामिल किए जाने का मुद्दा यूरोप और एशिया के देशों के साथ बलपूर्वक उठायेगा;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री द्वारा अब तक क्या प्रयास किए गए हैं;

(ग) क्या एशिया-यूरोप बैठक मंच में भारत को शामिल किए जाने की भारत की आशा अनिश्चित लग रही है क्योंकि एशिया-यूरोप बैठक के अधिकारी यह महसूस करते हैं कि 26 देशों के समूह में नये देशों को शामिल किए जाने का समय अभी नहीं आया है जैसा कि दिल्ली से प्रकाशित 04 फरवरी, 1997 के "फाइनेंशियल एक्सप्रैस" में सूचित किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल): (क) और (ख) भारतीय उद्योग परिसंघ भागीदारी शिखर-सम्मेलन को दिए गए अपने अभिभाषण में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री मेजर ने कहा कि ब्रिटेन ने एशिया-यूरोप सम्मेलन में भारत को शामिल करने का मामला यूरोप और एशिया के अपने साझेदार देशों के साथ बलपूर्वक उठाया है और आगे भी इसे उठाता रहेगा। यह पता चला है कि 14 फरवरी को सिंगापुर में सम्पन्न एशिया-यूरोप के विदेश मंत्रियों की बैठक में ब्रिटेन के विदेश सचिव उनमें से एक थे जिन्होंने भारत को शामिल करने के उद्देश्य से एशिया-यूरोप की सदस्यता के विस्तार की दलील दी थी।

(ग) यह समझा जाता है कि सदस्यता के विस्तार के संबंध में एशिया-यूरोप के विदेश मंत्रियों की बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया गया था। इस प्रश्न का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा और आगे अध्ययन किया जाना है।

(घ) भारत सरकार के दृष्टिकोण के बारे में एशिया-यूरोप के सदस्यों को एक से अधिक बार अवगत करा दिया गया है कि भारत की भागीदारी के बिना एशिया और यूरोप की बैठक करना तर्कसंगत नहीं है।

तटरक्षक संगठन का कार्य-निष्पादन

1512. **श्री संदीपान थोरात** :
श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में तटरक्षक संगठन के कार्य निष्पादन की समीक्षा की गयी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस चुनौतीपूर्ण कार्य को करने हेतु तटरक्षक संगठन के उन्नयन/सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण हेतु की गयी अद्यतन पहलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इस संगठन द्वारा मांगी गयी/खर्च की गई कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ङ) नई परियोजना के संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(च) तटरक्षक संगठन के प्रस्तावों को मंजूर करने में हुए विलम्ब के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू): (क) से (ग) तटरक्षक संगठन अपने सांविधिक कार्य संतोषजनक ढंग से कर रहा है। तथापि, तटरक्षक, संगठन के उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण के लिए समय-समय पर आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। इस संगठन में यथावश्यक सैन्यबल शामिल करके इसे सुदृढ़ भी किया जा रहा है।

(घ) ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	बजट प्राक्कलन	(करोड़ रुपए में) व्यय
1993-94	215.00	213.00
1994-95	230.00	229.00
1995-96	252.00	254.00
1996-97	253.79*	अभी उपलब्ध नहीं है।

*चालू/नई परियोजनाओं के लिए स्वीकृत 150 करोड़ रुपए की राशि समेत।

(ङ) और (च) एक तीव्रगामी गश्ती जलयान का शीघ्र ही जलावतरण किया जाने वाला है और अगले वित्तीय वर्ष में ऐसे दो और जलयान तटरक्षक को सुपुर्द किए जाने हैं। तीन डोरनियर

वायुयान और तीन हेलिकॉप्टर सेवा में शामिल कर लिए गए हैं। 31 मार्च, 1997 से पहले तीन और डोरनियर वायुयान मिलने की संभावना है। बचाव-कार्य के लिए दो हेलिकॉप्टरों के वास्ते हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को मांग-पत्र जारी कर दिया गया है और इनकी सुपुर्दगी वर्ष 1998 के दौरान किए जाने की संभावना है। तटरक्षक संगठन के किसी भी प्रस्ताव को मंजूर करने में कोई अनुचित विलम्ब नहीं हुआ है।

देश में पोत निर्माण

1513. **श्री के. प्रधानी :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में पोत निर्माण को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) इस संबंध में पोत मालिक संघ (शिप ओनर एसोसिएशन) को कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) क्या सरकार ने उन प्रस्तावों को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन): (क) से (ङ) जहाज निर्माण उद्योग को प्रोन्नत करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय शिपयार्डों में निर्मित समुद्रगामी जलयानों के लिए सितम्बर, 1993 में दो वर्ष की अवधि के लिए एक संशोधित मूल्य निर्धारण नीति शुरू की गई थी। इस नीति में अन्य बातों के साथ-साथ आधार मूल्य के अलावा 30 प्रतिशत सब्सिडी (20 प्रतिशत सरकार द्वारा देय तथा 10 प्रतिशत जहाज मालिक द्वारा) की उपलब्धता और 9 प्रतिशत ऋण राशि पर जहाज की लागत के 80 प्रतिशत राशि तक ब्याज के अंतर की सब्सिडी की उपलब्धता की परिकल्पना की गई है।

इस बारे में जहाज मालिक संघ से मंत्रालय में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, सब्सिडी स्कीम, जो सितम्बर, 1995 में समाप्त हो गई है के विस्तार और निर्यात आदेशों को इसमें शामिल करने के लिए भारतीय जहाज मालिक संघ (आई.एस.बी.ए.) से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उनके अनुरोध पर कार्रवाई की गई है तथा अंतर-मंत्रालय परामर्श चल रहा है।

सिंचाई प्रणाली

1514. **श्री भक्त चरण दास :**
श्री येल्लैया नंदी :
डॉ॰ टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सिंचाई प्रणाली को बेहतर बनाने हेतु इसके प्रबंधन में किसानों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में नई दिल्ली में सिंचाई के संबंध में एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो इसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है तथा इस सम्मेलन के क्या परिणाम रहे; और

(ङ) सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्यवाही किए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जल, राज्य का विषय होने के कारण, राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम पारित करके इस संबंध में कानूनी सहायता उपलब्ध करायी जानी है।

(ख) जल संसाधन मंत्रालय ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे जल प्रयोक्ता संघों के गठन के लिए अपने मौजूदा अधिनियमों में आवश्यक सामर्थ्यकारी प्रावधान बनायें। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा एक परामर्शदाता के माध्यम से मौजूदा अधिनियमों में संशोधनों को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य सरकारों, को दिशा-निर्देश प्रदान करने के उद्देश्य से एक मॉडल संशोधन विधेयक तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया गया है।

(ग) जनवरी, 20-22, 1997 के दौरान नई दिल्ली में भागीदारी सिंचाई प्रबंध विषयों पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था।

(घ) ये सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ङ) सिफारिशों पर कार्रवाई की जा रही है। तथापि, भागीदारी, सिंचाई प्रबंध के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई नीचे लिखे अनुसार की गई है :- जल, राज्य का विषय होने के कारण, केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय की भूमिका सहायताकर्त्ता की है। जबकि भागीदारी, सिंचाई प्रबंध का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाना है। 1987 की राष्ट्रीय जल नीति में यह सिफारिश की गई

थी कि सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में किसानों को अधिक से अधिक शामिल किया जाना चाहिए। केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी भागीदार राज्यों को इस बात के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे जल उपयोगकर्त्ता संघों का गठन करके लघु (नहर) स्तर पर किसानों को शामिल करें। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इन संघों को प्रबंध आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अधिकारियों और किसानों के बीच अधिक जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राज्य और परियोजना स्तरों पर भागीदारी सिंचाई प्रबंध पर अनेक सम्मेलनों का आयोजन किया गया। अधिकारियों और किसानों के लिए भागीदारी प्रक्रिया पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्यों को नीतिगत मामलों पर विचार करने और भागीदारी सिंचाई प्रबंध पर दिशा-निर्देश जारी करने के लिए उच्च स्तरीय कार्य दलों का गठन करने की सलाह दी गई है। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा चार क्षेत्रीय भाषाओं में नियम पुस्तिका तैयार करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की गई है। किसान संघों को कानूनी दर्जा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से सिंचाई अधिनियमों में मॉडल संशोधनों का मसौदा तैयार करने सम्बन्धी कार्य प्रगति पर है। जल संसाधन मंत्रालय विभिन्न राज्यों और अन्य देशों में भागीदारी सिंचाई प्रबंध के प्रबंध में सूचना का प्रचार-प्रसार राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों (एन.डी.ओ.) को सशक्त रूप से कर रहा है।

विवरण

भागीदारी सिंचाई प्रबंध पर नई दिल्ली में 20 से 22 जनवरी, 1997 को आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशें

भारत सरकार

1. एक सरकारी संकल्प द्वारा भागीदारी सिंचाई प्रबंध प्रारंभ करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्पष्ट वक्तव्य की आवश्यकता।

2. भागीदारी सिंचाई प्रबंध के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करने तथा नीतिगत संकल्पों का मसौदा तैयार करने में सहायता करने के लिए एक ऐसे राष्ट्रीय कार्यकारी दल का गठन करना जिसमें सरकारी अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों तथा किसानों को शामिल किया जाए।

राज्य स्तर

1. भागीदारी सिंचाई प्रबंध को नीतिगत दस्तावेज के रूप में अपनाने के लिए राज्य सरकारों के संकल्पों का मसौदा तैयार करने में सहायता करने के साथ-साथ नीतिगत दिशा-निर्देश प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारी दल की भांति राज्यों में भी उच्च स्तरीय कार्यकारी दलों का गठन करने की आवश्यकता।

2. भागीदारी सिंचाई प्रबंध के कार्यक्रम के कार्यान्वयन के समन्वय के लिए राज्य स्तर पर स्थायी समिति का गठन।

सिंचाई विभागों में संरचनात्मक परिवर्तन

1. भागीदारी सिंचाई प्रबंध के बेहतर कार्यान्वयन के लिए सिंचाई अभिकरण के अधिक्रम में उपयुक्त स्थानों पर सामाजिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र जैसे अन्य विषयों को शामिल करने की आवश्यकता।

जागरूकता

संघ सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा अधिकाधिक जागरूकता के विभिन्न साधन तथा तकनीकों का प्रयोग करते हुए भागीदारी सिंचाई प्रबंध के विषय में संघ तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों एवं किसानों में जागरूकता पैदा करना। इन उद्देश्यों के लिए सिंचाई अभिकरणों जल एवं भू-प्रबंध सस्थान तथा जल संसाधनों के विकास से सम्बद्ध अन्य संस्थानों का प्रयोग किया जा सकता है।

पुनर्वास

प्रणाली का पुनर्वास युक्तिसंगत तथा परिचालन की अवस्था में होना चाहिए। जल उपयोक्ता संघ को इस प्रणाली का स्थानान्तरण करने के लिए पुनर्वास की पूर्व शर्त होना आवश्यक नहीं है, बल्कि यह आश्वासन दिया जाना चाहिए कि इसे यथोचित अवधि में शुरू कर दिया जाएगा। पुनर्वास की लागत में भारत सरकार, राज्य सरकारों तथा जल उपयोक्ता संघों की हिस्सेदारी होनी चाहिए।

कानूनी परिवर्तन

जल प्रयोक्ता संघों को कानूनी दर्जा देने के लिए राज्य सिंचाई अधिनियमों में संशोधन करना।

गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.एस.) की भूमिका

किसानों को संगठित तथा प्रेरित करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को लगाना/गैर-सरकारी संगठन भी किसानों को प्रेरित तथा संगठित करने के लिए विभागीय कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर सकते हैं।

प्रशिक्षण

सिंचाई अभिकरण, किसानों, जल प्रयोगकर्ता संघों के कार्यकर्ताओं तथा गैर-सरकारी संगठनों के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना। भागीदारी सिंचाई प्रबंध संबंधित जल तथा भूमि प्रबंध जैसे मौजूदा प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता बढ़ाने तथा उनके सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता।

मानीटरिंग तथा मूल्यांकन

कार्यक्रम के कार्यान्वयन के दौरान मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन के लिए उचित उपायों को शुरू करने की आवश्यकता।

महिलाओं की भागीदारी

यह अनुभव किया गया है कि महिलाओं की भागीदारी के बिना कोई भी सामाजिक परिवर्तन सफल नहीं हो सकता। इसलिए भागीदारी सिंचाई प्रबंध कार्यक्रम में महिलाओं को शामिल किया जाना चाहिए।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का दौरा

1515. श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़ : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के हाल के दौरे के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कश्मीर के मामले पर प्रधानमंत्री से बातचीत की थी; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के सुझावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल): (क) और (ख) ब्रिटेन के प्रधानमंत्री द्वारा अभिव्यक्त रूचि के उत्तर में प्रधानमंत्री ने निर्वाचित सरकार की स्थापना के बाद कश्मीर में हो रही गतिविधियों के बारे में उन्हें जानकारी दी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अल-फरान द्वारा बंदी बनाए गए लोगों के सम्बन्ध में अपनी चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने भी उनकी इस बात के प्रति सहमत होते हुए कहा कि सरकार इन बन्धकों का पता लगाने और छुड़ाने के लिए निरन्तर हर प्रयास करने के लिए कृत संकल्प है।

राष्ट्रीय खेलों का स्थान

1516. श्री के.पी. सिंह देव : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मई, 1997 में होने वाले चौथे राष्ट्रीय खेलों के स्थान में परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो ये खेल कहाँ आयोजित करने का विचार है और स्थान बदलने के क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो निर्धारित स्थान पर कार्य के संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) चौथे राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए सरकार द्वारा मेजबान राज्य को कितनी सहायता दी गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि निर्धारित स्थान पर कार्य संतोषजनक रूप से प्रगति पर है।

(घ) कर्नाटक सरकार को राष्ट्रीय खेलों के लिए खेल संबंधी बुनियादी सुविधाओं के सृजन तथा आधुनिकीकरण हेतु 8.00 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया है। इसके अलावा, भारतीय खेल प्राधिकरण को 1.50 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है ताकि वे इस रकम को, बंगलौर में सिंथेटिक हाकी फील्ड तथा एथलेटिक ट्रैक के संस्थापन तथा बंगलौर और मैसूर में स्थित दो इनडोर हालों में सिंथेटिक परतें बिछाने के लिए कर्नाटक सरकार को आगे संवितरित कर सकें।

[हिन्दी]

बिहार में जलाशय योजना

1517. श्री आर.एल.पी. वर्मा : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के विभिन्न जिलों में ऐसी कितनी जलाशय योजनाएं हैं जिनके अंतर्गत निर्माण कार्य 1975 के बाद अधूरा पड़ा है;

(ख) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत और इनके पूरा करने की निर्धारित अवधि कितनी-कितनी है तथा इसमें बीस-पच्चीस वर्षों की अवधि तक विलम्ब किए जाने के क्या कारण हैं जिसके परिणामस्वरूप लागत में दस-पन्द्रह गुना वृध्दि हुई है और किसानों को सिंचाई सुविधा से वंचित रहना पड़ा है;

(ग) क्या सरकार का विचार जनहित में इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए इनकी समयावधि को पुनः निर्धारित करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय जल आयोग ने वर्ष 1996-97 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत कोसी परियोजना के लिए 20 करोड़ रुपये, अपर कोयल परियोजना के लिए 5 करोड़ रुपये तथा दुर्गावती परियोजना के लिए 2 करोड़ रुपये आंबटित किये हैं। उपर्युक्त आबंटन में से 10 करोड़ रुपये, 2.5 करोड़ रुपये तथा

10 करोड़ रुपये उक्त परियोजनाओं के लिए जारी कर दिए गए हैं।

तथापि, इन परियोजनाओं को पूरा करना राज्य सरकार द्वारा उनको दी गई प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

विवरण

क्र.सं.	परियोजनाओं के नाम	लाभान्वित जिले	किस योजना में शुरू की गई	नवीनतम अनुमानित लागत (करोड़ रु० में)
	वृहद परियोजनाएं			
1.	पश्चिमी कोसी नहर	मधुबनी, दरभंगा	III	357.44
2.	अजय बराज	देवधर	V	133.11
3.	सुवर्णरेखा	सिंघभूम	V	1428.89
4.	बरनार	मुंगेर	V	102.38
5.	बटेश्वरनाथ पम्प फेज-1	भागलपुर	V	136.67
6.	बागमती	सितामढ़ी	V	314.67
7.	बाणसागर	भोजपुर रोहतास	V	140.00
8.	दुर्गावती	रोहतास	V	147.40
9.	कोनार	हजारीबाग	V	225.40.
10.	उत्तरी कोयल	पलामू	V	475.00
11.	तिलैया	नवादा, हजारीबाग गया	V	121.83
	मझौली परियोजनाएं			
1.	बटाने	पलामू	V	34.78
2.	बटेश्वरनाथ पम्प फेज-II	भागलपुर	V	24.23
3.	गुमानी	संथाल परगना	V	58.42
4.	झरिहारा	सिंघभूम	V	24.50
5.	कांस	रांची	V	18.40
6.	ओरनी	भागलपुर	V	37.86
7.	सकरीगली	संथाल परगना	V	10.80
8.	तोराई	संथाल परगना	V	56.18

रानीखेत छावनी बोर्ड को नगरपालिका का दर्जा देना

1518. श्री बची सिंह रावत "बचदा" : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में अल्मोड़ा जिले के निवासी रानीखेत छावनी बोर्ड को पिछले कई वर्षों से नगरपालिका का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की उस पर प्रतिक्रिया है; और

(ग) जनता की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 4 में निहित उपबंधों के अनुसार छावनी का कोई हिस्सा संबंधित राज्य सरकार के साथ परामर्श करने के बाद ही छावनी क्षेत्र से अपवर्जित किया जा सकता है। इस प्रकार, यह मामला रक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 1988 में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ उठाया गया था परंतु इस संबंध में अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार की राय प्राप्त नहीं हुई है। अतः इस मामले में अंतिम निर्णय राज्य सरकार के उत्तर पर निर्भर करेगा।

पाकिस्तान द्वारा सैन्य गतिविधियों में वृद्धि

1519. श्री सत्यदेव सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाक सीमा पर घुसपैठ और तस्करी को रोकने हेतु सीमा पर कांटेदार तार लगाने संबंधी भारत की घोषणा के पश्चात् पाकिस्तान की सैन्य गतिविधियां बढ़ गयी हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो पाकिस्तान की बढ़ती हुई सैन्य गतिविधियों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) और (ख) पाकिस्तान की ओर से होने वाली घुसपैठ और तस्करी

की घटनाओं को रोकने के लिए सीमा पर बाड़ लगाने के संबंध में सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप जम्मू-कश्मीर से लगी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी सैन्य बलों द्वारा छोटे शस्त्रों से रुक-रुक कर की जाने वाली गोलीबारी की घटनाओं में वृद्धि हुई है। पाकिस्तान द्वारा की जा रही है इस कार्रवाई का जवाब देने के लिए सीमा सुरक्षा बल की अतिरिक्त तैनाती सहित समुचित व पर्याप्त उपाय किए गए हैं।

अपराह्न 12.02 बजे

[हिन्दी]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद और हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा इनके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(क) (एक) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालोखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 1440/97]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1441/97]

[अनुवाद]

खुदा बख्श ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी पटना का वार्षिक प्रतिवेदन तथा इसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण:

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : मैं श्री एस.आर. बोम्मई की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) (एक) खुदा बख्श ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) खुदा बख्श ओरियन्टल लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1442/97]

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि. 432 (अ) जो 20 सितम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुम्बई पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 1996 को स्वीकृति दी गई है।

(दो) सा.का.नि. 455 (अ) जो 7 अक्टूबर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तनम कर्मचारी (छुट्टी) संशोधन विनियम, 1996 को स्वीकृति दी गई है।

(तीन) सा.का.नि. 536 (अ) जो 22 नवम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कांडला पोर्ट पालयट सर्विस (प्रशिक्षण, श्रेणीकरण और वरिष्ठता) संशोधन विनियम, 1996 को स्वीकृति दी गई है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 1443/97]

(2) (एक) कांडला डॉक श्रम बोर्ड, कांडला के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कांडला डॉक श्रम बोर्ड, कांडला के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपरोक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1444/97]

पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीच्यूट ऑफ मेडीकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन वार्षिक लेखे तथा इसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) (एक) पोस्टग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट आफ मेडीकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पोस्टग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडीकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) पोस्टग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडीकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने मे हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1445/97]

(3) (एक) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1446/97]

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (नियमित सेवारत अध्यापकों के लिए पत्राचार के माध्यम से बी.एड. के लिए दिशा निर्देश) विनियम, 1996

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 की धारा 33 के अन्तर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा (नियमित सेवारत अध्यापकों के लिए पत्राचार के माध्यम से बी. एड. के लिए दिशा निर्देश) विनियम, 1996 जो 6 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. 28-3/96 एनसीटीई में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 1447/97]

(2) सेन्ट्रल तिबेतन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1448/97]

(4) (एक) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 1449/97]

(5) (एक) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1450/97]

अपराह्न 12.04 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

राष्ट्रीय वस्त्र निगम

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय मैं समझता हूँ कि यदि आप, चाहें तो आप वक्तव्य सभा पटल पर रख सकते हैं। यह एक लम्बा वक्तव्य है आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं। यह राष्ट्रीय वस्त्र निगम के बारे में है। यह ढाई पृष्ठ का वक्तव्य है।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : यह बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य है। महोदय, हमें वक्तव्य का अध्ययन करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि0 की स्थापना वर्ष 1968 में की गयी थी जिसका उद्देश्य सरकार द्वारा अधिग्रहीत रुग्ण वस्त्र उपक्रमों के कार्यों को संचालित करना है। राष्ट्रीय वस्त्र निगम में एक धारक कंपनी है जिसके अंतर्गत 9 सहायक निगम तथा 120 मिलें हैं जिनमें कर्मचारियों की संख्या 1.10 लाख है।

एन.टी.सी. की प्राधिकृत शेयर पूंजी 600.00 करोड़ रुपये है जिसमें से 512.10 करोड़ रुपये अभिदत्त है। 31.3.1996 तक की स्थिति अनुसार इसके निवल संचित घाटे 4682 करोड़ रुपये के हैं जिसके कारण इसकी निवल पूंजी में पूरी कमी आ गयी है। एन.टी.सी. के अधीन मिलों को उनके राष्ट्रीयकरण/ अधिग्रहण से ही निरंतर नकदी घाटे हो रहे हैं जिसके लिए उत्तरदायी कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ अप्रचलित मशीनें, अपर्याप्त आधुनिकीकरण, बेशी श्रमिक बल आदि शामिल हैं। 9 सहायक निगमों में से 8 के मामले रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के उपबंधों के अंतर्गत औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) को भेजे गए हैं।

अगस्त, 1992 में सरकार ने एक सर्वांगीण सुधार नीति का अनुमोदन किया था जिसमें अत्यधिक घाटा उठाने वाली 14 मिलों को तत्काल बंद करने, अन्य 35 गैर-अर्थक्षम मिलों को 15 परिणामी अर्थक्षम मिलों में मिलाकर उनका पुनर्निर्माण करने, 79982 कर्मचारियों को सुव्यवस्थित करने, 532.78 करोड़ रुपये की लागत से 55 मिलों का आधुनिकीकरण करने तथा साथ ही 200 करोड़ रुपए के परिव्यय से संक्रमण अवधि के दौरान अंतरिम द्रव्यता की व्यवस्था करने की परिकल्पना की गयी थी। तथापि, वित्तीय संस्थानों के असहयोग तथा बी.आई.एफ.आर. को भेजे गए मामलों के कारण पैकेज को क्रियान्वित नहीं किया जा सका।

तदनन्तर वस्त्र अनुसंधान संघों द्वारा तैयार की गयी आधुनिकीकरण योजना के आधार पर संशोधित सर्वांगीण सुधार योजना बनाई गई। इस पैकेज में 2005.72 करोड़ रुपये की लागत से 79 मिलों का आधुनिकीकरण करना, 36 गैर-अर्थक्षम मिलों को 18 मिलों में मिलाकर उनका पुनर्निर्माण करना तथा स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना के अंतर्गत 32900 कर्मचारियों को शामिल करना निहित है। पुनर्वासन योजना के लिए जरूरी निधि की व्यवस्था बेशी भूमि तथा परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाली धनराशि से की जानी थी। एन.टी.सी. के पास 1514.57 एकड़ बेशी भूमि है जिसका केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा 2389 करोड रुपये मूल्य आंका गया है। इसमें से 1900 करोड़ रुपये से भी अधिक मुंबई स्थित

मिलों की भूमि का मूल्य है। श्रम मंत्रालय की विशेष त्रिपक्षीय समिति ने 9.4.1994 को हुई अपनी बैठक में इस पैकेज का अनुसमर्थन कर दिया था। सरकार ने 9 मई, 1995 को इसका अनुमोदन कर दिया तथा इसे बी.आई.एफ.आर. के समक्ष उसके विचाराधीन प्रस्तुत कर दिया गया था। सरकार के अनुमोदन से विशेष रूप से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि एन.टी.सी. को जब तक बिक्री से प्राप्त होने वाली धनराशि उपलब्ध नहीं हो जाती तब तक वेतन तथा मजदूरियों का भुगतान करने के अलावा पुनर्वासन पैकेज के क्रियान्वयन के लिए कोई बजटीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। यह भी निर्धारित किया गया था कि यह योजना बी.आई.एफ.आर. का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही क्रियान्वित की जाएगी।

बी.आई.एफ.आर. में विचार-विमर्श करने के बाद पीठ ने 4 सहायक निगमों अर्थात एन.टी.सी. (गुजरात), एन.टी.सी. (उ.प्र.), एन.टी.सी. (म.प्र.) तथा एन.टी.सी. (डब्ल्यू.बी.ए.बी.एंड ओ.) के संबंध में यह निष्कर्ष दिया कि इन कंपनियों की निवल पूंजी 8-10 वर्षों की निर्धारित अवधि के भीतर सकारात्मक नहीं बन सकती है तथा इसलिए सर्वांगीण सुधार पैकेज को अस्वीकृत करने तथा उनको बंद करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय लिया। शेष 4 सहायक निगमों अर्थात एन.टी.सी. (एस.एम.), एन.टी.सी. (एम.एन.) एन.टी.सी. (ए.पी. के.के. एम.) तथा एन.टी.सी. (डी.पी.आर.) के संबंध में पीठ ने मसौदा योजाओं को प्रकाशित करने का निर्णय लिया। इन मसौदा योजनाओं में सरकार से अतिरिक्त रियायतों जैसे कि पूरक ऋण व्यवस्था, कार्यशील पूंजी के लिए सरकार की गारंटी, पी.एफ./ई.एस.आई. देयताओं के लिए दंड को माफ करना आदि की परिकल्पना की गई है।

मैं यह बताना चाहूंगा कि इस सर्वांगीण सुधार योजना का क्रियान्वयन, बेशी भूमि/परिसंपतियों को बेचने से प्राप्त होने वाली आय तथा बी.आई.एफ.आर. के अनुमोदन पर निर्भर है। मैं इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बिक्री से प्राप्त होने वाली 80 प्रतिशत से भी अधिक धनराशि, मुंबई में स्थित मिलों की भूमि से प्राप्त होनी है। महाराष्ट्र सरकार अपने विशिष्ट अनुमोदन के बिना मुंबई में स्थित वस्त्र मिलों की भूमि को बेचने की अनुमति नहीं दे रही है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के विकास नियंत्रण विनियमन के उपबंधों के अनुसार भी अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित होगा। अभी तक महाराष्ट्र सरकार ने अपनी स्वीकृति नहीं दी है। मैं यह बताना चाहूंगा कि मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से दो बार मिल चुका हूँ तथा उनके इस आशय के आश्वासन के बावजूद कि वे इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर देखेंगे, महाराष्ट्र सरकार से इस संबंध में कोई सकारात्मक प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

जहाँ तक त्रिपक्षीय समिति के समझौते का संबंध है, सरकार ने आवश्यक कदम उठाए हैं तथापि, बी.आई.एफ.आर. द्वारा निवल पूंजी के सकारात्मक बनने के प्रश्न पर दिए गए निर्वाचन के कारण बी.आई.एफ.आर. द्वारा इस पैकेज का अनुमोदन नहीं किया गया है। बी.आई.एफ.आर. के समक्ष इस मुददे पर जोर देने के लिए विभिन्न प्रयास किए गए थे कि चूंकि सरकार ने सरकारी ऋण तथा ब्याज की वापसी के लिए कोई अन्तिम तारीख घोषित नहीं की है। इसलिए यह पीठ सरकारी ऋण की वापसी के लिए अवधि निर्धारित नहीं कर सकती। तथापि, पीठ ने इस संबंध में कड़े तकनीकी निर्वचन अपनाने का निर्णय लिया है। बजटीय संसाधनों पर निर्भरता के बिना बेशी भूमि की बिक्री से प्राप्त होने वाली धनराशि के आधार पर संशोधित सर्वांगीण सुधार योजना तैयार करना निःसंदेह एक प्रशसंनीय प्रयास है। तथापि, उपरोक्त वर्णित कारणों से इसे कार्यान्वित करना व्यावहारिक नहीं है। इसके अतिरिक्त; इस योजना में एक अन्तर्निहित दोष है कि इसने निवल पूंजी के महत्वपूर्ण कारक की अनदेखी की है जो कि बी.आई.एफ.आर. द्वारा अपनाई गई अर्थक्षमता के लिए प्रमुख निर्धारक है।

उपरोक्त वर्णित कारणों तथा इस तथ्य को देखते हुए कि बेशी भूमि की बिक्री से प्राप्त होने वाली आय पुनर्वासन में निवेश के लिए उपलब्ध नहीं थी, वर्ष 1995 के सर्वांगीण सुधार पैकेज का कार्यान्वयन नहीं किया जा सका । इसके अतिरिक्त बी आई एफ आर ने निष्कर्ष निकाला कि एन टी सी के चार सहायक निगमों को वर्ष 1995 के पैकेज में सम्मिलित रियायतों के साथ पुनर्वासित नहीं किया जा सकता तथा इसने उन्हें बन्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए हैं। शेष चार सहायक निगमों के लिए मसौदा योजनाएं जिसके लिए सरकार से रियायतें आवश्यक हैं, प्रकाशित कर दी गई हैं। इस पृष्ठभूमि में एन.टी.सी. (धारक कम्पनी) ने सरकार द्वारा 1995 में सहमत रियायतों तथा निवल पूंजी के सकारात्मक बनने की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए एकक-वार अर्थक्षमता की समीक्षा की है। एन.टी.सी. (धारक कम्पनी) की रिपोर्ट इस समय सरकार के विचाराधीन है।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, यह क्या है ? पिछली सरकार के राष्ट्रीय वस्त्र निगम को अर्थक्षम बनाने संबंधी पैकेज का क्या हुआ ? *(व्यवधान)* यह बहुत गम्भीर मामला है।

श्री रूप चन्द पाल (हुगली) : महोदय, इस वक्तव्य में कुछ भी नहीं बताया गया है। इसमें कुछ नहीं बताया गया है ....*(व्यवधान)*

श्री पी. आर. दासमुंशी (हावड़ा) : हम इस पर तत्काल चर्चा चाहते हैं।....*(व्यवधान)* वक्तव्य में कुछ नहीं है बल्कि कामगारों की हत्या है।

कुमारी ममता बनर्जी : सरकार की कार्यवाही से राष्ट्रीय वस्त्र निगम के लाखों कामगार भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं.. ..*(व्यवधान)* विभिन्न भागों में उन्हें मजदूरी और वेतन का भुगतान पहले ही रोक दिया गया है।

श्री पी. आर. दासमुंशी : महोदय, आप इस संबंध में प्रयास कर रहे हैं.....*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : सरकार ने पश्चिम बंगाल सहित देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय वस्त्र निगम मिलों की यूनिट वार पुनरीक्षा करने का वचन दिया था।....*(व्यवधान)*

श्री पी. आर. दासमुंशी : महोदय, आप अपने विचार व्यक्त करिए। आपने पूरी बात को शुरू किया....*(व्यवधान)* आप देखिए कि वक्तव्य मे किस प्रकार इसकी व्याख्या की जा रही है।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, सरकार को अवश्य ही राष्ट्रीय वस्त्र निगम मिलों के लिए पुनर्वासन पैकेज हेतु दृढ़ कदम उठाना चाहिए और सरकार को मिलों को बंद नहीं करना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण मामला है। इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, सरकार ने अभी पूरा उत्तर नहीं दिया है। इस संबंध में निर्णय लेने में और विलम्ब की गुंजाइश नहीं है।

श्री पी. आर. दासमुंशी : महोदय, सदन में एक घोषणा की जानी चाहिए। महोदय, आपने स्वयं कामगारों के संबंध में दिन रात कड़ी मेहनत की है। आप कामगारों के भविष्य की ओर ध्यान दें। आप देखें कि इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ...*(व्यवधान)* महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मंत्री महोदय को इस संबंध में नेताओं के साथ चर्चा करने का निर्देश दें। ..*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, मैं अभी चर्चा की मांग नहीं कर रहा हूँ। अगर सदस्य किसी नियम के अन्तर्गत चर्चा की मांग करते हैं, तो आप उस पर विचार करिए।

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमने इसीलिए सजेस्ट किया था कि वक्तव्य पढ़ने की जरूरत नहीं है। वक्तव्य टेबल पर रख दिया जाए। वक्तव्य पढ़ दिया गया है और हम क्लैरिफिकेशन मांग नहीं सकते हैं। हम आपसे चर्चा के लिए समय मांग रहे हैं। ....(व्यवधान)

श्री पी.आर. दासमुंशी : नियम 193 में कर दीजिए। ....(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : महोदय, नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा की अनुमति दें।

श्री पी.आर. दासमुंशी : जी हाँ, महोदय। आप नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा की अनुमति दें ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ कि वाजपेयी जी ठीक कह रहे हैं।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे बोलने दीजिए। मेरे विचार में मंत्री महोदय ने तथ्यात्मक वक्तव्य दिया है। मैं जानता हूँ कि सदस्य वक्तव्य से संतुष्ट नहीं हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं यह भलीभांति जानता हूँ। इसलिए इस वक्तव्य के आधार पर यदि माननीय सदस्य चर्चा की इच्छा रखते हैं तो वे नियमों और प्रक्रिया के उपबन्धों के अन्तर्गत सूचना दे सकते हैं। आप इस विषय में जो भी कार्यवाही चाहेंगे। मैं निश्चित रूप से उस पर विचार करूंगा।

श्री शरद पवार (बारामती) : महोदय, हमने सूचना दी है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री शरद पवार : हमने नियम 193 के अन्तर्गत सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : मेरी तरफ से आप किसी भी संगत नियम के अन्तर्गत सूचना दे सकते हैं। इन नियमों में से आप कोई भी चुन सकते हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अल्प-कालीन चर्चा आदि जैसे कई माध्यम हैं आप इनमें से चुन सकते हैं। मेरा इसके प्रति सहानुभूतिपूर्वक रवैया रहेगा।

....*(व्यवधान)*

श्री सनत मेहता (सुरेन्द्र नगर) : महोदय, हमने सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इससे अधिक उदार नहीं हो सकता। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सनत मेहता, कृपया बैठ जाइए। मैं इससे अधिक उदार नहीं हो सकता।

श्री सनत मेहता : हमने सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझसे इससे अधिक और कितनी उदारता चाहते हैं ?

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.13½ बजे

राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान विधेयक*

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : महोदय, श्री शीश राम ओला की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान के नाम से ज्ञात संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने और उसे निगमन तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान के नाम से ज्ञात संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने और उसे निगमन तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।**

अपराह्न 12.14 बजे

उत्तर प्रदेश में संवैधानिक संकट तथा वहां से राज्यपाल को वापस बुलाए जाने के बारे में नियम 184 के अधीन प्रस्ताव स्वीकार किए जाने का प्रश्न

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः उसी मुद्दे को उठाना चाहता हूँ जो कि मैंने जब पिछले शुक्रवार को उठाना चाहा तो आपने कृपापूर्वक यह सुझाव दिया कि आप आज उसे फिर मुद्दे को उठाने की अनुमति देंगे।

महोदय, जो मुद्दा मैं उठा रहा हूँ इसमें आपसे यह निवेदन है कि नियम 184 के अधीन इस प्रस्ताव पर विचार करने से पूर्व मैं समझता हूँ कि इस का मूल पाठ पढ़ना आवश्यक है। मेरा निवेदन है :

"कि यह सभा उत्तर प्रदेश राज्य की संवैधानिक संकटस्थिति की ओर गम्भीरता से ध्यान देते हुए जो कि वहां फैली व्यापक अराजकता, से जिसे केन्द्रीय गृह मंत्री ने "अव्यवस्था, अराजकता, विनाश" बताया है से परिलक्षित होती है; राज्यपाल द्वारा केन्द्र सरकार के इस मूल्यांकन को अस्वीकार करना और उनका यह स्पष्टीकरण कि, "उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की है; अतः यह सभा अब कृतसंकल्प है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को तत्काल वापस बुलाया जाए।"

महोदय, मैं अपने विवेचन के गुणों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल तथ्यों की बात कर रहा हूँ और मेरा आपसे निवेदन है कि इस सभा में उच्च पदों पर आसीन पदाधिकारियों पर चर्चा सीमित रूप से ही की जा सकती है। महोदय, मुद्दे से जुड़े तथ्य क्या हैं, इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। तथा यह बात सदन के कार्यवाही वृतान्त में भी सम्मिलित है कि केन्द्रीय गृह मंत्री ने उत्तर प्रदेश राज्य को 'अव्यवस्था, अराजकता और विनाश' के समीप बतायी है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने जो कुछ कहा है तत्पश्चात् इसकी प्रतिक्रिया में उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल ने विभिन्न अवसरों पर जो कहा वह सब कुछ न दोहराकर मैं केवल एक उदाहरण देता हूँ जिसे मैं उचित समझता हूँ:

"मैंने प्रधानमंत्री जी से बात की है और वह कानून और व्यवस्था की स्थिति से पूरी तरह संतुष्ट हैं।"

उन्होंने यह भी कहा है गृहमंत्री द्वारा लोक सभा में वक्तव्य देने से बहुत पहले भी प्रधानमंत्री के पास उत्तर प्रदेश के अपराध संबंधी आंकड़े थे। इस विशेष सत्यघोषणा के पीछे अनेक पूर्वानुमान और सुझाव हैं जिनको मैं अत्यन्त परेशान करने वाला समझता हूँ। तीसरा, उन्होंने कहा है, "मैंने गृह मंत्री से नहीं पूछा कि उन्होंने किस आधार पर उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।"

तत्पश्चात्, इससे राज़ी न होकर महामहिम राज्यपाल ने एक अन्य अवसर पर पत्रकारों के साथ एक भेंट में इस संबंध में यह शब्द कहे, कि चूँकि केन्द्रीय गृह मंत्री एकमत स्थापित करना चाहते थे अतः उन्होंने जो किया वही कहा। हाँ, एकराय पर किस संबंध में ? उन्होंने केन्द्रीय गृह मंत्री के वक्तव्य के संबंध में तथ्यात्मक आधार को अस्वीकार किया है और फिर कहते हैं कि वह एकमत स्थापित करना चाहते थे।

इससे भी संतुष्ट न होकर, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने न केवल निम्नलिखित शब्द कहना ही उचित समझा, परन्तु इनको सामाचार पत्रों के लिए जारी करना भी उचित समझा। मुख्य सचिव ने कहा :

"उत्तर प्रदेश की तथाकथित बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति के संबंध में नई दिल्ली से जारी विज्ञप्तियां समाचार पत्रों में पढ़ कर हमें अत्यंत खेद हो रहा है"।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-2 दिनांक 3.3.1997 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अतः जो निवेदन मैं कर रहा हूँ उसका सारांश यह है कि उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल इस बात का दावा करते हैं कि केन्द्रीय गृहमंत्री ने लोक सभा में जो कुछ कहा है कि वह तथ्यों पर आधारित नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय न केवल उत्तर प्रदेश राज्य की परिस्थितियों से संतुष्ट हैं, परन्तु राज्यपाल ने भी इस संबंध में प्रधानमंत्री से बातचीत की है कि प्रधानमंत्री के पास अपराध के आंकड़े हैं, और गृहमंत्री ने पूर्णरूप से अनावश्यक और ऐच्छिक टिप्पणी की है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अपराध आंकड़ों के संबंध में कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है।

महोदय, अब मैं उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था की स्थिति के संबध में चर्चा करूंगा। ठीक ही है कि जब उत्तर प्रदेश के बजट के संबंध में चर्चा की जाए तो उस समय वहां की कानून और व्यवस्था की स्थिति की भी चर्चा करनी चाहिए तथा इन सम्भावनाओं पर भी चर्चा की जानी चाहिए कि क्या राष्ट्रपति शासन निरस्त किया जाए, बढ़ा दिया जाए अथवा विधान सभा भंग की जाए अथवा क्या किया जाए। मैं भी मंत्रिमंडल की सामूहिक दायित्व के प्रश्न के पक्ष में नहीं हूँ और क्या केन्द्रीय गृहमंत्री का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री अथवा मंत्रिमंडल के किसी मंत्री के दृष्टिकोण से भिन्न है। मंत्रिमंडल के मंत्रियों, विशेषकर इस प्रकार की सरकार के मंत्रियों का दृष्टिकोण अलग ही होगा। क्या उन्हें जनता के समक्ष अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है या नहीं, एक अलग बात है, और यह आवश्यक नहीं है कि यह विषय इस चर्चा के अन्तर्गत आये।

महोदय, मैं राज्यपाल के आचरण के और राज्यपाल के पद की संवैधानिक स्थिति क्या है इसका उल्लेख मैं कर रहा हूँ इस संदर्भ में मैं आपसे कौल और शकधर द्वारा रचित पुस्तक के पृष्ठ 930 से 934 पर एक नजर डालने का अनुरोध करता हूँ। इस में कहा गया है कि राज्यपाल का कृत्य अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति की ओर से मुख्य कार्यकारी का कार्य करना भी है। फिर मैं पृष्ठ 931 पर आता हूँ। इसमें लिखा गया है :

> "राज्यपाल अधिकतर मामलों में राज्य (सरकार) के तन्त्र के भाग के रूप में कार्य करता है, किन्तु, इसके साथ ही उनका कर्त्तव्य केन्द्र को सूचित करने का भी है।"

राज्यपाल द्वारा केन्द्र सरकार को सूचित करने के विषय में मैं और उद्धरण देता हूँ:

> "सूचना देने का कर्त्तव्य अनुच्छेद 365 के अन्तर्गत प्राप्त है और इसका उल्लेख विशेष रूप से अनुच्छेद 356 में किया गया है। केन्द्र सरकार का कर्त्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के उपबन्धों के अनुसार चलाई जाए।"

महोदय, मैं अब आपका ध्यान कौल और शकधर द्वारा रचित पुस्तक के पृष्ठ 932 की ओर दिलाता हूँ जो अत्यंत प्रासंगिक है:

> "राज्यपाल का संवैधानिक कर्त्तव्य अपने कार्यकारी शक्तियों का उपयोग इस प्रकार करते हैं ताकि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन सुनिश्चित हो और दूसरा केन्द्र को कार्यकारी व्यक्तियों के उपयोग में न तो बाधा डालना और न ही इसमें अड़चन डालना है।"

मैं इस अन्तिम वाक्य को दोहराना आवश्यक समझता हूँ :

> "संघ (केन्द्र) को कार्यकारी शक्तियों के उपयोग में न बाधा डालें और न ही अड़चन पैदा करें।"

यह संवैधानिक उपबंध है। मैं समझता हूँ कि क्यों और कैसे के वास्तविक भाग पर चर्चा करने से पूर्व हम राज्यपाल की भूमिका पर चर्चा करें कि हम क्या कर सकते हैं। इस संदर्भ में भी मैं आप का ध्यान कौल ओर शकधर की रचना के पृष्ठ 817 की ओर दिलाता हूँ। यदि हमें राज्यपाल की भूमिका और कृत्य पर चर्चा करनी है तो संसद के नियम और प्रक्रिया हमें क्या करने की अनुमति दे रहे हैं। इसमें कहा गया है :

> "उच्च पदाधिकारियों के आचरण पर प्रासंगिक तौर पर शंका नहीं की जा सकती है ...."

हम इस पर प्रासंगिक तौर पर शंका व्यक्त नहीं कर रहे हैं। इसमें आगे लिखा है :

> "संविधान में इस बात की व्यवस्था है कि कुछ अधिकारियों के आचरण पर उसी प्रकार चर्चा की जानी चाहिए जैसे कि इसमें लिखा हुआ है।"

महोदय, हम राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचरण पर भी चर्चा कर सकते हैं। हमने इस सदन में इस प्रकार की चर्चाएं की भी हैं। हम भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के संबंध में और मुख्य चुनाव आयुक्त के संबंध में भी चर्चा कर सकते हैं। हाँ एक विशेष उल्लेख भी है, मैं उद्धरण देता हूँ :

> "राज्यपाल, मंत्री, सांविधिक अधिकारी जैसे अन्य उच्च अधिकारियों के संबंध में अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत रूप में उचित प्रस्ताव के अन्तर्गत चर्चा की जा सकती है।"

महोदय, मैं आप को उद्धरण देना चाहता हूँ कि सभा ने इसी सदन में राज्यपालों के संबंध में चर्चा की है। विगत में ऐसा हुआ है। राज्यपाल की भूमिका, कृत्य और आचरण पर सामान्य रूप से चर्चा हुई है। पांचवीं लोक सभा में उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों

के संबंध में एक ही समय चर्चा हुई। यह एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। जैसा कि होता है कि चर्चा भी 23 फरवरी, 1970 को ही हुई।

यदि हमें ऐसा करना है तो मेरा निवेदन भी यही है? मेरा निवेदन है कि यहां पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिसमें महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ने कुछ इस प्रकार काम किये हैं जिससे संघ की कार्यकारी शक्ति में न केवल बाधा आई है परन्तु इसके संबंध में पूर्वधारणा भी बनी है। उन्होंने कुछ ऐसे दावे किए हैं जो केन्द्र सरकार अतः संसद, अतः कार्यकारी अधिकारी जिसके प्रति वे उत्तरदायी हैं ने जो कहा है। उन्होंने खंडन उसका किया है अतः इसीलिए इस पर प्रश्न किया गया है। उन्होंने अपने मुख्य सचिव को लिखित और सार्वजनिक रूप से केन्द्रीय गृह मंत्री की शक्ति पर आपत्ति करने के लिए प्रेरित किया, जिससे पुनः राज्य की कार्यकारी प्रक्रिया के कार्यकरण में बाधा पड़ती है और संसद की भूमिका और कार्यकरण पर भी संदेह होता है। क्या कानून और व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक है या नहीं? क्या इस मामले में मंत्रिमंडल की एक राय है अथवा नहीं, यह एक अलग प्रश्न है। महोदय, राज्यपाल ने स्पष्ट रूप से नियमों का अतिक्रमण किया है। अतः मेरा स्पष्ट रूप से यह निवेदन है कि संसद को इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। अतः तीसरी बात यह है कि इस विषय को मूल प्रस्ताव के अंतर्गत चर्चा करने का ही विकल्प है। वह मूल प्रस्ताव मैंने नियम 184 के अधीन आप के विचारार्थ प्रस्तुत किया है।

यह एक मौलिक प्रस्ताव है। यही केवल एक ऐसा प्रस्ताव है जिसके अन्तर्गत हम किसी राज्यपाल की भूमिका और उसके आचरण पर चर्चा कर सकते हैं।

महोदय, मेरा यही निवेदन है। इस प्रस्ताव पर आपकी सहमति के लिए मैं आपका आभारी होऊंगा। धन्यवाद

अध्यक्ष महोदय : मैं नही समझता कि हमें इसके विस्तार में जाने की आवश्यकता है। क्योंकि इस पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है। बस अब इसमें कुछ एक अतिरिक्त मुद्दे हैं।

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानाल) : महोदय मैं इसके विस्तार में नही जा रहा हूँ। लेकिन मैं इस मुद्दे पर निश्चित रूप से आपका और सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं इस पर वाद-विवाद नहीं चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यह काफी संवेदनशील मुद्दा है। मेरा आपसे और आपके माध्यम से अपने सहयोगियों से यह निवेदन है कि एक जांची-परखी और सुस्थापित प्रक्रिया है। जो 15 अगस्त, 1997 से जब से इन्डियन आर्मी का जन्म हुआ, समय के परीक्षण पर खरी उतरी है।

मात्र तीन दिन पहले भारत सरकार द्वारा एक निर्णय लिया गया था।

अध्यक्ष महोदय : सिंह देव जी, एक मिनट। इस समय इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे हैं।

श्री के.पी. सिंह देव : क्षमा कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझा कि आप उसी विषय की बात कर रहे हैं। मैं आपको बाद में अवसर दूंगा। क्या कोई और भी है जो उसी विषय पर बोलना चाहता हो।

[हिन्दी]

श्री रामसागर (बाराबंकी) : माननीय अध्यक्ष जी, अभी औचित्य का मामला उठाया गया। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, महामहिम राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में सम्मानित सदन की कुछ परम्पराएं रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, आपसे पहले जब आदरणीय शिवराज पाटिल जी अध्यक्ष थे, उस समय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में चर्चा करने का एक मामला लोक सभा में उठाया गया था। उन्होंने परम्पराओं के अनुसार उस पर चर्चा की इजाजत नहीं दी थी। ऐसा करके सदन में एक उच्च परम्परा स्थापित की गई थी। यह माना कि उत्तर प्रदेश में एक राजनैतिक हत्या हुई है .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात कहने दो।

[हिन्दी]

श्री रामसागर : आप सुन तो लो। अखबारों में भी यह बात आ रही है.....**(व्यवधान)* यहाँ पर वाजपेयी जी, जसवन्त सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने वहां की कानून और व्यवस्था की स्थिति का जिक्र किया....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ः पाठक (अहमदाबाद) : महोदय, यह अत्यन्त आपत्तिजनक है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप मुद्दे तक सीमित रहिए।

[हिन्दी]

श्री रामसागर : मैं सदन का सदस्य था....*(व्यवधान)* गोरखपुर में शारदा प्रसाद रावत जो कि विधायक थे, मंत्री भी थे और पूरे पूर्वांचल के नेता थे, उनकी हत्या कल्याण सिंह जी के समय में हुई थी....*(व्यवधान)*

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह बात इससे ताल्लुक नहीं रखती। अभी नियम 184 के अधीन चर्चा हो रही है।

श्री रामसागर : केवल बदनाम करने के लिए ही उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक हत्या हुई...*(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है। आप एक बात सुनिए। ....(व्यवधान)

श्री रामसागर : अध्यक्ष महोदय, सदन की कुछ परम्पराएं हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह बाद में होगा।

.....(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इसे पेचीदा क्यों बनवा रहे हैं। मुझे इसे निपटाने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री रामसागर : अध्यक्ष महोदय,* माननीय सदन की कुछ परम्पराएं हैं। चाहे राष्ट्रपति का सवाल हो, चाहे उपराष्ट्रपति का सवाल हो या राज्यपाल का सवाल हो, इनकी एक मर्यादा है। वे राज पुरुष हैं। वाजपेयी जी और उनके दल के लोग उनके बारे में सदन के बाहर आलोचना कर रहे हैं। यह बिल्कुल गलत बात है।.....(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब वे मुद्दे पर बोल रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रामसागर : परम्पराओं के अनुसार राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता।.....(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर): क्या इसे कार्यवाही वृतांत में शामिल किया जाएगा।

[हिन्दी]

माननीय सदस्य ने जो कहा, यह रिकॉर्ड में नहीं जाना चाहिए।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : अध्यक्ष महोदय, इनका आरोप आपत्तिजनक है। अब हत्यारों को बचाने का षडयंत्र रचा जा रहा है....(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं निश्चित रूप से रिकार्ड का अध्ययन करूंगा।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने वादा किया है कि रिकार्ड का अध्ययन करूंगा।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य ने जो कहा है, उसे उसी तरह से वापस ले लें तो अच्छा होगा। सदन में इस तरह की बातें कहना गलत हैं। यहाँ कुछ मर्यादा रखनी चाहिए। अगर इस तरह की बातें जाएंगी तो किसी हत्या की पुष्टि नहीं हो सकेगी। मुझे याद है ....(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : उस मामले की सी.बी.आई. जांच कर रही है।

श्री चन्द्रशेखर : मुझे याद है कि मुलायम सिंह जी ने भी कहा था कि यह हत्या बड़ा जघन्य अपराध है और इसकी सी. बी.आई. द्वारा जांच होनी चाहिए।

इस स्थिति में जब उस बारे में जो भी अखबारों में आ रहा हो, सब की संसद में कहने की जिम्मेदारी नहीं है और न ही कोई औचित्य होता है। कम से कम वह पोर्शन वापस लेना चाहिए। इस सदन की मर्यादा है। उन मामलों में इनकी क्या राय है?

श्री रामसागर : अध्यक्ष महोदय, अगर इस तरह की बात है तो उसे मैं वापस ले रहा हूँ, लेकिन जब अखबारों में आ रहा है....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे वापस ले रहे हैं।

[अनुवाद]

इसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा। मैं ऐसा कर सकता हूँ।

श्री सत्य पाल जैन (चण्डीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, वे वापस ले रहे हैं लेकिन कह भी रहे कि अखबारों में आ रहा है और इन्हीं लोगों ने किया है...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन श्री जसवंत सिंह जी ने विस्तार से कह दिया है। इस समय जो मामला विचाराधीन है, वह बहुत सीमित है कि क्या राज्यपाल के आचरण पर सदन में चर्चा हो सकती है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको उसका उत्तर नहीं देना है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं 40 साल से पार्लियामेंट का मैम्बर हूँ। जैसा कि श्री जसंवत सिंह जी ने बताया है कि हम राज्यपाल के आचरण पर चर्चा कर चुके हैं और इसलिये मेरा निवेदन है कि विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप हमें अनुमति दीजिए। उधर बहुमत है तो फिर डर काहे का है? सच्चाई का डर तो नहीं होना चाहिये क्योंकि सच्चाई का फैसला यहां बहुमत से होता है, अल्पमत से नहीं।

श्री शत्रुघन प्रसाद सिंह (बलिया, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, कोई डर नहीं है, चर्चा हो और जमकर चर्चा हो।

[अनुवाद]

श्री सन्तोष मोहन देव (सिल्चर) : पिछली बार जब यह प्रस्ताव सामने आया था तो आपने अपना मत व्यक्त किया था और आपसे इसे नियम 193 के अन्तर्गत स्वीकृत भी किया था। अब श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री जसंवत सिंह पिछली बात को छोड़कर एक नया आयाम से आए हैं, उनका मुख्य मुद्दा राज्यपाल जो केन्द्र सरकार और गृहमंत्री का प्रतिबोध बन गया है, का आचरण है इस पर हम आड़े नहीं आ रहे हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि उक्त मामले को नियम 193 के अन्तर्गत स्वीकृत कर लिया गया है। यदि इसका प्रयोजन सरकार की निन्दा करना है और जैसा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, बहुमत उनके साथ है, तो इस पर चर्चा करने का प्रयोजन ही क्या रह गया है? एक लम्बी प्रक्रिया होगी इसलिए हमें इस मुद्दे पर नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा करनी चाहिए, यही सबसे अच्छी बात होगी। यदि हम पुनः पीछे जाते हैं तो भविष्य में आप एक बात अस्वीकार करोगे। एक दूसरा प्रावधान आएगा और राज्यपाल इस सभा में स्वयं का बचाव कर पाने में असमर्थ रहेगा। यह ठीक नहीं होगा। सबसे अच्छी बात यह है, जिस पर उस दिन निर्णय हुआ कि एक सलाहकार समिति बनाई जानी चाहिए और उत्तर प्रदेश का नियंत्रण पूर्णतया राज्यपाल के अधीन नहीं होना चाहिए बल्कि सलाहकार समिति में संसद के प्रतिनिधि होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है। प्रशासन में उनकी बात बेहतर ढंग से मानी जाएगी और ऐसा ही होना चाहिए। हमारी यही राय है।

श्री जसवंत सिंह : मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सलाहकार समिति की स्थापना का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। जहां तक विनिर्दिष्ट मुद्दे पर नियम 193 बनाम 184 का संबंध है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे माननीय मित्र और एक अच्छे सहयोगी यह अच्छी तरह जानते हैं कि हम इस मामले पर मूल प्रस्ताव के अन्तर्गत ही चर्चा करना चाहते हैं। यह सामान्य रूप से एक अल्पकालीन चर्चा है। आप इस मुद्दे पर बाहर बात कर सकते हैं। आप राज्यपाल के आचरण पर नियम 193 के अधीन चर्चा नहीं कर सकते हैं। उपलब्ध नियम केवल 184 ही है। मेरा यही निवेदन है।

श्री चन्द्र शेखर : मुझे खेद है कि मुझे कुछ वह कहना है कि जो श्री जसंवत सिंह जी को अच्छा नहीं लगेगा। मुझे मालूम है कि इस सभा में और इसके बाहर कुछ घटित हुआ है जो एक विक्षुब्ध करने वाली स्थिति है। विशेषकर श्री इन्द्रजीत गुप्त, भारत के गृह मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा दिए गए वक्तव्य और कुछ हद तक उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के वक्तव्य से उत्पन्न विरोधाभास के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। संसदीय लोकतंत्र में इसकी अपेक्षा नहीं की जाती। मैं नहीं जानता कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं और मैं यह भी नहीं जानता कि यदि आप इस मामले पर चर्चा प्रारम्भ करते हैं, हम इसे पसन्द करेंगे या नहीं। राज्यपाल के आचरण के बारे में क्या स्थिति उत्पन्न होगी। श्री जसवंत सिंह ने कहा कि वे राज्यपाल के आचरण पर चर्चा नहीं करना चाहते बल्कि इस विशिष्ट मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं।

इस विशिष्ट मुद्दे पर उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मामले पर प्रधानमंत्री जी से चर्चा की थी और प्रधानमंत्री राज्यपाल के कार्यकाल और उत्तर प्रदेश की मौजूदा स्थिति से पूर्णतया सन्तुष्ट थे। यह एक ऐसा मामला है जिसमें सरकार को स्वयं आगे आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। इस बारे में एक वक्तव्य देना चाहिए कि वास्तविक स्थिति क्या है क्योंकि यदि गृह मंत्री राज्यपाल और मुख्य सचिव के वक्तव्यों में विरोधाभास सामने आता है तो सरकार के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह एक सुस्पष्ट वक्तव्य देकर स्थति को स्पष्ट करे। यह एक अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी जब बाहर यह संकेत जाएगा कि गृहमंत्री और प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश राज्य और वहां मौजूदा स्थिति के महत्वपूर्ण मुद्दे पर सहमत नहीं हैं। इस आधार पर यदि कोई चर्चा होती है तो मैं समझ सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि तकनीकी रूप से वे सही हो सकते हैं। लेकिन व्यावहारिक रूप से यह एक गलत परम्परा होगी। मैं नहीं जानता, मुझे याद नहीं कि क्या चर्चा हुई थी।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह : हुआ है।

श्री चन्द्रशेखर : हुआ होगा।

[अनुवाद]

लेकिन तब स्थिति भिन्न थी और संसद भिन्न थी *.....(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदय, संसद भी वही है और नियम भी वही है।*.....(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : संसद का गठन भिन्न था। मैं समझता हूँ कि श्री चन्द्रशेखर यही कहना चाहते हैं।

....(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : लेकिन इस पर विचार नहीं किया जाना है।*....(व्यवधान)*

श्री चन्द्र शेखर : ऐसा नहीं होना चाहिए कि संसद वही है। नियम वही है। लेकिन श्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे सदस्य बहुत कम हैं *.....(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजयेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं तो वहीं हूँ*....(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर : आप वही हैं। लेकिन आपकी बहुत कम भागीदारी है।*....(व्यवधान)*

डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : आपको भी वही रहना चाहिए*....(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि यह उचित होगा कि कोई मध्यमार्ग निकाला जाए। यह बेहतर होगा यदि हम ऐसी चर्चा से बचें जिनका केन्द्र राज्यपाल का आचरण हो।

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी (शाहबाद) : अध्यक्ष महोदय, इसी मुद्दे को 184 के तहत लाने पर पहले चर्चा हो चुकी है। आप एक बार उसको रिजैक्ट कर चुके हैं और आपने एक रूलिंग भी दी थी कि उत्तर प्रदेश के सांसदों की एक समिति बना दी जाए जो राज्यपाल के सलाहकार के तौर पर काम करे। मैं नहीं समझता कि जब आपने एक निर्णय दे दिया है तो अब तो चाहिए कि सरकार वह समिति बना दे और इस पर चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है।

जहां तक एक बड़ी राजनीतिक हत्या का सवाल है, मैं उसमें नहीं उलझना चाहता, लेकिन एक सवाल मैं जरूर अपने सीनियर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से करना चाहता हूँ कि राजनीतिक हत्या बहुत बुरी चीज है चाहे वह उत्तर प्रदेश में हो चाहे बंबई में हो, चाहे कहीं और हो। बंबई में सबसे ज्यादा राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। कई माननीय विधायक मारे गए, मैनेजमेंट क्लास के कई दर्जन लोग मारे गए ओर रोज ऐसा हो रहा है। *....(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : ये क्या बोल रहे हैं ?*....(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आजमी जी, सवाल यह नहीं है।

श्री इलियास आजमी : आठ दिन पहले मेरा एक रिश्तेदार मारा गया।*.....(व्यवधान)* आप सुन लीजिए।*....(व्यवधान)* मैं किसी को सफाई नहीं दे रहा हूँ*....(व्यवधान)* मैं किसी को सफाई देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ। मैं न इधर का हूँ और न उधर का हूँ। डॉ॰ दत्ता सामन्त जो देश के नंबर वन के ट्रेड यूनियन लीडर थे, अभी उनकी हत्या हुई है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि महाराष्ट्र में हत्या हुई है तो यू.पी. में भी हत्या होगी। *.....(व्यवधान)*

डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह विषय सदन में चर्चा के लिए कैसे आ सकता है ? *....(व्यवधान)*

श्री इलियास आजमी : एक बार चर्चा हो चुकी है। आप अपना निर्णय दे चुके हैं। आपने यह भी निर्णय दिया है कि उत्तर प्रदेश के सांसदों की एक सलाहकार समिति राज्यपाल के लिए बना दी जाए। मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा कोई सौल्यूशन नहीं है और इस पर ज्यादा बहस की कोई जरूरत नहीं है।*....(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं बाद में आपके पास आऊंगा।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बृजभूषण तिवारी (डुमरियागंज) : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि आपने अपनी व्यवस्था में यह स्पष्ट तौर पर कहा था कि जब 184 के तहत माननीय अटल जी, जसवंत सिंह जी और अन्य लोगों के नोटिस थे तब आपने यह कहा था कि यद्यपि धन्यवाद प्रस्ताव के मौके पर या बहुत ऐसे अवसर आयेंगे जिसमें उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था पर विशद चर्चा की जा सकती है। चूंकि गृह मंत्री जी का एक ऐसा बयान आया है इसलिए इसके महत्व को देखते हुए हम यह महसूस करते हैं कि इस पर चर्चा हो और इसलिए आपने नियम 193 के तहत चर्चा करने की बात स्वीकार कर ली थी। परंतु आज जो एक नया प्रस्ताव लाकर राज्यपाल के आचरण के संबंध में जो बात कही जा रही है, तो विषय वस्तु वही है क्योंकि जब आप उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चर्चा करेंगे तो वह सारे दृष्टिकोण से उस पर सम्पूर्ण

चर्चा होगी। परंतु जहां तक हत्याओं का संबंध है, मान्यवर, मुम्बई में समाजवादी पार्टी के 5 कार्यकर्ताओं की चुनाव के मौके पर हत्या कर दी गई। हमने बार-बार इसको सदन में उठाने की कोशिश की, परंतु इस पर चर्चा नहीं हुई। तो हत्या होती है, तो यह सारा कानून-व्यवस्था का मामला है और जब आप नियम 193 के तहत चर्चा कराने को तैयार हैं और माननीय अटल जी भी चर्चा ही चाहते हैं तो इसमें हमारा ख्याल है कि विशेष प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

श्री निर्मल क्रान्ति चटर्जी : मेरे विचार से उठाये गए मुद्दे काफी महत्वपूर्ण हैं। सर्वप्रथम, कैबिनेट के अंदर व्यक्त विचारों की भिन्नता को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया जाना चाहिए या नहीं, यह एक बात है, जो उन्होंने उठायी है। प्रेस में प्रकाशित सरकारी दृष्टिकोण के अनुसार ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री के विचार गृह मंत्री से भिन्न हैं। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

दूसरा मुद्दा यह है कि क्या राज्यपाल और सरकार का दृष्टिकोण चाहे उन्हें विद्यमान परिस्थित के आकलन में मतभेद का अधिकार हो, हमेशा एक होना चाहिए अथवा नहीं। अक्सर यह देखने को मिलता है कि अनुच्छेद 356 को लागू किए जाने के संबंध में राज्यपाल और कैबिनेट के विचारों में भिन्नता हुआ करती है। लेकिन ये मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। मुझे इस बारे में बिलकुल भी शक नहीं है। अतः, मैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री - यद्यपि वह कुछ ही महीनों के लिए प्रधानमंत्री थे - श्री चन्द्रशेखर के इस विचार से सहमत हूँ कि यह मुद्दा महत्वपूर्ण है और इस पर चर्चा की जानी चाहिए। लेकिन अभी ऐसा करने के लिए हम निंदा प्रस्ताव नहीं लायेंगे। अतः, मैं उनके इस विचार से सहमत हूँ कि प्रधानमंत्री द्वारा सभा में एक वक्तव्य दिया जाना चाहिए और यह बताया जाना चाहिए कि इस पर सरकार की क्या राय है और राज्यपाल के विचारों से यह कैसे अलग है? क्या यह उससे अलग है? सभा के समक्ष एक अधिकारिक वक्तव्य दिया जाना चाहिए। उस आधार पर, हम निंदा प्रस्ताव के रूप में नहीं, अपितु नियम 193 के अंतर्गत संसदीय प्रक्रिया और व्यवहार को विकसित करने के उद्देश्य से चर्चा कर सकते हैं।

श्री पी.आर. दासमुंशी : प्रधानमंत्री को इसे स्पष्ट करना चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इस पर वाजपेयी जी और जसवंत सिंह जी बोल चुके हैं, आप क्यों बोलना चाहते हैं?

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला (पून्नानी) : अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव के तथ्यों से भले ही मैं व्यक्तिगत तौर पर सहमत होऊं या नहीं, परंतु मैं नियम के अन्तर्गत, जिसका उन्होंने चयन किया है, सदस्य के अधिकार के संरक्षण हेतु खड़ा हुआ हूँ। अतः प्रत्येक सदस्य का यह अधिकार है कि वह किसी विशेष नियम के अंतर्गत बोले और ऐसा करने पर उसके अधिकारों की रक्षा की जाए, चाहे वह प्रस्ताव के तथ्यों से सहमत हो या नहीं हो। यहां यह प्रश्न नहीं है, प्रश्न यह है कि जब कोई सदस्य राज्यपाल के आचरण पर विचार ही न करने, अपितु उसे वापस बुलाने की भी मांग करता है तो ऐसा प्रस्ताव नियम 193 के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता है।

यही वह मुद्दा है जिसे उन्होंने भी स्पष्ट किया है। अतः इसे नियम 184 के अंतर्गत ही लिया जा सकता है क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो राज्यपाल को वापस बुलाने की मांग - चाहे संसद द्वारा इसे स्वीकार किया जाए अथवा नहीं - अनिर्णित रहता है। अतः सदस्य का यह अधिकार है कि वह नियम 184 के अन्तर्गत सूचना दें और उस सूचना को गृहीत किया जाए।

नियम 193 यहाँ तर्कसंगत नहीं है। यदि आप और चर्चा चाहते है तब हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि यह बजट सत्र है और चर्चा के लिए हमारे पास काफी समय है, विशेषकर सभा के समक्ष जब उत्तर प्रदेश का बजट आये तब सभा उत्तर प्रदेश और अन्य विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा के लिए स्वतंत्र है।

संसदीय लोकतंत्र के लिए यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। जब राज्यपाल और गृहमंत्री के बीच मतभेद हैं तब सभा के समक्ष में यह बात नहीं आ रही है कि वह किस पर विश्वास करें। प्रधानमंत्री के बारे में यह कहा जा सकता है कि उन्होंने सभा के बाहर या प्रेस के साथ वार्ता में यह कहा है कि वह राज्यपाल के विचारों से सहमत हैं अथवा नहीं है, लेकिन आपने हमें यही कहा है कि प्रेस पर पूर्णतया विश्वास न करें। अतः, स्थिति से हमें अवगत होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी से भी आदरपूर्वक मैं कहना चाहता हूँ - सभा की उपेक्षा की है और यहाँ आकर कोई वक्तव्य नहीं दिया है। यही कारण है कि यह विवाद हुआ है।

इसलिए, मेरा मानना है कि प्रस्ताव के गुणों का भेदभाव किए बिना - चाहे उससे कोई सहमत हो या नहीं, यह एक अलग बात है - सदस्य को यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि वह सभा में आकर राज्यपाल को वापस बुलाने की मांग कर सके और तथ्यसंगत प्रस्ताव पर ही इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। इससे ही सभा का निर्णय उजागर हो सकता है। अतः यह निर्णय केवल हँसी-मजाक तक ही सीमित नहीं होना चाहिए अपितु परिणाम-शोधक भी होना चाहिए। अतः नियम 184 यहां महत्वपूर्ण है.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपके दल के सदस्य बोल चुके हैं।

....(व्यवधान)

श्री जी.एम. बनातवाला : महोदय, संसदीय व्यवहार, संसदीय लोकतंत्र के मामले में, हमेशा के लिए यह बात स्पष्ट की जानी चाहिए कि राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य और राज्यपाल को कैसे कार्य करना चाहिए। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसका निर्णय सदा के लिए किया जाना चाहिए, क्योंकि भले ही यह दुर्भाग्यपूर्ण हो, भले ही यह दुखदायी है लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन अंतिम उपाय के रूप में ही उपयोग किया जाना चाहिए।

इसलिए, महोदय, राज्य में राज्यपाल और प्रशासन के बीच स्वस्थ परंपरा बनाये रखने और इनके आपसी संबंध के लिए यह आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय : बनातवाला जी, मेरे विचार से आपने अपनी बात विस्तारपूर्वक कर दी है।

श्री जी. एम. बनातवाला : इसलिए, महोदय, प्रस्ताव के गुणों पर अपनी राय व्यक्त करने के बजाय मैं सदस्य के अधिकार के हित की रक्षा के लिए खड़ा हुआ हूँ और उन्हें आपको यह अधिकार प्रदान करना चाहिए। मेरे अंदर व्याप्त वाग्मिता और आवेश के द्वारा मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप प्रस्ताव को स्वीकार करें। सभा को इसका निर्णय करने दें और हमेशा के लिए इस मामले को समाप्त कर दिया जाना चाहिए....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नीतिश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश की स्थिति के सिलसिले में जो मोशन श्री जसवन्त सिंह जी ने दिया है मेरी समझ से वह बिल्कुल उपयुक्त और माकूल है क्योंकि एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई है। सदन में गृहमंत्री जी ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि -

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश, अराजकता, अव्यवस्था और बर्बादी की ओर बढ़ रहा है।

[हिन्दी]

सदन में दिये गये गृह मंत्री जी के बयान के बाद उत्तर प्रदेश के गवर्नर का बयान अखबारों में आता है कि प्रधान मंत्री मेरे कार्य से संतुष्ट हैं। इसलिए एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई है। हम जानना चाहेंगे कि यह सरकार किस दिशा में चल रही है, प्रधानमंत्री जी साफ-साफ इस बात को हमें बताएं।

अभी चन्द्रशेखर जी बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि सरकार को यहां एक स्टेटमेंट देना चाहिए। बहस के बारे में, उनकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि नियम 184 के अंतर्गत बहस के पक्ष में वे नहीं हैं। उन्होंने पार्लियामेंट के कम्पोजीशन के बारे में भी कहा। चन्द्रशेखर जी का मैं दिल से आदर करता हूँ लेकिन हाउस का कम्पोजीशन क्या हो गया है - यह हाउस तो हाउस है जिसे इस देश की जनता ने इलैक्ट किया है।

अध्यक्ष महोदय, जैसी देश की जनता होगी वैसा प्रतिबिम्ब हाउस में होगा। इस हाउस को चुनकर जनता ने भेजा है। इस हाउस का अपना एक अधिकार है। इस सदन का अपना एक अधिकार है। चन्द्र शेखर जी ने पहले के भी हाउस देखे हैं और आज का भी हाउस देखा है। यह हाउस तो इसी तरह से चलता रहेगा। जमाना बदलता चला जाएगा। कल जो परिस्थिति थी वह परिस्थिति आज नहीं है। क्या पहले इसकी कल्पना की जा सकती थी कि एक गवर्नर बोल देगा कि गृह मंत्री जी के बारे में कि हमारे काम से प्रधानमंत्री जी संतुष्ट हैं? अगर गृह मंत्री कोई बात करें और खासकर ऐसे प्रदेश के बारे में जहां कि राष्ट्रपति शासन लागू है, तो सीधा मैसेज वहां जाएगा, लेकिन आज कैसे-कैसे लोग बनाए जाते हैं? इन सब बातों पर तभी चर्चा होगी जब कि आप सदन में इस पर चर्चा की इजाजत दें।

अध्यक्ष महोदय, जो नियम 184 के बारे में बनातवाला जी ने बोला है, मैं पूर्णरूप से उसका समर्थन करता हूँ। मैं सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। मैं उनकी बात का पूर्णरूप से समर्थन करना चाहता हूँ कि एकमात्र जरिया हमारे पास, किसी सदस्य के पास केवल यही है। नियम 184 के तहत मोशन दिया गया है। हम आपसे अपील करेंगे कि आप पूरी परिस्थिति को देखते हुए इस पर चर्चा की अनुमति दें जिससे यू.पी. की स्थिति पर भी विचार होगा, गवर्नर के रोल पर भी विचार होगा। आप एक से एक ऐसे निर्णय ले रहे हैं जिनसे सदन की गरिमा बढ़ रही है। आप ऐसे ही एक निर्णय इस बारे में और लीजिए जिससे सदन की गरिमा बढ़े।

अध्यक्ष महोदय, होम मिनिस्टिर तो सच्चे आदमी हैं और आपने उनको सर्वश्रेष्ठ पार्लियामेंटेरियन का खिताब दिया है। होम मिनिस्टर इस देश की कोई मामूली शख्सियत नहीं है। आज उनके होम मिनिस्टर होने से उनका कद छोटा हुआ है। इन्द्रजीत गुप्ता जी के गृह मंत्री बनने से, गृहमंत्री कद ऊंचा हुआ है। इन्द्रजीत गुप्ता जी इस देश की एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं वे इस देश की संसद में उठकर जो महसूस करते हैं उसके बारे में कुछ कहें और यह सरकार उसके ऊपर कुछ न करे, यह कैसी सरकार है? इस सरकार में कोई संवेदना है कि नहीं, एकदम बिलकुल राजनीतिक कारणों से राजनीतिक मामलों से सब कुछ हो रहा है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, हम आपसे आग्रह करेंगे कि सदस्य के इस अधिकार की आप रक्षा कीजिए। इन्द्रजीत गुप्ता जी ने इस सदन का मान बढ़ाया है। आप भी इस सदन की गरिमा को बढ़ाने में अपना योगदान कर रहे हैं। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि सदस्य के इस अधिकार की आप रक्षा कीजिए और नियम 184 में आप इस मोशन को स्वीकार कीजिए और यू.पी. के ऊपर विस्तृत चर्चा करवाइए। .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस पर हम काफी समय व्यतीत कर चुके हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह मुद्दा नहीं है।

...(व्यवधान)

डॉ॰ शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल से संबंधित जो मसले उठे हैं और राजनीतिक हत्याओं का भी मसला उठा है जिसमें बम्बई के मुतल्लिक भी मसला उठा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है।

.....(व्यवधान)

डॉ॰ शफीकुर्रहमान बर्क : मैं आपको बाजाप्ता नोटिस दे रहा हूँ कि यदि कानून व्यवस्था पर उत्तर प्रदेश के संबंध में बहस होती है, तो उसमें बम्बई को भी शामिल कर लिया जाए और उस पर भी बहस करवाई जाए। मेरी यह गुजारिश है अध्यक्ष महोदय।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस मद्दे पर इतनी अधिक चर्चा की आवश्यकता नहीं है।

.....व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव से इसका कोई सरोकार नहीं है। यह तर्कसंगत नहीं है।

[हिन्दी]

डॉ॰ शफीकुर्रहमान बर्क : अध्यक्ष महोदय, मैं अलग से नोटिस दूंगा। आप इसको इसमें शामिल कर लीजिए।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप अलग से नोटिस दे दीजिए।

[अनुवाद]

श्री रूप चन्द पाल : प्रश्न यह है कि क्या ऐसी स्थिति आ गई है। जब हम सभा में मात्र राज्यपाल के आचरण पर चर्चा करें। यह वास्तविकता है कि सुस्थापित परम्परा के विरुद्ध इस सभा में इस मुद्दे पर चर्चा की जा चुकी है। अब प्रश्न यह है कि क्या ऐसी स्थिति आ गयी है या क्या हम इस बात से संतुष्ट हैं कि राज्यपाल के आचरण के संबंध में चर्चा किया जाना आवश्यक है। आपने ऐसे प्रस्ताव पर अपना निदेश पहले ही दिया है। यद्यपि यह कहा जा सकता है कि वर्तमान प्रस्ताव तकनीकी रूप से भिन्न है। मेरा अनुरोध है कि प्रधानमंत्री इसका उत्तर दें, एक वक्तव्य दें और तभी हम उस वक्तव्य पर चर्चा कर सकते हैं। यदि हम स्थिति के बारे में सरकार के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तभी हम सुस्थापित परम्परा के विरुद्ध जाने का दावा कर सकते हैं स्थिति के संबंध में सरकार द्वारा उत्तर दिये जाने से स्थिति स्पष्ट किये जाने तक हमें इंतजार करना चाहिए और स्थिति के बारे में हमें संतुष्ट होना चाहिए कि ऐसी स्थिति आ गई है जब हम सुस्थापित परम्परा के विरुद्ध जाकर राज्यपाल के आचरण पर चर्चा कर सकते हैं। यही मेरा अनुरोध है।

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जसवंत सिंह ने नियम 184 के अंतर्गत एक प्रस्ताव की सूचना दी है। सूचना देते समय उन्होंने अपनी इच्छा को बहुत ही कम शब्दों में व्यक्त किया है। जिस मुद्दे पर पहले निर्देश देने में आपने अपनी खुशी जाहिर की थी उसे फिर से उठाया गया है। लेकिन अब स्थिति पूर्णतया भिन्न है।

गृह कार्य मंत्री केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। उत्तर प्रदेश में व्याप्त स्थिति पर सभा में उन्हें एक वक्तव्य देना चाहिए था। जब सभा में इस मुद्दे पर चर्चा हो रही थी उन्होंने एक विश्वसनीय और स्पष्ट वक्तव्य दिया था जिसे चुनौती दी गई थी *...(व्यवधान)*

यदि आप मुम्बई के बारे में कुछ चर्चा करना चाहते हैं तो आप कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं हम इससे नहीं डरते। आप इसे लाइए और मैं इसका सामना करूंगा। *....(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ॰ शफीकुर्रहमान बर्क : इसको शामिल करा दीजिए।

श्री मधुकर सरपोतदार : आप भी आइये तो मैं उसका जवाब दे दूंगा।

[अनुवाद]

वह मामला पूरी तरह से अलग है।

उन्होंने उत्तर प्रदेश में व्याप्त परिस्थिति के बारे में स्पष्ट वक्तव्य दिया था। दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल ने अलग वक्तव्य दिया और वह प्रेस से कह रहे हैं कि वह गृह मंत्री के बारे में चिन्तित नहीं हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में उत्पन्न स्थितियों से प्रधानमंत्री संतुष्ट हैं।

मेरे विचार से, सरकार के कार्यक्रमों में यह एक विरोधाभास है। अतः यह नितान्त आवश्यक है कि हम इस विशेष मामले पर चर्चा करें। प्रधानमंत्री को स्वयं इस सम्मानित सभा के समक्ष उपस्थित होना चाहिए। उन्हें सभा के समक्ष वहाँ पर व्याप्त परिस्थिति को और इन दो अलग-अलग वक्तव्यों को स्पष्ट करना

चाहिए था। अतः परिस्थितियों के अन्तर्गत, मेरे विचार से ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इतना पर्याप्त है।

श्री पी.आर. दासमुंशी : महोदय, श्री इन्द्रजीत गुप्त ने इस सभा में एक वक्तव्य दिया है। यह सभा की सम्पत्ति है। श्री गुप्त न केवल सभा के सदस्य हैं, अपितु वह गृह मंत्री भी हैं। यदि प्रधान मंत्री श्री गुप्त के वक्तव्य का समर्थन करना चाहते हैं, तो फिर भी जसवंत सिंह के प्रस्ताव में कुछ तथ्य हैं। हमारी पार्टी का दृष्टिकोण उनकी पार्टी के दृष्टिकोण से भिन्न है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आप से कहना चाहूँगा कि आप भी बात पर अति सावधानीपूर्वक ध्यान दें। श्री गुप्त के यह कहने के बाद कि राज्य अव्यवस्था और अराजकता की ओर आगे बढ़ रहा है, यदि प्रधानमंत्री, राज्यपाल का पक्ष लेना चाहते हैं तो श्री गुप्त को अपना त्याग पत्र देना होगा क्योंकि उन्होंने सभा को गुमराह किया है। यदि प्रधान मंत्री श्री गुप्त को गृह मंत्री बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें राज्यपाल को पद से हटाना होगा.....*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, मेरी बात पूरी नहीं हुई है.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सरपोतदार, मेरे विचार से, आप अपनी बात बहुत अच्छे ढंग से कह चुके हैं।

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है जो मैं कहना चाहता हूँ। दूसरे माननीय सदस्य ने अपना वक्तव्य देना आरम्भ कर दिया जबकि मैं कभी भी उनसे सहमत नहीं हुआ था।

मुझे मात्र यही कहना है। प्रस्ताव की सूचना नियम 184 के अन्तर्गत दी गई है। इस पर यहां चर्चा होनी चाहिए और इसे आपके प्राधिकारों द्वारा अनुमति मिलनी चाहिए। यह मेरा विनम्र निवेदन है। क्योंकि इसके कारण एक अनोखी स्थिति उत्पन्न हुई है। राज्यपाल कुछ कहता है, गृहमंत्री कुछ कहता है, और प्रधान मंत्री कुछ और ही कहते हैं....*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : महोदय, आप सभी को अनुमति क्यों दे रहे हैं? अन्य मुद्दे भी हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आप एक ही बात को दोहरा रहे हैं। आप समय की बचत क्यों नहीं करते? कृपया अपनी बात पूरी करें।

श्री मधुकर सरपोतदार : जैसा कि आप जानते है, मेरी एकमात्र समस्या है कि मुझे कभी भी अपनी बात पूरी करने नहीं दिया जाता ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपने प्रबल समर्थन किया है कि इसे नियम 184 के अन्तर्गत लिया जाना चाहिए।

श्री मधुकर सरपोतदार : जी, हाँ, मैं इसका समर्थन करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर पश्चिम): अध्यक्ष जी, गत समय 184 का....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : महोदय, क्या प्रत्येक माननीय सदस्य के लिए एक ही बात को दोहराना आवश्यक है? प्रत्येक माननीय सदस्य द्वारा केवल एक ही बात दोहरायी गई है।

अध्यक्ष महोदय : इससे मुद्दा और अधिक उलझेगा। हमें समाप्त करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, गत समय नियम 184 की रूलिंग देने के बाद परिस्थिति में जो परिवर्तन हुआ है, वह बात सदन के सामने आयी है। माननीय गृहमंत्री जी ने प्रधानमंत्री के बारे में जो एक स्टेटमैंट दिया, वह बात सदन के सामने आयी है। एक और जो नयी सिचुएशन डेवलप हुई है, वह यह है कि उत्तर प्रदेश में सफई नाम का एक छोटा सा गांव है। उस गांव में हमारे रक्षा मंत्री जी और राज्यपाल एक मंच पर आये। उसमें एक बात यह कही गयी है कि वहां के राज्यपाल को कौन हटा सकता है। इस प्रकार की बात उस मंच पर हुई। मेरा निवेदन यह है कि यदि इस प्रकार की बात वहां हो सकती है तो यहां यह कहने का उचित स्थान है। इसलिए यहां पर भी इसको एलाऊ करना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। मैं यह नयी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ।

अपराह्न 1.00 बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से, हमने पर्याप्त चर्चा कर ली है। आप इस विषय को मुझ पर छोड़ दीजिए। अगर श्री जेना कुछ कहना चाहें तो मैं इस पर अपने विनिर्णय को सुरक्षित रखूंगा।

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): महोदय, आप इस विषय पर अपने विनिर्णय को पहले ही सुरक्षित रख चुके हैं। इस मुद्दे को आपके ध्यान में लाया जा चुका है।

और आपने उत्तर प्रदेश में व्याप्त परिस्थिति पर नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा की अनुमति देने में रुचि दिखाई है। परन्तु मेरा निवेदन है कि सभा के किसी भी वर्ग द्वारा इसे इस प्रकार नहीं समझा जाना चाहिए।

महोदय, इसे अलग-अलग तरीके से समझा जा सकता है। यहां दिल्ली में बैठकर उत्तर प्रदेश या किसी अन्य राज्य में कानून और व्यवस्था के बारे में मेरी एक धारणा हो सकती है। परन्तु राज्यपाल को भी उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था से सम्बन्धित अपनी धारणा को भारत सरकार के समक्ष पेश करने का पूरा अधिकार है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि माननीय गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के बीच कोई विरोध है। इसका अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप चिन्तित क्यों हैं ? आप उनके वक्तव्य के बारे में इस प्रकार से चिन्तित हैं जैसे कि उन्होंने एक अन्तिम निर्णय ही ले लिया हो। वे इस पर एक अन्तिम निर्णय नहीं ले सकते।

.....(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अब, आप इस पर अपना विनिर्णय दीजिए।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना विनिर्णय कल दूंगा।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब, मुझे सुनिए। श्री येन्नित्तला, कृपया मुझे सभा के कार्य का संचालन करने दीजिए। यदि आप मध्याह्न भोजन पर जाना चाहते हैं, तो हम मध्याह्न भोजन के लिए सभा को स्थगित कर सकते हैं। परन्तु कई माननीय सदस्य हैं जो शून्यकाल के दौरान मामलों को उठाना चाहते हैं, यदि उन माननीय सदस्यों को अनुमति दी जानी है, तो हमें मध्याह्न भोजन के बिना काम चलाना होगा।

.....(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : महोदय, अध्यक्ष द्वारा शून्य काल को महत्व दिए जाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इसके लिए बधाई देता हूं ...*(व्यवधान)*

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानाल) : महोदय, हम मध्याह्न भोजन के बिना काम चला सकते हैं.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जो मध्याह्न भोजन के लिए जाना चाहते हैं, उन्हें मध्याह्न भोजन के लिए जाने दीजिए। जो मामलों को उठना चाहते हैं, यहां पर रुक सकते हैं। अन्यथा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं, एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा। कल शून्य काल नहीं होगा क्योंकि प्रधान मंत्री को उत्तर देना है। यद्यपि हमने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के लिए नौ घण्टे आबंटित किए थे, हम चौदह घण्टों का समय ले चुके हैं। और अभी पंद्रह माननीय सदस्यों को बोलना है। यदि हमें उन्हें अवसर देना है तो आज देर तक रुकना होगा और वाद-विवाद को आज ही पूरा करना होगा। इसी कारण कल अपराह्न 2 बजे, प्रश्नकाल के तुरन्त बाद, माननीय प्रधानमंत्री उत्तर देंगे। इसलिए, कल शून्य काल नहीं हो पाएगा। कृपया इस बात को समझें। जो शून्यकाल के अन्तर्गत मामले उठाना चाहते हैं, बेहतर होगा कि वे मध्याह्न भोजन के बिना काम चला लें।

श्री के.पी. सिंह देव अब अपना भाषण आरम्भ कर सकते हैं।....*(व्यवधान)*

श्री सनत मेहता (सुरेन्द्र नगर) : क्या इसका यह अर्थ है कि सांविधिक संकल्पों को चर्चा के लिए आज नहीं लिया जाएगा ? *.....(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ।

.....(व्यवधान)

श्री सनत मेहता : क्या इसका यह अर्थ है कि आज सांविधिक संकल्पों को चर्चा के लिए नहीं लिया जाएगा ? *.....(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हाँ, इन्हें आज चर्चा के लिए नहीं लिया जाएगा क्योंकि सभा में यह मत प्रकट किया गया था कि इन्हें स्थायी समिति को सौंपा जाना चाहिए। मुझे अभी वित्त मंत्री से बात करनी है। मैं अभी उनसे बात करूंगा। मुझे अभी उस पर निर्णय लेना है।

....(व्यवधान)

श्री सनत मेहता : सांविधिक संकल्पों को स्थायी समिति को नहीं भेजा जाना चाहिए।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : अध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश का मामला उठाने के लिए आपने सोमवार का प्रामिस किया था।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए तो मैं आपको मौका दे रहा हूँ।

[अनुवाद]

एक घण्टे का मध्याह्न भोजन का अवकाश है। आप उस समय अपनी बात कह सकते हैं।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप मध्याह्न भोजन के लिए जाना चाहते हैं, तो जा सकते हैं। यदि आप मामलों को उठाना चाहते हैं तो आप उठा सकते हैं।

अपराह्न 1.04 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

श्री के.पी. सिंह देव : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक महत्वपूर्ण मामला है। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। मैं जो बातें पहले कह चुका उन्हें फिर से दोहराना नहीं चाहता। मैं आभारी हूँ कि माननीय रक्षा मंत्री यहाँ पर हैं।

मैं, यह जो मुद्दा उठा रहा हूँ उसका बहुत ज्यादा राष्ट्रीय महत्व है; और यह राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी प्रभाव डालता है। भारत सरकार का हाल ही में लिया गया निर्णय - मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि रक्षा मंत्रालय ने नहीं, बल्कि भारत सरकार ने जो 28 फरवरी को लिया था तथा जो समाचार पत्रों में 1 मार्च को प्रकाशित हुआ था, उसने न केवल सेना के अधिकारी सवंर्ग में ही सनसनी नहीं फैलायी अपितु नौसेना और वायुसेना के अधिकारी सवंर्ग में भी इसने सनसनी फैलायी। एक समय सिद्ध प्रक्रिया थी, एक पूर्ण रूप से स्थापित प्रक्रिया जो 50 वर्षों से समय की कसौटी पर खरी उतरी है।

भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जैसा कि प्रैस में बताया गया है - सेना में उच्च पदों पर नियुक्त उन अधिकारियों को लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर या उसके समकक्ष पदोन्नति दी जाए जिन्हें पहले ही दो पदोन्नति बोर्डों द्वारा अस्वीकार किया जा चुका है। और जो लगातार दो सरकारों द्वारा अनुमोदित किए जा चुके हैं। एक अप्रैल 1996 में नरसिम्हा राव सरकार द्वारा और दूसरा अक्टूबर, 1996 में देवेगोड़ा सरकार द्वारा। चयन बोर्ड में सेना प्रमुख या नौसेना और वायुसेना में इसके समकक्ष शामिल होते हैं और सदस्य उप-प्रमुख और वरिष्ठतम पांच लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं जो बहुत सक्षम व्यक्ति होते हैं।

अप्रैल 1996 में उन्होंने कुछ लोगों की सिफारिश नहीं की थी। उन्हें भारत सरकार ने मई 1996 में अनुमोदित किया था। पुनः अक्टूबर, 1996 में, बोर्ड ने इसे अस्वीकार कर दिया था। फिर, भारत सरकार ने बोर्ड की सिफारिश को अनुमोदित कर दिया था। अब, हम देखते हैं कि उसी सरकार ने अक्टूबर 1996 में लिए गए निर्णय को रद्द कर दिया है। भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन के समय से जो, कि ब्रिटिश राज के समय की भाड़े की सेना का नया रूप है - ऐसा स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है।

यह निष्ठा, अनुशासन, समर्पण, सैन्य भावना पर प्रहार करता है। जो सैनिक कंमाड रेजीमेंट, देश, सरकार और संविधान की श्रृंखला की एक कड़ी है।

मैं चर्चा के लिए नहीं कह रहा हूँ; मैं जानता हूँ कि यह बहुत ही संवेदनशील मामला है; हम नहीं चाहते कि इस संसद में भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में वाद-विवाद किया जाए। परन्तु मैं यह अनुरोध करना चाहता हूँ। अब तक भारतीय सशस्त्र सेना को राजनीति से अलग रखा गया है। पर ऐसा पहली बार हुआ है कि भारतीय सशस्त्र सेना के अधिकारियों की पदोन्नति में राजनैतिक हस्तक्षेप हो रहा है जिसमें उस विंग के छः वरिष्ठतम अधिकारियों का अधिक्रमण किया जा रहा है।

इससे काफी धक्का लगा है। हम यहाँ उस बात की पुनरावृत्ति नहीं चाहते जो पाकिस्तान या बंगलादेश या म्यांमार या जफना गणतंत्र में घटित हो रहा है। मेरी आपसे, अपने साथियों से और अपने सहकर्मियों से यही प्रार्थना है क्योंकि यह बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है कि काफी अधिकारी इस निर्णय से प्रभावित होंगे। आप खुद ही समझ सकते हैं कि जहां एक ही सेवा में 14,000 अधिकारियों की कमी है उसके लिए लोग आगे नहीं आ रहे हैं। इससे इस व्यवस्था के प्रति उनकी आस्था, विश्वास और निष्ठा को धक्का लगेगा। यह एक व्यवस्था की असफलता होगी। और यह इस व्यवस्था की विफलता होगी तथा यह देश के लिए बहुत ही निर्णायक और खतरनाक सिद्ध होगा; और मैं आशा करता हूँ कि मैं ही गलत साबित हो जाऊँ कि 1962 की स्थिति की पुनरावृत्ति नहीं होगी। .....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : सब को चांस मिलेगा। मैं यहां एक घंटा बैठूंगा।

....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी जानकारी में नहीं है।

....*(व्यवधान)*

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में साढ़े तीन साल से लगातार अपराधों में और खासकर महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के मामले में वृध्दि हो रही है। अभी तक 11,000 महिलाओं की इज्जत लूटे जाने की रजिस्टर्ड घटनाएं घटी हैं। महिलाओं को नंगा करके घुमाये जाने की घटनाओं में भी बेतहाशा वृध्दि इन साढ़े तीन सालों में हुई है, लेकिन अभी 14 फरवरी को एक मामले में तो ऐसा हो गया है, जिससे पूरे भारत में महिलाएं राजनीति में आयें या न आयें, हर एक महिला के अन्दर एक शंका की भावना उत्पन्न हो गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मध्य प्रदेश में हुए जिस कांड का जिक्र आपके सामने कर रही हूँ, उसके पीछे कहीं कोई राजनीति नहीं है। मैं वहां की महिला कांग्रेस की एक महिला के बारे में यहां चर्चा कर रही हूँ, उनकी मृत्यु हो चुकी है। मध्य प्रदेश की महिला कांग्रेस की एक महिला की मृत्यु हुई है, मैं इस बात को नहीं उठा रही,

बल्कि मध्य प्रदेश में एक महिला की मृत्यु हुई, उसको उठा रही हूँ। वे एक बहादुर और विदुषी महिला थीं और उनकी घटना को आत्महत्या में निरूपति करने का प्रयास किया गया है। राज्य में उनके समर्थकों का एक वर्ग था। 14 फरवरी को बड़ी रहस्मय परिस्थितियों में उनकी हत्या हुई या आत्महत्या की, वह स्पष्ट नहीं हो पाया। वह शत-प्रतिशत जली हुई थीं। बताया जा रहा है कि उन्होंने टेलीफोन करके अपने पड़ौसियों को बुलाया। जो महिला शत-प्रतिशत जल गई हो, क्या वह टेलीफोन करके बुला सकती है? यह मामला इतना महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि एक महिला जिस परिस्थिति में जली, उसमें जो मध्य प्रदेश की स्थितियाँ हैं, पूरी की पूरी सरकार उसमें इन्वाल्व है। यहां तक कि मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री की तरफ भी संदेह की सुई उठ रही है। मामला सी. बी.आई. को दे दिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि वह इस मामले में जल्दी करे। क्योंकि बातें इतनी स्पष्ट हैं कि मामले में देरी नहीं होनी चाहिए। यहां तंदूर कांड हुआ था, उसमें मरने के बाद महिला को जलाया गया, लेकिन मध्य प्रदेश में महिला कांग्रेस की इतनी महत्वपूर्ण नेता को जला दिया गया, अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। बताया जाता है कि उनकी मृत्यु के थोड़ी देर पहले उसके घर के आसपास मुख्यमंत्री के परिवार के लोग देखे गए और एक पूर्व कांग्रेसी मंत्री भी वहां देखे गए। वहां पर शराब की बोतल भी पाई गई। वह महिला शराब से जली या मिट्टी के तेल से, यह स्पष्ट नहीं है। जिस परिस्थिति में थी, क्या वह बयान दे सकती थी और जिस अधिकारी को बयान लेना चाहिए था, उसकी जगह दूसरे अधिकारी को नियुक्त किया गया और उसने बयान लिया।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए इन सारी परिस्थितियों में हम मध्य प्रदेश की पूरी सरकार को इस मामले में दोषी पाते हैं। हमारा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इसमें जल्दी से जल्दी सी.बी.आई. से जांच कराकर रिपोर्ट यहां रखे।....*(व्यवधान)* ममता जी आपको भी सपोर्ट करना चाहिए।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : मेरा भी सपोर्ट है।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कोई अन्य बात न करें।

कुमारी ममता बनर्जी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे कम-से-कम सरकार का ध्यान आकर्षित करने का मौका तो दिया। सरकार के लिए यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि रेल बजट में बंगाल के लिए कोई भी परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है। बंगाल से हम 42 संसद सदस्य हैं। नौ कांग्रेस और अन्य वाम मोर्चे से। यह बहुत ही शर्म की बात है कि भारतीय इतिहास में पहली बार, अपने बंगाल के विषय में केवल सर्वेक्षण की बात कही है, क्या हम केवल तुच्छ व्यक्ति हैं कि आपने बंगाल के लोगों के लिए केवल सर्वेक्षण की बात कही है? इसलिए, मैं रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वे बंगाल के संसद सदस्यों के साथ बैठें और परियोजनाओं को स्वीकृति दें। यहां तक कि मेट्रो रेलवे के लिए भी, उन्होंने "सर्वेक्षण" कहा है। चक्र रेल परियोजना के लिए और टेलीगंज से गरला परियोजना के लिए भी, उन्होंने "सर्वेक्षण" कहा है। वे उन परियोजनाओं को पूरा क्यों नहीं करते? इस बारे में कोई नहीं जानता। महोदय, मैं नहीं जानता कि वे इन 42 संसद सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव क्यों करते हैं जिनसे आपको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन मिल रहा है। आपने बंगाल को कुछ नहीं दिया। क्या मैं संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध कर सकती हूँ कि वे रेल मंत्री का ध्यान बंगाल को न्याय दिलाने की ओर आकर्षित करें? अन्यथा हम त्याग पत्र दे देंगे या हम उनसे इस सदन से त्यागपत्र देने के लिए कहेंगे। मैं यह आपसे कह रहा हूँ। महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि वे इस मामले का जवाब दें।

श्री रूपचंद पाल : महोदय, हमारी बहन द्वारा व्यक्त की गई भावना के बारे में हमने यह पहले ही बताया है कि पश्चिम बंगाल को इस बजट में नजरअंदाज किया गया है। और हमने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि यह बात जारी न रहे। कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं जो काफी समय से लम्बित पड़ी हैं, उन पर इस समय विचार किया जाना चाहिए और इनको तत्काल मंजूरी दी जानी चाहिए।....*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, संसदीय कार्य मंत्री यहां उपस्थित हैं। वे इस विषय पर अपना जवाब दें।....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। वे कुछ कहना चाहते हैं। उनकी बात सुनिए।

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): मैं रेल मंत्री जी को कुमारी ममता बनर्जी और अन्य संसद सदस्यों की भावनाओं से अवगत करा दूंगा और मैं आशा करता हूँ कि रेल मंत्री पश्चिम बंगाल के संसद सदस्यों के साथ एक बैठक करेंगे और जब भी कोई समस्या होगी, वे इसका समाधान करेंगे ....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान एक बहुत ही गंभीर मसले की तरफ दिलाना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर के एक कैबिनेट मिनिस्टर ने चंडीगढ़ में बाकायदा ऐलान किया है कि जो पाक ऑक्यूपाइड एरिया है, उसको सरेंडर करने के लिए हम जम्मू-कश्मीर की असेम्बली के अंदर प्रस्ताव लाएंगे और सरेंडर करने के बाद फिर हम बाकायदा रिजोल्यूशन, रिफ्रेंडम लाएंगे। मिनिस्टर साहब ने कॉस्टीट्यूशन की ओथ ली है और संविधान में बाकायदा लिखा हुआ है कि जम्मू-कश्मीर की टेरेटरी का मतलब है कि वह टेरेटरी जो 15 अगस्त 1947 में टेरेटरी थी। अब इनको किसने अधिकार दिया है? हिन्दुस्तान का संविधान भी यह कहता है कि हम टेरेटरी

को किसी तरह से चेंज नहीं कर सकते। हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को सीमा मानने के लिए तैयार हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूं कि सरकार इस मामले में अपनी पोजीशन क्लियर करे। क्योंकि होता यह है कि जब स्टेटमेंट आता है तो उसके बाद किसी न किसी की कॉन्ट्रेडिक्शन आ जाती है। तीसरे आदमी की कॉन्ट्रेडिक्शन का मतलब नहीं होता जब तक कि केन्द्र सरकार इस बारे में अपनी पोजीशन क्लियर नहीं करती। मैं समझता हूँ कि यह देश के साथ द्रोह करने वाली बात है। इस पर सरकार को तुरंत ही ध्यान देना चाहिए।....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : बैठिए, मैं सबको बुलाऊंगा।

....(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : महोदय, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। कृपया बैठ जाइए।

श्री रमेश चेन्नितला : कृपया मुझे बोलने दीजिए। मैं केवल दो मिनट का समय लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने से मना नहीं कर रहा हूँ। पहले मेरी बात सुनिए।

श्री रमेश चेन्नितला : उसमें मेरा नाम है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूँ। मैंने इसे पहले ही चिह्नित कर दिया है। कृपया बैठ जाइए

.....(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : जो इश्यू चमन लाल गुप्त जी ने उठाया है, यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। जम्मू-कश्मीर का एक मिनिस्टर चंडीगढ़ में आकर बयान देता है कि हम रिफ्रेंडम लाएंगे कि वह जमीन पाकिस्तान को दी जा सकती है। यह काफी गंभीर मामला है।

[अनुवाद]

यह गंभीर मामला है। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए।

श्री श्रीकान्त जेना : मैंने इसे पहले ही देख लिया है। *....(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास आपके नाम हैं। मैं सबको बुलाऊंगा। मैं एक घंटा बैठने के लिए तैयार हूँ।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी को बुलाऊँगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : एक समय में एक आदमी बोलेगा न?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला : उसमें मेरा नाम है। आप मेरा नाम नहीं बुला रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका फैसला मैं करूंगा।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, मैंने जम्मू और कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, प्रधानमंत्री के वक्तव्य, जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री के वक्तव्य के संबंध में एक नोटिस दिया है। इस स्थिति में आप मुझे वह सब क्यों नहीं कहने देते जो मैं कहना चाहता हूँ? यही मेरा अनुरोध है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नाम भी इसमें है। ठीक है, आप कहिए। मैंने अब ध्यान दिया है। 16 नं० पर आपका नाम है।

....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : देखिए, आपके तीन हैं। मैं सिर्फ दूसरे पर एलाउ कर रहा हूँ।

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : पहला मुद्दा हिमाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में भारतीय प्रदेश में चीनी घुसपैठ से संबंधित है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : वह मामला आलरेडी रेज हो चुका है। आप दूसरे विषय पर बोलिए।

....(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : दूसरा मुद्दा जम्मू और कश्मीर के संबंध में है।

[हिंदी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप जम्मू-कश्मीर पर बोलिए।

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पिछले माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यह बहुत ही गंभीर मामला है। हमें अपने देश की अखंडता और संप्रभुता से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। यह इसी के बारे में है। पहला, जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री का यह कहना रिकार्ड में है कि जहां तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारण का प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के साथ हमारे विवाद को निपटाने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा को आधार बनाना चाहिए। उसके बाद एक अन्य मंत्री ने भी एक वक्तव्य दिया था कि इस संबंध में एक संकल्प जम्मू कश्मीर विधान सभा में पारित किया जाएगा कि भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के भाग को पाकिस्तान को सौंप दे।

यह बहुत ही गंभीर मामला है। ये लोग कौन हैं जो ऐसी बातें करते हैं। इससे भी दुखद बात है कि यह इस संबंध में एक अन्य वक्तव्य माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भी दिया गया था - मैं नहीं जानता, उन्हें सदन में आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए - कि हमारे कश्मीर की सीमा में कुछ समायोजन किया जा सकता है। इसका क्या अर्थ है?

श्री श्रीकांत जेना : महोदय, मैं इस मुद्दे से संबंधित एक बात से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा।.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें स्थिति स्पष्ट करने दीजिए।

श्री श्रीकांत जेना : महोदय, यह बहुत ही संवेदनशील मामला है और श्री पाणिग्रही की बात रिकार्ड में आने से पूर्व मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा। जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उनके वक्तव्य में कहा गया उसका विदेश मंत्री जी द्वारा खण्डन किया गया है।

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : लोग इस बात से अवगत नहीं हैं। अगर इसका खण्डन किया गया है, तो यह प्रेस में आना चाहिए था।

श्री श्रीकांत जेना : यह प्रेस में भी आया है। ....*(व्यवधान)*

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : महोदय, अब संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि इस वक्तव्य का, जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया समझा गया है, विदेश मंत्री द्वारा खण्डन किया गया है। अब, क्या यह ऐसा है कि जो कुछ प्रधान मंत्री जी द्वारा कहा गया है, वह प्रेस द्वारा प्रधानमंत्री जी से कहलवाया गया था? कहीं कुछ गडबड़ लगती है। ऐसे वक्तव्य क्यों दिए जाते हैं फिर इनसे इन्कार क्यों किया जाता है? फिर, मैंने देखा है कि जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री ने भी कुछ बातें कहने से इन्कार किया है। वे प्रैस से क्यों बात कर रहे हैं? वे ऐसे संवेदनशील मामलों पर ऐसे गैर-जिम्मेदारी भरे वक्तव्य देते हैं। जो देश की संप्रभुता और अखंडता से संबंधित है? यही मेरा अनुरोध है।

महोदय, मैं अभी भी इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि रिकार्ड ठीक रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री को खुद सदन में आना चाहिए और उनके द्वारा दिए गए कथित वक्तव्य के बारे में तथा जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के बारे में एक वक्तव्य देना चाहिए। यह एक बहुत ही संवेदनशील मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इन बातों को न दोहराएं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : यह अच्छी बात है कि पाकिस्तान में नई सरकार के आने के पश्चात् सचिव स्तरीय द्विपक्षीय बातचीत शुरू होने की कोई आशा हो गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पाणिग्रही, आप अपनी बात पहले ही कह चुके हो।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : इससे पहले कि इस तरह के वक्तव्यों का पहले ही गलत संदेश चला जाए, इसमें शुद्धि की जानी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी को सभा के समक्ष आकर समूची स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार (फैजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके सपोर्ट में बोलना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी को इस बारे में यहां आकर बयान देना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इस मुद्दे पर समूची सभा उनका समर्थन करती है।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, देश बढ़ते हुए उग्रवाद के कारण चारों तरफ से घिरा हुआ है। मैं इसी संबंध में कुछ बातें इस सदन में कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि बिहार राज्य भी इससे प्रभावित हो रहा है और मेरा निर्वाचन क्षेत्र जहानाबाद है। इस क्षेत्र में उग्रवादी संगठन तेजी से बढ़ रहे हैं। हाल ही में इस क्षेत्र में तीन हरिजन परिवारों के पिता और पुत्रों की हत्यायें हुई और इसी क्रम में छः दूसरे लोगों की हत्यायें हुई। वहां पर हत्याओं की बाढ़ आई हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप जिस विषय के बारे में कहना चाहते हैं, वह है -

[अनुवाद]

बिहार में युद्ध स्तर पर विकास कार्यों को शुरू करने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

आप हत्याओं की बात बीच में ला रहे हैं।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : हमारा विषय यही है। इसके अन्दर हमारा कहना यही है कि इस तरह के काम वहां पर बढ़ रहे हैं। *.....(व्यवधान)* वहां पर विकास की दर बहुत कम है। वहां विकास नहीं होने के कारण असंतोष बढ़ रहा है। असंतोष के ही फलस्वरूप गरीब और दलित वर्गों के जो नौजवान हैं, वे उग्रवादी संगठनों में धड़ल्ले से जा रहे हैं।

अगर यह स्थिति जारी रहेगी तो हमारी आंतरिक स्थिति में कितनी कठिनाई पैदा हो जाएगी, इस बारे में भी इस सदन को सोचना चाहिए। यह तो अलग चीज है कि आप अपनी शक्ति से इसको दबाना चाहते हैं। यह खाली दबाने की चीज नहीं है, आप अपनी शक्ति लगाएं लेकिन इसके साथ-साथ जिस तरह से इतने वर्षों में आपका विकास हुआ है, यह विकास एकतरफा हुआ है। उसी का परिणाम है जैसे हमारा आदिवासी क्षेत्र छोटा नागपुर वगैरह है, वहां लोग कहते हैं कि हमको अलग राज्य दो। इसका क्या कारण है ? वहां विकास नहीं होने के कारण सौ वर्ष पहले गरीब आदिवासी अपने बच्चों को पीठ पर बांध कर काम करते थे, वे आज भी वही काम काम करते हैं तो वहां क्या विकास हुआ। इसलिए हमारा सुझाव है कि आपको विश्वास की गति को तेज करना होगा और ज्यादा से ज्यादा धन विकास में खर्च करना होगा, तभी आप जो नौजवान राष्ट्रीय धारा से अलग हुए हैं उनको दोबारा वापस ला सकते हैं। हमारा यही कहना है कि बिहार में विकास के लिए बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता है इसलिए आप वहां ज्यादा धन दें ताकि वहां विकास हो सके।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्मानीय सभा के समक्ष बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ।

केरल छात्र संघ ने जो कि राज्य का, एक शक्तिशाली छात्र संगठन है, परीक्षाओं के दौरान बिजली में कटौती के विरुद्ध आन्दोलन प्रारम्भ किया। आन्दोलनकारी छात्रों पर त्रिवेन्द्रम में सचिवालय के समक्ष, कालीकट में और कोट्टायम में बर्बरतापूर्वक लाठियां बरसाई गई। कई छात्र नेता अस्पताल में पड़े हैं। उनमें से कई न्यायिक हिरासत में हैं। पुलिस ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र कोट्टायम में जिला कांग्रेस समिति के कार्यालय पर हमला किया, वहां लूटमार की और कांग्रेस के नेताओं और छात्रों को यातनाएं दीं। *.....(व्यवधान)*

श्री रूप चन्द पाल (हुगली) : उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला राज्य सरकार का है।....*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला : राजनैतिक हत्याएं हो रही हैं। *....(व्यवधान)*....राज्य के पूर्व वित्तमंत्री श्री ओम्मन चेन्डी को गिरफ्तार किया गया....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय, मैंने तो अभी यह बात कहनी शुरू की है।

राज्य के पूर्व वित्त मंत्री, एक वरिष्ठ नेता श्री ओम्मन चेन्डी कोट्टायम कस्बे के पुलिस स्टेशन के समक्ष भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। उनकी यह मांग थी कि उन पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए जो जिला कांग्रेस समिति के कार्यालय में लूटपाट करने में सम्मिलित थे, जिन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यन्त्रणाएं दी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया *....(व्यवधान)* एल.डी.एफ. सरकार लोकतान्त्रिक आन्दोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है। पुलिस की मिलीभगत से सी.पी.आई. (एम) के कार्यकर्ता राज्य में दुविधा की स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं।.....*(व्यवधान)*

श्री रूप चन्द पाल : इससे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परम्परा कायम हो जाएगी। ऐसा नहीं चल सकता....*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला : कांग्रेस पार्टी पर धावा बोलना निर्दयी ढंग से लाठी चार्ज करना, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और छात्रों पर हमला करने वाले व्यक्तियों का पुलिस कार्मिकों द्वारा बचाव किया जाना *....(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : चेन्नितला जी यह शून्य काल है।

श्री रमेश चेन्नितला : मेरे एक सहयोगी को पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। सी.पी.आई. (एम.) के लोग छात्रों पर हमला कर रहे हैं। एल.डी.एफ. सरकार केरल में अराजकता की स्थिति पैदा कर रही है।.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री रमेश चेन्नितला : कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस हिरासत में लिया जाता है। न कोई जांच पड़ताल होती है न कोई कार्यवाही

होती है। राज्य सरकार कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं और आन्दोलनकारी छात्रों को यन्त्रणा दे रही है....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। श्री दाऊ दयाल जोशी।

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय, यह काफी गम्भीर मामला है....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही दूसरे सदस्य का नाम पुकार चुका हूँ।

श्री रमेश चेन्नितला : यह मुद्दा एकदम भिन्न है। लोगों को पुलिस हिरासत में रखा गया है....*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, क्या आपने यह बात सुनी है, लोगों को पुलिस हिरासत में लिया गया है। सी.पी.आई. (एम.) के कार्यकर्ता वहां आकर उन्हें पीट रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वयं वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी के लिए कह रहे हैं...*(व्यवधान)*... राजनैतिक हत्याएं हो रही हैं। विपक्ष के नेता को भी इस मामले पर कुछ कहने दें...*(व्यवधान)*....

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, बैठ जाइए।

श्री रमेश चेन्नितला : केरल में राजनैतिक हत्याएं हो रही हैं। इसकी किसी को परवाह नहीं है....*(व्यवधान)*....राज्य में पूर्ण अराजकता और दुर्व्यवस्था व्याप्त है। क्या आपने यह सुना है? ...*(व्यवधान)* पुलिस ने हमारे छात्र नेताओं को गिरफ्तार किया और उन्हें पुलिस हिरासत में रखा गया। पुलिस हिरासत में उन्हें पीटा गया। क्या आपने ऐसा सुना है?....*(व्यवधान)* हर जगह ऐसा ही हो रहा है....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री वियन कटियार (फैजाबाद) : आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। केरल के अन्दर आज भी दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लोगों की हत्याएं हो रही हैं।

[अनुवाद]

श्री रूप चन्द पाल : महोदय, जीरो आवर चल रहा है। ....*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला : पुलिस और सी.पी.आई. (एम) के कार्यकर्त्ता हमारे कार्यकर्त्ताओं को यातनाएं दे रहे हैं।....*(व्यवधान)* हम इस बारे में सरकार से वक्तव्य चाहते हैं।....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। श्री रमेश चेन्नितला अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

....*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला : यह राज्य का विषय नहीं है। ...*(व्यवधान)* शान्तिप्रिय लोग केरल में नहीं रह सकते। हम सरकार से वक्तव्य चाहते हैं....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला : सरकार को उत्तर देने दीजिए।.... *(व्यवधान)* विपक्ष के नेता भी इस पर अपना मत व्यक्त करें। *(व्यवधान)* आप कृपया केरल में एक प्रतिनिधिमण्डल भेजिए ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मलित नहीं किया जाएगा।

....*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला : उपाध्यक्ष महोदय, ...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न दो बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.33 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.10 बजे

लोक सभा दो बजकर दस मिनट पर पुनः समवेत हुई ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

नियम 377 के अधीन मामले

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामलों को लेंगे।

[हिन्दी]

(एक) कानपुर (उत्तर प्रदेश) को बिजली की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री जगतवीर सिंह द्रोण (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार इस बात से अवगत है कि एन.टी.पी.सी. के बिजली स्टेशन व पाइप लाइन खराबी, ग्रिड का फेल होना, इकाई का ब्रेकर खराब होना, बिजली घरों को कोयले की आपूर्ति समय पर पूरी न होना,

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्लाण्ट लोड फैक्टर, ट्रांसफार्मर का जलना, बिजली कर्मचारियों का सतत आंदोलन इत्यादि की वजह से कानपुर (उ.प्र.) में बिजली संकट हर वक्त मंडराता रहता है। नियमित रूप से बिजली कभी भी मिल नहीं पाती, जिससे आम नागरिक एवं नगर के उद्योग त्रस्त हैं। कानपुर नगर में विद्युत व्यवस्था सुव्यवस्थित करने हेतु कम से कम 100 करोड़ रुपये की धनराशि की तत्काल आवश्यकता है जो राष्ट्रपति शासन में मिल नहीं पा रही है। केन्द्र सरकार हस्तक्षेप करे एवं यह धनराशि उपलब्ध कराए।

अतः सरकार से अनुरोध है कि बिजली की नियमितता को सक्षम बनाने के लिए सरकार शीघ्र ही कार्यवाही करे।

(दो) राज्य में भू-जल स्तर के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री रामेश्वर पाटीदार (खरगोन) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में पिछले कई वर्षों से वर्षा की अपर्याप्तता के कारण तथा जल का कृषि कार्यों में अधिक उपयोग आदि कारणों से पेयजल व्यवस्था, कृषि सिंचाई के लिए खनित किये गए नलकूपों का जल स्तर नीचे जा रहा है। यह चिन्तनीय समस्या है व स्थिति से निपटने के लिए भू-जल स्तर का संतुलन बनाए रखना अति आवश्यक है। राज्य शासन द्वारा इस हेतु भू-जल संरक्षण/संवर्धन योजनाएं बनाई जा कर क्रियान्वित भी की जा रही हैं। विभाग द्वारा और जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत कई कार्य संपन्न हुए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा कई जिलों में कई करोड़ों रुपये लागत की अनेक योजनाएं केन्द्र के पास स्वीकृति व वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु भेजी गई हैं।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इन योजनाओं की स्वीकृति प्रदान कर पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराएं।

[अनुवाद]

(तीन) बिहार के छपरा जिले में 20 किलो मीटर क्षेत्र के भीतर आने वाले सभी दूरभाष केन्द्रों को स्थानीय दूरभाष केन्द्र माने जाने की आवश्यकता

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : दूरसंचार मंत्रालय द्वारा शोर्ट डिस्टेन्स चार्जिंग सेन्टर और शोर्ट डिस्टेन्स चार्जिंग एरिया अवधारणाओं पर आधारित 'मीटरिंग' व्यवस्था कार्यान्दित किए जाने से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयोक्ताओं के लिए वित्तीय संकट पैदा हो गया है। छपरा जिले में सोनपुर, पटना से लगभग 30 कि. मी. की दूरी पर स्थित एक छोटा सब डिवीजन है। इसका प्रभार स्थानीय दूरभाष केन्द्र के रूप में लिया जाता है। जबकि मदहोदाह, जो पटना से केवल 20 कि.मी. पर स्थित है के लिए एस.टी.डी. दरों पर प्रभार लिया जाता है। इन दरों पर प्रभार दूरभाष केन्द्रों की सन्निकटता के कारण वास्तविक रूप से अनियमित और उच्च लगते हैं। लेकिन एस.डी.सी.ए. और एस.डी.सी.सी. के अंतर के कारण दरों में भिन्नता आ जाती है। मंत्रालय को इस अवधारण में संशोधन करना चाहिए और इसके साथ-साथ डी.डी.ई. छपरा (बिहार) को इस प्रणाली को समाप्त करने और 20 कि.मी. के दायरे में स्थित सभी दूरभाष केन्द्रों को स्थानीय केन्द्र के रूप में मानने का निदेश देना चाहिए तथा समूचे देश में मीटरिंग प्रणाली को युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

(चार) बिहार के सीतामढ़ी को पर्यटक-स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य का सीतामढ़ी जिला ऐतिहासिक स्थल है। जगत जननी सीता जी का जन्मस्थल होने के कारण न केवल भारतवर्ष बल्कि पूरी दुनिया से हिन्दू धर्मावलंबी पर्यटक यहां आते रहते हैं। सीतामढ़ी जिले के परिहार प्रखण्ड के कनवा एवं नानपुर प्रखण्ड के बालासाथ में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मदरसा सूफी संतों का स्थान है। वहां भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के लोग आते-जाते रहे हैं। उत्तर बिहार का सीतामढ़ी प्रमुख स्थल है। सदन में एवं सदन के बाहर इस क्षेत्र को राष्ट्रीय पर्यटन के मानचित्र में शामिल करने, सड़क, रेलमार्ग, दूरसंचार, प्रसारण सेवाओं की विशिष्ट सेवा प्रदान कराने की मांग होती रही है। कई बार सर्वेक्षण हुआ एवं सर्वेक्षण प्रतिवेदन भी भारत सरकार के विभिन्न विभागों के पास लंबित पड़े हैं। अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बिहार राज्य के सीतामढ़ी जिले को राष्ट्रीय पर्यटन के मानचित्र में शामिल कर ''जानकी सर्किट'' के रूप में इसका विकास किया जाए। इसके विकास के लिए पटना, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनवरसा एवं भिट्ठामोड़ पथ को राष्ट्रीय पथ घोषित कर उक्त सड़क का विकास कराया जाए। सीतामढ़ी में दूरसंचार के विशेष केन्द्र सहित दूरदर्शन, आकाशवाणी प्रसारण केन्द्र की स्थापना यहां पर की जाए।

श्री राम कृपाल यादव : सर, मंत्री जी का ध्यान नहीं है।

श्री नवल किशोर राय : सर, आज मंत्री जी का कोई ध्यान नहीं है। शायद वह कुछ कहना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बात रिकार्ड में आ गई है। यदि मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं तो मैं उन्हें रोकूंगा नहीं।

[अनुवाद]

(पांच) चेन्नई और तिरूवनन्तपुरम, केरल को जोड़ने के लिए सहयाद्रि होते हुए एक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री ए. सम्पथ (चिरायिंकिल) : सम्पूर्ण भारत में सड़क यातायात अब सधन होता चला जा रहा है। सभी राज्यों में पंजीकृत वाहनों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ती चली जा रही है। पेट्रोल उत्पादों और समय की बचत हेतु और अधिक राजमार्गों का निर्माण किया जाना चाहिए। बहुत समय से केरल में यह मांग थी कि सहयाद्रि होते हुए चेन्नई और थिरूवनंतपुरम को जोड़ने के लिए तमिलनाडु के अम्बासमुद्रम और केरल के थिरूवनंतपुरम जिले में चिरायइंकील संसदीय चुनाव क्षेत्र में कोट्टूर, आरयानद तथा नेदूमनगीद बरास्ता अम्बासमुद्रम एक राजमार्ग का निर्माण किया जाए इस राजमार्ग के निर्माण के फलस्वरूप दोनों राज्यों की राजधानियों में सड़क का रास्ता 100 कि.मी. कम हो जायेगा। अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस प्रस्ताव पर विचार किया जए और यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाए।

(छः) देश की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण के लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता

डॉ॰ प्रवीन चन्द्र शर्मा (गुहावाटी) : देश की समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए केन्द्रीय कानून बनाने की आवश्यकता है। चूंकि पूरे देश में जैविक चोरी बहुत जोर-शोर से चल रही है विशेषकर उत्तर-पूर्व में की जो कि वातावरण की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारत के वनों तथा मैदानों की अमूल्य निधि, उसकी समृद्ध जैविक और पर्यावरण निधियों का विदेशी कम्पनियों तथा उनके एजेंटों द्वारा लूटा जा रहा है। जिसके फलस्वरूप देश को करोड़ों रुपये के राजस्व की हानि हो रही है। यूरोपीय और अमरीकी देशों में कम्पनियों के लिए धन कमाने हेतु भारत की जैविक निधि को ले जाया जा रहा है। चाहे वह चावल और गेहूं के विशेष उत्तम गुणवत्ता वाले बीज हों जो अमरीकी बीज कम्पनियों के हाथों में जा रही है अथवा पूर्वोत्तर के आर्किड हों, जहां से पुष्पकृषि में लगी यूरोपियन कम्पनियाँ मिलियनों में धन कमा रही हैं। हमारे देश में पाई जाने वाली मूल्यवान औषधियों की जड़ी-बूटियों की तस्करी की जा रही है और विदेशी कम्पनियों द्वारा पेटेन्ट की जा रही है नई भारतीय कम्पनियां, आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध पर आधारित हमारे ज्ञान से सम्बन्धित बहुत सी भारतीय जड़ी-बूटियों से दवाइयां नहीं बना सकती चूंकि कुछ अमरीकी अथवा यूरोपीय कम्पनियों ने हल्दी, तुलसी, आंवला आदि वस्तुओं का पेटेन्ट पहले ही ले लिया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र जो जैविक-विविधता में बहुत सम्पन्न हैं जैविक चोरी का लक्ष्य-स्थल बन गया है। पिछले वर्ष एक जापानी व्यक्ति को दिल्ली हवाई-अड्डे पर तितलियों की कुछ कम पाई जाने वाली प्रजातियों की तस्करी करते हुए पकड़ा गया था; परन्तु चूंकि ऐसी जैविक चोरी को रोकने के लिए हमारे देश में कोई कानून विद्यमान नहीं था, अतः उसे छोड़ देना पड़ा।

दूसरे देशों ने जैविक संसाधनों पर अपने स्वामित्व से सम्बन्धित राष्ट्रीय कानून पहले ही बना लिये हैं। अतः अब उचित समय आ गया है जबकि भारत सरकार भी इस सम्बन्ध में पर्याप्त कानून बनाकर इस स्थिति से निपटे।

(सात) उड़ीसा के बीरमित्र पुर में बिसरा डोलोमाइट स्टोन पर चूना पत्थर खानों का बन्द न किया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

कुमारी क्रिडा तोपनो (सुन्दरगढ़) : मैं हजारों मजदूरों और उनके परिवारों के भविष्य की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। यदि वीरमित्रपुर स्थित बिसरा डोलोमाइट पत्थर और चूने के पत्थर की खान और पूर्णपानी स्थित डोलोमाईट पत्थर खान बन्द कर दी जाती है तो इन मजदूरों का जिनमें 95% आदिवासी हैं, रोजगार बन्द हो जाएगा।

मान्यवर, बीरमित्रपुर स्थित बी.एस. एल. खान देश की सबसे पुरानी खान है और कभी उसमें 7,000 मजदूर काम करते थे। अब उसमें 3000 मजदूर हैं जिसमें से 95% आदिवासी हैं। ये खानें राउरकेला इस्पात कारखानों तथा विशाखापट्टनम इस्पात कारखानों को डोलोमाईट पत्थर सप्लाई करता है। परन्तु प्रबन्धकीय खामियों की वजह से खान बन्द होने के कगार पर है। मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण इस खान को अपने अधीन ले ले।

आर.एम.डी. के अन्तर्गत पूर्णपाणि संयंत्र की राउरकेला इस्पात संयंत्र को डोलोमाइट पत्थर सप्लाई करता है। आर.एम.डी. ने मजदूरों को सूचना दे दी है कि वे खान को बन्द करने जा रहे हैं और 3000 आदिवासी मजदूरों को रोजगार से हटा रहे हैं।

मान्यवर, बीरमित्रपुर विधान सभा क्षेत्र में इन खानों के बंद होने से कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाएगी। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह तुरन्त कदम उठाए ताकि इन खानों को बन्द होने से बचाया जा सके।

(आठ) पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों का शीघ्र कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता

श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलार) : तीन सालों के लम्बे इन्तजार के बाद आखिरकार पांचवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे ही दी।

भारत सरकार ने 11 वर्ष पहले चौथे वेतन आयोग की

सिफारिशें लागू की थी। उसके बाद से मुद्रा-स्फीति के बढ़ने और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों के आकाश छूने से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के जीवन को दयनीय बना दिया है। इन कर्मचारियों विशेषकर वर्ग 'ग' और 'घ' के कर्मचारियों की खरीदने की क्षमता गिरी है। इस स्थिति के कारण इन कर्मचारियों का भविष्य अन्धकारमय हो गया है। आय-कर धीरे-धीरे तृतीय वर्ग के कर्मचारियों को भी अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है। सभी पार्टियों और जनता की बार-बार मांग पर भी आय कर की सीमा पिछले वर्ष नहीं बढ़ाई गई थी। सिफारिशों की कुछ अलोचना भी हुई है। इस उद्देश्य हेतु सरकार एक शिकायत कक्ष की स्थापना भी कर सकती है। कर्मचारियों के अनेक संघों ने भी इन सिफारिशों को यथाशीघ्र लागू न करने पर अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल की धमकी दी है।

अतः मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वह और अधिक विलम्ब किये बिना इन सिफारिशों को लागू करें।

(नौ) तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा प्रस्तावित बाटलिंग संयंत्र को उड़ीसा के झारसुगुडा के समीप स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभी पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए विशेषकर देश की रसोई गैस की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उड़ीसा में झारसुगुडा के निकट अविभक्त सम्बलपुर जिले में भारतीय तेल विभाग द्वारा बाटलिंग संयंत्र लगाने का प्रस्ताव रखा गया था। परन्तु चिन्ता की बात है कि अभी तक यह प्रस्ताव साकार नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि इस प्रस्ताव को दबाये जाने का प्रयास किया जा रहा है और इसे 250 कि.मी. दूर किसी स्थल पर लगाया जायेगा। इससे इस क्षेत्र के लोगों में असंतोष फैल रहा है।

मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री से हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूँ ताकि उड़ीसा में झारसुगुडा के निकट बोतल बन्द करने का कारखाना लगाना सुनिश्चित किया जा सके।

अपराह्न 2.25 बजे

[अनुवाद]

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव – *जारी*

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम संख्या 18 राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर पाटीदार (खरगोन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति जी के धन्यवाद के प्रस्ताव पर विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। विरोध इस दृष्टि से कि राष्ट्रपति महोदय ने जो परम्पराएं कायम की हैं उन पर भी यह सरकार नहीं चल सकती। अभी थोड़े दिन पहले ही राष्ट्रपति जी ने देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी को, सबसे बड़े दल के नाते, सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने जो परम्परा कायम की है, उस परम्परा पर भी यह सरकार नहीं चल सकी। मैं इस बारे में सरकार का ध्यान विगत में घटित हुई घटनाओं की ओर दिलाना चाहता हूँ। अक्टूबर, 1967 में राजस्थान में ऐसे ही संयुक्त मोर्चे की सरकार बनाने के लिए वहां एक संयुक्त मोर्चा बनाया गया जिसमें जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, संसोपा, कम्युनिस्ट पार्टी और निर्दलियों ने मिलकर एक संयुक्त मोर्चे का गठन किया। उनकी संख्या उस समय 92 हो गई थी और उन्होंने अपना नेता चुना महारावल लक्ष्मण सिंह को और महारावल लक्ष्मण सिंह ने दावा किया कि मेरे साथ सदन का बहुमत है। इसलिए मुझे मुख्यमंत्री बनने के लए आमंत्रित किया जाए, तो उस समय राज्यपाल ने जो निर्णय दिया उस निर्णय को मैं डॉ सुभाष कश्यप की पुस्तक से सुनाना चाहता हूँ। उसमें उन्होंने लिखा है कि राज्यपाल ने यह निर्णय दिया कि सदन में कांग्रेस दल अकेला सबसे बड़ा राजनीतिक दल था और जबकि उसकी संख्या 88 थी। राज्यपाल ने मद्रास की चर्चा की और कहा कि 1952 के चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन वह अकेला सबसे बड़ा राजनीतिक दल था। यद्यपि विरोधी पक्ष के नेता टी. प्रकाशन ने सारे विरोधी दलों को एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा किया था और उन्हें बहुमत का समर्थन भी प्राप्त था, लेकिन राज्यपाल ने राजाजी को सबसे बड़े राजनीतिक दल के होने के नाते सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। 1967 तक या उससे पहले मद्रास में यह परम्परा कायम की गई थी। यानी उस समय राज्यपालों का यह रुख था कि सबसे बड़े राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए और उस परंपरा को अब तक आते-आते और इतने वर्ष बीतने के बाद, उत्तर प्रदेश में नहीं माना जा रहा है। क्या संविधान बदल गया या परम्पराएं बदल गई ? इस प्रकार से राष्ट्रपति जी ने जो परम्पराएं कायम की थी, उनका पालन यह सरकार नहीं कर रही है और उनके खिलाफ जाकर काम कर रही है। इस प्रकार से इस धन्यवाद प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं रह जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूँ कि अभी हमारे मित्र इस बात पर चर्चा कर रहे थे और थोड़े दिन पहले तक ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस इस सरकार से अपना समर्थन वापस लेने जा रही है और संयुक्त मोर्चे की सरकार पर आशंका के बादल मंडराने लगे थे कि सरकार अब गई कि अब गई, परन्तु बीच में जिस प्रकार से पंजाब के चुनाव हुए और मध्यप्रदेश और राजस्थान के उपचुनाव हुए और राजस्थान में तो नागौर और मध्यप्रदेश के छिन्दवाड़ा उप चुनाव में जहां पर कि कांग्रेस 50 साल से एक छत्र अपनी सीट को लेकर आती रही वहां भी दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीतीं। इसी प्रकार से पंजाब

[श्री रामेश्वर पाटीदार]

में जो परिणाम निकले उनके कारण माना यह जाना चाहिए और संयुक्त मोर्चे को भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करना चाहिए कि उसके कारण उनकी सरकार टिकी हुई है और इसलिए मिठाई बांटनी चाहिए। एक तरह से अब यह माना जाएगा कि अब यह सरकार कांग्रेस के कारण नहीं टिकी हुई है, बल्कि भा.ज.पा. के डर के कारण टिकी हुई है। मुम्बई और दिल्ली के नगरनिगम के चुनावों ने भी इसी बात को सिद्ध कर दिया है। इसलिए इस सरकार का जीवनकाल थोड़े दिनों के लिए और बढ़ गया है। अतः मेरा कहना है कि इस सरकार को थोड़ा और अच्छा काम करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमारे संविधान में डायरैक्टिव प्रिंसीपल्स दिए गए हैं और उनमें आर्टीकल 44 भी दिया गया है। उसके ऊपर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने मई 1995 में एक फैसला दिया। उसके पहले भी न्यायालय समय-समय पर सरकार को अगाह करता रहा है कि सरकार को कामन सिविल कोड बनाना चाहिए, परन्तु अभी तक जितनी भी सरकारें आईं, उन्होंने इस बारे में कुछ भी नहीं किया। इसके कारण सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट दुख के साथ यह लिख रही है कि अभी तक की जितनी भी सरकारें आई उन्होंने कामन सिविल कोड बनाने के बारे में कुछ भी प्रयास नहीं किया और नरसिंहराव सरकार जब चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इस बारे में सरकार ने क्या प्रगति की है, यह बताने के लिए अगस्त, 1996 में सुप्रीम कोर्ट में एक एफीडेविट दे, लेकिन इस बारे में भी सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया। मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूँ कि चूंकि कामन सिविल कोड की मांग भारतीय जनता पार्टी करती रही है इसलिए बहुत आसानी से कह दिया जाता है कि यह धर्मनिरपेक्षता विरोधी है। इसी प्रकार से जब भी गोवध को बंद करने की बात कही जाती है तो भी हमें धर्मनिरपेक्षता विरोधी करार दिया जाता है। मैं ऐसे लोगों के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ कि यह जो कामन सिविल कोड बनाए जाने के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, उसके बाद से इस देश के जो नेता हैं, या जो ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं, उनको इससे सबक सीखना चाहिए कि यह बात भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि देश का सुप्रीम कोर्ट भी यही चाहता है कि यह देश हित में है। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि अब यह केवल धर्म का मुद्दा नहीं है। कामन सिविल कोड बनने से धर्म को खरोंच भी नहीं आएगी और यह भी लिखा है कि कामन सिविल कोड सीरिया, तनजानिया, मोरक्को जैसे देशों ने अपने देश में सिविल कोड बनाकर बहु विवाह प्रथा को समाप्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन नामों को अपने फैसले में कोट दिया है।

तुर्किस्तान से लेकर पाकिस्तान तक 18 मुस्लिम देशों ने शरीअत कानून में परिवर्तन किये हैं। मुस्लिम राष्ट्र में परिवर्तन किये जा सकते हैं तो भारत में क्यों नहीं हो सकते? भारत की सरकार को परिवर्तन करने चाहिए।....*(व्यवधान)*

श्री कमारूल इस्लाम (गुलबर्गा) : यह गलत है। ....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपको भी चांस मिलेगा।

श्री रामेश्वर पाटीदार : मैं ईल्ड नहीं कर रहा हूँ।

[अनुवाद]

महोदय, मैं नहीं मान रहा हूँ.....*(व्यवधान)*

श्री कमारूल इस्लाम : महोदय, एक बात है मैंने माननीय सदस्य को बैठने का अनुरोध कर दिया है। माननीय सदस्य ने कहा कि इतने सारे मुसलमान देशों

[हिन्दी]

शरीअत में परिवर्तन किये हैं; यह सब गलत बात है। 100 मुस्लिम देशों ने शरीअत में परिवर्तन किया है। आप यह अल्फाज इसलिए वापस लें।

[अनुवाद]

शरीअत रूहानी कानून है। कोई इन्सान इसमें परिवर्तन करने की क्षमता नहीं रखता। कोई मुसलमान नहीं कर सकता, कोई नहीं करेगा *(व्यवधान)* मैं आपको बताता हूँ..... यह तो है।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर पाटीदार : मेरे एक सवाल का उत्तर दें.... *(व्यवधान)* 1933 से पहले भारत में शरीअत लॉ लागू नहीं था। क्या भारत में मुगलकाल में शरीअत लॉ लागू था...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कमारूल इस्लाम : आप शरीअत को समझे नहीं.... *(व्यवधान)* यदि आपको इस विषय पर जानकारी नहीं तो कृपया इस विषय पर मत बोलें।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर पाटीदार : जिस तरह से बात को घुमा फिराकर कहने की आपकी आदत है।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कमारूल इस्लाम : उच्चतम न्यायालय मुस्लिम शरिअत से ऊपर नहीं है। धार्मिक मामलों में यह हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर पाटीदार : मैं सीधे-सीधे सुप्रीम कोर्ट का कोट कर रहा हूँ और जो फैसले में कहा गया है।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कमारूल इस्लाम : महोदय, यदि शरीअत में मैं कोई परिवर्तन करता हूँ तो मैं अपना धर्म खो बैठूंगा। मैं इस बात पर

कायम हूँ....*(व्यवधान)* उच्चतम न्यायालय शैरियतन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। शरियत एक धार्मिक कानून है। उससे ऊपर कोई नहीं है। धर्म में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इस सभा में मैं अपनी बात पर कायम हूँ ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्हें बोलने दीजिए।

[हिन्दी]

ठीक है, आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बात रिकार्ड में आ गयी है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे कह रहा हूँ।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मिस्टर आजमी, आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्री रामेश्वर पाटीदार : आप अपनी बारी आने पर बोल लीजियेगा।

...*(व्यवधान)*

श्री कमालुल इस्लाम : मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कुरान, गीता, बाइबल को क्या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देगी ? किसी के मजहब में, मुस्लिम के, हिन्दू के, क्रिशचियन्स के मजहब में सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं दे सकती।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इसे न दोहराएं।

[हिन्दी]

आप अगला प्वाइंट ले लीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री रामेश्वर पाटीदार : हमारे देश में एक प्रदेश गोवा का है।....*(व्यवधान)* गोवा में पुर्तगालियों का राज्य था। पुर्तगालियों के राज्य के समय तक भारत आजाद हुआ। भारत के आजाद होने के 15 वर्ष बाद गोवा आजाद हुआ।....*(व्यवधान)* आज भी गोवा में सिविल कॉमन लॉ लागू है। इसलिए यहाँ पर आपत्ति नहीं की जाये।....*(व्यवधान)* मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोट कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि इससे भारत की एकता और अखंडता मजबूत होगी।....*(व्यवधान)* इससे धर्म पर किसी तरह की खरोंच तक नहीं आयेगी। यह मानवाधिकार और मानव गरिमा का हनन नहीं करता है। एक तरफ महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उन अत्याचारों को यह रोकता है। इसलिए सिविल कॉमन लॉ लाना जरूरी है। अमरीका और चीन तक में बहु विवाह प्रथा बंद है। वहां मुसलमान भी बहु विवाह नहीं करते। उनके लिए भी अनुमति नहीं है। इसलिए भारत के लिए यह करना और इस तरह की यह चर्चा करना....*(व्यवधान)* सप्रीम कोर्ट ने जो कोट किया है, उसको मैं कोट नहीं करना चाहता।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कमालुल इस्लाम : महोदय, यह एक मौलिक अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 25 में इसका प्रावधान है। इस देश का प्रत्येक नागरिक अपनी इच्छानुसार धर्म को अपना सकता है। और इसका अनुसरण कर सकता है। इस देश का नागरिक होने के नाते हमें यह वह संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ है। .....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर पाटीदार : मैं एक दूसरा मुद्दा उठाना चाहता हूँ। आज भारत में कानून और व्यवस्था की जो स्थिति लागू है, वह केवल धर्म के कारण है। हमारे धर्म, शास्त्र, कुरान, संत और हमारे शंकराचार्य जिस तरह से देश में सभाएं करते हैं, जिस तरह का प्रचार करते हैं कि बुरा काम नहीं करना चाहिए। बुरा काम करने से पाप लगता है और पार के डर के मारे लोग बुरा काम नहीं करते इसलिए देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति लागू है। भारत सरकार के कारण या पुलिस के कारण देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति लागू नहीं है। जिस तरह से पुलिस चोर, डाकुओं, तस्करों, गुण्डों के साथ मिली हुई है, उसके रहते इतने विशाल देश में कानून और व्यवस्था नहीं रह सकती है। कानून और व्यवस्था धर्म के कारण लागू है और सभी लोग इसका पालन करते हैं। सभी सम्प्रदाय के लोग धर्म का पालन करते हैं इसलिए धर्म की अपनी उपयोगिता है। उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। ....*(व्यवधान)*

श्री रामसागर (बाराबंकी) : अब सही है।

श्री रामेश्वर पाटीदार : अब सही है तो इसे मान तो लें।

मैं एक मुद्दा और उठाना चाहता हूँ। भारत के ऊपर कर्ज काफी बढ़ता जा रहा है। भारत ने जो कर्जा ले रखा था, उसमें अन्यूटीलाईज़्ड लोन भी काफी बढ़ा हुआ है। 1992 में

[श्री रामेश्वर पाटीदार]

61,000 करोड़ अनयूटीलाईज्ड लोन था, 1993 में 65,000 करोड़ था और 1994 में बढ़कर 83,000 करोड़ हो गया। इस कारण विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, भारत को जो 9.40 अरब डालर का ऋण मिलने वाला था, उसे यह कहते हुए रोक दिया था कि भारत के पास जो लोन है, वह अनयूटीलाईज्ड पड़ा हुआ है, उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसलिए पिछले सितम्बर में वित्त मंत्री वाशिंगटन गए थे। वहां आई.एम.एफ. के अध्यक्ष से चर्चा भी करके आए थे। 1964 में अनयूटीलाईज्ड लोन पर इतनी चिन्ता जाहिर की गई थी कि वी.के.आर.वी. राव की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी बनाई गई। उन्होंने जो सुझाव दिए थे, उसे भारत सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया है। अनयूटीलाईज़्ड लोन पर ब्याज भी देना पड़ता है। इसलिए भारत की कई योजनाएं अधूरी पड़ी हुई हैं।

भारत के संविधान में आर्टिकल 292 है जिसके अंतर्गत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि विदेशों से जो ऋण लिया जाता है, उस पर वह सीमा लगा सकती है। इसलिए कर्ज की सीमा तय होनी चाहिए। भारत पर जिस तरह से कर्ज बढ़ता जा रहा है, वह सब जानते हैं, उस पर काफी चर्चा भी हो चुकी है। आज की तारीख में भी भारत पर 3,60,000 करोड़ का विदेशी कर्जा है। अबकी बार बजट में आया है कि इस पर अब 60,000 करोड़ ब्याज देना पड़ता है, अगले साल से 80,000 करोड़ देना पड़ेगा। इसलिए भारत की संसद को कर्ज पर सीमा लगानी चाहिए। 1962-63, 1963-64, 1965-66 में पब्लिक एकाउंट्स कमेटी ने भी सुझाव दिया था कि भारत की संसद और सरकार को भी विचार करके इस पर सीलींग लगानी चाहिए। ऐस्टीमेट्स कमेटी ने भी 1992-93 में रिपोर्ट दी है कि इस पर स्टैटूटरी सीलिंग लगाई जानी चाहिए ताकि सरकारों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। इंग्लैंड, अमरीका, कनाडा और श्रीलंका में इस तरह की सीमा लगाई जा चुकी है। इसके लिए सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशत की तुलना में इस तरह के कर्ज की सीमा निर्धारित करनी चाहिए। संसद सदस्यों की चिन्ता इस बात से प्रकट होती है कि दस वर्षों में सौ से ज्यादा प्रश्न इसी बात पर पूछे गए हैं। इसलिए आज भारत जो कर्ज के ज्वालामुखी पर बैठा है, उसे बचाने का तरीका निकाला जाना चाहिए।

भारत के संविधान में अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया है कि भारत की सरकार को संविधान लागू होने के दस वर्षों के भीतर ही सबको निशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। दस वर्ष कब के बीत चुके। क्या भारत में निशुल्क शिक्ष दी जा रही है? क्या अभी भी 14 वर्ष के बच्चों से फीस नहीं ली जा रही है? क्या अनिवार्य शिक्षा लागू की गई है? भारत सरकार को इस पर भी विचार करके इसे लागू करना चाहिए।

साम्प्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारे काफी सदस्य उत्तेजित हो जाते हैं। साम्प्रदायिकता और धर्मनिर्पेक्षता की परिभाषा करके अभी भी संविधान में नहीं जोड़ा गया है। मैं यह मांग करना चाहता हूँ और सदन के सामने यह पक्ष विचार के लिए रखना चाहता हूँ कि हम साम्प्रदायिकता की परिभाषा क्यों नहीं करते, धर्मनिर्पेक्षता की इलैबोरेट परिभाषा करके संविधान में क्यों नहीं जोड़ते। परन्तु इन बातों पर विचार नहीं किया जा रहा है।

मैं आर्टिकल 356 के बारे में भी ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार किस तरह से इसका दुरूपयोग करके राज्य सरकारों को भंग करती रहती है। हमारे पुराने चीफ जस्टिस श्री वैंकट चल्लैया ने रिटायर होने के बाद एक सिमपोजियम में यह मांग की कि आर्टिकल 356 को भारत के संविधान से निलंबित कर देना चाहिए। आज श्री बोम्मई शिक्षा मंत्री हैं। जब वे कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे तो उनकी सरकार को भंग किया गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि केन्द्र सरकार ने श्री बोम्मई की कर्नाटक सरकार को गैरकानूनी तरीके से भंग किया था। इस प्रावधान का बार-बार जो दुरूपयोग हो रहा है, उसे रोकने के लिए भी सरकार ने कुछ नहीं किया।

संयुक्त मोर्चा का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। मैं उसकी दो लाइनें पढ़ना चाहता हूँ :

[अनुवाद]

"कृषि उत्पादों को लाने-ले जाने और कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण पर से नियंत्रण समाप्त किया जाएगा। किसानों को उनके उत्पाद का उचित और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उपाय किए जाएंगे।"

[हिन्दी]

आज क्या हो रहा है? क्या सरकार अपनी इन प्रतिज्ञाओं का पालन कर रही है? गेहूं के ऊपर आज भारत का किसान बहुत चिन्तित है। गेहूं के ऊपर प्रान्तबंदी लागू कर दी गई है, गेहूं के स्टॉक की सीमा तय कर दी गई है। एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में गेहूं नहीं जा रहा है। अभी गेहूं की फसल किसान के घर में आ गई है और भाव डाउन होते चले जा रहे हैं। इसलिए यह जो था कि हम सीमाएं नहीं रखेंगे और कण्ट्रोल नहीं रखेंगे, उल्टे इन्होंने कंट्रोल लागू कर दिया। गेहूं की कीमत क्या किसानों को ठीक मिल रही है?

कपास की कीमत भी ठीक नहीं मिल पा रही है। 1994-95 में कपास का भाव 2500 रुपये क्विंटल था और 1995-96 में घटकर 1800 रुपये क्विंटल हो गया। इस साल घटकर 1400 रुपये क्विंटल किसान की कपास बिक रही है। सी.सी.आई. ने अपनी खरीदी बन्द कर दी है। केवल जिला स्थान के जो बड़े केन्द्र हैं, वहां सी.सी.आई. खरीद कर रहा है। बाकी स्थानों पर सी.सी.आई. ने कपास की खरीदी बन्द कर दी है। मुझे जानकारी है कि आज

की तारीख तक भारत सरकार ने 12 लाख गांठों को निर्यात करने के निर्देश दिये हैं और उसके लिए कोटा रिलीज किया है, लेकिन उसके अगेन्स्ट में अक्टूबर से लगाकर अभी मार्च तक केवल दो लाख गांठें निर्यात की जा सकी हैं। ये गांठें निर्यात क्यों नहीं हो रही हैं, इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। यह निर्यात होगा तो ही कपास के भाव बढ़ेंगे। भारत सरकार को व्यापारियों से गांठों को खरीदना चाहिए, जिससे बाजार में कपास का भाव बढ़ सके।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। कन्क्लूड कीजिए।

श्री रामेश्वर पाटीदार : महंगाई बढ़ रही है और मंहगाई बढ़ने के साथ-साथ सारी परेशानियां बढ़ रही हैं। शक्कर के भाव अभी डेढ़ रुपये किलो कंट्रोल की दुकान पर बढ़ा दिये, खुले बाजार में खरीदने के भाव बढ़ा दिये, चाहे जिस तरह से बढ़ा दिये। महंगाई की मार से जनता परेशान हो रही है, उस दृष्टि से भी महंगाई को कम करने के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। एक तरफ सरकार पिछले साल गेहूं का निर्यात करती रही। ऐन वक्त पर सरकार ने बयान दिया था कि जून, 1996 में ही गेहूं का निर्यात बन्द कर दिया और उसके बाद सरकार ने बयान दिया, जब सवाल पूछा गया कि सितम्बर, 1996 में आटे का निर्यात किया गया तो सरकार ने जवाब दिया कि हमने गेहूं का निर्यात कहां किया, हमने तो आटे का निर्यात किया। आटे और गेहूं में क्या फर्क है? एक तरफ सरकार निर्यात करती है, दूसरी तरफ जिन चीजों का निर्यात किया, उसी को वापस खरीदती है। यही हर दूसरी चीज में है। पिछले दो सालों में भी यही हुआ कि पहले सरकार ने निर्यात कर दिया और सरकार ने निर्यात करने के बाद थोड़े समय के बाद सरकार शक्कर खरीदती है और अब तो डब्लू.टी.ओ. आ गया है, उसके अन्तर्गत निर्यात करना ही पड़ेगा और फिर उसी चीज को वापस खरीदना पड़ेगा। इसके अन्तर्गत खरीदने में भी जो अभी तक चल रहा है कि बेचने में भी कमीशन कमाया जा रहा है और खरीदने में भी कमीशन लिया जा रहा है, ऐसा गेहूं के धंधे में हुआ। मैंने तो सुना था कि कोयले की दलाली में हाथ काले होते हैं, पर कुछ लोगों ने गेहूं की दलाली में हाथ काले कर लिये और हाथ ही काले नहीं किये, भारत सरकार का मुंह काला किया है। इसलिए विदेशों में उसके कारण छवि गिरती है, इस बारे में सरकार का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : कन्क्लूड कीजिए।

श्री रामेश्वर पाटीदार : मैं उसी माध्यम में केवल एक बात रखना चाहता हूं कि यूरिया के भाव बढ़ा दिये गये पेस्टीसाइड्स देश भर में नकली बिक रही है, उसके लिए सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही है। किसानों की हालत तभी सुधर सकती है, जब फसल का बीमा किया जाये, कृषि की फसल का बीमा किया जाये, इसलिए बीमे की ओर सरकार को आगे आना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद, अब बैठिये। कितनी बातें ओर कहनी हैं।

श्री रामेश्वर पाटीदार : मध्य प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। मध्य प्रदेश बिजली की दृष्टि से पिछड़ा है, रेल की दृष्टि से पिछड़ा है, सड़कों की दृष्टि से पिछड़ा है, सब दृष्टि से मध्य प्रदेश पिछड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में बड़े-बड़े सिंचाई के प्रौजैक्ट्स अभी अधूरे पड़े हुए हैं। नर्मदा सागर बांध है अकारेश्वर है, महोश्वर है, बाणसागर बांध है, मान है, मान में अब तक 60 परसेंट काम पूरा हो चुका है लेकिन तीन साल से उसका काम बन्द पड़ा है और इसलिए ये जो बड़े-बड़े प्रौजैक्ट्स बन्द पड़े हैं। सबसे पहले तो इन अधूरे प्रोजैक्ट्स को पूरा करने के लिए सरकार को पूरी कोशिश करनी चाहिए, अन्यथा यह जो सारा रुपया फंसा पड़ा है, उसका उपयोग भी नहीं हो पा रहा है।

दूसरी बात मैं यहां कहना चाहता हूं कि प्रान्तों में जो विवाद है आज अलमत्ती बांध पर कर्नाटक और तमिलनाडु का झगड़ा चल रहा है, सरदार सरोवर बांध पर गुजरात का और मध्य प्रदेश का झगड़ा है उसे सुलझाइए पहले....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : बैठ जाइये। मैं अगले आदमी को बुला रहा हूँ।

श्री रामेश्वर पाटीदार : मैं समाप्त कर रहा हूँ।

यह जो सारा कुछ चल रहा है, इससे प्रजा बहुत दुखी है, सारी जो मंहगाई बढ़ रही है, अत्याचार, अनाचार बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इससे प्रजा बहुत दुखी है। जिसके राज में प्रजा दुखी होती है, उस राजा को कभी सुख नहीं मिलता है, इसलिए सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। साथ-साथ राष्ट्रपति जी ने यहां आकर जो अभिभाषण दिया, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

उपाध्यक्ष जी, राष्ट्रपति का अभिभाषण देश के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। जो समय बीत गया, जो आने वाला समय है, उसमें हमारी आर्थिक नीति, विदेश नीति क्या होगी और लोगों के साथ सरकार का कैसा सम्बन्ध होगा, इसके जरिए देश की जनता के सामने सरकार का नजरिया प्रकट होता है। यह सदन सर्वोच्च है। इसीलिए दुनिया भर के लोग हम पर निगाह लगाए बैठे हैं कि देश के लिए हमारी क्या सोच है। मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए भाषण सुन रहा था। कई प्रकार की बातें आ रही थी। पार्टी से ऊपर उठकर देश के लोगों का विकास कैसे किया जाए, इसके बारे में बहुत कम बातें आई।

[श्री दिलीप सिंह भूरिया]

राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में जो तीसरे मुद्दे को कहा है, मैं उसके बारे में जिक्र करना चाहता हूँ। राष्ट्रपति जी ने कहा इस प्रकार इस कार्यक्रम में एक ओर आर्थिक विकास तथा दूसरी ओर समानता एवम आनुपातिक न्याय के प्रति चिंता का उचित कारण है। सरकार इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध है। यह जरूर है कि 1996 में जब चुनाव हुए तो बहुत से छोटे-छोटे दल आए। इससे देश की जनता कंफ्यूज हो गई और राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस नहीं हुई, जिसके कारण 13 दलों की सरकार बनी और कांग्रेस दल उसको बाहर से समर्थन कर रहा है। उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बन पा रही है, ऐसे कई मुद्दे हैं। सयुंक्त मोर्चा सरकार का साझा न्यूनतम कार्यक्रम बना। उसमें भी कहा था कि भूख से मुक्त होना हर व्यक्ति का बुनियादी अधिकार है। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि आज इतनी मंहगाई हो गई है, वह क्यों हुई है? कांग्रेस की सरकार जब 1996 में थी तो दिल्ली के अंदर साढ़े पांच रुपये प्रति किलो आटा मिलता था। आज आटे का भाव दस से चौदह रुपये प्रति किलो है। इसी तरह से उस वक्त दालों का भाव 14 या 15 रुपये प्रति किलो था, लेकिन अब 30 से 40 रुपये प्रति किलो के बीच है। उस समय देश में अनाज का 19 करोड़ 20 लाख टन रिकार्ड उत्पादन हुआ था। खाद्य मंत्री के अनुसार इस बार 31 लाख टन अनाज देश में कम हो रहा है। हम यहाँ कितने ही अच्छे भाषण दें या विचार प्रकट करें, जब तक हम आम आदमी के विकास के लिए, उसको झोंपड़ी या ढंकने का साधन मुहैया न कराएं, उसको एक समय सस्ती दर पर रोटी उपलब्ध न करा पाएं तो उनका कोई अर्थ नहीं है। अभी प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की कि आधी कीमत पर गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों को गेहूं-चावल सप्लाई करेंगे। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में जन-वितरण प्रणाली का कार्यक्रम चल रहा है। यहां पर सम्बन्धित मंत्री नहीं है, विधि मंत्री और जल संसाधन मंत्री बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कितनी दुकानों में राशन है?

[श्रीमती गीता मुखर्जी *पीठासीन हुई*]

अपराह्न 2.50 बजे

खाली बोर्ड लगा हुआ है और उसका अगर कहीं बैनेफिट लेते हैं तो पूरे के पूरे पिछड़े हुए लोग लेते हैं। मार्केट में ब्लैक होती है। आज गरीब को शक्कर, गेहूं तथा चावल नहीं मिल रहा है। ये नीतियां और कार्यक्रम बहुत अच्छे हैं। घोषणाएं बहुत अच्छी हैं, पेपर बहुत अच्छा है। लेकिन उन लोगों को ये सारी की सारी चीजें वास्तव में प्राप्त नहीं होती। आज कई लोग भूखे सोते हैं। गरीबी और भुखमरी का ऐसा संबंध हो गया है कि उसको हम आज तक नहीं तोड़ पाए।

महल खड़े हुए हैं और महल के पास झोंपड़ी वाला देखता रहता है। आजादी के पचास साल के बाद भी इंतजार में बैठा हुआ है। इसलिए मैं सरकार से कहूंगा कि समय आ गया है कि आज हमको कानून में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, योजनाओं और नीतियों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हम सब लोगों को बैठकर बहस करनी चाहिए। आज अप्रैल के बाद नौंवी पंचवर्षीय योजना शुरू हो रही है। उसमें हम कितने लोगों को रोजगार दे पाएंगे? आज शहर, बाजार, बस तथा रेल में सभी जगह भीड़ है। राष्ट्रपति जी ने अपने डॉक्यूमेंट में जनसंख्या के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। लेकिन जब तक सारे राजनैतिक दल अपने एजेंडा में इस बारे में चर्चा नहीं करेंगे तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकती। बल्कि यह समस्या दिनों-दिन और बढ़ेगी। एक करोड़ मकान के पीछे दस करोड़ लेने वाले होते हैं।

हम यहां गरीबी रेखा के नीचे अनाज वितरण करने की बात करते हैं। गरीबी की रेखा के नीचे कई लोग नीचे आ जाएंगे और अपना सर्टिफिकेट बना लेंगे। जब तक हम लोग इन सारी बातों के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, तब तक नौवीं पंचवर्षीय योजना में हम कितने लोगों को रोजगार दे पाएंगे? आज खाद्यान्न की कमी क्यों हो रही है? हमारे देश का तीस प्रतिशत इरीगेशन रकबा है। पंजाब, हरियाणा को ले लीजिए और बाकी स्टेट्स को ले लीजिए। पाटीदार जी ने ठीक कहा। उन्होंने इस योजना को समर्थन करने की बात कही है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं। इस योजना से करीब-करीब 35 हजार लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। आप उनको खाली पैसे देकर समझा नहीं सकते। वहां का गरीब जंगल का रहने वाला जो आदिवासी है, वह जंगल में ही रहना चाहता है क्योंकि उसका कल्चर, उसका सिस्टम अलग है। अगर आप उसको दिल्ली में लाकर खड़ा कर दें तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। सरकार आज तक मुश्किल से दो ढाई हजार लोगों का ही पुनर्वास कर पाई है। आप कह रहे थे कि अगर हम बांध बनाएंगे तो हम पुनर्वास नीति लाएंगे। आप उनको बांध के नीचे की जो इरीगेशन लैंड है, वह उनको क्यों नहीं दे देते? हजारो, लाखों, करोड़ों लोगों को फायदा हो रहा है। जिनकी जमीन डूब में जा रही है। जब आप यह बांध बनाएंगे तो आपको इन लोगों को पुनर्वास करना पड़ेगा। आज लोगों को सर ढकने के लिए जगह नहीं है और रोजगार नहीं है। विशेष रूप से आदिवासी जो खेती करता है, अगर आप उसका खेत ले लेंगे तो वह मजदूरी के लिए भटकता फिरेगा। उसको इन शहरों की गलियों का रास्ता नहीं मालूम है। हमारे देश की यह भीषण समस्या है। जहां इस तरह के बड़े-बड़े बांध बन रहे हैं, वहां लोग बर्बाद हो रहे हैं। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि वह पुनर्वास पॉलिसी लाएं और उन लोगों को सैटल करने के बारे में बात करें।

सड़कों के बारे में कहा गया। आज हमारे देश में सड़कें अत्यंत खराब हालत में हैं। स्थिति बहुत खराब है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप इस समस्या को नौंवी पंचवर्षीय योजना में लें। ऐसी हाईवेज जो ब्लाक्स को जोड़ने वाली हैं, डिस्ट्रिक्स को जोड़ने वाली हैं, उनका विकास किया ही जाना चाहिए। इनका विकास होगा, तो उस क्षेत्र का विकास होगा। आपने आदिवासियों के विकास के

लिए ट्राइबल सब-प्लान बनाया है, लेकिन आपने अभी तक इस प्लान की क्या हालत है, इसका एसैसमेंट नहीं करवाया है, यह जानने के लिए कि वहां कितने लोगों को शिक्षा मिली है और कितने प्रतिशत ट्राइबल क्षेत्र में विकास हुआ है। ये ऐसे विषय हैं, जिन पर संसद के अन्दर बहस होनी चाहिए। उन क्षेत्रों के विकास के लिए योजनायें और नीतियां बनाना ही काफी नहीं, उन नीतियों का पालन होना भी बहुत जरूरी है।

यहां पर बराबर आन्दोलन की बातें कही जा रही हैं। कहीं पर झारखण्ड क्षेत्र की बात हो रही है, कहीं पर उत्तराखंड की बात हो रही है और कहीं पर छत्तीसगढ़ क्षेत्र की मांग हो रही है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि ये मांगे क्यों हो रही हैं? कारण यह कि लोग सत्ता में हक चाहते हैं, अधिकार चाहते हैं, भागीदारी चाहते हैं। उनको आजादी के समय विश्वास दिलाया गया था कि हिन्दुस्तान आजाद हो गया है और सब लोगों को बराबर भागीदारी मिलेगी। कानून मंत्री सदन में बैठे हुए हैं। नौंवा-शैड्यूल 1996 में पास किया गया था और राष्ट्रपति जी ने दस्तखत भी कर दिए हैं, लेकिन मैं पूछता हूँ, क्या राज्य सरकारों ने कोई कार्यवाही की? क्या उन क्षेत्रों के आदिवासियों के लिए स्पेशल पावर दी गई? स्थिति यह है कि आज तक खाली कागजों पर आदिवासियों के विकास के लिए कानून और नियम बने हैं, लेकिन वास्तविक रूप में उनका विकास नहीं हो रहा है। लोगों के अन्दर ये सारी बातें सामने आ रही हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन लोगों के विकास के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाए। छठे शैडयूल को भी लागू करने की बात है। हमारे संविधान में कहा गया है कि यदि इन ट्राइबल क्षेत्रों का विकास नहीं होगा, तो हम डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बनाकर इन लोगों को पावर देंगे। पोलिटिकल तरीके से आश्वासन दिया गया है और राजनीतिक दल अपने मैनीफैस्टों में इस प्रकार की बातें रख देते हैं। आपके कॉमन मिनिमम कार्यक्रम में ग्राम सभा से संबंधित बिल के बारे में एक बिन्दू है। इससे संबंधित समिति हमारी अध्यक्षता में बनाई गई थी। 73वां और 74वां जो संविधान से संबंधित संशोधन हैं, उनको बिल के रूप में परिवर्तित करके और कानून बना कर लोगों को अधिकार दिए जाएं। यदि इस काम को किया जाता है, तो जो लोग अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, उनको विश्वास होगा कि आजादी के पचास सालों के बाद उन्हें हक मिला है और उन्हें खुद विकास के लिए आगे बढ़ना है। जब तक हम यह काम नहीं करेंगे, तब तक यह सारी की सारी बातें, चाहें संसद के अन्दर हो या संसद के बाहर हों, निरर्थक हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है।

जहां तक फारैस्ट की बात है, आदिवासियों का पहाड़ों और जंगलों से सीधा संबंध है। बादशाहों के जमाने से और अंग्रेजों के जमाने में भी आदिवासियों के इस संबंध को तोड़ा नहीं गया। ये आदिवासी लोग इन जंगलों में काम करके रोजगार प्राप्त करते हैं और अपना जीवन गुजारते हैं। अब स्थिति यह है कि जंगल नष्ट हो रहे हैं और आदिवासियों से उनका रोजगार छीना जा रहा है। इन जंगलों और पहाड़ों से खनिज सम्पदा निकल रही है। खनिज सम्पदा चाहे कोयला हो, लोहा हो, ताम्बा हो या हीरा हो। जब हम लोग शहरों में अपना हक मांग रहे हैं, तो इन गरीब आदिवासियों को भी अपना हक दे दीजिए। ये लोग भी इंडियन सीटिजन हैं और इन्हें भी अपना हक प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। विभिन्न प्रकार की सम्पदा वहां से निकल रही है, लेकिन इन आदिवासियों को झोंपड़ियों में उजाला करने के लिए एक लट्टू भी नहीं मिल रहा है। उनको एक लट्टू देने में भी तकलीफ हो रही है। स्थिति यह है कि लोहा बाहर जा रहा है, फारन कंपनियां उनको निकाल कर बाहर ले जा रही हैं। उन्हें तो यह भी पता नहीं है कि हीरा क्या होता है। आदिवासी क्षेत्रों में ये समस्यायें हैं।

श्री शिवराज सिंह (विदिशा) : आपने पता ही नहीं लगने दिया।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : न आपको पता है और न इनको पता है। पता है पटवा जी को। हम लोग तो यह भी नहीं जानते हैं कि हीरा क्या होता है।

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : आपके बाद पटवा जी बोलेंगे।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : मुझे खुशी होगी।

मैं खास तौर से इन लोगों के विकास के बारे में कहना चाहता हूँ। योजनायें तो विकास की बनी, लेकिन योजनायें बनाकर और पैसा दे देने से काम नहीं चलेगा।

अपराह्न 3.00 बजे

आज वहां की एजेंसियां इतनी करप्ट हो चुकी हैं। चाहे इंदिरा आवास योजना हो या जो भी हो। हमने बहुत सी योजनाएं देखी हैं। उनकी क्या हालत है, वे खाली मिट्टी बिछाने का काम करते हैं। यह जरूर है कि हमारे पास आंकड़े आ जाते हैं लेकिन आंकड़ों से यह देश सुधरने वाला नहीं है। इस देश में अगर कोई करप्ट अधिकारी हो तो यह होना चाहिए कि उसको टिकट नहीं दें। आज पोलिटिकल लोगों के बारे में चर्चा हो रही है। यह हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हमें कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए कि अगर कोई करप्ट आदमी है तो हम उसको टिकट नहीं देंगे। वोरा कमेटी की रिपोर्ट आई थी, वह बहुत साफ रिपोर्ट थी।

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : उसमें से कुछ पृष्ठ गायब हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह भूरिया : आप कांग्रेस को छोड़िए। हम देश की सेवा के लिए आए हैं इसलिए हम देश की ही बात करना चाहते हैं। ये बात आप लोग करते हो कि कौन नेता किस को हरा सकता है। इस वजह से इस देश का माहौल खराब हो रहा है।.... *(व्यवधान)* हम आज इसलिए कह रहे है कि हम इनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। हम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि यह देश आखिर कौन चलाएगा। यदि आज हम सपोर्ट छोड़ दें और अगर दोबारा से इलैक्शन हो जाएं तो क्या इलैक्शन में फिर लोग मैंडेट देंगे, इसका आपको भरोसा है कि कोई पोलिटिकल पार्टी पावर में आ जाएगी। आप यू.पी. में सरकार बना लेते तो हमें खुशी होती। .....*(व्यवधान)* हमारी पार्टी देश के लिए ही कुर्बान हुई है और आज भी हम कुर्बानी देना चाहते हैं। यह देश बना रहे तो यह पोलिटिकल पार्टियां हैं और अगर देश नहीं है तो पोलिटीकल पार्टियां क्या हैं।

मैं इसलिए बहस करना चाहता हूँ कि हम राजनीति से ऊपर उठ कर बात करें। इस देश के आम आदमी का, गरीब आदमी का कैसे विकास हो सकता है। मैडम, अच्छा हुआ आप अध्यक्ष बनी। सलैक्ट कमेटी बनी, उसकी रिपोर्ट आ गई। हम लोग उसका समर्थन करते हैं। पोलिटीकल रिजर्वेशन की बात तो ठीक है। मगर आप नौकरीपेशाओं के लिए क्यों नहीं रिजर्वेशन करते? आज कितनी महिलाएं उसमें ऐसी हैं। खाली एक चीज में रिजर्वेशन देने से कुछ काम नहीं चलेगा। हमें उसके लिए पहले से तैयारी करनी होगी। हमें पहले उसका आधार बनाना होगा। जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी तब तक कुछ नहीं होगा। आज जैसे करप्शन हो रही है, इसके लिए अगर हमारे पोलिटीकल नेता कुछ तय कर सकते हैं तो वे करे, नहीं तो संसद सर्वोच्च है और लोग मानते हैं। इसलिए पार्टी से ऊपर उठ कर बहस करके कानून बनाइए। चाहे लोक आयुक्त बनाना पड़े या कोड ऑफ कंडक्ट बनाना पड़े तो बनाइए। उनको आप कोड़े मारिए, उसमें क्या दिक्कत है। क्या आज देश में ईमानदार नहीं हैं। यह जो इतना बड़ा देश है, आज यहां बहुत से लोग ऐसे बैठे हुए हैं। फ्रीडम फाइटर देश की सेवा करने के लिए बैठे हुए हैं। वे चाहते हैं कि यह देश मजबूत हो। दुनिया के लोग इस डेमोक्रेसी के बारे में देख रहे हैं कि अगर कहीं हिन्दुस्तान कमजोर हो गया तो हमारे आसपास जो हैं वे डेमोक्रेसी का झंडा गाढ़ कर बैठे हुए हैं उन लोगों को यह भी खतरा है। इसलिए हम लोग इन सारी बातों को लाएं। हमारा नैतिक करेक्टर बने। यह जरूर है कि चिदम्बरम साहब बजट लाए, इस बारे में मैं बात करूंगा। उसमें यही बातें हैं।....*(व्यवधान)*

श्री शिवराज सिंह : लॉ मिनिस्टर सो रहे हैं।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : सोने दो। सरकार सोती है तो आप जगते रहोगे, सरकार नहीं सोएगी तो आप नहीं जागोगे। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डॉ॰ शफीकुरहमान बर्क (मुरादाबाद) : लेकिन उनको स्थिति का आभास हो रहा है।.....*(व्यवधान)* लेकिन नियम के मुताबिक कोई खर्राटें नहीं भर सकता....*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : महोदया, इसमें कुछ भिन्नता है। जब प्रधानमंत्री सोते हैं तो उनका गर्दन नीचे झुकी होती है लेकिन जब विधि मंत्री सोते हैं तो उनका गर्दन ऊपर उठी होती है। यही भिन्नता है जिसकी हमें सराहना करनी चाहिए.....*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : वह सोने वाले प्रधानमंत्री के कट्टर समर्थक रहे हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मंत्रियों और सदस्यों के साथ कभी-कभी ऐसा हो जाता है।

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : वह परलोक सभा को सोच रहे हैं और हम लोक सभा के बारे में सोच रहे हैं।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : हमारे देश में कालाबाजार करने वाले पैरेलल गवर्नमैंट चला रहे हैं यहां लॉ मिनिस्टर बैठे हुए हैं। वह कभी सो जाते हैं और कभी जाग जाते हैं। अच्छी बात है। वह कालाबाजार को रोकने के लिए कोई भी सख्त कानून नहीं बना सके हैं। हिन्दुस्तान के लोगों को इनके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। मैं मंत्री जी और खास तौर से सदन से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि कालाबाजारी को रोकने के लिए कोई कदम उठाया जाए। चिदम्बरम जी ने बजट पेश किया लेकिन वह योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए और देश का विकास करने के लिए पैसा कहां से लाएँगे? आज अनाज का उत्पादन कम हो रहा है। मैं किसान हूँ और यहाँ मेरे बहुत से भाई भी किसान हैं। देश में 80 प्रतिशत किसान हैं, लेकिन उनको पानी, बिजली, खाद और अन्य बहुत सी चीजें समय पर नहीं मिलती। इसकी वजह से उत्पादन कम हो रहा है। अभी पाटीदार जी बीमा कराने की बात कह रहे थे। मैं इसका विरोधी हूँ। इस देश में अगर कोई ईमानदार है तो वह किसान है। वह न शनिवार, न रविवार और न ही कोई दूसरी छुट्टी देखता है। वह न वर्षा, न ठंड, न गर्मी और न ही धूप देखता है। वह अपने पूरे परिवार के साथ खेत में रात-दिन काम करता है। आज बीमा कराने वाले लोग बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां चला रहे हैं। उनकी बसें भी चल रही हैं।....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : भूरिया जी, आपको बोलते हुए बहुत समय हो गया है।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : मैं पांच मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। महोदया, हमारे वाटर रिसोर्सिज मिनिस्टर बैठे हुए हैं। बड़े-बड़े बांध बनाए जाएं। बिजली का अच्छा उत्पादन करके किसानों को बिजली दी जाए। इससे अनाज का उत्पादन अच्छा होगा और बाहर से अनाज नहीं मंगाना पड़ेगा। आज किसान का अनाज 415 रुपए प्रति क्विंटल से लिया जा रहा है और बाहर से सवा छः सौ रुपए क्विंटल में मंगाया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप किसानों को अच्छा बीज और अच्छी खाद दें। लाल बहादुर शास्त्री जी ने ''जय जवान जय किसान'' का नारा दिया था। इनमें से एक राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं और दूसरे देश के लोगों को पेट भर कर खाना खिला रहे हैं। चिदम्बरम जी ने एयरकंडीशनर के दामों में कमी की है और कुछ लोगों को रिलैक्सेशन दिया। यह अच्छी बात है। हमारे यहां तिलहन का बहुत अच्छा उत्पादन होता है और यहां इतनी हरी सब्जियां होती हैं कि हम उसे सारी दुनियां को खिला सकते हैं। यहां सब तरह की फसलें होती हैं। नैशनल फ्रंट गवर्नमैंट इस तरफ ध्यान दे और विकास की योजनाएं लाकर कुछ काम करे तभी एग्रीकल्चर सैक्टर मजबूत हो सकता है और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हो सकती है। कालाबाजार के बारे में मैंने कह ही दिया है। इसके अलावा भी मुझे बहुत सी बातें कहनी हैं। मैं पीने के पानी की बात कहना चाहता हूँ। आजादी के पचास सालों के बाद भी गांवों और शहरों में पीने का पानी नहीं मिल रहा है। पानी के टैंक बना दिए गए और महंगे हैंड पम्प भी कहीं-कहीं लगा दिए गए। आपको पहले से यह सोचना चाहिए था कि 40-50 साल के बाद इतनी पानी की आवश्यकता होगी। खाने का न सही लेकिन पानी का तो पूरा इंतजाम करने की योजना बनानी चाहिए थी। दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में जाकर देखें। वहां गरीब लोग कैसे रह रहे हैं ? उनके लिए बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। सुबह के समय हमें रेलगाड़ी की खिड़कियां बंद करना पड़ती है। यह अच्छी बात नहीं है। इंसान की मीनिमम आवश्यकताओं की तो पूर्ति करनी चाहिए।

बड़े लोग यहां पर हवेली बनायें, महल बनायें लेकिन गरीबों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान जरूर मुहैया करायें। इसको दिलाने में हमारी संसद का सबसे बड़ा काम है। मुझे विश्वास है कि हमारे साथी लोग इस पर विचार करेंगे और एकमत से करोड़ों गरीबों के बारे में सोचेंगे।

सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

सभापति महोदय : श्री कमारूल इस्लाम।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : क्या पटवा जी का नाम नहीं है ?

सभापति महोदय : क्या पटवा जी को बोलना है ?

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : माननीय अध्यक्ष महोदय से हमारी वार्ता हुई थी। चूंकि उनका यह पहला भाषण है। हमने अध्यक्ष महोदय, से यह अनुरोध किया था कि उन्हें अपराह्न 3.00 बजे बोलने की अनुमति दी जाए और माननीय अध्यक्ष महोदय इससे सहमत थे। यदि आप किसी अन्य माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति देते हैं तो यह आपका निर्णय होगा।

सभापति महोदय : सूची में इसका उल्लेख नहीं था। यही कारण है कि मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बुलाया है। उनका भाषण समाप्त होने के पश्चात ही श्री पटवा बोल सकते हैं। मुझे आशा है कि यह ठीक होगा।

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी (शाहबाद) : मैंने पहले से नाम दिया हुआ है।

सभापति महोदय : मेरे पास बहुत सारे आदमियों के नाम हैं।

[अनुवाद]

चर्चा आज समाप्त हो जानी चाहिए। अतः माननीय सदस्य से मेरा अनुरोध है कि वे संक्षेप में बोलें।

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी : मैं ज्यादा टाईम नहीं लूंगा।

सभापति महोदय : मैं कहना चाहती हूँ कि सारी लिस्ट आज करने के लिये हैं लेकिन सभी थोड़ा थोड़ा बोलेंगे तो अच्छा होगा।

श्री कमारूल इस्लाम : सभापति महोदया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे प्रेजीडेंट अड्रेस पर भाषण करने की इजाजत दी। हमारे मुल्क को आजाद हुये 50 साल हो रहे हैं और इस आजादी को दिलाने में हमारे नेताओं ने बड़ी कुर्बानी दी और जब यह मुल्क आजाद हुआ तो इस मुल्क की जनता की यह ख्वाहिश थी कि इस जम्हूरी वतन में हमें रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा। वह गरीब पेटभर खाना खा सकेगा और अपने मकान में रह सकेगा। यह एक अजीब इत्तेफाक है कि इस मुल्क के 49वें आजादी साल में जब इलैक्शन्स हुये तो इस देश की आवाम ने किसी एक पार्टी को अक्सरियत नहीं दी बल्कि एक मुख्तलिफ जमात को बहुमत मिला जिन्होनें यूनाईटेड फ्रंट की सरकार बनायी जिसके प्रधानमंत्री श्री देवेगौड़ा हुये। जब उन्होंने इस हाउस में शपथ ली तो उन्होनें एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रखा जिसकी सपोर्ट बाहर से दूसरी पार्टियां भी कर रही हैं। साथ ही अपोजीशन की भी बड़ी जमात

[श्री कमारूल इस्लाम]

हमारे सामने है। इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में युनाईटेड फ्रंट की सरकार ने गरीबों को पी.डी.एस. का तोहफा दिया। इसका ऐलान हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है कि हमारे देश की 32 करोड़ जनता गरीबी रेखा के नीचे रहती है, उसे फूडग्रेन 50 परसेंट कम दामों पर दिया जायेगा। उस पर 8 हजार रुपये की सब्सिडी है।

[अनुवाद]

समाज के अति कमजोर वर्ग के लोगों के लिए संयुक्त मोर्चा सरकार का यह एक तोहफा है।

[हिन्दी]

यह सबसे गरीब लोगों के लिये है लेकिन सवाल यह हो रहा है कि 10 किलो प्रति फैमिली कम होगा। वे यह बात यहां खुलकर कह सकते हैं कि जो मजदूर जवाहर रोजगार योजना या एम्पलाईज इन्श्योरेंस स्कीम में काम कर रहे हैं, उनको मैन डेज के हिसाब से प्रति दिन एक किलो दिया जायेगा और इसका मतलब यह है कि उनको इस स्कीम के तहत प्रति माह 40 किलो गेहूँ दिया जायेगा।

अभी हमारे कुछ भाइयों ने कहा कि कुल रेक्वायरमेंट 180 लाख टन राइस की और एक लाख टन गेहूँ की है। हम अब तक 90 लाख टन प्रोक्योर कर चुके हैं।

[अनुवाद]

25 मार्च के बाद हम 25 लाख टन खाद्यान्न और खरीद सकेंगे।

[हिन्दी]

मैं समझता हूँ कि यहां पर अनाज का भंडार है। इस स्कीम में जितनी रेक्वायरमेंट है, उतनी पूरी की पूरी रेक्वायरेमेंट हम कर सकते हैं।

जहाँ तक गेहूँ का मामला है, हम सभी जानते हैं और अखबार पढ़ते हैं। पूरे देश से आज खबरें छप रही है कि इस बार गेहूँ की फसल बहुत अच्छी हुई है और फसल कटने के लिए आई है और इतनी अच्छी फसल हुई है कि हमारी रेक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी और अब भी जो गेहूँ इंपोर्ट किया जा रहा है, उसके दाम यहां प्रोक्योर किये जाने वाले दाम से कम है। हमको चिन्ता करने की जरूरत नहीं है।

[अनुवाद]

वह आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं। ये आंकड़े हमें प्रैस से प्राप्त हुए हैं। यदि और कोई आंकड़े और अन्य सूचना उपलब्ध हैं तो माननीय सदस्य अपनी बारी आने के समय इसे उद्धृत करने के लिए स्वतंत्र हैं।

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : आपका क्या कहना है?

श्री कमारूल इस्लाम : मैं कह रहा हूँ कि 180 लाख टन राइस चाहिए। अब तक हमारा प्रोक्योरमेंट 90 लाख टन हो चुका है।

[अनुवाद]

25 मार्च के पश्चात हम 25 लाख टन खाद्यान्न को और खरीद सकेंगे।

[हिन्दी]

25 मार्च तक पूरे साल के लिए 180 लाख टन राइस हमारे गोदामों में होगा। गेहूं की पूरी फसल खड़ी हुई है। जब कटेगी तभी आएगी। फसल इस साल इतनी अच्छी हुई है कि उसके लिए हमें चिन्ता करने की जरूरत नहीं है।

एक माननीय सदस्य : गेहूं इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं?

श्री कमारूल इस्लाम : जो प्रोक्योरमेंट प्राइस दे रहे हैं, उससे कम भाव पर इंपोर्ट कर रहे हैं....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बाधा उत्पन्न न करें। उन्हें बोलने दें। जब आपकी बारी आये तो आप बोलें।

....(व्यवधान)

श्री कमारूल इस्लाम : मैं नहीं बैठ रहा हूँ जब आपकी बारी आये तब आप आकंड़े बतायें। हमारे पास जो भी सूचना उपलब्ध है मैं उसे उद्धृत कर रहा हूँ।

[हिन्दी]

प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसके दाम ज्यादा हैं या नहीं?.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अभी आपकी भी स्पीच होगी। जरा उनको डिसटर्ब मत करिए।

श्री कमारूल इस्लाम : मैं इस सरकार को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जहां यूनाईटेड फ्रंट सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत गरीब लोगों को गिफ्ट देती हैं, वहां पर इस देश के जो पड़ोसी मुमालिक हैं, उनसे अच्छे ताल्लुकात पैदा करने के लिए जिस अंदाज से काम कर रही है, खास तौर से गंगा रिवर की पानी के तकसीम

के मामले में बंगलादेश के साथ और फिर हमारे पड़ोसी देश नेपाल के साथ जो महाकाली एग्रीमेन्ट हुआ है।

[अनुवाद]

संयुक्त मोर्चा सरकार की यह एक अच्छी उपलब्धि है।

[हिन्दी]

खास तौर से आपने देखा होगा कि और यह हकीकत भी है और इस सदन में बहुत से साथियों ने कहा है कि जब कभी भी पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं, वहां की पोलिटिकल पार्टीज ने हमेशा हिन्दुस्तान के खिलाफ बात करके वोट लेने की कोशिश की। लेकिन इस बार नवाज शरीफ की जो सरकार आई है, उस सरकार ने वहां इलेक्शन का मुद्दा बनाया था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम अपने पड़ौसी देश हिन्दुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएंगे। वहां उनकी दो-तिहाई मेजोरिटी आई है तो उसकी वजह है कि वहां के लोग चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। अब जिस अंदाज से यह मामला चल रहा है और जिस अंदाज से हमारे प्रधान मंत्री और यह यूनाईटेड फ्रंट की सरकार आगे बढ़ रही है, मैं समझता हूँ कि शिमला एग्रीमेन्ट की स्पिरिट में बाइलेट्रल तरीके से हम कश्मीर के मुद्दे को भी सुलझा सकते हैं जब गंगा के पानी का मामला हम सुलझा सकते हैं तो यह मामला भी हम हल कर सकेंगे। इसके लिए मैं प्रधान मंत्री और सरकार को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने अपने पड़ौसी मुमालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए रखने के लिए काम किया है।

इस देश में बहुत से स्कैण्डल्स के बारे में हम सुनते थे। तीन-चार टर्म से तो हम असेम्बली में थे, लेकिन पार्लियामेंट में हर बार कोई न कोई स्कैण्डल उठता रहता था। लेकिन यूनाईटेड फ्रंट सरकार का डिटरमिनेशन है कि करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए इस सदन में लोकपाल बिल लाया जाएगा और मुझे यकीन है कि तमाम पार्टियां इस देश के करप्शन को मिटाने के लिए लोकपाल बिल को यूनैनिमसली पास करेंगी।

और इस सदन में हमें चाहिए और यह हमारी डिमांड भी है कि कॉमन मिनीमम प्रोग्राम में करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए बात कही गई थी। इस लोकपाल बिल के लिए प्रेसीडेंशियल एड्रेस में जो बात कही गई थी उसके लिए मैं इस सरकार को मुबारकबाद देता हूँ। इस मुल्क के फैडरल सिस्टम को मजबूत करने के लिए मैं समझता हूँ कि यह पहला मौका मिला है। इससे पहले एक ही पार्टी की सरकार होती थी और वह बातें तो करती थी, सरकारिया कमीशन कायम हो चुका था लेकिन स्टेट को ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल पावर्स देने की बात होती थी लेकिन वहां पर पावर्स नहीं दी जाती थी और उसको सर्दखाने में रख दिया जाता था। लेकिन आज जो सरकार है, इस सरकार के जो मंत्री है, वे जनता दल और दूसरी रीजनल पार्टीज के मंत्री हैं उन्होंने अपनी स्टेट्स में सरकारिया कमीशन की जो रिकमेडेशंस हैं उनको सही तौर से इम्पलीमेंट करने के लिए जो चीफ मिनिस्टर्स की कांफ्रेस हुई और फिर डेवलपमेंट कौंसिल तथा इंटर स्टेट की कांफ्रेस हुई, इन कांफ्रेंसेज में यह इस बात की तरफ डायरेक्शंस हैं कि सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशसन को यूनाइटेड फ्रंट सरकार मजबूती के साथ बहुत जल्दी इम्पलीमेंट करेगी ताकि हमारा फेडरल सिस्टम मजबूत हो। मैडम, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि सारे माननीय सदस्यों को समय मिलना चाहिए इसलिए हमें ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन एक-दो बातें हैं जो दूसरों ने नहीं कही है, उनको मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारे बहुत से मित्र यहां पर बैठे हुए हैं। एक काला कानून, जिसको सभी ने टाडा कहा। यह तो एक जमाने में ऐसा हुआ कि जब लोगों को पकड़ रहे थे तो वह टी.ए. डी.ए. कानून हो गया था। तो इस तरीके से यह टाडा कानून जो एक काला कानून था, यहां पर लागू था। इसके तहत बहुत से लोगों को अरेस्ट किया गया है, उसमें अच्छे-बुरे कसूरवार, बेकसूर सभी हैं और पुलिस की भी ज्यादती है। जितनी भी स्टेट्स की सरकारें हैं सभी के नेताओं ने यह बात कही है कि इस काले कानून के तहत बहुत से मासूम लोगों को भी अंदर रखा गया है। एक रिपोर्ट, जो आज से 2-3 महीने पहले की है कि आज भी साढ़े पांच, छः हजार के करीब लोग जेलों में हैं और उनके खिलाफ आज तक चार्जशीट भी नही लगी हैं। हम दुनिया के सामने क्या सूरत दिखायेंगे कि हमारा यह देश जो आज दुनिया के सामने एक नीति देता है और सारी दुनिया को चैलेंज करता है, लेकिन आज भी इस देश में ऐसे लोग मौजूद हैं जो चार-चार साल से यहां पर जेलों में बंद हैं, लेकिन उनके खिलाफ चार्जशीट भी नहीं है। मैं पार्टी से ऊपर उठकर बात कर रहा हूँ इसीलिए मैं इस सदन में तमाम साथियों और मित्रों से अपील करूंगा, चाहे वे रूलिंग फ्रंट के हों या अपोजीशन के हों कि कम से कम एक डायरेक्शन तमाम राज्य सरकारों को ऐसी दी जाए कि वे 30 दिन के अंदर एक रिपोर्ट भेजें और एक कमेटी फॉर्म हो जाए और केसवाइज रिव्यू किया जाए कि इनमें हकीकत में सीरियस चार्जेज किसके खिलाफ हैं और किसके खिलाफ नहीं हैं। अगर राज्य सरकार यह महसूस करती है कि इनके साथ नाइंसाफी हुई है तो फिर रिव्यू करके 30 दिन के अंदर उन लोगों को रिहा कर दिया जाए और फिर केसवाइज जो मासूम, बेकसूर अंदर हैं, आज इस देश के लिए उनके दिलों में क्या फीलिंग हो रही होंगी। लेकिन जो कसूरवार हैं उनको सजा मिले, लेकिन जो बेकसूर हैं उनको सजा क्यों मिले। इसलिए इस सदन में तमाम सदस्यों से मैं अपील करूंगा कि एक कमेटी बने और उसे 30 दिन की मोहलत दी जाए और 30 दिन के भीतर उससे रिपोर्ट ली जाए और फिर केसवाइज रिव्यू करके उनको छोड़ा जाए।

सभापति महोदय, मैं एक बात यहां पर और कहना चाहूंगा। यहां रिजर्वेशन का मामला है। मैं जिस स्टेट से आ रहा हूँ वहां

[श्री कमारूल इस्लाम]

देवेगौड़ा जी की सरकार थी, वह चीफ मिनिस्टर थे। माइनोरिटी के लिए चार परसेंट रिजर्वेशन है। मेरे दोस्त श्री अनंथ कुमार भी यहां पर बैठे हुए हैं।

[अनुवाद]

इसके लिए आरक्षण है। केरल में भी अल्पसंख्यकों के लिए 17% आरक्षण हैं।

[हिन्दी]

मुसलमानों को 8 परसेंट है। हमें किसी का हक नहीं चाहिए। लेकिन 50 साल में हमको हक नहीं मिला। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट की मुलाजिमतों में, एजूकेशन में और दूसरे जितने भी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के हैं या सेमी-गवर्नमेंट हैं, उसमें हमें पापुलेशन के बेसिज पर मौका मिले।

[अनुवाद]

राज्य में अधिनियमित प्रत्येक कानून संविधान के अनुरूप है। जब केरल और कर्नाटक के अल्पसंख्यक आरक्षण पा सकते हैं तो इस सभा से मेरा अनुरोध है कि वह सभी वर्गों के लोगों को चाहे वह पिछड़े वर्ग के हों - उनकी जनसंख्या के अनुरूप आरक्षण दें।

[हिन्दी]

उनकी पोपूलेशन के हिसाब से जितना रिजर्वेशन बनता हो, उन्हें दे दीजिए - किसी से कोई झगड़ा नहीं। किसी का हक न छीना जाए। इससे बढ़कर कोई दूसरा हिस्टोरिक डिसीजन हो नहीं सकता। एक समय वह आयेगा, चाहे इस देश की कोई इकाई हो, वैकवर्ड इकाई हो, माइनौरिटी इकाई हो या दूसरा कोई सैक्शन ऑफ द सोसायटी हो, सबको अपना हक मिले, इससे बढ़कर कोई दूसरा फैसला हो नहीं सकता। हम सबको मिल-जुलकर रिजर्वेशन को पोपूलेशन बेसिस पर करना चाहिए।

अब आखिरी बात कहकर मैं खत्म करना चाहूंगा क्योंकि यहां कुछ मैम्बर्स ने हमारे प्रधानमंत्री श्री एच.डी. देवेगौड़ा के संबंध में कहा है, मेरे एक दोस्त ने उधर से कहा कि हर जगह करप्शन है, यह सरकार कुछ पार्टियों का बंडल, कुछ इस किस्म की बातें यहां आई। मेरी यह ख्वाहिश थी कि हमारे साथी सदन के बाहर बहुत अच्छे भाषण देते हैं, इस सदन में भी मुझे अपने साथियों के कुछ अच्छे-अच्छे भाषण सुनने को मिलें, कुछ कंस्ट्रक्टिव सुझाव हमारे सामने आएं।

[अनुवाद]

वैकल्पिक कार्यक्रम क्या हैं ? इस सभा में भी, जब तक संयुक्त मोर्चा सरकार सत्ता मे हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण साझा न्यूनतम कार्यक्रम का ही परिदृश्य होगा। मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करता हूँ कि ये चीजें साझा न्यूनतम कार्यक्रम में नहीं हैं और यह उस कार्यक्रम के अनुरूप नहीं है। लेकिन कुछ लोग यहाँ समान नागरिक संहिता और कुछ अन्य चीजों के बारे में बात कर रहे थे।

[हिन्दी]

कोई कहता है कि वैसा करो। जैसा हम लोग रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि जितनी बड़ी पार्टी है, उतने ही उसमें क्रिमिनल्स हैं। अभी मैं इंडियन एक्सप्रैस की रिपोर्ट देख रहा था जिसमें कहा गया है -

[अनुवाद]

सबसे बड़े दल में इनकी संख्या 27 है।

[हिन्दी]

एक तरफ क्रिमिनल्स की बातें हम करते हैं लेकिन दूसरी तरफ क्रिमिनल्स को टिकट दिए जा रहे हैं और वे चुनकर भी आ रहे हैं। करप्ट लोगों के खिलाफ बात होती है तो कुछ करप्ट लोग भी चुनकर आ रहे हैं।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभी पार्टियों में ऐसी बात नहीं है।

श्री कमारूल इस्लाम : मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कह रहा हूँ सभी पार्टियों की बात मैंने कही है।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : आप हर किसी पार्टी को ऐसा नहीं बोल सकते।

श्री कमारूल इस्लाम : मैंने जो कुछ कहा है, किसी पार्टी का खास तौर से नाम नहीं लिया है। हमें डिबेट को जनरल रखना चाहिए। आप इंडियन एक्सप्रैस देख सकते हैं जिसमें कहा गया कि इतनी बड़ी लार्जेस्ट पार्टी है, जिसमें 27 क्रिमिनल्स हैं, एक दूसरी पार्टी में भी है, तीसरी पार्टी में एक है।

मेरा कहने का मतलब है कि भले ही हम इस लोकसभा में पहली बार आए हैं लेकिन इससे पहले असेम्बली में तीन-तीन टर्म तक सदस्य रह चुके हैं और यहां आने के बाद हमारी ख्वाहिश थी कि यहां आकर हमें कुछ कंस्ट्रक्टिव भाषण सुनने को मिलें लेकिन हमें वह अवसर नहीं मिला। मुझे बड़ी आशा थी कि हमें अपने यंग और डायनामिक साथियों के ठोस सुझाव कौमन मिनिमम प्रोग्राम पर सुनने को मिलेंगे। मैं मानता हूँ कि कुछ सदस्यों ने अच्छी बातें कही, उन्हें हम एप्रिशियेट करते हैं। लेकिन इस सदन में डिबेट का स्टैन्डर्ड बढ़ना चाहिए, इसी आशा को लेकर हम बहुत से मैम्बर्स यहां आए हैं।

[अनुवाद]

हमें अपने विपक्षी दोस्तों से कुछ सीखना चाहिए और उन्हें निश्चल होना चाहिए।

[हिन्दी]

अगर हम क्रिटिसिज्म करें तो छोटी-मोटी बातों पर न करें, गलत बातों को यहां न लाएं और किसी अफवाह पर ध्यान न दें। हमारे साथी यहां जो भी बात कहें, वह पूरे फैक्ट्स एण्ड फीगर्स पर आधारित हो।

जहां तक देवेगौड़ा साहब का ताल्लुक है, पूरा देश जानता है कि पिछले दिनों एक अखबार ने देश के 28 हजार लोगों का सर्वे किया था, जिसमें 6 पूर्व प्रधानमंत्रियों की तुलना में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री के हक में देश के 48 परसेंट लोगों ने अपनी राय व्यक्त की है।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री श्री देवेगौड़ा गरीबों के सबसे अधिक हितैषी हैं।

[हिन्दी]

मैं अखबार के माध्यम से कुछ समय पूर्व जो एक सर्वे हुआ था, उसकी रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूँ जिसमें लोगों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए हैं कि कौन प्रो-गवर्नमेंट है, कौन खिलाफ, कौन गरीबों के हित में है। देवेगौड़ा जी केवल जनता दल के लीडर नहीं हैं बल्कि उसमें हमारी मैडम भी शामिल हैं, हमारे लैफ्ट पार्टीज के साथी भी शामिल हैं जो सभी आज इस देश के गरीब मजदूरों के हित की बातें करते हैं तथा कौमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत चल रहे हैं। हमें मालूम है कि हमारे राज्य में बी.जे.पी. अपोजीशन पार्टी के रूप में मौजूद है। हमने जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम देश के सामने रखा है, उसे काफी पुल्स एण्ड प्रैशर के बावजूद रखा है और तमाम चीजें इसलिए हुई हैं क्योंकि युनाइटिड फ्रंट का जो डिटर्मिनेशन है -

[अनुवाद]

हम दृढ़ निश्चय से खड़े हैं।

[हिन्दी]

वह डिटर्मिनेशन यह है कि कुछ भी हो, हम अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को हर कीमत पर इम्पलीमेंट करेंगे तथा इस देश के गरीबों का जीवन-स्तर ऊंचा करेंगे। हर गरीब को रोटी, कपड़ा और मकान तथा दूसरी सहूलियतें उपलब्ध कराएंगे।

इन चन्द शब्दों के साथ एक बार फिर अपने वजीरे-आजम के प्रति मुबारकबाद पेश करता हूँ।

सभापति महोदया, पिछली सरकार ने लास्ट टाइम 900 करोड़ रुपया इरीगेशन प्रोजैक्टों को एक्सलरेट करने के लिए रखा था, लेकिन इस सरकार ने उस धन को बढ़ाकर 1,300 करोड़ कर दिया है ताकि अधूरी परियोजनाएं पूरी हो सकें और देश के किसानों को सिंचाई के लिए ज्यादा पानी उपलब्ध हो सके तथा देश का अन्नोत्पादन बढ़ सके।

[अनुवाद]

श्री देवेगौड़ा सरकार अर्थात् संयुक्त मोर्चा सरकार का वह एक ऐतिहासिक निर्णय था।

[हिन्दी]

जब जमीन जरखोज होगी, तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा होगा और हमारे देश के लोग खुशहाल होंगे।

[अनुवाद]

मुझे पर्याप्त समय देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैंने आपके आज्ञानुसार अपना भाषण बहुत कम समय में समाप्त कर दिया। इन्हीं शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

सभापति महोदय : अब, श्री सुन्दरलाल पटवा बोलेंगे। यह उनका पहला भाषण है। कृपया उन्हें बाधा न पहुंचायें।

श्री सुन्दरलाल पटवा (छिन्दवाड़ा) : सभापति महोदय, आज मैं पहली बार इस सदन में बोलने के लिए उठा हूँ। मुझे छिंडवाड़ा के लोगों ने यह अवसर दिया है कि मैं इस सदन में आकर कुछ अपने विचार रखूं। छिन्दवाड़ा के लोगों ने तो मुझे अवसर दिया ही है पर जिन्होंने मुझे अवसर उपलब्ध करवाया उन कमलनाथ जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि न वे अपनी धर्मपत्नी से इस्तीफा दिलवाते और न चुनाव होते और न मुझे यहां आने का अवसर मिलता। मुझे इस बात का अफसोस है कि एक महिला सदस्य को हटवाकर मुझे अवसर उपलब्ध करवाया गया है।

महोदया, मैं दिनांक 20 फरवरी को जिस दिन राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण हुआ, उसके बाद से इस सदन में हूँ और इस सदन के नए तथा पुराने अनुभवी सदस्यों के भाषण सुन रहा हूँ। मध्यप्रदेश की विधान सभा में बैठकर मैंने 30 साल गुजारे हैं। वहां का मेरा अनुभव अलग प्रकार का है। वहां से यहां आने के बाद मैं कुछ उंची उम्मीदें और आकांक्षाएं लेकर यहां आया हूँ। यह जो राष्ट्रपति महोदय ने अभिभाषण दिया था उसको मैंने फिर से अक्षरशः पढ़ा है। लालकिले पर चढ़कर प्रधान मंत्री 26 जनवरी

[श्री सुन्दरलाल पटवा]

को भाषण देते है। इसी प्रकार से 26 जनवरी की पूर्व की संध्या पर राष्ट्रपति देश के नाम संदेश देते हैं इस बार भी राष्ट्रपति महोदय ने अपना संदेश देते समय, अपने भाषण के प्रारंभ में ही, पहली ही उद्घोषणा में, कहा था कि मैं बहुत चिन्तित हूँ और मेरे जैसा सोचने वाले लोग चिन्तित हैं और आजादी के 50 वर्ष बिताने के बाद भी इस देश के राष्ट्रपति को अपनी जनता के नाम संदेश देने को मजबूर होना पड़े, विवश होना पड़े और शुरूआत यहां से करनी पड़े कि अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का गठबंधन देश के लिए खतरनाक है और यह ऐसे खतरनाक मुकाम पर आ चुका है और देश की जनता से अपील करते हैं कि वह इस गठबंधन को ठुकराएं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में, इस सरकार ने जो राष्ट्रपति से कहलवाया है, उसके प्रारंभ में ही, पैरा दो में ही लिखा है -

[अनुवाद]

"वर्तमान सरकार के कार्य भार-संभालने के पश्चात् मैं संसद को पहली बार संबोधित कर रहा हूँ। संयुक्त मोर्चा के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में राष्ट्रीय विकास, समानता, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित मूल कार्यसूची दी गई है।"

समर्थन में जितने भी महानुभाव सदस्यों के भाषण हुए हैं, उन सबने गीता, बाइबल, कुरान, भगवत आदि का यही रटा-रटाया वाक्य पढ़ा है - सोशल जस्टिस, नेशनल डेवलपमेंट और सेक्यूरलिज्म। मैंने इस सदन के बहुत पुराने और सम्मानित सदस्य, जो बाहर रहकर सरकार का समर्थन कर रहे हैं और श्रीमान् सोमनाथ चटर्जी का भाषण भी सुना। वे अपने भाषण में महत्वपूर्ण उद्गार व्यक्त करते हैं।

[अनुवाद]

"संयुक्त मोर्चा सरकार राजनीतिक वांछनीयता से उत्पन्न राजनीतिक दलों का मात्र गठबंधन नहीं है। यह इस देश की जनता के स्पष्ट जनादेश का परिणाम है जिन्होंने इस देश में धर्म निरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक प्रशासन को चुना है। वे चाहते हैं कि सरकार पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा तथा उत्तरदायित्व के सिद्धांत को अपनाएं। इस देश की जनता का स्पष्ट निर्णय है कि साम्प्रदायिक ताकतों को रोका जाए।"

[हिन्दी]

हम इस पक्ष में बैठे हुए हैं। हम इस उद्घोषणा से ब्रांडेड किए जाते हैं। कम्युनल, सांप्रदायिक और वे अपने आपको सेक्यूरल, असांप्रदायिक और धर्मनिरपेक्ष उद्घोषित करते हैं।

[अनुवाद]

"मेरा विश्वास है कि कांग्रेस ने भी न्यूनतम साझा कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया है, जो इस देश की जनता की उम्मीदों, उत्कंठाओं और इच्छाओं का प्रतिज्ञा पत्र है। यह व्यापक विकास का चार्टर है। जनता को अपने उन न्यूनतम अधिकारों का लाभ उठाने दें जो इस देश के नागरिकों के लिए संविधान निर्माताओं ने प्रदान किए हैं।"

[हिन्दी]

श्री चिदम्बरम साहब ने अपने बजट भाषण की जो शुरूआत की है उसमें भी यही उद्घोषणा की है। सभापति महोदया, जब यह सरकार अस्तित्व में आयी और उन्होंने विश्वास का मत मांगा मैंने उस समय की प्रोसिडिंग निकाल कर पढ़ी तो इस सरकार को बाहर से समर्थन देने वाली कांग्रेस पार्टी ने नेता श्रीमान् नरसिम्हा राव जी का समर्थन देते हुए जो भाषण इस सदन में हुआ, उसे मैंने बड़े ध्यान से पढ़ा। माननीय नरसिम्हा राव जी कहते हैं।

[अनुवाद]

"अब लोग कहते हैं कि आपका देवेगौड़ा जी से क्या समझौता हुआ है? महोदय, मुझे खेद है, मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ, मैं गुप-चुप समझौते में विश्वास नहीं करता हूँ। आपको बता रहा हूँ कि जो भी समझौता है वह अब आपके सामने है। देवेगौड़ा जी से मेरा समझौता यह है कि यह पार्टी किसी भी परिस्थिति में उस सरकार को गिरने नहीं देगी।"

[हिन्दी]

श्रीमान् नरसिम्हा राव जी कहते है कि मेरा अंडरस्टेडिंग यह है कि -

"यह पार्टी इस सरकार को किसी भी परिस्थिति में गिरने नहीं देगी। इतिहास इस बात का साक्षी नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी के कारण देवेगौड़ा की सरकार गिरी। मैं आपको वह बता रहा हूँ जो मैं और मेरी पार्टी कर सकती। मेरी पार्टी ने ऐसा करने का दृढ़ संकल्प लिया है। हमने कार्यक्रम देख लिया है। इसका कुछ भाग हमारे घोषणा पत्र जैसा है।"

[हिन्दी]

यह कहते हैं कि ये सब और हम एक ही जैसे हैं कोई फर्क नहीं है। यह भी वैसे ही हैं और हम भी वैसे ही हैं।

सभापति महोदया, चुनाव लड़ते समय क्या यह वैसे थे? क्या यह ऐसे थे, चुनाव लड़ते समय कैसे-कैसे थे। परन्तु कॉमन मीनिमम प्रोग्राम जो हैं। पता नहीं मैं आपको समझा पाऊंगा या नहीं। आपकी

समझ बड़ी ऊंची है। परन्तु शब्दों का मायाजाल और आडम्बर फैलाकर किस प्रकार से बातें की जाती हैं, किस प्रकार का व्यवहार, आचरण किया जाता है, यह सरकार उसका एक जीता-जागता नमूना है। एक अनहोनी हुई और किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। यह फैक्ट है, जनादेश है और जनादेश यह है कि सबसे अधिक मत, सबसे बड़ी पार्टी का जनादेश यदि किसी के पास है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, बाकी सब तितर-बितर पार्टियां हैं। ये कहते हैं कि जनादेश हमारे पक्ष में है।

मैं सोमनाथ चटर्जी महोदय का भाषण सुनकर आश्चर्यचकित हुआ जब वे कहते हैं:

[अनुवाद]

"यह इस देश की जनता का स्पष्ट जनादेश है जिन्होंने इस देश में धर्म-निरपेक्ष तथा लोकतंत्रात्मक प्रशासन को चुना है और वह चाहते हैं कि सरकार पारदर्शिता.....

[हिन्दी]

जनादेश का इतना मखौल आज से पहले शायद ही किसी ने उड़ाया हो। नरसिंह राव जी के भाषण में वे आगे कहते हैं :

[अनुवाद]

"यही कारण है। एक अन्य कारण भी है। मेरा विचार है कि यह सभा का एक बहुत ही स्वाभाविक विभाजन है"

यह सभा का बहुत ही स्वाभाविक विभाजन है।

[हिन्दी]

ये सब इकट्ठे मिल जाएं और हमको सत्ता में न आने दें, यह बड़ा नैचुरल बाईफरकेशन हैं। हम इस बाईफरकेशन का स्वागत करते हैं। लोगों को निर्णय करने दें। जनता को तय करने दीजिए कि वह क्या चाहती है।

जिस दिन से श्री देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने हैं और उनके सब संगी-साथी, कैसे संगे-साथी है, मुझे उसकी बहुत व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। मैं आज का अखबार पढ़ रहा था। श्री बीजू पटनायक आपकी पार्टी के बड़े सम्मानित नेता हैं, बड़े वरिष्ठ नेता हैं। मैं आज अखबार में उनका वक्तव्य पढ़ रहा था। वरिष्ठ जनता दल नेता बीजू पटनायक ने संयुक्त मोर्चा सरकार को ऐसा एक समूह बताया है जिसके घटक आपस में ही लड़ रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि कांग्रेस और माकपा शामिल हो जाएं तो सरकार बेहतर काम कर सकती है। होम टी.वी. को दिए गए साक्षात्कार में श्री पटनायक ने सुयंक्त मोर्चे की कुछ इस तरह व्याख्या की। उन्होंने कहा एक बर्तन में 13 अति सक्रिय केकड़े भर दिए गए हैं।

[अनुवाद]

खलप साहब यह श्री सुन्दरलाल पटवा के शब्द नहीं है। यह हमारे माननीय बीजू बाबा के वक्तव्य के अंश हैं।

[हिन्दी]

एक बर्तन में 13 अति सक्रिय केंकड़े भर दिए गए हैं और एक आदमी जो उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, उसका नाम श्री एच.डी. देवेगौड़ा है। यह दुर्भाग्य है कि उन्हें प्रधानमंत्री कहकर बुलाया जाए। बीजू दा कहते हैं कि यह दुर्भाग्य कि उन्हें प्रधानमंत्री कहकर बुलाया जाए। क्या सुन्दर लाल पटवा को इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत है? दूसरा अखबार लिखता है - जनता दल नेता श्री बीजू पटनायक ने आज कहा कि संयुक्त मोर्चा सरकार में आपस में लड़ रही मछलियों जैसा दृश्य है। उन्होंने कहा, यदि कांग्रेस और मार्क्सवादी पार्टी जैसे दल इसमें शामिल हो जाएं. ...*(व्यवधान)* जय हो, बीजू दा, आप धन्य हैं। आपके जैसे मित्र इस पार्टी में हैं।....*(व्यवधान)* उन्होनें होम टी.वी. को एक भेंट में कहा कि इस कुंड में 13 बहुत चंचल मछलियां हैं और देवेगौड़ा नामक एक व्यक्ति उन्हें संतुलित रखने की चेष्टा कर रहा है। ....*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : होम टी.वी. को तो भेंट में कहा लेकिन संसद को भेंट में जो कहना चाहते हैं, वह कह दें।

श्री बीजू पटनायक (आस्का) : भाई, संसद की बात करो। हमारी तो दस मछलियां हैं, आपकी तो उसी के अन्दर 50 मछलियां हैं।

श्री सुन्दर लाल पटवा : विराजिये, आपका स्वागत है।

सुन्दर लाल पटवा को इसके बाद इस सरकार को और कोई सर्टिफिकेट देना बाकी है, जरूरी है, मैं नहीं समझता। एक अनहोनी है, यह सरकार भी एक अनहोनी है। आपने दुनिया में भगवान की सृष्टि में सब प्रकार के जीव-जन्तुओं की उत्पत्ति सुनी होगी। किसी की दो टांगें होती हैं, किसी की चार होती हैं, किसी की आठ होती हैं, किसी की 12 टांगें होती हैं, दढाई में टांगे होती हैं, परन्तु 13 टांगों पर कोई सृष्टि का जीव प्रकट हुआ है?....*(व्यवधान)* इनकी एक टांग रोज उगती है। अब बीजू दों दो टांगे और जोड़ना चाहते हैं।

श्री बीजू पटनायक : मैं दो जोड़ना नहीं चाहता हूँ। लेकिन जब ये भलेमानस वाजपेयी जी, आपके जो प्रेसीडेंट हैं, वे सब हमारे साथ ही थे न?

श्री सुन्दर लाल पटवा : हम भी साथ थे।

श्री बीजू पटनायक : मुझे मालूम है। उस वक्त 13, 14, 15 नहीं थे क्या ?

श्री सुन्दर लाल पटवा : उस समय तो एक जनता पार्टी थी। आप मेरे भी नेता थे। आपने मुझे मुख्यमंत्री बनाया।

श्री बीजू पटनायक : बनाया तो था, जब बनाया था।

श्री सुन्दर लाल पटवा : आप छोड़ गये।

श्री बीजू पटनायक : मैं तो चाहता हूँ कि आप हिन्दुत्व छोड़कर सारे इकट्ठे हो जायें, तो देश की भलाई हो।

श्री सुन्दर लाल पटवा : छोड़ गये बालम, साथ हमारा छोड़ गये, बूढ़े बलम।

राष्ट्रपति को इस देश को यह चेतावनी देनी पड़ी कि भ्रष्टाचारियों और अपराधियों का गठबंधन देश के लिए खतरनाक मुकाम पर पहुंच गया है और इसको ठुकराओं और राष्ट्रपति के संदेश का, आह्वान का स्वागत करते हुए इस देश की जनता क्या कर रही है ? जिस दिन से देवेगौड़ा जी सरकार में बैठे हैं, कौन सैकुलर है, कौन शुडो सैकुलर है, कौन कम्युनल है, यह न आपको तय करना है न हमको तय करना है, यह इस देश की जनता को तय करना है। आप शब्दों का कितना आडम्बर फैलायें, पाखंड चलाये, कितना मिथ्या भाषण करें, इससे कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं, इस देश की जनता ने तय किया है कि यह जो इधर बैठे हुए लोग हैं। जिन्हें राष्ट्रवादी कहते हैं, इस देश की जनता की आवाज बोलते हैं, इस देश की सोच सोचते हैं, उन्हें आगे बढ़ाया जाये। पंजाब का नतीजा सामने है।

छिन्दवाड़ा में मैं उस निर्णय की उत्पत्ति हूँ मैं उस फैसले का प्रोडक्ट हूँ, जो यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ। पचास साल में जहां जनता ने फैसला नहीं दिया, वह आज फैसला हमारे पक्ष में जनता ने दे दिया है। मैं किसी अहंकार में मदमस्त होकर यह बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस चीज को विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूँ, नतमस्तक होकर स्वीकार करता हूँ और चाहता हूँ कि आप भी जनादेश के सामने नतमस्तक होना सीखें, स्वीकार करें। वरना आपके नाम इतिहास में लिखे जाएंगे।

छिन्दवाड़ा चुनाव बड़ा चर्चित रहा। आपका शुडो सैकुलरिज्म वहां हारा और राष्ट्रवाद जीता। पंजाब में राष्ट्रवाद जीता। पंजाब में देश की एकता की जीत हुई, नागौर में देश की एकता जीती है, मुम्बई में देश की एकता जीती है, दिल्ली में जीती है, रोपड़ में जीती है। हमारे प्रधानमंत्री यहां विराजमान नहीं, नहीं तो मैं उनसे पूछता....*(व्यवधान)* आप कितना ही विधवा विलाप करते रहें, इस देश की जनता हमको आगे बढ़ाना चाहती है, बढ़ा रही है। दिल्ली में हम बैठे हैं। मैं विषय को लम्बा करना नहीं चाहता, लेकिन पंजाब में आंतकवाद को बढ़ावा किसने दिया, यह अब कोई छिपा हुआ विषय नहीं है। जनादेश की सरकार जिसको कहते हैं और जिसके साथ बड़ा मेन्डेट है, सैकुलरिज्म के नाम पर, सोकाल्ड शुडो सैकुलरिज्म के नाम पर इस सरकार की हालत देखकर तरस आता है।

आज सवेरे अगर गृह मंत्री यहां बैठे होते और उत्तर प्रदेश की हाल को उन्होंने सुना होता, तो पता चलता कि उत्तर प्रदेश के बारे में इस सरकार में आपाधापी मची हुई है। कोई एक मुंह बोलता है, कोई दो मुंह बोलता है, कोई कुछ बोलता है, यानि 13 दिशाओं में 13 मुंह बोल रहे हैं। हमारे कुछ मित्र और कांग्रेस के साथी सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं। रोज धमकी देते है कि खबरदार, आज तक गाली दी, फिर दी तो देख लेंगे, फिर एक गाली सुनते हैं, फिर माफ कर देते हैं, यानि रोज गालियां खा रहे हैं, रोज माफ कर रहे हैं और रोज धमकियां दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में गृह मंत्री ने प्रामाणिकता से वास्तविक स्थिति का सदन में जिक्र किया। क्या यह संयुक्त जिम्मेदारी की सरकार है, जिसका गृह मंत्री एक भाषा बोलता है, रक्षा मंत्री दूसरी भाषा बोलता है और प्रधान मंत्री तीसरी भाषा बोलता है तथा गवर्नर चौथी भाषा बोलता है। यह अनहोनी है जो इस देश में हो रही है।

राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण जब मैंने देखा तो मैं आश्चर्यचकित हो गया। पूरा अभिभाषण छपा हुआ है। उसमें आखिरी पैरा 52 में एक लाइन काटी हुई है। शायद 50 साल के इतिहास में किसी राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह पहली बार हुआ है। कोई कंसीस्टेंसी है, कोई मूल्य है, राष्ट्रपति के अभिभाषण में कुछ भी लिख दो और फिर मन आए काट दो, यह क्या हालत है।

फारूख अब्दुल्ला साहब छिंदवाड़ा तशरीफ लाए और वहां की धरती पर आकर उन्हें बड़ा इल्म हुआ। उन्होंने घोषणा कि मैं तय करता हूं अगर फैसला करना है तो एक तिहाई कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में है, उसे ही दे दिया जाए। हमारे प्रधान मंत्री महोदय ने 'खलीज टाइम्स' को इंटरव्यू दिया और कहा:-

[अनुवाद]

''कुछ मामूली परिवर्तनों के साथ''

[हिन्दी]

फारूख साहब की सरकार में एक मंत्री अजात शत्रु हैं। यह बालक उससे चार कदम और आगे निकलता है और कहता है कि हम जम्मू-कश्मीर की विधान सभा में प्रस्ताव लाएंगे और उसे पास कराएंगे। हम रिफरेंडम कराएंगे। बीजू दा, उन्हीं के एक साथी आपके मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, जिनका नाम सोज साहब है। वे इस वक्त यहां नहीं हैं। क्या सोज साहब फारूख़ साहब के स्टेटमेंट का,

जम्मू-कश्मीर के मंत्री के स्टेटमेंट का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, कुछ जवाब दें। सरकार एक संस्था होती है, सामूहिक जिम्मेवारी होती है। इसको सरकार कहना सरकार शब्द का अपमान है। यह एक अनहोनी है।

[अनुवाद]

उनका यहां चुना जाना एक संयोग है और वे जनादेश से चुनकर नहीं आये हैं।

[हिन्दी]

जनादेश का नाम लेकर जनादेश शब्द को अपमानित मत करें। यह तो एक्सीडेंट की उपज हैं। देवगौड़ा साहब भी एक एक्सीडेंट की उपज है। ज्योति बाबू को कहा, वी.पी. सिंह को कहा, कोई नहीं बना तो तू ही सही। हमारे मालवा में कहावत है :-

माणी न सही तो कानी ही चलेगी।

यह जिसको आप जनादेश कहते हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिसके बारे में जिक्र किया गया था। वह जनादेश सत्ता में बैठे हुए लोगों के साथ कतई नहीं है। अगर जनादेश कहीं है, किसी पार्टी के साथ लगातार जनादेश है तो वह राष्ट्रवाद के साथ जनादेश है या जनादेश कहलाने के अधिकारी कोई हैं तो वह इधर बैठे हुए हम लोग हैं। यह ठीक है कि पिछले चुनाव में हम लोग बहुमत से जीतकर नहीं आए हैं। लेकिन 1951 से जनसंघ से लेकर 1997 तक की भारतीय जनता पार्टी की लम्बी यात्रा और उसने आज भारतीय जनता पार्टी को हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में लाकर खड़ा कर दिया है। सोमनाथ चटर्जी जी या बीजू पटनायक साहब या इधर सामने बैठे हुए सभी लोग भले ही कितना हमें रोकने का प्रयास करें। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रवादी समूह को सत्ता में आने से कोई रोक सकता है तो वह इस देश की जनता रोक सकती है। परंतु जनता हमें लाना चाहती है। आप एक एक्सीडेंट की उपज हैं। इसलिए शब्दों का चयन ऐसा कीजिए जिसको लोग कभी-कभी ठीक मानने लगें। देवेगौड़ा साहब अपनी स्थिति को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। वह राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं। उनको लोक सभा का मेम्बर बनना और प्रधानमंत्री बनना सूट नहीं किया। इस लोक सभा की उम्र पता नहीं, कितनी है? कल को कर्नाटक में कोई घुसने देगा या नहीं देगा। दुर्गति होगी या सद्गति होगी, पता नहीं? इसलिए अपने 6 वर्ष का इंतजाम करो। उन्होंने अपना इंतजाम कर लिया। इसलिए कल उन्होंने कर्नाटक में कहा है कि केवल भगवान ही मुझको गिरा सकता है। बाकी कोई और मुझे नहीं गिरा सकता। केवल भगवान ही मुझको हटा सकता है, और कोई नहीं हटा सकता।

आप सब लोग मिलकर कितना ही जोर लगा लें। यह मर्जी की सरकार नहीं है। यह मर्जी का समर्थन भी नहीं है। यह मजबूरी का समर्थन है, भूरिया जी।

वैद्य चाऊ चयाल जोशी (कोटा) : भूरिया जी की बड़ी दुर्गति है। वह तो पहले ही हाँ में हाँ मिला रहे हैं।....*(व्यवधान)*

श्री सुन्दर लाल पटवा : माननीय केसरी जी ने तो आकर आंखे दिखाने की कोशिश की और राग-रंग दिखाए और कहा कि अगर देवेगौड़ा साहब प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो सीताराम केसरी में कौन सी कमी है?....*(व्यवधान)*

श्री बीजू पटनायक : अटल जी में कौन सी कमी है?....*(व्यवधान)*

श्री सुन्दर लाल पटवा : बनाएंगे आपके जीते जी और आपके देखते हुए हम वहां बैठेंगे और आपका आर्शीवाद लेंगे।....*(व्यवधान)*

श्री बीजू पटनायक : देखेंगे, तो मैं क्या करूं? मैंने कोई थोड़े रोका था? भगवान तुम्हारे भरासे हैं।.....*(व्यवधान)*

श्री सुन्दर लाल पटवा : अब की बार आंएगे तो 13 वर्ष जी लेंगे।....*(व्यवधान)*

श्री बीजू पटनायक : भगवान तुम्हारा भरोसा रखे।

श्री सुन्दर लाल पटवा : आपके जीते जी, आपके इस दुनिया में रहते हुए....*(व्यवधान)*

श्री बीजू पटनायक : राष्ट्रवाद की बात करते हैं। आपको क्या मालूम है? आप क्या जानें कि राष्ट्रवाद का क्या मतलब है।

[अनुवाद]

उनका राष्ट्रवाद देश को बीस टुकड़ों में विभाजित कर रहा है।

[हिन्दी]

जब वाजपेयी जी बोलकर चले गए, उस समय क्या कोई बोला था?.....*(व्यवधान)* पचास साल से हम कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं और आप कहते हैं कि हम कश्मीर नहीं लेंगें। पचास सालों से लड़ते-लड़ते हजारों आदमी का खून हो गया। उन्होंने बोल दिया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो जाए। तकलीफ क्या है आपको?....*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.59 बजे

[कर्नल राव राम सिंह *पीठासीन हुए*]

श्री सुन्दर लाल पटवा : आप सीनियर नेता हैं। मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ।

श्री बीजू पटनायक : मैं आपको क्या बताऊं ?

श्री सुन्दर लाल पटवा : सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर ये कितने ज्वलंत प्रश्न हैं। लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहीं पर इनका जिक्र करवाने की जरूरत नहीं समझी गई। इस देश के इतिहास में उत्तर प्रदेश में जो कभी नहीं हुआ है, ऐसी अनहोनी घटनाएं हो रही हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

जनता ने जिन लोगों को चुना और चुने हुए छः महीने गुजर गए, शपथ नहीं हुई। इस प्रकार बी.जे.पी. को सरकार में आने से रोकने भर का उपाय कर रहे हैं, यह सिर्फ इतना मात्र नहीं है, यह उत्तर प्रदेश की जनता के दिए हुए जनादेश का अपमान है। आप जिसको सरकार बनाने के लिए बुलाना चाहें, बुलाइए। जो सरकार बना सकता है, बनाए। परन्तु छः-छः महीने बीत जायें, जनता ने जिनको चुना है, वे शपथ तक न ले पायें, इस देश के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन यह हो रहा है। उत्तर प्रदेश में माखौल हो रहा है। संविधान का माखौल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी आज नहीं तो कल सरकार बनाएगी। कल नहीं तो परसों बनाएगी, लेकिन यह कोई बड़ी चिन्ता का विषय नहीं है। चिन्ता का विषय यह है कि अगर जनता के द्वारा चुने हुए लोग शपथ भी न ले पायें, गुजरात में संविधान से खिलवाड़ करें, उत्तर प्रदेश में संविधान से खिलवाड़ करें और धारा 356 को हटाने की सौगंध खाकर यहां बैठे हुए लोग जन्मकाल से दुरूपयोग कर रहे हैं - कौन आप पर भरोसा करेगा।

महोदय, मैं एक दूसरी चिन्ता की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कोई पार्टी आए-जाए, यह कोई विषय बहुत बड़ा नहीं है। लोकतन्त्र में आना-जाना चलता रहेगा और यह किसी पार्टी की बपौती नहीं है। जनता जिसको आगे बढ़ाना चाहती है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। सवाल यह है कि इन कदमों से लोकतंत्र और भारत के संविधान के प्रति जनता की आस्था क्या बनी रहेगी ? पता नहीं इस मुद्दे पर आपका ध्यान जाता भी है या नहीं ? देवेगौड़ा जी और उस पक्ष में बैठे हुए सभी महानुभावों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इतिहास में आप अपने लिए क्या लिखवाना चाहते हैं। आप अजर-अमर का पट्टा लेकर नहीं आए हैं। कोई नहीं आया है। कोई अमर बनकर नहीं आया है और लोकतंत्र में अमर होना भी नहीं चाहिए। सरकारों का परिवर्तन होते रहना चाहिए। जनता को ऑपशन्स मौजूद रहने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, यहां बन गई, राज्य सभा में बन गई और प्रदेशों में बनी हुई है। पहली पार्टी है या दूसरी पार्टी है ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस.के. कारवींधन (पलानी) : ऐसा केवल उत्तर भारत में है, न कि दक्षिण भारत में है। आप वहां नहीं आ सकते हैं। ....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल पटवा : आपकी सद्भावना है, हम वहां भी आ रहे हैं। इन्तजार कीजिए। लेकिन आप अपने प्रधानमंत्री जी से तो पूछिए, जिस रामनगर में वे जनादेश का जिक्र करते हैं, उस रामनगर के अन्दर उनकी क्या दुर्दशा हुई है। रामनगर में देवेगौड़ा जी महोदय कहाँ खड़े हैं ? जिस जनादेश का वे जिक्र करते हैं और जिस जनादेश के लिए....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. के. कारवींधन : भा.ज.पा. रामनगर में भी हार गई है।....*(व्यवधान)*

श्री कमालुल इस्लाम (गुलबर्गा) : भा.ज.पा. रामनगर में भी हार गई है। आपकी पार्टी को मिले वोटों की संख्या 22,000 से कम होकर 6,000 हो गई है। हमारी पार्टी को मिले वोटों की संख्या 48,000 से बढ़कर 54,000 हो गई है। यह स्थिति है। ....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुन्दरलाल पटवा : प्रश्न बी.जे.पी. का नहीं है। बी.जे.पी. की चिन्ता आप हमें कर लेने दीजिए। बी.जे.पी. की चिन्ता के लिए हम काफी हैं। आप प्रसन्नता मनाइए, दिवाली मनाइए, दीये जलाइए कि बी.जे.पी. हारे। यह विचार मुबारक हो आपको। परन्तु कभी-कभी आप प्रधानमंत्री जी का भी फिक्र कर लीजिए, उनका भी तो हाल पूछ लीजिए। उनके भी घावों को सहला लीजिए। वहां वे चुने गए मुख्यमंत्री बनने के लिए, लेकिन दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। आप जैसे लोग साथ लगे हैं, तो हम तो डूबेंगे सनम, देवेगौड़ा जी तुमको भी साथ ले डूबेंगे। लेकिन उन्होंने छः साल के लिए अपना इन्तजाम कर लिया है। छः साल में कौन सी दुनिया अदलती-बदलती है, उसके बाद देखेंगे। वे बहुत चतुर हैं और वे कह रहे हैं कि केवल भगवान ही उनको हटा सकता है और कोई नहीं हटा सकता है। आप तो मजबूरी में घिसट रहे हैं, महाराज, उनके साथ।

सभापति महोदय, गृह मंत्री जी यहां नहीं हैं। वे सदन के सम्मानित सदस्य हैं। वरिष्ठतम सदस्यों में उनकी गिनती होती है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं समझता हूँ, वे वरिष्ठतम सदस्य हैं।

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल पटवा : मैं व्यक्तिगत रूप से उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। उनके मन में जो सच्चाई है जो उन्हें लगा वह उन्होंने अपने मुंह से बयान कर दिया और देश की जनता से छिपाना उचित नहीं समझा। सच बोलने पर उनकी दुर्गति हो रही है, बेइज्जती हो रही है। अगर इन्द्रजीत गुप्त महोदय के पास मेरी आवाज पहुंचे तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपके सारे जीवन की पूंजी, आप जिस विचारधारा से सहमत रहे, हम उनसे सहमत हो या न हों हम तो एक ऑनेस्ट, डिवोटेड कार्यकर्ता हैं आपने जो जनता के बीच में इज्जत, प्रतिष्ठा कमाई है, चारित्रिक प्रामाणिकता कमाई है क्या उसके सामने यह गृह मंत्री की कुर्सी इतनी कीमत रखती है, इतनी कीमत मांगती है। आप मौन होकर उस कीमत को चुकाए जा रहे हैं। कोई साधारण व्यक्ति भी अपने सम्मान की, इज्जत की सुरक्षा की चिन्ता करने वाला होता तो एक मिनट में गृह मंत्री की कुर्सी को ठोकर मार देता और कहता कि मैं सच बोला और यहां सच बोलने वाले की कदर नहीं है इसलिए में ठोकर मारता हूँ।

देश उन्हें सिर पर चढ़ा रहा है। इतनी कीमत इस कुर्सी की नहीं है।...*(व्यवधान)* मैं उन तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहता हूँ। यह चार दिन की बात है, यह थोड़े दिन बाद खत्म हो जाएगा। मतदाताओं का अपमान करें, संविधान का अपमान करें, धारा 356 का अपमान करें, लोकतंत्र का अपमान करें, जनता में लोकतंत्र में अनास्था पैदा करें, यह पाप है। इस पाप का नतीजा इस देश की जनता आपको दे रही है और आगे भी देगी। आप समय आने दीजिए।

[अनुवाद]

डॉ॰ के.पी. रामालिंगम (तिरूचेगोड़े) : इसका दुरूपयोग नहीं हो रहा है। आप सरकार गठित करने में असमर्थ हैं।

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल पटवा : महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में मौलिक प्रश्नों का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मौलिक चिन्तन ही नहीं है। देश के भविष्य की चिन्ता नहीं है। प्रश्न मुंहबाये सामने खड़े हैं, मंहगाई है।

सभापति महोदय, जहां से मध्य प्रदेश से मैं आ रहा हूँ वहां सरगुजा आदिवासी इलाका है। भूरिया जी जानते हैं और मध्य प्रदेश की सरकार ने स्वीकार किया है।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जब माननीय सदस्य बोल रहे हो। तो कोई हस्तक्षेप और कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल पटवा : महोदय, मध्य प्रदेश में सरगुजा के आदिवासियों को बंदर का मांस खा कर अपने पेट की आग बुझाने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहां की सरकार ने विधानसभा में स्वीकार किया। मैं खुद सरगजा जिले में कच्चे रास्ते पर 40 कि.मी. की दूरी पर गया। वहां जाकर मैंने स्वयं देखा कि बंदर का मांस खाकर जीना पड़ता है। बैतूल में पत्ते खाकर जी रहे हैं। इस देश में 50 साल किस ने राज्य किया, इसका कौन जिम्मेदार है?

महोदय, आज मैं भूरिया जी का भाषण सुन रहा था, वह जो हालत बयान कर रहे थे, वह किस की देन है? भारतीय जनता पार्टी की देन तो नहीं है, हम लोगों की देन तो नहीं है। इन मौलिक प्रश्नों का कोई उत्तर है? पिछले एक साल भर में मंहगाई आसमान को छू रही है। आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो रही है। हम हर मामले में पीछे जा रहे हैं। कर्जा बढ़ रहा है। इस बजट में चिदम्बरम साहब ने 68 करोड़ रुपए केवल ब्याज का भुगतान किया।....*(व्यवधान)* अलारमिंग सिचुएशन है। अब इन प्रश्नों पर जब बात होती है तो देवेगौड़ा साहब और खलप साहब भी सोने लगते हैं। ....*(व्यवधान)*

पॉवर पोजिशन इस कदर चिन्ताजनक है कि बयान नहीं किया जा सकता। कांग्रेस की सरकार में माननीय नरसिंह राव जी के प्रधानमंत्रीत्व काल में जो लिबरलाइजेशन किया, उसमें पावर सैक्टर को प्राइवेटाइजेशन के लिए खोला। मैं उस समय मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री था। प्राइवेट सैक्टर में खुली प्रतिस्पर्धा में नियमों का पालन करते हुए चार एम.ओ.यू. साइन किए। हमारी सरकार तोड़ दी गई क्योंकि हम गुनहगार माने गए। सरकार जाने के बाद लिबरलाइजेशन ने नाम पर जितना हल्ला मचा रहे हैं, चार साल गुजर रहे हैं, इन चार साल में चार इंच मामला आगे नहीं बढ़ा। पावर की डिमांड सारे देश में बढ़ रही है परन्तु यह जो केवल जबानी लफ्फाजी हो रही है....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : चार साल में मध्य प्रदेश में कोई जेनरेशन नहीं हुआ।

श्री सुन्दर लाल पटवा : सिंगल मेगावाट भी पावर जेनरेट नहीं हुई।

एक माननीय सदस्य : यू.पी. में भी नहीं हुआ।

[अनुवाद]

एक माननीय सदस्य : यहां तक कि एक मेगावाट बिजली भी नहीं।

श्री अनन्त कुमार (दक्षिण बंगलौर) : यहाँ तक कि कर्नाटक में भी नहीं हुआ जहां श्री एच.डी. देवेगौड़ा मुख्य मंत्री थे।

श्री शिवानन्द एच.कौजलगी (बेलगाम) : श्री अनन्त कुमार, आपको स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार रहना चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया छिन्दवाड़ा के माननीय सदस्य को अपना भाषण जारी रखने की अनुमति दीजिए।

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल पटवा : राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में और चिदम्बरम साहब के भाषण में एलार्मिंग सिचवेशन का जिक्र नहीं है जबकि इस पर देश का सारा विकास और औद्योगिकीकरण डिपेंड करता है। उसमें लेशमात्र भी चिन्ता का जिक्र नहीं है, न ही कोई उपाय बताया गया है और न ही किसी योजना का जिक्र है। विभाग में चिन्ता का सवाल ही नहीं है। यह सरकार अपने आप को जनादेश की सरकार कहती है।....*(व्यवधान)* महाराज, हम चार बरस से कागजों के घोड़े दौड़ते हुए देख रहे हैं चार बरस में एक इंच गाड़ी आगे बढ़ी है, ऐसा मुझे नहीं लगता। आप सपनों की दुनिया में खोये हुए हैं।

राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में न्यू फैडरलिज्म का जिक्र किया गया है और कहा है कि एक नए फैडरलिज्म का उतार हुआ है। कांग्रेस इस देश में रूल करती रही । बीच में डेढ़ बरस के लिए मोरारजी भाई और वी.पी. सिंह जी आए। कुल मिला कर लम्बे समय तक ये जो स्थिति बनी है, इसकी जवाबदारी से आप भाग नहीं सकते। एक नए फैडरलिज्म के अवतार ने जन्म लिया है। नया फेडरलिज्म ऐसा है जिस में फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि एक तिहाई कश्मीर पाकिस्तान को दे दो। उनकी पार्टी के एक मैम्बर आपकी पार्टी के मंत्री हैं।

श्री बीजू पटनायक : आपको मालूम नहीं हैं।

श्री सुन्दर लाल पटवा : अगर, मुझे मालूम नहीं है तो आप बताएं।

श्री बीजू पटनायक : आपको नहीं मालूम, बिल्कुल नहीं मालूम, कतई नहीं मालूम।

[अनुवाद]

1947 में मैं विमान से गया था। आप में से कोई नहीं आया था। मैंने वहां पाकिस्तान की सेना को रोके रखा।

[हिन्दी]

आप कश्मीर पर बोलते जा रहे हो। हिन्दुत्व करते हुए उसे ले जाओगे। आप हिन्दुत्व की बात करते जा रहे हो। आप देश की बात करो।

श्री सुन्दर लाल पटवा : अगर बीजू भाई मुझे रोकना चाहते हैं.....*(व्यवधान)*

श्री बीजू पटनायक : मैं बिल्कुल नहीं रोकना चाहता। पार्लियामेंट में 1985 में ये भलेमानस दो थे। मैंने इनको टोकते-टोकते 86 तक पहुंचा दिया। फिर बाबरी मस्जिद तोड़ते-तोड़ते 86 से 163 कर दिया। यही तो आपका इतिहास है।

श्री सुन्दर लाल पटवा : आप थोड़ा सा और जोर लगाकर इसे 300 तक पहुंचा दें।

श्री बीजू पटनायक : और नहीं लगायेंगे। बहुत लगा लिया। आप पीछे जाने की कोशिश करें।

श्री सुन्दर लाल पटवा : जिन्दगी में एक पुण्य काम तो कर लीजिये।

श्री बीजू पटनायक : हो सकता है।

श्री सुन्दर लाल पटवा : हम बहुत पुराने साथी हैं।

श्री बीजू पटनायक : वो तो हैं ही।

श्री सुन्दर लाल पटवा : हम आपके चेले हैं।

श्री बीजू पटनायक : अरे भाई, चेले हो कि गुरू हो ? राष्ट्रवादी कहते हो। राष्ट्रवाद का तीन टुकड़ा तो हो चुका, अब दस टुकड़ा मत करो। मुझसे और न होगा।

श्री सुन्दर लाल पटवा : इस मामले में कोई समझौता नहीं। इस देश की जनता राष्ट्रवादियों को बढ़ाना चाहती है और बढ़ा रही है। हमने तीन टुकड़ों में नहीं किया। यह कैसा फैडरलिज्म है। जिसमें श्री नरसिंह राव कहते हैं आजादी से कुछ कम ले लो, डॉ॰ फारूक अब्दुल्ला कहते हैं एक तिहाई कश्मीर पाकिस्तान को दे दो, श्री देवेगौड़ा कहते हैं कि माईनर एडजस्टेमेंट - कुछ लो, कुछ दो। इस संसद की सर्वानुमति से एक प्रस्ताव पारित किया था, निश्चय किया था, प्रतिज्ञाबद्ध हुये थे और उस पर यह फैडरलिज्म पानी फेरना चाहता है। इजराइल अपनी मातृभूमि की वापसी के लिये 2000 वर्ष इन्तजार कर सकता है। क्या भारत की धरती इतनी सस्ती है या मिट्टी का टुकड़ा है या किसी की बपौती जागीर है कि इस तरह से बांटते फिरें ? भारत की एक-एक इंच जमीन हमारे लिये पवित्र है, पूज्यनीय और वंदनीय है। यदि इस देश के सो-काल्ड

सूडो सैकूलरिज्म वाले अपनी दुकानें चलाने के लिए इस देश की मातृभूमि के साथ सौदेबाजी करने की कोशिश करेंगे तो हम यहां लड़ाई लड़ेंगें ही और देश की जनता के बीच में जाकर यह साबित कर देंगे कि आप गलती पर हैं।

सभापति महोदय, इनका वन पाईंट प्रोग्राम है कि भाजपा को रोकना। आप इतिहास से सबक लीजिये। कंस ने निश्चय किया था कृष्ण को पैदा न होने देना। लेकिन आपको इतिहास, पुराण और इस देश की प्राचीन संस्कृति से क्या वास्ता ? आपको तो सस्ता से वास्ता है।

श्री बीजू पटनायक : तभी तो आपने पाकिस्तान बनाकर छोड़ा।

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : यह इन्होंने किया है, इनके मंत्रियों ने किया है। इनकी नीतियों और नेताओं ने किया है।

श्री सुन्दर लाल पटवा : सभापति महोदय, फैडरलिज्म के नाम पर.....

श्री बीजू पटनायक : अगर सरकार देती है तो वे वापस ले आयें। कितने साल लगेंगे, सौ, दो सौ, पांच सौ साल ?

श्री सुन्दर लाल पटवा : सभापति महोदय, क्या यह कोई नया फैडरलिज्म है ?....*(व्यवधान)* सभापति महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण से....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जोशी जी, कृपया हस्तक्षेप न करें।

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बीजू पटनायक जी, मैं आपको बोलने से नहीं रोक रहा हूँ। मैं श्री दाऊ दयाल जोशी जी को रोक रहा था।

श्री प्रमोद महाजन (मुम्बई-उत्तर पूर्व) : महोदय क्यों ?

सभापति महोदय : वे मेरे लिए बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं इसलिए मैं उन्हें नहीं रोक सकता।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : श्री पटवा जी के अभिभाषण के बाद श्री बीजू पटनायक जी को सभी मुद्दों पर हमारे सामने प्रकाश डालने दें।....*(व्यवधान)*। हम उनके भाषण का स्वागत करेंगे। ....*(व्यवधान)*

डॉ॰ के.पी. रामालिंगम (तिरुचेंगोड़े) : श्री पटवा जी कह रहे हैं कि 2000 वर्ष पूर्व भारत एकजुट देश था। लेकिन ऐसा नहीं है। वे सच नहीं कह रहे हैं क्योंकि उस समय भारत बहुत सारे राजाओं द्वारा शासित एक बहु-राष्ट्र था। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री पटवा जी, मैं समझता हूँ कि यह आपका पहला अभिभाषण है इसलिए मैं आपको रोकना नहीं चाहूंगा। परंतु आपने लगभग 50 मिनट का समय ले लिया है। आप अपना भाषण पूरा करने के लिए कितना समय और लेंगे ?

श्री सुंदर लाल पटवा : महोदय, जैसी आपकी इच्छा।

सभापति महोदय : कृपया जल्दी समाप्त करने की कोशिश करें।

श्री सुंदर लाल पटवा : जी, हाँ।...*(व्यवधान)**

श्री वी. धनन्जय कुमार (मंगलौर) :....*(व्यवधान)**

श्री के.पी. रामालिंगम : वह एक तमिल देश था। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : डॉ॰ रामालिंगम, आप कृपया बैठ जाइए। क्या आप बैठने की कृपा करेंगे।

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री रामालिंगम क्या आप बैठने की कृपा करेंगे।

....*(व्यवधान)*

डॉ॰ के.पी. रामालिंगम : महोदय, वे इस तरह क्यों कह रहे हैं ?

श्री वी. धनन्जय कुमार : यह उनकी समझ है। ....*(व्यवधान)*

डॉ॰ के.पी. रामालिंगम : वह ठीक नहीं है। वह तमिल देश था।....*(व्यवधान)* यहां तक कि सिंकदर ने भी दक्षिण तमिलनाडु में प्रवेश नहीं किया था। ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री रामालिंगम मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। कृपया मुझे और कोई कार्रवाई करने के लिए बाध्य न करें। कृपया सभापति का मान रखिए।

....*(व्यवधान)*

श्री बीजू पटनायक : वे केवल इतिहास को याद करा रहे हैं।

श्री वी. धनन्जय कुमार : .....*(व्यवधान)**

श्री के.पी. रामालिंगम : महोदय, यह ठीक नहीं है। .....(व्यवधान)। वे भी तमिल हैं। पहले श्रीलंका और तमिलनाडु एक देश थे।....*(व्यवधान)*

---

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री पी. चेंगमुगम (वेल्लोर) महोदय, भारत पिछले 2000 वर्षों में एक नहीं था। यह ब्रिटिश शासन के बाद ही एक हुआ था।....*(व्यवधान)*

डॉ॰ के.पी. रामालिंगम : महोदय, वे सदन को गुमराह कर रहे हैं। ये टिप्पणियां ठीक नहीं हैं।

सभापति महोदय : ठीक है उन टिप्पणियों को शामिल नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : उन टिप्पणियों को अब कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया है। कृपया बैठ जाइए।

डॉ॰ के.पी. रामालिंगम : धन्यवाद महोदय।

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल पटवा : सभापति महोदय, भारत का इतिहास अगर किसी को विस्मृत हो गया है तो मैं उन्हें स्मरण कराने की थोड़ी सी इजाजत चाहूंगा। अपने मित्रों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जिसने आज तक अपनी धरती के बाहर तलवार लेकर किसी देश पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की। यह हजारों वर्षों का इतिहास है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अब हस्तक्षेप न करें क्योंकि समय बीता जा रहा है।

....(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया हस्तक्षेप न करें।

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल पटवा : अगर पहले उन्हें इजाजत देते हैं तो मैं बैठ जाता हूँ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध कर सकता हूँ कि वे अपने दल के सदस्यों से हस्तक्षेप न करने के लिए कहें ? श्री खलप जी, क्या मैं आपसे अनुरोध कर सकता हूँ कि आप अपने सदस्यों से कहें कि बार-बार हस्तक्षेप न करें।

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल पटवा : सभापति महोदय, मैं मुश्किल से और दस मिनट लेकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

सभापति महोदय, राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में इन मौलिक प्रश्नों का कोई जिक्र नहीं है। चिन्तन भी नहीं है और चिन्ता भी नहीं है। इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि यह राष्ट्रपति महोदय के मुंह से भाषण जरूर करवाया गया है परंतु ऐसी सरकार का है जो बाय ऐक्सीडेण्ट है और एक चालू बयान है। इनको खुद को भरोसा नहीं है कि ये कितने दिन रहने वाले हैं और कैसे इस देश की चिन्ता करने वाले हैं।....*(व्यवधान)* अब ये फिर शुरू हो गए। यह सरकार भी ऐसे ही चला रहे हैं और ससंद भी ऐसे ही चलाना चाहते हैं।....*(व्यवधान)*

श्री बीजू पटनायक : आपके भाषण के अंत तक मैं बैठूंगा। आप खत्म करें तो मैं जाऊं। .....*(व्यवधान)*

श्री सुन्दर लाल पटवा : इतना भी मेरे मित्रों को ख्याल नहीं है कि सदन में पहली बार कोई सदस्य बोले तो उसे बोलने दिया जाना चाहिए। आपको अपनी बात करने का पूरा अधिकार है।. ...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : आपको बोलते हुए एक घंटा हो गया है।

श्री सुन्दर लाल पटवा : वह काम चेयर का है।.... *(व्यवधान)* मैं जिस बात को पोइंट आउट करना चाहता हूँ, इस अभिभाषण में जो कहलवाया गया है, राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कुछ और बात जनता के नाम कही है। राष्ट्रपति जी के मुंह से यह अभिभाषण जरूर करवाया गया है पर एक ऐसी सरकार का अभिभाषण है, ऐसी सरकार का दस्तावेज है जिसे न इस देश की चिन्ता है, न लोकतंत्र की चिन्ता है, न फेडरेलिज्म की चिन्ता है, न इस देश के भविष्य की चिन्ता है और न इस देश की समस्याओं की चिन्ता है।

मैं फिर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि आंधी के आम झड़ गये, वे हमेशा सस्ते बिकते हैं और थोड़े समय के लिये टिकते हैं। इसलिए उन पर गुरूर मत कीजिए, अवसर मिला है, इस अवसर का उपयोग कीजिए। हुमायूँ ने एक भिश्ती को अवसर दिया था, एक दिन की बादशाहत दी थी, उसने चमड़े के सिक्के चलाकर इतिहास में अपना नाम लिखाया और एक साल भर के लिए इसी देश के प्रधानमंत्री के रूप में श्री लाल बहादुर शास्त्री रहे, आज देश उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। उनका ऋणी है। देवेगौड़ा साहब और उनके साथी इतिहास में अपने लिए कौन सी श्रेणी चुनते हैं, हुमायूं के भिश्ती की श्रेणी चुनते हैं या लाल बहादुर शास्त्री का उदाहरण अपने सामने रखना चाहते हैं। चुनाव आपको करना है, चयन आपको करना है। इसलिए राष्ट्रपति जी के मुंह से कहलवाने से पहले क्या आपने इस अभिभाषण को पढ़ा है। यहां जनता के प्रति आपकी ज्वांइट रिस्पांसिबिलिटी है कि नहीं, किसने क्या लिखा, किसको देखने की चिंता है और लिखने के बाद अरे इससे पुरानी कांग्रेस गवर्नमेंट के लोग नाराज हो जायेंगे, इसको

काट दो, फिर लिख दो, इतना कैजुअल, इतने हल्के-फुल्के ढंग से राष्ट्रपतिजी के अभिभाषण को जो सरकार लेती है, उससे क्या अपेक्षा करें, उससे देश की जनता क्या उम्मीद लगाये। जिनको खुद का भरोसा नहीं है। यह सरकार इतिहास में अपने लिए लिखवाना चाहती है, इसे इस देश के फैडरलिज्म की चिंता नहीं, इस देश की डिसइंटीग्रेशन, डिसयूनिटी की चिंता नहीं है। कार्रवाई करने वाले लोग इस देश में थोड़े समय के लिए सत्ता में आये थे, जनता ने उनको धकेलकर बाहर कर दिया। अगर आप इतिहास में यह लिखवाना चाहते हैं आपको अवसर मिला है, अवसर को भुनाइये और कुछ अच्छा इतिहास अपने लिए लिखा जाए, इसकी चिंता कीजिए, वरना तो उत्तर प्रदेश में कहाँ, कौन सी पार्टी खड़ी है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूँ कि कितने दिन पूंछ की लटकन बनकर आप इनके साथ घिसटते रहोगे।....*(व्यवधान)*

श्री गुलाम मोहम्मद मीर मगानी (श्रीनगर) : आप इसमें क्यों पड़ते हैं, यह हम जाने और वे जानें।

श्री सुन्दर लाल पटवा : एक हिमाचल नाम के लिए है और बीजू पटनायक ने उड़ीसा में मौका दे दिया, मध्य प्रदेश में भी थोड़ा-बहुत हिल रहे हैं। कांग्रेस कहां है, इनके साथ लटकते-लटकते आप भी अंतरधान हो जायेंगे, इसलिए जल्दी पीछा छुड़ाओ। यह देख नहीं रहे है कि गृहमंत्री जी की बेइज्जती हो रही है। आपको भी धकिया रहे हैं, आपको भी लतिया रहे हैं, कमाल है। मैं एक उदाहरण दूंगा, इसे आप सुन लें, नदी में बाढ़ आई और बीच में एक बड़ा वृक्ष खड़ा था, तो बीजू पटनायक जी आपने जिनका जिक्र किया, वे सब प्राण बचाने के लिए उस पर चढ़ गये - केकड़े, सांप, बिच्छू, आदमी, भालू, रीछ, बंदर, नेवले सब प्रकार के जीव-जन्तु उस पेड़ पर चढ़ गये और सब शांतचित बैठे हैं, कोई किसी को छेड़ नहीं रहा है। एक-दूसरे को खा जाने वाले प्राणी भी शांतचित बैठे हैं। लड़े-झगड़े तो मरेंगे, बाद में गिरेंगे, प्राण जायेंगे। बाढ़ उतरने की चिंता कर रहे हैं। यह बाढ़ तो उतरनी नहीं है। या तो भूखों रहकर मरना है या एक-दूसरे को खाकर मरना है। भारतीय जनता पार्टी को इस देश की जनता बढ़ा रही है, राष्ट्रवादी ताकतों को बढ़ा रही है। इस बाढ़ के भय से यह सब प्रकार के परस्पर विरोधी प्राणी ऊपर चढ़कर बैठे हैं जिसका नाम है सत्ता, जिसका नाम है सरकार और इसीलिए देवेगौड़ा साहब कह रहे है। कि मजबूरी में मुझे बनाये रखना इन सबकी मजबूरी है, क्योंकि मुझे हटाया नहीं कि मरे नहीं।

आपको ये चुनाव परिणाम सुहाते या नहीं सुहाते - वह आपकी मर्जी। इन्हें आप जैसे लेना चाहें, ले सकते हैं। इस समय यदि कुछ दांव पर लगा है तो हमारा संविधान दांव पर लगा है, प्रजातंत्र दांव पर लगा है, प्रजातंत्र के प्रति देश के लोगों का विश्वास दांव पर लगा है।

उत्तर प्रदेश और बिहार में, सभापति महोदय, आज जो स्थिति है, वह चिन्ताजनक है। सामाजिक न्याय के नाम पर, जातियों की खेमेबंदी के रूप में, वहां जो दृश्य खड़े किये हैं, वे चिन्ताजनक हैं। सामाजिक न्याय, समतावादी समाज के हम कट्टर हिमायती हैं। हम चाहते हैं कि इस देश की जो सम्पत्ति है, समृद्धि है, उसका समान वितरण होना चाहिए। इस देश में 50 साल सरकार चलाने के बाद भी, इस देश में कुछ लोगों को बंदर खाकर भूख की आग बुझाने को मजबूर होना पड़े, यह दृश्य किसी भी देशभक्त का सिर झुकाने वाला है। सत्ता की पिपासा पूरी करने के लिए, जातिवाद का जहर फैलाकर इस देश को बांटना किसी के हित में नहीं। आज उत्तर प्रदेश और बिहार में आप एक कबीराई संस्कृति को जन्म दे रहे हैं। भारत की राजनैतिक और सामाजिक स्थिरता आज दाव पर है।

इसलिए मेरा कहना है कि राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर उन्हें धन्यवाद देने की कोई बात इसमें नहीं है, कोई चिन्तन इसमें नहीं है। देश की समस्याओं की चिन्ता इसमें नहीं है, देश के भविष्य की चिन्ता नहीं है। राष्ट्रपति महोदय के प्रति पूरा सम्मान व्यक्त करते हुए, मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना और आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि वे इस धन्यवाद प्रस्ताव को ठुकरा दें।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति जी, आपने मुझे धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ। इस सदन में महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के लिए जो प्रस्ताव श्री शरद यादव द्वारा लाया गया है, मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूँ। इस संबंध में, मैं एक महत्वपूर्ण बात का जिक्र अवश्य करना चाहूंगा, जिसे राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में शामिल नहीं किया गया है और जो सबसे मौलिक बात है।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि क्षेत्र में काम करने वाले जितने खेतीहर मजदूर हैं, इस सदन का हर माननीय सदस्य जानता है कि हर साल आने वाले प्राकृतिक प्रकोप के कारण, बुढ़ापे के कारण, उनकी स्थिति बहुत जर्जर हो जाती है, कोई उन्हें देखने वाला नहीं है परन्तु उनकी समस्याओं का इस अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं है जब कि वे इस देश की रीढ़ हैं। जब उन्हें इस देश की अर्थ-व्यवस्था की रीढ़ माना गया है, हम उन्हें अर्थ-व्यवस्था की रीढ़ मानते हैं, हर आदमी के स्वर से यही निकलता है कि वे रीढ़ है लेकिन उनके बारे में एक शब्द भी अभिभाषण में न कहा जाए, यह ठीक नहीं लगता।

यहां बहुत से दूसरे मुद्दों पर बहस हो जाती है और प्रधानमंत्री जी ने इस सदन में आश्वासन दिया था कि हम कृषि मजदूरों के हित में एक बिल शीघ्र लाएंगे परन्तु कृषि मजदूरों से संबंधित कोई बिल लाना तो दूर, राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में उनका जिक्र तक नहीं है।

[श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह]

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ और आग्रह करना चाहता हूँ कि वह इसी सत्र में कृषि मजदूरों के लिए व्यापक विधेयक लाए जिसमें से उनके बुढ़ापे में, प्राकृतिक आपदा के समय में उनको सुविधाएं और लाभ दिया जा सके और वे जिन्दा रह सकें।

सभापति महोदय, मैं दूसरी चीज यह कहना चाहता हूँ कि आज हमारे देश में जूट की खेती असफल हो रही है। इस खेती में किसानों को फायदा नहीं हो रहा है जिसके कारण जूट मिलें बन्द होती जा रही हैं और उनके मजदूर बेकार होकर सड़कों पर आ गए हैं और भूखे मर रहे हैं। इसलिए हमारा आपसे कहना है कि जूट की जो न्यूनतम कीमत है उसमें कुछ बढ़ोत्तरी की जाए जिससे जूट की खेती लाभकर बने और जो बन्द मिले हैं वे फिर से चालू की जा सकें और उनमें फिर से मजदूरों को काम दिलाया जा सके। यह मेरा भी अनुरोध है और यह हमारी पार्टी का भी विचार है और यह हमारी पार्टी का दृढ़ विश्वास है कि यह काम होना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं तीसरी बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यह जो हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली है या हमारे लोकतंत्र के जो ये तीन स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हैं, इनके स्तर में काफी गिरावट आ रही है। लोकतंत्र में जो एक विश्वास होना चाहिए, वह नहीं है और उसका स्तर गिरता जा रहा है और घटता जा रहा है। इसका मुख्य कारण भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार के कारण आज स्थिति यह हो गई है। कि देश में सामान्य कार्य भी नहीं हो पाते हैं। भ्रष्टाचारियों की स्थिति इतनी मजबूत बनती जा रही है कि जो भी विकास के काम प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना और अन्य योजनाओं के माध्यम से चलाए जा रहे हैं, इनमें भी इतना भ्रष्टाचार फैल गया है कि हम इनका उपयोग सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं और यह भ्रष्टाचार इंच-इंच पर पैदा हो गया है।

सभापति महोदय, आज की मौजूदा परिस्थितियों में मेरा, सुझाव है कि हमारे देश में पिछले 25-30 वर्षों में जो राजनेता रहे हैं जो बड़े-बड़े अधिकारी रहे हैं चाहे वे विधायिका में हो, चाहे कार्यपालिका में हों और उनकी बड़े-बड़े शहरों में उनके द्वारा निर्मित जो अचल सम्पत्ति है, उसका एक सर्वेक्षण करवाया जाए। यदि सचमुच में यह सरकार अपने को गरीबों की सरकार कहती है, तो वह ऐसा अवश्य करवाए, सब उसे मालूम हो जाएगा और एक ही सही चेहरा देश के सामने आ जाएगा कि ये बड़े-बड़े राजनेता और बड़े-बड़े अधिकारी किस प्रकार से देश को लूटने में लगे हैं, किस प्रकार से देश को लूटकर भ्रष्टाचार कर के धन को जमा करते हैं और देश भर में फैली अपार संपदा इस बात का प्रमाण है। हम जो विकास की बात करते हैं, वह सब बेकार हो रही है और देश उग्रवाद के रास्ते पर जा रहा है। इसलिए हम इस बात के लिए आज आपसे अनुरोध करना चाहते है कि इस प्रकार का एक सर्वेक्षण या जांच अवश्य करवाई जाए। इस प्रकार की जांच से ही आपके सामने सही स्थिति आ सकेगी।

सभापति महोदय, रक्षा विभाग में भी भारी भ्रष्टाचार है। रक्षा मंत्री जी आज इस समय यहां सदन में मौजूद नहीं हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि जो लंबा-चौड़ा और स्वस्थ्य आदमी भी है, वह भी आज पैसे की कमी के कारण फौज में नहीं जा पाता है क्योंकि फौज में भर्ती में भ्रष्टाचार है और जो पैसा देता है उसी को भर्ती किया जाता है। रक्षा विभाग में बहुत भ्रष्टाचार है। वहां कम भ्रष्टाचार नहीं है। इसका एक उदाहरण में आपके सामने देना चाहता हूँ। जो अच्छे तगड़े और तंदुरुस्त लोग हैं, वे भी पैसे के अभाव में बहाल नहीं हो पाते हैं और यदि किसी प्रकार से बहाल हो जाते हैं, तो उनको जनरल इंटरव्यू में निकाल दिया जाता है। गया छावनी में सुनील साहू नाम के बहाली करने वाला ऑफिसर है जो बिना पैसा लिए बहाल नहीं करता। हमारे क्षेत्र का एक लड़का ऑफिसर ने यह कह कर हटा दिया कि इसकी हर तरह से फिटनैस हो गई, बहाली ले ली गई, लेकिन उसको जनरल टैस्ट में पैसे के अभाव के कारण नहीं बैठने दिया गया। उस लड़के का नाम दिनेश था। उसे हम रक्षा सचिव के पास ले गये तो उन्होंने उसे दुबारा भेजा। उसे दुबारा कॉल गई। जब वह गया तो उससे कहा गया कि तुम कहीं भी चले जाओ, यह तो हमारा अधिकार है, हम तुमको नहीं लेंगे इस तरह की धांधली हो रही है। गरीब नौजवान जो इस तरह की धांधली से असंतुष्ट होकर राष्ट्रीय धारा से अलग हट रहे हैं, यह एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। इस पर भी हम आपका ध्यान खींच रहे हैं। हम चाहेंगे कि इसकी जांच हो। अगर जांच होगी तो सही चीज पकड़ में आयेगी। तीसरी और चौथी बात हमें यह कहनी है कि न्यायालय के ऊपर कुछ लोग उंगुली उठा रहे हैं। कुछ ऐसे षडयंत्र हो रहे हैं, हम न्यायालय की शक्ति को नियंत्रित करें। हमारी पार्टी इसका विरोध करती है। मैं भी इसका विरोध करता हूँ। आज देश के सामने भ्रष्ट लोगों का चेहरा न्यायालय ही ला रहा है। वे चाहे हमारी पार्टी के ही क्यों न हों।

सभापति महोदय, हम जोर-जोर से चिल्लाते हैं और भ्रष्टाचार के बारे में कहते हैं कि यह गलत है। अगर गलत है और हम सब लोग यहां बैठकर यह तय करते हैं कि यह गलत है तो यह पता करना होगा कि आखिर भ्रष्ट कौन है। अगर हम कहते हैं कि अपराधी को राजनीति में नहीं लाना चाहिए तो फिर अपराधी राजनीति में कैसे आता है और कैसे वह मैम्बर बनता है। इसका निर्णय कैसे होगा। अगर यह लोक सभा सर्वोच्च स्थान है तो निर्णय कहां होगा ? आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, जो पुलिस के दायरे में रहते हैं, आज सीना तानकर विधानसभा और लोक सभा में बैठते हैं। यह सवाल हमको आपसे कहना है। इन सारी चीजों को आपको देखना है।...*(व्यवधान)*

हम दो मिनट में अपनी बात खत्म कर रहे हैं। आज हम स्वतंत्रता की 50 वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं।

सभापति महोदय : आप समाप्त कीजिए।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : 50वीं वर्षगांठ हम उत्साह से मना लेंगे। लेकिन गरीब लोग जो हतोत्साहित हैं, उनको इस 50वी वर्षगांठ से क्या उत्साह मिलेगा ? जितनी भी सरकारें बनी, वे सब शब्दों के मायाजाल फैलाकर यहां बैठी रही। लेकिन ये सरकारें कुर्सी की चिन्ता में देश की चिन्ता क्या करेंगी ? ये कुर्सी पर इस तरह से हावी रहीं कि देश पीछे हो गया और राजनीति आगे हो गयी। इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। जब तक इन दो-चार सुधारों को सरकार नहीं करेगी तब तक देश का बचना कठिन होगा। आज चुनाव में करोड़ों रुपये खर्च करके लोग यहां आने की कोशिश करते हैं। अगर चुनाव को शुद्ध नहीं किया जायेगा, चुनाव की लाइन को बदला नहीं जायेगा, चुनाव में भ्रष्टाचार और अपराधियों को आने से नहीं रोका जाएगा तब तक कुछ नहीं होगा। हम समझते हैं कि देश को बचाना कठिन है।

सभापति महोदय, पांचवीं बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने फेडरलिज्म की बात कही कि आपका फेडरलिज्म कहां है। ऐसी बात नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं। यहाँ सरकार बनी जो भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न पार्टियों की सरकार थी। सभी मुख्यमंत्रियों को एक जगह इकट्ठा करके देश के बारे में सोचने के लिए इस सरकार ने मजबूर किया है। इसलिए हम कहते हैं कि जो लोग इस तरह की मनगढ़ंत बातें कहते हैं, वे सब गलत हैं। अब अखबारों में पढ़ रहे हैं कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। कुछ एम.पीज, कुछ अफसरों पर नोटिस हुए हैं। विदेश सचिव की बहू पर, प्रधानमंत्री की बहू को पेट्रोल पम्प के लिए नोटिस दिये गए हैं। यह सब कितनी गलत बात है।

सभापति महोदय : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि यह सारी चीजें भ्रष्टाचार के कारण हैं। भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। यह बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[अनुवाद]

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका (तेजपुर) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि हम स्वतंत्रता के पचासवें वर्ष की दहलीज पर हैं। हमने आठ पंचवर्षीय योजनाएं पूरी कर ली हैं। और हम नौवीं पंचवर्षीय योजना लगभग पूरी करने जा रहे हैं। पहली बार हमारी गठबंधन सरकार बनी है जिसमें क्षेत्रीय दल भी प्रभावशाली भूमिका निभा रहे हैं। यह सब उन महान भारतीय लोगों की कुशलता और ज्ञान को एक महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि हैं जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से हमारे प्रजातांत्रिक प्रणाली की नींव को बनाया, विकसित किया और मजबूत बनाया है।

आज हमारा प्रजातंत्र, सही शब्दों में, एक तरह से हमारे लिए गर्व और दूसरों के लिए ईर्ष्या बन गया है। मैं कांग्रेस दल से हूँ। यह दल सरकार को अपना समर्थन दे रहा है। इस प्रक्रिया में, हम दल के अंदर कई आंतरिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, मेरे राज्य असम में, हमारे दल के कार्यकर्ताओं को सत्तादल की तरफ से यातनाओं का सामना करना पड़ रहा है और हम केंद्र सरकार को समर्थन देकर बचा रहे हैं जबकि यह गठबंधन सरकार के 13 दलों में से एक है। पर इन सबके बावजूद ऐसा क्यों है कि हम इस गठबंधन सरकार को कांग्रेस दल की तरफ से समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस दल धर्मनिरपेक्षता के लिए वचनबद्ध है और चाहे हम धर्म निरपेक्षता की भावना को पाखंडी धर्मनिरपेक्षता कहकर कितना ही मजाक कर लें पर सच्चाई यही रहेगी कि यदि हमें देश की एकता और अखंडता को बचाए रखना है तो धर्मनिरपेक्षता एक बहुत जरूरी आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि जल्दी ही दल के रूप में समर्थन वापस लेना पड़ेगा। जैसा कि हमें पंजाब और अन्य स्थानों पर किया है। परंतु अंततः धर्म निरपेक्षता के प्रति हमारी वचनबद्धता की लोग प्रशंसा ही करेंगे और इस अवधि में चल रही प्रतिकूलताओं से हम बहरहाल उबर ही जाऐंगे। जैसा कि अंत में धर्म निरपेक्ष ताकतें विघटनकारी, धर्मतंत्रीय ताकतों के उपर विजय पा लेंगी।

इसके अलावा उत्तर पूर्व में और दक्षिण में भी हम इन गैर-धर्म निरपेक्ष ताकतों को किनारे करने में काफी हद तक सफल हो सके हैं और हम आशा करते हैं कि ऐसा ही हम भविष्य में भी कर सकेंगे। इस प्रक्रिया में इस समय हम कुछ प्रतिकूलताओं और कुछ हानियों, को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि अंततः विजय हमारी ही होगी। इसी पृष्ठभूमि के आधार पर हमने अपने माननीय राष्ट्रपति का अभिभाषण बड़े ध्यान से सुना था।

यह अभिभाषण आस्था और विश्वास का एक दस्तावेज है। इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय के साथ विकास और स्थिरता संबंधी नुस्खे भी दिए हैं। इसलिए, मैं अभिभाषण की विषय-वस्तु को लेकर बेवजह विवाद में नहीं पड़ना चाहता। मैं यहां अभिभाषण में कही गई बातों पर ध्यान न देकर उन बड़े मुद्दों पर ध्यान देना चाहता हूँ जिनके बारे में अभिभाषण में नहीं कहा गया था। उदाहरण के लिए बढ़ती हुई कीमतों के बारे में इसमें कोई उल्लेख नहीं किया गया। परन्तु हमने देखा है कि जून 1996 में मुद्रा स्फीति दर 4.5 प्रतिशत थी। परंतु अब, मूल्यों में असाधारण वृद्धि के कारण 15 फरवरी को समाप्त होने वाले सप्ताह में, मुद्रा स्फीति दर बढ़कर 7.99% लगभग, 8% पहुंच गई है।

[श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका]

हम जानते हैं कि इस सरकार के कार्यकाल के दौरान सरकार द्वारा लिए गए कुछ निर्णयों के कारण मूल्यों में असाधारण वृद्धि हुई है; जैसे कि पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि, गेहूं, चीनी, चावल और अन्य सभी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि संबंधी निर्णय शामिल हैं। इससे हमारे गरीब लोगों का जीवन दूभर हो गया है। यहां तक कि 15 फरवरी को समाप्त होने वाले सप्ताह में मूल्य सूचकांक 321.5 तक पहुंच गया है और अप्रैल 1996 में यह 302 तक ही था। यह एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है और इससे पूरे देश की जनता प्रभावित होती है। हम शेयर बाजारों, शेयर दलालों, भारतीय निवेशकों, विदेशी निवेशकों और सी.आई.आई. सदस्यों और अन्य सभी लोगों को जिनकी संख्या वास्तव में बहुत अधिक है तथा जो कुल जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा है मूल्यवृद्धि से प्रभावित हैं, सभी प्रकार के आश्वासन हो रहे हैं। न केवल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग बल्कि गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले लोग भी इससे प्रभावित हैं। फिर भी इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। हमने दूसरों को भी आश्वासन दिया है। पर हमने अब तक वे उपाय सूचीबद्ध नहीं किए हैं जिनके द्वारा इस सरकार का बढ़ती हुई कीमतों पर नियंत्रण पाने का प्रस्ताव है तथा जिससे देश के गरीब व मध्यवर्गीय परिवार प्रभावित हैं।

एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा, जिसे अभिभाषण में शामिल किया जाना चाहिए था, परन्तु शामिल नहीं किया गया, वह जनसंख्या पर नियत्रंण का मुद्दा है। हमारे देश के लिए यह एक आधारभूत मुद्दा है। जनसंख्या वृद्धि की दर 2.2 से 2.3 तक बढ़ चुकी है। जबकि खाद्य-उत्पादन दर जनसंख्या-वृद्धि-दर से पीछे चल रही है। अतः जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए तत्काल प्रभावशाली उपाय करने की आवश्यकता है। परन्तु अभिभाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं है। अभिभाषण में इसका उल्लेख न होने के कारण यह मुद्दा और अधिक ध्यानाकर्षक बन गया है....*(व्यवधान)*

श्री पी. कोदंड रामैय्या : इसका उल्लेख किया गया है।

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : जनसंख्या नियंत्रण उपायों का कोई उल्लेख नहीं किया गया। इसके पश्चात् आधारभूत ढांचे जैसे विद्युत, परिवहन दूरसंचार और सिंचाई आदि का प्रश्न आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। हमारे आर्थिक विकास का यह सबसे कमजोर आधार क्षेत्र हैं। हम ने कहा कि हमने द्रुतगामी परियोजनाओं की प्रति गारंटी दी है आदि-आदि परन्तु हमने कभी इस बात पर विचार नहीं किया कि विगत पाँच वर्षों में हम जहां-जहां पीछे रह गए उस कमी की भरपाई हम कैसे कर पायेंगे ? जब हमने उदारीकरण की नीति लागू की तब यह सोचा गया था कि सब कुछ उत्कृष्ट हो जाएगा; देश के अन्दर और बाहर से निजी निवेशक उत्साह से इस विद्युत उत्पादन क्षेत्र में प्रवेश करेंगे और बिजली सम्बन्धी हमारी समस्याएं हमेशा के लिए सुलझ जायेंगी। अतः उदारीकरण होते ही 200 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। राज्य सरकारों और गल्ला व्यापारियों, किरयाना व्यापारियों, जिन्हें विद्युत क्षेत्र की कोई जानकारी नहीं थी, के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इनमें कोई भी समझौता ज्ञापन परियोजना के रूप में प्रतिफलित नहीं हुआ, सबसे पहली द्रुतगामी परियोजना एनरान है। यह भी एक के बाद एक कठिनाई में फंसी हुई है। अब जबकि डाभोल पावर कम्पनी इसकी अड़चनों को दूर कर देगी और यह परियोजना स्वीकृत हो जायेगी और इसका कार्यान्वयन हो सकेगा।

विद्युत क्षेत्र में हमने गलत रास्ते अपनाये हैं। इस मामले में कोई नीतिगत उल्लेख नहीं है। आखिरकार इस क्षेत्र में धन तो वितरण से ही प्राप्त होना है, बिजली के उपभोक्ताओं से ही प्राप्त होना है। जब तक निजीकरण के माध्यम से या किसी और अन्य तरह से बिजली के वितरण की स्थिति को चुस्त-दुरुस्त नहीं बनाया जाएगा तब तक इस समस्या को सुलझाया नहीं जा सकता। राज्य सरकारों द्वारा दी गई प्रति गारंटी या गारन्टी बनावटी अवलम्ब है। जिसके सहारे कोई बिजली परियोजना टिकी नहीं रह सकती है। अतः विद्युत संकट की समस्या को सुलझाने के लिए रणनीति बनाते समय बहुत सोच-विचार किया जाना चाहिए। परंतु इस समस्या का थोड़ा सा उल्लेख मात्र ही किया गया है।

वही स्थिति आधारभूत ढांचे सम्बन्धी अन्य क्षेत्रों पर भी लागू होती है। हमारे देश में आधारभूत ढांचे संबंधी राकेश मोहन समिति की रिपोर्ट है। इसमें देश में विद्यमान आधारभूत ढांचे की बहुत खराब स्थिति उल्लेख किया गया है। यहाँ बहुत सामान्य सा उल्लेख इसमें किया गया है। इस क्षेत्र में सरकार की कोई उचित रणनीति दृष्टिगोचर नहीं होती।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में बंगलादेश के साथ फरक्का के पानी के बंटवारे के मामले का उल्लेख किया गया है। सरकार का यह बहुत सराहनीय कदम है और इस मामले पर मेरी कोई लड़ाई नहीं है। परन्तु उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए यह अति आवश्यक है कि बंगलादेश के साथ एक व्यापार तथा पारगमन समझौता किया जाए जिसके माध्यम से भारत की मुख्यभूमि को उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के साथ जोड़ा जाए। इसके बिना उत्तर-पूर्व का विकास संभव नहीं है। हमें आशा है कि इस पानी के बटंवारे के समझौते को बंगलादेश के साथ पूर्वशर्त के रूप में रखा जाएगा, एक व्यापार और पारगमन समझौते पर हस्ताक्षर होंगे जिसके परिणामस्वरूप उत्तर-पूर्वी क्षेत्र मुख्यभूमि के दोनों तरफ अपना माल भेज सकेगा और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को ब्रह्मपुत्र के साथ-साथ चिटागांव-कुलजा बन्दरगाह से आयात-निर्यात की भी अनुमति होगी। परन्तु चूंकि फरक्का समझौते में सरकार का रुख 'देने दो' वाला था अतः इस मामले की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस समझौते में बंगलादेश के ऊपर कोई दो तरफा बंधन नहीं डाला गया अतः हमने एक बहुत बड़ा अवसर खो दिया। मुझे सन्देह है कि अब जबकि फरक्का के पानी का अपना भाग बंगलादेश को दे देने के पश्चात् बंगलादेश अब भारत के साथ किसी व्यापार तथा

पारगमन समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत होगा। बंगलादेश के साथ यदि पारगमन समझौता सम्पन्न नहीं किया जाता तो उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए यह बहुत दुर्भाग्यजनक होगा।

मान्यवर, ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी पार्टी की सरकार द्वारा उदारीकरण और आर्थिक सुधार लागू करने की नीति अपनाने के पश्चात क्षेत्रीय विसंगतियां और अधिक विकट हो गई हैं। योजना में एक आधारभूत सिद्धान्त यह भी था कि क्षेत्रीय विसंगतियाँ दूर की जाएं, एक उद्देश्य संतुलित आर्थिक विकास की प्राप्ति भी था। नई आर्थिक नीति में उसे अलविदा कह दिया गया है। यह बहुत खतरनाक स्थिति है चूंकि इससे देश की एकता और अखण्डता खतरे में पड़ जायेगी, जब मैंने सभा में इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछा तो मुझे बताया गया उदारीकरण अपनाए जाने के बाद से 31 मार्च, 1997 तक उद्योग मंत्रालय में ज्ञापनों के माध्यम से 5,88,000 करोड़ रुपये के निवेश के आशय पत्र प्राप्त हुए। इसमें से 60,000 करोड़ रुपये का निवेश देश में अपेक्षाकृत 11 धनी राज्यों में करने की इच्छा जताई गई। जहां तक बिहार और पूर्वी राज्यों का सम्बन्ध है, वहां शायद ही कोई निवेश आशय पत्र दर्ज हुआ हो। अतः समूचा विकास 10 अथवा 11 राज्यों तक ही केन्द्रित रह जाएगा जिससे देश के पूर्वी भागों का अहित होगा। और फिर जब मैंने शेयरों के सार्वजनिक इशू के बारे में यह प्रश्न पूछा कि सार्वजनिक निगम द्वारा, कारपोरेट क्षेत्र द्वारा कितनी पूंजी एकत्रित की गई और इसमें से उत्तर-पूर्व में पंजीकृत कम्पनियों के लिए कितनी पूंजी दी गई, तो इस प्रश्न के उत्तर में सभा में मुझे बताया गया कि उदारीकरण के पश्चात् शेयरों के सार्वजनिक इशू द्वारा 30 से 35 करोड़ रुपये एकत्रित किये गए थे। परन्तु उत्तर-पूर्व में पंजीकृत कम्पनियों का हिस्सा शून्य है। उदाहरणार्थ - विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को लीजिए। समस्त विदेशी प्रत्यक्ष निवेश ऐसे धनी राज्यों की ओर उन्मुख हो रहा है जहां पर विकसित आधारभूत ढांचा विद्यमान है। कोई भी निवेश पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वी राज्यों की ओर नहीं जा रहा है।

अतः, चाहे हम सात अथवा 6.8 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त कर लें परन्तु यह विकास दर धनी राज्यों में 13 या 14% हो जाएगी और उत्तर-पूर्वी राज्यों, बिहार और अन्य गरीब राज्यों में यह 5 या 6% कम रह जाएगा।

अपराह्न 5.00 बजे

अतः, इससे देश दो भागों में बंट जाएगा एक गरीब भारत और एक अमीर भारत। पहले ही अनेक तरह की विभाजक रेखाएं विद्यमान हैं, फिर एक और अन्य प्रकार की विभाजक रेखा बन जाएगी; एक गरीब क्षेत्र और दूसरा अमीर। अतः जिस बात की आवश्यकता है और जो नितान्त अनिवार्य है। वह और इसलिए देश के उस भाग में निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रभावी प्रोत्साहन दिये जाने चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया जल्दी पूरा करें।

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : यह देखा गया है कि उत्तर-पूर्वी अथवा गरीब राज्यों में निजी निवेश नहीं हो रहा है। अतः, पूर्वी राज्यों और उत्तर-पूर्वी को इस नीति से अपवाद मानकर सार्वजनिक क्षेत्र को इन राज्यों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जारी रखनी चाहिए। यदि हम यह नहीं करते हैं तो निजी क्षेत्र आगे नहीं आएगा और किसी प्रकार का विकास नहीं होगा मेरे पास समय नहीं परन्तु आपके माध्यम से मैं सदन का ध्यान एक बहुत ही प्राथमिक बात की ओर दिलाना चाहता हूँ, वह है असम में गैस के भण्डार। पिछले तीस वर्षों से हम गैस को अनियन्त्रित रूप से और बुरी तरह से बेकार जलाते आ रहे हैं प्रतिदिन हम गैस को बेकार जला रहे हैं जिसका मूल्य 50 लाख रुपये से 60 लाख रुपये होता है।

सभापति महोदय : प्रतिदिन ?

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : जी, हाँ महोदय, यह हम विगत तीस साल से करते चले आ रहे हैं। यह राष्ट्रीय सम्पत्ति का दुरूपयोग है। साथ ही हम उस गैस का उपयोग न करके इस क्षेत्र को उद्योगों के लाभ से भी वंचित कर रहे हैं एक तरफ तो गैस को जला कर समाप्त कर रहे हैं। और दूसरी ओर हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन के अन्तर्गत नामरूप संयंत्र बन्द होने के कगार पर है, चूंकि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया लिमिटेड पर्याप्त मात्रा मे गैस की आपूर्ति करने में असमर्थ हैं। इसी प्रकार असम राज्य बिजली बोर्ड के बिजली घर नामरूप और लकुआ में बन्द पड़े हैं। एक ओर तो हम नई बिजली परियोजनाओं पर विचार कर रहे हैं और दूसरी तरफ विद्यमान परियोजनाएं बन्द पड़ी हैं। उनकी क्षमता का उपयोग केवल 30 से 40 प्रतिशत है, चूंकि इन कम्पनियों द्वारा गैस की आपूर्ति बहुत ही कम है। वे गैस की आपूर्ति नहीं कर पाते चूंकि इसके लिए उन्हें कम्प्रेसर और अन्य उपकरण खरीदने के लिए कुछ निवेश करना पड़ता है गैस एकत्रित करने और उसकी ढुलाई करने पर भी खर्च करना होता है। भारत सरकार 50 से 60 करोड़ रुपये के खर्च की भी अनुमति नहीं देती और इसीलिए हमें हजारों-करोड़ों रुपये की गैस का नुकसान वहन करना पड़ता हैं हमने तीन लाख टन एथाईलीन के उत्पादन के लिए गैस क्रेकर संयत्र लगाने का एक प्रस्ताव पास कराया था। वह गैस क्रेकर भी मुख्य से गैस के कारण बीच में ही लटका पड़ा है। एक तरफ तो गैस को बेकार जला कर उड़ाया जा रहा है और दूसरी ओर नये उद्योगों को आगे नहीं आने दिया जा रहा है और चालू उद्योग बन्द होने के कगार पर हैं क्योंकि उनको गैस की अपर्याप्त आपूर्ति हो रही है।

सभापति महोदय : आपने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। परन्तु समय पूरा हो रहा है। कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : मैं एक मुद्दे पर चर्चा के पश्चात् अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। आजकल उत्तर-पूर्व में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत गम्भीर है। इस स्थिति का सामना करने के लिए राज्य सरकार और भारत सरकार को मिलकर एक संयुक्त कमांड संरचना तैयार करनी चाहिये। यह एक तीन तल्ला संरचना है। सर्वोच्च स्तर पर मुख्य-सचिव अध्यक्ष होंगे। इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री को बनाया जाना चाहिए था। जैसा कि जम्मू और कश्मीर में किया गया है। परन्तु ऐसा करने के कारण तो हमारे मुख्यमंत्री जी को ही बेहतर ज्ञात हैं जो उन्होंने मुख्य सचिव को अध्यक्ष नियुक्त किया है। दूसरी श्रेणी प्रचालनात्मक श्रेणी है जिसके मुखिया लेफ्टिनेंट जनरल हैं। यह श्रेणी संरचना का सैनिक हिस्सा है।

तीसरी श्रेणी में जिला स्तर पर है जिसके प्रधान प्रखण्ड के आयुक्त हैं और इसमें मेजर-जनरल और ब्रिगेडियरस आदि शामिल हैं।

यह कमांड संरचना क्षेत्र में व्याप्त उग्रवाद के खतरे का मुकाबला करने के लिए बनाई गई है। परन्तु इस संरचना के पीछे मूल विचार यह था कि इससे सेना, केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों और पुलिस में सहयोग रहेगा जिससे कि वे सब आगे-पीछे चलकर साथ मिलकर, सौहार्दपूर्वक और सहयोग से कार्य करेंगे जिससे कि सेना, जो कि बाहरी है, को पुलिस सही प्रतिसूचना दे सकें और इस प्रतिसूचना के आधार पर, उनकी भौगौलिक क्षेत्र की जानकारी के आधार पर, कुल मिलाकर सेना उग्रवाद की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम होगी। परन्तु हम यह पाते हैं कि उस प्रकार का पूर्ण सहयोग नहीं मिल पा रहा है। पुलिस पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रही है। स्वयं मंत्री मंण्डल में ही, असम सरकार में, कई भारी मतभेद हैं।*

सभापति महोदय : मेरे विचार से राज्य सम्बन्धी मामलों को उठाना सही बात नहीं है। यह पूर्णतः राज्य का विषय है। मेरे विचार से यह ऐसी टिप्पणी नहीं है जिसे आप करें।

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : मैं इसके उस भाग को वापस लेता हूँ। परन्तु मेरी आशंका है.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मेरे विचार से उस भाग को निकाल देना चाहिए।

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : मेरी आशंका है कि हमारी सेना, हमारे जवानों के, और हमारे केन्द्रीय बलों की प्रसिद्धि को धब्बा लग सकता है यदि वे स्थानीय सरकार और स्थानीय पुलिस बलों से प्रर्याप्त सहयोग न मिलने के कारण उग्रवाद से निपटने के अपने प्रयासों में असफल हो जाते हैं। इसलिए केन्द्र के लिए आवश्यक है कि संयुक्त कमान संरचना के कार्यकलापों में ज्यादा रुचि लें।

निधियों की कमी के कारण राज्य सरकार भी सेना के आवश्यक संसाधनों को उपलब्ध कराए जाने में असमर्थ है। सरकार ने उग्रवाद सम्बन्धी, सुरक्षा सम्बन्धी व्यय हेतु 342 करोड़ रुपयों की मांग की थी जिसकी केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जानी थी क्योंकि यह उग्रवाद से लड़ने से सम्बन्धित है जो कि देश की सुरक्षा के लिए लड़ना है। इसलिए राज्य को प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए। अब यह सरकार प्रतिपूर्ति देने में अपने हाथ खींच रही है। जिसके परिणामस्वरूप उग्रवाद से लड़ने के लिए सेना का पर्याप्त संसाधन देने में राज्य असमर्थ है। केन्द्र को बिना किसी अन्य विलम्ब के इस धनराशि को जारी करना चाहिए।

अन्ततः, मैं आपके अनुग्रह के लिए फिर से धन्यवाद देता हूँ और इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

डॉ॰ अरविन्द शर्मा (सोनीपत) : आदरणीय सभापति जी, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने इस मौके पर मुझे बोलने का मौका दिया।

मैं महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष दिए गए अभिभाषण का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में पीने के पानी, शिक्षा, मकान, रोजगार और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जिक्र किया है। इन सभी क्षेत्रों में सफलता पाने के लिए जब तक केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच को-आपरेशन नहीं होगा, तब तक ये योजनायें ठीक से लागू नहीं हो सकती हैं। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच में को-आपरेशन और तालमेल जरूरी है। मैं सोनीपत संसदीय क्षेत्र, हरियाणा, से चुनकर आया हूँ। इस क्षेत्र में तकरीबन 200-250 गांवों में पिछले तीस सालों से पीने के पानी की समस्या है। हमारे आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर ने पीने के पानी के लिए काफी पैसा बजट में एलोकेट किया है, लेकिन जब तब ईमानदारी से राज्य सरकार किस गांव में क्या समस्या है, पता नहीं लगाएगी, ध्यान नहीं देगी, तो 30 सालों से जो समस्या आज तक बनी हुई है, वह बनी रहेगी। हमारी मातायें-बहनें पांच छः कि.मी. से आज भी अपने सिर पर पानी ढो कर लाती हैं। यदि आप उनके सिर की स्थिति को देखेंगे, तो सिर पर से बाल उड़ गए हैं।

अभी पीछे जो मुख्यमंत्रियों की कान्फ्रेंस हुई, उसमें राज्यों को अधिक अधिकार देने की बात हुई । यह बात बिल्कुल ठीक है। कि राज्यों को अधिक अधिकार दिए जायें। आप हरियाणा को ही देख लीजिए, राज्य सरकार ने राज्य में नशाबन्दी लागू की है। नशे बंदी वाली बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आप मानते हैं और

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कि कोई भी सदस्य मानने को तैयार है कि वहां नशाबंदी ठीक से लागू है। स्टेट गवर्नमेंट पूरा प्रयास कर रही है। लेकिन सफल नहीं हो सकती, क्योंकि हरियाणा के चारों तरफ राज्यों में पीने की व्यवस्था है। जब आसपास शराबबंदी नहीं है तो कैसे हरियाणा में शराबबंदी लागू हो सकती है। हरियाणा गवर्नमेंट ने बताया कि करीब 1000 से 1500 करोड़ रुपए का घाटा है लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ।....यह घाटा और ज्यादा है। सारा सरकारी तंत्र शराबबंदी में लगा है।

सभापति महोदय : अरविन्द जी, यह स्टेट सबजेक्ट है। यहां पर चाहे हरियाणा गवर्नमेंट प्रोहिबिशन लागू करें या न करें।

....(व्यवधान)

डॉ॰ अरविन्द शर्मा : अगर हरियाणा प्रोहिबिशन लागू न करे, इसका घाटा न हो तो ये जो सारे का सारा पैसा है इससे हम किसानों की बिजली माफ कर सकते हैं। उनके लिए सिंचाई के लिए पानी माफ कर सकते हैं। उनको फ्री बिजली प्रोवाइड करा सकते हैं, पावर प्लांट लगा सकते हैं। ऐसी कई स्कीमें हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी और स्टेट उसे ठीक से इस्तेमाल नहीं करेगा तो कैसे बात बनेगी। मेरा कहने का मतलब यह है सभापित जी जो राज्य सरकार गरीबों की भलाई में रुपये पैसे का इस्तेमाल करें।

सभापति महोदय : यह कहना उचित नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट वेस्ट कर रही है। स्टेट में बड़े-बड़े नेता है उनको यहां पर क्रिटिसाइस नहीं कर सकते हैं। इस हाउस में आप किसी को क्रिटिसाइस नहीं कर सकते हैं।

[अनुवाद]

डॉ॰ अरविन्द शर्मा : मुझे यह कहते हुए खेद है कि जब तक स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कोई हाई पावर समितियां बना कर चेक नहीं होगा तब तक ऐसे ही होता रहेगा, मैं सभी स्टेट्स की बात कर रहा हूँ।

सभापति महोदय, शिक्षा की बात आई। शिक्षा में हमने देखा है कि हमारी कितनी लड़कियां प्राइमरी एजुकेशन में एडमिशन लेकर हायर एजुकेशन तक पहुंचती हैं। मेरे ख्याल से दो प्रतिशत उनकी औसत आती है। दूसरी वोकेशनल ट्रेनिंग और टैक्नीकल एजुकेशन की ओर अगर हम ज्यादा ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम इसमें नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा लोन दिलवाएंगें तो ज्यादा अच्छी बात होगी। बाल मजदूर प्रथा को सोचना चाहिए।

सभापति महोदय, अब मैं हरियाणा में गन्ना उत्पादकों के लिए बात करूंगा, क्योंकि हमारे आदरणीय राष्ट्रपति महोदय ने जो बातें रखी हैं उनमें से बहुत सारी बातें किसानों के हक में हैं, गरीबों के हक में हैं। अब कुछ और बातें भी आई हैं। जैसे 6 दिसम्बर, 1993 को मेरे क्षेत्र गोहाना में एक शुगर मिल का लाइसेंस इश्यू हुआ था लेकिन किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। 6 दिसम्बर, 1996 को वह लाइसेंस एक्सपायर हो गया। हरियाणा सरकार ने लाइसेंस का एक्स्टेंशन मांगा है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जिनकी राज्यों की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि जब कोई शुगर मिल लगाई जाए तो उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ फाइनेंशियल असिसटेंस दे तो अच्छा रहेगा। जब से हरियाणा बना है तब से उस इलाके सोनीपत में एक ही शुगर मिल है और उसकी 12500 हजार क्विंटल की क्रशिंग केपेसिटी है और 30 साल से एक ही शुगर मिल काम कर रही है। जब कि प्रोडक्शन कम से कम सात-आठ गुना बढ़ गया है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस तरफ भी ध्यान दें। जब शुगर मिलों के बारे में बात आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ न कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड हो ताकि जो राज्य सरकारें हैं वे उनको यूटिलाइज करें।

सभापति महोदय, रोजगार की जो बात आती है उसमें एक तरफ तो हम गरीबों के हक की बात करते हैं और दूसरी तरफ रोजगार छीनने की बात करते हैं। अब आप दोबारा से कहेंगे कि सरकार के ऊपर आरोप न लगाएं। अब आप देखें कि हरियाणा में दो महीनों से हमारे नगरपालिका के भाइयों की हड़ताल चल रही है, उसका कोई समाधान नहीं निकला। हरियाणा सरकार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से है और मेरे भाई मंगलराम प्रेमी बी.जे.पी. ने भी पत्र लिखा है कि हड़ताल का जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए। 2400 नगर पालिका कर्मचारी 16.12.96 से हड़ताल पर हैं मांग उनकी क्या है कि वेतन सरकारी खजाने से दिया जाये। सरकार हरियाणा बिलकुल ध्यान नहीं दे रही है दो कर्मचारी नेता मांगों के समर्थन में आमरण अनशन पर बैठे हैं। पूर्व चंदरजी, श्री शेरसिंह जी, हालत उनकी बिगड़ी है अगर उनको कुछ हुआ तो सारे राज्य के कर्मचारी हड़ताल पर होंगे। हरियाणा सरकार ध्यान दे।

सभापति महोदय : यह यहां रेज करने का प्वाइंट नहीं है।

डॉ॰ अरविन्द शर्मा : महोदय, हम एक तरफ तो रोजगार की बात करते हैं और एक तरफ उनके रोजगार छीन रहे हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह मामला स्टेट असेम्बली में उठाइए।

...(व्यवधान)

डॉ॰ अरविन्द शर्मा : महोदय, जब सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी तभी तो बात बनेगी।....*(व्यवधान)* उसमें बाल्मीकि समाज काम करता है, सफाई कर्मचारी काम करते हैं....*(व्यवधान)* महोदय, स्टेट गवर्नमेंट का मामला है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर ध्यान दें। *....(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अरविन्द जी, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर डिबेट हो रही है, म्युनिसिपल कमेटी की स्ट्राइक का विषय नहीं है।

डॉ॰ अरविन्द शर्मा : हैल्थ प्रोग्राम ठीक से नहीं चल रहे हैं। जब तक गांव के डाक्टरों को कुछ इंसेंटिव्स नहीं देंगे तब तक यह ठीक नहीं होगा। डॉक्टर गांवों में जाना नहीं चाहते। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह गांवों के डॉक्टरों को ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव्स दें। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण जो कि दोनों सदनों के सम्मुख पढ़ा गया, मैं उसका पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। इसके लिए प्रधानमंत्री जी बधाई के पात्र हैं क्योंकि उनकी गरीबों के प्रति सोच है। उनकी गरीबों के प्रति सोच कोई दिखावा नहीं है। गरीबों की सोच वही कर सकता है जिस के दिल और आत्मा में गरीबों के प्रति सोच हो। प्रधानमंत्री जी और संयुक्त मोर्चा की सरकार इस बात के लिए बधाई की पात्र है। वह पूरा गरीब किसानों का ध्यान रख रहे हैं।

मेरी फिर से यह एक प्रार्थना है कि केन्द्र सरकार पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को जल्दी से जल्दी लागू करे क्योंकि हमारे सरकारी कर्मचारी भाई इसमें आते हैं। उनको इतना वेतन भी नहीं मिलता जिससे इस बढ़ती हुई महंगाई में उनका और उनके परिवार का गुजारा हो सके। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। इन शब्दों के साथ महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण का मैं समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

श्री विनय कटियार (फैजाबाद) : माननीय सभापति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर यहां चर्चा हो रही है। मैं उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं बहुत संक्षिप्त शब्दों में अपनी बात आपके बीच रखना चाहता हूँ।

सभापति महोदय : सम्मानित सदस्यों से प्रार्थना है कि समय बहुत कम है। बोलने वाले अभी भी काफी संख्या में हैं। मेरी उनसे प्रार्थना है कि वे दस-दस मिनट के समय का ध्यान रखें।

श्री विनय कटियार : सभापति महोदय, यह अभिभाषण गलत बातों का पुलिंदा है और देश की गरीब जनता को गुमराह करने वाला है। जब से संयुक्त मोर्चा सरकार सत्ता में आई है और विशेष कर जहां पर राष्ट्रपति शासन है, वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। आर्थिक दृष्टि से बहुत भारी नुकसान देश को हो रहा है। जैसा कि कांग्रेस के बन्धुओं ने और उसके नेता नरसिंह राव जी ने कहा था कि मैं इस सरकार को समर्थन जारी रखूंगा और इसे पूरे पांच साल तक चलाऊंगा। ये जब तक चाहें तब तक सरकार चला सकते हैं। इसका देवेगौड़ा जी ने यही उत्तर दिया कि जब तक आपका समर्थन जारी रहेगा तब तक हम भ्रष्टाचारियों को जेल में जाने नहीं देंगे। केवल यही एक शर्त और समझौता है जिस के कारण यह सरकार चल रही है, नहीं तो बहुत पहले इस सरकार का नाता टूट जाता। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर कांग्रेस का समर्थन जारी है।

किसानों के बारे में बजट में कोई जिक्र नहीं है। एक-एक महीने तक उत्तर प्रदेश के गांवों में बिजली नहीं जाती है। धान और गन्ने की फसल पिछले दिनों चौपट हो गई और गेहूं की भी फसल बरबाद हो गई। आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन है। वहां किसान बहुत परेशान हैं। उनका गन्ना लेने वाला कोई नहीं है। मिलों में किसानों को जो पर्चियां दी जाती हैं, वह पर्ची सिस्टम खराब है। आज की तारीख में जितना गन्ना मिलों में जाना चाहिये, उसका एक चौथाई भी नहीं पहुंचा। इस संबंध में नीति तय नहीं हुई कि किसानों को भुगतान कैसे करेंगे। पहले आर्डर देते है कि किसानों को सीधा भुगतान होगा फिर उसमें परिवर्तन करते हैं। फिर बैंकों द्वारा दिये जाने की बात की जाती है और अब सीधा भुगतान किये जाने की बात की जा रही है। परिणाम यह हो रहा है कि गन्ना मिल मालिक मनमानी कर रहे हैं। इस वर्ष उ.प्र. में आलू की अच्छी फसल हुई है। लेकिन शीत-गृहों में भारी जाम लगा हुआ है कि जगह नहीं है। अभी तो खेतों के अंदर आलू के ढेर लगे हुये हैं लेकिन उनको लेने वाला कोई नहीं है। उसके उत्पादन की लागत भी नहीं मिलने वाली है। वहां के राज्यपाल को जनता और किसानों की कोई चिन्ता नहीं है। उनको तो केवल इस बात की चिन्ता है कि कार्यक्रम कहां हों? वे अपने स्वागत कार्यक्रम करवा रहे हैं। आफिसर्स कहां नियुक्त किये जायें जिससे अच्छे कार्यक्रम हो सकें।

सभापति महोदय, जैसा कि आपको मालूम है कि इस सदन के नेता श्री पासवान और वर्तमान रेलमंत्री पिछली लोक सभा में एक दिन भी नहीं जाने देते थे जब वे दलितों की आवाज न उठाते हों लेकिन आज सरकार में आते ही ये बातें भूल गये हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी हत्यायें हो रही हैं लेकिन इस सदन के नेता ने इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की, जिन्होंने ये अत्याचार किये हैं बल्कि हरिजन धारा का दुरूपयोग किया जा रहा है। राज्यपाल महोदय के संरक्षण में ऐसे बन्धु फंसाये जा रहे हैं और सामाजिक समरसता और अन्याय की बात कर रहे हैं। फर्जी किसी हरिजन को खड़ा करके धारा लगा रहे हैं। अभी पिछले सप्ताह हमारे सांसद साथी श्री सुख लाल कुशवाहा ने अपने भाषण में दलितों पर होने वाले सामाजिक अन्याय की बात उठाई। मैंने उनका सारा भाषण सुना है। उनकी बात ठीक है लेकिन इस सब के लिये जिम्मेदार कौन है? समाज के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की बात कही लेकिन हमारे यहां यह स्थिति कभी नहीं रही। हमारे यहां तो स्थिति समानता की रही है। हमारे देश में जातियां अनेक प्रकार की रही लेकिन आपस में भेदभाव नहीं रहा। पंथ अनेक हैं, पूजा पद्धति अनेक होगी लेकिन जाति वर्ग संघर्ष नहीं हुआ। इस जहरीले विषपान की पूजा आदिवासियों में नहीं होती। अगर इस तरह की

घृणा होती है तो क्षत्राणी मीरा बाई संत रविदास को आध्यात्मिक गुरू नहीं मानती, बाल्मीकि रामायण पूज्य न होती, वेद या पाराशर की पूजा न की जाती और दक्षिण में शबरी माता की पूजा न की जाती और उसकी परिक्रमा नहीं होती। यहां पर जातिवाद को लेकर इस प्रकार का भेदभाव नहीं खड़ा हुआ है। जब से देश स्वतंत्र हुआ है, हमारे देश में जातिवाद के नाम पर गुमराह करने वाले वे लोग हैं जो आये दिन हम लोगों को गाली देने का काम करते हैं कि ये साम्प्रदायिक लोग हैं जबकि जातिवाद के नाम पर जहरीला जातिवाद फैलाकर हमारे समाज को तोड़ने का काम इन लोगों ने किया है। उसका परिणाम यह है कि चाहे मेरठ हो, या हमीरपुर हो या मिर्जापुर हो, वहां सामूहिक नर-संहार हो रहे हैं। आज न केवल बिहार बल्कि सारे उत्तर प्रदेश में तांडव नृत्य हो रहा है। पहले इस प्रकार बिहार में होता था और अब पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनायें बढ़ती चली जा रही हैं।

आज विकास के नाम पर कोई सुनने वाला नहीं है। जिस बिहार में कोयला, सोना, बम बनाने वाला यूरेनियम पैदा होता है, आज उस बिहार में बिजली के खंभे गड़े हुए हैं, तार बिछे हुए हैं, बल्ब लटके हुए हैं, लेकिन बिजली गायब है और बिहार सोमालिया बनता जा रहा है। लेकिन कभी वहां के विकास की चर्चा नहीं होती। सांप्रदायिकता के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को गाली देने का काम किया जाता है।

मैं राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर कई मित्रों का भाषण सुन रहा था। आये दिन वे बाबरी मस्जिद की चर्चा करते हैं। मैं उन मित्रों से पूछना चाहता हूँ कि कुरान में, हदीस में कहीं इस प्रकार का वाक्य नहीं लिखा हुआ है। उसमें व्यवस्था है कि किसी व्यक्ति के नाम पर इबादतगाह का निर्माण नहीं हो सकता। अगर किसी व्यक्ति के नाम पर इबादतगाह का निर्माण होगा तो उसमें पढ़ी जाने वाली इबादत अल्लाह मिंया कुबूल नहीं करेंगे। यह हदीस और कुरान कहती है। मैं कहना चाहता हूँ कि बाबर पैगम्बर नहीं था, खुदा नहीं था। वह यहां का राजा था और हमारे लिये विदेशी आक्रान्ता हो सकता है। जब कुरान कहती है कि किसी व्यक्ति के नाम पर इबादतगाह का निर्माण नहीं हो सकता तो अयोध्या में उस स्थान पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कैसे हो सकता है ? मस्जिद का निर्माण हो सकता है, लेकिन बाबरी मस्जिद की बात नहीं की जा सकती थी। विश्व में किसी भी इबादतगाह का निर्माण किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं हुआ। दसवीं लोक सभा से लेकर आज तक मैं एक ही बात सुनता आया हूँ कि बाबरी मस्जिद गिराई गई। अभी निर्णय कहां हुआ है ? अगर बाबरी मस्जिद का नाम आप बाबर के नाम पर लेते हैं तो निश्चित रीति के साथ कुरान और हदीस के साथ आप न्याय नहीं कर रहे हैं।

मुझे मालूम हुआ है कि कल दूरदर्शन पर एक फिल्म "राम के नाम पर" दिखाई गई जो अयोध्या के संबंध में थी। मैं उस समय सफर कर रहा था। अभी अदालत में केस चल रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि किस भावना से यह फिल्म दिखाई गई। आखिर क्या कारण था ? अदालत में केस चल रहा है। लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद की समस्या के समाधान करने की बात नहीं की गई। दसवीं लोक सभा में एक धर्मस्थल विधेयक लाया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध भी किया था। लेकिन फिर भी अपनी अधिक संख्या के आधार पर सरकार ने कानून बना लिया। आज संयोग से आप लोग सत्ता में हैं। उस धर्मस्थल विधेयक को शक्ति के साथ लागू क्यों नहीं करते ? अगर आप उस विधेयक को लागू कर देते हैं तो काशी-मथुरा की समस्या का समाधान अपने आप हो जाता। लेकिन आपने कानून तो बना लिया लेकिन उसके बाद जब आपने उस कानून को पढ़ा तो आपको लगा कि कहीं न कहीं गड़बड़ हो गई और इसलिए आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि उसको लागू करें। आखिर कब तक इस देश को गुमराह किया जाएगा ?

भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तार लगाए जाएं, इसकी बड़ी चर्चा है। इसके लिए केन्द्रीय सरकार ने बजट दिया। गृह मंत्रालय कहता है कि भारत-पाकिस्तान की सीमा पर तार लगाए जाएं। रक्षा मंत्रालय कहता है कि तार न लगाए जाएं। क्यों नहीं लगाए जाएं ? रक्षा मंत्री ऐसा क्यों कह रहे हैं ? विदेश मंत्रालय कह रहा है, गृह मंत्रालय कह रहा है कि तार लगाए जाएं, पर रक्षा मंत्री कह रहे कि तार न लगाए जाएं। जिस देश का रक्षा मंत्री छोटे-छोटे दबाव में आकर यह बात कहता है, वोट के लालच में यह बात कहता है और झुक सकता है तो उस देश की रक्षा का क्या होगा ? उसी से यह बात उत्पन्न होती है कि प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के बीच में कोई तालमेल नहीं हो रहा है। इसका पता लगाया जाना चाहिए। आज उसी का परिणाम है कि देश में आतंकवाद बढ़ रहा है।

मैं समय-सीमा के अंदर रहते हुए निवेदन करना चाहता हूँ कि भारत के अंदर जो बंग्लादेशी घुसपैठिए चले आ रहे हैं, इस सवाल को कभी धर्म के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए और राष्ट्र के साथ जोड़ना चाहिए। अभी पिछले दिनों प्राइवेट मैम्बर्स बिल आया था और उसमें इस पर चर्चा हुई थी। आज पूरे पूर्वांचल में कश्मीर से भी अधिक विकराल समस्या उत्पन्न हो रही है। त्रिपुरा में आये दिन संघर्ष हो रहा है। आखिर इसकी तह में भी कोई जाना चाहता है ? हमारे देश के जो प्रधानमंत्री पूर्वांचल आते हैं, आज तक सिर्फ घोषणा करके चले आते हैं कि हम इतना रुपया भेज रहे हैं या हम ये योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन पूर्वांचल के लिए किसी ने आज तक कुछ नहीं किया। केवल घोषणा करके वापस चले आते हैं।

संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी, देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री बने। उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने बड़ा व्यापक दौरा किया, जगह-जगह उन्होंने घोषणाएं कीं। हमारे संसदीय क्षेत्र फैजाबाद में एक अकबरपुर

[श्री विनय कटियार]

कताई मिल है। वहां एक सभा में मैं था और वहां पर केन्द्र के दो-दो मंत्री घोषणा करके आये थे कि हम यह कताई मिल चालू करा देंगे लेकिन आज तक उसको पूछने वाला कोई नहीं है। मजदूर भूखों मर रहे हैं। पुल बनाने की घोषणा करके आये थे, वह पुल कभी स्वीकृत नहीं हुआ, उस घोषणा का क्या हुआ, मुझे मालूम नहीं है। इस प्रकार से जो स्थिति चल रही है हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये कहां जायेंगे। जिस साम्प्रदायिकता का यह नाम लेते हैं, उसमें छिंदवाड़ा और नागौर हैं, जब 1977 में जितनी हिंदीभाषी बैल्ट थी, श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर सारे लोग परास्त हो गये थे, ये दो ऐसी सीटें थी कि जहां पर कभी कांग्रेस नहीं हारी थी और जिस साम्प्रदायिकता को लेकर आपने आज तक गाली देने का काम किया और आज तक करते रहे हैं, उसी का परिणाम हुआ कि वे दोनों सीटें भी हम जीत कर आ गये हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि जो जातिवाद को बढ़ावा देकर समाज को तोड़ना चाहते हैं वह बड़े साम्प्रदायिक हैं, या वह बड़े साम्प्रदायिक हैं जो सबको जोड़ने की बात करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान में जो भारत सरकार की नीति है, राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिन बातों की चर्चा की गई है, उसमें गांवों और गरीबों की पूरी तरह से उपेक्षा की गई है और उस उपेक्षा के कारण से मैं इस राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं। आपने मुझे समय दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री इलियास आजमी (शाहबाद) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण को मैंने वहां भी सुना था और बहुत गौर से इसको पढ़ा भी था। इसमें जो भावना है उसका मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। लेकिन इसके कोई माने-मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहे हैं। जैसा हमेशा जो लोग अभिभाषण लिखते थे, मैं समझता हूं कि वह लिखने वाले हाथ और कलम नहीं बदले हैं और ऐसे शब्दों में यह लिखा गया है जिसके माने कोई दो-टूक अलफाज में नहीं निकाल सकता।....*(व्यवधान)*

श्री चमन लाल गुप्ता (ऊधमपुर) : आप मोशन को सपोर्ट कर रहे हैं या अपोज कर रहे हैं।

श्री इलियास आजमी : अभी सामने आ जायेगा।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर) : हमारी समझ में आपका भाषण नहीं आ रहा है।

श्री इलियास आजमी : इस तरह से इसमें धर्म निरपेक्षता की बड़ी दुहाई दी गई है। दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की बात कही गई है, सामाजिक न्याय और धर्मनिरेक्षता की बहुत दुहाई दी गई है। लेकिन कहीं भी दो-टूक नहीं बताया गया कि दलितों, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों के लिए क्या कर रहे हैं। शुरू में ही धर्मनिरपेक्षता का बड़ा भारी बखान है। लेकिन मैं यूनाइटेड फ्रंट के लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है। धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के यह माने है कि सबको इंसाफ मिले। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी लगभग 20 परसेंट है और अभी चंद दिनों पहले छः सौ पुलिसवालों की भर्ती हुई है, उसमें 12 अल्पसंख्यक लोग लिये गये हैं यानी दो परसेंट। क्या धर्मनिरपेक्षता इसी का नाम है ? इस सवाल का जवाब यूनाइटेड फ्रंट के सदस्यों की अंतरआत्मा को देना चाहिए कि क्या धर्मनिरपेक्षता इसी को कहते हैं। दो परसेंट तो हमेशा से जब से अंग्रेज इस मुल्क से वापस गये हैं, उस धर्मनिरपेक्षता शब्द की लाज रखने के लिए दो परसेंट का यह एवरेज है। ऐसा मालूम होता है जैसे बाड़ लगा दी गई है कि इसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता, अगर क्रॉस करेगा तो जल जायेगा। आगे मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलूंगा, फाजिल बात बोलने का समय नहीं है। इसमें कई योजनाओं को गिनाया गया है और मैं समझता हूं कि उन योजनाओं को भी फख्र के साथ गिनाया गया है जिनका सारा पैसा भ्रष्टाचार में चला जाता है। दोपहर में गरीब बच्चों का भोजन देने की जो स्कीम है, उसका फायदा गरीब बच्चों को मिल रहा है या उसका पैसा सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के पेट में जा रहा है, यह सबको मालूम है। यह भी सबको मालूम है कि प्रौढ़ शिक्षा के नाम पर, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के माध्यम से, 90 परसेंट पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा है और किसी को रत्ती भर फायदा नहीं हो रहा है। कम से कम मुझे आज तक एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के माध्यम से साक्षर बना हो, शिक्षित होना तो दूर की बात है, साक्षर भी हो गया हो, लेकिन प्रौढ़ शिक्षा के नाम पर अरबों रुपया इस देश का बर्बाद किया जा रहा है। खुद ये लोग जानते हैं कि यह पैसा सिर्फ अधिकारियों और कर्मचारियों की पॉकेट में जा रहा है, लेकिन फिर भी इस स्कीम को जारी रखने पर जोर दे रहे हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि अगर इस स्कीम को इन्होंने बंद कर लिया तो जिन लोगों ने इसे शुरू किया था, वे कहीं अपना समर्थन वापस न ले लें। पता नहीं कौन-सी बात है कि जान-बूझकर इस देश का अरबों रुपया पानी में बहाया जा रहा है और इस स्कीम को जारी रखने का बड़ा फख्र इस अभिभाषण में बयान किया गया है।

जैसा मैंने कहा पूरे राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में बार-बार अल्पसंख्यकों का जिक्र किया गया है लेकिन कहीं ऐसा बयान नहीं आया कि यह सरकार अल्पसंख्यकों के लिए क्या करना चाहती है, क्या कर रही है। महिलाओं के आरक्षण से संबंधित जो बिल इस सम्मानित सदन में पेंडिंग है, मैं बिना किसी संकोच के, भले ही किसी को बुरा लगे या भला, बड़ी सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि साइमन कमीशन ने मानवता को संरक्षण देने की शुरूआत की थी, जो मंडल आयोग तक चली, अब चाहे साइमन कमीशन हो, काका साहेब कालेलकर कमीशन हो या मंडल आयोग हो, उसने जो कुछ कहा है, हमारी जो पुरानी सभ्यता मनुवृत्ति है, वह सिर्फ

इधर ही नहीं है, हर तरफ है। महिलाओं के आरक्षण के द्वारा ये सब कुछ छीन लेना चाहते हैं, चाहे महिलाएं दलित हों, पिछड़ी जातियों की हों या दूसरी हों। इसी कारण मैंने पहले भी इसका विरोध किया था और आज भी विरोध करता हूँ। अतः मैं राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर आए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता।

इसमें कई और चीजें भी कही गई हैं....*(व्यवधान)* किसी भी राजनैतिक आरक्षण का मैं विरोधी हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण देने की बात कही थी लेकिन राजनैतिक आरक्षण के वे भी विरोधी थे। मैं चाहता हूँ कि पंचायतों से लेकर, लोकसभा और विधान सभाओं तक, जितना राजनैतिक आरक्षण दिया गया है, वह सब समाप्त होना चाहिए। राजनैतिक आरक्षण से दलितों को कोई फायदा नहीं है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण से उन्हें अवश्य फायदा है और वह जारी रहना चाहिए .....*(व्यवधान)*

इस अभिभाषण में विदेश नीति पर बहुत सी बातें कही गई हैं, अफगानिस्तान के मामलें में भी कहा गया है, लेकिन यह कहते हुए मुझे कोई संकोच नहीं है कि अफगानिस्तान वह देश है जिसने आजादी की लड़ाई में हमारा साथ दिया था। अंग्रेजों से बचकर जो लोग यहां से भागते थे, वे अफगानिस्तान में जाकर शरण लेते थे लेकिन अफगानिस्तान के मामले में कभी किसी सरकार ने वास्तविकता पर ध्यान नहीं दिया। हमने अफगानिस्तान के बारे में जो भी पोलिसी बनाई, वह गलत थी। जब रूस ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया तो हमारी सरकार ने, जो लोकतंत्र का झंडा उठाए थी, रूस के कब्जे का समर्थन किया था लेकिन यह नहीं देखा कि जो रूस एक जमाने में दुनिया की बड़ी ताकत के रूप में था, अगर ढह नहीं गया होता तो वह अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद चुप बैठने वाला नहीं था, उसके बाद पाकिस्तान और फिर भारत की तरफ भी आ सकता था। तारीख हमें यही बताती है कि हमारे देश पर जितने आक्रमण हुए, वे ज्यादातर अफगानिस्तान के रास्ते, खैबर दर्रे के रास्ते हुए थे। हमने वह गलती की थी कि अफगानिस्तान पर रूस के कब्जे की हिमायत की....*(व्यवधान)* आपने सही किया था।

इसलिए मैं समझता हूँ कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में विदेश नीति की जितनी बातें कही गई हैं, वे सही नहीं हैं।

सभापति जी, माननीय शरद पवार जी ने इस सदन में साम्प्रदायिकता पर बहुत लम्बा-चौड़ा भाषण दिया। मैं एक बात यहां साफ कहना चाहता हूँ कि आज साम्प्रदायिकता और धर्म-निरपेक्षता - इन दोनों शब्दों का बेहद शोषण हो रहा है। हमारे भाजपा के लोग भी अपनी जुबान से बड़ी कड़वी बात कहते हैं जो सबको बुरी लगती है या साम्प्रदायिक लगती है। शरद पवार जी इस समय सदन में मौजूद नहीं हैं। मैं उनसे पूछना चाहता था कि 6 दिसम्बर और 7 जनवरी को बम्बई में जो कयामत टूटी थी, उस वक्त वहां किसकी सरकार थी, किसकी पुलिस ने हजारों इंसानों का नरसंहार किया था?

सभापति महोदय, इसके कारण लाखों घर जलाए गए, लाखों लोग बेघर हो गए। उत्तर प्रदेश और बिहार के हजारों लाखों बम्बई छोड़ कर भागने के लिए मजबूर हो गए, उस समय किसका राज्य था? किस साम्प्रदायिक पार्टी का राज्य था, इसका उल्लेख श्री शरद जी ने अपने भाषण में नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। उस समय किस का राज्य था? वे नाम क्यों नहीं लेते। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब पुलिस के संरक्षण में बम्बई में नरसंहार हुआ था, तो किसका राज्य था। उस समय कुछ मायूस लोगों ने इसके कारण बम्बई में बम का धमाका कर दिया। आज के हमारे भारत के संविधान में कानून सबके लिए एक समान है। संविधान के अनुसार जातिपांति के आधार पर किसी में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। पहले मनु के संविधान के अनुसार जाति के आधार पर आदमी-आदमी में यहां भेद किया जाता था, लेकिन आज कोई भेद नहीं है फिर भी मुम्बई में जिन्होंने अनेक लोगों को मार दिया, लाखों की सम्पत्ति लूट ली गई करोड़ों के मकान जला दिए गए, लेकिन उनका कुछ नहीं किया गया और बम धमाके में 250 लोगों को टाडा के अंदर गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया।

सभापति महोदय, आज भी लोग टाडा में बंद हैं। जो टाडा में बंद होने के 35 आदमी असली हकदार हैं, वे तो देश से बाहर दुबई वगैरह में बैठे हुए हैं, लेकिन जो कसूरवार नहीं हैं, उनको आपने टाड़ा में बंद कर रखा है। टाडा का केस पिछले चार साल से चल रहा है और उसमें 3500 गवाहिया है और अभी तक केवल 200 गवाहियां ही ली गई हैं। ये 3500 गवाहियां पता नहीं कितने सालों में पूरी होंगी और न जाने कितने सालों तक इनको जेलों में सड़ा दिया जाएगा? जिसके पास पैसा है, वह सुप्रीम कोर्ट में आता है, उस केस में जमानत हो जाती है और उसका केस भी डिसमिस हो जाता है। गरीब आदमी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। जब तक 3200 गवाहियां गुजरेंगी तब तक वे लोग मर जाएंगे। यह सरकार बड़ी धर्मनिरपेक्ष और बड़ी इंसाफ पंसद अपने आप को कहती है? टाडा का कानून खत्म हो गया है तो उन लोगों को जेलों में क्यों डाल रखा है, उन लोगों को क्यों जेलों में सड़ा रखा है?

सभापति महोदय, आखिर में, मैं अपने बुजुर्ग साथी श्री के. एल. शर्मा के गायकशी के कानून के बारे में कहना चाहता हूँ कि आप सबको मालूम है कि मैं इसका विरोधी नहीं हूँ। मैं इसके पक्ष में हूँ। और इसका समर्थक हूँ। सिर्फ यह गायकशी का कानून हमारे देश में ही लागू नहीं हो, बल्कि दुनिया में लागू होना चाहिए। यदि आप इस कानून को ठीक समझते हैं और आप समझते हैं कि गायकशी से इंसानियत का नुकसान हो रहा है, तो हम क्यों न

[श्री इलियास आजमी]

पूरे संसार की मानवता को बचाने के लिए इस कानून को लागू करवाएं। सर्वप्रथम हम अपने देश में इसको लागू करें और फिर भारत की सरकार को दुनिया के सामने प्रस्ताव करना चाहिए कि गायकशी विश्व में बंद की जाए। मैं गायकशी को बंद करने का समर्थक हूँ।

सभापति महोदय, सारी बुराइयां जो चल रही हैं उन सबकी एक वाहिद जड़ हमारा आई.ए.एस. निजाम है। चाहे वह भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे जुल्म का मामला हो, चाहे सामाजिक अन्याय का मामला हो, चाहे देश को लूटने का मामला हो, सारी खराबियों की जड़ हमारा यह आई.ए.एस. निजाम है। अंग्रेजों ने हमारे देश में आई.सी.एस. निजाम लागू किया था। उन्होंने यह निजाम इंग्लैंड में लागू नहीं किया था। आज भी वहां यह निजाम लागू नहीं है। जब तक इस निजाम को समाप्त नहीं किया जाएगा, तब तक देश में गड़बड़ दूर नहीं हो सकती है। हमारे देश में एक ऐसा निजाम बनाया जाना चाहिए जिसके अंतर्गत हर आदमी को बाबू के पद पर भर्ती करना चाहिए और धीरे-धीरे वह अपनी लगन, मेहनत और ईमानदारी ने कैबीनेट सेक्रेटरी के पद तक पहुंचे। इसी प्रकार से पुलिस में सिपाही भर्ती किया जाए और वह अपनी मेहनत, ईमानदारी और लगन से डी.जी.पी. के ओहदे तक पहुंचे। जहां पहुंच कर अगर वह मेहनत नहीं करता है, बेईमानी करता है, उसकी निष्ठा संदिग्ध हो जाती है, तो उसको वहां से वापस पीछे कर दिया जाए। चाहे फिर उसे एस.पी. से सिपाही के पद पर ही भले ही वापस आना पड़े। जब तक ऐसा निजाम लागू नहीं हो जाता है तब तक मैं समझता हूँ कि हमारी सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है।

सभापति महोदय, मैं आपको एक आपबीती सुनाना चाहता हूँ। मेरे एक मित्र लखनऊ में आई.ए.एस. हैं। मैं उनके पास मिलने गया, तो उन्होंने कहा कि आप चाहे कितने भी इस देश के और संविधान के हामी हों, लेकिन इसमें बहुत कमियां हैं। मैंने कहा बताइए। उन्होंने कहा कि मैंने एक इम्तिहान आई.ए.एस. का पास कर लिया और अब मैं जिंदगी भर हुक्मरान रहूंगा। चाहे मैं कितनी ही बेइमानी करूं, कितने ही जुर्म करूं और आप 12 लाख की आबादी के प्रतिनिधि हैं और आप अपने काम को लेकर मेरे पास आते हैं। यह इस निजाम की बुनियादी खराबी है। इसलिए जब तक आप इसके बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक इस देश में अच्छा निजाम नहीं आ सकता है। आज नहीं, तो कल आपको, इस सदन को, इस सदन के बहुमत को, इस बारे में सोचना पड़ेगा और आई.ए.एस., आई.पी.एस. और आई.एफ.एस. निजाम को खत्म करना पड़ेगा और इस देश में हर व्यक्ति को जो सरकारी नौकरी करना चाहता है उसे बाबू भर्ती करना पड़ेगा और उसको कैबीनेट सैक्रेट्री के पद तक पहुंचाना होगा और इसी प्रकार से पुलिस में सिपाही के पद पर भर्ती करना होगा और उसे डी.जी.पी. के पद तक पहुंचाना होगा। तब इस देश की व्यवस्था सुधर सकती है। आखिर अंग्रेजों द्वारा थोपे गए इस निजाम को हम कब तक ढोते रहेंगे। क्या अंग्रेजों के एक दादा द्वारा जो निजाम हमें दे दिया गया, उसको ही हम ढोते चले जाएंगे? मैं कहता हूँ कि जब तक हमारा सत्ताधारी दल या बहुमत इस बारे में नहीं सोचेगा, तब तक इस देश का सुधार नहीं हो सकता है। जब हमारे देश के बहुमत को अक्ल आएगी, उस दिन यह सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। मैं चाहूंगा संविधान में ऐसी व्यवस्था की जाए कि यह निजाम खत्म हो। जो लोग मेहनत, ईमानदारी, लगन और योग्यता से काम करें, उनको ऊंचे ओहदों तक तरक्की दी जाए और जो लोग नकारा हों उनको ऊंचा ओहदा न दिया जाए। जहां पर नकारा हो जाये, काहिल हो जाये वहां से उसको बैक होने का सिस्टम बनाया जाये। वहां से फिर नीचे उतरना हो जाये। अगर हमने इस निजाम को अपना लिया तो मैं समझता हूँ कि 90 प्रतिशत बीमारियों का खुद ही इलाज हो जायेगा। इस देश को अल्लाह मियां ने गरीब नहीं बनाया है। अल्लाह मियां ने दुनिया में सबसे अमीर इस देश को बनाया है। हम लोगों ने अपनी गलतियों से आज इसको गरीब बना दिया है। हम रोना रोते हैं कि हमारे यहां पीने का पानी नहीं है। किसी चीज की कमी नहीं है। कमी अगर है तो हमारे अंदर है। कमी अगर है तो नेताओं के अंदर है। कमी है तो हमारी सोच में है। कमी अगर है तो हमारी ईमानदारी और निष्ठा में है। अगर कमी है तो हमारी सांप्रदायिकता और जातिवाद में है। इन सब चीजों में कमी है। हमको अपनी कमी की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। मैं एक बार फिर कहूंगा कि इस आई.ए.एस. निजाम को जितनी जल्दी समाप्त किया जाये, इस देश के लिए उतना ही बेहतर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैंने तय कर रखा है कि मैं कभी चेयर की मर्जी के खिलाफ टाइम नहीं लूंगा और आज तक का मेरा रिकार्ड है कि मैंने कभी फाजिल टाइम नहीं लिया है। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

प्रो॰ रीता वर्मा (धनबाद) : सभापति जी, यह पूरी बहस सुनते ही मन में सोचिये तो एक कल्पना उभरती है कि एक छोटी सी पालकी है जिसमें 14 लोग सवार हैं और दो लोग उसको ढोकर लिये जा रहे हैं जो लोग उसे लिये जा रहे हैं वे खूब गालियां दे रहे हैं। मैं सुन रही हूँ कि सरकार की सभी लानत-मलानत कर रहे हैं। चाहे वे कांग्रेस वाले हों, चाहे सी.पी.एम. वाले हों, चाहे भा.ज.पा. वाले हों या सी.पी.आई. वाले हों, कोई भी सरकार की तारीफ नहीं कर रहा है। पालकी को जितने भी ढोने वाले हैं वे सब खूब लानत-मालानत कर रहे हैं। और पालकी में जो बैठा है, वह बड़ा निश्चिंत होकर बैठा है कि मुझे तो भगवान के सिवाय कोई हटा नहीं सकता, तुम्हें जो करना हो करो। जाओ पालकी छोड़कर जाओ, मैं नहीं गिरूंगा। ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। कुछ इस तरह हमारे देश की सरकार चल रही है। हमारे देश का गवर्नर चल रहा है। हमारे देश का निजाम चल रहा है। सचमुच ऐसा लगता है कि भगवान की बड़ी कृपा है तभी तो हमारा देश चल रहा है।

बिना किसी सरकार के, बिना किसी प्रधानमंत्री के अपनी ही शक्ति से चल रहा है। सच कहिये तो यूनाईटेड फ्रंट के स्पेलिंग थोड़े से इधर से उधर कर लिये जायें तो अनटाईड हो जाता है। बिल्कुल लगता है कि सरकार में कहीं कोई बंधन नहीं है। कोई कैबिनेट की जिम्मेवारी नहीं है। ढीले-ढाले 70 घोड़े अलग-अलग मुंह करके भागे जा रहे हैं। उसको हम लोग कह रहे हैं कि सरकार चल रही है और कैबिनेट का निर्णय है।....*(व्यवधान)*

प्रो॰ रासा सिंह रावत (अजमेर) : अपनी-अपनी ढफली अपना-अपना राग।

प्रो॰ रीता वर्मा : हाँ, अपनी-अपनी ढफली अपना-अपना राग। कोई नीति नाम की चीज नहीं है। जिसके मन में जो आता है, वह करता है। आज सुबह यू.पी. को लेकर बहस हो रही थी। हमारे माननीय इन्द्रजीत गुप्ता जैसे सदन के वरिष्ठतम सदस्य, जो हम सबके श्रद्धा के पात्र हैं। उनको एक राज्यपाल महोदय कहते हैं इनके कहने से कुछ नहीं होता। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं तो अच्छा काम करता हूँ। ऐसे तो सरकार चल रही है। हम क्या कहें ?

सभापति जी, राष्ट्रपति जी का भाषण सुनते हुए बार-बार मन में यही बात आ रही थी कि राष्ट्रपति जी जैसे इतने श्रद्धेय, इतने विद्वान, इतने वृद्ध व्यक्ति के मुंह से ये लोग इतना पाप करवा रहे हैं। इस तरह की बातें, झूठ असंसदीय शब्द हैं मगर सच पर इतनी कंजूसी। यही लग रहा है खुद राष्ट्रपति जी को कितना अजीब लग रहा होगा। ये पुलिंदा जिसमें सच्चाई नाम की चीज नहीं तो इसको पढ़ना उनकी मजबूरी है। मुझे तो सच कहिये उनसे बड़ी सहानुभूति हो रही थी। राष्ट्रपति जी के प्रति अत्यंत आदर का भाव है, इसलिए उनके भाषण का विरोध करने के लिए हम लोग खड़े हुए हैं। अब यह सरकार है। इसकी तो आदत है कि एक बार घोषणा करें फिर मुकर जायें। अभी भाई साहब स्त्रियों के लिए आरक्षण की बात कर रहे थे। पी.एम. साहब ने कहा उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में, असेम्बली में क्या, मैं तो स्त्रियों को नौकरी में भी आरक्षण दूंगा। मैं तो यह भी करूंगा, मैं तो वह भी करूंगा, उसके बाद उनको शायद कल्पना नहीं थी कि स्त्रियां उनके गले ही पड़ जायेंगी, पीछा नहीं छोड़ेगी। उसके बाद ये मुंह घुमा-फिराकर घूम रहे हैं। यह कोई नई बात नहीं है। हर जगह यह घोषणा करते हैं लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं। यह हमारे प्रधानमंत्री की चरित्रगत विशेषता है कि वे घोषणाएं करते हैं और सोचते हैं कि शायद जैसे मैं भूल जाता हूँ बाकी सब भी भूल जाते होंगे। कई जगह तो उनकी बात चल भी गई है। सिर्फ स्त्रियों के मामले में बेचारे झमेले में पड़ गए कि स्त्रियां उनके पीछे ऐसे पड़ गई हैं कि उनको छोड़ेंगी नहीं। उनको देना तो पड़ेगा ही। हम भी देखेंगे कि कैसे नहीं देते हैं। हम भी उनको चैलेंज करते हैं कि कैसे नहीं देंगे। देना तो उनको पड़ेगा ही।

प्रधानमंत्री जी लाल किले से घोषणा करते हैं कि उत्तराखंड को बनने से कोई नहीं रोक सकता। यू.पी. में हार गए तो उत्तराखंड को भूल गए। प्रधानमंत्री जी अपने पद की गरिमा को इतना नीचे गिरा देते हैं कि लाल किले के प्राचीर से चुनावी घोषणाएं करते हैं और उसके बाद उसे भूल जाते हैं जब आपने उत्तराखंड की घोषणा की थी तो हमारे वनांचल ने क्या कसूर किया था। हमारा उनसे बहुत पुराना आन्दोलन है, कम से कम पचास साल पुराना हमारा आन्दोलन है। मोर्चे में जितने लोग भी शामिल हैं, सभी यहां से अपना-अपना खेमा उखाड़ चुके हैं। यहां की जनता ने आपको नकार दिया है। क्योंकि आपने उनकी आशाओं, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने से इंकार किया, उनके साथ बेईमानी की, धोखाधड़ी की, उनके वनाचंल का हक उनको देने से इंकार किया। इसलिए आज उस क्षेत्र में न कांग्रेस खड़ी है, न जनता दल खड़ा है और मोर्चे में जितने भी लोग शामिल हैं, यहां की जनता ने सभी को उखाड़कर फेंक दिया है। अगली बार आप बिहार से भी उखाड़कर फेंक दिए जाएंगे। यह मैं आपको बता देती हूँ। जब बिहार की बात चलती है तो आप कहां से कहां आ जाते हैं, यह आप खुद ही समझते होंगे। पहले हमारे मुख्यमंत्री अपने आपको कृष्ण अवतार कहा करते थे। उनके कृष्ण भगवान की तरह बड़े-बड़े कट-आउट्स बनते थे। लेकिन अबकी बार रैली में अभिमन्यु की तरह उनके कट-आउट बने। वे कृष्ण से अभिमन्यु हो गए यानी भगवान से मनुष्य हो गए। सभापति जी, आपने तो कहानी पढ़ी है, आप तो खुद ही विद्वान हैं। कृष्ण को तो कोई नहीं मार सकता लेकिन अभिमन्यु की नियत में तो मरना ही लिखा है, अभिमन्यु को तो मरना ही है। और जल्दी मरना है। इनकी सरकार का क्या भविष्य है, ये खुद ही देख रहे हैं। पंजाब, राजस्थान, छिंदवाड़ा कहां नहीं देखा है।....*(व्यवधान)* यहां तक कि ये बार-बार कहते थे कि मुम्बई से इनके पांव उखड़ रहे हैं, महाराष्ट्र से इनके पांव उखड़ रहे हैं।.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैडम, उनको अपनी कुर्सी से उतारने की बात बेशक करें लेकिन मरने की बात न करें।

प्रो॰ रीता वर्मा : भगवान उनको लम्बी उम्र दे। मैं क्यों चाहूंगी कि वे मरें। लेकिन अभिमन्यु से अपनी तुलना करना ठीक नहीं है। उन्होंने भी महाभारत की कहानी पढ़ी होगी। अपनी सजा तो भुगतनी चाहिए। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे।

श्री देवेगौड़ा जी की और घोषणाएं देखें। चुनाव से पहले क्षण-क्षण में दौड़कर यू.पी. जाया करते थे। लेकिन अब तो यू. पी. का रास्ता ही भूल गए हैं। अब तो यू.पी. की बात सुनकर उनको नींद आ जाती है। एक जमाने में वहां बार-बार जाते थे और घोषणाएं करते थे कि किसानों को सबसीडाईजस्ट रेट पर पानी, बिजली देंगें। क्या हुआ उन घोषणाओं का, वे घोषणाएं कहां चली गई ? देश के पुअर फार्मर किसानों को ऐसे भूले कि बजट में उनके लिए कोई रियायत की घोषणा ही नहीं है। पंजाब में अकाली और

[प्रो० रीता वर्मा]

भा.ज.पा. की संयुक्त सरकार बनी। हमने दिखा दिया। आप तो चुनाव में वोट बटोरने के लिए घोषणा करते हैं। और चुनाव के बाद भूल जाते हैं लेकिन हमने चुनाव में इतना प्रोमिस नहीं किया फिर भी चुनाव के बाद उससे बढ़कर किसानों को मुफ्त में पानी, बिजली दी। देख लें, कथनी और करनी में कितना फर्क होता है और चरित्र क्या चीज होती है। आज प्रधानमंत्री जी की घोषणाओं पर कोई ध्यान भी नहीं देता। वे तो घोषणा करते-करते सो जाते हैं और खुद ही भूल जाते हैं। यह हमारी स्लीपिंग सरकार, सोते-सोते चल रही है। इस सरकार का और क्या हाल कहें।

इनके जल संसाधन मंत्री की बात बताती हूँ। आपने आज का प्रश्न काल देखा होगा। उन्होंने जवाब दिया कि बंगलादेश की हालत बहुत खराब है। इसलिए क्या किया जाए, अपने देश के हितों को तो बलिदान करना ही पड़ता है। यह हमारे मंत्री बोल रहे हैं। लगता है भारत के मंत्री नहीं बल्कि बंगलादेश के मंत्री बोल रहे हैं। 22 करोड़ जनता और 2 करोड़ जनता को जो बराबर समझे और उसको अपने देश के किसानों का दुख-दर्द दिखाई न पड़े। पानी की एक-एक बूंद को तरसता किसान दिखाई न पड़े और कहें कि बंगलादेश के किसान की हालत बड़ी खराब है, ऐसे तो इनके मंत्री हैं। इनके जल संसाधन मंत्री से एक बार मैंने सप्लीमेंटरी प्रश्न किया था कि हमारा वनांचल प्रदेश जो खनिज सम्पदा से इतना समृद्ध है कि पूरे देश को खनिज सप्लाई करता है, इसी खनन प्रक्रिया के कारण उसका वाटर लेवल दिनों-दिन नीचे जा रहा है, पानी की, जल संरक्षण की लम्बी-लम्बी बातें अपने इस राष्ट्रपति के अभिभाषण में आपने की हैं, मैंने यहां सदन में पूछा था कि उसके जल संरक्षण के लिए आप कोई उपाय करने वाले हैं क्या, तो बड़ी निर्दयता से, बड़ी क्रूरता से उन्होंने जवाब दिया कि पानी ही नहीं है तो संरक्षण क्या करेंगे। यह आपके कैबिनेट मंत्री का सदन में किसी सदस्य को जवाब है कि आपके क्षेत्र में लोग पानी के बिना मर रहें है तो मरें, उससे हमें क्या लेना-देना है। पानी ही नहीं है तो लायेंगे कहां से, यह आपके मंत्री बोलते हैं। आपके कैबिनेट मंत्री की मर्यादा यही बोलती है कि जो मर रहा है, उसको मरना ही चाहिए। ये हमें वोट नहीं देते, इनको मरना ही चाहिए, यही इनकी नीयत है, यही इनकी नीति है।

कई मंत्री हैं, कई सदस्य हैं, जो इधर से गये हैं तो उधर की रीति-नीति को खूब अच्छे से सीखकर गये हैं। आपको याद होगा, 1991 में बलराम जाखड़ जी के समय में चावल घोटाला हुआ था, ठीक इसी तरह पहले चावल को एक्सपोर्ट कर दिया गया था। हमारे मदन लाल खुराना जी ने उसका भंडाफोड़ किया था वे सदन में उसको लेकर कालिंग अटेंशन लाये थे, उस पर काफी लम्बी चर्चा हुई थी। चावल काफी था, चावल की देश में कोई कमी नहीं थी, जेना साहब, आपको याद होगा, आप लोग भी उस चर्चा में बोले होंगे। याद आया कि नहीं ? चावल सरप्लस था, चावल को आपने औने-पौने दाम में एक्सपोर्ट कर दिया और उसके बाद जब देश में चावल की किल्लत हो गई, हाहाकार मच गया तो आप खूब बढ़े हुए दाम पर चावल खरीदकर लाये थे। आप जो इधर बैठे हैं, बलराम जाखड़ जी पर इन लोगों ने भी अटैक किया था। हालांकि इस सारे मामले का भंडाफोड़ करने का श्रेय हमारे मदन लाल खुराना जी को था। आज के जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने उनसे बड़ी जबरदस्त सीख ली है, पता नहीं उनसे क्या गंडा, ताबीज बंधाया है, मैं नहीं जानती, लेकिन उसी नक्शे कदम पर गेहूं का घोटाला हुआ है, बिल्कुल उसी स्टाइल में हुआ है। उन्होंने अपने प्रीडीसेसर से बिल्कुल गुरू शिष्य का सम्बन्ध बनाया है। इतिहास अपने आपको दोहरा रहा है पहले चावल का घोटाला हुआ था, फिर चीनी का हुआ था, अब आपकी सरकार में गेहूं का हुआ है। गेहूं के बाद पता नहीं किसका नम्बर आता है। भगवान जाने, अगर चुनाव न हो जायें तो कोई और घोटाला हो जायेगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब बस छह बजने ही वाले हैं। अभी भी आठ दस वक्ताओं को बोलना है। यदि सभा की यह इच्छा है, तो हम सभा के समय को सात बजे तक बढ़ा सकते हैं।

कई माननीय सदस्य : हाँ।

सभापति महोदय : सभा के समय को सात बजे तक बढ़ाया जाता है।

[हिन्दी]

प्रो॰ रीता वर्मा : इतनी देर तक नहीं बोलूंगी, आप चिन्ता न करें। मैं जल्दी खत्म कर रही हूँ।

ये देश की सुरक्षा के मामले में कितने सीरियस हैं, कश्मीर के मामले में हमारे नेतागण बोल चुके हैं। माइनर एडजस्टमैंट करते-करते 1/3 हिस्सा पाकिस्तान को देने की बात हो गई और ये घोषणाएं अपने देश में नहीं होती है, विदेश में जाकर की जाती हैं। देश की सुरक्षा के लिए ये लोग कितने प्रतिबद्ध हैं, यह तो आप देख ही रहे हैं। जब ये लोग आये थे तो ट्रांसपेरेंसी का नारा देकर आये थे, कितनी ट्रांसपेरेंसी इस सरकार में है, यह करीब 9-10 महीने हो गये, वह देश की जनता ने देख लिया। जुडीशियल एक्टीविज्म के नाम से इनको उबकाई आती है। ठीक है, आप यह भी कह सकते हैं कि हममें से कई कचहरी में खड़े हैं, हमें जुडीशियल एक्टीविज्म से डर नहीं लगता। अगर कोई गलती न की हो तो हम तो स्वागत करते हैं कि इन्क्वायरी हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाये। आपको किस बात का डर लगता है, आपको क्यों मिर्ची लगती है, जो आप जजों के अधिकार कम करने की बात करते हैं। जब हमें डर नहीं लगता और हम कचहरी में खड़े होने को तैयार हैं और हम मांग करते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाये।

अपराह्न 6.00 बजे

फिर आपको किस बात का डर लग रहा है, प्रधानमंत्री जी को किस बात का डर लग रहा है, हमें डर नहीं लगता। हम मानते हैं कि हमारी न्यायपालिका बहुत ही निष्पक्ष है और सक्षम है। हमें पूरा न्याय मिलेगा, इस बात का हमें पूरा विश्वास है और देश की जनता का विश्वास है। आप इस आधार पर कि आपको असुविधा हो रही है, आपके पापों का भांडा फूट रहा है इसलिए जूडिशरी के पंख कतरना चाहें तो हम नहीं होने देंगे, क्योंकि यह देश की जनता के साथ विश्वासघात होगा।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में से मैं एक बात उद्धृत करना चाहूंगी। उसमें लिखा है - सरकार सिंचाई प्रबंध और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए एक राष्ट्रीय नीति बना रही है। अभी मैं आपको कह रही थी कि कांग्रेस से गए हुए लोग हैं, कांग्रेस का ही कल्चर है। 50 साल कांग्रेस इस देश पर राज करती रही, लेकिन अभी तक हमारी विस्थापितों के लिए कोई नीति नहीं बनी। ये कहते हैं कि दलितों की, गरीबों की, शोषितों की सरकार है, लेकिन आज तक विस्थापितों की परिभाषा नहीं बना सके। हम लोग कोयला क्षेत्र से आते हैं, मजदूर क्षेत्र से आते हैं, औद्योगिक क्षेत्र से आते हैं, हमें खुद समझ में नहीं आता कि हमें क्या मांग करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कौन विस्थापित है, कौन नहीं, सरकार ने परिभाषा ही नहीं की। फिर उनको कैसे न्याय मिलेगा। यह तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा वाली बात है। पहले ही कोई कमिटमेंट नहीं था, न गरीबों के प्रति और न विस्थापितों के प्रति, उस पर से इनकी नई आर्थिक नीति है।

जो नया बजट आया है, मेरी एक महिला मित्र कह रही थी कि बहुत अच्छा बजट है। मैंने पूछा कि कैसे तो कहने लगी कि मिडिल क्लास के लिए अच्छा बजट है, कॉफी और बिस्कुट सस्ते हो जाएंगे। मैंने कहा कि दाल-रोटी का क्या होगा, वह तो महंगी हो जाएगी। मैं इतिहास की प्राध्यापिका रही हूँ। हम फ्रांस की क्रांति पढ़ाया करते थे। मेरी एण्टोनियर ने कहा था कि अगर खाने को रोटी या ब्रेड नहीं मिलती तो केक क्यों नहीं खाते। इन लोगों का भी यही कहना है कि रोटी-दाल मंहगी हो गई तो कॉफी और बिस्कुट खाकर पेट भर लो। यही है गरीबों की सरकार।

जेना जी ध्यान देंगे, जब वे हमारे साथ इधर थे तो हमने पब्लिक सेक्टर के सिकनेस की आवाज उठाई थी। मैंने उस समय भी कहा था और फिर कह रही हूँ कि हमारे यहां बोकारो में हिन्दुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन लिमिटेड उस समय की सरकार की गलत नीतियों के कारण, यहां पुराने इस्पात मंत्री नहीं हैं, उनके समय में हुए भ्रष्टाचार के कारण एच.एस.सी.एल. बर्बादी के कगार पर पहुंच गई और बंद होने की स्थिति में है। मुझे सौभाग्य मिला था वहां के साढ़े सात हजार मजदूरों का नेतृत्व करने का, हमने अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन किया। केन्द्र और राज्य में जनता दल की सरकार है। गरीबों और सामाजिक न्याय की सरकार ने न सिर्फ हम पर डंडे बरसाए, बल्कि हमें जेल में बंद कर दिया। मजदूरों के हितों के लिए मैंने आवाज उठाई तो मुझे दस दिन जेल में रहना पड़ा।

सभापति महोदय : जेना जी तो ऐसा अत्याचार नहीं कर सकते।

प्रो॰ रीता वर्मा : इन्हीं की सरकार कर रही है। एच.एस.सी.एल. का किस्सा नया नहीं है। नया बजट स्वदेशी कोल इंडस्ट्री के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। आपने पिछले साल कोकिंग कोल पर से कस्टम ड्यूटी घटाई थी। इस बार आपने कोकिंग कोल, नॉनकोकिंग कोल और कोल विद ए हायर एश कॉटेंट से कस्टम ड्यूटी घटा दी, लेकिन एक्साइज में कोई रिलीफ नहीं दिया। आप चाहते हैं कि कोयला उद्योग बंद हो जाए और उसका निजीकरण कर दें। आप सबका निजीकरण करना चाहते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप कांग्रेस सरकार से अच्छी दीक्षा ले रहे हैं, आपने उनसे अच्छी तरह से अक्ल सीखी है। जैसे इटली के साथ हमारा बड़ा प्रेम का रिश्ता था। इसीलिए स्नैम प्रोगैती को मदद करने के लिए आपने प्रोजेक्ट एंड डवलपमेंट इंडियन कम्पनी का गला घोंट दिया था और उसे बंदी के कगार पर पहुंचा दिया था। क्योंकि हम इटली के साथ अपने समधियाना वाले रिश्ते की बड़ी कद्र करते थे।

अपनी देशी कंपनी का गला घोंटकर विदेशी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए हमें जरा भी शर्म नहीं आती और आप ठीक एच.एस.सी.एल. के उसी रास्ते पर चल रहे हैं। कॉन्ट्रेक्टर्स की मदद करने के लिए आप पब्लिक सैक्टर की कंपनी का गला घोंटने के लिए तैयार बैठे हैं।

सभापति महोदय, यह कहा गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में इस बजट में कोई दिशा-निर्देश नहीं है। मैं आपको लेटेस्ट किस्सा सुनाती हूँ। कि मैशन राइट बैंक में करीब-करीब 1000 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट डी.वी.सी. बनाने वाला था और उसको जापान ओ.ई.सी.एफ. को लोन देने के लिए तैयार था। लेकिन आपका डिपार्टमैंट ऑफ इकोनॉमिक एफेयर्स....*(व्यवधान)* सुनिए, जेना साहब, सुनिए। डी.वी.सी. काम करना चाहती थी। ओ.ए.सी.एल. उसको लोन देना चाहती थी। जेना साहब, हम लोगों का दुख-दर्द सुनिए।....*(व्यवधान)* डी.वी.सी. इस प्रोजेक्ट को करना चाहती थी। ओ.ई.सी.एफ. उसको लोन देना चाहती थी, मिनिस्ट्री ऑफ पॉवर्स से वह क्लीयर हो चुका था। नौवीं योजना में उसको लिया जा चुका था और आपके डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एफेयर्स ने कोई ध्यान नहीं दिया। जापान की कंपनी आई और बिना उस जगह तक गए हुए वापस लौट गई और आपकी सरकार है कि सोती रहती है। उसकी आंख नहीं खुलती। हम लोग बिजली के लिए तरस रहे हैं। बंगाल, बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन हाथ में आया हुआ प्रोजेक्ट इसलिए चला गया कि आपके डिपार्टमेंट ऑफ

[प्रो. रीता वर्मा]

इकोनॉमिक एफेयर्स ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। 1000 मेगावॉट का फर्स्ट क्लॉस प्रोजेक्ट जो कि पिटहैड पर बनने वाला था, इन लोगों के सोते रहने के कारण, कुंभकर्णी नींद के कारण वह प्रोजेक्ट वापस चला गया। कितनी कहानी सुनाऊं? मेरा तो दिल भरा हुआ है। लेकिन मैं जल्दी से खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ।

हम लोगों ने पिछली सरकार में जब एनरॉन को लेकर बहुत हंगामा हुआ था, उस समय हमारी स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एनर्जी की सब कमेटी बैठी थी और मुरली देवरा जी उसके चैयरमैन थे, वह कांग्रेस के ही थे। हम लोगों ने एकमत से राय दी थी कि एक बार कांउटर गांरटी देने की भूल हो गई। लेकिन अब आगे किसी भी कंपनी को कांउटर गारंटी नहीं दी जाएगी। जेना साहब, मुझे याद है काउंटर गारंटी के मामले में आप भी पहले खड़े होकर जोर-जोर से बोला करते थे। आज आपके राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह लिखा हुआ है कि जिन प्रोजेक्ट्स को काउंटर गांरटी नहीं मिली थी, उन सबको हम कांउटर गांरटी दे रहे हैं। आपके चरित्र में इतना बदलाव आ गया है? जगह क्या बदल गई कि चरित्र ही बदल गया? स्टैंडिंग कमेटी की यूनेनीमस रिपोर्ट की आप अवहेलना नहीं कर सकते। उसमें कहा गया था कि आगे आप किसी कंपनी को कांउटर गारंटी नहीं देंगे। लेकिन आपने तो एकमुश्त में खैरात बांट दी है। महाराष्ट्र सरकार से मेरा क्या लेना-देना? मैं तो केन्द्र सरकार की बातें कर रही हूँ। स्टैंडिग कमेटी की रिपोर्ट में था कि जो काउंटर गारंटी दे दी गई है, उस भूल को रेक्टीफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन उन दोनों कंपनियों को छोड़कर आगे किसी कंपनी को कांउटर गांरटी नहीं देनी है और आप वोसीफेरसली उसको अपोज किया करते थे। भूलिए मत। आज आपकी सरकार खैरात बांट रही है, एक साथ सीधे काउंटर गारंटी दे रही है। यह आपकी सरकार का चरित्र है। यही आपकी सरकार का दोहरा चरित्र है। आपकी कथनी और करनी में कितना फर्क है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): एनरॉन के बारे में आपका क्या रोल था?

प्रो॰ रीता वर्मा : एनरॉन को तो हम लोगों ने बहुत सुधार दिया। मेरा समय मत लीजिए। बाद में मैं आपसे बाकायदा बहस करूंगी। अभी मुझे बोलने दीजिए।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में पृष्ठ 11 पर आपकी सरकार ने कितनी शाबाशी ली है और आपने अपनी कितनी पीठ ठोंकी है। जरा पढ़कर सुनाती हूँ। पेज 11 के पैराग्राफ 33 में लिखा हुआ है :

> "कालपकम में कॉमिनी रिएक्टर के क्रांति स्थिति में पहुंचने के फलस्वरूप हमने परमाणु, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने में उल्लेखनीय प्रगति की है।"

बहुत लम्बा पैराग्राफ है, पूरा नहीं पढ़ूंगी। लेकिन आपने अपनी तारीफ के कसीदे खूब गाढ़े हैं स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एनर्जी की रिपोर्ट की दो लाइनें पढ़कर सुनाती हूँ। पिछले साल इनको, एटामिक एनर्जी डिपार्टमेंट को खर्च के लिए 2098.60 करोड़ रुपये देना चाहिए था। लेकिन हम सिर्फ उसको 1451.8...*(व्यवधान)* आपने 695 करोड़ रुपये नहीं दिया।

आप अपनी पीठ ठोक रहे हैं मैं इस रिपोर्ट की दो लाइनें पढ़ना चाहती हूँ और वे लाइनें हैं-

[अनुवाद]

> "फिर भी निधियों की उपलब्धता के संबंध में अनिश्चितता के कारण इन परियोजनाओं के निर्माण को नहीं किया जा सका और यह कहा गया कि अग्रिम कार्यवाही के माध्यम से महंगे खर्चों पर खरीदी गई वस्तुओं की रद्दी के मूल्यों को ही अब बचाया जा सकता है।"

[हिन्दी]

इन्होंने इतनी मदद की और इतना पैसा दिया कि जिन लोगों ने स्ट्रक्चर खड़ा किया था उसको अब ये स्क्रेप करके बेच रहे हैं। उनको पैसा नहीं दे रहे हैं और अपनी पीठ बेशर्मी से ठोक रहे हैं। कलपक्कम में कामिनी रिएक्टर जो चालू हुआ है। वह आपकी सरकार के कारण नहीं हुआ है। आपके रहते-रहते हो गया, इसके लिए हमारे देश के वैज्ञानिकों को साधुवाद देना चाहिए। आप तो निंदा के पात्र हैं। आपने उनका गला घोंटने की पूरी कोशिश की है।

सभापति महोदय, मैं दो-तीन बातें कह कर अपनी बात समाप्त करूंगी। पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं पर इन्होंने बहुत ध्यान दिया है और साथ ही ध्यान दिया है आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय पर। इनकी ही सरकार है बिहार में, लेकिन पिछले 18-19 सालों से वहां पर पंचायतों के चुनाव नहीं हुए हैं। इतना वहां ये सामाजिक न्याय दे रहे है कि न्याय देते-देते फुर्सत नहीं है, बिहार में पंचायतों के चुनाव भी करवाने हैं। इसीलिए इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया वहां पर जितनी भी पंचायती राज की संस्थायें उनको निरस्त कर दिया। कारण यह है कि वहां 18-19 सालों से चुनाव नहीं हुए हैं।....*(व्यवधान)* कोर्ट ने लिख दिया कि इन्हीं की सरकार चुनाव नहीं करवाती है।

अब मैं आपको बिहार में हो रहे हरिजनों और दलितों के ऊपर अत्याचारों के बारे में बतलाना चाहती हूँ। अनुसूचित जातियों

पर हो रहे अत्याचारों की संख्या बढ़ रही है। आप आंकड़े देखिए 1990 में 1079, 1991 में 1050, 1992 में 1699, 1993 में 1821, 1994 में 1288, 1995 में 979 आंकड़ो में निरंतर वृध्दि हो रही है। इनकी सरकार अनुसूचित जातियों से प्रेम करती है और उनकी इतनी रक्षा करती है कि उन पर अत्याचार की घटनायें निरंतर बढ़ रही हैं। यही नहीं अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाओं में भी बिहार में निरन्तर वृध्दि हो रही है। अब तो बिहार में गुण्डों को जरा भी डर नहीं लगता है वे ट्रेन से लड़कियों को ले जाते हैं। इतनी अच्छी सरकार वहां पर है। आप इनसे पूछ लीजिए। अभी हाल ही में इसी महीने एक घटना घटी है। चलती हुई ट्रेन से महिलाओं और लड़कियों को खींच कर ले गये हैं। वहां पर आपकी सरकार चल रही है और केन्द्र में आपकी सरकार है। 1996 के प्रारम्भिक 6 महीनों में अनुसूचित जातियों के साथ अन्याय बढ़कर 247 की संख्या पर पहुंच गया है। हरिजनों पर हमले निरंतर हो रहे हैं। लोग मारे जा रहे हैं। उनकी इज्जत लूटी जा रही है। पटना के छात्रावास में पुलिस ने घुसकर लड़कों को पीटा और उनको होस्टल से खदेड़ दिया है। यही है इनका सामाजिक न्याय और यही है इनका असली चेहरा।

सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने बहुत धैर्य के साथ मेरी बातों को सुना। अन्त में आपकी अनुमति के साथ मैं एक कविता पढ़कर अपनी बात समाप्त करना चाहती हूँ। कविता है -

झील पर बादल बरसता है, हमारे देश में,
खेत पानी को तरसता है, हमारे देश में, (इनकी सरकार के कारण)
जिन्दगी का हाल खस्ता है, हमारे देश में,
दूध महंगा, खून सस्ता है, हमारे देश में,
अब वजीरों, ऑफीसरों और पागलों को छोड़कर,
तुम्हीं बताओ कौन हंसता है हमारे देश में।

[अनुवाद]

श्री पी. कोदंडा रमैया (चित्रदुर्ग) : सभापति महोदय, मई, 1996 में लोक सभा के चुनाव हुए थे और एक सरकार का गठन हुआ था। सभा के दोनों पक्षों से इस बारे में वक्तव्य आ रहे थे कि लोग इनमें से किसी एक के साथ हैं।

अपराह्न 6.14 बजे

[प्रो॰ रीता वर्मा *पीठासीन हुईं*]

यह सही है कि हमारे द्वारा चुनाव लड़ने से पहले संयुक्त मोर्चा के भागीदारों के बीच कोई समझौता नहीं था और बाद में हुआ समझौता बाद की घटना है। इससे एक हुए भागीदारों के बीच हुए समझौते की पवित्रता भंग नहीं होती है। फिर भी एक एक और बात है जो इस सम्बन्ध में समान रूप से उल्लेखनीय है और वह है क्या भा.ज.पा. बहुमत को प्राप्त करने में सफल हो पायी है? यह सही है कि भा.ज.पा. को सभा में सबसे ज्यादा स्थान मिले हैं। परन्तु तब भी हम सशक्त रूप से कह सकते हैं कि लोगों ने, मतदाताओं ने, एक तरह से भाजपा को नकार दिया है। यहां तक कि उन्होंने साम्प्रदायिक ताकतों को नकार दिया है, तो जनादेश स्पष्ट रूप से हमारे पक्ष में है, चाहे समझौता हुआ हो या न हुआ हो। सरकार के गठन के समय कई सिध्दान्त थे और कई अटकलें लगाई जा रही थीं कि सरकार का गठन कौन करेगा। भाग्य के खेल द्वारा या परिस्थितियों के द्वारा सरकार का गठन करने के लिए राष्ट्रपति ने सहर्ष भाजपा को आमंत्रित किया। उन्हें एक अवसर दिया गया था। सम्भवतः मात्र इसी कारण से कि सभा में उनके सदस्यों की संख्या सबसे बड़ी है। यह अवसर दिया गया था और भाजपा ने लगभग 13 दिनों तक सरकार चलायी थी और राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार उन्हें विश्वास प्राप्त करना था। उन्होंने प्राप्त नहीं किया और वे हार गए। हम इस पूर्वोदाहरण या सादृश्यता को उध्दृत कर सकते हैं, यदि हम उत्तर प्रदेश की स्थिति पर भी नियम-पुस्तिका के अनुसार विचार करें। भाजपा विधि सम्मत रूप से कह सकती है कि हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी है और लोक सभा के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा स्थापित एक पूर्वोदाहरण भी है तो क्या उत्तर प्रदेश में इसी पूर्वोदाहरण को राज्यपाल दोहरा नहीं सकते? शायद हां, परन्तु इतने ही सशक्त रूप से मैं कह सकता हूँ कि क्या भा.ज.पा. को सरकार बनाने की अनुमति देना अल्पसंख्यकों के लिए आम आदमी के लिए, सुरक्षित है?

हम सदैव यह तर्क दे सकते हैं कि ठीक है, पजांब में भाजपा ने अकाली दल के साथ मिलकर सरकार बना ली है। आप उन्हें साम्प्रदायिक ताकतें कह सकते हैं। मतदाताओं ने उन्हें चुना है और उन्होंने सरकार बनायी है कोई बड़ी बात नहीं है। परन्तु फिर भी हम पंजाब या दिल्ली या बम्बई के तर्क को उत्तर प्रदेश पर लागू नहीं कर सकते हैं। मैंने यदा-कदा अपनी पार्टी को सलाह देने का प्रयास किया कि वहां पर भाजपा को सरकार बनाने दीजिए। परन्तु सभा में जिस प्रकार से भाजपा सदस्यों ने अपनी बात रखी, भाजपा के नेता सहित जब वे लोक सभा में विश्वास प्रस्ताव का उत्तर दे रहे थे, कि यदि उनके साथ पर्याप्त संख्या होती, तो वे राम जन्मभूमि मुद्दे को उठाकर रख चुके होते, यह किसी भी सामान्य बुध्दि वाले आम आदमी द्वारा उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार के गठन में बाधा उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त है।

अभी भी दूसरी ओर के एक माननीय सदस्य राष्ट्रपति के अभिभाषण की आलोचना यह कह कर रहे थे कि उनके अभिभाषण में इस मुद्दे को सम्मिलित नहीं किया गया। मुझे हमेशा विस्मय होता है कि क्या भाजपा के पास उसका अपना कोई आर्थिक कार्यक्रम

[श्री पी. कोदंडा रमैया]

होगा। मैंने कभी किसी भाजपा सदस्य को इस बारे में बात करते नहीं देखा। मैंने कभी उनकी कार्रवाई की कार्यसूची नहीं देखी और भाजपा का अन्तिम सहारा अर्थशास्त्र दिखाई देता है। वे कभी-कभार ही इसकी बात करते हैं। वो क्या है जिसके बारे में वे बात करते हैं - इस देश की महानता? हाँ, तो देश महान है। कौन कहता है कि ये नहीं है? देशभक्ति की बात को ही लीजिए, हाँ वे देशभक्त हैं, हम भी हैं। और फिर इस आधार पर कि इस देश की 93 करोड़ जनसंख्या है, यह महानतम देश है। हम हमेशा अपने देश पर गर्व का अनुभव कर सकते हैं। परन्तु फिर भी देश की शक्ति देश में रह रहे लोगों की संख्या पर निर्भर नहीं करती है अपितु यह देश के आर्थिक आधार पर निर्भर करती है।

उदाहरण के लिए, जम्मू कश्मीर से सम्बन्ध रखने वाले अनेक वक्तव्यों को लेकर भाजपा रात-दिन श्री देवेगौड़ा और श्री शेख अब्दुल्ला की आलोचना करती रहती है।

श्री अनन्त कुमार (बंगलौर-दक्षिण) : वह फारूख अब्दुल्ला हैं।

श्री पी. कोदंडा रमैया : मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि यह उनके पुत्र फारूख अब्दुल्ला हैं। मैं समझता हूँ कि यह पिता से पुत्र को सत्ता का मिलना है।

अब वे इसकी आलोचना कर रहे हैं। कोई विचार व्यक्त करने में क्या बुराई है। क्या आपके कहने का यह तात्पर्य है कि एकता न होकर एकरूपता होनी चाहिए। बी.जे.पी. ने 'एकता' पर नहीं अपितु 'एकरूपता' पर जोर दिया है। लगता है कि वे दोनों शब्दों के बीच भ्रमित हो गये हैं। वे हमेशा एकरूपता की बात करते हैं। एकरूपता का मतलब है कोई मतभेद नहीं, कोई चर्चा नहीं और कोई आन्तरिक लोकतन्त्र नहीं।

श्री फारूख अब्दुल्ला ने कहा है कि नियंत्रण रेखा को अन्तर्राष्ट्रीय सीमा बनाया जा सकता है।

ठीक है, यह एक विचार है, एक सुझाव है, इस पर चर्चा की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि वह सीमा समस्या के समाधान के अन्तिम मध्यस्थ हों। इसी प्रकार, प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम कुछ समायोजन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा के बारे में पाकिस्तान से बात कर सकते हैं। क्या प्रधानमंत्री ने यह बहुत बड़ी बात कही है। कई लोगों ने कहा है कि पहले पंडित जवाहर लाल नेहरू सहित अनेक नेताओं ने इस पर चर्चा की है। जब हमारी सेना स्वेच्छा से वापस लौट आई तब श्रीमती इन्दिरा गांधी और श्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने शिमला में इस विषय पर चर्चा की थी। मैं भी यह कहते हुए इस पर चर्चा करना चाहूंगा कि हम ऐसे मुद्दे को पाकिस्तान के साथ बात करके क्यों नहीं सुलझा सकते जिस पर हम वर्षों से धन बर्बाद कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ हमने तीन युद्ध किए लेकिन परिणाम क्या निकला? हमने सारे जीते हुए क्षेत्र वापस कर दिये। कुछ क्षेत्र सीमाओं पर थे। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा भी जब दो युद्ध करने वाले देशों में शान्ति स्थापित हो जाए तो फिर किसी भी पक्ष ने जितना भी क्षेत्र अपने अधिकार में लिया हो उसे वापस कर देना चाहिए। यही हुआ भी। एक हमारे सैनिक हताहत हुए? हम अपने देश पर चीन के आक्रमण की बात करते हैं। क्या आपके कहने का तात्पर्य यह है कि चीन द्वारा 1962 के युद्ध में कब्जा किया गया सारा क्षेत्र वापस मिल गया है? आप चीन द्वारा किए गए कब्जे के बारे में क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? बी.जे.पी. ने इस मामले में अतार्किक दृष्टिकोण अपनाया है। वे किसी भी समस्या का समाधान नहीं करने देंगे। ऐसा लगता है कि वे अनावश्यक विचारों पर अपना बल बल बनाना चाहेंगे।

अब मैं संविधान के अनुच्छेद 356 पर आता हूँ और सरकारिया आयोग द्वारा सुझाए गये शक्तियों के विकेन्द्रीकरण की चर्चा करता हूँ। हमारे साझा कार्यक्रम का यह एक महत्वपूर्ण बिन्दु है और मैं अपनी सरकार से अनुरोध करता हूं कि हमें राज्यों को और अधिकार देने के लिए आवश्यक संविधान संशोधन करना चाहिए और यदि आवश्यक हुआ तो अन्य पहलुओं पर भी कानून बनाना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो लोग हमें माफ नहीं करेंगे। हम इसमें विलम्ब कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि बी.जे.पी. राज्यों को और अधिकार देने के लिए बहुत अधिक चिन्तित है। वे मजबूत केन्द्र चाहते हैं पर किसलिए, यह वे ही जानें। मुझे फासिस्टों और नाजियों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और उसके पूर्व भी जारी किए गये कुछ वक्तव्य याद आते हैं जिनमें उन्होंने देश की एकता और शक्ति के केन्द्रीकरण की बात की है। यदि किसी दल का उद्देश्य शक्ति का केन्द्रीकरण है तो इसका मतलब यह है कि लोक कल्याण अथवा लोगों के स्थानीय स्वशासन में रुचि नहीं है।

इस समय हमें राष्ट्रीय सामन्जस्य स्थापित करने के लिए आगे आना चाहिए। यह सत्य है कि हम बी.जे.पी. से लड़ते रहते हैं और जहां तक इस देश की धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रश्न है हम एक दूसरे के एकदम विरोधी हैं। परन्तु ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनमें हम सामन्जस्य स्थापित करने के बारे में सोच सकते हैं और हमें राष्ट्रीय लक्ष्य स्थापित करने चाहिए। जब हम राष्ट्रीय लक्ष्यों की ही बात नहीं कर रहे हैं, तो तब राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का क्या होगा। देश की सुरक्षा नीति, जनसंख्या नीति और इसकी आर्थिक नीति सदैव विवादास्पद रही है। एक नेता के रूप में हम अपने देश के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम तय नहीं कर पाए हैं। हम जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में भी गन्दी राजनीति करते हैं। इसलिए, यह आवश्यक है कि हमें विवादास्पद हितों विशेषरूप से ऐसे क्षेत्रों में, जहां कोई विवाद नहीं है, हमें सामन्जस्य स्थापित करने की बात करनी चाहिए और राष्ट्रीय लक्ष्यों को निर्धारित करने की बात करनी चाहिए।

माननीय गृहमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बारे में जो कुछ कहा और उस पर राज्यपाल की क्या प्रतिक्रिया रही - इस पर काफी कुछ कहा गया है।

मैं महसूस करता हूं कि यह कोई अच्छी बात नहीं हुई थी। माननीय गृहमंत्री ने कुछ और तथा राज्यपाल महोदय ने कुछ और कहा था। फिर वह अपनी किसी और से अप्रत्यक्ष बात के बारे में बता रहे थे। मैं चाहता हूं कि इन लोगों ने अपने ऊपर नियन्त्रण रखा और अदृश्य विवादों से बचे तथा अन्य लोगों को हमारे बारे में अनावश्यक बात करने का अवसर दिया। वास्तव में, मैं इस बात से सहमत हूं कि माननीय गृह मंत्री महोदय के लिए यह अच्छी बात नहीं है कि वे कुछ कहें और राज्यपाल कुछ और कहें, चाहे राज्यपाल को कितनी ही स्वतन्त्रता क्यों न हो।

श्री अनन्त कुमार : हम श्री पी.कोदण्डा रमैय्या द्वारा इस मुद्दे पर डाले गए प्रकाश का स्वागत करते हैं।

श्री पी. कोदण्डा रमैय्या : यह प्रकाश डालने की बात नहीं है। मैं सत्य बोल रहा हूँ, चाहे यह आपको व मेरी पार्टी के सहयोगियों को कितना भी कड़वा लगे।

अतः हमारी सरकार को यह परामर्श है कि वह अपने घर को ठीक रखे और विवादों को उत्पन्न न होने दे।

फिर हम हमारे गरीब वर्ग को शक्ति प्रदान करने की बात करते हैं। राष्ट्रपति महोदय के भाषण में इसका उल्लेख है। मैं संयुक्त मोर्चा सरकार के इस प्रशंसनीय उद्देश्य का पूरा समर्थन करता हूँ, जैसा कि राष्ट्रपति जी ने कहा है।

फिर मैंने दो गैर-सरकारी विधेयक पिछड़े वर्ग को शक्ति प्रदान करने के बारे में पुरःस्थापित किए हैं जो कि सदन के समक्ष लम्बित पड़े हैं। न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के सम्बन्ध में दिए गये निर्णय के बारे में मुझे संदेह है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि आरक्षण कुल पदों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। किन्तु मैं व्यक्तिगत तौर पर और ठीक ही सोचता हूँ कि उच्चतम न्यायालय का यह काम नहीं है कि वह आरक्षण की प्रतिशतता निर्धारित करे। यह इस सदन, लोक सभा का काम है कि वह आरक्षण प्रतिशतता निर्धारित करे। निश्चित रूप से यह उच्चतम न्यायालय का कार्य नहीं है कि क्योंकि उच्चतम न्यायालय हमारे द्वारा पारित किसी विशेष विधान के बारे में केवल यह बता सकता है कि यह हमारे क्षेत्र में है अथवा क्षेत्राधिकार से परे है। यदि यह संविधान के क्षेत्राधिकार के परे है तो यह उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है कि वह इसे गिरा दे। यह ही उसके क्षेत्राधिकार में है तो इससे कानून को बनाये रखा जा सकता है। किन्तु किसी कानून को संविधान के क्षेत्राधिकार के परे रखना उच्चतम न्यायालय का विधायी क्षेत्र में अतिक्रमण करने का कार्य नहीं है। यह मात्र इतना कह सकता है कि यह विशेष कानून अमान्य/अवैध है। फिर हमारे लिए अगला कदम क्या है? हमारे लिए यह अगला कार्य उस विधान को सदन के समक्ष वापस लाकर रखना तथा इसमें संविधान के प्रावधानों के अनुरूप संशोधन करना है। यह किया जाना चाहिए।

अब मैं सरकार से पिछड़े वर्गों को चुने गये निकायों और सरकारी सेवा में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण प्रदान करने के लिए एक विधान लाने की मांग करता हूँ। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में पिछड़ा वर्ग जनगणना के आधार पर 55 प्रतिशत है। अतः यह राज्य विधानमंडल का कार्य है कि राज्य में पिछड़े वर्ग को 55 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए एक कानून पास करें।

उदाहरण कि लिए तमिलनाडु ने एक कानून पास किया है जिसके अन्तर्गत पिछड़े वर्ग को 69 प्रतिशत आरक्षण समुचित कारणों के आधार पर दिये जाने की बात की गई है, मेरा अनुमान है कि तमिलनाडु तथा कर्नाटक जैसे राज्य वंचित वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए अग्रणीय रहे हैं। अब जबकि इस सदन ने संविधान की नौवीं अनुसूची में एक कानून बनाया है तो उच्चतम न्यायालय ने इसे निरस्त कर दिया है और यह राज्यों को आरक्षण को 50 प्रतिशत तक सीमित करने पर बल दे रहा है जो कि ठीक नहीं है।

अतः मेरा सुझाव है कि इससे पूर्व कि महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने की बात करें, एक क्षण के लिए मैं महिलाओं को आरक्षण दिये जाने का विरोधी नहीं हूँ, किन्तु महिलाओं को आरक्षण प्रदान करना ऐसा प्रतीत होता है जैसे घोड़े के आगे छकड़ा खड़ा करना- सर्वप्रथम हमें पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने की बात सोचनी चाहिए। पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के बाद प्रत्येक वर्ग में हमें 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को देना चाहिए। पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के पश्चात् व्यापक रूप से तीन वर्ग होंगे।

उनमें एक 'अन्य सामान्य वर्ग' है दूसरा 'पिछड़ा वर्ग' है और तीसरा 'अनुसूचित जतियां तथा अनुसूचित जनजातियां' हैं। हम जैसे ही यह काम एक-बार करेंगे तो तब हमें इन सभी तीन वर्गों की महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध करना होगा जो कि अत्यन्त आवश्यक है और सरकार को इस विधेयक को लाना होगा।

जहां तक आर्थिक नीति का संबंध है, मैं राजसहायता देने की नीति के सख्त खिलाफ हूँ।

सभापति महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए। इस वाद-विवाद में कई अन्य वक्ताओं को बोलना है।

श्री पी. कोदंडा रमैय्या : महोदया, यद्यपि मुझे कई और मुद्दों को रखना है, तथापि मैं अपने इस अन्तिम मुद्दे पर बोलूंगा।

इस सरकार ने आर्थिक क्षेत्र के बारे में यह कहा है कि उन्होंने विद्युत, उर्वरक, छिड़काव वाली (स्प्रिन्कलर) सिंचाई और अन्य की आपूर्ति के संबंध में कृषक समुदाय को राजसहायता मंजूर की है। परन्तु मेरा यह विचार है कि यदि आप एक छोटे अथवा सीमांत किसान की तुलना एक जमींदार से करेंगे तो यह उल्टी बात होगी। यह नीति समृद्ध कृषक समर्थक है। मैं इस सरकार से पुरजोर अनुरोध करता हूँ कि इस नीति में कुछ परिवर्तन लाएं और कम से कम कृषक समुदाय के निर्धन वर्ग और धनी वर्गों को दी जाने वाली राजसहायता के लिए अलग-अलग दरें रखें।

अन्ततः जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सार्वजनिक निवेश और विनिवेश का संबंध है, मेरा इस सरकार को यह सुझाव होगा कि वे बेहतर उदारीकरण की प्रक्रिया को अपनाये। हमें उदारीकरण के जो कुछ लाभ मिले हैं वो पर्याप्त नहीं हैं। अब उदारीकरण की गति रुकी हुई है। हम एक कदम आगे और दो कदम पीछे नहीं जा सकते हैं। सरकार को पूरे उत्साह और उमंग के साथ उदारीकरण की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए और विदेशियों को निवेश की खुली छूट मिलनी चाहिए।

उदाहरण के लिए चीन को ही लें। चीन एक साम्यवादी राष्ट्र है। दस वर्षों की अवधि में, चीन ने 53 बिलियन डालर का निवेश जुटाया है जबकि उसी समान अवधि में भारत ने केवल 4.6 बिलियन डालर जुटाया। तब हम साम्यवादी प्रणाली व्यवस्था को कैसे दोष दे सकते हैं? हमारे साम्यवादी मित्र हमें यह कहते रहे हैं कि हमें उदारीकरण को अपनाना नहीं चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री पी. कोदंडा रमैय्या : महोदया, मैं कुछ और समय लेना चाहता था लेकिन आप बार-बार घण्टी बजाकर भाषण समाप्त करने का संकेत दे रही हैं।

अन्त में, मैं एक बात कहना चाहूँगा। मैंने देखा है कि सदस्यों को बोलने की अनुमति देते समय अध्यक्षपीठ वरिष्ठ सदस्यों के प्रति काफी उदार रहे हैं और उनको कई घण्टों तक बोलने की अनुमति दी गई है परन्तु जब हम, कनिष्ठ सदस्य कुछ मुद्दों पर बोलना चाहते हैं तो हम पर समय की पाबन्दी लग जाती है, तथापि, मुझे इस वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री अनन्त कुमार : महोदय, मैं इस मुद्दे पर माननीय सदस्य का समर्थन करता हूँ।

सभापति महोदय : एक समय हम सब कनिष्ठ थे। अब डा. शफीकुर्रहमान बर्क बोलेंगे।

[हिन्दी]

डा. शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : चेयरमैन साहिबा, आपने मुझे इस मौके पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मशकूर हूँ। मैं सदरे जम्हूरिया के खुतबे के शुक्रिया के प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और इसकी पुरजोर ताईद करता हूं। प्रेजिडेंट अड्रेस में गवर्नमेंट की पालिसी पर रोशनी डाली गयी है उसमें किसानों, गरीबों पसमांदा तबकों, अकलियतों के लिए तथा उनकी तरक्की और विकास के लिए कहा गया है। मुझे उम्मीद है कि यह युनाईटेड फ्रंट की सरकार उनके लिए काम करेगी।

सन् 1996 के इलैक्शंस में हम लोग पार्लियामेंट में आए तो बी.जे.पी. को सरकार बनाने का मौका दिया गया लेकिन 13 दिन के बाद उनको अपनी जगह से हटना पड़ा तो युनाईटेड फ्रंट ने 13 पार्टियों को मिलाकर यहां सरकार बनाई। यह सरकार शान के साथ चल रही है जिसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं। जब से यह सरकार बनी है, मुल्क में शान्ति और व्यवस्था ठीक है। अब झगड़े नहीं हो रहे हैं। जो पहले फिरकेवाराना फसादात होते रहे हैं, उन पर कंट्रोल किया है। मैं इस बात के लिए श्री देवगौड़ा साहब को मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने अपनी सलाहयतों और सारी पार्टियों की सपोर्ट से यह सरकार चला रहे हैं जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जहां तक बी.जे.पी. का ताल्लुक है, इस देश में दो नजरिये काम कर रहे हैं - एक तरफ सैकूलर ताकतें और दूसरी तरफ कम्यूनल ताकतें। असली लड़ाई सैकूलर और कम्यूनल ताकतों में है।

जब तक देश में फिरकापरस्ती, साम्प्रदायिकता खत्म नहीं होगी यह देश तरक्की नहीं कर सकता। श्री मुलायम सिंह ने उत्तर प्रदेश में फिरकापरस्ती के खिलाफ जंग छेड़ी है और आज भी लड़ रहे हैं। हमारी युनाईटेड फ्रंट की सरकार भी इस जंग को लड़ रही है। मैं यह कहूंगा कि जब तक साम्प्रदायिकता की लानत को दूर नहीं करेंगे तब तक यह मुल्क तरक्की नहीं कर सकता।

जहां तक मुसलमानों और अकलियतों का ताल्लुक है, मेरी सरकार से गुजारिश है कि वे इस देश में बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। इनका तालीमी विकास होना चाहिए। जब तक उनका तालीमी विकास नहीं होगा, इस देश का विकास नहीं हो सकता। आदमी उस वक्त तक हैल्दी नहीं कहा जा सकता जब तक कि उसके सारे आज़ा ठीक न हों। अगर यह पैरालाइज हो जाता है, मफलूज हो

जाता है तो उसको हम हैल्दी नहीं कहते। इसी तरह से हैल्दी सोसाइटी वही कहलाई जा सकती है जिसमें रहने वाले जितने भी तबके के लोग हैं, जितनी भी कम्यूनिटी के लोग हैं, उन सबका विकास हो। तभी हमारे देश का विकास मुमकिन है। आज चूंकि मुसलमान इस देश में तालीमी ऐतबार से पिछड़े हुए है, इसलिए हमने इस बात की मांग की है कि ..... *(व्यवधान)*

श्री एस.पी. जायसवाल (वाराणसी) : आपके सपोर्ट में मैं एक बात पूछना चाहता हूं। 50 वर्षों तक आपकी परिभाषा में जिन सैक्यूलर लोगों का शासन था, उन लोगों ने गरीब मुसलमानों को शिक्षा देकर खड़ा करने में क्या योगदान दिया है और साथ ही मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि इस राष्ट्रपति के अभिभाषण में क्या इस प्रकार की काई योजना है? अगर नहीं है तो देवेगौड़ा साहब को आप कैसे समर्थन दे रहे हैं?

डा. शफीकुर्रहमान बर्क : इस बात का जवाब दिया जाएगा। पहले मेरी बात सुन लें। बहरहाल, मैंने इस बात की मांग की है कि मुसलमानों के तालीमी विकास के लिए कम से कम एक हजार करोड़ रुपया इस बजट में रखा जाए जिससे कि वे इस देश के अंदर पिछड़े न रह सकें और हमारी तरह पिछड़े न कहला सकें।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : आप मांग कर रहे हैं। दिया तो नहीं है?

डा. शफीकुर्रहमान बर्क : सरकार देगी। दूसरी बात यह है कि मुसलमानों की सरकारी नौकरियों में नुमाइंदगी बिल्कुल न के बराबर है। .....*(व्यवधान)* मुसलमान पढ़े-लिखे भी हैं, तब भी नहीं लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जाहिल हैं। पढ़ने कि लिए तो कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी तनासुब के ऐतबार से मुसलमान बहुत कम पढ़े-लिखे हैं। मेरी गुजारिश है कि सरकारी नौकरियों में और जो तालीमी इदारे हैं, उनमें मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए। इस देश में 30 करोड़ मुसलमान हैं। कम से कम 20 परसेंट मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए और सरकारी नौकरियों में उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुसलमान बिल्कुल पिछड़ जाएंगे और इस देश की पर कैपिटा हर फील्ड में गिर जाएगी और देश तरक्कीयाफ्ता नहीं कहला सकेगा।

आज मुझे यह बात कहते हुए अफसोस हो रहा है कि लखनऊ में सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों को एक साल से तनख्वाह नहीं मिली है। एक साल से वे लोग भूखे मर रहे हैं। चार महीने उन्होंने भूख हड़ताल की लेकिन इसके बावजूद आज भी एक साल की उनकी तन्खवाह बाकी है। किस तरह से वह अपने बच्चों को पढाएं लिखाएं, किस तरह से वह जिन्दा रहें, मेरी अपनी सरकार से गुजारिश है कि फौरन गवर्नर को हिदायत दी जाए कि वह उनकी तनख्वाह दिलाएं जिससे कि सुचारू रूप से काम चल सके। बी.जे.पी. वालों को तो सिर्फ यह काम है कि राज्यपाल के खिलाफ बोलना है। ..... *(व्यवधान)*

श्री एस.पी. जायसवाल : सुन्नी बोर्ड और शिया बोर्ड को जो सपोर्ट मिला था वह आज नहीं मिल रहा है। ....*(व्यवधान)*

डा. शफीकुर्रहमान बर्क : भंडारी साहब ने कानून और व्यवस्था और एडमिनिस्ट्रेशन सही कर रखा है और आप लोगों को परेशानी हो रही है और आपका गवर्नर के खिलाफ सिर्फ एक ही नारा है। इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है कि जो सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के कर्मचारी हैं, एक साल से जिनको तन्खवाह नहीं मिली है, फौरन उनको तन्खवाह दिलाने की व्यवस्था की जाए। इस साल हम आजादी की गोल्डन जुबली मनाने जा रहे हैं लेकिन सबसे बड़ा काम इस बक्त यही होगा कि हम इस बात का जायजा लें कि 50 सालों में हमने देश के लिए क्या किया है, क्या कमियां हमसे हुई हैं। हम उन कमियों को दूर करने की कोशिश करें और देश के विकास के लिए ज्यादा काम करें, तभी यह देश आगे बढ़ सकेगा।

जहां तक मेरे क्षेत्र का मामला है, मैं मुरादाबाद से संसद का सदस्य हूं। ..... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलिए, क्षेत्र की समस्याओं पर बाद में बोलिएगा।

डा. शफीकुर्रहमान बर्क : यह भी बोला जा सकता है, उसकी सर्वे रिपोर्ट का एक रेफरेंस मैं दूंगा। तो उस सिलसिले में गवर्नमेंट की रिपोर्ट है।

सभापति महोदय : बजट के समय आपको लघु उद्योगों पर बोलने का मौका मिलेगा।

डा. शफीकुर्रहमान बर्क : हमारे साथ क्या नाइंसाफी हुई है वह मैं आपको बता देना चाहता हूं।

[अनुवाद]

मैं "मुरादाबाद में धातु हस्तशिल्प उद्योग की समीक्षात्मक अध्ययन (रिव्यू स्टडी ऑफ मेटल हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री इन मुरादाबाद) से उद्धृत करता हूँ" जिसमें कहा गया है :

"सर्वेक्षण से यह तथ्य उद्घाटित होता है कि वर्ष 1975-76 में कुल बिक्री 17.01 करोड़ रु0 की हुई थी जो कि 1980-81 में बढ़कर 72.09 करोड़ रु0 हो गई वर्ष 1985-86 में कुल बिक्री लगभग 102.89 करोड़ रु0 दर्ज की गई थी जो कि 1990-91 में बढ़कर 235.78 करोड़ रु0 तक पहुंच गई थी।

[डा. शफीकुर्रहमान बर्क]

कुल मिलाकर इस उद्योग ने अपने विकास की गति को बरकरार रखा और 1995-96 के दौरान इसकी कुल बिक्री 1200 करोड़ रु0 तक पंहुच गई और 1996-97 के दौरान यह 1700 करोड़ रुपये रही है।''

तो यह मुरादाबाद जो 17 सौ करोड़ डालर कमाकर देता है, लेकिन आज यहां पर बिजली की हालत यह है कि लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। आज लाखों सनतकार जो काम करते हैं वे भूखों मर रहे हैं। लेकिन 46 करोड़ की एक प्रोजेक्ट बनाई गई है, जो केन्द्र सरकार ने मंजूर कर ली है। मैं चाहूंगा कि 46 करोड़ का प्रोजेक्ट मुरादाबाद में बिजली के लिए और उसके विकास के लिए मंजूर हुआ है, सरकार इस काम को फौरन कराये और इस पैसे को रिलीज करा दे जिससे कि मुरादाबाद का विकास हो सके और 17 सौ करोड़ डॉलर जो हिंदुस्तान में 80 परसेंट स्माल स्केल इंडस्ट्रीज की आमदनी अकेले मुरादाबाद देता है और 20 परसेंट सारा हिंदुस्तान देता है।

सभापति महोदय : आप राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोल रहे हैं, बजट पर नहीं बोल रहे हैं, समय खत्म हो रहा है।

डा. शफीकुर्रहमान बर्क : यह भी उसी का ही हिस्सा है।

श्री एस.पी. जायसवाल : सभापति महोदय, मेरा अनुरोध है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए क्षेत्र की समस्याओं का जिक्र नहीं होना चाहिए, लेकिन इन्होंने किया है ....(व्यवधान)

डा. शफीकुर्रहमान बर्क : इसमें किया जा सकता है। असली मसला तो क्षेत्र की समस्या का है, क्षेत्र का विकास होगा तो देश का विकास का होगा। इसीलिए मैंने इसका जिक्र किया है और यह बहुत जरूरी है। हमारे सभी क्षेत्रों का विकास होना चाहिए, मेरे क्षेत्र का भी विकास होना चाहिए। मेरा क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो चाहूंगा कि मैं एक शेर के साथ अपनी बात समाप्त करूं।

आइने जवां मर्दा हक गोइयो बेबाकी,

अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही।

तो इन अल्फाज के साथ जो धन्यवाद प्रस्ताव आया है मैं उसकी पुरजोर ताईद करता हूँ और यह उम्मीद करता हूँ.....

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : जनाब आपकी सारी तकरीर तो मुखालफत में है।

डा. शफीकुर्रहमान बर्क : मैं तो ताईद कर रहा हूं मेरा एक-एक अल्फाज इसकी मुखालफत में है, क्योंकि जब तक बच्चा नहीं रायेगा मां उसको दूध नहीं पिलाएगी। इसलिए मैं अपने प्रधान मंत्री और सरकार से अपनी बात कह रहा हूँ ताकि मेरे जो मसाइल हैं या देश के जो मसाइल है, इसमें जो कमियां और भूल हो रही हैं वे दूर हो सकें। मुझे तो उम्मीद है मैंने जो बात कही है उन बातों पर गौर किया जाएगा और मेरे मुरादाबाद क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया जायेगा।

श्री नकली सिंह (सहारनपुर) : मैं एक शेर कहना चाहता हूँ:

मुझे मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है,
मगर दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है।

श्री कमालुल इस्लाम : आप तो जनाब मुखालफत कर रहे हैं।

शेरों की तरह जिनसे डकारा नहीं जाता,
इज्जत की तरह उनको पुकारा नहीं जाता,
मयखाना-ए-करम में पीने नहीं देती,
दुनिया नामर्द को जीने नहीं देती।

सभापति महोदय : यह शेरो-शायरी खत्म कीजिए और भाषण होने दीजिए।

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पिछले कई दिनों से चर्चा हो रही है, मैं भी उसमें शामिल होता हूँ और शामिल होकर मैं यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो कुछ लिखा गया है उसकी कथनी और करनी में बहुत ही अंतर है।

मैं यह भी समझता हूं कि राष्ट्रपति जी जैसी रैस्पैक्टेबल पर्सनैलिटी से जो बातें कहलाई गई, वे बहुत शर्मनाक हैं और सच पर आधारित नहीं हैं। असलियत को सीधी तरह से न कहकर, शब्दजाल के जरिए लिखवाया गया है। यह देश की बदकिस्मती है कि यहां जो डैवलपमेंट हुई, वह बैलैन्सड डैवलपमैंट नहीं हुई, अनप्लांड डैवलपमैंट हुई जिससे सोने की चिड़िया कहलाने वाला यह देश आज इस स्थिति में आ गया है कि यहां 37 परसेंट लोग पावर्टी लाईन के नीचे आ गए, जिनके पास न रहने के लिए मकान है, न खाने के लिए रोटी है और न पहनने के लिए कपड़े हैं।

हमारे देश में अब तक 8 पंचवर्षीय योजनाएं कम्पलीट हो चुकी हैं जिनसे इस देश के 10 परसेंट लोगों को भी फायदा पहुंच सका और 90 परसेंट लोग उसके लाभ से वंचित रह गए। यही कारण है कि इस देश में गरीब और गरीब होता गया तथा अमीर और अमीर होता गया। देश में गरीबी और अमीरी का अंतर लगातार बढ़ता गया। इस स्थिति के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो मैं समझता हूं कि सैन्ट्रेलाइज्ड पोलिसी और पोलिटिकलाईजेशन जिम्मेदार है जिसके कारण देश की ऐसी दुर्दशा हो रही है। इस देश में पार्लियामेंट जैसी संस्थाओं के माध्यम से चाहे जो भी सरकार हो, उसे फ्यूचर प्लान ऐसे बनाने चाहिए जिससे देश के लोगों का समुचित एवं सुनियोजित विकास हो सके, मगर ऐसा हुआ नहीं।

राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में सरकारिया कमीशन के हवाले से स्टेट्स को मोर पावर देने की बात तो कही गई है, मगर आज तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ। सरकारिया कमीशन ने जो सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश की थी वह धारा 356 को लेकर थी लेकिन आज हम देख रहे हैं कि धारा 356 को यू.पी. में किस बेदर्दी से बरता जा रहा है। इससे दिखाई देता है कि सरकारिया कमीशन की एक सिफारिश को भी यह सरकार लागू नहीं करना चाहती।

देश के विकास के लिए योजनाएं बनाते समय देश के पिछड़ेपन को नहीं भांपा गया बल्कि पोलिटिकल लाभ को सामने रखकर योजनाएं बनीं। उसी का नतीजा है कि देश की ऐसी हालत बनती जा रही है। शिरोमणी अकाली दल ने देश के हित को सामने रखकर, देश के लोगों के हित को देखते हुए, इस देश के लोगों के कल्चर को, बोली को, जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, आज से 25 वर्ष पहले जो सुझाव रखे थे - मोर पावर्स टू दी स्टेट्स - उसके बिना आज देश तरक्की नहीं कर सकता।

मुझे इस बात की खुशी है कि कांग्रेस को छोड़कर देश की हर पार्टी ऐसा महसूस करती है कि देश के डैवलपमैंट के लिए, यहां के लोगों की खुशहाली के लिए, देश के लोगों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए - मोर पावर्स टू दी स्टेट्स - जरूरी है। मुझे खेद है कि कांग्रेस पार्टी जो लोगों को बांटकर, फूट डालकर, अब तक अपनी राजनीति इस देश में चलाती रही, जो चर्चा शिरोमणि अकाली दल ने आनन्दपुर साहब समझौते में की है, कांग्रेस के कुछ मित्रों ने इसका डटकर विरोध किया है। ऐसा लगता है कि उन्होंने अभी तक इस बात को भांपा नहीं है कि मुल्क की हालत कैसी है क्योंकि देश के विकास के नाम पर जिस तरह लूट हो रही है, टेलिविजन के जरिए देश के विकास की बात कही गई, लेकिन टेलिफोन स्कैंडल सामने आ गया, देश की रक्षा की बात कही गई, जिसके लिए बोफोर्स सौदा किया गया और बोफोर्स स्कैंडल सामने आ गया, देश की इकोनौमी आगे ले जाने की बात कही गई, उसके लिए शेयर फ्लोट किए गये, उसमें भी स्कैंडल सामने आ गया।

सभापति महोदया, देश के लोगों को चीनी देने के मामले में हजारों करोड़ रुपयों का घोटाला कर लिया। इस प्रकार से जो भी काम ऐसे हो रहे हैं उन सब से यही बात सामने आ रही है कि जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसकी जांच होनी चाहिए और यह बात सरकार को माननी चाहिए कि ऐसा हो रहा है और उसकी जांच करनी चाहिए।

सभापति महोदया, आज देश के लोगों में रिजेंटमेंट है। उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा देश के हर प्रदेश की अपनी एक राजधानी है, लेकिन पंजाब की अपनी राजधानी नहीं है। बोली के आधार पर देश में कई सूबों का निर्माण किया गया, लेकिन पंजाब में पंजाबी भाषा के ऊपर आधारित सूबा बनाते समय भी पंजाब के कुछ हिस्से का डिस्प्यूट अभी भी है। इसी प्रकार से वाटर डिस्प्यूट है। देश का बहुत पुराना एक रिपेरियन ला बना हुआ है। परम्पराएं बनी हुई हैं, मान्यताएं बनी हुई हैं, लेकिन उनको मानकर पंजाब को उसका अपना पानी भी देने के लिए तैयार नहीं है। इस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। मेरा सरकार से कहना कि इस प्रकार के जो भेदभाव हो रहे हैं उनका खत्म किया जाना चाहिए।

सभापति महोदया, जो पिछड़े राज्य हैं उनको और अधिक स्वायत्तता मिलनी चाहिए। राजीव-लौंगोवाल अकार्ड में इसका उल्लेख किया गया है और सरकारिया कमीशन ने भी इसकी सिफारिश की है, लेकिन इस सरकार ने उस बारे में कोई बात नहीं मानी है। इसलिए मैं कहता हूं कि इनकी कथनी और करनी में बहुत अन्तर है।

मैडम चेयरमैन, 26 जनवरी को प्रेसीडेंट साहब ने जो नेशन के नाम एड्रेस किया, उसमें उन्होंने बड़ी हृदयविदारक बात कही। हमारे देश में भ्रष्टाचार फैल रहा है और भ्रष्टाचारी और आंतकवादी मिल कर काम कर रहे हैं। राजनीति का स्तर नीचा होता जा रहा है। यह उनको क्यों कहना पड़ा, क्योंकि आज देश की स्थिति ऐसी है, उसको देख कर कहना पड़ा। ऐसा क्यों हो रहा है। भ्रष्टाचार क्यों फैल रहा है, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है। जब एडमिनिस्ट्रेशन फोन के लिए टेंडर काल करता है, तो उसमें कानूनों को पीछे रखा गया। उससे स्कैंडल हुआ। इसी तरह से चारे के बारे में कोई कानून नहीं माना गया, तो स्कैंडल हुआ। इस प्रकार से प्रशासकीय स्तर पर जो बातें हो रही हैं उनके कारण भ्रष्टाचार फैल रहा है।

मैडम चेयरमैन, जब 1984 में कत्लेआम हुआ, तो यह भी एडमिनिस्ट्रेशन की फेल्योर थी, जिसको मेरे मित्र दंगा कहते हैं। मैं कहता हूं कि वह दंगा नहीं था वह सरेआम कत्लेआम था जिसमें एक वर्ग के लोगों को भेड़-बकरियों की तरह मारा गया और हजारों विधवाएं बना दी गईं और कानून को हाथ में लेकर लोगों ने एक वर्ग के आदमियों को जिन्दा जला दिया और औरतों की इज्जत लूटी। उस समय कोई कानून नहीं था। आज यदि कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो इस देश के सदन में उस एक्सीडेंट में मरने वाले लोगों की आत्माओं की शांति के लिए मौन रखा जाता है, लेकिन उस समय तीन हजार लोगो का कत्लेआम कर के मार दिया गया और इस हाउस में उनकी आत्माओं की शांति के लिए एक शब्द भी नहीं बोला गया। इससे बेगानेपन की भावनाएं ही उस वर्ग के मन में पैदा हुई। यह सारी जिम्मेदारी इस देश के प्रशासन की है। बल्कि उस समय के बहुत से नेताओं को तो उस समय की सरकार ने मंत्री पद देकर उनको नवाजा था।

[प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा]

सभापति महोदया, जब बड़ा पेड़ गिरता है, तो धरती कांपती है। यही हुआ और दिल्ली की एक अदालत के एक माननीय न्यायधीश ने एक फैसला दिया कि जो लोग 1984 के कत्लेआम के लिए जिम्मेदार हैं उनकी पहचान की जाए, लेकिन उस बारे में कुछ भी नहीं किया गया बल्कि उससे जुड़े हुए लोगों को मंत्री बनाया गया। कहां गया आपका सैकुलरिज्म और कहां गई आपके देश की एकता और अखंडता। आप नारे देते हैं सैकुलरिज्म के। मैं तो कहता हूं कि यहां पर दो ही पार्टियां हैं। एक धर्म को मानने वाली पार्टी है और दूसरी धर्म को न मानने वाली अधर्मी पार्टी है। इस सरकार ने जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनको जेल में डाल दिया और जो अधर्मी लोग हैं उनको असरदार बना दिया। जिन्होंने कत्लेआम किया उनको मंत्री बना दिया और यह सरकार अपने को मायनारिटी सरकार और कानून की रक्षक कहती है। मैं कहना चाहता हूं कि उस कत्लेआम में किन लोगों का हाथ था, देवेगौड़ा जी की सरकार यह बताए कि किस-किस व्यक्ति की इन्होंने पहचान की है? ऐसी जो सरकार है, उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। यही मेरे एक मित्र बोल रहे थे कि फार्मर्स के लिए हम बाहर से जो कनक मंगा रहे हैं, उसके मूल्य में कोई फर्क नहीं है। वह जानबूझकर बोल रहे हैं या उनको समझ नहीं थी। क्यों फर्क नहीं है? देश के किसान को पिछले साल कनक का मूल्य 380 रुपये क्विंटल दिया था और विदेशों से वे 600 रुपये क्विंटल के करीब मंगा रहे हैं। आज भी ऐलान किया गया कि वह 415 रुपये क्विंटल किया गया है। कहते हैं कि किसान को सपोर्ट प्राइस देते हैं लेकिन आज दिल्ली की मार्केट में कनक 600 रुपये क्विंटल बिक रही है। तो किसान की सपोर्ट प्राइस क्या हुई? खाद्य की कीमतें बढाई गयी हैं। इसी तरह लांग रन का कोई प्लान नहीं है। पावर क्राइसेस इस देश में आ रहा है। अखबारें बोल रही हैं, इक्नोमिस्ट कह रहे हैं कि पावर क्राइसेस के संकट को हल करने के लिए हाईडल प्रोजेक्ट बनाना चाहिए लेकिन उसके लिए कोई तैयार नहीं है। कोई पैसा नहीं रखा गया है।

सभापति महोदया, आज देश की बात कही जाती है। रावी का पानी पाकिस्तान को जा रहा है। 1965 से वहां थीन डैम बनाने को कहा जा रहा है। 85 करोड़ रुपये में वह थीन डैम बन जानी थी और वह पानी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को भी मिल सकता था तथा उससे बिजली भी पैदा की जा सकती थी, खर्च भी कम आना था लेकिन आज 2650 करोड़ रुपये उस प्रोजेक्ट की कास्ट हो गई है। बिजली भी नहीं मिल रही और पानी भी वहां जा रहा है। यह सरकार कैसे इस देश की राखी है। इस सरकार के जो बने-बनाये भाषण हैं, रिवायती भाषण हैं, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूं और इस हाउस से विनती करता हूँ कि इस प्रस्ताव को पास नहीं किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : सदन की अनुमति हो तो आज की कार्यवाही आधे घंटे और बढ़ा दी जाये।

कई माननीय सदस्य : ठीक है। आप बढ़ा दीजिए।

सभापति महोदय : इसके बाद कृपा करके जितने भी मैम्बर्स बोलें वे समय का ध्यान रखें।

अपराह्न 6.50 बजे

[**श्री पी.एम. सईद** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

श्री सी. नारायण स्वामी (बंगलौर-उत्तर) : सभापति महोदय, मैं आपको राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूँ।

चर्चा के दौरान जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं उन्होंने अभिभाषण के विभिन्न पहलुओं का जिक्र किया है। इस अवसर पर मैं अभिभाषण के कुछ ऐसे पहलुओं का उल्लेख करना चाहता हूँ जिनमें संयुक्त मोर्चा सरकार की उस बुनियादी विचारधारा अथवा नीतियों के बारे में बताया गया है। जिन्हें सरकार के साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया है। साझा न्यूनतम कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में राज्यों को सत्ता का अंतरण भी सम्मिलित है। भारत एक संघीय देश है।

अपराह्न 7.00 बजे

संविधान के अन्तर्गत हमारा देश राज्यों का संघ है। स्वतंत्रता के बाद हमारा यह अनुभव रहा है कि अधिक से अधिक शक्तियां केन्द्र के पास केन्द्रित होती जा रही हैं तथा राज्य मात्र नगरपालिका बनते जा रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में मैं यह अनुभव करता हूं कि विभिन्न राजनैतिक दलों ने विशेषतः क्षेत्रीय दलों ने, जो यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि नई सरकार द्वारा इस देश में राज्यों को अधिक से अधिक शक्तियों का अंतरण किया जाए, श्री एच. डी. देवेगौड़ा को संयुक्त मोर्चा सरकार का नेता चुना है।

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संयुक्त मोर्चा सरकार ने अन्तर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकें बुलाई हैं तथा राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन बुलाए हैं जिनमें ऐतिहासिक निर्णय लिए गये हैं अभी और भी निर्णय लिए जाने हैं। मुख्यमंत्रियों के सम्मेलनों में लिए गये निर्णयों में से एक निर्णय इस देश की जनता को बुनियादी न्यूनतम सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रावधान से संबंधित है। स्वतंत्रता के पचास वर्षों के बाद तथा देश में नियोजित विकास के अन्तर्गत इस संबंध में किए गये प्रयासों के बावजूद भी हम जनता को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाए हैं।

. इस कार्यक्रम में शामिल सुविधाओं में प्रत्येक क्षेत्र में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, बेघर लोगों को सार्वजनिक आवासीय सहायता प्रदान करना, गांवों को सम्पर्क सड़कों के माध्यम से नजदीक के बाजारों और मुख्य सड़कों से जोड़ना, स्कूल जाने से पूर्व तथा प्रारम्भिक शिक्षा के समय ग़रीब परिवारों के बच्चों को पोषाहार उपलब्ध कराना, सभी को अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा देना, शिक्षा का प्रचार करना, पांच हजार व्यक्तियों के समूह के लिए बेहतर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा गरीबों के लाभार्थ सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कारगर बनाना शामिल है।

इन बुनियादी सेवाओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संयुक्त मोर्चा सरकार ने अपने पहले बजट में राज्यों को 2242 करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया है।

चालू वर्ष के लिए बजट सभा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। वर्तमान बजट में इस कार्य के लिए आवंटन में काफी वृद्धि की गई है। 3000 करोड़ रुपये के आवंटन में 300 करोड़ रुपये गंदी बस्तियों के विकास अर्थात् इन बस्तियों में आवास का निर्माण के लिए निर्धारित किए गये हैं।

इस अभिभाषण में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए रियायती दरों पर खाद्यान्न मुहैया कराने का भी प्रावधान किया गया है। आगामी वर्ष के बजट में जो हमारे समक्ष प्रस्तुत है इस प्रयोजनार्थ 8000 करोड़ रुपये की राज-सहायता का प्रावधान है। मैं इस योजना के बारे में उल्लेख करना चाहता हूँ क्योंकि इस बजट में शामिल विभिन्न योजनाओं के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री श्री देवगौड़ा का व्यक्तिगत रूप से जिक्र किया गया है। इन योजनाओं में से यह ऐसी योजना है जिसे हमारे देश के दक्षिणी राज्यों - आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में सर्वप्रथम शुरू किया गया है। कर्नाटक में जब जनता सरकार ने सत्ता संभाली तो उसने 2 रुपये प्रति किलो चावल की योजना शुरू की थी। बाद में जब श्री एच.डी. देवेगौड़ा मुख्यमंत्री बने तो यह योजना जिसे पूर्ववर्ती सरकार ने समाप्त कर दिया था और जो कर्नाटक राज्य के गरीब लोगों को खाद्यान्न देने के लिए थी, पुनः प्रारंभ किया गया।

अब इस योजना को सम्पूर्ण देश में लागू करने की बात की गई है। आन्ध्र प्रदेश राज्य जैसे जो राज्य सस्ते दामों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के पक्ष में थे उन्हें भी इस योजना को लागू करने के वित्तीय भार को सहना कठिन लगा। यह उचित है कि मैं आपके माध्यम से इसके लिए सरकार को बधाई देता हूं कि उसने इस बात की परवाह न करते हुए कि इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर हजारों करोड़ रुपये खर्च होंगे, इसे शुरू किया। इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि खाद्यान्नों की आपूर्ति प्रमुख तौर पर गेहूं और चावल इस योजना में शामिल हैं। मुझे विश्वास है, हमारे देश में कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों के कुछ ऐसे भाग हैं जहां ज्वार अथवा रागी जैसे स्थानीय खाद्यान्नों को मुख्य योजना के रूप में प्रयोग किया जाता है। विशेषतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग गेहूं इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसे क्षेत्रों में कुछ लोग चावल खाते हैं क्योंकि कर्नाटक में यह प्रथा है। एक समय मैं खाद्यान्न बांटने के कार्य में शामिल था। राज्य सरकार की भंडारण योजना के अंतर्गत रागी अथवा ज्वार जैसे खाद्यान्नों के भंडारण की एक योजना थी। सहायता प्राप्त श्रेणी के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण के माध्यम से इन्हीं खाद्यान्नों का इस्तेमाल किया गया था।

मेरा अनुरोध है और आपके माध्यम से यह सुझाव है कि इस पुनर्गठित योजना को लागू करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे ही कदम उठाए जाएं। जहां पर स्थानीय खाद्य की खपत भिन्न हो और जहां पर गेहूं की खपत न हो, भंडार किए गये खाद्यान्न को लिया जाए जिसमें किसानों को इनके उत्पादन को बढ़ाने तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य जोकि उन्हें नहीं मिल रहा है, के लिए प्रोत्साहित करेगा।

वितरण प्रणाली को सुचारू बनाना होगा ताकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को दिये जाने वाले लाभ उनको ही मिलें न कि असामाजिक तत्वों द्वारा इनका दुरुपयोग हो।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में विकेन्द्रीकरण को मजबूत कराने के केन्द्र सरकार के प्रयासों का उल्लेख है। हम सबको इस तथ्य की जानकारी है कि सांविधिक प्राधिकार और स्थानीय स्वशासी संस्थानों की स्थापना और इन्हें जारी रखने को मान्यता देने हेतु संविधान में संशोधन किया गया था। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायतों की स्थापना का प्रावधान किया गया है जोकि एक या दो स्थानों को छोड़कर सारे देश में स्थापित की गई हैं। अब 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों की स्थापना की अनिवार्यता है जोकि हमारे देश में स्थापित की जा चुकी है। यह भी सच है कि संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत राज्य की पंचायतों की स्थापना तथा उन्हें ऐसी शक्ति और प्राधिकार देने का अधिकार है जो उन्हें स्वशासित संस्थान के रूप में कार्य करने हेतु सक्षम बनाए। इसका उल्लेख संविधान संशोधन में किया गया है। राज्य सरकार के लिए न केवल पंचायतों की स्थापना आवश्यक होगी बल्कि उन्हें स्वशासित संस्थाओं के रूप में कार्य करने में इन स्थानीय स्वशासित संस्थानों को सक्षम न बनाने हेतु शक्ति और प्राधिकार देना होगा। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब हम देश में राज्यों की ओर नजर डालते हैं, जब हम उन विभिन्न प्रावधानों की बात करते हैं जो संविधान संशोधनों के बाद लाये गये, जिनमें वह अधिनियम भी लाया गया जो कर्नाटक में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा 1983 के पूर्व के जिला परिषद अधिनियम को निरस्त करके लाया गया था, जहां

[श्री सी. नारायण स्वामी]

तक वित्त आयोग, राज्य चुनाव आयोग की स्थापना तथा संविधान संशोधन की अनुसूची में उल्लिखित विभिन्न कार्यक्रमों को सूचीबद्ध करने का भी प्रश्न है इसका केवल उल्लेख किया गया है।

लेकिन इन पंचायत राज संस्थानों तथा स्थानीय निकायों को स्वायत्तशासी निकाय अथवा स्वशासित निकायों के रूप में कार्य करने हेतु पर्याप्त शक्ति प्रदान करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।

मेरे राज्य कर्नाटक के एक अन्य माननीय सदस्य, श्री अनंत कुमार एक दिन कर्नाटक में इन संस्थानों की दयनीय स्थिति के बारे में बता रहे थे। लेकिन महोदय, मैं आपके माध्यम से उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि वर्तमान अधिनियम को इस समय की जनता दल सरकार ने पुरःस्थापित नहीं किया था, जनता सरकार 1980 में कर्नाटक में एक आदर्श पंचायत राज व्यवस्था लाई, इस अधिनियम को बाद की सरकार ने निरस्त कर दिया था।

नाईक समिति ने राज्य अधिनियम में संशोधनों के प्रश्न पर विचार किया। मेरा राज्य सरकार से यही अनुरोध है कि इस अधिनियम में संशोधन करने या इसे पहले वाले अधिनियम को फिर से अस्तित्व में लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं ताकि वर्तमान संविधान संशोधन अधिनियम के विद्यमान प्रावधानों की व्यवस्था की जा सके .... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं आपको तभी अनुमति दे सकता हूं जब वे चुप रहें।

श्री सी. नारायण स्वामी : महोदय, समय बीतता जा रहा है और मैं दो और महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूं। मैं सभापति महोदय का अनुग्रह चाहता हूं .... *(व्यवधान)*

बहुत लम्बे समये से इन संस्थानों के चुनाव नहीं हुए थे, संविधान (संशोधन) विधेयक के बारे में सोचा गया था। हमारे यहां दूसरे संस्थान सहकारी संस्थान हैं - जहां प्रजातंत्र निचले स्तर पर कार्य कर रहा है। जिन राज्यों में लगातार कई वर्षों से इन सरकारी संस्थाओं के लिए चुनाव नहीं किए गये हैं उनका अनुभव दुखद रहा है। ये सहकारी संस्थान जो अन्यथा निर्वाचित निकाय थे, कई वर्षों से प्रशासन के अधीन काम कर रहे हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं पंचायती राज अधिनियम के अनुरूप संविधान संशोधन लाने के लिए कदम उठाएं ताकि ये सहकारी संस्थाएं संवैधानिक निकाय बन सकें जिससे उनके अस्तित्व को वैधानिक शक्ति मिल सके और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी सेवा कर सकें।

माननीय सदस्यों को यह मालूम है कि आंठवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए 30,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। अब नौंवी योजना के अंतर्गत इसे दोगुना कर दिया गया है और अब यह 60,000 करोड़ रुपये है जो ग्रामीण रोजगार योजनाओं सहित कृषि और ग्रामीण विकास के लिए आवंटित राशि है। इस अतिरिक्त आवंटन का श्रेय श्री एच.डी. देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली सरकार को जाना चाहिए। विभिन्न नई योजनाएं जैसे ज्वरित सिंचाई विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया है जिसमें अगले वर्ष के लिए 1,300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है और ड्रिप सिंचाई सुविधाओं, कृषि संबंधी मशीनरी आदि के लिए राजसहायता देने का भी प्रावधान किया गया है।

आरक्षण के बारे में मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ। न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यह शामिल है। संयुक्त मोर्चा सरकार ने आश्वासन दिया है कि संविधान सभाओं और लोक सभा में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रावधान करने हेतु उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे। सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के बारे में भी जिक्र किया गया है। महोदय, मैं आपके जरिए इस महान सभा में सभी दलों के नेताओं से अनुरोध करता हूँ कि वे इस मुद्दे पर आम सहमति पर पहुंचें। मैं यह भी अनुरोध करता हूँ कि वे यह सुनिश्चित करें कि आरक्षण देने के इस विधेयक को इस महान सभा के इसी सत्र में पारित किया जाए।

एक अन्य मद है जो अभी लम्बित है और वह है इस श्रेणी के अन्तर्गत दलित इसाईयों के लिए आरक्षण। क्यों इसकी अलग से व्यवस्था की जाए या इसे आरक्षण के अंतर्गत लाया जाये जैसा कि नव-बौद्धों या बौद्ध धर्म में परिवर्तित अनुसूचित जाति के लोगों के लिए किया गया था, पर भी विचार किया जा सकता है। श्री देवेगौड़ा जब कर्नाटक में थे तो यह पहला राज्य था जिसने स्थानीय निकायों जैसे तालुक पंचायत और जिला पंचायत में आरक्षण शुरू किया जिनमें अल्पसंख्यकों जैसे इसाईयों, मुस्लिमों, जैनों, सिक्ख और बौद्धों सहित पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण है और यह अभी भी लागू है और इस श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान है।

इन शब्दों के साथ, माननीय अध्यक्ष को मुझे बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देते हुए, मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : माननीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में लघु उद्योग के विकास के विस्तार के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में जब तक लघु उद्योगों का जाल नहीं बिछाया जाएगा, तब तक ग्रमीण अंचल

का विकास नहीं होगा और न ही ग्रामीण क्षेत्र की तरक्की होगी। महात्मा गांधी जी और चौधरी चरण सिंह जी का सपना था कि देहात के क्षेत्र में अधिक से अधिक कृषि पर आधारित उद्योग लगाए जाएं, छोटे-छोटे उद्योग लगाए जाएं।

हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। कृषि इस देश की रीढ़ की हड्डी है। जब तक देश में कृषि पर आधारित उद्योगों का ग्रामीण अंचल में जाल नहीं बिछाया जाएगा, रोजगार के साधन नहीं बढ़ पाएंगे। मैं संक्षेप में एक उदाहरण देना चाहूंगा। सन् 1994-95 में हमारे देश में 65.5 मिलियन टन गेहूं पैदा हुआ था और 1995-96 में उत्पादन में गिरावट आ गई। गेहूं के उत्पादन में कमी आ गई और गेहूं का आयात करना पड़ा। 1994-95 में गन्ना किसान ने बड़े पैमाने पर अपने खेत खाली करके गेहूं बो दिया था। 1995-96 में गन्ना किसान ऐसा नहीं कर सके। जब तक गन्ना किसानों की बड़े उद्योगों पर निर्भरता बनी रहेगी, गेहूं का उत्पादन नहीं बढ़ेगा। मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। अगर छोटी खांडसारी इकाई जिसकी क्रशिंग पांच हजार क्विंटल प्रतिदिन हो, यदि उसको नियमित कर दिया जाए और उसको लाइसेंस मुक्त कर दिया जाए तो चीनी की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा और उसकी रिकवरी 6 प्रतिशत से बढ़कर 10 प्रतिशत हो जाएगी। चार प्रतिशत राष्ट्रीय हानी भी बचेगी और इस विधि को लागू होने के बाद गन्ना किसान की जो आर्थिक दुर्दशा हो रही है, उसके स्थान पर गन्ना किसान 150 क्विंटल प्रतिदिन गन्ने का भाव ले सकते हैं। क्योंकि यदि स्वयं मालिक चलाएगा तो बड़े उद्योगों से उसकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी और उसकी रिकवरी भी अधिक होगी। अभी तक बड़ा उद्योग हमारे देश में चीनी का है, उसमें अनुसंधान करके न तो पॉवर अल्कोहल बन पाया और न रबड़ बन पाया जबकि दुनिया भर में 80 लाख वाहन पॉवर अल्कोहल से चल रहे हैं और गन्ने के सीरे से अल्कोहल के द्वारा बूटादिरस्टाईडीन बन सकती है तथा बूटादिरस्टाईडीन से बड़े पैमाने पर सिन्थेटिक रबड़ बन सकती है। हमारे यहां बरेली में बूटादिरस्टाईडीन आयात करके सिन्थेटिक रबड़ बनाया जा रहा है।

हमारे देश में तारकोल की सड़क बार-बार खराब हो जाती है। फ्रांस की तरह हमारे यहां रबड़ का उत्पादन बढ़ेगा तो यहां भी रबड़ की सड़कें बनाई जा सकती हैं जिनकी लाइफ भी लम्बी होगी और जिसमें धन का दुरूपयोग भी बचेगा और भ्रष्टाचार के द्वारा पैसा भी कम खाया जाएगा।

दूसरी बात, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में विद्युत की कमी के बारे में जिक्र नहीं किया है। देश में विद्युत का उत्पादन गिर रहा है। हमारे ग्रामीण अंचलों में चीनी के उद्योग चल रहे हैं और ग्रामीण अंचलों में गन्ने के उद्योग विद्युत बना रहे हैं। ये उद्योग विद्युत का उत्पादन प्रतिदिन दस मेगावट कर सकते हैं। जापान हम से कच्चा लोहा खरीद रहा है और जापान दुनिया में पक्के लोहे के क्षेत्र में एक आर्थिक शक्ति बन गया है। हाई प्रेशर बॉयलर लगा कर अगर हम अपने देश में इन चीनी उद्योगों को राहत दें, उत्पादन कर में छूट दें तो वे बिजली का उत्पादन प्रतिदिन दस मेगावाट कर सकते हैं। इतने उत्पादन से तीन फरनेस चल सकती हैं और तीन फरनेस से चलने से छः हजार टन पक्का लोहा हमारे देश में इन उद्योगों से बन सकता है। इससे चीनी उद्योगों को आमदनी होगी। जब चीनी उद्योगों की आमदनी होगी तो किसानों को आमदनी होगी और उनको अपने गन्ने की कीमत 150 रुपये प्रति क्विंटल मिल सकेगी। इससे देश को भी लाभ होगा।

मैं आपके समक्ष इतना ही कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इन बातों का उल्लेख नहीं है। यदि सरकार इस बात को अमल में लाती है, तो हमारे देश से परमानेंट गेहूं का निर्यात होगा और चीनी का निर्यात होगा। स्थायी तौर पर कच्चा लोहा बाहर भेजने की जरूरत नहीं होगी और कच्चे लोहे को बाहर भेजने में कमी आएगी तथा विदेशी मुद्रा की बचत होगी। चूंकि राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में इन बातों का जिक्र नहीं है, इसलिए मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री शिवानंद एच. कौजलगी (बेलगाँव) : सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति द्वारा दिये गये इतने उत्कृष्ट भाषण के लिए श्री शरद पवार द्वारा पेश किए गये धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। समाज के प्रत्येक वर्ग में फैलती जा रही प्रतिक्रियावादी और साम्प्रदायिक शक्तियों पर रोक लगाना ही इस सरकार की प्रमुख उपलब्धि रही है। राजनीतिक शक्तियों और अपने पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सम्बन्धों को सुधारकर सरकार ने एक प्रशंसनीय कार्य किया है।

आर्थिक ढाँचे की तस्वीर बहुत उत्साहजनक रही, जो एक तरफ तो देश में संसाधन जुटा रही है और दूसरी ओर विदेशी निवेश आकर्षित कर रही है। सरकार ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है। संयुक्त मोर्चा सरकार के सत्ता में आने के पश्चात् सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सुधार होना शुरू हुआ है जो पहले कुप्रबन्ध के कारण वित्तीय रूप से ठीक नहीं चल रहे थे ये एक अच्छी बात है।

केन्द्र में संयुक्त मोर्चा सरकार के सत्ता में आने के पश्चात् कुल मिलाकर देश को लाभ हुआ है। हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा शुरू किए गये सफल विकास कार्यों को विश्व के अनेक देश काफी रुचि से देख रहे हैं। विगत आठ-नौ महीनों में किये गए उत्कृष्ट कार्य के लिए मैं प्रधानमंत्री और उनके संपूर्ण मंत्रिमण्डल को बधाई देता हूँ।

मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि वस्त्र मंत्रालय, बेलगाँव में फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की एक इकाई की स्थापना करे। बहुत समय से यह परियोजना उनके मंत्रालय में लम्बित पड़ी है।

[श्री शिवानन्द एच. कौजलगी]

दूसरे, मेरा अनुरोध है कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध लड़ने वाली रानी किट्टूर चेन्नमा के नाम से किट्टूर में महिलाओं के लिए एक विश्वविद्यालय खोलने की मंजूरी दी जाए।

तीसरे, बेलगांव जिले में सांगालु में यूथ होस्टल का निर्माण तथा येल्लमगड्डु और सोगालु में ''यात्रिका'' अथवा यात्री निवास का निर्माण किया जाना चाहिए। यह प्रस्ताव मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास लम्बित पड़ा है और इन्हें तुरन्त मंजूरी दिये जाने की आवश्यकता है।

तदन्तर मेरी प्रार्थना है कि किट्टूर रानी चेन्नम्मा - जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी के विकासार्थ धनराशि जारी की जानी चाहिए। यह अति अनिवार्य है। मैं यह भी निवेदन करता हूं कि राज्य की जो मुख्य परियोजनाएँ केन्द्र सरकार के पास लम्बित हैं, उन्हें मंजूरी दी जानी चाहिए।

श्री पी. सी. थामस (मुक्तुपुझा) : मान्यवर, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण सम्बन्धी धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा।

सभापति महोदय : मैं पहले से ही आपको धन्यवाद दे देता हूं। आपके पूर्ववर्ती दोनों वक्ता बड़े ही संक्षेप में और सम्पूर्ण बोले।

श्री पी.सी. थामस : हां, मेरे पास विकल्प हैं। मैं शायद भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन करता। एक दिन ऐसा भी आयेगा जब मैं उनका भी समर्थन करूंगा क्योंकि उनकी नीति में भी परिवर्तन हुआ है। हम मानते है कि एक ऐसा भी समय था जब यह महसूस किया जाता था कि साम्प्रदायिकता का नारा दे कर ही किसी पार्टी को ऊपर उठाया जा सकता है - जिसके कारण कोई दल - मैं उस दल का नाम नहीं लूंगा - उस नारे का प्रयोग करने में सफल होगा। अतः ऐसा समय है जबकि हम सब लोगों को मिलकर ऐसे रास्ते ढूंढने चाहिए जिससे इस देश की आर्थिक व्यवस्था में सुधार किया जा सके और देश की अखण्डता बरकरार रखी जा सके और इस देश की संस्कृति को बचाया जा सके। जिसे हमने इतने लम्बे अरसे से ग्रहण किया है।

महोदय, मैं संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा शुरू किये गए अनेक कार्यक्रमों का समर्थन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम शुरू किया गया है वह देश के निर्धन वर्ग के लिए है। मुझे खुशी है कि मूलभूत न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए इस वर्ष के बजट में कुछ राशि का प्रावधान किया गया है।

महोदय, मैं गरीबी रेखा जैसे महत्वपूर्ण पहलू पर कुछ कहना चाहूंगा। 11,000 रुपये प्रति वर्ष से कम आय वाले लोगों को गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाला माने जाने का मापदण्ड अपनाया गया है। अब जब कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले को कुछ लाभ देने का समय आया है, तो मैं समझता हूं कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का अवधारण करने के मापदण्ड को पुनः जांचा जाना चाहिए। यह राशि कम से कम 18,000 रुपये प्रति वर्ष निर्धारित की जानी चाहिए। मूल्यों में वृद्धि हुई है और मुद्रा स्फीति भी बढ़ी है। यह सब किसी एक व्यक्ति या सरकार की असफलता के फलस्वरूप नहीं हुआ। यह मूल्य वृद्धि अनेक कारणों से हुई है और यह एक तथ्य है। मेरा सुझाव है कि गरीबी रेखा का निर्धारण मापदण्ड 11,000 प्रति वर्ष की आय से बढ़ाकर 18,000 प्रति वर्ष किया जाए ताकि जो लाभ सरकार देने जा रही है वह अधिक लोगों तक पहुंचे।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र में वेतन वृद्धि से काफी लोगों को फायदा होगा। यह एक अच्छी बात है। हम सब इसका समर्थन करते हैं। वेतनभोगी लोगों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। पर लोगों का एक वर्ग ऐसा है जिन्हें वेतन के रूप में एक पाई भी नहीं मिलती। मजदूरों का बड़ा वर्ग ऐसा है जो संगठित नहीं है। हमें इन लोगों के लिए एक ऐसी योजना पर विचार करना चाहिए जिसमें असंगठित क्षेत्र के गरीब कामगारों को महंगाई-भत्ता दिया जा सके और इन्हें किसी प्रकार की वित्तीय सहायता भी दी जानी चाहिए। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि मूल्य बढ़ रहे हैं। मेरा सुझाव है कि इस सरकार द्वारा कोई ऐसी स्कीम बनाई जानी चाहिए जिसके द्वारा गरीब लोगों, किसानों, मजदूरों, असंगठित कामगारों और जिन्हें वेतन नहीं मिलता, ऐसे लोगों को स्कीम के अन्तर्गत लाया जा सके। चाहे तकनीकी रूप से महंगाई भत्ता शीर्ष के अन्तर्गत उन्हें लाया जाए परन्तु जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के अनुरूप कुछ वित्तीय सहायता तो उन्हें प्रदान की जा सके।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कृषि क्षेत्र में किसान वर्ग हमेशा ही कठिनाई का सामना करता है क्योंकि उन्हें अपने उत्पादों का उचित मूल्य नहीं मिलता। इसके कई कारण हैं। कृषि सम्बन्धी कई उत्पादों में स्थिरता कभी नहीं रहती। उदाहरणार्थ केरल राज्य में रबड़ एक प्रमुख उत्पाद है। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। और रबड़ की उत्पादकता में भारत पहले स्थान पर है। यह कामगारों और किसानों द्वारा किए गए अथक परिश्रम का परिणाम है। इनमें से 90% लोग छोटे और सीमान्त किसान हैं। इन छोटे और सीमान्त किसानों की देखभाल अवश्य की जानी चाहिए, जिनकी संख्या 9.11 लाख है चूंकि इन्हीं के कारण भारत को इतनी प्रतिष्ठा मिली है।

जब हम देखते हैं कि कीमतें नीचे गिर रही हैं - एक वर्ष पहले इसकी कीमत 50 रुपये प्रति किलोग्राम थी और अब इसकी कीमत गिरकर 40 रुपये हो गई है - मैं यह सुझाव दूंगा कि ऐसी कोई प्रणाली बनाई जानी चाहिए जिससे हम उत्पादन लागत को रहन-सहन की लागत से जोड़ सकें। ऐसी कोई संकेत सूची होनी

चाहिए, ऐसी कोई सुई होनी चाहिए जो कि रहन-सहन की लागत और उत्पादन लागत के अनुसार बदलती रहे। यह देखने के लिए ऐसा कोई रास्ता ढूंढा जाना चाहिए जिससे कि कृषकों को लाभ पहुंचे और उन्हें कठिनाइयां न हों।

इसकी तह में जाए बिना मैं निर्धनों के लिए आवास प्रदान करने के एक नये कार्यक्रम का उल्लेख करना चाहूंगा। यहां तक कि पिछली सरकार ने भी इस पर बड़े पैमाने पर काम किया है और इस योजना के लिए काफी धनराशि निर्धारित की है, लेकिन मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि अभी तक भी निर्धनों को आवास प्रदान करने का कार्य पूरा नहीं हुआ है। कापार्ट में एक संगठन है जिसके द्वारा अनेक स्वैच्छिक संगठनों को आवास के लिए धनराशि प्रदान की गई है। लेकिन, मेरा विचार है कि यह योजना ठीक से कार्य नहीं कर रही है। यह सच है कि निर्धनों को आवास सुविधा प्रदान करने के लिए काफी धनराशि निर्धारित की गई है। आवास लोगों की बुनियादी आवश्यकता है लेकिन यह आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही है। इस कार्यक्रम के अनुसार जिनके पास आवास नहीं है उन्हें आवास की सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है। इस सरकार को यह देखना चाहिए कि यह वृहत योजना जिसके लिए काफी धनराशि निर्धारित की गई है, को सही तरीके से क्रियान्वित किया जाए।

भूतल परिवहन मंत्री, श्री वेंकटारामन् यहां बैठे हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के विषय के अतिरिक्त मंत्रालय अनेक अन्य विषयों पर भी विचार करता है। चूंकि मंत्री महोदय यहां बैठे हैं, मैं एक पहलू उनके ध्यान में लाना चाहूंगा। इस पहलू पर आज सुबह भी चर्चा हुई थी। हम पैट्रोल पर काफी धनराशि खर्च कर रहे हैं और उसकी कीमतें प्रति वर्ष बढ़ती चली जा रही हैं और आगे भी कीमतें बढ़ने की उम्मीद है। जिस धनराशि को पैट्रोल खरीदने के लिए अदा किया जाता है वह सड़क निर्माण के लिए निर्धारित है। लेकिन, चूंकि मंत्री महोदय कह रहे थे कि यह धनराशि उस उद्देश्य से नहीं दी जा रही है। इस सभा द्वारा इस बात को बड़ी गम्भीरता से ले लिया गया। मुझे विश्वास है कि इसे पहले भी गंभीरता से ले लिया गया था, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। इस मुद्दे पर हम सब समर्थन देना चाहेंगे और यह देखना चाहेंगे कि यह धनराशि जो कि पैट्रोल पर कर लगाकर एकत्रित की जा रही है वह भूतल परिवहन मंत्रालय में जाए जो कि इसे निर्माण कार्यों पर खर्च करें। सड़कें आधारभूत ढांचे का एक पहलू हैं जिसमें हमें काफी कार्य करना है। उपयुक्त एक्सप्रैस सड़कें बनाकर ही आधुनिक भारत का निर्माण किया जा सकता है। हम हर जगह जा कर उद्योग स्थापित करने नहीं जा रहे हैं लेकिन यदि आप उपयुक्त सड़कें बनाते हैं, जैसा कि चीन ने किया है तो मुझे विश्वास है कि उद्योग स्वयं ही स्थापित होंगे। किसी उद्योग को स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप आधारभूत सुविधाएँ प्रदान करते हैं, यदि आप अच्छी सड़के प्रदान करते हैं यदि आप विद्युत तथा अन्य आधारभूत सुविधायें प्रदान करते हैं, तो मुझे विश्वास है कि उद्योग स्वयं स्थापित होंगे। भूतल परिवहन मंत्रालय को अधिक धनराशि प्रदान की जानी चाहिए।

मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूँगा कि राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए धनराशि का आवंटन करते समय वे कृपया मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तमिलनाडु से जुड़ी कोचीन, मदुरै सड़क को भी याद रखें जिसे दस वर्ष पहले वर्ष 1987 में राष्ट्रीय राजमार्ग बना दिया गया था। लेकिन, अब तक इसे अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। उसकी स्थिति बहुत खराब है। उसे शीघ्र अति शीघ्र अन्तिम रूप दिया जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि वह मंत्रालय के विचाराधीन है। मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहूंगा कि उसे पारित किया जाना चाहिए। उसके लिए धनराशि आवंटित की जानी चाहिए ताकि इस राष्ट्रीय राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जा सके। अब इसे राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं कहा जा सकता क्योंकि पिछले दस वर्षों से कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है, कोई विकास कार्य नहीं हुआ है क्योंकि इसे राजमार्गों की सूची में शामिल करने का ही निर्णय नहीं लिया जा सका। चूंकि मंत्री महोदय, यहां उपस्थित हैं इसलिए मैं यह निवेदन करूँगा कि इस मुद्दे पर विचार किया जाए और बिना किसी विलम्ब के आदेश जारी किए जाएँ।

जहां तक कि संसद सदस्य के स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का संबंध है - जिसमें हम सब की रुचि है - मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि गैस कनैक्शन का कोटा भी वापस ले लिया जाए तो मेरे विचार में संसद सदस्यों को राहत मिलेगी। यहां तक कि यदि अन्य कोटे भी वापस ले लिए जाएं तब भी उन्हें राहत मिलेगी।

सभापति महोदय : क्या आप भी यह चाहते हैं कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि की सुविधा देना बंद कर दी जाए ?

श्री पी. सी. थॉमस : नहीं, महोदय उस निधि की सुविधा को बंद नहीं किया जाना चाहिए।

लेकिन मेरा नम्र निवेदन यह है कि अन्य सभी कोटे वापस ले लीजिए लेकिन इस निधि की राशि को बढ़ा दीजिए। मुझे विश्वास है कि सभी इस बात से सहमत होंगे। यह एक उपयुक्त मांग है। इस निधि की राशि को बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि इस निधि की राशि को हर जगह वितरित किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि कुछ वर्षों में इस निधि की राशि अथवा इसका भाग देश के कोने-कोने में पहुँच जाएगा ... *(व्यवधान)* जब भा.ज.पा. सरकार सत्ता में आ जाएगी तो वे निधि की राशि को 5 करोड़ से 10 करोड़ तक बढ़ा देंगे। माफ करना वह दिन बहुत दूर है। अतः हम इस सरकार से कहेंगे कि वे निधि की राशि को 5 करोड़ तक बढ़ा दें। मेरे विचार में सरकार इस बात पर गौर करेगी और इसे कम से कम 2 करोड़ अथवा 5 करोड़ तब बढ़ा देगी।

सभापति महोदय : श्री थॉमस आप उनके लिए कठिनाई उत्पन्न कर रहे हैं।

श्री पी.सी. थॉमस : मैं नहीं समझता कि इनसे उन्हें कोई कठिनाई उत्पन्न होगी।

मैं केवल एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा और वह है विद्युत के संबंध में। यह एक आधारभूत सुविधा है जिससे इन्कार नहीं किया जा सकता है और उससे इन्कार किया जाता है तो बहुत कठिनाई होगी।

आज, हम केरल में आजकल चल रहे विद्युत के अभाव के संबंध में प्रधानमंत्री जी से मिले। वास्तव में आज मेरे जिले में बंद का आह्वान किया गया था जिसमें विद्यार्थियों की ओर से इस मुद्दे पर जोर दिया गया कि कम से कम एस.एस.एल.सी. पब्लिक परीक्षा के दौरान बिजली न काटी जाए। मेरे विचार से यह एक उपयुक्त मांग थी। प्रधानमंत्री जी ने भी यह कहा है कि वह मांग बहुत उपयुक्त थी। पूर्व सरकार ने भी परीक्षा के समय के दौरान बिजली न काटने का निर्णय लिया था और उसे कार्यान्वित भी किया, उस समय अब से अधिक बिजली की कमी थी। अब, मैं उस मुद्दे को यहां नहीं उठाना चाहता हूं। लेकिन समस्या यह है कि केरल में कुछ विरोध किए जाने के कारण वहां अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।

कुछ दिन पहले जो कुछ गृह मंत्री ने उत्तर प्रदेश के बारे में कहा था वही अब केरल के बारे में कही जा सकती है। मैं इस मामले को और लम्बा नहीं खींचना चाहता। लेकिन विद्युत आधारभूत ढांचे का महत्वपूर्ण तत्व है जिस पर विचार किया जाना चाहिए।

हमें भारत सरकार से अतिरिक्त बिजली प्रदान की जा रही थी मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि पिछले एक महीने के दौरान विद्युत संकट के कारण विद्युत का जो अतिरिक्त आवंटन केरल को किया जा रहा था, उसे भी कुछ हद तक वापस ले लिया गया है। मैं यह अनुरोध करूँगा कि इस सरकार द्वारा पर्याप्त विद्युत की सप्लाई की जानी चाहिए। मैं अपील करूँगा कि विपक्ष सहित सभी दलों को इस सरकार को मजबूत करने के लिए आगे आना चाहिए। मैं कांग्रेस दल से भी अनुरोध करूंगा कि वे सरकार को मजबूत करने के लिए आगे आए ताकि यह सरकार आने वाले वर्षों में काफी कुछ करके दिखा सके।

सभापति महोदय : क्या सभा शेष दो माननीय सदस्यों के भाषण समाप्त होने तक बैठना चाहेगी?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

श्री नकली सिंह : सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा राज्य है जिसने पं. जवाहर लाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री इस देश को दिये। आज उत्तर प्रदेश की क्या हालत हो रही है? वहीं पर किस प्रकार से लॉ एंड आर्डर है, किस प्रकार से वहां पर अपराध, डकैतियां और बलात्कार होते हैं। यह नहीं कि केवल मैं इस बात को कह रहा हूं। मेरे साथी भी कह रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि मेरे साथी कह रहे हैं। इस देश के गृह मंत्री श्री इंद्रजीत गुप्त ने इसी सदन में कहा है। देश के गृह मंत्री उस कुर्सी पर बैठे हैं, जिस कुर्सी पर राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रतीक स्वर्गीय सरदार पटेल बैठा करते थे। क्यों उनकी बात में वजन नहीं है? किस प्रकार की यह सरकार है? उत्तर प्रदेश के गवर्नर साहब श्रीमान् रोमेश भंडारी जी कहते हैं तो वे कहते हैं कि कहते होंगे। गृह मंत्री जी को चिन्ता नहीं। वे कहते हैं कि मेरी बात प्रधान मंत्री से ठीक है। देश के रक्षा मंत्री कहते हैं कि सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है। लेकिन किसान का बेटा भी रात को खेत में फावड़ा लेकर नहीं जा सकता, आज उत्तर प्रदेश की हालत इतनी खराब है। उत्तर प्रदेश में शाम को छः बजे कोई जानवर मिल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इंसान मिल जाए तो बड़ी भारी चिन्ता होती है। अपहरण वहां की इंडस्ट्री बन चुकी है। चारों तरफ एनार्की है। समझ में नहीं आता कि क्या महामहिम राज्यपाल जी भारत के राष्ट्रपति जी से भी ज्यादा काबिल हैं? यह सही है कि वहां पर एक साल से उनकी नुमाइंदगी की जाती है, लेकिन 1979 से 1996 तक इस देश की परंपरा राष्ट्रपति जी ने बनाई है कि जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, उसके लीडर को ही इनवाइट किया जाता है चाहे प्रधान मंत्री हो चाहे मुख्य मंत्री हो। मुख्य मंत्री की कुर्सी पर भाजपा को नहीं बुलाया जा रहा चाहे प्रदेश का सत्यानाश हो जाए, किसान तबाह हो जाए, गन्ने के दो रेट किसान को मिलते रहें। उत्तर प्रदेश में सड़कें खराब हैं, लेकिन खराब चलती रहेंगी, लेकिन बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, ऐसा मानकर लोग चल रहे हैं।

आज जो 13-14 पार्टियों की सरकार चल रही है, इसमें किसी भी पार्टी की इतनी संख्या होती जितनी उत्तर प्रदेश में हमारी संख्या है तो अब तक उनका मुख्य मंत्री बन गया होता, उनकी सरकार बन गई होती। ये भाजपा से बदला ले रहे हैं। गवर्नर साहब ने असेम्बली के मिलने से दो दिन पहले कह दिया कि कोई जरूरी नहीं कि बड़ी पार्टी के लीडर को ही मैं इनवाइट करूं। देश के प्रति वफादारी जरूरी है और देश का संविधान जरूरी है मगर क्या बदला निकालना जरूरी है? माना कि गवर्नर साहब 1989 में भारतीय जनता पार्टी के एक कैण्डीडेट से चुनाव हार गए थे, फिर भी ये तल्खियां कब तक चलेंगी? आज किसान दुखी है। गन्ने के दो दाम चल रहे हैं।

सभापति महोदय : राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बात करें। आप सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए ही बात कर रहे हैं। समय भी कम है। संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री नक्छली सिंह : यह सबसे बड़े प्रदेश की बात है। वहां का किसान आज बहुत दुखी है। पहले कभी गन्ने के दो दाम नहीं हुए। किसान को पेमेण्ट नहीं हो रही है। पूरे देश की बात ले लीजिए। कश्मीर के वजीरे-आला फारूख साहब कुछ और ब्यान देते हैं। रक्षा मंत्री जी ठीक ब्यान देते हैं, उनकी बात की काट भी करते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि इसी सदन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया था कि एक-एक इंच जमीन जो पाकिस्तान के कब्जे में है, उसको वापस लेकर रहेंगे, इन सारी बातों को समझकर ये क्यों नहीं बोलते ? क्यों नहीं केन्द्रीय सरकार इस प्रकार की बातों को कंट्रोल करती ? केवल उत्तर प्रदेश की बात मैं इसलिए कहता हूं कि उत्तर प्रदेश ने इस देश को आठ प्रधान मंत्री दिए हैं। मगर आज उत्तर प्रदेश में सरकार क्यों नहीं बन पा रही है ? स्थिति यह है कि हम लोग इतने दुखी हैं कि रोजाना पढ़ने को मिलता है कि आज इतने मारे गए और इतनों का अपहरण किया गया। अगर यह बात गलत है तो गृह मंत्री जी ने क्यों यह बात कही ? इसलिए कही कि वह सही बात कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग इतने दुखी हैं कि आज इसका वर्णन करना बहुत जरूरी हो जाता है। सवाल इस बात का है कि जिस परंपरा को राष्ट्रपति जी ने स्थापित किया है, उसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा है ?

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। किसी भी सरकार का पहला काम अमन स्थापित करना है और लॉ एंड आर्डर की स्थिति को ठीक करना है, आदमी की जिन्दगी को महफूज करना है। उत्तर प्रदेश में शाम को कोई किसान खेत में नहीं जा सकता। किसान बहुत बहादुर होता है और किसान को खेती के काम से रात को भी खेत में जाना पड़ता है।

एग्रीकल्चर प्रकृति प्रेमियों का काम है। लेकिन इसके बावजूद भी हम दिन में पानी फेर आते हैं, किसका पानी चलता है या क्या होता है हमें कुछ पता नहीं है। बड़ी बुरी स्थिति है और इस प्रकार की स्थिति को देखते हुए हम लोग क्या कहेंगे, क्यों हम धन्यवाद देंगे, क्यों हम अभिभाषण का शुक्रिया अदा करेंगे। हम तो इसका विरोध करेंगे और हमें तो विरोध करना ही चाहिए। बहुत बुरी स्थिति है। सबसे बड़े राज्य की यह हालत है। अंत में मैं एक शेर कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ :

माली से अदावत है शोदाये चमन हूं मैं,
सरकार का दुश्मन हूं वफादारे वतन हूं मैं।

मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करता हूं और सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री पुन्नु लाल मोदले (बिलासपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कुछ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्गों तथा अन्य वर्गों के उत्थान के बारे में तथा समानता के अधिकार के बारे में जो जिक्र किया गया है, उसमें अनुसूचित जनजाति और अन्य वर्गों के आरक्षण के जो मुद्दे हैं, उन्हें पूरा नहीं किया गया है। उनके बारे में राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं है। आरक्षण को पूरा न करने वालों पर कानूनी कार्यवाही करने का कोई मसौदा तैयार नहीं किया गया है। इसी तरह से भ्रष्टाचार, महंगाई, मुनाफाखोरी तथा कालाबाजारी को किस तरह से रोका जाए, उसका भी कोई इसमें जिक्र नहीं किया गया है। सिर्फ यह दर्शाया गया है कि हम देश के प्रति क्या करेंगे। शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता या उन्हें किसी भी रोजगार में लगाने की कोई कार्ययोजना नहीं है। चुनाव प्रक्रिया सुधार के बारे में मात्र बोला गया है, धारा का उसमें उपयोग किया गया है, परंतु चुनाव प्रक्रिया के बारे में कब बिल लायेंगे और इस चुनाव कार्य में खर्च कम करने के लिए और इस भ्रष्टाचार और अन्य खर्चों को किस तरह रोका जाए, शराबबंदी से जिस तरह चुनाव जीता जा सकता है, उसके लिए कानून में कोई सुधार करने के लिए प्रयास का जिक्र नहीं किया गया है। हमारे यहां पंचायती राज व्यवस्था इस तरह बनाई गई है, मैं आपको मध्य प्रदेश का उदाहरण देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था में यह है कि पंचायतों के अधिकार को मात्र कागजों में दिया गया है। उनको आज एक लाख से दस लाख रुपये तक की स्वीकृति का अधिकार है, पर उनको वित्तीय पावर्स नहीं दी गई है। उनको शिक्षकों की भर्ती के लिए कोई पावर्स नहीं दी गई है और न ही उनको भूमि के पट्टे और वितरण करने के लिए कोई पावर्स दी गई है। पंचायती राज व्यवस्था मात्र दिखावा बनकर रह गई है। मध्यान्ह भोजन से सौ ग्राम चावल और थोड़ी सी दाल के रूप में पौष्टिक आहार बच्चों के पालन-पोषण के लिए दिया जा रहा है। स्कूलों में न शिक्षक पढ़ाते है और न बच्चे पढ़ते हैं, उनकी अनदेखी हो रही है। बच्चे आस-पास घूमते रहते हैं। जो शिक्षा नीति बनाई गई है और जो शिक्षा के बारे में बोला गया है, उसके हिसाब से शिक्षा नीचे जा रही है, ऊँचे स्तर पर नहीं जा रही है। बच्चों के पोषक आहार के बारे में मैं समझता हूं उसमें फल, दूध, तथा अन्न ऐसी चीजें दी जाएं जिनसे उनका मानसिक विकास हो सके और उससे उनके मन में अच्छे विचार और भावनाएं जागृत हों। एक सुनिश्चित रोजगार योजना लागू की गई है जिसमें प्रत्येक परिवार को रोजगार के रूप में सौ दिन कार्य देने की व्यवस्था है। परंतु सौ दिन कार्य देने की बजाय वहां सुनिश्चित रोजगार योजना नाम की चीज नहीं है। केन्द्र सरकार ने उस मद में राशि नहीं भेजी है और अगर भेजी है तो उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। इस योजना में प्रत्येक गांव, कस्बे में परिवारों को सौ दिन काम देने की बात है। लेकिन मजदूर लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनको इस योजना में काम देना अनिवार्य है, परंतु वह नहीं दिया जा रहा है। सुनिश्चित रोजगार योजना में चावल देने का नियम है, परंतु वह नहीं दिया जा रहा है। इसी तरह अगर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को देखें तो यह

[श्री पुन्नु लाल मोहले]

भी नगण्य है। वहां मिट्टी का तेल, गेहूँ, शक्कर आदि कुछ नहीं मिलता। वर्षा ऋतु में सारे इलाके बंद हो जाते हैं, लोग परेशान होते हैं, इसे रोकने के लिए इसमें कोई उपाय नहीं किया गया है। इसी तरह से किसानों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। पिछले समय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में भी कहा था कि हम किसानों को निःशुल्क टयूबवैल देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ है, इनके लिए कृषि और औद्योगिक नीति होनी चाहिए इसमें फसल बीमा की बात भी नहीं कही गई है। कृषि उत्पादन का उचित मूल्य देने की बात सिर्फ बोली गई है। उनके लिए साइंस विद्यालय खोलेंगे, नये आधुनिक उपकरण की बात करेंगे, यह सब चलते किसानों की स्थिति बहुत बुरी हो गई है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, इसके लिए सार्थक कदम उठाये जाने चाहिए। किसानों के लिए औद्योगिक नीति बने, फसल बीमा योजना लागू हो ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। गरीब, बेसहारा, अपंग, निराश्रित और विधवा औरतों के लिए सरकार कितने रुपये देती है, मुझे शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि इनको मुश्किल से 125 रुपये या 50 रुपये दिये जाते हैं, जिससे कि उनका पालन-पोषण हो सके। इतने कम पैसे में क्या हो सकता है, इनके लिए कम से 500 रुपये या एक हजार रुपये देने चाहिए, ताकि उन लोगों की गरीबी या माली हालत में थोड़ा सुधार हो सके और वे भरपेट भोजन कर सकें। उनको समय से चावल नहीं मिलता, समय से उनको पैसे नहीं मिलते। मैं इन छोटी-छोटी बातों का जिक्र नहीं करना चाहता हूँ।

गांव में कोई उद्योग धंधे नहीं हैं। जितने पुराने उद्योग थे, वे सब समाप्त हो गये हैं। विदेशी उद्योगों को देश में आमंत्रित किया जा रहा है जिससे निश्चितरूप से स्वदेशी उद्योग धंधे चौपट हो जाएंगे। लोग विदेशी वस्तुओं की ओर आकर्षित होंगे, स्वदेशी वस्तुओं को कोई नहीं पूछेगा। ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं आया है कि कैसे स्वदेशी तथा रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा।

मैं सदन को बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की योजना है लेकिन उसका कोई जिक्र इस अभिभाषण में नहीं है। पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बारे में भी इसमें कुछ नहीं कहा गया है। यदि इन योजनाओं पर अमल हुआ होता तो आप जानते हैं कि छोटे राज्यों से राजस्व की अधिक प्राप्ति होती है, वे अच्छी आय के स्रोत्र होते हैं। कुछ राज्यों के बड़े शहरों में नये कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं, जिनसे उनकी स्थिति में सुधार आ रहा है परन्तु गांवों की स्थिति में कोई फर्क नहीं आया है। गांवों में अभी तक न सड़कें हैं, न बिजली है, न गलियाँ हैं और न पुल-पुलियाँ हैं। इनके बारे में राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं है। जब तक हम गावों के विकास पर ध्यान नहीं देंगे, न शहरों का विकास सम्भव है और न देश का विकास कर सकते हैं, भले ही दिल्ली में कितनी बड़ी इंडस्ट्रीज हम लगा लें, अंतर्राष्ट्रीय जगत में कहीं पहुंच जाएं, कितने ही एशियन खेल कर लें। देश का सही विकास तभी सम्भव है, जब हम गांवों का विकास करेंगे, गांवों में जो ऊसर भूमि है, उस पर ध्यान देंगे। हमारे पहाड़ी इलाकों में जो ऊबड़-खाबड़ जमीन है, उसे समतल करने की किसी योजना का जिक्र राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में नहीं है। ऐसी योजनाओं का जिक्र न होने से, हमारे गांवों की उन्नति नहीं हो सकती।

आज हमारे गांव की जनता को टयूबवैल चाहिए, सिंचाई के साधन चाहिए। व्यवस्था यहां तक खराब है कि पीने के पानी के नल 2-2 या 3-3 किलोमीटर दूर तक नहीं हैं। आजादी के 50 साल बाद भी हम देश की तमाम जनता को पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा पाए। बिजली के उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि हमारे मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा बिजली की कटौती हो रही है, बिजली की आंख-मिचौली हो रही है जिससे किसानों के खेत, उनमें खड़ी फसलें सूख रही हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी क्या दुर्दशा होगी। क्या हम स्टाक डैम नहीं बना सकते जिससे बिजली पैदा की जा सके और हमारे छोटे उद्योग धंधे पनप सकें लेकिन उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। लिफ्ट इरीगेशन योजनाओं के जरिए सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं, सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ाया जा सकता है ताकि गांव के किसान को कुछ सुविधाएं मिल सकें लेकिन उसका कोई जिक्र राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में नहीं है। अनेकों सिंचाई योजनाएं हमारे यहां बंद पड़ी हैं। अपूर्ण सिंचाई योजनाओं को पूरा करने के संबंध में इसमें कोई जिक्र नहीं है। कहने के लिए यह मुल्क इक्कीसवीं सदी की ओर जा रहा है लेकिन हम किधर जाएं। देश की बहुसंख्य जनता की भलाई के लिए राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में कुछ उल्लेख नहीं किया गया है, कोई योजना लागू नहीं की गई है, इसलिए मैं सदन में लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध कर रहा हूं और इन शब्दों के साथ समय देने के लिए, सभापति जी, आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, सभी सदस्य बोल चुके हैं। वक्ताओं की सूची में अब और कोई नाम नहीं है। यह अच्छी बात है।

माननीय प्रधानमंत्री जी कल प्रश्न काल के तत्काल बाद 12 बजे उत्तर देंगे।

अब, सभा कल 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 7.53 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 4 मार्च, 1997/ 13 फाल्गुन 1918 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।